एकादश माला, खंड 14, अंक 9

मंगलवार, 13 मई, 1997
23 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT
No. 257
Date 15.12.98

चौथा सत्र
(भाग-चार)
(ग्यारहवीं लोक सभा)



(खंड 14 में अंक 1 से 12 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 13 मई, 1997/23 वैशाख, 1919 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
63	17	डा० राम विलास वेदान्त	डा० राम विलास वेदान्ती
112	19	श्री मथाबा सरदार	श्री माध्व सरदार
142	5	श्री जी०ए० रेड्डी	श्री जी०ए० चरण रेड्डी
188	3	श्री एन० के० प्रेवचन्द्रन	श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
218	5-6	श्री दलीप सिंह गायकवाड़ श्री सत्य जीत सिंह	श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़
239	नीचे से 1	(ख) और (ङ)	(ख) से (ङ)
276	नीचे से 4	श्री पी०सी०चाको	श्री पी०सी०चाक्को
304	12	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
418	नीचे से 12	देखिए संख्या एल०टी०1984/97	देखिए संख्या एल०टी०1981/97

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार) 1997/1919 (शक)]
अंक 9, मंगलवार, 13 मई, 1997/23 वैशाख, 1919 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	521 से 524	1–72
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	525 से 540	72–104
अतारांकित प्रश्न संख्या	5780 से 6009	104–418
सभा पटल पर रखे गए पत्र		418–425
कार्य मंत्रणा समिति		
तेरहवां प्रतिवेदन		425
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति		
पहला प्रतिवेदन		425
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
3 मई, 1997 को बिहार बंद के दौरान हुई घटनाएं		425–426
श्री इन्द्रजीत गुप्त		425–426
नियम 377 के अधीन मामले		463–467
(एक) उत्तर प्रदेश के मछलीशहर में चीनी मिलों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्यकता		
डॉ० राम विलास वेदान्ती		463
(दो) लद्दाख स्काउट्स की संख्या बढ़ाने और इसे एक रेजीमेंट का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता		
श्री पी. नामग्याल		463–464
(तीन) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या का समाधान करने हेतु सिद्धमुख नहर परियोजना की मूल योजना को बनाए रखने की आवश्यकता		
श्री नरेन्द्र बुड़ानिया		464

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(चार) महान उपन्यासकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

डॉ० राम चन्द्र डोम 464

(पांच) नेपाल सरकार के सहयोग से ककरहवा और लुम्बिनी (नेपाल) के बीच सड़क निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री वृज भूषण तिवारी 465

(छः) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में मगदापुर और औरंगाबाद क्षेत्रों में पेड़ों के नष्ट होने के कारणों की जांच करने हेतु विशेषज्ञ दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 465

(सात) सोनीपत जिले की तहसील गोहाना में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत चीनी मिल की स्थापना करने हेतु हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

डॉ० अरविन्द शर्मा 466

(आठ) मेडिकल कालेजों में दाखिले हेतु जम्मू-कश्मीर राज्य को प्रवेश परीक्षा के सामान्य पूल के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री चमन लाल गुप्त 466-467

नौंवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में प्रस्ताव 467-512

श्री शिवराज वी. पाटिल 467-480

प्रो. रासा सिंह रावत 480-493

श्री सी. नारायण स्वामी 493-502

श्री संतोष मोहन देव 502-503

श्री समीक लहिरी 504-508

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूभाजरा 508-512

लोक-सभा

मंगलवार, 13 मई, 1997/23 वैशाख, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कृषि योजनाओं की समीक्षा

***521. श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''वूमेन इन एग्रिकल्चर'' और ''एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन'' नामक योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं में शामिल गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इन योजनाओं में क्या भूमिका निभायी जाती है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर ''कृषि में महिलाएं'' तथा ''स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार'' नामक योजनाओं की समीक्षा की गयी है।

केन्द्रीय सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग के विभिन्न चालू कार्यक्रमों/योजनाओं की जांच व मूल्यांकन करने तथा उनकी उपयोगिता व कृषक महिलाओं पर उनके प्रभाव को आंकने तथा उनके सुधार के लिए समुचित उपाय सुझाने के लिए हाल ही में ''कृषि में महिलाएं'' सम्बन्धी एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। यह समिति अपनी प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट के मसौदे को अन्तिम रूप दे रही है।

(ख) उक्त योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं अनुबंध-I में दी गयी हैं। इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा फील्ड समीक्षा, वार्षिक बैठक एवं कार्यशालाओं, अन्तर्विषयी टीमों के दौरों तथा आन्तरिक सलाहकारी अध्ययनों के माध्यम से की जाती है, ''कृषि में महिलाएं'' योजना की समीक्षा से पता चला है कि महिला दलों को संगठित करने, उन्हें प्रशिक्षण तथा विस्तार सहायता प्रदान करने तथा स्थानीय स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई आदि के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में महिला कृषकों को प्रौद्योगिकी अन्तरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। ''स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार'' योजना की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इन संगठनों के प्रयासों तथा मुख्य विस्तार प्रणाली के बीच समन्वय स्थापित हुआ है, अनुसंधान प्रणाली से इनके सम्बन्धों की प्रगाढ़ता का पता चलता है एवं यह भी ज्ञात होता है कि परियोजना क्षेत्र में प्रदर्शनों, कृषक प्रशिक्षण तथा अध्ययन दौरों के माध्यम से विस्तार सहायता को सक्रिय बनाया गया है।

(ग) इस समय ''कृषि में महिलाएं'' योजना के अंतर्गत कोई गैर-सरकारी संगठन शामिल नहीं हैं। ''स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार'' योजना, जो 8 राज्यों में चलाई जा रही है, के कार्यान्वयन में 14 गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं। उनकी सूची अनुबंध-II में दी गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 87 कृषि विज्ञान केन्द्र भी चलाए जा रहे हैं। विस्तृत विवरण संलग्न अनुबंध-III में दिया है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के प्रमुख कार्य कृषि प्रणाली का प्रलेखन, दृश्य-श्रव्य साधन तैयार करना तथा प्रदर्शनों, कृषक प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरों का आयोजन करना है।

अनुबन्ध-I

योजनाओं की विशेषताएँ

(क) कृषि में महिलाएं

- इस योजना का उद्देश्य कृषि में कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहित तथा एकजुट करके दलों में संगठित करना है, ताकि इन दलों के नेटवर्क के माध्यम से कृषि सहायता जैसे आदान, प्रौद्योगिकी एवं विस्तार सहायता का आगे प्रसार किया जा सके।

- इसका कार्यान्वयन 1993-94 से पाइलट आधार पर देश के सात राज्यों, अर्थात् केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब में प्रत्येक में एक जिले में किया जा रहा है।

- योजना अवधि का कुल बजट परिव्यय 164.27 लाख रुपये है।

- कृषक महिलाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में समग्रतः ग्राम आधारित प्रशिक्षण/पुनश्चर्या प्रशिक्षण, लिंक वर्कर प्रशिक्षण परिणाम प्रदर्शन, अध्ययन दौरे तथा महिला गोष्ठियां शामिल हैं।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चुनिन्दा गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों का मुख्य विस्तार प्रणाली से समन्वय स्थापित करना है।

- इसका कार्यान्वयन 1994-95 से पायलट आधार पर 8 चुनिन्दा राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,

- योजना अवधि के लिए कुल बजट परिव्यय 200.00 लाख रुपये है।

- चुनिंदा गैर सरकारी संगठन कृषि प्रणाली का प्रलेखन, दृश्य एवं श्रव्य साधन तैयार करना, प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण तथा अध्ययन दौरे आयोजित करते हैं।

अनुबन्ध - II

गैर-सरकारी संगठनों के पते

1. निदेशक, श्री अरविन्द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गड्डीपल्ली - 508201 जिला नलगोण्डा (आन्ध्र प्रदेश)

2. कार्यकारी निदेशक, यूथ फॉर एक्शन, 1-8-702/26/1, पद्मा कॉलोनी, हैदराबाद - 500044 (आन्ध्र प्रदेश)

3. सचिव, रामकृष्ण आश्रम, मोराबाड़ी रांची - 834008 (बिहार)

4. महासचिव, ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा, नवादा - 805106 (बिहार)

5. कार्यकारी न्यासी, श्री क्षेत्र धर्मस्थल (रूरल डेवलपमेंट ब्रांच), धर्मस्थल, दक्षिणी कनारा - 574216 (कर्नाटक)

6. कार्यकारी निदेशक, मिराडा, डोमलर ले-आऊट, कोलार जिला, बंगलौर - 560071 (कर्नाटक)

7. सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, पोस्ट बस्तर-494661 (मध्य प्रदेश)

8. सचिव, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम, इन्दौर-452020 (मध्य प्रदेश)

9. सचिव, मणिपुर रामकृष्ण सोसाईटी, प्रजातन्त्र बिल्डिंग, इम्फाल-795001 (मणिपुर)

10. सचिव, रामकृष्ण सेवा केन्द्र, चेबरी, खोवई - 700001, पश्चिमी त्रिपुरा, (त्रिपुरा)

11. सचिव, वनवासी सेवा आश्रम, वाया तुर्रा गोविन्दपुर, सोनभद्रा-231221 (उत्तर प्रदेश)

12. सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर - 743508, 24, परगना (दक्षिणी) (पश्चिम बंगाल)

13. सचिव, कल्याण, द्वारा - रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, ग्राम बोंगाबारी पोस्ट - विवेकानन्दनगर, जिला - पुरूलिया (पश्चिम बंगाल)

14. सचिव, हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेन्टर, 744, इन्दिरा नगर, फेज-2, पोस्ट न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248006 (उत्तर प्रदेश)

अनुबन्ध - III

गैर-सरकारी संगठनों के तहत कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	कृषि विज्ञान केन्द्रों का नाम व पता	आयोजक संगठन
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र विशाखापटनम-531005	भाग्य तुला चैरिटेबल ट्रस्ट येल्लामेनचीली, विशाखापटनम-531005
2.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पोस्ट-बरागनपल्ली, यागनटीपल्ली-513524, जिला-कुरनूल	सचिव, श्री हनुमन्त आर्या, एजु॰ एवं चैरिटेबल सोसा॰
3.	प्रशिक्षण आयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र, पो.ब. नं0 214 जहीराबाद, मेडक-502220	अध्यक्ष, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, बशीरबाग, हैदराबाद
4.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र आर.ए.एस. वनसाथी, विलेज-कराकनबाड़ी जिला - चित्तूड़-517501	अध्यक्ष, रायलसीमा सेवा समिति, तिरूपति
5.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गाइडीपल्ली-508201	सचिव, श्री अरबिन्दो रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गड्डीपल्ली, आन्ध्र प्रदेश
6.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जम्मीकुंता, जिला-करीमनगर, पिन-505122	निदेशक, ग्राम नवा निर्माण समिति विद्यानगर, हैदराबाद
7.	प्रशिक्षण आयोजक, एन.जी. रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनय आश्रम, कावूर जिला - गन्टूर	अध्यक्ष, विनय आश्रम, कावूर, गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश
8.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एम.आर.ओ. ऑफिस के पीछे कोटा, मदनपुर जिला - महबूब नगर	कार्यकारी निदेशक, यूथ फॉर एक्शन, हैदराबाद

1	2	3
बिहार		
9.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शर्मा भारती खादीग्राम पो. आफिस जमुई-811313	अध्यक्ष, खादी ग्राम उद्योग सघ, खादीग्राम जमुई, बिहार
10.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वी.पी.ओ. बसैथ, चाँदपुरा, मधुबनी-847102	अध्यक्ष, एस.के. चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली
11.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रामाकृष्ण मिशन आश्रम, पो० – मोराबादी, रांची-834008	सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी-834008
12.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र सुजनी, पोस्ट – घोरलश, जिला देवधर-814152	मद्दा सचिव, संथाल पहाड़ियां सेवा मंडल देवघर, बिहार
13.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, हॉलक्रास, वी.टी.आई. हजारीबाग-825301	निदेशिका, हॉलीक्रॉस, वी.टी.आई. हाजारीबाग, बिहार
14.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पोस्ट-सोखोदेवरा, जिला – नवादा-805106	महासचिव, ग्राम निर्माण मण्डल आश्रम, सुखीदेवरा, नवादा
15.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बनवासी सेवा केन्द्र, पोस्ट – अधौरा, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, भभुआ-821116	अध्यक्ष, वनवासी सेवा केन्द्र, अधौरा, भभुआ
गुजरात		
16.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भरौच	अध्यक्ष, भारती एग्रो-इंडस्ट्रीज फाउण्डेशन
17.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मंगल भारती गोलागमड़ी बहादुरपुर, बड़ौदा-691125	अध्यक्ष, मंगल भारती, गोलाग मण्डी, बड़ोदरा
18.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रंधेजा, गांधीनगर	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
19.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बलसाढ़	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद
20.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, समोदा, मेहसाना	निदेशक, सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, समोदा, मेहसाना
21.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंद्रा, कच्छ	निदेशक, रूरल एग्रो रिसर्च एवं डेवलपमेंट सोसाइटी, जुहू, बम्बई
हरियाणा		
22.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नं० 2, राजेन्द्र पार्क, अम्बाला कैन्ट, अम्बाला	अध्यक्ष, सोसाइटी फार क्रीएशन ऑफ हैवन ऑन अर्थ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
23.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री बी.बी. आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी-123401	सचिव, भागवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी
हिमाचल प्रदेश		
24.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राम-कुडोवाड़ा पोस्ट – चन्नेर इन्दरा, जिला-कांगड़ा-176401	अध्यक्ष, एफ.ओ.आर.ई. नई दिल्ली
जम्मू एवं कश्मीर		
25.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कालीबाड़ी, कठुआ-184104	सचिव, शिव ग्रामोद्योग मंडल कठुआ
कर्नाटक		
26.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सुत्तुर, मैसूर	अध्यक्ष, जे.एस.एस. ग्रामीण विकास फाउंडेशन, मैसूर
27.	प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र, चिक्काबालापुर, कोलार	अध्यक्ष, कर्नाटक कल्याण समिति चिक्काबालापुर

1	2	3
28.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र तुकांती गोहक, बेलगाम-591319	अध्यक्ष, बेलगांव समेकित ग्रामीण विकास समिति, बेलगांव
29.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, के.एच. पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, हलकोटी-582205 कड़कतालुक, जिला-धारवाड़	अध्यक्ष, कृषि विज्ञान फाउंडेशन हलकोटी, धारवाड़
	केरल	
30.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाथेनामाथेट्टा	अध्यक्ष, ग्रामीण विकास हेतु क्रिश्चन एजेंसी थिरूचल्ला, पेथेन्नामथिट्टा
31.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चक्कुमालम, इदुक्की	अध्यक्ष, बापूजी सेवक समाज चक्कुमालम, इदुक्की
32.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र मित्रनिकेतन, बेलानाड़ जिला-तिरूअनंतपुरम	अध्यक्ष, मित्रनिकेतन त्रिवेन्द्रम
	मध्य प्रदेश	
33.	प्रशिक्षण संयोजक कृषि विज्ञान केन्द्र जोरा कालुकेड़ा, जि0 रतलाम	अध्यक्ष, कालूखेड़ा शिक्षा समिति रतलाम
34.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वाया डिमरापाल पो.आ. जगदलपुर माता रूक्मिणी सेवा संस्थान, जिला बस्तर	सचिव, माता रुक्मिणी सेवा संस्थान, जगदलपुर, बस्तर
35.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, मालवा महिला विकास समिति पो.आ0 सोनी, विदिशा-464228	अध्यक्ष, श्री मालवा महिला विकास समिति, भोपाल
36.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, इन्दौर	सचिव, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर
37.	प्रशिक्षण संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान मझगांव, सतना	अध्यक्ष, दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, रानीझांसी रोड़, नई दिल्ली
	महाराष्ट्र	
38.	प्रशिक्षण आयोजक, वाई.सी. महाराष्ट्र ओपेन यूनिवर्सिटी, नासिक-422005	कुलपति, वाई.सी. महाओपेन यूनिवर्सिटी, नासिक
39.	प्रशिक्षण आयोजक, भगवान नगर, परभनी-431401	अध्यक्ष, जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट परभनी
40.	प्रशिक्षण आयोजक, तालासाड़ी, कोल्हापुर-416012	डी.वाई.पाटिल शिक्षा समिति लालाशाड़े कोल्हापुर
41.	प्रशिक्षण आयोजक जलगांव जामोड़, बुलडना-443402	अध्यक्ष, सतपुड़ा शिक्षा समिति जलगांव जामोद बलदाना
42.	प्रशिक्षण आयोजक, 57, कांग्रेस नगर, अमरावती-444602	अध्यक्ष, श्री साधना ट्रस्ट, 57, कांग्रेस नगर, अमरावती
43.	प्रशिक्षण आयोजक, मधुबनी कालोनी मैम्पस अमरावती-444602	अध्यक्ष, श्री सफालय फांउडेशन मधुबन कालोनी, अमरावती
44.	प्रशिक्षण आयोजक, एच.आई.जी. कालोनी, आई.टी.आई. के नजदीक, नादेड़	अध्यक्ष, जे.एन. इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांइस एण्ड टेक रिसर्च, नांदेड
45.	प्रशिक्षण आयोजक, 51, रेलवे लाइन्स, सोलापुर-413001	अध्यक्ष, सभारी कृषि प्रतिष्ठान सोलापुर
46.	प्रशिक्षण आयोजक, रिसोड़, अकोला-444106	अध्यक्ष, सुविदे फाउंडेशन सिसोड़ अकोला
47.	प्रशिक्षण आयोजक आदर्श कृषि, सिंधुदुर्ग-416622	अध्यक्ष, पायप फालाओटपादान सहकार समिति, सिधुंदुर्ग
48.	प्रशिक्षण आयोजक, गोखले शिक्षा, कोयाबाद हिल जिला थाणे-401703	सचिव, गोखले शिक्षा समिति वी. वाई .के. कॉलेज ऑफ कामर्स नासिक
49.	प्रशिक्षण आयोजक, सतपुड़ा विकास मंडल तालुका रावेर जिला जलगांव-425508	अध्यक्ष, सतपुड़ा विकास मंडल रावेर, जलगांव

1	2	3
50.	प्रशिक्षण आयोजक, आदर्श कालोनी, ग्राम अम्बजोगाय जिला बीड-431517	अध्यक्ष, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली
51.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र कलवड़े, करड़ जिला - सातारा-415110	अध्यक्ष, कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट कोरेगांव रोड़, पुणे
52.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शारदा नगर, बारामती-413115, जिला पुणे	अध्यक्ष, कृषि विकास ट्रस्ट बारामती, पुणे
53.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाभलेश्वर, श्रीरामपुर ताल जिला अहमदनगर-413736	अध्यक्ष, प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड सोसल सांइस प्रवर नगर, अहमदनगर
54.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी-413, बसन्त दादा सकर सहकारी कारखाना जिला सांगली-416416	अध्यक्ष, बसन्त प्रकाश विकास प्रतिष्ठान सांगली
55.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र पी.बी. नं0 45, एस.पी. रोड़ जिला जालना-431203	सचिव, मराठावाड़ा शेती सहाय्या मंडल जालना
	राजस्थान	
56.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमु, जयपुर	सचिव, प्रगति ट्रस्ट चौमु, जयपुर
57.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, वनस्थली विद्यापीठ, जिला टौंक-304022	सचिव, बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली टौंक
58.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र बदगांव, उदयपुर-313001	अध्यक्ष, विद्या भवन समिति उदयपुर
59.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, जिला चुरू-311401	रजिस्ट्रार, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, जिला चुरू
60.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गायत्री शान्त पीठ, जिला बाड़मेर-344001	सचिव, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सुधार के लिए समिति, बाड़मेर
61.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, संगारिया, श्रीगंगानगर	अध्यक्ष, केशयानन्द मेमोरियल ट्रस्ट, संगारिया, श्रीगंगानगर
	तमिलनाडु	
62.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, धर्मापुरी	अध्यक्ष, ग्रामीण विकास का टी. एन.बोर्ड, टी.नगर, मद्रास
63.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, टन्कोशी, नैल्लई, कट्टाबोम्मन-627852	अध्यक्ष, आर.वी.एस. एजुकेशन ट्रस्ट, दिंदीगुल अन्ना
64.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, केटचीपुरम वाया ऐनो, मदुरई-626520	अध्यक्ष, सेन्टर फॉर डेवलपमेंट एण्ड कमीशन ट्रस्ट, मदुरई
65.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीकुलम, मुंद्रादयिपुर, डॉ0 परियापट्टी, कामराजार-626102	अध्यक्ष, मेयरस ट्रस्ट, मदुरई
66.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तंजावूर, आर.वी.एस. कैम्पस सुल्तूर-641402	अध्यक्ष, भक्तवा मेमोरियल ट्रस्ट, टी.एन.एच.बी. कॉलोनी, कोराधुर, मद्रास
67.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला चिदम्बरनगर	अध्यक्ष, एन.सी.ए.डी. चैरनदेवी तिरूनेलवेल्ली
68.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्री अविवासलिंगम रूरल सेन्टर, विवेकानन्दपुरम, करमदायी ब्लॉक, जिला कोयम्बटूर-641113	सचिव, श्री अविवासलिंगम रूरल सेन्टर, कोयम्बटूर
69.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, उपासी, ग्लेनव्यू, कूनूर-643101 नीलिगिरि जिला	सचिव, उपासी, ग्लेनव्यू, नीलिगिरि जिला कूनूर-643101
70.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिन्डीगुल जिला : अन्ना	सचिव, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिन्डीगुल, जिला : अन्ना

1	2	3
71.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तलामलाई केन्द्र, मिराड़ा सत्यमंगलम तालुका, जिला - पेरियार-638461	कार्यकारी निदेशक, मिराड़ा, डेमलूर लेआऊट, बंगलौर
72.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव किलनैल्ली, वैंमबक्कम ब्लॉक तिरूअन्नामलाई, सामबुवारयार जिला	अध्यक्ष, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टी.नगर, मद्रास
	त्रिपुरा	
73.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दिव्योदया आई.सी.ए.आर. कॉम्पलैक्स फार एन.ई.एच. रिजन, दिवानन्दपल्ली, चेबरी-799207, खेवाई उपप्रभाग, पश्चिम त्रिपुरा	महासचिव, श्रीरामकृष्ण देवा केन्द्र, आर.एन.मुखर्जी रोड़, कलकत्ता
	उत्तर प्रदेश	
74.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कानपुर रोड़, दरोगा खेंड़ा, पोस्ट - अनरौंव, लखनऊ	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि संस्थान कानपुर रोड़, लखनऊ
75.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जलालपुर मुजफ्फरनगर,	अध्यक्ष, स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट, मुजफ्फरनगर
76.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बाराबंकी	सचिव, भारत ग्रामीण विकास संस्था, बाराबंकी
77.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर-228118	सचिव, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट सुल्तानपुर
78.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, एटा-टुंडला रोड़ अवागढ़-207301	प्राचार्य, राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, बीचपुरी, आगरा
79.	प्रभारी अधिकरी, कृषि विज्ञान केन्द्र जय-प्रभा ग्राम/गोपाल ग्राम दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, खरगू चंदपुर गांधी पार्क, गोण्डा-271001	अध्यक्ष दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली
80.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनीवन, जिला-बांदा-210206	अध्यक्ष दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली
81.	प्रशिक्षण आयोजन, कृषि विज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद कृषि संस्थान जिला - इलाहाबाद-211007	निदेशक, इलाहाबाद कृषि संस्थान नैनी, इलाहाबाद
82.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सोहना जिला सिद्धार्थनगर-272193	सचिव, लियोड टेल एरिया डेव॰ सोसाइटी सोहना, सिद्धार्थनगर
83.	प्रशिक्षण आयोजक, स्वामी कल्याणदेव कृषि विज्ञान केन्द्र, हस्तिनापुर, जिला मेरठ-250404	अध्यक्ष, गांधी पोलिटेक्निक हस्तिनापुर, मेरठ
	पश्चिम बंगाल	
84.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीराम कृष्ण आश्रम डाकघर नीमपीठ आश्रम दक्षिण, 24 परगना-743338	अध्यक्ष, श्रीराम कृष्ण आश्रम सुंदरबन, 24 परगना
85.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कापगारी, जिला - मिदनापुर	अध्यक्ष, सेवाभारतीय कापगारी, मिदनापुर
86.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रामशयी, जिला जलपायीगुड़ी	महासचिव, श्रीरामकृष्ण सेवा केन्द्र, आर.एन.मुखर्जी रोड़ कलकत्ता
87.	प्रशिक्षण आयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, विवेकानन्दनगर, जिला - पुरूलिया	अध्यक्ष, कल्याण पी.ओ. विवेकानन्दनगर पुरूलिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, ये जो ''विमेन इन एग्रीकल्चर'' और ''एग्रीकल्चर एक्सटेंशन'' की योजनाएं हमारे यहां चल रही हैं, एक कृषि विस्तार केन्द्र के माध्यम से और दूसरी महिलाओं के लिए जो चल रही हैं और वैसे देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अधिकांश महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं और उसमें भी खेती और मजदूर करीब-करीब 86 प्रतिशत है और असंगठित हैं, उन्हीं के लिये ये योजनाएं भी बनीं हैं 1993-94 से ये योजनाएं प्रारम्भ की गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सात राज्यों में इसकी शुरूआत हो गई है। लेकिन प्रगति की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो

तमिलनाडु में थोड़ी-बहुत प्रगति हुई है। लेकिन खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो देश के दो सबसे बड़े प्रदेश हैं, वहां पर आज भी ये योजनाएं लागू नहीं की गई। ये बिल्कुल ही प्राथमिक स्तर पर ही हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इसका क्या कारण है? मेरा अभिप्राय यह है कि क्या राज्य सरकार की अरुचि इसका कारण है या लोगों की अरुचि इसका कारण है या जो गैर-सरकारी संगठनों को यह कार्य सौंपा गया है, उसमें कुछ खामियां हैं? क्या सरकार इसका कुछ पता लगाएगी?

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति जी, यह सही है कि यह आठवीं योजना के अन्तर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशों की मदद से किया जाता है। उसमें मध्य प्रदेश के भी आठ जिले शामिल हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र : इसलिए डैनिडा के मातहत् मध्य प्रदेश भी शामिल है। माइक की वजह से उनको सुनाई नहीं पड़ा। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात के छः डिस्ट्रिक्ट्स और आन्ध्र प्रदेश के छः डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। नौवें प्लान के अन्दर 11 राज्यों के 22 डिस्ट्रिक्ट्स भी ले रहे हैं। इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार भी हैं। मैं तो चाहता हूं कि सारे भारत में एक साथ इस योजना को शुरू कर दें, लेकिन आप लोग संसाधन नहीं देते हैं। जितने संसाधन देते हैं, उसमें हम कर देंगे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति महोदय, मेरा पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रुचि नहीं ली गई है, लेकिन इसके कारण मंत्री जी ने नहीं बताए। अभी आपने कहा कि संसाधनों की कमी है। क्या यह बात सही है कि जो कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं वे भी वस्तुतः ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों की कमी है और दूसरी तरफ आप नई योजनायें लागू कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के अलावा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा काम करवाया जा रहा है और इनके उद्देश्य भी वहीं है। आज असंगठित क्षेत्रों में महिलायें मजदूरी का काम कर रही हैं और खेती में भी काम कर रही हैं। इसलिए उनको समान मजदूरी दिलाने की आवश्यकता है और साथ ही उनके लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है। आपने बताया है कि डैनिस गवर्नमेंट से ऐड मिल रही है और इस योजना में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इसके बारे में यह बोला जाता है, गैर सरकारी संगठनों को जो डेनिश गवर्नमेंट से ऐड मिल रही है, जिनके द्वारा काम हो रहा है, इनमें ज्यादातर सरकारी अधिकारी रुचि नहीं ले रहे है और परिणाम नहीं मिल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ, क्या आप इसकी जांच करवायेंगे? साथ ही जब इनके उद्देश्य एक ही है, वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो फिर दूसरे कार्यक्रमों को क्यों लागू किया गया है, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ही लागू क्यों नहीं किया गया?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, जहां तक डैनिडा एड की बात है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार के ऑफीसर या उनके रिश्तेदार इस योजना को चला रहे हैं। सरकारी ऑफीसर के रिश्तेदार इसको चला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : ये ठीक नहीं चल रही हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : इस बारे में आप सूची दे दें, तो उसकी जांच करवा देंगे। उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक आसान सवाल करना चाहता हूँ। सभी योजनाओं जैसे, कि कृषि में महिलायें और 'कृषि का विस्तार' का मूल उद्देश्य कृषि उत्पादों का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दृष्टि से वृद्धि करना है। कृषि उत्पाद के गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मुख्य विस्तार व्यवस्थायें इत्यादि के साथ स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों का एकीकरण किया जा चुका है।

इन उद्देश्यों के आधार पर क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि उन राज्यों में, जहां ये परियोजनायें परिचालन में हैं, कृषि उत्पादों में कुल कितनी वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय : क्या आपको इसकी सूचना है?

श्री चतुरानन मिश्र : यह एक आम प्रश्न नही हैं और विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है। अतः यह एक आवश्यक प्रश्न है। दोनों के उद्देश्य एक ही हैं - और माननीय सदस्य ने भी यही कहा है - लेकिन महिलाओं पर विशेष बल दिया गया है कि वे कैसे कार्य कर रही हैं। यही कारण है कि जब मैंने कृषि मंत्री का भार संभाला तब मैंने एक समिति गठित की जो इस बात का अध्ययन करेगी कि कृषि में महिलाओं की स्थिति क्या है। अपने अधिकारियों के अतिरिक्त मैंने सभी बड़े राजनैतिक दलों और महिला संगठनों के प्रतिनिधियों से इस पर कार्य करने के लिए सम्बद्ध किया है। इस संबंध में अंतरिम रिपोर्ट जल्द ही हमारे पास आने वाली है और फिर इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी।

जहां तक प्रश्न के अन्य भाग का संबंध है तो यह मूल प्रश्न से सीधे रूप में नहीं जुड़ा है। यदि अध्यक्षपीठ की इच्छा है तो मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूँ। किसानों के बीच यह आम जागरूकता है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हें अपना नाम पंजीकृत करवाकर राज सहायता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी जागरूकता पैदा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता और न ही मेरी राय है कि ऐसा किया जा चुका है। मैं यही कहता हूँ कि यदि इसे गंभीरतापूर्वक लिया गया तो ही यह सफल हो सकता है। मैं मात्र इतना ही कह सकता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि यह सफल रहा है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, पूना में भारत एग्रो-इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन ने महिलाओं को मशरूम की खेती में आगे लाकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जैसी कि पूर्व सरकार ने योजना बनाई थी, आप भी हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोल रहे हैं। आप इस बारे में प्रयासरत हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं को मशरूम की खेती में शामिल करने और उनको प्रोत्साहन देने के बारे में कोई योजना सरकार बना रही है?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, यह स्पैसिफिक योजना सारे देश की नहीं बनी है। जगह-जगह इसको टेक-अप किया जा रहा है। इसमें हम महिलाओं की पूरी मदद करेंगे। अगर महिलायें इस क्षेत्र में आगे आयेंगी, तो उनको बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करेंगे। जहां तक कृषि विज्ञान केन्द्र की बात है, यहाँ महिलाओं के लिए काम नहीं हुआ है, लेकिन हम इसको करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, 87 डिस्ट्रिक्ट्स में एन.जी.ओज. कार्यरत हैं। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं के सवाल को वे टेक-अप करें और उनको पूरा बढ़ावा दें।

श्री लक्ष्मण सिंह : मशरूम की खेती महिलाओं के माध्यम से एक कुटीर उद्योग का रूप ले सकता है।

श्री चतुरानन मिश्र : मशरूम का हो या किसी चीज का हो, जिसमें महिलाओं का उत्थान हो, वहां वास्तविक मदद करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री भक्त चरण दास : सभापति महोदय, उड़ीसा में कृषि के क्षेत्र में पुरूषों से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। उड़ीसा में बहुत सी वॉलन्ट्री आर्गेनाइजेशन इस दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन ये दो स्कीम्स - विमैन इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सटैंशन - उड़ीसा में लागू नहीं की गई हैं। इन सात राज्यों के अलावा उड़ीसा भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इन स्कीम्स को उड़ीसा में आप कब तक लागू करेंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, जैसा मैंने बताया, डैनिडा स्कीम के तहत आपके यहां आठ डिस्ट्रिक्टस काम कर रही हैं। इस वारे में संभवतः पहले की सरकार ने इसको उस ढंग से नहीं देखा। यह सही है कि हम महिलाओं को विशेष मदद देंगे। हमने ट्रेनिंग के लिए और अन्य खर्चों के लिए सारी व्यवस्था की है। उड़ीसा में एक फेस में चार जिले - बोलांगीर, गंजाम, पूरी, ढेंकनाल - का किया है और दूसरे फेस में इन चारों जिलों के अलावा संभलपुर, क्योंझर, कोरापुट और सुदंरगढ़ को डैनिश स्कीम के अन्तर्गत लिया गया है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जो योजनायें चल रही हैं, क्या सरकार द्वारा इनकी समीक्षा और मूल्यांकन किया गया है कि किस राज्य में कितनी प्रगति हो गई है ? साथ ही क्या मंत्री महोदय इस संबंध में सदन को जानकारी देना चाहेंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, जैसा अभी मैंने बताया, जो कमेटी एप्वांइट की थी, उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं की है। जब उसको प्राप्त कर लेंगे, तब ही सदन के सामने लायेंगे। अभी वह प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक बिहार का सवाल है, हमने पहले भी कहा है कि हम उसको नौंवें प्लान में लेने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

*522. **श्री नारायण अठावले :**
श्री अंचल दास :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कार्यरत चीनी मिलों के नाम सहित उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ये मिलें अपनी क्षमता के अनुपात में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को राज्यों से वहां पर और अधिक चीनी मिलें स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी करने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार ने घाटे में चल रही मिलों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में राज्यवार, क्षेत्रवार संस्थापित चीनी मिलों के नाम तथा स्थान दर्शाने वाला विवरण संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) 31.3.1997 तक, चीनी उत्पादन करने वाली यूनिटों की संस्थापित क्षमता 131 लाख टन थी। दूसरी ओर पहले ही लाइसेंसशुदा क्षमता 266.6 लाख टन के क्रम में है। तथापि, वास्तविक चीनी उत्पादन न केवल संस्थापित क्षमता पर बल्कि इसके उपयोग के दिनों पर निर्भर करता है तथा गन्ने की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो अंततः चीनी मिलों द्वारा उनके क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों पर निर्भर करता है। जबकि चालू मौसम में चीनी उत्पादन अभी भी हो रहा है, 1995-96 के मौसम के दौरान यह 164.29 लाख टन था।

(घ) और (ङ) दिसम्बर, 1995 के बाद से जब आशय पत्र जारी करने का कार्य आरम्भ किया गया, कुल 92 आशय पत्र नई चीनीं मिलें स्थापित करने के लिए जारी किए गए। विभिन्न राज्यों से उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। इस मामले में अन्तिम निर्णय औद्योगिक नीति का सवंर्द्धन विभाग द्वारा लिया जाना है।

(च) सरकार चीनी मिलों को उनकी क्षमता की पुनर्स्थापना आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए कार्यक्षमता में सुधार हेतु रियायती वित्त उपलब्ध कराती है। 31.3.97 तक, 163 चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया, जो 603.45 करोड़ रुपये बैठता है। इसके अलावा 346 यूनिटों को भी गन्ना विकास ऋण मंजूर किया

गया, जो 466.63 करोड़ रुपये बैठता है। चीनी विकास निधि से वर्तमान यूनिटों के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन/विस्तार के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध-I

देश में संस्थापित चीनी मिलों का राज्यवार, क्षेत्रवार, नाम तथा स्थान दर्शाने वाला विवरण (31.3.1997 तक)

क्र.सं.	चीनी फैक्ट्री का नाम	क्षेत्र
1	2	3
1.	दी सरस्वती शुगर मिल्स डाकखाना - यमुनानगर, जिला अम्बाला	निजी
2.	दी हरियाणा कोप. शुगर मिल्स लि० डाकखाना-रोहतक, जिला-रोहतक	सह०
3.	दी पानीपत कोप. शुगर मिल्स लि० पानीपत, जिला-पानीपत	सह०
4.	दी करनाल कोप. शुगर मिल्स लि० जिला - करनाल	सह०
5.	सोनीपत सहकारी शुगर मिल्स लि० जिला - सोनीपत	सह०
6.	शाहाबाद सहकारी शुगर मिल्स लि०, शाहाबाद, तहसील - थानेश्वर, जिला - कुरूक्षेत्र	सह०
7.	दी जीन्द सहकारी शुगर मिल्स लि०, तहसील एवं जिला - जीन्द	सह०
8.	दी पलवल सहकारी शुगर मिल्स लि०, तहसील - पलवल, जिला - फरीदाबाद	सह०
9.	दी कैथल सहकारी शुगर मिल्स लि०, कैथल, जिला - कुरूक्षेत्र	सह०
10.	दी महम सहकारी शुगर मिल्स लि०, महम, जिला - रोहतक	सह०
11.	दी भूना सहकारी शुगर मिल्स लि०, भूना, तहसील - फतेहाबाद, जिला - हिसार	सह०
12.	मैसर्स पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लि० सेक्टर - 17 ए, एस.सी.ओ. 40-41, चंडीगढ़ स्थान - इन्द्री, जिला - करनाल	निजी
13.	मैसर्स नरायणगढ़ शुगर मिल्स लि० नारायणगढ़, जिला - अम्बाला	निजी
पंजाब		
14.	दी मोरीन्डा सहकारी शुगर मिल्स लि० मोरीन्डा, जिला - रोपड़	सह०
15.	ओसवाल एग्रो मिल्स लि० फगवाड़ा, जिला - कपूरथला	निजी
16.	भगवानपुरा शुगर मिल्स लि० धूरी, जिला - संगरूर	निजी
17.	दी भोगपुर सहकारी शुगर मिल्स लि० भोगपुर, जिला - जालन्धर	सह०
18.	दी दोआबा सहकारी शुगर मिल्स लि० नवाशहर, जिला - जालन्धर	सह०
19.	दी बटाला सहकारी शुगर मिल्स लि०, बटाला, जिला - गुरदासपुर	सह०
20.	गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल्स लि०, (पनिआर), जिला - गुरदासपुर	सह०
21.	जीरा सहकारी शुगर मिल्स लि० जीरा, जिला - फिरोजपुर	सह०
22.	मैसर्स फाजिल्का सहकारी शुगर मिल्स लि०, फाजिल्का, जिला - फिरोजपुर	सह०
23.	मैसर्स पटियाला सहकारी शुगर मिल्स लि०, गांव - रखड़ा, तहसील एवं जिला-पटियाला	सह०
24.	मैसर्स बुढेवल सहकारी शुगर मिल्स लि०, दोराहा, तहसील-समराला, जिला-लुधियाना	सह०
25.	मैसर्स तरन तारन सहकारी शुगर मिल्स लि० सिरोन, तह० तरन तारन, जिला - अमृतसर	सह०
26.	मैसर्स राना शुगर लि० बटर-सयान, तहसील - बाबा-बाकला	निजी
27.	मैसर्स सतलुज सहकारी शुगर मिल्स लि०, तहसील - नकोदर, जिला - जालन्धर	सह०
28.	दी जगरांव सहकारी शुगर मिल्स लि० हथूर, कमलपुर, जिला - लुधियाना	सह०
29.	दी बुढलाडा सहकारी शुगर मिल्स लि०	सह०

1	2	3
30.	दी अजनाला सहकारी शुगर मिल्स लि०, भालापिन्ड, तहसील - अजनाला, जिला - अमृतसर	सह०
31.	दी फरीदकोट शुगर मिल्स लि० रोरी, चटसिंहवाला, जिला - फरीदकोट	सह०
32.	ओसवाल शुगर्स लि० मुकेरियां, जिला - होशियारपुर	निजी
33.	मैसर्स पिकाडिली शुगर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज पटरान, तहसील - समाना, जिला - पटियाला	निजी
34.	मैसर्स नाहर शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि० अमलोह, तहसील नाभा, जिला - पटियाला	निजी
35.	मैसर्स दी पंजाब स्टेट फैडरेशन ऑफ कोप० शुगर मिल्स लि० स्थान और तह०-दसुया, जिला - होशियारपुर	सह०
उत्तर प्रदेश		
36.	दी मोदी इंडस्ट्रीज लि० मोदीनगर, जिला - गाजियाबाद	निजी
37.	दी सिंभोली शुगर मिल्स प्रा० लि० सिंभोली, जिला - गाजियाबाद	निजी
38.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट : मोहीउद्दीनपुर, जिला - मेरठ	सार्व० क्षेत्र
39.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, मलियाना, जिला - मेरठ	सार्व० क्षेत्र
40.	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला - मेरठ	निजी
41.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट - सखौटी, दांड़ा, जिला - मेरठ	सार्व० क्षेत्र
42.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना जिला - मेरठ	निजी
43.	दी बागपत सहकारी शुगर मिल्स लि०, बागपत, जिला - मेरठ	सह०
44.	दी रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि० रमाला, जिला - मेरठ	सह०
45.	दी त्रिवेणी इन्जिनियरिंग वर्क्स लि० शुगर यूनिट : दी अपर इंडिया शुगर	निजी
46.	मंसूरपुर शुगर मिल्स लि०, मंसूरपुर, जिला - मुजफ्फरनगर	निजी
47.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, रोहाना-कलां, डाकखाना - रोहाना मिल्स, जिला - मुजफ्फरनगर	सार्व० क्षेत्र
48.	दी अपर दोआब शुगर मिल्स लि०, शामली, जिला - मुजफ्फरनगर	निजी
49.	दि गंगा किसान सहकारी शुगर मिल्स लि०, तहसील - जानसठ, जिला - मुजफ्फरनगर	सह०
50.	मोनेट इंडस्ट्रीज लि०, उन, तह० कैराना, जिला - मुजफ्फरनगर	
51.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, पन्नीनगर, जिला - बुलन्दशहर	सार्व० क्षेत्र
52.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० अनूपशहर, जिला - बुलन्दशहर	सह०
53.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० डोइवाला, जिला - देहरादून	सार्व० क्षेत्र
54.	गंगेश्वर लि० देवबंद, जिला - सहारनपुर	निजी
55.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट : सहारनपुर, जिला - सहारनपुर	सार्व० क्षेत्र
56.	किसाना सहकारी चीनी फैक्ट्री लि० सरसावा, जिला - सहारनपुर	
57.	शाकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि० स्थान टोडर (राघर) जिला - सहारनपुर	निजी
58.	राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स (प्रा०) लि० लक्सर, जिला - हरिद्वार	निजी
59.	दी महालक्ष्मी शुगर मिल्स क० लि०, इकबालपुर, जिला - हरिद्वार	निजी
60.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, ननौता, जिला - सहारनपुर	सह०
61.	दी उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० यूनिट - बिजनौर, जिला - बिजनौर	सार्व० क्षेत्र
62.	अपर गंजेज शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि० सिहोरा, जिला - बिजनौर	निजी

1	2	3
63.	दी धामपुर शुगर मिल्स लि० धामपुर, जिला - बिजनौर	निजी
64.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, चांदपुर जिला - बिजनौर	सार्व० क्षेत्र
65.	किसाना सहकारी चीनी मिल्स लि० स्नेह रोड़, फजलपुर, नजीबाबाद, जिला - बिजनौर	सह०
66.	द्वारिका शुगर इंड लि० बुंदकी, जिला - बिजनौर	निजी
67.	दी अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर जिला - मुरादाबाद	निजी
68.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट अमरोहा, जिला - मुरादाबाद	सार्व० क्षेत्र
69.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गजरौला, जिला - मुरादनगर	सह०
70.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट रामपुर, जिला - रामपुर	सार्व० क्षेत्र
71.	रूद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० बिलासपुर, जिला - रामपुर	सह०
72.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० बरेली, जिला - बरेली	सार्व० क्षेत्र
73.	दी केसर इंटरप्राइजिज लि०, बहेरी, जिला - बरेली	निजी
74.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सेमी खड़ा, तहसील और जिला - बरेली	सह०
75.	रोजा शुगर वर्क्स लि० (प्रो० अवध शुगर मिल्स लि०) रोजा, जिला - शाहजहांपुर	निजी
76.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० तिलहर, जिला - शाहजहांपुर	सह०
77.	एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि० पीलीभीत, जिला - पीलीभीत	निजी
78.	दी किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि० मझौला, जिला - पीलीभीत	सह०
79.	बिसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० बिसालपुर, जिला - पीलीभीत	सह०
80.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० तह० पूरनपुर, जिला - पीलीभीत	सह०
81.	डी.एस.एम. शुगर (काशीपुर) लि०, काशीपुर जिला - नैनीताल	निजी
82.	दी बाजपुर सहकारी चीनी फैक्ट्री लि०, बाजपुर जिला - नैनीताल	सह०
83.	किच्छा शुगर क० लि०, किच्छा, जिला - नैनीताल	सार्व० क्षेत्र
84.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० राजापुर-पूरनपुर-नदेही, डाक-जसपुर जिला - नैनीताल	सह०
85.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० तह० सितारगंज, जिला - नैनीताल	सह०
86.	दी नियोली शुगर फैक्ट्री, मनपूरनीगरिया, नियोली, जिला - एटा	निजी
87	दी अवध शुगर मिल्स लि० हरगांव, जिला - सीतापुर	निजी
88.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, महौती, जिला - सीतापुर	सार्व० क्षेत्र
89.	दी सेकसरिया बिसवान शुगर फैक्ट्री लि० बिसवान, जिला - सीतापुर	निजी
90.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, मोहम्मदाबाद, जिला - सीतापुर	सह०
91.	बाजाज हिन्दुस्तान लि०, गोला गोकरननाथ, जिला - खेरी	निजी
92.	दी गोबिन्द शुगर मिल्स लि०, डाकखाना - ऐरा एस्टेट, जिला - खेरी	निजी
93.	दी सरजू सहकारी चीनी मिल्स लि०, बेलरायन, जिला - खेरी	सह०
94.	बजाज हिन्दुस्तान लि०, पलियाकलां, जिला - खेरी	निजी
95.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सम्पूर्णानगर, तह० - निगासन, जिला लखीमपुर - खीरी	सह०
96.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, हरदोई, जिला - हरदोई	सार्व० क्षेत्र

1	2	3
97.	दी यूनाइटेड प्रोविन्सेस शुगर क० लि०, स्योराही, जिला - पडरौना	निजी
98.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट - बेतालपुर, जिला - देवरिया	सार्व० क्षेत्र
99.	कानपुर शुगर वर्क्स लि० डाकखाना - गौरीबाजार जिला - देवरिया	निजी
100.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० देवरिया	सार्व० क्षेत्र
101.	दी कनोरिया शुगर एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग क० लि० कप्तानगंज, जिला - पडरौना	निजी
102.	दी उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० डाकखाना - राजाबाजार, यूनिट - खड्डा, जिला - पडरौना	सार्व. क्षेत्र
103.	उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० छितौनी, जिला पडरौना	सार्व० क्षेत्र
104.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट लक्ष्मीगंज, जिला - देवरिया	सार्व० क्षेत्र
105.	गंगेश्वर लि०, यूनिट रामकोला, जिला - देवरिया	निजी
106.	दी उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट रामकोला, जिला - देवरिया	सार्व० क्षेत्र
107.	कानपुर शुगर वर्क्स लि० पडरौना, जिला - पडरौना	निजी
108.	कानपुर शुगर वर्क्स लि० कठकुइयां, जिला - देवरिया	निजी
109.	दी प्रतापुर शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि० प्रतापपुर, जिला - देवरिया	निजी
110.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट - भटनी, जिला - देवरिया	सार्व० क्षेत्र
111.	सराया शुगर मिल्स (प्रा०) लि०, सरदारनगर, जिला - गोरखपुर	निजी
112.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० पिपराइच, जिला - गोरखपुर	सार्व० क्षेत्र
113.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० घुघली, जिला - महाराजंगज	सार्व० क्षेत्र
114.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० सिसव बाजार, जिला - महाराजगंज	सार्व० क्षेत्र
115.	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क० लि० आनन्दनगर, जिला - महाराजगंज	निजी
116.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० मुंडेरवा, जिला - बस्ती	सार्व० क्षेत्र
117.	दी बस्ती शुगर मिल्स क० लि०, डाकखाना - जिला बस्ती	निजी
118.	गोविन्दनगर शुगर लि० डाकखाना - वालटरगंज, जिला - बस्ती	निजी
119.	खलीलाबाद शुगर मिल्स (प्रा०) लि०, खलीलाबाद, जिला - बस्ती	निजी
120.	दी बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बभमान, जिला - गौंडा	निजी
121.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, नवाबगंज, जिला - गौंडा	सार्व० क्षेत्र
122.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि० बलरामपुर, जिला - गौंडा	निजी
123.	तुलसीपुर शुगर क० लि०, तुलसीपुर, जिला - गौडा	निजी
124.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट - जरवाल, जिला - बहराइच	सार्व० क्षेत्र
125.	सरस्वती किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०,नानपारा, जिला - बहराइच	सह०
126.	दी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि०, यूनिट बाराबंकी, जिला - बाराबंकी	सार्व० क्षेत्र
127.	दी उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट - बुढ़वल, बाराबंकी	सार्व० क्षेत्र
128.	उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट - शाहगंज, जिला - जौनपुर	सार्व० क्षेत्र
129.	कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स प्रा० लि० डाकखाना - मोती नगर, जिला - फैजाबाद	निजी

1	2	3
130.	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि० ओराई, जिला - वाराणसी	सह०
131.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० रसड़ा, जिला - बलिया	सह०
132.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० कैमगंज, जिला - फर्रूखाबाद	सह०
133.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सठियान, जिला - आजमगढ़	सह०
134.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० घोसी, जिला - मऊ	सह०
135.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० डाकखाना - साथा, हरदेवगंज, जिला - अलीगढ़	सह०
136.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० बदायूं, जिला - बदायूं	सह०
137.	छाता शुगर क० लि० डाकखाना - छाता, जिला - मथुरा	सार्व० क्षेत्र
138.	नंदगंज सिहोरी शुगर क० लि०, दरियापुर, जिला - राय बरेली	सार्व० क्षेत्र
139.	नंदगंज सिहोरी शुगर क० लि० पो.ओ. - नंदगंज, जिला - गाजीपुर	सार्व० क्षेत्र
140.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सुल्तानपुर, अवध	सह०
141.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गदरपुर, जिला - नैनीताल	सह०
142.	घाटमपुर शुगर क० लि०, तह० घाटमपुर, जिला - कानपुर	सार्व० क्षेत्र
143.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० पवांया, जिला - शाहजहांपुर	सह०
144.	ओसवाल एग्रो मिल्स लि०, धनौरा, जिला - मुरादाबाद	निजी
145.	श्रीराम इंडस्ट्रीयल इन्टरप्राइजिज लि० तितावी, जिला - मुजफ्फरनगर	निजी
146.	धामपुर शुगर मिल्स लि० रोजागांव, तहसील - राम स्नेही घाट जिला - बाराबंकी	निजी
147.	वीनस शुगर लि० मझावली (भारत) तहसील - सम्बल, जिला - मुरादाबाद	निजी
148.	विलार्ड इंडिया लि० शुगर डिवीजन (अगौता शुगर एंड कैमिकल्स) अगौता, जिला - बुलन्दशहर	निजी
149.	डालमिया सीमेन्ट (भारतरा) लि० यूनिट रामगढ़ चीनी मिल्स तह० मिसरिख, जिला - सीतापुर	निजी
150.	धामपुर शुगर मिल्स लि० असमोली, तह० सम्भल जिला - मुरादाबाद	निजी
151.	किंपलाई इंडस्ट्रीज लि०, रूपापुर, जिला - हरदोई	निजी
152.	जे.के. इंडस्ट्रीज लि० मीरगंज, जिला - बरेली	निजी
153.	इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लि० मैजापुर, जिला - गौंडा	निजी
बिहार		
154.	बिहार राज्य चीनी निगम लि० लोहट, जिला - मधुबनी	सार्व० क्षेत्र
155.	बिहार राज्य चीनी निगम लि०, सकरी, जिला - मधुबनी	सार्व० क्षेत्र
156.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० यूनिट रियाम, जिला - दरभंगा	सार्व० क्षेत्र
157.	न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि०, हसनपुर रोड़, डाकखाना-हसनपुर शुगर मिल्स, जिला - समस्तीपुर	निजी
158.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० समस्तीपुर यूनिट, जिला-समस्तीपुर	सार्व० क्षेत्र
159.	दी मोतीपुर शुगर फैक्ट्री (प्रा०) लि० मोतीनगर, जिला-मुजफ्फरपुर	निजी
160.	रिघा शुगर क० लि० रिघा, जिला - सीतामढ़ी	निजी
161.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० यूनिट गरौल, जिला - वैशाली	सार्व० क्षेत्र

1	2	3
162.	मैसर्स मोतीहारी चीनी उद्योग लि०, लीज ऑफ मैसर्स ईस्टर्न शुगर्स इंडस्ट्रीज लि० मोतीहारी, जिला - ईस्ट चम्पारन	निजी
163.	मोतीलाल पदमपट उद्योग लि०, मझौलिया, जिला - वेस्ट चम्पारन	निजी
164.	चम्पारन शुगर क० लि० चनपटिया, जिला - वेस्ट चम्पारन	निजी
165.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० लौरिया, जिला - वेस्ट चम्पारन	सार्व० क्षेत्र
166.	बगाहा चीनी मिल्स लि०, डाकखाना - नरायपुर, जिला - वेस्ट चम्पारन	निजी
167.	दी अवध शुगर मिल्स लि० नरकटियागंज, जिला-वेस्ट चम्पारन	निजी
168.	हरिनगर शुगर मिल्स लि० हरिनगर, जिला वेस्ट चम्पारन	निजी
169.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० सुगौली, जिला - ईस्ट चम्पारन	सार्व० क्षेत्र
170.	चम्पारन शुगर क० लि०, बाराचकिया, जिला - ईस्ट चम्पारन	निजी
171.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० डाकखाना-न्यू सिवान, जिला-सिवान	सार्व० क्षेत्र
172.	दी बिहार शुगर वर्क्स परसखी, जिला - सिवान	निजी
173.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० डाकखाना-सिवान, जिला - सिवान	सार्व० क्षेत्र
174.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० डाकखाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज	सार्व० क्षेत्र
175.	भारत शुगर मिल्स लि० सिद्धवालिया, जिला - गोपालगंज	निजी
176.	सासा मूसा शुगर वर्क्स (प्रा०) लि० सासा मूसा, जिला - गोपालगंज	निजी
177.	दी विष्णु शुगर मिल्स लि०, डाकखाना-विष्णु शुगर मिल्स, जिला - गोपालगंज	निजी
178.	कानपुर शुगर वर्क्स लि० मरहोवराह, जिला - सारन	निजी
179.	बिहार राज्य चीनी निगम लि० यूनिट गरारू, जिला - गया	सार्व० क्षेत्र
180.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० यूनिट-वारीसालींगंज, जिला-नवादा	निजी
181.	रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, डाकखाना-डालमियानगर, जिला - शाहबाद	निजी
182.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० बनमंखी, जिला - पूर्णिया	सार्व० क्षेत्र
183.	दी बिहार राज्य चीनी निगम लि० यूनिट बिहटा, जिला - पटना	सार्व० क्षेत्र
184.	श्री पांडुरंग एस.एस.के. लि० डाकखाना, श्रीपुर, जिला - शोलापुर महाराष्ट्र	सह०
185.	दी ससवाडमली शुगर फैक्ट्री लि० डाकखाना - मालीनडार, जिला शोलापुर	निजी
186.	साहाकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल एस.एस.के. लि० अकलुज, जिला - शोलापुर	सह०
187.	श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लि० सदाशिवनगर, जिला - शोलापुर	सह०
188.	श्री सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि० कुमाठे, डाकघर-टिकावाड़ी, जिला - शोलापुर	सह०
189.	विठल एस.एस.के. लि० गरसाले, तालुक पंडारपुर, जिला - शोलापुर	सह०
190.	भीमा एस.एस.के. लि० सिकन्दर तकली, तहसील - माहोल, जिला - शोलापुर	सह०
191.	भोगावती एस.एस.के. लि० इरले वैराग तालुका बारसी, जिला - शोलापुर	सह०
192.	श्री संत दामजी एस.एस.के. लि० शिरानादागी, तालुक करमाला, जिला - शोलापुर	सह०

1	2	3
193.	मैसर्स आदीनाथ एस.एस.के. लि० लावे भालवानी, तहसील - करमाला जिला - शोलापुर	सह०
194.	दी रावलगांव शुगर फार्म लि० रावलगांव, जिला - नासिक	निजी
195.	गिरना एस.एस.के. लि० डाकघर भावसाहेबनगर, जिला - नासिक	सह०
196.	कर्मवीर काकासाहेब बाघ एस.एस.के. लि० रनवाड, तालुक निफाड़, जिला - नासिक	सह०
197.	गाड़वा एस.एस.के. लि० मतेरवाड़ी तालुका दिनडोरी, जिला - नासिक	सह०
198.	नासिक एस.एस.के. लि० पालसे जिला - नासिक	सह०
199.	वसन्तराव दादा एस.एस.के. लि० विथेवाड़ी (लोहानेर), जिला - नासिक	सह०
200.	श्री चांगडे शुगर मिल्स लि० चांगडेवनगर, जिला - अहमदनगर	निजी
201.	दी कोपरगांव एस.एस.के. लि० कोलपेवाड़ी, जिला - अहमदनगर	सह०
202.	निफेड एस.एस.के. लि० डाकघर भावसाहेबनगर, जिला - नासिक	सह०
203.	दी बेलापुर शुगर एंड एलाइड लि० हरीगांव, जिला - अहमदनगर	निजी
204.	दी परावरा एस.एस.के. परावरानगर जिला - अहमदनगर	सह०
205.	अशोक एस.एस.के. लि० अशोकनगर, डाकघर - श्रीरामपुर, जिला - अहमदनगर	सह०
206.	श्री गणेश एस.एस.के. लि० गणेशनगर, डाकघर - रंजनगांव खुर्द, जिला - अहमदनगर	सह०
207.	दी संजीवनी (तकली) एस.एस.के. लि० तालुका - कोपरगांव, जिला - अहमदनगर	सह०
208.	दी राहुरी एस.एस.के. लि० डाकघर राहुरी फैक्ट्री, जिला - अहमदनगर	सह०
209.	दी श्रीगोंडा एस.एस.के. लि० डाकघर - श्रीगोंडा, जिला - अहमदनगर	सह०
210.	संगमनेर भाग एस.एस.के. लि०, अमृतनगर, तालुका - संगमनेर, जिला - अहमदनगर	सह०
211.	दानेश्वर एस.एस.के. लि०, तालुका, नेवासा, जिला - अहमदनगर	सह०
212.	श्री जगदम्बा एस.एस.के. लि० रशीन, तहसील - करजाट, जिला - अहमदनगर	सह०
213.	श्री वृद्धेश्वर एस.एस.के. लि० डाकघर वृद्धेश्वर साखर कारखाना तालुका पथारड़ी, जिला - अहमदनगर, पिम्पलगांव	सह०
214.	दी मूले एस.एस.के. सोनाई, तालुका-नेवासा, जिला - अहमदनगर	सह०
215.	पारनेर तालुका सहकारी साखर कारखाना लि० पारनेर, जिला - अहमदनगर	सह०
216.	मैसर्स भाउसाहेब महादेव हांडे अगस्ती एस.एस.के. लि० जामगांव, तहसील - अकोला, जिला - अहमदनगर	सह०
217.	भोगावती एस.एस.के. शाहूनगर, पोस्ट-पराते, जिला - कोल्हापुर	सह०
218.	दी कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स लि० कसौड़ा, भवाड़ा, जिला - कोल्हापुर	निजी
219.	श्री पंचगंगा एस.एस.के. लि० गंगानगर, इकलकरन्जी, जिला - कोल्हापुर	सह०
220.	श्री वारना एस.एस.के. लि० डाकघर वारनानगर, जिला - कोल्हापुर	सह०

1	2	3
221.	कुंभी केसरी एस.एस.के. लि० कुदीतरे, तालुका, कारवीर, जिला - कोल्हापुर	सह०
272.	श्री दुधगंगा वेदगंगा एस.एस.के. लि० बिदरी, डाकघर, मौनीनगर, तालुका-कागल, जिला - कोल्हापुर	सह०
223.	श्री दत्तर एस.एस.के. लि० असरूले, तालुका-पन्हाला, जिला - कोल्हापुर	सह०
224.	श्री दत्तर एस.एस.के. लि० सिरोल, जिला - कोल्हापुर	सह०
225.	दौलत सेतकारी एस.एस.के. लि० डाकघर - हलकारनी, तालुक-चंडगाड, जिला - कोल्हापुर	सह०
226.	गार्धीगलाज तालुका एस.एस.के. लि० तालुका गार्धीगलाज, जिला - कोल्हापुर	सह०
227.	छत्रपति शाहू एस.एस.के. लि० कागल, जिला - कोल्हापुर	सह०
228.	जवाहर सेतकारी एस.एस.के. लि० हुपारी, तालुका - हतकांगले जिला - कोल्हापुर	सह०
229.	इंदापुर एस.एस.के. लि० बीजावाड़ी तालुका-इंदापुर, जिला - पूणे	सह०
230.	श्री छत्रपति एस.एस.के. लि० भवानीनगर तालुका, इंदापुर, जिला - पुणे	सह०
231.	दी मालेगांव एस.एस.के.लि० मालेगांव बी.के. जिला - पुणे	सह०
232.	श्री सोमेश्वर एस.एस.के. लि० डाकघर सोमेश्वर नगर, जिला-पुणे	सह०
233.	यशवंत एस.एस.के. लि० चिन्तामणिनगर, डाकघर-थेउर, जिला - पुणे	सह०
234.	भीमा एस.एस.के. लि० पटास, तालुका-डाउंड, जिला-पुणे	सह०
235.	विघनगर, एस.एस.के. लि० जूनार, जिला - पुणे	सह०
236.	रजद एस.एस.के. लि० निकाडे, तालुक-भोर, जिला-पुणे	सह०
237.	गंगोर एस.एस.के. लि० डाकघर रघुनाथनगर, जिला - ओरंगाबाद	सह०
238.	सिद्धेश्वर एस.एस.के. लि०, सिलोड, जिला - औरंगाबाद	सह०
239.	दी कन्नाड़ एस.एस.के. लि० कन्नाड़, जिला - औरंगाबाद	सह०
240.	दी विनायक एस.एस.के. लि०, परसोडा, तालुका - वैजापुर जिला - औरंगाबाद	सह०
241.	श्री संत एकनाथ एस.एस.के. लि० पैथन, जिला - औरंगाबाद	सह०
242.	श्री नमदेव राव बी. गडेकर, देयगिरी, एस.एस.के. लि० फुलंबरी, ता० तथा जिला - औरंगाबाद	सह०
243.	कृष्णा एस.एस.के. लि० रेथारे बुडरूक, डाकघर - शिवनगर, जिला - सतारा	सह०
244.	श्रीराम एस.एस.के. लि० पलटन, जिला - सतारा	सह०
245.	न्यू पलथन शुगर्स वर्क्स लि० ता० पलथन, डाकघर - शाखरवाड़ी, जिला - सतारा	निजी
246.	किसानवीर सतारा एस.एस.के. लि० भुंज, ता० वाई, जिला - सतारा	सह०
247.	बालासाहेब देसाई एस.एस.के. लि० दौलतनगर, मराली, तालुका पटन, जिला - सतारा	सह०
248.	सह्याद्री एस.एस.के. लि० यशवंतनगर, तालुका करोड जिला - सतारा	सह०
249.	अजिंक्यात्रा एस.एस.के. लि० शेन्द्रे, जिला - सतारा	सह०
250.	बसन्तदादा शेतकारी एस.एस.के. लि० डाकघर एण्ड जिला - सांगली	सह०

1	2	3
251.	गोदावरी मनार एस.एस.के. लि० शंकरनगर, डाकघर - रामतीर्थ, जिला - नानदेड़	सह०
252.	मैसर्स शंकर एस.एस.के. लि० फूलेनगर, तह० भोकर, जिला - नानदेड़	सह०
253.	श्री पंजारकन एस.एस.के. लि० भादने, तालुका - सकरी, जिला - धूलिया	सह०
254.	श्री सतपुड़ा तापी परिसर एस.एस.के. लि० तालुका सहाड़ा, डाकघर - पुरूषोत्तमनगर, जिला - धूलिया	सह०
255.	मैसर्स संजय एस.एस.के. शूले, सिंदखेड़ा, अमलनेर लि० विजयनगर, तालुका और जिला - धूले	सह०
256.	शीरपुर सेतकारी एस.एस.के. लि० डाहीवाड़, तालुका शीरपुर, जिला - धूले	सह०
257.	जीजामाता एस.एस.के. लि० दूसारबिड़, तालुका - महकर, जिला - बुलडाना	सह०
258.	वसन्त एस.एस.के. लि०, पुसाड़, जिला - यावतमल	सह०
259.	मैसर्स जय किसान एस.एस.के. लि० बोडेगांव, तहसील - दरवाह, जिला - यावतमल	सह०
260.	राजाराम बापू पाटिल एस.एस.के. लि० राजारामनगर, डाक - साखराले, तालुका - वालवा जिला - सांगली	सह०
261.	विश्वास एस.एस.के. लि० यशवंतनगर, डाक - चिखाली, तालुका - शिराला, जिला - सांगली	सह०
262.	हुतात्मा किसान अहीर एस.एस.के. लि० वालवे, जिला - सांगली	सह०
263.	यशवंत एस.एस.के. लि० नागेवाड़ी, तालुका - खानापुर, जिला - सांगली	सह०
264.	महाकाली एस.एस.के. लि० कवाथे, महाकाल, जिला - सांगली	सह०
265.	तसगांव तालुका एस.एस.के. लि० तसगांव (त्रुचि पहाटा) डाक त्रुचि, तालुका - तसगांव, जिला - सांगली	सह०
266.	धामनगंगा एस.एस.के. लि० सोनारसिद्धनगर, जिला - सांगली	सह०
267.	तेरना शेतकारी एस.एस.के. लि० तेरनानगर, तालुका - धोकी, जिला - उस्मानाबाद	सह०
268.	कलाम्बर विभाग एस.एस.के. लि०, कलाम्बर, डाकघर - गांधीनगर, जिला - नानदेड़	सह०
269.	मैसर्स श्री शंकर शेतकारी एस.एस.के. लि०, गांव - मंगरूल, जिला - यावतमल	सह०
270.	दी अम्बाजगई एस.एस.के. लि० डाकघर अम्बासाखर, तालुका - अम्बाजगई, जिला - बीड़	सह०
271.	जय भवानी एस.एस.के. लि० गोराय, जिला - बीड	सह०
272.	काडा एस.एस.के. लि० काडा, तालुका - अशति, जिला - बीड	सह०
273.	गजानन कोप० शुगर फैक्ट्री लि० स्थान तालुका और जिला - बीड	सह०
274.	मधुकर एस.एस.के. लि० डाकघर फैजपुर, जिला - जलगांव	सह०
275.	वसन्त एस.एस.के. लि० कसोडा, जिला - जलगांव	सह०
276.	बेलगंगा एस.एस.के. लि० तालुका - चालिसगांव, जिला - जलगांव (भरोस)	सह०
277.	मैसर्स श्री चोपड़ा एस.एस.के. लि० मछाले, तह० - चोपड़ा, जिला - जलगांव	सह०
278.	मराठवाड़ा एस.एस.के. लि० डाकघर डोगरखाड़ा तालुका - पठारी, जिला - परभानी	सह०

1	2	3
279.	दी गोदावरी दुधाना एस.एस.के. लि०, दयोनान्दरा, तालुका - पठारी, जिला - परभानी	सह०
280.	पूरना एस.एस.के. लि० बसमाथनगर, जिला - परभानी	सह०
281.	समर्थ एस.एस.के. लि० महाकाला, तालुका - अम्बाड, जिला - जालना	सह०
282.	जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि०, नालेगांव तालुका, अहमदपुर, जिला - लातूर	सह०
283.	शेतकारी एस.एस.के. लि० किल्लारी, जिला - लातूर	सह०
284.	मैसर्स मनजारा शेतकारी एस.एस.के. लि० तालुका - चिंचोलीराव, जिला - लातूर	सह०
285.	मैसर्स तुलजा भवानी शेतकारी एस.एस.के. लि०, नलडर्ग, तालुका - तुलजापुर, जिला - उस्मानाबाद	सह०
286.	मैसर्स शेतकारी एस.एस.के. लि० धामनगांव, तालुका - चंदूर रेलवे जिला - अमरावती	सह०
287.	मैसर्स जालना एस.एस.के. लि० गांव रामनगर, तहसील व जिला - जालना	सह०
288.	मैसर्स श्रीराम एस.एस.के. लि० बबदेव, तहसील - मऊदा, जिला - नागपुर	सह०
289.	मैसर्स महात्मा एस.एस.के. लि० जमानी, तालुका - सालू, जिला - वर्द्धा	सह०
290.	माजलगांव एस.एस.के. लि० निथरूड़, तह० माजलगांव, जिला - बीड़	सह०
291.	दी पेनगंगा एस.एस.के. लि० तह० महोली रोड़, जिला - भांद्रा	सह०
292.	मैसर्स बालाजी एस.एस.के. लि० मसालापेन, तालुका - रिसोड़, जिला - अकोला	सह०
293.	मैसर्स सिन्दखेड़ा एस.एस.के. लि० स्थान देगांव, तहसील - सिन्दखेड़ा, जिला - धूलिया	सह०
294.	मैसर्स अकोला जिला एस.एस.के. लि० सुकाले, जिला - अकोला	सह०
295.	मैसर्स जैठ तालुका शेतकारी एस.एस.के. लि० स्थान - तिप्पेहल्ली जठ, तालुका - जठ, जिला - सांगली	सह०
296.	मैसर्स श्री भावराव चवन एस.एस.के. लि० स्थान मुंडखेड़, तह० व जिला - नानदेड़	सह०
	पश्चिम बंगाल	
297.	खेतान एग्रो इंडस्ट्रीयल लि० प्लासे, जिला - नाडिया	निजी
298.	वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पो० लि० अहमदनगर, जिला - बीरभूम	सार्व० क्षेत्र
	असम	
299.	दी असम कोप० शुगर मिल्स लि०, डाकघर - बरूआबामनगांव जिला - शिबसागर	सह०
300.	कचार शुगर मिल्स लि० डाकघर राताबाड़ी, चारगोला जिला - करीमगंज	सार्व० क्षेत्र
301.	नौगोंग कोप० शुगर मिल्स लि० कामपुर, जिला - नौगोंग	सह०
	राजस्थान	
302.	दी मेवाड़ शुगर मिल्स लि० भूपालसागर, जिला - चित्तोड़गढ़	निजी
303.	दी गंगासागर शुगर मिल्स लि० श्रीगंगानगर, जिला - श्रीगंगानगर	सार्व० क्षेत्र
304.	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि० केशोरायपाटन, जिला - बूंदी	सह०

1	2	3
	उड़ीसा	
305.	जैपोर शुगर क० लि० रायागाड़म, जिला - कोरापुट	निजी
306.	दी आश्का कोप. शुगर इंडस्ट्रीज लि० आश्का, जिला - गंजम	सह०
307.	दी बारागढ़ कोप. शुगर मिल्स लि० (पोनी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि० के प्रबन्ध के अधीन) डाकघर- टोरा, (बारागढ़), जिला - सम्बलपुर	सह०
308.	मैसर्स दी कोप० शुगर इंडस्ट्रीज लि० (धारानी शुगर एंड कैमीकल्स लि० के प्रबन्ध के अधीन) तहसील - नयागढ़, जिला - पुरी	सह०
309.	बदाम्बा कोप. शुगर इंडस्ट्रीज लि० (शक्ति शुगर्स लि० के प्रबन्ध के अधीन) तह० बंकी, जिला - कटक	सह०
310.	मैसर्स वेस्टर्न इंडिया शुगर एंड कैमीकल्स इंडस्ट्रीज लि० धर्मगढ़, जिला - कालाहांडी	निजी
311.	मैसर्स पोन्नी शुगर्स एंड कैमीकल्स, लि०, स्थान - बोलांगीर, जिला - बोलांगीर	निजी
312.	मैसर्स सक्ती शुगर लि० हरिपुर गांव, तहसील धानकनाल सदर, जिला - धानकनाल	निजी
	गुजरात	
313.	श्री खादत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० सरदार बाग, बारछोली, जिला - सूरत	सह०
314.	श्री मादी विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि० डाकघर - माढ़ी, जिला - सूरत	सह०
315.	श्री चलथान विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि० चलथान, जिला - सूरत	सह०
316.	श्री सयान विभाग सहकारी खंड उद्योग मंडली लि० सयान, जिला - सूरत	सह०
317.	श्री महुआ प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० जरवावरा, जिला - सूरत	सह०
318.	श्री उकाय प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० स्थान और डाकघर - पनियारी	सह०
319.	दी सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० गनदेवी, वाया बिलीमोरा, जिला - वलसार	सह०
320.	श्री मारोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि० कल्याणनगर, जिला - वलसाड़	सह०
321.	श्री वलसाड़ सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० पारनेरा - परधी, जिला - वलसाड़	सह०
322.	सिद्धेश्वर खांड उद्योग सहकारी मंडली लि० डाकघर-तलाजा, जिला - भावनगर	सह०
323.	श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेदत सहकारी मंडली लि० कोडीनाग, जिला - अमरेली	सह०
324.	श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० ऊना, (सोराठ), जिला - जूनागढ़	सह०
325.	श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० डाकघर - तलाला, जिला - जूनागढ़ (गीर)	सह०
326.	श्री कामरेज विभाग सेतकारी खांड उद्योग मंडली लि० कामरेज, जिला - सूरत	सह०
327.	छरोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० गांव - पलाज, तालुका - पेटलाड, जिला - कौरा	सह०
328.	सरदार वल्लाभाई पाटिल खांड उद्योग कोप० सोसायटीज लि० डाकघर - धोराजी, जिला - राजकोट	सह०
329.	श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, तालुका - वाल्लिया, जिला - भारूच (वटारिया)	सह०

1	2	3
330.	मैसर्स श्री रेवा खांड उद्योग एस. मंडली लि० स्थान और डाक - अमोड़, तालुका - अमोड़, जिला - भारूच	सह०
331.	मैसर्स श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, स्थाना - कोसाम्बा, तह० मंगराल, जिला - सूरत	
332.	दी किरलामपुड़ी शुगर मिल्स लि०, डाकघर - पिथामपुरम, जिला - ईस्ट गोदावरी	निजी
333.	श्री सर्वराया शुगर्स लि० डाकघर - चेल्लूरू, तालुका - रामचन्द्रपुरम जिला - ईस्ट गोदावरी	निजी
334.	नव भारत फेरा खलायज लि० समलकोट, जिला - ईस्ट गोदावरी	निजी
335.	आन्ध्रा शुगर्स लि० तानुकू, जिला - ईस्ट गोदावरी	निजी
336.	दी पल्लाकोई कोप० शुगर्स लि० पूल्लारोली, पालाकोल, जिला - ईस्ट गोदावरी	सह०
337.	वी.वी.एस. शुगर्स (दी जयपोर शुगर क० लि०) डाकघर चागल्लू, जिला - वेस्ट गोदावरी	निजी
338.	शिवकामी शुगर लि० तानुकू, जिला - वेस्ट गोदावरी	निजी
339.	वेस्ट गोदावरी कोप० शुगर्स लि० भीमाडोले, तालुका - इलुरू, जिला - वेस्ट गोदावरी	सह०
340.	दी चोदवरम कोप. शुगर्स लि० गोवडा, जिला - विशाखापटनम	सह०
341.	अंकापल्ले कोप० एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि० अंकापल्ली, जिला - विशाखापट्नम	सह०
342.	दी इतिकोपका कोप. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि० इतिकोपका, जिला - विशाखापटनम	
343.	दी थांडवा कोप० शुगर्स लि० पायाकारोपेटा, जिला - विशाखापटनम	
344.	श्री विजयरामा गजपती कोप० शुगर्स लि० कुमारम, तालुक श्रृंगावरपुकोटो, भीमासिंधी, जिला - विशाखापट्नम	सह०
345.	अमादावालसा कोप० एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीयल सोसायटी लि० अमादावलसा, जिला - सिरकाकुलम	
346.	दी के.सी.पी. लि० व्यूरू, जिला - कृष्णा	निजी
347.	दी के.सी.पी. लि० लक्ष्मीपुरम, जिला - कृष्णा	निजी
348.	श्री हनुमन कोप० शुगर फैक्ट्री हनुमान जंकशन, जिला - कृष्णा	सह०
349.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि० शाकरनगर, जिला - गाजियाबाद	सार्व० क्षेत्र
350.	दी निजामाबाद कोप० शुगर फैक्ट्री लि० निजामाबाद	सह०
351.	दी चित्तूर कोप० शुगर लि० चित्तूर, डाकघर तसावतेपल्ली, जिला - चित्तूर	सह०
352.	श्री वेंकटेश्वर कोप. शुगर फैक्ट्री लि० गाजुलामंडयम (तिरूपति), रेनीगुंटा, जिला - चित्तूर	सह०
353.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि० डाकघर-डिग्गी, तालुका जहीराबाद, जिला - मेडक	सार्व० क्षेत्र
354.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि० मिरयालगुडा, जिला - नालगेंडा	सार्व० क्षेत्र
355.	दि कुडप्पा सहकारी चीनी लि० तालुक - दौलतपुरम, जिला - कुडप्पा	सह०
356.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि० हिन्दुपुर, जिला - अनन्तपुर	सार्व० क्षेत्र
357.	दी कोवूर कोप० शुगर फैक्ट्री लि०, कावूर, जिला - नेल्लोर	सह०
358.	मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि० डाकघर - मेटपल्ली, जिला - करीमनगर	सार्व० क्षेत्र

1	2	3
359.	मैसर्स नंदयाल कोप० शुगर लि० डाकघर - पून्नापुरम, नंदयाल, जिला - कुरनूल	सह०
360.	दी नन्नापानेनी वेंकटराव कोप. शुगर्स लि० तनाली, जिला - गुंटूर	सह०
361.	दी नागार्जुन कोप. शुगर्स लि०, गुरूजला, जिला - गुंटूर	सह०
362.	दी प्लेयर कोप० शुगर लि० राजेश्वरपुरम, जिला - खमाम	सह०
363.	दी निजाम शुगर फैक्ट्री लि० तालुका और जिला - मेडक	सार्व० क्षेत्र
364.	एम.पी. शुगर्स एंड कैमीकल्स लि० अरूयपारेड्डी पालेम नाइडुपेट, मंडलम, जिला - नेल्लोर	निजी
365.	श्री वानी शुगर्स एंड इंडस्ट्रीज लि० कुमारअनन्थन, जिला - चित्तूर	निजी
366.	श्री कैलाश शुगर्स एंड कैमीकल्स, लि० पेरूवन्चा, तहसील - कल्लूर मंडल, जिला - खमाम	निजी
367.	मैसर्स परूडेनशियल मौली शुगर्स लि० स्थान निन्द्रा गांव तहसील-निन्द्रा मंडल, जिला - चितूर	निजी
368.	मैसर्स निजाम शुगर फैक्ट्री लि० पी.बी. नं० - 1 खैरताबाद, हैदराबाद स्थानबोबिली, जिला - विजियानगर	सर्वा०
कर्नाटक		
369.	पांडवपुरा एस.एस.के. पांडवपुरा जिला - मांडया	सह०
370.	मैसूर शुगर क० लि० मांडया, जिला - मांडया	सार्व० क्षेत्र
371.	चामुन्देश्वरी शुगर्स लि० के.एम. डोडकी तालु. मदौर, जिला - मांडया	निजी
372.	दी इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लि० डाकघर छिटवाडगी होसपेट, जिला - बेल्लारी	निजी

1	2	3
373.	दी कामपली कोप० शुगर फैक्ट्री लि०, डाकघर कामपल्ली शुगर फैक्ट्री, जिला - बेल्लारी	सह०
374.	सिरूगुप्पा शुगर्स एंड कैमीकल्स प्रा० लि० सिरूगुप्पा तालुक, जिला - बेल्लारी	निजी
375.	सलारजंग शुगर मिल्स लि० मुनारीबाद, जिला - रायचूर	निजी
376.	गंगावती शुगर्स लि० प्रगतिनगर, तालु. गंगावती, जिला - रायचूर	सार्व० क्षेत्र
377.	दी उगार शुगर वर्क्स लि० उगारखुर्द, जिला - बेलगाम	निजी
378.	श्री माल प्रभा कोप० शुगर फैक्ट्री लि० मुगूथन हुबली, जिला - बेलगाम	सह०
379.	श्री दूधगंगा कृष्णा एस.एस.के. नियामित, चिकोड़ी, जिला - बेलगाम	सह०
380.	रायबाग एस.एस.के. नियामित तालुक रायबाग, जिला - बेलगाम	सह०
381.	दी घाटप्रभा एस.एस.के. नियामित, गोकक, जिला - बेलगाम	सह०
382.	तुगंभद्रा शुगर वर्क्स प्रा० लि० शिमोगा, जिला - शिमोगा	निजी
383.	मैसूर पेपर मिल्स लि०, भद्रावती, जिला - शिमोगा	सार्व० क्षेत्र
384.	गौरीबदनूर एस.एस.के. लि० गौरीबिदनू जिला - कोलार	सह०
385.	बिदार एस.एस.के. लि० हल्लीखेड़, जिला - बिदार	सह०
386.	वनीविलासा कोप० शुगर फैक्ट्री लि० हीरीयूर, जिला - चित्रदुर्ग	सह०
387.	भाद्रा एस.एस.के. नियामित, डोडाबाठी, तालुक दवनगेरे, जिला - चित्रदुर्ग	सह०
388.	दवनगेरे शुगर क० लि० दवनगेरे, कुक्कावाड़ा, जिला - चित्रदुर्ग	निजी

1	2	3
389.	दी गोदावरी शुगर मिल्स लि० समीरवाड़ी, मुधोल, जिला - बीजापुर	निजी
390.	मैसर्स नन्दी एस.एस.के. लि० नजदीक चिक्का गालागली, जिला - बीजापुर	सह०
391.	खोड़े डिस्टलरीज लि० कोल्लेगल, जिला - मैसूर	निजी
392.	मैसर्स श्री रामा एस.एस.के. लि० चुनचनकाटे, के. आर. नगर, जिला - मैसूर	सह०
393.	कर्नाटका एस.एस.के. लि० हावेरी, जिला - धारवाड़	सह०
394.	दी हेम वथी एस.एस.के. लि० हसन, जिला - हसन	सह०
395.	दक्षिप कन्नड़ सहकारी कारखाना लि० मंगलौर ता .और जि. साउथ कैनारा	सह०
396.	मैसर्स श्री हलासिद्धनाथ एस.एस.के. लि०, निपानी, तह० चिकोड़ी, जिला - बेलगाम	सह०
397.	मैसर्स एस.एस.के. नियामित, तह० अलन्द, जिला - गुलबर्ग	सह०
398.	श्री हिरन्यकाशी एस.एस.के. नियामित, शंकेश्वर, जिला - बेलगाम	सह०
399.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि० अलगांची गांव, तालु० नन्जनगुड़ जिला - मैसूर	निजी
तमिलनाडु		
400.	नवभारत फेरो अलाय लि० डाकघर पुगलूर शुगर फैक्ट्री, जिला - तिरूचिपरपल्ली	निजी
401.	कावेरी शुगर्स एंड कैमीक्लस लि० पेटायवताली, जिला - तिरूचिरपल्ली	निजी
402.	कोठारी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि० कट्टूर लालगुडी, जिला - तिरूचिरपल्ली	निजी

1	2	3
403.	पेराम्बलूर शुगर मिल्स लि० इरायूर, तालुका पेराम्बलूर, जिला - तिरूचिरपल्ली	सार्व० क्षेत्र
404.	ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लि० नेल्लीकुप्पम, जिला-साउथ आरकोट	निजी
405.	दी साउथ इंडिया शुगर्स लि० मुंडियापक्कम, जिला - साउथ आरकोट	निजी
406.	अरूणा शुगर्स एंड एन्टरप्राइजिज लि० पेन्नाडम, जिला - साउथ आरकोट	निजी
407.	कल्लाकुरीचि कोप० शुगर मिल्स लि० डाकघर - मुंगिलथूरीपट्टू, तालुक - कल्लाकूरिची जिला - साउथ आरकोट	सह०
408.	चेंगलरेयान कोप० शुगर मिल्स लि० पेरियासेवालसी, ऊलुन्दरपेर तालुक, जिला - साउथ आरकोट	सह०
409.	तमिलनाडु शुगर कार्पो० लि० पांडियाराजपुरम, जिला - मदुरई	सार्व० क्षेत्र
410.	दी नेशनल कोप० शुगर मिल्स लि० मेट्टूपट्टी, अलगाल्लूर, जिला - मदुरई	सह०
411.	अमरावथी कोप० शुगर मिल्स लि० डाकघर कृष्णापुरम्, जिला - कोयम्बटूर	सह०
412.	दी थीरू अरूरन शुगर्स लि० कोल्लुमनगुडड्डी गावं इन पेरालाम/अगाराम्मिरूम्लम फिरका इन मान्नीलम तालुक नगायवड-ई-मिलेथ	निजी
413.	अरिगनर अन्ना शुगर मिल्स लि० कुरूनगुलम, जिला - थंजावूर	सार्व० क्षेत्र
414.	दी अम्बर कोप० शुगर मिल्स लि०, वेडापूडड्डपेट, अम्बर, जिला - नार्थ आरकोट	सह०
415.	पलिआर शुगर्स लि०, मेलपट्टी, जिला - नार्थ आरकोट	
416.	थिरूपट्टूर कोप० शुगर्स मिल्स लि० कोथानडापट्टी गांव वनिमवाडी तालुक जिला - नार्थ आरकोट	सह०
417.	दी वेल्लोर कोप० शुगर मिल्स लि० अमून्डी, डाकघर वेल्लोर शुगर मिल्स जिला - नार्थ आरकोट	सह०

1	2	3
418.	दी मदुरान्तकम कोप० शुगर मिल्स लि० पडलम, जिला - चेंग्गलपट्टू	सह०
419.	तिरूतानी कोप० शुगर मिल्स लि० तिरूतानी, जिला - चेंग्गलपट्टू	सह०
420.	दी सखती शुगर लि० शक्तिनगर, डाकघर इरोड़, जिला - पेरियार	निजी
421.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि० गांव - अलाथुकोम्बई, तहसील - साथुमंगलम, जिला - पेरियार	निजी
422.	दी सलेम कोप. शुगर मिल्स लि० मोहनपुर, जिला सलेम	सह०
423.	पोन्नी शुगर एंड कैमीकल्स लि० पल्लीपलयम, ता० तिरूचेनगोड़े, जिला - सलेम	निजी
424.	धर्मपुरी जिला कोप० शुगर मिल्स लि० थिम्मनहाल्ली, पालाकोड़, जिला - धर्मपुरी	सह०
425.	तमिलनाडु कोप० शुगर फैड० लि० तहसील हरूर, जिला - धर्मपुरी	सह०
426.	नाडीपिप्पसाई पुलावर के.आर. रामासामी शुगर मिल्स लि० मइलाडुथुरई, जिला - थंजाऊर	सह०
427.	धरनी शुगर्स एंड कैमीकल्स लि० तालुक शिवगिरी, जिला-तिरूनेलवेल्ली	निजी
428.	सखती शुगर्स लि० ता० शिवगंगा, जिला - पासुपमन मूथूरामालिंगन	निजी
429.	राजश्री शुगर्स एंड कैमीकल्स लि० पेरियाकुलम, जिला - मदुरई	निजी
430.	थिरू अरूनन शुगर्स लि० पापनासम, जिला - थंजावूर	निजी
431.	एम.आर. कृष्णामूर्ति कोप० शुगर मिल्स लि० सेथियाथोपे तह० चिदम्बरम, जि० साउथ आरकोट	
432	तमिलनाडु कोप० शुगर फैड लि० चरूयार/वांडेवास, जिला-नार्थ आरकोट	सह०
433.	एस.वी. शुगर मिल्स लि० वालजाबाद फिरका, जिला-चेंगलपट्टू एम.जी.आर.	निजी
434.	धनी शुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि० करायपुंडी, तालु० पलूर, जिला - नार्थ आरकोट	निजी
	मध्य प्रदेश	
435.	दी ग्वालियर शुगर क० लि० दोबरा, जिला - ग्वालियर	निजी
436.	मैसर्स जौरा शुगर मिल्स, जौरा, जिला - रतलाम	निजी
347.	दी भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लि० डाकघर और जिला - सिहोर	निजी
438.	दी जिवाजी राव क० लि० दालाउदा, जिला - मंडसौर	निजी
439.	एम.पी. स्टेट इंडस्ट्रीज कार्पो० लि० डाकघर मोहिदपुर रोड, जिला - उज्जैन	सार्व० क्षेत्र
440.	मोरना मंडल एस.एस.के. लि० कैलारस, जिला - मोरेना	सह०
441.	मालवा एस.एस.के. लि० बरलाय (काशीपारा) जिला - इन्दौर	सह०
442.	नवलसिंह एस.एस.के. मर्यादित, नवलनगर, दुरहानपुर, जिला - खंडवा	सह०
443.	मैसर्स नर्मदा शुगर लि०, स्थान घटवा, तह० थिकरी, जिला - खरगौन	निजी
	केरल	
444.	दी ट्रावनकोर शुगर एंड कैमीकल्स लि० वलानजावतम, डाकघर - तिरूवल्ला जिला - किलोन	निजी
445.	दी मन्नम शुगर मिल्स क०लि०, पंडलम, जिला - अलेप्पी	सह०
446.	दी कोप. शुगर्स लि०, चित्तूर, मेननपारा, डाकघर और जिला - पालघाट	सह०

1	2	3
447.	न्यू हौरीजन शुगर मिल्स प्रा० लि०, संगरूर (अरियूर) डाकघर - काण्डामंगलम	निजी
448.	दी पांडिचेरी कोप० शुगर मिल्स लि०, स्थान लिंग्गारेड्डीपलयम मानडीपट कम्थून	सह०
नागालैंड		
449.	नागालैंड शुगर मिल्स क० लि०, दीमापुर, जिला - कोहिमा	सार्व० क्षेत्र
गोवा		
450.	संजीवनी एस.एस.के. लि०, दयानन्दनगर, पोस्ट-तिस्का, जिला - गोवा	

अनुबंध-II

31-3-1997 तक लम्बित आवेदनों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	लम्बित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	मध्य प्रदेश	27
2.	महाराष्ट्र	10
3.	उत्तर प्रदेश	86
4.	पंजाब	3
5.	नागालैंड	1
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	बिहार	2
8.	तमिलनाडु	41
9.	कर्नाटक	19
10.	आन्ध्र प्रदेश	10
11.	पांडिचेरी	1
		201

[अनुवाद]

श्री नारायण अठावले: महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में अनेक नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। इस क्षेत्र में गन्ने की कमी के परिणामस्वरूप अनेक चीनी मिलें अपनी क्षमता से कम काम कर रही हैं। इन मिलों को विगत वर्षों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है जिसके फलस्वरूप वे रुग्ण हो गए हैं। ऐसे इन मिलों के रुग्ण होने के अनेक कारण हैं। अनेक मामलों में परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री नारायण अठावले: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या वे इस रुग्णता के फलस्वरूप महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र के चीनी उद्योगों में जो संकट पैदा हुआ है उसकी गंभीरता से अवगत हैं? यदि आप अवगत नहीं हैं तो क्या नई चीनी नीति के अंतर्गत इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई पैकेज की घोषणा की जाएगी? क्या सरकार घाटे में चल रही इकाईयों के लिए वर्ष 1997-98 हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी?

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, यह सही है कि शुगर केन प्रोडक्टीविटी की महाराष्ट्र में कमी हो गई है। उसका कुप्रभाव मिलों पर भी पड़ा है और कुछ शुगर मिलें बीमार भी हुई हैं। उसकी हालत को देखते हुए हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और उनके रिप्रजन्टेटिव से भी बात हुई है हम उनसे फिर जल्दी ही बात करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री नारायण अठावले: चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों में एक निष्पक्ष तंत्र द्वारा विगत में गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा गन्ना उत्पादकों के बढ़ते बकाया राशि की भुगतान की समस्या को सुनिश्चित करने की नीति और कार्य योजना क्या रही है?

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह सही है, यह काफी जटिल समस्या हो गई है। किसानों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी भी उनका ऐरियर में 1,65,000 रुपया बाकी है। अगर यही हालत रहेगी तो कहीं शायद हमको 1999 में फिर इम्पोर्ट न करना पड़े। इस तरह से स्थिति खराब होती जा रही है। अब हम जो एक-दूसरे से संबंधित बात है उस पर कुछ कहना चाहते हैं अगर हम लेवी लगाते हैं तो मिलों को घाटा होता है और मिलें किसानों को दाम नहीं देती हैं। अगर हम लेवी नहीं लगाते हैं तो हम कंज्यूमर्स को सस्ता नहीं दे सकते। इसलिए इस संबंध में एक सर्वांगीण विचार की जरूरत है। हम जब से आए हैं तब से हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या को समझें। हमने अभी तक जितना समझा जाता है उसमें यह है कि हमारे यहां रिकवरी ऑफ शुगर बहुत कम है। 9-10-11 प्रतिशत तो बहुत कम जगह में हैं, बाकि जगहों में नौ से दस के बीच में प्रतिशत है। दुनिया के दूसरे देशों में 16-17-18 प्रतिशत तक भी है। अभी हमने इस्राइल की एक कम्पनी के साथ समझौता किया है, जो जून महीने में सीड्स देगी और फिर भारत की तीन जगहों में हम इसको दे सकेंगे-कोयम्बटुर, लखनऊ और पूसा। वे कह रहे है कि हम 17 प्रतिशत रिकवरी का दे सकेंगे। अगर यह बात सफल हुई तो हम बड़े पैमाने पर किसानों की मदद कर सकेंगे।

अगर हम रिकवरी बढ़ा लेंगे तो मिलों का घाटा भी कम हो जाएगा और हम देशवासियों को सस्ती शुगर भी दे सकेंगे। इसमें हमें थोड़ा समय लग रहा है। इसको तुरंत टेकओवर किया है और हम इसको देख रहे हैं। हम इसके मुताबिक कोई योजना बना रहे हैं। इसमें और भी कई सवाल हैं लेकिन हमारे सामने यह अत्यंत ही जरूरी हो गया है कि किसानों को समय पर पैसा मिले, इसकी हम गारंटी करें। इस दिशा में हम कुछ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं कि इसको कंक्रीटली कैसे करें। यह तो प्रश्न के रूप में आया है, मैं तो चाहता था कि अगर यह सदन डिबेट करता तो हम माननीय सदस्यों के विचारों से ज्यादा लाभान्वित होते। .....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्यः डिबेट करो। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अगले सत्र में होगी।

.....*(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्रः आप जब चाहें हमें बुला सकते हैं। हम लाभान्वित होना चाहते हैं। (.....*व्यवधान)*

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिलः इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः यह नेशनल इशु है।

श्री चतुरानन मिश्रः महोदय, प्रश्न-उत्तर काल में तो इतना डिटेल में कहना मुश्किल हो जाता है। आप लोग जितना बोलेंगे उसके मुताबिक हम लाभान्वित होकर कहेंगे। हमने इतना जरूर किया है कि माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा फीगर उपलब्ध कराने के लिए डिटेल में सूचनाएं दी हैं, जो बाद में चाहे तो लिख कर भी दे सकते हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्यनः सभापति महोदय, माननीय मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार वर्तमान में 450 चीनी मिलें कार्यरत हैं। उन्होंने 201 लंबित आवेदनों की सूची, जिसमें 41 तमिलनाडु के हैं, भी उपलब्ध करायी है। क्या इन नई इकाइयों का कोई भविष्य है? 1995-96 में कुल 164.29 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि उस वर्ष की तुलना में चीनी का उत्पादन क्या रहा है? हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन कितनी चीनी की खपत होती है? क्या सरकार यह सोचती है कि इस वर्ष चीनी के आयात बिना ही हम चीनी की खपत को देश में हुए उत्पादन से पूरा कर सकते हैं।?

श्री चतुरानन मिश्रः मैं माननीय सदस्य को वायदा करता हूँ कि मैं चीनी का आयात नहीं करुँगा। मेरे पास चीनी के पर्याप्त भंडार हैं। पिछले वर्ष का 107 लाख टन और इस वर्ष 1[illegible] लाख टन का भंडार उपलब्ध है। अतः चीनी के आयात का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डीः महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर (घ) और (ङ) के जवाब में कहा था कि सरकार ने दिसम्बर, 1995 से अब तक करीब-करीब 195 आशय पत्र जारी किए हैं। लेकिन 1995 से पूर्व सरकार ने उद्यमियों के लिए अनेक आशय पत्र जारी किए थे और उनमें से कुछ कार्यान्वित नहीं हो पाये। क्या सरकार उस बारे में कुछ करना चाहेगी?

दूसरी बात यह है कि 1991-92 में कुछ आशय पत्रों को उद्यमियों के लिए जारी किया गया था। लाईसेंस प्राप्त करने का उनका मुख्य उद्देश्य इसको बेचना था और इससे लाभ कमाना था। क्या सरकार को इसकी जानकारी है; यदि उसे इसकी जानकारी है तो सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?

श्री चतुरानन मिश्रः यह वास्तविकता है कि 92 फर्मों को आशय पत्र जारी किए गए थे। लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक उन्होंने अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है। अतः मुझे संदेह है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि यह बात सिद्ध हो चुकी है। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। इस बीच, कुछ सहकारी संस्था कार्य करने के इच्छुक हैं और माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा कि अनेक सहकारी संस्थायें अच्छा कार्य करेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए। ये लाइसेंस उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने है न कि सीधे मेरे द्वारा। लेकिन मुझसे जो भी संभव होगा मेरी यह कोशिश होगी कि लाइसेंस प्राप्त करने में सहकारी संस्थाओं को पहली प्राथमिकता मिलें। जहाँ तक ऐसे लोगों का संबंध है जिन्होंने लाइसेंस तो प्राप्त कर लिया है, किंतु कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है, तो उनके संबंध में मेरा यह कहना है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं इसकी छानबीन करूँगा।

श्री अन्ना साहिब एम॰ के॰ पाटिलः माननीय मंत्री ने उत्पादन संबंधी आंकडे और स्थापित क्षमता के बारे में बताया है। स्थापित क्षमता 131 लाख टन था जबकि इसका लाइसेंस मुक्त क्षमता 266 लाख टन था अर्थात् उससे दुगुना। 1995-96 में 164 लाख टन उत्पादन हुआ था। 1996-97 में 140 लाख टन से ज्यादा की उम्मीद नहीं थी अर्थात् 22 से 24 लाख टन उत्पादन की कमी ऐसी परिस्थितियों में चीनी का उत्पादन कम हो रहा है। गन्ना विकास कोष, जो कि सरकार के पास है, की राशि वितरित नहीं की गई है और 800 से 1000 करोड़ सरकार के पास पड़े हैं। ऐसी स्थिति में गन्ना विकास के पास ज्यादा कार्य नहीं है।

अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने स्थापित क्षमता को क्रियान्वित करने की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया जिसे सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। यदि सरकार ने स्थापित क्षमता को क्रियान्वित करने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं तो सरकार की ओर से यह विलम्ब क्यों है?

श्री चतुरानन मिश्रः महोदय, मैंने कहा था कि कारखाना स्थापित करने के लिए दो से तीन वर्ष का समय लगता है। तथापि मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि यह किया जा सकता है।

जहाँ तक चीनी के उत्पादन में सुधार करने का संबंध है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गन्ना पर आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास के लिए वर्ष 1956 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चालू है। इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत धनराशि की सूचना आपको पहले ही दी जा चुकी है। अतः सरकार अपने कार्य में लगी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मुझे आंकडों से कुछ जिज्ञासा जागृत हुई है।

सभापति महोदय: आपके निर्वाचन क्षेत्र में कोई चीनी मिल नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में भले ही कोई चीनी मिल न हो लेकिन हम पूरे देश के प्रतिनिधि है। अतः मैं यह प्रश्न उठा रहा हूँ।

यदि क्षमता 131 लाख टन की है तो इसका उत्पादन 164.29 लाख टन कैसे है? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि यदि लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है और इस संदर्भ में आशय पत्र जारी किया जा चुका है तो उत्तर में न कहने के पीछे क्या राज है? यदि किसी को यह बेचा जाता है तो इसका आशय यह है कि वह इसका उपयोग कर रहा है। वह एक उत्तर नहीं हो सकता। क्या राज है? क्या इसका पता लगाया गया है? यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है।

मेरे प्रश्न का तीसरा भाग चीनी मिलों हेतु उत्पादन के लिए कच्चे माल से संबंधित है। चीनी मिलों का उत्पादन चीनी ही नही है अपितु कई और अन्य चीजें भी है। जैसा की मुझे ज्ञात हुआ है कि खोई का उपयोग शराब बनाने के लिए ही नहीं अपितु हमारे जंगल की रक्षा करने के लिए है जिससे उसका प्रयोग लकड़ी जैसे पद्धार्थ कागज, गुदा, छोटे-छोटे वस्तुएँ आदि का उत्पादन करने में किया जाए।

सभापति महोदय: कृपया प्रश्न पूछें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मेरा प्रश्न यह है कि इन सभी मामलों में माननीय मंत्री के क्या विचार हैं और उनका क्या जवाब है?

श्री चतुरानन मिश्र: महोदय, यह बहुत आसान सवाल है। यदि कोई कारखाना 100 दिन कार्य करता है तो यह इसकी क्षमता हुई। यदि यह 150 दिन कार्य करता है तो उसकी क्षमता अधिक होगी। यह किसी कंपनी के कार्य दिनों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि मैंने वे आंकड़े दिए हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आप क्षमता के बारे में एक वक्तव्य दें। आपने यह नहीं कहा है कि यह 130 से 500 लाख टन के बीच होता है। यदि यह कार्य दिनों पर निर्भर करता है तो कम से कम और अधिक से अधिक क्षमता क्रमशः 131 लाख टन और 300 लाख टन होता।

श्री चतुरानन मिश्र: इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। कारखाना कितने दिन कार्य करता है यह उस पर निर्भर करता है। क्षमता यूंही नहीं निर्धारित होती है। यह कार्य दिवस पर निर्भर करता है इसलिए ये आंकड़े ऐसे हैं।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, जो खोई और अन्य चीजों के प्रयोग के बारे है, तो वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह मूल रूप से हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं आता। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और अन्य के अंतर्गत आता है। हमारे अधीन जो आता वह किया जा सकता है। मैं इस बारे में सजग हूँ। विटामिन और ऐसे ही अन्य अच्छे उद्देश्यों हेतु चीजों को बनाने के लिए सीरा का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अनेक उत्पाद हैं। चीनी ही इसका मुख्य उत्पाद नहीं होता अपितु अन्य उप-उत्पाद भी मुख्य आर्थिक वस्तुयें है। ऐसा हो सकता है। लेकिन यह मूलतः मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। वह अलग मंत्रालय है। मैं समझता हूँ कि वे इस बारे में कुछ कर रहे हैं।

जहाँ तक आपके प्रश्न के तीसरे भाग का संबंध है तो मैंने यह नहीं कहा था कि उन्होनें ऐसा किया है। मैंने कहा था कि कुछ रहस्यजनक चीजें हो रही हैं जैसे समय लेकर काम न करना। समस्या की अनेक पहलू भी हो सकती है। इसकी जांच की जाएगी। मैं सभा को इस बारे में सूचित कर चुका हूँ।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक): सभापति महोदय, मेरा पर्सनल क्वश्चन है। मैं पहले से हाथ उठा रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे?

सभापति महोदय: सब हाथ उठा रहे हैं, सब को देंगें।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री के अलावा खाद्य मंत्री भी हैं और खेतिहर भी हैं। पूरे देश में जहां तक चीनी मिलों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में 125 से ज्यादा चीनी मिले हैं। शायद आपको मालूम है कि इनमें से अधिकांश चीनी मिलें 800 टन से कम की हैं। आज सारी चीनी मिलों की हालत खराब है। आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 35 प्रतिशत गन्ना केवल मिलों में जाता है और बाकी आधे दाम पर कोल्हू क्रेशर में जाता है।

इस पर भी जो 35 प्रतिशत गन्ना सप्लाई हुआ है, नौ अरब रुपया बाकी है उत्तर प्रदेश चीनी मिलों के जिम्मे और बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰ में जो भारत सरकार की मिल है पटकुइयां पडरौना, आज तक पेमेण्ट ही शुरू नहीं किया और इसके बाद आपके पास चीनी विकास निधि है, अरबों रुपया बाकी है। पहले से भी सरकार ने कई मिलों को ऐस्टेबलिश करने के लिए प्रावधान किया और मंजूरी भी दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 800 टन से कम केपेसिटी की चीनी मिलों को बढ़ाने के लिए आपने कितने हजार रुपया विकास निधि से उत्तर प्रदेश को दिया है? नहीं दिया है तो कितना देंगें और उसका विकास कराएंगे या नहीं और गन्ना किसानों का जो मूल्य बकाया है, उसको दिलवाएंगे या नहीं? खासतौर से भारत सरकार की जो मिलें बंद होने वाली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति जी, इन्होंने नौ अरब रुपये कहा। हमने पहले ही कह दिया कि दस अरब रुपये बाकी हैं। हम इसके लिए प्रयास करेंगे।

जहां तक उत्तर प्रदेश की समस्या है वह और भी जटिल है क्योंकि उत्तर प्रदेश के तीन हिस्सों में तीन तरह की रिकवरी है। इसलिए अभी इस सवाल पर हम सर्वांगीण रूप से देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में खासकर देख रहे हैं। एक खास मिल के बारे में हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं लेकिन पूरे चीनी उद्योग को और खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने उत्तर में दिया है कि किस-किस को कितना-कितना रुपया दिया गया है। डेवलपमेंट फेज में जो पैसा है वह हम दूसरे काम के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। हम किसानों को वास्तविक मदद देना चाहते हैं जिससे किसान अच्छी किस्म का बीज ले सकें जिससे ज्यादा

शुगर रिकवरी हो, खाद दें, क्रॉप लोन दें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और फिर फैक्टरी का अरेंजमेंट ऐसा हो कि जो भी उत्पादन वह करे, उनको जलाना नहीं पड़े। वह केपेसिटी ऐसी रहे कि उसको वह कनज्यूम करे। इस दिशा में एक महाजन कमेटी भी बनाई गई है जो कोर्ट के आदेशानुसार बनी है। वह जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देगी। उसकी भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सब मिलाकर हम आपको इतना ही आश्वासन देंगे कि इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ..... *(व्यवधान)* जो भारत सरकार का हाल है, वही दूसरे का है। इसलिए इसमें भी करेंगे।

श्री राम नगीना मिश्रः तो भारत सरकार का हाल बिल्कुल बदतर है ?.....*(व्यवधान)* वहां की हालत सबसे खराब है। ...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघेः सभापति जी, चतुरानन मिश्र जी, खाद्य मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिलें कोआपरेटिव सेक्टर में होती हैं लेकिन अभी महाराष्ट्र में दो साल से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, वह पैसा नहीं दे रहे हैं। कारण यह है कि आपने रेन्यूअल लाइसेंसेज दिये हैं, प्रोसीजर हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार आपकी तरफ प्रपोजल भेज रही है, लेकिन फाइनेन्स रुक गया है। जो फाइनेंस रुक गया है, उसको देने के लिए आप क्या करेंगे ? जिसके रेन्यूअल के लाइसेंसेज हैं, हमारे एरिया में खुद की फेक्टरी का रेन्यूअल एक साल का दिया। जहां एक करोड़ किसान ने पैसे जमा किये वहां सरकार ने जमीन दी। महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे भी एक करोड़ रुपये शिव सेना सरकार ने दिया है, लेकिन जो लाइसेंस रेन्यूअल मिला है, वह अभी तक आपके डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां 15 किलोमीटर पर दो कारखाने हैं। तीसरा कारखाना आपने दिया है। 25 खासदारों ने लिखकर दिया है कि दो कारखाने वहां काम कर रहे हैं इसलिए इसको आप रोक दीजिए। लेकिन आपने जबर्दस्ती उनको कारखाना दिया। ..... *(व्यवधान)*

श्री चतुरानन मिश्रः सभापति महोदय, जहां तक उन्होंने कोआपरेटिव की बात कही है, मैंने कहा कि कोआपरेटिव को हम प्राथमिकता देंगे। ..... *(व्यवधान)* हम कह रहे हैं कि कोआपरेटिव को प्राथमिकता देंगे। एक बार कहा, दो बार कहा, कहिए तो एक बार और कह दूं। लेकिन बात तो एक ही होगी कि हम इसको प्राथमिकता दें। जहां किसी खास एरिया में ज्यादा मिलें हो गई हैं तो आप उसके डीटेल दीजिए। हम उसकी जांच करवा देंगे।

जहां तक महाराष्ट्र शुगर कोआपरेटिव्ज की जनरल हालत है, आज मेरी पाटिल साहब से बातचीत हुई है। आज फिर क्वश्चन आवर के बाद बातचीत करने के लिए जाएंगे और उनसे बातचीत करके आपको फाइनेशियल इंस्टीट्यूशंस से क्या दिक्कत है और वह पैसा नहीं देते हैं, वह हम देखेंगे।

कल्याणकारी योजनाएं

+

*523. **डा॰ रामविलास वेदांतीः**
श्री टी॰ गोविन्दनः

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा योजना-वार कितना धन दिये जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजनाएं

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	योजना का नाम	महाराष्ट्र			मध्य प्रदेश		
		94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	1575.89	1745.47	144.87	2097.57	2425.33	1910.39
2.	एस॰ सी॰ डी॰ सी॰	647.08	600.00	56.97	34.39	44.19	51.88
3.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	500.00	580.00		1589.00	2018.00	1747.00
4.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2084.48	2557.20	2371.80	725.23	820.89	1982.79
5.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	29.70	28.27	67.64	121.77	153.11	340.16
6.	लड़कों के लिए होस्टल	–	93.81	67.54	130.65	216.30	500.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	लड़कियों के लिए होस्टल	–	–	21.22	–	–	350.00
8.	पुस्तक बैंक	35.54	29.22	–	42.40	33.87	–
9.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	0.80	1.83	–	–	–	–
10.	अ०जा०/अ०ज०जा० छात्रों की योग्यता में उन्नयन	–	–	–	20.95	–	–
11.	पी०सी०आर० और अत्याचार अधिनियम	10.52	124.36	84.80	204.52	194.62	189.98

	कर्नाटक			केरल			उत्तर प्रदेश		
	94–95	95–96	96–97	94–95	95–96	96–97	94–95	95–96	96–97
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1873.76	2350.09	1884.01	508.81	492.73	404.93	6297.51	5839.03	5920.50
2.	$	585.31	310.21	84.13	84.13	79.20	259.52	@	282.32
3.	400.00	–	355.78	–	–	–	4505.00	3816.00	3414.26
4.	830.99	1078.82	1374.53	510.65	41.29	639.49	386.96	1669.82	2070.82
5.	0.83	5.04	12.34	*	*	*	166.31	68.13	201.34
6.	174.25	324.45	121.50	9.50	–	–	–	66.93	–
7.	64.39	37.50	78.50	–	23.51	–	–	31.82	–
8.	9.52	10.19	16.06	7.00	7.56	11.73	54.00	15.00	–
9.	–	2.91	–	2.16	15.65	10.89	–	–	–
10.	2.20	–	-	–	–	–	4.93	–	–
11.	139.82	158.52	97.35	25.07	35.37	6.98	178.51	399.43	226.14

$ प्रदत्त पूंजी प्राधिकृत शेयर पूंजी से अधिक थी।

@ केन्द्रीय शेयर का समायोजन वर्ष के आरम्भ में निर्मुक्त किया गया।

* केरल राज्य सरकार के पास 1993–94 के अन्त में उपलब्ध खर्च न की गई केन्द्रीय सहायता को पुनर्वर्गीकृत करके देय केन्द्रीय सहायता की जरूरत पूरी की गई है।

अनुसूचित जाति विकास के लिए योजनायें

केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र०	योजना	1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1332.84	1311.84	1265.07
2.	एस० सी० डी० सी०	28.82	96.05	96.07
3.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	–	256.00	196.39
4.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	291.26	741.29	531.43
5.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	4.00	2.48	11.65
6.	लड़कों के लिए होस्टल	35.60	25.29	–
7.	लड़कियों के लिए होस्टल	41.40	49.59	40.00
8.	पुस्तक बैंक	10.16	11.01	5.00
9.	कोचिंग और संबंद्ध	–	–	–
10.	अ०जा०/अ०ज०जा० छात्रों की योग्यता का उन्नयन	21.07	17.85	–
11.	पी० सी० आर० और अत्याचार	–	5.00	5.00

आदिवासी विकास

वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों को दर्शानेवाला विवरण

	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	शै॰ परि॰	व्या॰ प्रशि॰	अनु॰ और प्रशि॰	स्वै॰ संग॰	एस.टी.डी. सी.सी.	कुल (रु॰ लाख में)
महाराष्ट्र	2196.34	801.75	–	–	1.76	–	54.12	24.30	56.97	30.00	3165.24
मध्य प्रदेश	7535.72	1687.50	115.83	16.90	–	52.30	–	13.09	3.91	124.00	9549.25
कर्नाटक	409.03	210.00	–	–	67.50	–	–	0.63	22.16	–	709.32
केरल	126.30	35.25	20.00	20.00	–	–	–	10.00	28.11	36.00	275.66
उत्तर प्रदेश	70.41	31.50	–	–	–	–	–	3.25	–	–	105.16

वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला विवरण

	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	शै॰ परि॰	व्या॰ प्रशि॰	अनु॰ और प्रशि॰	स्वै॰ संग॰	एस.टी.डी. सी.सी.	कुल (रु॰ लाख में)
महाराष्ट्र	2930.82	801.75	–	–	–	0.68	–	–	40.73	75.00	3848.98
मध्य प्रदेश	9579.66	1687.50	–	–	99.45	23.00	44.34	22.21	12.54	57.00	11525.70
कर्नाटक	659.99	210.00	–	–	–	–	–	–	15.80	–	885.79
केरल	181.20	35.25	–	–	–	2.75	–	11.25	29.42	57.00	316.87
उत्तर प्रदेश	104.08	31.50	–	–	–	–	–	1.12	3.11	–	139.81

वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त विधियों को दर्शानेवाला विवरण

	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	आश्रम स्कूल	शै॰ परि॰	व्या॰ प्रशि॰	अनु॰ और प्रशि॰	स्वै॰ संग॰	एस.टी.डी. सी.सी.	कुल (रु॰ लाख में)
महाराष्ट्र	3160.78	801.75	–	–	–	5.91	–	22.70	38.89	75.00	4105.03
मध्य प्रदेश	7695.71	1687.50	–	–	–	27.98	–	22.02	2.03	–	9435.24
कर्नाटक	569.50	210.00	13.25	–	–	–	14.78	–	30.91	–	838.34
केरल	153.71	35.25	14.70	20.00	–	–	–	13.50	25.80	–	262.96
उत्तर प्रदेश	90.39	31.50	–	–	–	–	–	4.27	2.07	–	128.23

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा राज्य को निर्मुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰	योजनाएं	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	3956.55	4958.10	4411.44
2.	अनुच्छेद 275(1)	771.00	771.00	771.00
3.	अ॰ जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	44.00	65.93	50.00
4.	अ॰ जा॰ लड़कों के लिए होस्टल	36.00	46.62	40.00

1	2	3	4	5
5.	अ॰ जा॰ के लिए आश्रम स्कूल	60.00	70.00	60.00
6.	शिक्षा परिसर	64.99	65.25	37.42
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	88.68	–	–
8.	अनुसं॰ एवं प्रशिक्षण	8.59	12.90	6.70
9.	गैर-सरकारी संगठन	52.87	70.63	73.35
10.	एस॰टी॰डी॰सी॰सी॰	75.00	–	135.00
		5157.68	6050.43	5584.91

पिछड़ा वर्ग विकास

क्र॰ सं.	विशेष केन्द्रीय सहायता	1996-97			1995-96			1994-95		
		प्राप्त योजनाओं की संख्या	मंजूरी प्राप्त योजनायें	मंजूर धनराशि	प्राप्त योजनाओं की संख्या	मंजूरी प्राप्त योजनायें	मंजूर धनराशि	प्राप्त योजनाओं की संख्या	मंजूरी प्राप्त योजनायें	मंजूर धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कर्नाटक (बी॰ सी॰)	12	12	3462.564	2	2	50.920	12	12	1096.409
2.	केरल (ए)							1	1	105.293
3.	केरल (बी)	11	11	1032.546	6	6	196.256	21	21	545.294
4.	केरल (सी)				20	20	152.810	41	41	250.734
5.	केरल (एफ3)	3	3	108.59				3	3	75.374
6.	केरल (डब्ल्यु)				2	2	33.355	11	11	380.815
7.	केरल (पी)				2	2	84.413			
		14	14	1141.136	30	30	466.834	77	77	1357.51
8.	एम पी (ए)							4	4	278.738
9.	एम पी 14 (बी सी)	14	14	1093.794	6	6	142.375	5	5	266.092
								9	9	541.83
10.	महाराष्ट्र (एम)				7	7	1281.50	17	17	1854.926
11.	महाराष्ट्र (वी जे ए एन टी)	15	15	838.899	36	36	567.39	18	18	362.159
					43	43	1848.89	35	35	2217.085
12.	उत्तर प्रदेश	35	35	74.008	37	37	164.413	41	41	1402.001
		90	90	6610.401	118	118	2673.432	174	174	6614.235

कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्बंध में 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना के अन्तर्गत व्यय

व्यय (लाख रु॰ में)

राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
कर्नाटक	2.34	2.10	शून्य
केरल	6.24	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	7.85	5.01	शून्य
महाराष्ट्र	8.01	2.34	शून्य
उड़ीसा	शून्य	5.55	2.19
उत्तर प्रदेश	33.83	36.70	12.33

31.3.97 तक की स्थिति के अनुसार योजनाओं और मंजूरियों के वर्षवार/राज्यवार ब्यौरे

	राज्य	1994-95			1995-96			1996-97		
		प्राप्त योजनाओं की संख्या	मंजूरी प्राप्त योजनायें	मंजूर धनराशि	प्राप्त योजनाओं की संख्या	मंजूरी प्राप्त योजनायें	मंजूर धनराशि	प्राप्त योजनाओं की संख्या	मंजूरी प्राप्त योजनायें	मंजूर धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कर्नाटक	10	9	196.88	8	7	555.80	10	9	969.97
2.	केरल	15	12	419.14	10	8	356.98	26	20	206.35
3.	महाराष्ट्र	28	23	1120.02	52	47	2056.27	36	32	1221.95
4.	उड़ीसा	0	0	0.00	16	12	1062.00	9	7	184.54
5.	मध्य प्रदेश	18	15	922.43	36	27	2466.77	14	11	1314.41
6.	उत्तर प्रदेश	6	4	333.88	26	18	2220.00	21	15	1979.20

टी॰ डी॰ प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए निधियों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

योजना	1997-98 के लिए परिव्यय
अनुसूचित जनजाति विकास आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	330.00
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक (1) के अंतर्गत अनुदान	75.00
अनु॰ जन॰ के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	10.00
राज्य आदिवासी को सहायता अनुदान	10.00
एम एफ पी कार्यों के लिए विकास सहकारी निगम	
अ॰ जनजाति लड़कियों के लिए होस्टल	4.00
अ॰ जनजाति लड़कों के लिए होस्टल	4.00
आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	5.00
आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.75
कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अ॰ जा॰ के लिए शैक्षिक परिसर	4.00
आदिवासी क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता अनुसंधान और प्रशि॰	
(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थान एवं रिसर्च फलोशिप पुरस्कार के लिए अनुदान	5.75
(ख) अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राजीय प्रकृति की सहायक परियोजनाएं	0.50
ट्राइफेड में निवेश	23.00
ट्राईफेड को मूल समर्थन	2.00
ट्राईफेड को सहायता अनुदान	-
ग्रामीण अनाज बैंक	2.00
आदिम जनजाति समूहों का विकास	2.00
कुल	481.00

एस सी डी प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए निधियों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(रु॰ करोड़ में)

क्र॰सं॰	योजना	आवंटन
1	2	3
1.	एस॰सी॰ए॰ टु ए॰सी॰पी॰	326.60
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	65.00
3.	पी॰ सी॰ आर॰ और अत्याचार	15.50
4.	लड़कियों के होस्टल	8.00
5.	एन॰ एस॰ एफ॰ डी॰ सी॰	96.00
6.	एस॰ सी॰ डी॰ सी॰	45.00
7.	एन॰ एस॰ के॰ एफ॰ डी॰ सी॰	10.00
8.	बुक बैंक	3.60
9.	लड़कों का होस्टल	11.00

1	2	3
10.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	120.00
11.	मट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2.00
12.	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता	20.00
13.	कोचिंग और सम्बद्ध	3.00
14.	अ॰ जातियों की अखिल भारतीय प्रकृति की सहायक योजना	0.50
15.	विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	3.80
16.	अ॰ जा॰/अ॰ ज॰ जा॰ छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन	1.00
17.	एन॰ एस॰ एफ॰ डी॰ सी॰ को ब्याज सहायता	–
18.	अम्बेडकर प्रतिष्ठान	40.00
	कुल	771.00

[हिन्दी]

सभापति महोदयः उस पर पूरी बहस होगी, उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है।

डा॰ राम विलास वेदान्त : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता का एक बहुत बड़ा भाग आदिवासी और वनवासियों का है। पुनर्वास के नाम पर उनको कुछ मुआवजा मिलता है। कुछ जमीनें और नौकरियां देने का आश्वासन उनको दिया गया है। लेकिन मैं इस बात को अलग रखते हुए पूछना चाहता हूं कि आदिवासियों को अपने परिवेश से काटकर अनजान माहौल में पटक देना क्या उनका पुनर्वास कहा जा सकता है। सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश को कैसे सीमित किया जा सकता है। उनकी जीवनशैली की सुरक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश सरकारों से योजनाएं प्राप्त हुई हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः सभापति महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने पूछा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों से ऐसे आवेदन आये है, जिनमें विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्नि स्कीमों के लिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए धनराशि मांगी गई थी, उसका ब्यौरा मैंने स्टेटमेंट में दे दिया है। जो स्कीम्स आई हैं उन सभी पर गौर करने के बाद हमने धनराशि दी है। लेकिन मैं माननीय सदस्य के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि एक नियम है कि जितनी धनराशि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जाती है, अगर उसका यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट वे केन्द्र को नही भेजेंगे तो मेरे मंत्रालय के लिए उसको अगले साल की धनराशि देना कठिन होगा।

डा॰ राम विलास वेदान्तीः सभापति महोदय, मैं माननीय कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था गृहों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ एक नई योजना तैयार की गई थी, जो देश के प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह उपलब्ध करती थी। इसका बजट प्रावधान पांच करोड़ रुपये हैं। लेकिन क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत वयोवृद्धों की देखभाल पर ध्यान देने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम तैयार कर रही है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः सभापति महोदय, जो वृद्धाश्रम और समाज के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए पांच करोड़ रुपये की योजना का जो उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसकी घोषणा भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगोड़ा जी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर की थी। उसको हमने पूरी तरह लागू कर दिया है। चूंकि रुपया पांच करोड़ था इसलिए वह सारे देश में नहीं बंट सकता था, जहां-जहां से आवेदन आये हैं और जिसे हमने ठीक समझा, उस पूरी धनराशि का आबंटन कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री टी॰ गोविन्दन : महोदय, सर्वप्रथम मैं मंत्री जी को विस्तृत और व्यापक उत्तर देने के लिए बधाई देता हूँ। सभी दस्तावेजों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना एक कठिन कार्य है।

अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केरल की 41 आई॰ टी॰ सी॰ संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के जूझ रहे विद्यार्थियों की ओर आकर्षित करता चाहता हूँ। लिखित उत्तर में लड़के और लड़कियों के होस्टलों के निर्माण, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य संस्थाओं के लिये अवमुक्त की गई धनराशि सम्बंधी विवरण दिया गया है। केरल की 41 आई॰ टी॰ सी॰ संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने के बावजूद संघर्ष करना पड़ रहा है। कल्याण मंत्री कह सकते हैं कि इस मामले का उनके मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु यह मामला श्रम मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय के बीच जुड़ा है। केरल में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विद्यार्थियों के संघर्ष का कारण यह है कि रोजगार निदेशालय ने इन संस्थाओं को मान्यता नहीं दी है। 1996 तक तो कोई समस्या नहीं थी परन्तु 1996 में रोजगार निदेशालय ने इन संस्थाओं को मान्यता देने से इंकार कर दिया।

सभापति महोदयः आपका प्रश्न क्या है ?

श्री टी॰ गोविन्दन : मुद्दा यह है कि कल्याण मंत्रालय को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए। श्रम मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिणाम घोषित किए जाएँ और उन छात्रों को प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं। यह केरल की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के कल्याण और विकास का मामला है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः चाहे प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं इसे समझ रहा हूँ।

सभापति महोदयः आप प्रश्न के बारे में कैसे जानते हैं?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः मैं बहुत मेहनती मंत्री हूँ इसीलिए मैं प्रश्न को समझ रहा हूँ।

पूरा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पिछड़े वर्गों के प्रति नौकरशाही के एक वर्ग के रवैये का प्रश्न है। मुद्दा यह है कि कुछ वर्गों के इस उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण हजारों गरीब विद्यार्थियों को केन्द्र द्वारा दी जा रही धन-राशि का इंतजार करना पड़ता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूँ कि मैं केरल सरकार और श्रम मंत्रालय से इस मामले पर विचार-विमर्श करूँगा।

श्री के॰ एस॰ आर॰ मूर्ति : काफी समय के पश्चात् मुझे बोलने का अवसर देने पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

इन सब राज्यों में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति सम्बंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बंध में हुई प्रगति के बारे में माननीय मंत्री जी से सूचना चाहता हूँ। माननीय श्री पी॰ वी॰ नरसिम्हाराव ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन उद्देश्यों हेतु 800 करोड़ रुपयें का प्रावधान रखा था। मुझे यह पता नहीं है कि 800 करोड़ रुपये की यह राशि जारी की गई है अथवा नहीं। यदि यह जारी की गई है तो अवश्य ही इन सफाई कर्मचारियों को लाभ नहीं पहुँचाया गया है अपितु उसका दुरूपयोग हुआ है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री के॰ एस॰ आर॰ मूर्तिः यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम पूरे देश में लाभार्थियों को ऋण प्रदान करता है। परन्तु यह संस्था इस बात पर अड़ी हुई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व सम्बंद्ध राज्य सरकार एक सरकारी गारन्टी दे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब वे यह ऋण राज्य अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से दे रहे हैं तो ऐसी सरकारी गारन्टी की क्या आवश्यकता है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य श्री के॰ एस॰ आर॰ मूर्ति ने यह प्रश्न उठाया है। शायद, बहुत से सदस्य यह नहीं जानते कि वे अपने सेवाकाल में वह कल्याण मंत्रालय के सफल सचिव रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मुक्ति से सम्बन्धित यह प्रश्न पूछकर उन्होनें जनता की नब्ज को छू लिया है। यह सच है कि माननीय नरसिम्हा राव जी ने इस मामले को उठाया क्योंकि वह चाहते थे कि हजारों साल से समाज पर लगा यह कलंक का धब्बा समाप्त हो जाए।

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव अपने दृष्टिकोण में ईमानदार और गंभीर थे और उनके प्रयास फलीभूत भी हुए परन्तु आशाजनक परिणाम नहीं निकले। इसीलिए श्री पी॰ वी॰ नरसिम्हाराव ने सफाई कर्मचारियों के संबंध में तीन वर्षों के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। यह अवधि 31 मार्च 1997 को समाप्त हो गई और मैंने इसका कार्यकाल पाँच वर्ष और बढ़ा दिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरे राष्ट्र से सफाई कर्मचारियों पर लगे इस धब्बे को हटा दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोतः सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजे और क्या उसमें इस प्रकार का प्रस्ताव भी है कि जो आदिवासी उपयोजना आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है, उसको अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा? छतीसगढ़ क्षेत्र में जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, क्या उसमें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची लागू की जायेगी?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः सभापति जी, छठी अनुसूची के बारे में मैं अभी वायदा नहीं कर सकता क्योंकि इस इशू पर अभी विचार हो रहा है।

श्री थावरचन्द गेहलोतः सभापति जी, मैंने यह पूछा था कि कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कब प्राप्त हुए। आप यह भी बता दें कि उन पर क्या हो रहा है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः आपके प्रश्न का जवाब मैंने नीचे से शुरू किया है। अब मैं ऊपर से शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार से पत्र और प्रपोजल प्राप्त हुए हैं जैसे अन्य राज्यों से पत्र आये हैं। तो उसी तरह उन पर गौर किया जा रहा है। स्टेट की तरफ से अनुसूचित जाति-जनजाति के बारे में मांग आती है तो वह जिस तरह हमारे ढांचें में फिट होती है उसी के मुताबिक अनुदान और धनराशि दी जाती है।

श्री थावरचन्द गेहलोतः सभापति जी, मैंने पर्टिकुलर यह पूछा है कि केन्द्र सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? यह तो जनरल भाषण हो गया। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और क्या केन्द्र सरकार के पास आदिवासी उपयोजना को अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव आया है? दूसरा, छठी अनुसूची लागू करने के बारे में है। कब हुआ और क्या हो रहा है, यह तो मंत्री जी बता ही नहीं रहे हैं।

सभापति महोदयः क्या आपके पास इन्फोर्मेशन है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः सभापति जी, यह मेरी शराफत है कि मैंने सवाल से बाहर की बात सुनी। .....*(व्यवधान)* यह तो प्रश्न से बाहर की बात पूछ रहे हैं, फिर भी मैं मान गया।

सभापति महोदयः आप जवाब क्यों दे रहे हैं?

श्री बलवंत सिंह रामूवालियाः मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं सूचना लिखकर भेज दूंगा। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपको सूचना मिल जायेगी।

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति जी, यह प्रश्न के बाहर की बात नहीं है। मैंने पिछले तीन वर्षों की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश का उल्लेख है। यह बाहर का प्रश्न नहीं है।

श्री इलियास आजमी: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से और मंत्री जी की शराफत को अपील करते हुए एक पूरक प्रश्न पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जिन संस्थाओं ने आवेदन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से रिकमेंडेशन होकर आपके यहां विचाराधीन है, आपने कुछ फाइलों को भी देखा है और बजट भी पास हो चुका है, तो उनका पैसा आप कब तक जारी कर देंगें ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: जो स्वयं सेवी संस्थायें है, जो कि लोगों की भलाई का काम करती है उनके लिए तीन साल तक रजिस्टर्ड होकर काम करने की प्राथमिक शर्त है। उसी पैमाने के मुताबिक सभी आवेदनों पर गौर किया जाता है। माननीय सदस्य ने भी जनरल प्रश्न पूछा है। उसका जनरल जवाब यह है कि उत्तर प्रदेश से जितने आवेदन आये हैं, उन पर हमारे निरीक्षण के बाद और यदि राज्य सरकार की सिफारिश उसके साथ जुड़ी है तो उन सभी को धनराशि दे दी गयी है।

जो तीन साल से कम वाले हैं, अभी उन पर गौर नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूं कि मुआयना कराकर अगर वे अच्छा काम करते हैं तो इंसपैक्शन के बाद उनको भी धनराशि दी जाये।

सभापति महोदय: जल्दी-जल्दी करें।

श्री नवल किशोर राय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी हार्ड वर्किंग मिनिस्टर हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी योजनाएं इनके पास हैं, इन्होंने दिया भी है। मैं आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पिछले तीन वर्ष में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और माइनोरिटी के कल्याण के लिए जो धनराशि मुहैया कराई, उसका फिजीकल वैरीफिकेशन, यूटीलाइजेशन, चैकिंग विधिवत कराकर कोई संकलित रिपोर्ट लाई है, जिससे कि सरकार देश को यह बता सके कि तीन साल में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और माइनोरिटी पर धनराशि दी गई, उसका सही-सही शत-प्रतिशत उपयोग हुआ है ? ऐसा कुछ फिजीकल वैरीफिकेशन हुआ है क्या, हुआ है तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: जैसा माननीय सदस्य ने कहा, शत-प्रतिशत शब्द उपयोग हुआ है, शत-प्रतिशत सदुपयोग तो कहीं भी नहीं है, हर जगह थोड़ी बहुत गड़बड़ है। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं पर मैंने इतना ध्यान दिया है कि एक-एक पैसे को बचाया है और मेरी तरफ से सद्प्रयोग बहुत है-एक बात। दूसरी बात-आपको खुशी होगी कि पिछले 50 वर्ष में मैं पहला कल्याण मंत्री हूं, जिसने अपने विभाग में इस बीमारी के लिए, न तो मेरे पर इल्जाम आये, जब किसी का आप पैसा रोकते हैं तो वह नाराज होकर धमकी देता है कि पेपर में चला जाऊँगा और पेपर में जाने से हर आदमी डरता है ....*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये। वह कहता है कि पेपर में चला जाऊँगा। चेयरमैन सर, आप मेरी तरफ ध्यान दें।

मेरे पास 146 करोड़ रुपया नया आया है। उसका मैंने तरीका निकाला कि एक 24 मैम्बरी कमेटी, जिसमें पांच पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, पांच सिविल जर्नलिस्ट्स हैं, एमीनेंट पर्सन्स हैं, एन॰ जी॰ ओ॰ के लोग हैं। उसके लिए गठन का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हो जायेगा, वही कमेटी देखेगी कि सदुपयोग है, दुरुपयोग है। मैं सिर्फ दस्तखत करूंगा कि देना है, नहीं देना है, तो वह मैंने कर दिया। ....*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय: मैं यह जानना चाहता था कि उसका उपयोग हुआ है, इसका वैरीफिकेशन कराया है क्या ?

[अनुवाद]

श्री पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव: महोदय, तीन चार अनुपूरक प्रश्नों से पूर्व, माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्रालय की नौकरशाही के एक वर्ग के निष्ठुरता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी यदि मैंने उनकी बात ठीक-ठीक सुनी है। पहली बार यह एक ऐसा मामला है जहाँ विलम्ब और निष्ठुरता हजारों लाखों कर्मचारियों पर नहीं अपितु मंत्रालय के कुछ चुनिंदा, स्तर पर प्रयुक्त हुई है। लोगों की पहचान किया जाना संभव होना चाहिए कि आखिरकार किसलिये इतनी सारी फाईलें एक लम्बे अरसे तक एक ही विशेष स्तर पर लम्बित क्यों है। क्या माननीय मंत्री जी अपने द्वारा अभी दिये गये विवरण के अनुसार इस मामले की छानबीन करेंगे और उसके परिणाम हमें बताएंगें कयोंकि यदि एक स्थान पर इसका हल किया जाए तो सम्भवत: भविष्य में विलम्ब से यथा संभव बचा जा सकेगा।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: मैं सदन के वरिष्ठ सदस्य को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं बहुत खुश हूँ। कल्याण मंत्रालय में विगत एक वर्ष के अपने अनुभव से मैंने अनेक स्कीमों को गति प्रदान करने और उन्हें चलाने का भरसक प्रयास किया पन्तु जब कभी मुझे असहयोग वाला रवैया मिला, मेरी दिमाग में वह घर कर गया। ब्यौरे के संबंध में प्रत्येक बात मैं नहीं बता सकता।

परन्तु यदि तीन या चार संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए तो मैं निष्ठुरता-पूर्ण व्यवहार वाली फाईल और शेष सब कुछ दिखा सकता हूँ।

मेरे मित्र ने निरीक्षण और पर्यवेक्षण की बात की है, मैने 28 गैर सरकारी संगठनों (एन॰ जी॰ ओ॰) के विरुद्ध कार्यवाही की है और कुछ कार्यवाही चल रही है। ....*(व्यवधान)*

श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी: नौकरशाही के व्यक्तियों की पहचान के बारे में यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। श्री नरसिम्ह राव ने एक बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है कि यदि पहचानशुदा परियोजनाओं में पहचाने गए अफसरों के साथ कुशलतापूर्वक यथोचित व्यवहार किया जाए तो पूरी समस्या को हल किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: 26 अलीपुर में अम्बेडकर हाऊस के लिए 10 करोड़ रुपये मे ये कैसे जमा किए वह तो केवल मैं ही जानता हूँ। मेरा मुद्दा यह है कि यदि एक समिति नियुक्त की जाए तो मैं सारे ब्यौरे उसे दिखा दूँगा। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमारूल इस्लामः मेरा छोटा सा प्रश्न है, जो माइनोरिटी का फंड है।

सभापति महोदयः खत्म हो गया है, मैंने दूसरा प्रश्न बुलाया है।

[अनुवाद]

वह प्रश्न पूरा हो गया।

श्री कमारूल इस्लामः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि यह निधि केवल उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सभापति महोदयः आपको यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। आप इस संबंध में मंत्री जी को लिख सकते है।

विकलागों की माँगें

***524. श्रीमती लक्ष्मी पनबाकाः**
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः

क्या कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगें कि :

(क) क्या मार्च, 1997 में दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों ने उन पर किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध तथा अपनी शिकायतों की सुनवाई कर उनके समाधान के लिए कोई प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों की प्रमुख शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) जी, हां।

(ख) विवरण-I सभा पटल पर रख दिया है।

(ग) विवरण-II सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

विकलांगों के अधिकारों के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति ने अपने दिनांक 5 मार्च, 1997 को अभ्यावेदन के तहत निम्नलिखित कुछ मांगें रखी हैं।

(क) विक्लांगताग्रस्त व्यक्ति तथा प्रमष्तिस्कअंगघात के लिए राष्ट्रीय न्यास विधेयक को सार्वजनिक किया जाए और यह कि विकलांगता वाले क्षेत्रों में विशेषकर मानसिक मंदता तथा प्रमष्तिस्कअंगघात के क्षेत्र से प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाए।

(ख) केन्द्रीय समन्वय समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना वापस ली जाए तथा विकलांगता के क्षेत्र में प्रतिनिधियों के परामर्श के साथ एक नई केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया जाए।

(ग) मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाए।

(घ) कल्याण मंत्रालय के विकलांगता प्रभाग के लिए आ॰ टन को 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए तथा 1997-98 के बजट में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लिए आवंटन 200 करोड़ रुपये तक वृद्धि की जाए। अन्य महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में भी समुचित आवंटन किए जाएं।

(ङ) 1997-98 के रेल बजट में कम से कम 100 करोड़ रुपयें का आवंटन किया जाए।

(च) कल्याण मंत्रालय के तथाकथित ''विकलांग कल्याण विभाग'' को उक्त मंत्रालय का ''विकलांगता प्रभाग'' के रूप में पुनः नाम दिया जाए।

विवरण-II

शिकायतों को दूर करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) मानसिक मंदता तथा प्रमस्तिष्कअंगघात वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने के लिए विधेयक के सार को इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी एजेंसियों में परिचालित किया जा रहा है जिससे कि परामर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया जा सके।

(2) पदेन सदस्यों से अन्यथा सदस्यों का अंतिम रूप से चयन सावधानी पूर्वक करने के बाद केन्द्रीय समन्वय समिति को दिनांक 21-2-1997 को अधिसूचित किया जा चुका है। इस अधिसूचना को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और यह अंतिम चरण में हैं।

(4) योजना आयोग से बार-बार आग्रह किए जाने के बाद कल्याण मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग के लिए प्रस्तावित आवंटन को 1997-98 के दौरान 107.04 करोड़ रुपये (योजना) तक बढ़ा दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लिए 28.00 करोड़ रुपये शामिल है। अन्य मंत्रालयों से भी अपने बजटीय आवंटनों में समुचित प्रावधान करने का अनुरोध किया गंया है।

(5) इस मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग को विकलांगता प्रभाग के रूप में पुनः नाम देने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पर कार्यवाई की जा रही है।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाकाः महोदय, विकलांगों के आन्दोलनकारियों ने धमकी दी है कि यदि सरकार ने बजट सत्र से पूर्व उनकी माँगें पूरी न की तो वह अपना आन्दोलन तेज कर देंगे और कानूनी लड़ाई भी शुरू कर देंगे। उन्होनें विकलांगों के अधिकारों के लिए एक संयुक्त कार्यवाही समिति का भी गठन किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकलांगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं होंगी। इस संस्था ने सरकार को धमकी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगें पूरी न की तो वे कड़े कदम उठायेंगें। उनकी मांगों पर किस सीमा तक विचार किया गया है, अथवा उन्हें किस सीमा तक स्वीकार या लागू किया जाएगा।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: माननीय सदस्य ने विकलांगता के शिकार व्यक्तियों की संस्था द्वारा दिये गए अल्तिमेतम (चेतावनी) का उल्लेख किया है। उन्होंने छः सूत्री चार्टर मुझे दिया है। यदि मैं इन छः सूत्रों का एक-एक करके बखान करूँ तो बहुत समय लगेगा।

उन्होनें विकलांग व्यक्तियों हेतु एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना के लिए पहले मुद्दे के बारे में कहा है, यह प्रस्ताव लोक सभा में दिसम्बर 1995 में प्रस्तुत किया गया। इसे पारित नहीं किया जा सका और उसकी अवधि समाप्त हो गई। मैं फिर से मंत्रिमंडल को वह विधेयक लोक सभा में पेश करने के लिए लिख रहा हूँ।

केन्द्रीय समन्वय समिति को अधिसूचना दे दी गई है। विकलांगों के लिए एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में, मैंने एक शोध समिति नियुक्त की थी और अब पन्द्रह दिनों में उसे नियुक्त कर दिया जायेगा।

शेष दो मांगें स्वीकार कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी: मंत्री जी ने दो महीने पहले आश्वासन दिया था कि आयुक्त की नियुक्ति 15 दिन में कर दी जायेगी। .... *(व्यवधान)* पाँच साल से नियुक्ति नहीं हो पा रही है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: जोशी जी, आप मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी आप केवल उनका जवाब दें।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सुनिए, जोशी जी, आप आयोग और कमिश्नर में फर्क ही नहीं मानते। आयोग और कमिश्नर और चीज है। मैं कमिश्नर की बात कर रहा हूं। उनको पता नहीं चला। मैं उनको बाद में समझा दूंगा। एक डिमाण्ड रेलवे के बारे में है, वह मैं माननीय श्री पासवान जी को लिख रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब प्रश्न काल पूरा हो गया। .....*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : यह कैसे हुआ, महोदय लोक सभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि केवल तीन प्रश्न ही लिए गए हों। अतः चौथा प्रश्न पूरा किया जाना चाहिए। आज केवल तीन ही प्रश्न हुए। क्या आज इतना ही होगा ? ....*(व्यवधान)* चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अतः मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपको आज्ञा कैसे दे सकता हूँ ? प्रश्न काल पूरा हो गया। इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जायेगी।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, आप अध्यक्षपीठ है आप सर्वोच्च अधिकारी है, आप मुझे अनुमति दे सकते है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

.....*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : तो क्या इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

सभापति महोदय : हाँ, आप इसके लिए नोटिस दीजिए।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : ठीक है, महोदय मैं यह भी लिखूँगा कि सभापति महोदय ने इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति के लिए सहमति व्यक्त की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गन्ने का उत्पादन

*525. **श्री के॰ परसुरामन:**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गन्ने के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसका राज्य-वार उत्पादन कितना हुआ;

(ग) यदि इसमें कोई कमी आई हो तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गन्ने के उत्पादन में हुई कमी के कारण वर्ष 1996-97 के दौरान चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो चीनी के उत्पादन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(च) सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान गन्ने के उत्पादन में आयी कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(छ) प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) गन्ने के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के बावजूद कई वर्षों से बढ़ोतरी का ही रूख दिखाई दिया है और 1995-96 में यह 282.1 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, 1996-97 में गन्ने का उत्पादन 267.5 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है। विगत तीन वर्षों, अर्थात, 1994-95 से 1996-97 के दौरान गन्ने का राज्यवार लक्ष्य और

उत्पादन तथा साथ ही साथ इसके क्षेत्र को सलंग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) 1996-97 में हुई गन्ने की मामूली कमी एक तरह से चक्रीय उतार-चढ़ाव का परिणाम है और इसका कारण विगत मौसम में लम्बे समय तक चलने वाली पेराई थी जिसके कारण उसके अगले वर्ष गन्ने की खेती के लिए ज्यादा जमीन इस्तेमाल में नहीं लायी जा सकी।

(घ) और (ङ) जी, हां। गन्ने के उत्पादन में हुई कमी के कारण चीनी के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के चीनी मौसम के दौरान, 31 मार्च, 1997 तक, चीनी का उत्पादन 106.05 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि विगत मौसम अर्थात् 1995-96 के इसी अवधि के दौरान 117.27 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

(च) गन्ने के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 1995-96 से ही गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलायी जा रही है जिसके 97-98 के दौरान भी जारी रहने की संभावना है।

(छ) 1997-98 के लिए गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत दिये गये वित्तीय आवंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 से 1996-97 के गन्ने के लक्ष्य तथा उत्पादन और क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

क्षेत्र ''000'' हैक्टेयर
उ० लाख मीटरी टन

	1994-95			1995-96			1996-97		
राज्य	क्षेत्र	लक्ष्य	उत्पादन	क्षेत्र	लक्ष्य	उत्पादन	क्षेत्र	लक्ष्य	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	209	135	160	214	140	152	202	152	145
असम	36	20	15	36	22	15	36	22	15
बिहार	123	85	57	124	85	56	124	90	56
गुजरात	155	105	108	162	110	105	150	115	104
हरियाणा	120	85	70	144	87	81	163	235	214
कर्नाटक	345	205	331	313	220	249	233	235	214
केरल	6	6	5	6	7	5	8	7	6
मध्य प्रदेश	37	22	14	51	22	20	84	22	25
महाराष्ट्र	517	350	443	580	350	467	475	380	404
उड़ीसा	20	50	12	30	50	16	22	55	14
पंजाब	83	80	52	132	80	86	173	90	110
राजस्थान	22	13	10	28	13	14	22	15	10
तमिलनाडु	328	250	365	314	250	246	265	270	265
उत्तर प्रदेश	1839	1072	1102	1974	1092	1198	2014	1130	1186
पश्चिम बंगाल	11	12	6	17	12	13	25	12	19
अन्य	16	10	6	14	10	6	11	10	7
अखिल भारत	38667	2500	2755	4139	2550	2829	4011	2700	2675

विवरण-II

1997-98 के दौरान गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत किया गया राज्यवार वित्तीय आवंटन

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावित वित्तीय आवंटन		
		भारत सरकार	राज्य सरकार	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	172.7525	46.4175	219.77
2.	असम	45.5125	7.8375	53.35
3.	बिहार	111.30	25.950	137.30
4.	गुजरात	122.8625	29.7875	152.65
5.	हरियाणा	93.894	10.631	112.52
6.	कर्नाटक	192.35	53.95	246.30
7.	केरल	27.194	4.231	31.425
8.	मध्य प्रदेश	65.82	14.94	80.76
9.	महाराष्ट्र	440.844	123.281	564.125
10.	उड़ीसा	52.375	10.625	63.00
11.	पंजाब	83.662	22.888	106.55
12.	राजस्थान	50.3688	11.4562	61.825
13.	तमिलनाडु	155.4125	41.1375	196.55
14.	उत्तर प्रदेश	675.06	181.85	856.90
15.	पश्चिम बंगाल	24.181	2.394	26.575
16.	मणिपुर	12.5975	0.5325	13.13
17.	मिजोरम	12.695	0.565	13.26
18.	नागालैण्ड	16.1975	1.7325	17.93
19.	त्रिपुरा	16.1975	1.7325	17.93
20.	पांडिचेरी	20.225		20.225
21.	गोवा	16.045	1.515	17.560
	योग	2407.5863	601.4587	3009.045

अभ्यारण्य

***526. डा० अरुण कुमार शर्मा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से असम में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी दुर्लभ प्रजातियां हैं;

(ख) भूमि कटाव और बाढ़ से कितने अभ्यारण्यों को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए वित्तीय आवंटन सहित इन अभ्यारण्यों के संरक्षण और इनका पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भूमण्डलीय पर्यावरणीय सुविधा अनुदान के अंतर्गत विशेष रूप से असम में पारिस्थितिकीय विकास के लिए कोई परियोजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) नौवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित विशेष योजना क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) देश में 447 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिसमें से 11 अभ्यारण्य असम में स्थित हैं। यद्यपि असम के सभी अभ्यारण्यों में पक्षी पाये जाते हैं, लेकिन केवल दीपर झील, पानी थिहिंग और बीलमुख, इस राज्य में मुख्य पक्षी विहार हैं। असम के अभ्यारण्यों में आमतौर पर पाई जाने वाली दुर्लभ पशुओं और पक्षियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन 11 अभ्यारण्यों में से केवल डिब्रू-साईखोआ अभ्यारण्य को भूमि कटाव और बाढ़ से खतरा है।

(ग) इन अभ्यारण्यों के संरक्षण और पारि-संतुलन के लिए "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मंत्रालय द्वारा सहायता मुहैया की जाती है। नौवीं आयोजना स्कीम के लिए आवंटन को अभी अंतिम रूप देना है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे देश के लिए उपरोक्त योजना के तहत 12.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस समय इस योजना में केवल 7 स्थलों को शामिल किया गया है, जिनका चयन भारत के प्रमुख जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है।

(छ) नौंवी योजना के दौरान तीन पुरानी योजनाओं अर्थात् असम में गैंडों का संरक्षण, वन्यजीव के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण तथा शिक्षा और निर्वचन को दोबारा लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इन सभी से पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भी लाभ प्राप्त होगा।

विवरण

क्रम संख्या	अभ्यारण	दुर्लभ पशु और पक्षी
1.	बारनदी	पिग्मी हॉग, दृढ़लोमी खरगोश
2.	गरमपानी	हूलॉक गिबन
3.	लाखोआ	बिरला गैंडा
4.	दीपर बील	लार्ज विसलिंग टील
5.	डिबरू साइखोआ	सफेद परों वाला वुड बतख
6.	पवीटोरा	गैंडा
7.	राजीव गांधी (ओरांग)	गैंडा, हाथी, बाघ
8.	बुराचापोरी	- -
9.	चक्रासिला	गोल्डन लंगूर, बाघ
10.	पानी दिहिंग	सफेद आंख और लाल शिखाधर बुडार
11.	भीलमुख	लार्ज विलिंग टील, बुडार
राष्ट्रीय उद्यान		
1.	काजीरंगा	गैंडा, हाथी, बाघ, दलदली हिरण, जंगली भैंसा, ग्रेट इंडियन हार्न बिल्ल, असम बैम्बू पाटरिज
2.	मानस	गोल्डन लंगूर, दृढ़लोमी खरगोश, पिग्मी हॉग, जंगली कुत्ता, जंगली भैंसा
3.	नामेरी	सफेद परों वाला वुड बतख, केप्ड लंगूर, हाथी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय विषमताएं

***527. श्री एन॰ जे॰ राठवा:**
श्री अशोक प्रधान:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान शेष रह गये विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करके देश में पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने/विशेषकर आदिवासियों के बीच बेरोजगारी दूर करने हेतु तैयार की गई नीतियां तथा पता लगाए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1997-98 तथा नौंवी योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए बनाए गए विशेष कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा इस कार्यक्रम की राज्यवार मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में त्रुटियों से बचने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ): (क) से (ङ) किसी क्षेत्र की योजना एवं उसका विकास और इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मुख्यतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र का पता नहीं लगाया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार राज्यों, जनजातीय उपयोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन स्कीम जैसी ग्रामीण रोजगार स्कीमों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त फार्मूले के अंतर्गत संसाधनों के हस्तांतरण की कार्य प्रणाली के माध्यम से इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयत्नों को मदद दे रही है।

केन्द्रीय असंतुलनों को दूर करना योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य उद्देश्य है। परंतु इस उद्देश्य के कार्यान्वयन में विभिन्न क्षेत्रों की अंतर्निहित कुछ ऐतिहासिक एवं दूसरी विशेषताओं, जैसे संसाधन सम्पन्नता में अंतर, भौगोलिक संरचना कारकों और भौगोलिक दशाओं से प्रभाव पड़ता है।

अनाथालय

***528. श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने अनाथालयों को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) 1995 और 1996 के दौरान अनाथालयों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय अनाथालयों के लिए कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, अंतःदेशीय दत्तकग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिशुगृह योजना के अंतर्गत 51 शिशु गृह सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से भारत सरकार की शिशुगृह योजना अनाथ परित्यक्त, निराश्रित तथा उपेक्षित बच्चों को अंतःदेशीय दत्तकग्रहण को प्रोत्साहन देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार दत्तकग्रहण के माध्यम से भारतीय परिवारों के साथ उनके स्थापन के लिए 0-6 की आयु समूह के बच्चों के अनुरक्षण के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, स्वयंसेवी संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को कुल व्यय के 90 प्रतिशत सीमा तक आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

चूंकि इस योजना को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है इसलिए इस योजना के अंतर्गत निधियां राज्यवार आवंटित नहीं कि जाती है किन्तु इस योजना के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में आवेदनों की प्राप्ति पर धनराशि की निर्मुक्ति निर्भर करती है। अनुदान स्वयंसेवी संगठनों को सीधे स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के लिए वार्षिक आवंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	राशि
1994-95	55 लाख रुपये
1995-96	100 लाख रुपये
1996-97	100 लाख रुपये

कार्यान्वयन की प्रगति, निष्पादन तथा अनुदान के उचित उपयोग को मानीटर करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(1) स्वैच्छिक एजेंसियों/शिशुगृहों से अर्धवार्षिक प्रगति रिर्पोटें।

(2) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण तथा उनकी वार्षिक सिफारिश जिसके बगैर दूसरी किश्त निर्मुक्त नहीं की जाती और

(3) निधियों को आगे निर्मुक्ति से पूर्व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रस्तुत लेखे का वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों की मौत

*529. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्धनता के कारण भूख से मरने वाले आदिवासियों (अनुसूचित जनजाति) की कुल राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत सरकार ने देश में भूख से होने वाली आदिवासियों की मृत्यु को रोकने के कोई उपाय किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय के पास किसी राज्य सरकार से पिछले दो वर्षों के दौरान गरीबी के कारण अनुसूचित जनजातियों की मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, अनुसूचित जनजातियों के बीच गरीबी को दूर करने तथा सुदूर और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु के विरुद्ध निवारक उपायों को मानीटर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित एक विवरण संलग्न है। सृजन में कार्यक्रमों की तीव्रता लाना शामिल है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य प्रापण तथा वितरण मंत्रालय, नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से इस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने राज्य सरकारों से इस संबंध में की गई कार्यवाई को मानीटर करने को अपेक्षा की जाती है।

विवरण

गरीबी उन्मूलन के लिए अभिप्रेत ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात् जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना आदि के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विशेष वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अभिप्रेत अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आय सृजक योजनाओं हेतु सहायता प्रदान करने के लिए राज्य प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा इसके राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का रियायती दरों पर रोजगार प्रदान करने/आय सृजक परिसम्पतित्तयों के लिए ऋण

भी प्रदान किया जाता है। संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को रोजगार में आरक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। यह भी आगे अभिप्रेत है कि अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने से आने वाले वर्षों में उन्हें गरीबी की रेखा पार करने में सहायता मिलेगी।

सुदूर तथा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु के विरुद्ध निवारक उपायों को मानीटर करने के लिए वर्ष 1993 से सचिव, कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय योजना समिति विद्यमान है। इस समिति ने राज्य सरकारों के परामर्श से 52 जिलों में 369 ब्लॉकों और 13 राज्यों की पहचान की है जो इस संबंध में संवेदनशील है और जहां ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय करना अपेक्षित है। संबंधित राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए विशेष कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने तथा इन योजनाओं को विशेषतौर पर प्रत्येक वर्ष मई से सितम्बर के मौसम में कठिनाईयों के दौरान पहचान किए क्षेत्रों में इन योजनाओं को चालू रखने तथा कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है। इस कार्रवाई योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों में शीघ्र चेतावनी प्रणालियां तथा आधारभूत क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषाहार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोजगार।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991

*530. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संघों तथा विभिन्न वाणिज्य मंडलों से कोई ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह मांग की गई है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 जो इस वर्ष के अगस्त माह में समाप्त हो रहा है, कि वैधता आगे बढ़ाई जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार उदारीकरण की प्रकृति के अनुरूप इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है;

(घ) क्या समीक्षा के अनुसार सरकार वस्तुओं की सूची में काट-छांट पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) से (ग) सरकार को आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की वैधता को 31 अगस्त, 1997 से आगे बढ़ाने के विरुद्ध कुछ व्यापारिक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी अभी भी चल रही है और इस स्थिति में वर्तमान शक्तियों का आहरण नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से इस मामले पर विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा करना एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इस कार्य के हिस्से के रूप में सरकार, आवश्यक वस्तुओं की सूची में से कुछ मदों को हटाने पर विचार कर रही है।

कनॉट प्लेस में पुलिस मुठभेड़

*531. **श्री ललित उरांव:**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र कनॉट प्लेस में हाल ही में दो निर्दोष व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दुखद घटना की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में फर्जी मुठभेड़ों की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख) तथाकथित गलत शिनाख्त किए जाने के कारण, 31 मार्च, 1997 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में गोलीबारी में दो व्यक्ति मारे गए थे।

(ग) से (ङ) इस मामले की जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। इस बीच, गोलीबारी की घटना में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्त 15 पुलिस कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को सम्बोधित अपने दिनांक 29 मार्च, 1997 के पत्र में उनके ध्यान में यह बात लाई कि आयोग को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और सिफारिश की कि मुठभेड़ों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए सभी राज्यों द्वारा कतिपय दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये। आयोग ने सूचित किया है कि कुछ राज्य सरकारों ने, जिन्होंने इस विषय में उत्तर भेजा है, कहा है कि संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन इनकी मूल भावना के अनुसार करें।

जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पद्धार्थों का आयात

*532. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार:
श्री राम बहादुर सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सूत्रों से यह समाचार मिला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपशिष्ट पद्धार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद गत वर्ष आस्ट्रेलिया और अमरीका जैसे औद्योगिक देशों से भारत में सीसा युक्त विषैला अपशिष्ट पद्धार्थों के आयात की मात्रा दुगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे समाचारों की प्रामाणिकता की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में ''बेसल कन्वेंसन'' के अंतर्गत अपने राज्य एककों को अपशिष्ट पद्धार्थों का आयात करने वाले उद्यागों की निगरानी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथा विषैले अपशिष्ट पद्धार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बेसल समझौते का पालन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) दिनांक 7 अप्रैल, 1997 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'', नई दिल्ली में विषाक्त अपशिष्ट पद्धार्थों के आयात संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ था और इस विषय पर यचिकाकर्त्ता निदेशक रिसर्च फाउन्डेशन फार साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकालाजी, नई दिल्ली द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका संख्या 657/95 के रूप में एक हलफनामा भी दायर किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक (डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अधिसूचना संख्या 4/92-97 दिनांक 11-7-96 के अनुसार इंस्टिच्यूट आफ स्क्रैप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज इनकार्पोरेटेड वाशिंगटन (आई॰ एस॰ आर॰ आई॰) द्वारा आयात-निर्यात कोड संख्या 780 20000.10 के अधीन अभिनिर्धारित सीसा रद्दी कोड रैक्स, रेडियो, रिलेज़, रोप्स और रोजेज तथा आई॰ एस॰ आर॰ आई॰ द्वारा आयात-निर्यात कोड सं॰ 8548100.10 के अधीन अभिनिर्धारित बैटरी स्क्रैप को पूर्णतः आयात योग्य बना दिया गया है। डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ ने 1.4.96 से 31.3.97 की अवधि के दौरान सीसा अपशिष्ट/बैटरी स्क्रैप के लिए कोई आयात लाइसेंस भी जारी नहीं किया है। दिनांक 1.4.97 से सीसा अपशिष्ट/बैटरी स्क्रैप के आयात को पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन जोखिमपूर्ण अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) के नियेम 11 के अधीन जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के आयात को विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अनुसार निर्यातकों को पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है और आयातक को आयात अनुमति के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास आवेदन करना होता है। डी॰ जी॰ एफ॰ टी॰ द्वारा आयात का लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

दिनांक 10.4.1996 को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने रिट याचिका संख्या 67/96 मैसर्स हर्षवर्धन स्टील बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में यह आदेश दिया कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में किसी विषक्त अपशिष्ट का आयात न किया जाए। उच्च न्यायालय ने जनहित बाद रिट याचिका संख्या 1331/97 के मामले में दिनांक 2.4.97 को जस्ता और सीसा स्किमिंग/राख के सभी प्रकार के आयात को भी स्थगित कर दिया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 10.4.96 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात किसी तरह की अनुमति प्रदान नहीं की है और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के संबंध में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी लिखा है।

(घ) से (च) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपशिष्टों का आयात करने वाले उद्योगों की निगरानी करने के संबंध में राज्य एककों को कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जोखिमपूर्ण अपशिष्टों (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 को कार्यान्वित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवश्यक कार्यवाई करने हेतु निदेश दिया है। दिनांक 22.4.1997 को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आयातित जोखिमपूर्ण अपशिष्टों का पुनः संसाधन/पुनः चक्रण करने वाले एककों की निगरानी करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है।

भारत ने 15 मार्च, 1990 को बेसल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 24 जून, 1992 को उसका अनुसमर्थन किया। बेसल कन्वेंशन के तकनीकी कार्यदल ने अपने बारहवें सत्र में बेसल कन्वेंशन के ढांचे के अन्तर्गत अपशिष्टों के जोखिमपूर्ण लक्षण और वर्गीकरण संबंधी प्रारूप स्थिति पत्र को अंतिम रूप दिया। यदि अक्तूबर, 1997 में होने वाले बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों के चौथे सम्मेलन में स्थिति पत्र में दर्शाई गई जोखिमपूर्ण अपशिष्ट की ''सूची क'' स्वीकार कर ली जाती है, तो 31 दिसंबर, 1997 से सीमापार आवा-जाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

दिनांक 5.5.1997 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 657/95 में बेसल कन्वेंशन में शामिल सभी जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का उत्पादन

***533. श्री राधा मोहन सिंहः**
श्री देवी बक्स सिंहः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ वर्षों से फलों और सब्जियों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1991-92 की तुलना में राज्यवार और वर्षवार फलों और सब्जियों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान फलों और सब्जियों का कुल कितना निर्यात हुआ;

(घ) क्या फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अभी भी प्रति व्यक्ति आवश्यकता से कम हैं;

(ङ) यदि हां, तो देश में फलों और सब्जियों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है; और

(च) फलों और सब्जियों की मांग और आपूर्ति में अन्तर को खत्म करने के लिए इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन के संबंध में वर्ष 1994-95 तक के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1994-95 में फलों और सब्जियों का उत्पादन क्रमशः 38.83 मिलियन मी॰ टन और 67.24 मिलियन मी॰ टन हुआ। राज्यवार और वर्षवार उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण-I हैं।

(ग) फलों और सब्जियों के वर्षवार निर्यात का ब्यौरा विवरण-II में है।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) फलों और सब्जियों की वार्षिक आवश्यकता क्रमशः लगभग 54 मिलियन मी॰ टन और 118 मिलियन मी॰ टन की है। इसके मुकाबले वर्ष 1994-95 में क्रमशः 38.83 मिलियन मी॰ टन फल और 67.24 मिलियन मी॰ टन सब्जियाँ उपलब्ध थीं।

(च) फलों और सब्जियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि फलों और सब्जियों का निर्यात कुल उत्पादन का 1 प्रतिशत से भी कम है।

विवरण-I

फलों और सब्जियों का उत्पादन

(उत्पादन मी॰ टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	फल				सब्जियाँ			
		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	4008230	4766421	5022836	5161528	1452503	1360068	1420029	2341204
2.	अरूणाचल प्रदेश	47308	49257	50266	50266	79947	79947	80117	80117
3.	असम	006301	1103020	1166423	1296173	2132273	1754355	1931874	1970007
4.	बिहार	2799250	3350983	3583017	3378162	8643000	16200449	13610198	11726318
5.	दिल्ली	690	4218	9581	1584	627816	735164	463897	551232
6.	गोवा	84200	80260	88260	121450	–	–	–	65000
7.	गुजरात	1828880	1915000	2243756	2447664	1667900	1556500	1869900	1729000
8.	हरियाणा	11000	121390	123300	133500	877000	1029530	1155000	1275000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	339903	324855	325477	325477	476000	476000	537000	544000
10.	जम्मू व कश्मीर	700802	706986	867528	820776	745000	745000	353706	353706
11.	कर्नाटक	3191835	3430046	4176935	4592190	3673235	4662172	4343088	5626085
12.	केरल	1101296	1931000	1782949	1009796	3229069	2902922	2789555	2789555
13.	मध्य प्रदेश	1245000	1282264	1315210	1118000	2221000	2046052	2551300	2241000
14.	महाराष्ट्र	3518409	4313870	5112549	5099340	4171340	3570887	2737625	2809022
15.	मणिपुर	42990	100000	110000	110075	50200	36470	33000	35000
16.	मेघालय	218068	232000	236508	202136	219224	237750	238071	199045
17.	मिजोरम	34821	43668	43660	50636	317531	70099	45102	76640
18.	नागालैंड	9233	9233	55960	72936	66860	66060	107643	87104
19.	उड़ीसा	978000	1036000	1150900	1272100	7275000	7745000	7983536	7896400
20.	पंजाब	663098	693377	727901	736802	1450008	1455300	1721379	1721379
21.	राजस्थान	113602	94607	95005	230134	307033	302478	363164	203357
22.	सिक्किम	18778	19034	21557	11500	46119	51792	46711	20792
23.	तमिलनाडु	2316100	2369033	3620646	4822045	3796097	959073	4387043	4397932
24.	त्रिपुरा	319060	325550	325550	325550	306850	320850	320850	320850
25.	उ०प्र० का प० भाग	428700	461793	469511	501807	617600	687000	717050	774400
	उ०प्र० का मैदानी भाग	2449787	2892270	3010529	2870534	9627326	8911199	10359928	11911660
26.	पश्चिम बंगाल	1131600	1149220	1450123	1219400	4680000	5776880	4050500	5340000
27.	अंडमान निकोबार	12908	16333	16015	21635	13200	14572	18872	16380
28.	चण्डीगढ़	1857	793	793	–	11070	5509	8720	–
29.	दादरा एवं नागर हवेली	7100	7100	7100	7100	13560	13560	13565	13565
30.	दमन और दीव	3140	3160	3375	4191	330	290	069	1029
31.	लक्षयद्वीप	501	384	478	575	348	125	127	132
32.	पांडिचेरी	19660	18151	18151	19550	–22337	23379	23379	37075
		28631919	32955276	37260745	30834692	50532030	63086052	65074590	67243602

– उपलब्ध नहीं

विवरण-II

फलों और सब्जियों के निर्यात की प्रवृत्तियाँ

(मात्रा 1000 मी॰ टन में)
(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	फसल	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	फल	80.49	118.66	85.11	201.06	84.83	205.99	94.72	184.54	109.70	229.96
2.	सब्जियाँ	412.71	175.31	427.88	146.00	390.50	179.44	452.83	248.74	434.40	301.19
3.	संसाधित फल और सब्जियाँ	79.95	157.78	95.47	205.92	120.52	268.50	144.32	398.22	193.51	491.59

[अनुवाद]

पर्यावरण वाहिनी योजना

***534. श्री डी॰ पी॰ यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों में युवाओं और ग्रामीण जनता की भागीदारी के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पर्यावरण वाहिनी योजना चलाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन में कितने प्रतिशत सफलता मिली है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) पर्यावरण वाहिनी योजना उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में 1992-93 को शुरू की गई थी। स्कीम के उद्देश्य लोगों की सक्रिय सहभागिता से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना और नवीनीकरण, वन्यजीव तथा पर्यावरणीय मामलों के बारे में पुनर्निवेशन को बढ़ावा देना है। शुरू में कुछ समस्याएं थीं लेकिन कुल मिलाकर यह स्कीम संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। उपलब्धियों का परिकलन प्रतिशत में करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान

***535. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संस्थान का वार्षिक बजट कितना है;

(ग) इसके लिए किन-किन स्रोतों से धनराशि जुटाई जाती है और वार्षिक तौर पर आंतरिक संसाधनों से कितनी धनराशि जुटाई गई; और

(घ) इस संस्थान की भावी योजनायें क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी॰ एम॰ आर॰ आई॰) द्वारा किए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी निवेश ने गत तीन वर्षों में 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अतिरिक्त कोयले की प्रतिप्राप्ति तथा चुनी गई खुले गर्त वाली तथा भूमिगत खदानों की उत्पादकता में 50 लाख रु॰ प्रति खदान सुधार लाने के लिए भारतीय कोयला उद्योग को सहायता प्रदान की है। केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की कुछेक ध्यान देने योग्य उपलब्धियां निम्नवत् हैं :

1. प्रभावशील नई खनन जियोमैट्री;
2. वाइड स्टॉल खनन तकनीक;
3. थिक सीम खनन सहित थिक अंडर पिनिंग;
4. थिक सीम खनन के लिए केबल बोल्टिंग;
5. भू तलाकृति के नीचे के कोयले के निष्कर्षण का ईष्टतमीकरण;
6. कोयले की खदानों में अपशिष्ट के ढेरों का उपयोगीकरण;
7. न्यूमैरिकल मॉडलिंग द्वारा भूमिगत अवरोधक का डिजाइन; तथा
8. भण्डारण हेतु भूमिगत स्थान का उपयोग।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए संस्थान का वार्षिक बजट 793.9 लाख रुपये था।

(ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के लिए संस्थान द्वारा स्रोतों से जुटाई गई निधि क्रमशः 553 लाख रुपये, 431 लाख रुपये तथा 543 लाख रुपये थी जोकि मुख्य रूप से प्रायोजक, परामर्शी, अनुदान प्रदान परियोजनाओं, उद्योग हेतु सेवा, रॉयल्टी तथा वैज्ञानिक

एवं तकनीकी सेवाओं के द्वारा जुटाई गई। यह निधि सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई।

(घ) संस्थान द्वारा किए जाने वाले कुछेक कार्यक्रम निम्नवत् हैं:

1. आसन्न सीम परिस्थितियों, 6 मी॰ से अधिक मोटी सीम तथा अर्थ-प्रपाती तथा अत्यधिक डूबी हुई सीमों के लिए उन्नत खनन प्रौद्योगिकी;

2. बनावटी भूमिगत परिस्थितियों में खदानों में आग लगने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन को सुगम बनाने के लिए खदान अग्नि मॉडल।

3. हिमालच प्रदेश में लाइमस्टोन का पर्यावरणीय सहचर्य भूमिगत खनन।

4. उड़न राख के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए भूमिगत तथा खुले गर्त वाली खदानों में उड़न राख का निपटान।

5. कोयले की खदानों, सुरंगों तथा भूमिगत गुफाओं में शैल उत्खनन के यांत्रिक व्यवहार की न्यूमैरिकल मॉडलिंग।

6. बड़े शहरों में नागरिक उपयोगार्थ हेतु भूमिगत स्पेस प्रौद्योगिकी।

[अनुवाद]

बाघों के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार

*536. **श्री भगवान शंकर रावत:**
श्री छतर सिंह दरबार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ तथा अन्य वन्य जीवों के शरीर के अंगों के चोरी-छिपे व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के बावजूद देश में यह व्यापार लगातार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त व्यापार को रोकने के लिए अब तक किये गए उपायों के दौरान सरकार द्वारा पता लगाई गई खामियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों की उसी अवधि की तुलना में 1996 के प्रारंभ से प्रत्येक राज्य में इन वस्तुओं का अनुमानित व्यापार कितना हुआ है;

(घ) ऐसे क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां ऐसा अवैध व्यापार जारी रहने का पता लगाया गया है; और

(ङ) इस अवैध व्यापार को रोकने के उपायों को और कारगर बनाने के लिए सरकार का क्या तरीका अपनाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) यह एक तथ्य है कि सरकार द्वारा विभिन्न उपाय करने के बावजूद बाघ और अन्य वन्य जीव-जन्तुओं के शरीर के अंगों का गुप्त व्यापार पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

1. विदेशी राष्ट्रों में परंपरागत चीनी औषधि की बढ़ती मांग;

2. असुरक्षित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा; और

3. संरक्षित क्षेत्रों के बाहर छिट-पुट आवासों में बाघों और अन्य जीव-जन्तुओं की उपलब्धता।

(ग) अवैध व्यापार का अनुमान लगाना मुश्किल है। तथापि, 1993 से 1996 के दौरान विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा जब्त की गई बाघ की खालों की संख्या और अन्य वन्य जीव-जन्तुओं से संबंधित जानकारी में लाए गए आपराधिक मामलों को संलग्न विवरण-I, II, और III में दिया गया है।

(घ) मध्य प्रदेश में मंडला, जबलपुर और सिवनी; पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता; उत्तर प्रदेश में आगरा और समीपवर्ती क्षेत्रों; तमिलनाडु में चेन्नई; महाराष्ट्र में मुम्बई और दिल्ली में अधिकतम संख्या में जानवरों की खालें इत्यादि जब्त की गई।

(ङ) बाघ और अन्य वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-IV में दिए गए है

विवरण-I

अवैध शिकार के मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	18	40	50
2.	+असम	69	76	34	48
3.	बिहार	-	48	03	उपलब्ध नहीं
4.	गोवा	03	01	09	01
5.	हरियाणा	-	842	533	287
6.	हिमाचल प्रदेश	-	04	06	04
7.	+केरल	-	164	207	35
8.	महाराष्ट्र	20	108	99	102
9.	मणिपुर	02	01	01	08
10.	मेघालय	-	02	05	08
11.	मिजोरम	01	07	15	26

1	2	3	4	5	6
12.	नागालैंड	–	–	–	01
13.	उड़ीसा	51	96	103	उपलब्ध नहीं
14.	पंजाब	08	369	368	247
15.	तमिलनाडु	–	23	30	21
16.	राजस्थान	52	75	82	107
17.	सिक्किम	02	शून्य	शून्य	शून्य
18.	त्रिपुरा	–	01	शून्य	01
19.	+उत्तर प्रदेश	32	788	583	255
20.	पश्चिम बंगाल	39	07	05	06
21.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	01	–	01
22.	कर्नाटक	–	42	38	35
23.	मध्य प्रदेश	35	257	280	297
24.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	दादर और नगर हवेली	–	शून्य	शून्य	शून्य
26.	दमन और दीव	–	शून्य	शून्य	शून्य
27.	+दिल्ली	–	20	33	61
28.	पांडिचेरी	–	शून्य	शून्य	शून्य
29.	गुजरात	15	28	6	शून्य
	कुल	329	2378	2480	1604

+ कैलेण्डर वर्ष के अनुसार।

विवरण-II

क्र. सं.	जब्त की गई मद	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1.	बाघ की खाल/जड़े हुए सिर की वस्तु सहित	23	05
2.	बाघ के नाखून	–	290 सं.
3.	बाघ की हड्डी	–	10 कि. ग्रा.
4.	तेंदुआ की खाल/खोपड़ी	29	07
5.	तेंदुआ की हड्डी	–	04 कि. ग्रा.
6.	ब्लैक बक खाल	–	21
7.	ब्लैक बक हार्न	–	02 जोड़ी
8.	छिपकली की खाल (भरी हुई) वस्तु	896	01
9.	मगरमच्छ की खाल (भरी हुई) वस्तु	010	04
10.	घड़ियाल की खाल	–	01
11.	गिलहरी की खाल	–	02
12.	हाइड ऑफ इल्क डियर	–	01
13.	जेबरा की खाल (निर्मित)	–	01
14.	फर की खाल का सामान	03	2016 कि.ग्रा.
15.	वन्य जीव-जंतुओं की खाल	–	252 कि.ग्रा.
16.	हाथी दांत की सूंड/सामान	08	898 नग, 13.4 कि.ग्रा.
17.	वन्य जीव-जन्तुओं के सींग	01	03 जोड़ी
18.	डियर एंटेलर/उससे बनी हुई वस्तुएं	–	26046 सं.
19.	गैंडे के सींग		01
20.	नेवले के बाल का सामान	2398 नग	17.15 कि.ग्रा.
21.	संरक्षित/मरी हुई तितलियां		197 कि.ग्रा.+70सं
22.	मोर की पूंछ के पंख/हस्तशिल्प		6581 सं. +21.140 कि.ग्रा.
23.	साही पंखपिच्छ (क्विल्स)		8100 सं. +250ग्रा.
24.	जंगली पक्षियों के पंख		7.395 कि.ग्रा.
25.	कछुए का कार्य		01 सं.
26.	तिब्बती एंटीलोप की ऊन से बनी शाल		172 सं.
27.	अन्य बाल/सामान	405	

1	2	3	4
28.	चीता बिल्ली खाल सिर/सामान	89	–
29.	फिशिंग कैट खाल/सामान	02	–
30.	चीतल खाल/सामान	14	–
31.	लिंक्स खाल सामान	01	–
32.	लोमड़ी की खाल/सामान	06	–
33.	जंगली बिल्ली की खाल/जुड़ी हुई/सामान	61	–
34.	रैड फाक्स खाल/सामान	23	–
35.	स्टोन मारटेन खाल सामान	02	–
36.	डेजर्ट कैट खाल/सामान	321	–
37.	स्नो लेपर्ड खाल/सामान	04	–
38.	सियार की खाल/सामान	17	–
39.	डेजर्ट फाक्स खाल	796	–
40.	खरगोश सर कालर	26	–
41.	साकिन की असंसाधित खाल	01	–
42.	मानीटर लिजार्ड स्किन	170	–
43.	सियार और लोमड़ी की फर चमड़ा धारी	443 सं.	–

विवरण-III

आपराधिक मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	188	154	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	001	007	शून्य
3.	असम	059	101	050	004
4.	बिहार	020	015	007	003
5.	गोवा	004	007	002	010
6.	गुजरात	069	054	039	शून्य
7.	हरियाणा	1027	847	712	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	007	007	001	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	उप॰ नहीं	उप॰ नहीं	उप॰ नहीं	उप॰ नहीं
10.	कर्नाटक	023	026	011	शून्य
11.	केरल	071	059	063	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	313	401	331	शून्य
13.	महाराष्ट्र	152	249	222	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	002	001	001
15.	मेघालय	शून्य	002	001	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	002	001	005
17.	नागालैंड	019	001	005	शून्य
18.	उड़ीसा	182	257	133	शून्य
19.	पंजाब	382	350	369	013
20.	राजस्थान	100	087	111	शून्य
21.	सिक्किम	उप॰ नहीं	002	उप॰ नहीं	उप॰ नहीं
22.	तमिलनाडु	020	050	049	002
23.	त्रिपुरा	001	003	001	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	765	798	788	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	085	093	166	शून्य
26.	अ॰ और नि॰ द्वीपस॰	140	090	150	शून्य
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दमन और दीयु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	025	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3584	3719	3392	039

विवरण-IV

1. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन्यजीव-जन्तुओं के अवैध शिकार और व्यापार के निवारण से संबंधित सुब्रमण्यम समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश का कार्यान्वयन।

2. प्रभावी सतर्कता सूचना एकत्र करने और कानून लागू करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों का प्रशिक्षण और कार्यशालाएं।

3. सीमा-शुल्क, राजस्व, सतर्कता, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, तटरक्षक, राज्य पुलिस, उपनिदेशक, वन्य जीव संरक्षण जैसे प्रवर्तन अभिकरणों और वैज्ञानिक संगठनों जैसे भारतीय प्राणि-विज्ञान और वनस्पति सर्वेक्षण के साथ वन्य जीव-जन्तुओं के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित करना।

4. सीमा पार के व्यापार को रोकने के लिए चीन जनवादी गणराज्य के साथ प्रोटोकाल और महामहिम की नेपाल सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

5. बाघ संरक्षण से संबंधित अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों को पूरा करने के लिए फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज अर्थात् ग्लोबल टाइगर फोरम के सृजन को शुरू करना।

6. सरकार के वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना ताकि इसमें गैर-सरकारी संगठनों और अन्यों को शामिल किया जा सके।

7. बाघ व्यापार मार्गों का पता लगाने के लिए संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों का सहायता कार्यक्रम और बाघ के शरीर के अंगों और उत्पादों के लिए न्यायिक अधिनिर्धारण संदर्भ मैन्युल का विकास।

8. वन्य जीव-जन्तुओं के संरक्षण के मुद्दे के प्रति सीमांत प्रदेशों के निवासियों की मदद प्राप्त करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

भट्टों की स्थापना हेतु मंजूरी

*537. **श्री प्रताप सिंह सैनी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कृषि योग्य भूमि पर ईंटों के भट्टे लगाये जाने से प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कृषि योग्य भूमि पर ईंटों के भट्टों के लगाये जाने के कारण कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में कितनी कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो कृषि योग्य भूमि पर ईंट के भट्टे लगाने हेतु अनुमति किस प्राधिकारी द्वारा दी जाती है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इन भट्टों को कृषि के अयोग्य भूमि पर अन्तरित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां। ईंट-भट्टों के उत्सर्जन से आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्याएं हो सकती हैं। ईंट-भट्टों के आस-पास के खेतों में उगी गेंहू और चावल की फसल से उत्पादन के बुरी तरह प्रभावित होने की सूचना है।

(ख) देश में खेती की जाने वाली भूमि पर ईंट-भट्टे लगाने के कारण कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन को होने वाले नुकसान के बारे में कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य संबंधित विभाग ईंट-भट्टे लगाने की अनुमति देते हैं।

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1996 के तहत् 2 अप्रैल, 1996 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें ईंट-भट्टों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कणिकीय पद्धार्थों के उत्सर्जन की सीमाएं तथा चिमनी की ऊंचाई के विनियम निर्धारित किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मई, 1996 में एक व्यापक उद्योग दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसमें ईंट-भट्टों के स्थल-चयन तथा ईंट-भट्टों के लिए प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अपनाने के दिशा-निर्देशों का सुझाव दिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

*538. **श्री राम नाईक**:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 से गेहूं, चावल, चीनी, ब्रेड, दूध, खाद्य तेल तथा विभिन्न मसालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा 1996 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) अप्रैल, 1994 से 1997 तक उक्त वस्तुओं की कीमतें क्या रही है; और

(घ) इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) :(क) और (ख) एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है जिसमें अप्रैल 1994, 1995, 1996 और 1997 में गेहूं, चावल, चीनी, डबल रोटी, दूध, खाद्य तेल तथा मसाले जैसी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में आया उतार चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाया गया है। गत वर्षों के दौरान इनमें से कुछ

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से कम उत्पादन होने, मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर में वृद्धि होने, उत्पादन की निवेश लागत में वृद्धि होने आदि के कारण हुई है।

(ग) एक ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है जिसमें अप्रैल, 1994, 1995, 1996 तथा 1997 में दिल्ली में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों तथा मसालों के थोक मूल्य तथा डबलरोटी और दूध के खुदरा मूल्य दर्शाए गए हैं।

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालीन उपायों के अलावा, खाद्य तेल तथा दाल जैसी जिन वस्तुओं की आपूर्ति कम है उनके आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि इन वस्तुओं की कुल उपलब्धता में वृद्धि हो सके। सरकार ने राज्य व्यापार निगम के जरिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान 20.20 लाख मी॰ टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है ताकि उसकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। कुछ वस्तुएं बाजार मूल्यों से कम पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सहकारी भंडारों के जरिए भी सप्लाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से जमाखोरों तथा कालाबाजारियों तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम आदि के तहत कठोर कार्यवाई करने के लिए कहा गया है।

विवरण-I

अप्रैल, 1994 से अप्रैल, 1997 के दौरान चुनिंदा वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आया वार्षिक उतार-चढ़ाव

वस्तु	अप्रैल 97 अप्रैल 95	अप्रैल 96 अप्रैल 95	अप्रैल 95 अप्रैल 94
चावल	10.6	7.1	10.0
गेहूं	30.3	1.5	1.3
चीनी	15.5	2.1	-3.8
डबल रोटी	23.4	20.3	1.6
दूध	5.4	0.8	5.2
खाद्य तेल	0.6	-2.0	15.6
मसाले तथा जाकेदार मसाले	5.6	18.4	1.2

विवरण-II

दिल्ली में महीने के अंत में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

वस्तु	अप्रैल 94	अप्रैल 95	अप्रैल 96	अप्रैल 97
चावल	625	660	750	825
गेहूं	365	390	420	520
चीनी	1370	1320	1275	1370
मूंगफली का तेल	3633	4133	4000	3900
सरसों का तेल	2733	3033	3066	3100
वनस्पति	3773	3677	3433	3853
मिर्च (सूखी)	2200	3900	4600	4300
हल्दी	2000	1975	1700	2550
दूध (प्रति लि॰)+	11.00	12.00	13.00	13.00
डबलरोटी (800 ग्रा॰)	6.50	7.50	8.00	10.50

+ खुदरा मूल्य

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठन

***539. डा॰ जी॰ आर॰ सरोदे:**
श्री भक्त चरण दास:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा देश में गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इन संगठनों द्वारा इस धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों द्वारा धन के दुरूपयोग के मामलों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) इस मंत्रालय द्वारा 1996-97 के दौरान देश में गैर सरकारी संगठनों को राज्यवार दिए गए अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर हैं।

(ख) संबंधित योजनाओं के निधारित मानदंडों तथा दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनुदान दिए जाते हैं। स्वीकृति दिए जाने से पूर्व राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट पर भी विचार किया जाता है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा नियमित तौर पर मानीटर किया जाता है।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। जब कभी धनराशि के दुरूपयोग का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में आता है तो तत्काल सहायता अनुदान रोक दिया जाता है तथा संबंधित राज्य सरकार से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा जाता है। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों जिनकी सहायता अनुदान रोक दी गई है उनकी सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	924.95
2.	असम	53.25
3.	अरूणाचल प्रदेश	91.43
4.	बिहार	238.20
5.	चंडीगढ़	8.19
6.	दिल्ली	469.09
7.	गोवा	22.62
8.	हरियाणा	173.80
9.	गुजरात	109.71
10.	हिमाचल प्रदेश	15.63
11.	जम्मू और कश्मीर	108.34
12.	कर्नाटक	472.51
13.	केरल	286.11
14.	मध्य प्रदेश	115.63
15.	पांडिचेरी	5.31
16.	मणिपुर	167.31
17.	मेघालय	53.47
18.	मिजोरम	35.47
19.	उड़ीसा	290.88
20.	राजस्थान	173.72
21.	सिक्किम	1.20
22.	तमिलनाडु	386.12
23.	त्रिपुरा	21.09
24.	पंजाब	150.54
25.	उत्तर प्रदेश	715.58
26.	पश्चिम बंगाल	568.73
27.	नागालैंड	5.57
28.	दादर और नगर हवेली	3.24

विवरण-II

क्र. सं.	संगठन का नाम
1	2
	अनुसूचित जाति कल्याण
1.	पीपल्स ऑरगानाईजेशन फार वेलफेयर एजूकेशन एंड रूरल डिब्लपमेंट, उड़ीसा
2.	उर्मिला समाज कल्याण, हरदोई, उत्तर प्रदेश
3.	इन्टरनेशनल बृद्धा एजूकेशन इन्स्टीच्यूट, हापुड़, उत्तर प्रदेश
4.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद
5.	भागरा डाइमंड क्लब, पश्चिम बंगाल
6.	शिशु मंजिल, कलकत्ता
7.	मानव कल्याण केन्द्र, संलोगोरा सोलन, हिमाचल प्रदेश
8.	हरि संघ शिक्षा संस्थान, रिवाड़ी, हरियाणा
9.	कमला महिला एवम् बाल कल्याण समिति, हरियाणा
10.	ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया, उत्तर प्रदेश

1	2

11. संस्कृत भाषा विकास परिषद्, देवरिया, उत्तर प्रदेश

12. जन कल्याण शिक्षा समिति, पदरोना, उत्तर प्रदेश

13. समाज कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया, उत्तर प्रदेश

14. नारी उत्थान समिति, दिल्ली

15. विद्या निकेतर एजूकेशन एसो॰ कोलार, कर्नाटक

16. शोषण उन्मूलन परिषद्, दिल्ली

17. चिराला तालुक हरिजन संगम, आन्ध्र प्रदेश

18. सुषमा शिक्षा समिति, दिल्ली

19. आल आदर्श विद्यालय समिति, राजस्थान

20. भानो एजूकेशनल सोसायटी, कर्नाटक

21. बाबा साहिब अम्बेडकर विद्यालय बर्द्धक संघ, कर्नाटक

नशीली दवा निवारण तथा समाज रक्षा सेवाएं

22. पंडित बचन पाण्डे महिला विकास संस्थान, गोपालगंज, बिहार

23. इंडियन फिजीकली सोशिल सर्विस सोसायटी, तिरूअंतपुरम

24. कोल्लाम नताका वेदी, कोल्लाम, केरल

25. संजीवनी, भुवनेश्वर

26. एप्लाइड इन्टर-डिसीपीलेन्टरी विकास रिसर्च इन्स्टीच्यूट, मद्रास

27. कालाइसलवी करूणालय सोशिल वेलफेयर सोसायटी, मद्रास

28. काजामलाई लेडीज एसो॰ काजामलाई त्रिची, तमिलनाडु

29. सर्वोदय ग्राम एवम् महिला विकास संस्थान, रामपुर, उत्तर प्रदेश

30. इल्दिया समाज कल्याण परिषद्, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल

31. इंडियन कांउसिल आफ एजूकेशन, दिल्ली

32. आल त्रिपुरा एस॰ सी॰ एंड एस॰ टी॰ एवं माइनारिटी अपलिफ्टमेंट कांउसिल, अगरतला

33. प्रमोधवन आनन्द धाम, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश

34. जन कल्याण शिक्षा समिति, जिला मदरोना, उत्तर प्रदेश

35. समाज कल्याण शिक्षण संस्थान, जिला पदरोना, उत्तर प्रदेश

एशियाई विकास बैंक द्वारा वर्कशाप

*540. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में एशियाई विकास बैंक द्वारा किसी विचार-विमर्श और कार्यशाला का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाई गई समस्याओं का स्वरूप क्या है और उसका कितना गहन प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस विचार-विमर्श के दौरान दिये गये सुझावों/की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) पर्यावरणीय निर्धारण और मूल्यांकन पर एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 1988 में लखनऊ में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। खनन, उद्योग, पावर और जल स्रोतों के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के केस अध्ययन भी प्रस्तुत किए गए थे।

खनन परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए अभिनिर्धारित मुद्दों में पुनर्वास, भूमि उद्धार और जल, ध्वनि और वायु प्रदुषण शामिल है।

(ग) की गई सिफारिशों में प्रारंभ में ही परियोजना चक्र में पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल करना और पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण और संस्थागत विकास पर बल दिया गया है।

(घ) खनन परियोजनाओं के लिए वर्तमान मार्गनिर्देशों में ऐसे विचारों को शामिल किया जाए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 27.1.94 को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी की गई थी जिसे 4.5.94 और 10.4.97 को संशोधित किया गया था जिसमें पर्यावरणीय निकासी और स्थल के साथ ही साथ उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में सारणीबद्ध अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के अलावा 5 हैक्टर से अधिक पट्टे वाले परियोजना प्रस्तावों (मुख्य खनिज) के लिए जनसुनवाई को आवश्यक किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में नया जिला बनाना

5780. **श्री आर॰ बी॰ राई॰** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने साठ के दशक में एक विनिर्णय दिया था कि कूच बिहार (पश्चिम बंगाल में एक जिला जो कभी प्रभुत्व संपन्न राज्य था) को संवैधानिक रूप से भारत में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस त्रुटि को ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

5781. **श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी:**
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने नवम्बर, 1996 में तूफान से बुरी तरह प्रभावित पूर्वी गोदावरी जिले में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राशि के समुचित उपयोग के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसमें से कुल कितनी राशि सड़कों के विकास पर व्यय किए जाने की संभावना है;

(च) क्या नाबार्ड ने भी सड़कों की मरम्मत के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को ऋण उपलब्ध कराया है; और

(छ) यदि हां, तो यह राशि सड़कों की मरम्मत के लिए किन स्थानों पर व्यय किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक, आंध्र प्रदेश आपद न्यूनीकरण (मिटिगेशन) और आपातकाल चक्रवात पुनर्लाभ परियोजना के साथ 150 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए हाल ही में समझौता किया है। परियोजना में अक्तूबर और नवम्बर, 1996 में आए चक्रवात से प्रभावित पूर्वी गोदावरी जिले सहित सार्वजनिक अवसंरचना के पुनरूद्धार की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश में दीर्घकालीन प्राकृतिक आपद प्रबन्धन कार्यक्रम तैयार करके तथा क्रियान्वित करके और चक्रवात हेतु तत्काल चेतावनी की क्षमताओं तथा हवा के वेग की भविष्यवाणी में तीव्रता लाकर, अक्तूबर और नवम्बर, 1996 के दौरान आए चक्रवात से प्रभावित सार्वजनिक अवसंरचना के पुररूद्धार के लिए परियोजना के तहत सहायता का उपयोग किया जाएगा।

(ङ) परियोजना के अंतर्गत राज्य और ग्रामीण सड़कों के लिए 209.00 करोड़ रुपये के आबंटन की व्यवस्था की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पक्षी संरक्षण परियोजना

5782. **श्री विजय गोयल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पक्षी संरक्षण के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्य और कार्य क्या हैं और इसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है और यह कब से शुरू हुई है और इसे कौन सी एजेंसी कार्यान्वित कर रही है;

(ग) जिन उद्देश्यों के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी उनकी प्राप्ति में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या हाल ही में इसके कार्यकरण की समीक्षा शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास पक्षियों के संरक्षण के लिए कोई अलग परियोजना नहीं हैं। तथापि, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 और अनुसूची-4 के तहत सूचीबद्ध पक्षियों का शिकार करने से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पक्षियों के प्राकृतिक वासस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पक्षियों से समृद्ध कई क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में शामिल किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्यान्न भंडार

5783. **प्रो॰ रासा सिंह रावत** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम इस समय कहां-कहां स्थित हैं और उनमें पृथक रूप से कितना खाद्यान्न का भंडारण किया गया है;

(ख) इन गोदामों में खाद्यान्न लादने और उतारने में अधिक समय लगने के क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितना खाद्यान्न बेकार हुआ;

(घ) इस वर्ष इन गोदामों में कम मात्रा में खाद्यान्नों के आने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन गोदामों के अनुरक्षण और विकास पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि व्यय की गई ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है जिसमें राजस्थान में गोदामों के स्थान और उनमें भण्डारित खाद्यान्नों की मात्रा के ब्यौरे दिए गए हैं।

(ख) सामान्यतया, खाद्यान्नों के लदान/उतरान में कोई विलम्ब नहीं होता है क्योंकि रेलवे द्वारा निगम को उपलब्ध कराए गए अनुमत समय के अन्दर स्टाक का लदान/उतरान कार्य पूरा किया जाता है। तथापि, कुछेक मामलों में, हैडलिंग और परिवहन ठेकेदारों द्वारा कम श्रमिक देने, विभागीय श्रमिकों द्वारा आन्दोलन और धीरे काम करने जैसे खाद्य निगम के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से डेमरेज/घाट शुल्क अदा करना पड़ा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में हुई भण्डारण हानियों के ब्यौरे बताने वाला ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को किए गए खाद्यान्नों के संचलन के आंकड़े निम्नानुसार हैः

वर्ष	अन्तर-राज्य खाता			अन्तः राज्य खाता			सकल जोड़		
	गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड
1994-95	5.91	3.62	9.53	3.41	0.22	3.63	9.32	3.84	13.16
1995-96	0.80	0.42	1.22	3.55	0.04	3.59	4.35	0.46	4.81
1996-97	5.57	-	5.57	6.54	0.04	6.58	12.11	0.04	12.15

यह देखा गया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्थान में खाद्यान्नों का कम आमन नहीं हुआ था। तथापि, 1994-95 के दौरान अन्तर राज्य खाते पर राजस्थान को खाद्यान्नों का अधिक संचलन किया गया था क्योंकि पंजाब और हरियाणा में स्टाक जमा हो गया था और स्टाक को निकालने की दृष्टि से स्टाक को पश्चिमी और दक्षिणी जोनों को भेजना पड़ा था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोदामों के रख-रखाव और विकास पर खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	गोदामों के रख-रखाव पर हुआ खर्च	गोदामों के विकास पर हुआ खर्च
1993-94	28.67	17.83
1994-95	34.49	23.07
1995-96	35.35	81.67

विवरण-I

30.4.1997 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के स्थान और उनमें रखे खाद्यान्नों के स्टाक की मात्रा

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	स्टाक स्थिति			
		गेहूं	चावल	चीनी	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	खाद्य भंडारण डिपो अजमेर	276	3637	-	3913
2.	खाद्य भंडारण डिपो किशनगढ़	02	4038	-	4040
3.	एच॰ जी॰ ब्यावर	540	1729	-	2269
4.	खाद्य भंडारण डिपो पाली	-	-	-	-
5.	खाद्य भ॰ डि॰ मारवाड ज॰	-	622	-	622
6.	खाद्य भ॰ डि॰ भीलवाड़ा	1748	1068	-	2816
7.	खाद्य भंडारण डिपो नागौर	535	2525	-	3063
8.	केन्द्रीय भ॰ निगम नागौर	-	2684	-	2684
9.	कैंप मेड़ता रोड	-	-	-	-
10.	ए॰आर॰डी॰सी॰ परबतसर	-	30011	-	30011
11.	कैप लाडनू	-	-	-	-
12.	खाद्य भ॰ डिपो अलवर	4691	1307	-	5998
13.	खाद्य भंडारण डिपो खोरली	604	-	-	604
14.	खाद्य भ॰ डि॰ भरतपुर	1652	1032	-	2684
15.	खाद्य भ॰ डिपो धौलपुर	31	8277	-	8308
16.	ए॰आर॰डी॰सी॰ धौलपुर	-	19793	1041	20834

1	2	3	4	5	6
17.	खाद्य भ॰ डिपो बीकानेर	517	8640	–	9157
18.	केंद्रीय भ॰ निगम बीकानेर	19	102	–	121
19.	एच॰जी॰ कैंप उदासर	–	–	–	–
20.	ए॰आर॰डी॰सी॰ देशनोक	–	1327	–	1327
21.	एच॰ जी॰ कैंप देशनोक	–	–	–	–
22.	ए॰आर॰डी॰सी॰ नोखा	–	3794	–	3794
23.	खाद्य भंडारण डिपो चुरू	659	–	–	659
24.	खाद्य भ॰ डिपो सुजानगढ़	1426	–	–	1426
25.	खाद्य भ॰ डिपो सादुलपुर	209	1000	–	1209
26.	खाद्य भंडारण डिपो झुंझनू	04	4877	–	4881
27.	ए॰आर॰डी॰सी॰ माखड़	353	–	–	353
28.	ए॰आर॰डी॰सी॰ बागड	850	–	–	850
29.	खाद्य भ॰ डिपो जोधपुर	077	2783	–	2860
30.	कैंप अजित भवान	3817	–	–	3817
31.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ फलौदी	636	–	–	638
32.	खाद्य भ॰ डिपो बाड़मेर	59	4239	–	4298
33.	एच॰जी॰ कैंप नालोतरा	1404	–	–	1404
34.	खाद्य भ॰ डिपो जालोर	111	83	–	194
35.	खाद्य भ॰ डिपो पोखरन	–	–	–	–
36.	आर.एस.डब्ल्यू.सी. जैसलमेर	567253	–	820	
37.	खाद्य भंडारण डि॰ शिवपुर	5854	22829	–	28686
38.	केन्द्रीय भ॰ निगम कोटा-I	2171	–	–	2171
39.	खाद्य भ॰ डि॰ भवानी मंडी	6618	16	–	6634
40.	खाद्य भ॰ डि॰ के॰ पाटन	03	10139	–	10142
41.	खाद्य भंडारण डिपो बूंदी	2399	4430	–	6829
42.	खाद्य भंडारण डिपो बारन	852	–	–	852
43.	बफर सवाई माधोपुर	3743	51247	–	54990
44.	खा॰भ॰डि॰ सवाई माधोपुर	4210	–	–	4210
45.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ गंगा नगर सिटी	–	1698	–	1698
46.	खाद्य भंडारण डिपो हनुमानगढ़ टाउन	32.11	25228	1014	2953
47.	ए॰आर॰डी॰सी॰ हनुमानगढ़ टाउन	2354	11656	5177	19187
48.	केन्द्रीय भंडारण निगम हनुमानगढ़ जंक्शन	4378	2133	–	6511
49.	के॰डी॰पी॰पी॰ हनुमानगढ़ टाऊन	2752	–	641	3393
50.	जे॰के॰ (कैंप) सांगरिया	1904	–	–	1904
51.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ सांगरिया	318	1485	–	1803
52.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ रावतसर	1163	–	–	1163
53.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰ सी॰ पीलीभीत	945	30	–	975
54.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ नोहर	418	–	–	418
55.	खाद्य भण्डारण डिपो श्रीविजय नगर	492	3699	–	4191
56.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ श्रीविजय नगर	–	1525	–	1525
57.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰-I	332	5262	–	5594
58.	श्री गंगानगर-II	496	1305	–	1801
59.	के॰ भ॰ नि॰ श्रीगंगानगर	–	1100	–	1100
60.	आर॰सी॰डब्ल्यू॰सी॰ सादुल शहर	551	–	–	551
61.	आर॰सी॰डब्ल्यू॰सी॰ श्रीधरण पुर	109	–	–	109
62.	आर॰सी॰डब्ल्यू॰सी॰ राय सिंह नगर	203	–	–	203
63.	आर॰एस॰डब्ल्यू॰सी॰ अनूपगढ़	1783	39	–	1822

1	2	3	4	5	6
64.	आर०एस०डब्ल्यू०सी० सूरतगढ	–	2020	–	2020
65.	खाद्य भ० डि० उदयपुर	58	2372	–	2430
66.	खाद्य भ० डि० बांसवाड़ा	–	58	–	58
67.	खाद्य भ० डि० चांदिरिया	1975	1649	–	3624
68.	एच०डी० डूंगरपुर	686	118	–	804
69.	खाद्य भ० डिपो सिरोही	–	06	–	06

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में हुई भंडारण हानियां (जिन्स-वार)

	1993-94	1994-95	1995-96
गेहूं			
जारी की गई मात्रा	11688376	955769	1352132
भंडारण हानियां	(-) 1914	(-) 2121	(-) 466
प्रतिशत	(-) 0.16	(-) 0.22	0.03
चावल			
जारी की गई मात्रा	46176	53316	50698
भंडारण हानियां	438	651	857
प्रतिशत	0.95	1.22	1.69
धान (चावल के रूप में)			
जारी की गई मात्रा	17636	14161	308
भंडारण हानियां	153	253	10
प्रतिशत	0.87	1.76	3.25

(-) संकेत केवल लाभ दर्शाते हैं।

ड्रग रैकिट

5784. श्री छीतुभाई गामीत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1997 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि केमिस्टों और चिकित्सकों की सांठगांठ से राधानी के अनेक भागों में ड्रग रैकिट फल-फूल रहा है और पुलिस इसे रोक पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हाँ। समाचार में कुछ पेटेंट दवाईयों जैसे टेडीजैसिक नौरफिन इत्यादि के दुरूपयोग को उजागर किया गया है, जिन्हें किसी रजिस्टर्ड मैडीकल प्रोक्टिशनर की देख-रेख में लेना होता है लेकिन आरोप है कि इन्हें डाक्टर के नुस्खे के बिना ही बाजार में खुले आम बेचा जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न भागों में एक सर्वेक्षण किया गया था तथा 63 केमिस्ट दुकानों पर नकली ग्राहकों द्वारा परख खरीद की गयी थी, जिनमें से तीन खुदरा विक्रेताओं ने किसी रजिस्टर्ड मेडीकल प्रोक्टिशनर के नुस्खे के बिना टेडीजैसिक/नोरफिन इन्जेक्शन सप्लाई किए। चूककर्ता खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ दवा और प्रसाधन नियम, 1945 के अन्तर्गत कार्यवाई शुरू की गयी है।

पर्यावरणीय संकट

5785. श्री मधाबा सरदार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि स्पंज लौह संयंत्र आई० पी० आई० टी० ए० टी० ए० ने उड़ीसा के क्योंझर जिले के जोडा औद्योगिक नगर में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) उड़ीसा में जोडा में स्थित स्पंज लौह संयंत्र आई० पी० आई० टी० ए० टी० ए० के पास गैस शोधन प्रणाली है जिसके उत्सर्जन निर्धारित मानकों के भीतर हैं। गैस शोधन संयंत्र के मार्जक द्रव्य की तूफान के जल के निकास की नाली, जोकि पास ही है, में छोड़ने से पहले निथार टंकी में शोधित किया जाता है। संयंत्र में इस प्रक्रिया के दौरान जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः जल प्रदूषण नाममात्र ही है। संयंत्र से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट पद्धार्थ, जो कि विषाक्त नहीं है, संयंत्र की अपनी ही भूमि पर नष्ट किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरक एकक

5786. श्री धर्मभिक्षम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विदेश व्यापार के महानिदेशक को मैसर्स साउथ इंडिया फर्टिलाइजर्स

एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड उर्वरक एकक परियोजना को ''डीम्ड एक्सपोर्ट बेनीफिट'' के लिए पात्र बनाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : उर्वरक विभाग विद्यमान एक्सिम नीति के तहत डिम्ड एक्सपोर्ट बेनीफिट्स हेतु प्रस्तावित परियोजना पर विचार करने के लिए विदेश व्यापार के महानिदेशक को पहले ही अपनी सिफारिश सूचित कर चुका है। 2.1.1997 को आन्ध्र प्रदेश सरकार को भी इसकी सूचना दे दी गई है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुधार

5787. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन कृषि मंत्री के सुझाव पर स्थानीय सासदों ने मार्च/अप्रैल, 1996 के दौरान अपने राज्यों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों का दौरा किया था, ताकि इन केन्द्रों के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किए दौरों के दौरान दिए गए सुझावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से अभी तक क्रियान्वित किये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) माननीय कृषि मंत्री ने अगस्त, 1996 के दौरान पूर्वी भारत में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित एक सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया।

(ख) यह समिति माननीय श्री राज नाथ सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) की अध्यक्षता में गठित की गई जिसमें श्री अम्बिका प्रसाद, माननीय विधायक, बिहार; डा॰ एस॰ सी॰ झा, पूर्व निदेशक, एशियन विकास बैंक; श्री जी॰ कृष्णन, कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार सरकार सदस्य के रूप में तथा सहायक महानिदेशक (कृषि विज्ञान केन्द्र) सदस्य सचिव के रूप में नामित किए गए हैं।

सामाजिक लेखा परीक्षा समिति के संदर्भगत विषय में निम्न बातें शामिल हैं:-

1. प्रौद्योगिकी के विकास में किए गए निवेशों का मूल्यांकन करना।
2. विकसित प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों तथा इसकी व्यावहारिक उपयोगिता की समीक्षा करना।
3. विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों तक प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण तथा प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने से उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों का मूल्यांकन करना।
4. प्रौद्योगिकी के अपनाने के स्तर को सुनिश्चित करना तथा यदि प्रौद्योगिकी को अपनाने का स्तर कम हो तो इसके लिए किए गए प्रयासों तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं का ठीक-ठाक पता लगाना।
5. प्रौद्योगिकी के विकास, उसको अपनाने तथा प्रौद्योगिकी में सुधार तथा किसानों, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भ॰ कृ॰ अ॰ प॰ के संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों के बीच सम्पर्क तथा समन्वय की जांच करना।

(ग) समिति की योजना असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मध्य प्रदेश का दौरा करने की है। दौरा करने के बाद समिति अपने सुझाव देगी।

[अनुवाद]

सीमा पर तीसरा चैक पोस्ट बनाना

5788. श्री जयसिंह चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात सीमा पर होम गार्ड का तीसरा चैक पोस्ट बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव विचारार्थ लंबित है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) जी नहीं श्रीमान्! तथापि गुजरात सरकार से सीमा विंग होम गार्डस की तीसरी बटालियन गठित करने के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार, तस्करी विरोधी अभियान चलाने और अन्य विध्वंसक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सीमा विंग होम गार्डस की एक अन्य बटालियन खड़ी करके पुलिस की मौजूदगी में और वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। इस प्रस्ताव की जांच सरकार द्वारा की जा रही है।

मिर्च की कीमतें

5789. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर में मिर्च की कीमतों में वृद्धि को रोकने हेतु फसलोपरान्त बेहतर कार्यों के लाभों के लिए किसानों और व्यापारियों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु एक कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या मिर्च की कीमतों में काफी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में सुधारात्मक नीति लागू करने का निर्णय लिया है;

(ङ) क्या मसाला बोर्ड ने बाजार में सीधे हस्तक्षेप करने का भी निर्णय लिया है;

(च) क्या सरकार ने मसाला व्यापार निगम, नेफेड और मार्कफेड के माध्यम से खरीद कार्य करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस निर्णय से मिर्च उत्पादक किसानों को किस हद तक सहायता मिलेगी ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) मसाला बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में गुण्टूर में एक कार्यालय खोला है तथा विकास और लाल मिर्च के कटाई पश्चात् के काम-काज से संबंधित बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने हेतु एक अधिकारी तैनात किया है।

(ख) जी, हां। मिर्च की कीमतों में गिरावट आई थी। उदाहरणार्थ, ये मूल्य गुण्टूर मंडी में अप्रैल, 96 में 3075/- रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर मार्च, 1997 में 1713/- रुपये प्रति क्विंटल रह गये।

(ग) कीमतों में गिरावट के कारण इस प्रकार है :

1. मिर्च की खेती के तहत क्षेत्र में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि।

2. 1996 के दौरान अनुकूल उत्तर-पूर्वी मानसून।

3. पूर्व वर्षों में कीमतें अधिक बने रहना जिससे किसान उत्पादन को गहन तथा सघन रूप से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए।

(घ) मिर्च के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा भी आन्ध्र प्रदेश में मिर्च की खरीद के लिए 1996-97 के दौरान मंडी-हस्तक्षेप-योजना चलाई जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) मण्डी हस्तक्षेप योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा आन्ध्र प्रदेश में 2250/- रुपये प्रति क्विंटल की मण्डी हस्तक्षेप दर पर अच्छी औसत किस्म की 10,000 मी॰ टन मिर्च को खरीद करने का निर्णय लिया गया है। मंडी-हस्तक्षेप-योजना 5 मार्च, 1997 से शुरू की गयी है और 31 मई, 1997 तक रखी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा आन्ध्र प्रदेश द्वारा नामित एजेन्सी ने अब तक 2,167 टन लाल मिर्च की खरीद की है। इससे किसानों को मजबूरी में बिक्री से बचाया जा सकेगा।

'एग्रोज' विक्रय केन्द्र

5790. श्री विजय पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एग्रोज' नामक संगठन द्वारा कुछ राज्यों में किसानों के लिए कृषि आदानों जैसे उर्वरक और कीटनाशकों को सामान्य मूल्य पर खरीद से संतोषजनक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संगठन से किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या सरकार का उन राज्यों में भी 'एग्रोज' विक्रय केन्द्र खोलने का विचार है जिन्हें अभी तक इस संगठन का लाभ नहीं मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) ''कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 1983 से 1991 के बीच 1146 कृषक कृषि सेवा केन्द्र गठित किए गए। अप्रैल, 1992 में राज्यों को हस्तान्तरित इस योजना में कृषक कृषि सेवा केन्द्र गठित करने की परिकल्पना थी, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ, किसानों को बीजों, उर्वरकों और दूसरे आदानों का वितरण करना था। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि इस योजना को क्रियान्वयन हेतु राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्वयं ही विक्रय केन्द्रों, यदि कोई हो, का गठन किया जाएगा। जिन राज्यों में कृषि सेवा केन्द्र नहीं हैं, वहां राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी स्वयं की प्लान योजनाओं के तहत ऐसे केन्द्र खोले जा सकते हैं।

लंबित निधियां

5791. श्री सुरेश प्रभु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को विभिन्न कारणों से 568 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है;

(ख) क्या यह राशि बकाया देयों के रूप में वर्षों से लंबित है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार संसाधनों की कमी के कारण इस राशि की अदायगी के लिए दबाव डाल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार केंद्रीय करों में हिस्सा; दिल्ली परिवहन निगम की कुछ देनदारियों को क्लीयर करने इत्यादि की मांग कर रही है। इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बीस सूत्री कार्यक्रम

5792. श्री राम कृपाल यादवः
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 तथा 1997 के दौरान बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने 1996 तथा 1997 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु योजना आयोग से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठन

5793. **श्री हाराधन राय** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कल्याणकारी कार्यकलापों हेतु पश्चिम बंगाल के कितने स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन की प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या इन संगठनों ने अपने लेखे और अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से सरकार को प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आगे कि निर्मुक्तियां केवल राज्य सरकार से लेखा परीक्षित लेखें, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रु० में)

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	के दौरान निर्मुक्त राशि 1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
	अ० जा० विकास			
1.	चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ, 1, बी० टी० रोड, मुक्ति सिनेमा बंगला, कलकत्ता	6.79	6.79	6.62
2.	सिद्धु कानु एजुकेशनल सोसाइटी, मो० तसरारा, पो० केंगोरिया, जिला मिदनापुर	13.33	9.21	25.27
3.	डा० अम्बेडकर मेमोरियल एजुकेशन सेन्टर, कानंडापल्ली, गंगादेवी, पो० चेनगोनोरी, वाया : क्रान्तिहाट, जि० जलपाईगुरी	7.39	3.64	7.46
4.	डा० अम्बेडकर शिशु मंगल, गुरूंग बस्ती, पो० प्रधान नगर, सिलीगुढ़ी, दार्जिलिंग	6.28	3.35	8.82
5.	भाटर डा० बी०आर० अम्बेडकर अबासिक शिक्षा निकेतन मो०पो०-करजेन चेट्टी जिला बर्दवान	1.71	3.23	5.33
6.	अभय चरण निराश्रित गृह वी० एण्ड पी० दक्षिणा चन्द्रनगर, पो० नामखाना, जिला दक्षिण 24 परगना	4.30	3.08	6.46
7.	मिदनापुर कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसियेशन (कमर्राह) पो० जिला-मिदनापुर	1.45	–	2.55
8.	डा० बी०आर० अम्बेडकर अकादमी, बद्रजोत, बतासी जिला-दार्जिलिंग	3.32	1.66	4.99
9.	डा० बी०आर० अम्बेडकर शिशु विकास केन्द्र	10.21	5.73	10.17
10.	विवेकानन्द अनाथ आश्रम ग्रा० बन्निगांव	1.38	2.18	4.67
11.	सुन्दरवन नारी व शिशु विकास केन्द्र	–	1.09	0.78
12.	विवेकानन्द बाल कल्याण गृह, पश्चिम बंगाल	–	5.98	6.28

1	2	3	4	5
13.	सेन्टर अ०जा० एवं जनजाति कल्याण संस्था, बर्दवान	1.72	3.06	3.69
14.	उत्तर 24 परगना विकलांग व्यक्ति संस्था, 24 परगना (उत्तर)	2.21	2.21	–
15.	आर० के० मिशन आश्रम, पो० नरेन्द्रपुर 24 परगना	8.40	8.81	6.10
16.	आर० के० मिशन विद्यापीठ, पो० विवेकानन्द नगर जि०-पुरूलिया	2.47	2.68	1.14
17.	आनन्द निकेतन, पो० बैगनान, जि०-हावड़ा	1.04	0.98	0.5.
18.	प० बंगाल अ०जा०, अ०ज०जा० अल्पसंख्यक कल्याण संस्था	32.63	20.63	–
19.	नाबारूण सेवा निकेतन, जिला मिदनापुर	0.60	0.43	0.85
20.	दुलाल स्मृति संसद, हुगली	0.57	0.32	0.64
21.	सेउलिपुर उद्यान संसद, जिला मिदनापुर	0.97	0.51	–
22.	भारत सेवाश्रम संघ, कलकत्ता	4.77	3.24	6.86
23.	प० बंग जन क० परिषद् कलकत्ता	1.32	0.72	–
24.	इन्सटीच्युट ऑफ प्लान्टेशन एग्रीकल्चरल वर्कस, जलपाईगुरी	1.05	0.78	–
25.	बलरामपुर बिनोदिनी महिला संघ, मुर्शिदाबाद	1.22	0.73	–
26.	शशिभूषण सेवा संघ, 24 परगना	0.58	0.42	1.83
27.	मालपार विवेकानन्द इन्सटीच्युट फॉर रूरल डेवलपमेंट	–	1.08	–
28.	राजपुर आनन्द मेला संघ, बर्दवान	–	3.16	–
29.	सर्विक ग्राम विकास केन्द्र, मिदनापुर	0.58	–	–
30.	भागरा डायमण्ड क्लब, बर्दवान	1.08	–	–
	अ० जनजाति विकास			
1.	हरिजन सेवक संघ, हावड़ा	4.47	15.75	4.77
2.	इन्सटीच्यूट ऑफ सोसल एंड एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, कलकत्ता	1.33	1.39	0.86
3.	निखिल भारत बनवासी पंचायत, मिदनापुर	10.74	3.74	18.90
4.	आ०के० मिशन ब्वायज होम, रहरा, जि०-उत्तर 24 परगना	1.63	3.78	3.02
5.	वुमैन इन सोसल एक्शन, रघुनाथपुर	0.56	–	–
6.	भारत सेवाश्रम संघ, मिदनापुर	3.28	5.05	5.60
7.	खुदी राम सोसाइटी, साउथ दिनाजपुर	2.89	5.78	–
8.	भारत सेवाश्रम संघ, मुर्शिदाबाद	0.91	4.62	1.45
	विकलांग कल्याण			
1.	जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन, जलपाईगुड़ी	1.99	1.90	0.45
2.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद्	0.72	–	–
3.	स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इस्टर्न इण्डिया, कलकत्ता	22.92	25.98	25.54
4.	रीच, कलकत्ता	2.79	11.04	11.53
5.	डा० शैलेन्द्र नाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय, बर्दवान	7.64	12.84	13.31
6.	प्रतिबन्धी कल्याण केन्द्र, हुगली	7.37	8.64	9.46
7.	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता	0.97	1.16	1.20
8.	सिर्क, कलकत्ता	7.73	7.76	6.65
9.	साउथ सुन्दरबन्स एजुकेशनल एंड कल्चरल, इन्सटीट्युट, बरदापुर	1.65	1.51	0.73
10.	सेवक, कलकत्ता	2.02	2.31	2.02
11.	अल्केन्दु बोध निकेतन रेजिडेन्सियल सेंटर, कलकत्ता	29.43	31.83	34.07
12.	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्युम वेलफेयर, कलकत्ता	2.12	1.02	–
13.	साउथ सुन्दरबन्स एजुकेशनल एंड कल्चरल, इन्स्टीट्युट	1.65	1.51	0.75
14.	विकासयन, कलकत्ता	2.49	4.11	4.26

1	2	3	4	5
15.	प० बंगाल काउन्सिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कलकत्ता	0.92	1.54	–
16.	जातीय जरदी संसद, कलकत्ता	0.89	2.22	2.31
17.	मनोविकास केंद्र पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था, कलकत्ता	21.41	22.57	21.66
18.	उत्तर कलकत्ता प्रतिबन्धी सेवा केन्द्र, कलकत्ता	1.40	1.53	1.56
19.	प्रबारतक इन्स्टीट्यूट फॉर एमआर, हूगली	7.28	1.69	2.12
20.	विकास भारती वेलफेयर सोसायटी, कलकत्ता	9.10	9.44	9.50
21.	वेस्ट बंगाल अ०जा०/अ०ज०जा० व अल्पसंख्यक वेलफेयर एसोसियेशन	0.36	–	–
22.	होप, दुर्गापुर	2.83	3.81	1.90
23.	भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, कलकत्ता	1.35	0.53	1.09
24.	करीमपुर सोसल वेलफेयर सोसाईटी, करीमपुर	2.00	0.80	1.47
25.	आर०के० मिशन आश्रम नरेन्द्रपुर	11.20	10.72	10.90
26.	श्री रामकृष्ण सत्यनन्दा शिक्षा एवं चैरिटी ट्रस्ट	4.79	5.25	2.57
27.	आनन्द भवन, हावड़ा	8.60	10.35	9.28
28.	हिन्दु कुष्ट निवारण संघ, कलकत्ता	6.71	–	–
29.	हेलेन किलर समृति विद्या मन्दिर नादिया	0.20	–	–
30.	एन०आई०ओ०एच०, कलकत्ता	50.00	85.00	–
31.	दम दम वेलफेयर सोसाइटी फॉर हैंडिकेप्ड, कलकत्ता	0.88	–	–
32.	विकास भारती वेलफेयर सोसाइटी, कलकत्ता	13.49	9.61	6.00
33.	रिहाबिलिटेशन सेन्टर फॉर चिल्ड्रन, कलकत्ता	1.60	1.60	0.80
34.	धनीखली डिप्रेस्ड क्लासिस	–	–	1.50
35.	आई०आर०सी०एस०, सिलिगुड़ी	–	–	5.50
36.	आई०आर०सी०एस०, बांकुरा	–	–	6.00
37.	आई०आर०सी०एस०, दक्षिण दिनाजपुर	–	–	6.00
38.	आई०आर०सी०एस०, मिदनापुर	–	–	6.00

नशीली दवा दुरुपयोग निवाण एवं समाज रक्षा सेवाएं

1	2	3	4	5
1.	विकास भारती कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	3.46	4.33	4.39
2.	कलकत्ता समरितान, कलकत्ता	2.34	1.30	1.13
3.	चिरनबीन, ग्रा० प्रबाक्षी, पो० बाक्षी हावड़ा	2.53	2.55	0.07
4.	सेंटर फॉर साइकोलाजिकल टेस्टिंग एंड रिसर्च, कलकत्ता	7.09	3.37	(बंद)
5.	एर्म्हस्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिटी स्टडीज, बीरभूम	0.64	2.14	2.56
6.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद्, मिदनापुर	9.79	(बंद)	
7.	इन्डीयन इन्स्टीट्यूट ऑफ हुमन वेलफेयर, कलकत्ता	10.47	9.46	0.31
8.	ह्युमन विकास एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	10.23	4.22	–
9.	इंडियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसीन, हावड़ा	6.70	3.20	3.31
10.	इन्स्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च	3.69	3.19	2.59
11.	प्रबुद्ध भारती शासुतीर्थ, मिदनापुर	2.40	2.17	2.28
12.	रामकृण वेलफेयर फाउण्डेशन, कलकत्ता	6.74	4.54	11.78
13.	सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, दार्जिलिंग	2.55	2.57	2.57
14.	सर सैय्यद ग्रुप ऑफ यूथ एंड मासेस, दार्जिलिंग	9.40	5.77	6.53
15.	विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी, कलकत्ता	22.78	10.84	10.04

1	2	3	4	5
16.	प० बंगाल अ०जा०/अनु०ज०जा० एवं अल्प संख्यक कल्याण एसोसियेशन, कलकत्ता	2.72	4.43	4.43
17.	पश्चिम बंगाल स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन, कलकत्ता	6.17	4.85	6.02
18.	महिला समन्वय परिषद्, कलकत्ता	2.69	2.72	2.72
	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी			
19.	इण्डियन सोसाइटी-फॉर स्पोन्सरशिप एंड एडोप्शन	1.32	2.52	0.94
20.	सोसायटी फॉर इंडियन चिल्ड्रेन्स वेलफेयर, 22 कर्नल बिस्वास रोड, कलकत्ता	2.59	1.16	1.29
	वयोवृद्धों का कल्याण			
1.	कल्याण भारती (बालक भवन), हुगली, प० बंगाल	0.17	3.99	2.72
2.	प० बंगाल-एस०सी०, एस०टी० एंड माइनारिटीज वेलफेयर एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल	16.11	11.70	–
3.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद्, पश्चिम बंगाल	5.85	3.64	–
4.	जय प्रकाश इन्स्टीच्युट ऑफ सोसल वेलफेयर चेन्ज, पश्चिम बंगाल	4.17	4.80	2.75
5.	निम्बर्क मठ सेवा समिति ट्रस्ट	1.05	3.17	1.72
6.	हुगली अपराजिता, पश्चिम बंगाल	0.62	1.17	–
7.	सोसल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, प०	1.39	3.32	5.20
8.	श्री कृष्ण प्रतिष्ठान, प० बंगाल	0.23	1.69	1.57
9.	चेराबिन ग्रा० ञबरकाशी, प० बंगाल	–	1.64	1.90
10.	शिवरामपुर मिलन तीर्थ, प० बंगाल	0.75	2.10	1.76
11.	बांसगड़िया प्रतिभा क्लब, प० बंगाल	2.54	3.84	2.42
12.	सतदुबी महिला मंडली, प० बंगाल	2.54	3.84	1.28
13.	इंडियन इन्स्टीच्युट ऑफ ह्युमन वेलफेयर, कलकत्ता	0.58	1.26	
14.	एलमहिर्स्ट इस्टिट्यूट ऑफ कम्युनिटी स्टडीज, नबाबीपिके, पोस्ट-शान्ति निकेतन, जिला - बीरभूम, पश्चिम बंगाल	1.80	1.94	1.35
15.	नेताजी पथादाक्रा, पोस्ट-तिकाशी, वाया-हरिया, जिला - मिदनापुर पश्चिम बंगाल	3.23	1.08	2.15
16.	अमर सेवा संघ, ग्राम व पोस्ट रैने, जिला - मिदनापुर प० बंगाल	3.18	2.45	6.91
17.	सेनपुकुर मातृ सेविका समिति, पश्चिम बंगाल	2.84	5.86	5.96
18.	चन्द्रनाथ बसु सेवा संघ, पश्चिम बंगाल	1.00	1.08	2.15
19.	विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन, पश्चिम बंगाल	1.27	4.32	4.79
20.	विवेकानन्द चाइल्ड वेलफेयर होम, पश्चिम बंगाल	2.00	0.98	1.52
21.	गंगाधरचक एंड दीवानचंद विवेकानन्द क्लब, प० बंगाल	–	2.17	1.73
22.	चाइल्ड एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी, पश्चिम बंगाल	2.16	2.58	6.44
23.	लालुआ स्वामी जी सबुज संघ, पश्चिम बंगाल	0.85	1.23	1.79
24.	बिप्लोबी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, प० बंगाल	3.86	3.92	2.08
25.	कलकत्ता मैट्रोपोलिटन इन्स्टीच्युट ऑफ जिरान्टोलॉजी, पश्चिम बंगाल	1.71	1.30	4.20
26.	प्रबुद्ध भारती शिशु तीर्थ, खिरीन्दा, प० बंगाल	0.86	1.29	1.80
27.	बरबरी नेता जी सेवा संघ, पश्चिम बंगाल	0.90	1.08	2.15
28.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, पश्चिम बंगाल	0.56	0.56	3.77
29.	विक्रमनगर उदयन संघ, पश्चिम बंगाल	3.19	1.08	3.23
30.	उत्तरबर्थ सुकत स्मृति पथागार, पश्चिम बंगाल	1.40	0.70	2.11
31.	सिउलीपुर उद्यन क्लब, पश्चिम बंगाल	5.42	4.45	5.61
32.	रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम, पश्चिम बंगाल	1.67	1.40	–

1	2	3	4	5
33.	अखिल भारतीय और अ०जा०/अ०ज०जा० और अल्पसंख्यक संघ	0.30	0.43	–
34.	भागरा डायमंड क्लब, वर्दवान, पश्चिम बंगाल	–	1.92	–
35.	सत्य भारती, हुगली, पश्चिम बंगाल	–	1.09	–
36.	ग्रामीण कल्याण सोसाइटी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	2.29	3.42	0.60
37.	हितलजोर कोशोरीबाला दातोब्य; मिदनापुर, प० बंगाल	1.25	0.83	3.61
38.	बंगाल वीमेन्स यूनियन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1.17	–	2.67
39.	मालीपुकुर समाज उन्नयन समिति, हावड़ा, प० बंगाल	1.14	–	0.59
40.	सोसल एक्शन फार रूरल एण्ड ट्राइबल इनहैविटेन्टस ऑफ इन्डिया, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	0.57	–	3.23
41.	मिदनापुर जिला विकास परिषद्, मिदनापुर, प० बंगाल	0.59	–	1.95
42.	श्री गुरु भोलानन्द आश्रम, 24 परगना, पश्चिम बंगाल	2.42	–	–
43.	वीमेन्स कोआर्डिनेटिंग कांउसिल, कलकत्ता	2.23	–	3.38
44.	ग्रामीण स्वास्थ्य विकास केन्द्र, जमुना, प० बंगाल	0.13	–	–
45.	करीमपुर समाज कल्याण सोसाइटी, नाडिया, पं० बंगाल	0.93	–	4.09
46.	ग्रामीण स्वास्थ्य विकास केन्द्र, मालडा, प० बंगाल	0.93	–	2.14
47.	नवदिगन्त, कलकत्ता, प० बंगाल	–	–	5.93

पिछले तीन वर्षों का बेसहारा बच्चों की परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल को निर्मुक्त अनुदान

1	2	3	4	5
1.	मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	7.39	3.70	11.09
2.	चाइल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता	2.53		
3.	फोरम ऑफ कम्यूनिटी यूनाइटेड इन सर्विस, कलकत्ता	6.22		
4.	गन उन्नयन परिषद्, कलकत्ता	7.39	3.70	7.39
5.	जन शिक्षा प्रचार केन्द्र, कलकत्ता	7.39	3.68	
6.	प० बंगाल बाल कल्याण परिषद्, कलकत्ता	7.62	7.40	7.38
7.	प्रांतिक जन विकास समिति, कलकत्ता	5.82	2.22	5.59
8.	समाज विकास केन्द्र, कलकत्ता	2.46	3.37	6.16
9.	मास एजूकेशन, कलकत्ता	2.46		
10.	लिवा एशोसिएशन फार मुवमेंट आफ पीपुल, कलकत्ता	2.9	3.70	10.67
11.	समाज विकास परिषद्, कलकत्ता	2.46	1.30	
12.	पीपुल यूनियन फार डेवलपमेंट एण्ड रिकन्सट्रक्शन	2.46	3.45	
13.	विवेकानन्द एजूकेशन सोसाइटी, कलकत्ता	2.46	6.90	6.34
14.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद्, मिदनापुर	2.46	1.23	
15.	सोंग ऑफ यूनिटी एंड लिबर्टी, कलकत्ता	2.46	3.29	10.40
16.	ह्यूमैनिटी एसोसिएशन, कलकत्ता	2.46	7.34	3.70
17.	इन्डियन कौंसिल फॉर वीमेन इन इन्डिया, कलकत्ता	2.46	7.02	
18.	कलकत्ता सोसल प्रोजेक्ट, कलकत्ता	1.84	4.92	5.62
19.	प० बंगाल अ०जा०/अ०ज०जा० और अल्पसंख्यक संघ, मिदनापुर	1.84	3.70	
20.	इडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कलकत्ता	1.23	3.70	
21.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, पश्चिम बंगाल	1.23	2.80	2.73
22.	महिला समन्वय परिषद्, कलकत्ता	0.62	7.36	6.23

1	2	3	4	5
23.	विकास भारती कल्याण सोसाइटी, कलकत्ता	0.62	7.40	7.39
24.	चिल्ड्रेन राइट डेवलपमेंट सर्विस, कलकत्ता	0.62	3.68	

वर्ष 94-95, 95-96, 96-97 के दौरान पश्चिम बंगाल को समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहयता की योजना के अंतर्गत वेश्याओं के बच्चों के अनुरक्षण एवं पुनर्वास के लिए निर्मुक्त सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	94-95	95-96	96-97
1.	पश्चिम बंगाल बाल कल्याण परिषद्, कलकत्ता	1.97	6.86	6.85
2.	भागीरथी शिल्पाश्रम, कलकत्ता	1.23	0.56	1.83

सुखतानपेयर समिति

5794. श्री संदीपान थोरात : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं, आठवीं योजनावधि के दौसन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के समीक्षात्मक मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परस्परव्यापी तथा विभागीय दृष्टिकोण से बचने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मुख्य तत्व तथा परियोजना क्षेत्र वाले प्रस्तावित/पुनः स्थिति निर्धारण समेकन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विकास कार्यक्रम को मुख्य तत्व के रूप में डी॰पी॰ए॰पी॰ के अन्तर्गत नए क्षेत्रों के चयन के लिए सुखतानेपेयर समिति के मानदण्डों को अपनाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्राजोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों के मूल्यांकन के लिए किसी कार्यकारी दल का गठन नहीं किया है। परन्तु योजना आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा सकने वाली स्कीमों को राज्यों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की पुनरीक्षा के लिए एक विस्तृत कार्य किया है। दृष्टिकोण पत्र के अनुसार सिद्धांततः वे स्कीमें जो अन्तर्राज्यीय स्वरूप की हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व की हैं या जहां राष्ट्रीय प्राथमिकता की स्कीमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार का पर्यवेक्षण अनिवार्य है और बाहर से वित्त पोषित परियोजनाओं को केन्द्र के पास बनाए रखा जाएगा। ब्यौरे नौवीं योजना में दिए जाएंगे।

(ग) नौवीं योजना में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों विशेषकर गरीबी उन्मूलन की स्कीमों और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत अधिक एकीकरण करने का प्रस्ताव है। पंचायती राज संस्थाएं जिला योजना समितियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेंगी।

(घ) योजना आयोग को सुखतानपेयर नामक किसी समिति की जानकारी नहीं है परन्तु सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूस्थल विकास कार्यक्रम के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की पुनरीक्षा के लिए प्रो॰ सी॰एच॰ हनुमंत राव की अध्यक्षता में 1994 में एक समिति का गठन किया गया था। हनुमंत राव समिति द्वारा सुझाए गए मानदण्डों के अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्डों का चयन कर लिया गया है, जो नमी के सूचकांक और कुल बुआई क्षेत्र में सिंचाई वाले क्षेत्र के प्रतिशत पर आधारित हैं।

सुपर बाजार को ऊँची दरों पर आपूर्ति

5795. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:
श्री राम सागर :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ने ट्यूब लाइटों और अन्य वस्तुओं को कुछ आपूर्तिकर्ताओं से इन्हें ''डीलर्स प्राईस पर कुछ छूट प्राप्त करने के पश्चात् उनसे खरीदने के बजाए ''अधिकतम खुदरा मूल्य'' पर आपूर्ति करने के प्रस्तावों को स्वीकृत किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले की जांच करने और उन अधिकारियों, जो अभी तक ''अधिकतम खुदरा मूल्य'' में कुछ छूट के पश्चात ट्यूब लाईटों और बल्बों की खरीद कर रहे हैं को दंडित करने के लिए तथा आगे से ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वह विनिर्माताओं के अधिकृत वितरकों के जरिए अधिकतम खुदरा मूल्य पर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक छूट के आधार पर ट्यूब लाइटों और अन्य वस्तुओं की सप्लाई प्राप्त करने की प्रथा का पालन कर रहा है।

(ग) और (घ) सुपर बाजार विनिर्माताओं को अपनी वस्तुएं डीलर के मूल्य पर सप्लाई करने के लिए मनाने हेतु निरन्तर प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों के पारिणास्वरूप मैसर्स मैसूर लैम्प्स ने 4.4.1997 से अपने वितरकों के माध्यम से डीलर मूल्य पर अपने उत्पादों की सप्लाई

शुरू कर दी है। सुपर बाजार अन्य सप्लायरों को भी अपने उत्पादों को डीलर के मूल्य पर सप्लाई करने के लिए मना रहा है।

वनोत्पाद

5796. श्री सुशील चन्द्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में निजी भूमि पर खड़े वनों की इमारती लकड़ी तथा वन उत्पादों को ले जाने और उन्हें बेचने पर कोई पाबन्दी लगाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी भूमि पर पहले से काटी गयी इमारती लकड़ी के लट्ठों के उपयोग के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) निजी भूमि पर लगाये गये वनों से इमारती लकड़ी के अतिरिक्त अन्य उत्पादों के उपयोग के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार द्वारा निम्न स्तरीय सामान का बेचा जाना

5797. श्री राम सागर : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुपर बाजार उपभोक्ताओं को निम्न स्तरीय और घटिया सामग्री बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार से इस तरह की सभी चीजों की बिक्री बंद करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वे उपभोक्ताओं को कोई घटिया तथा खराब किस्म की वस्तुएं नहीं बेच रहे हैं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पोताश्रय पार संपर्क हेतु स्वीकृति

5798. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सेवारी के ''नदर्न एलाइनमेंट'' से नहावा के लिए पहुंच मार्ग द्वारा पोताश्रय पार संपर्क का प्रस्ताव केन्द्र के पास मंजूरी हेतु भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ख) मुंबई और न्हावा द्वीप के बीच समुद्र मार्ग के लिए इस मंत्रालय को 1992 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार को उसी वर्ष यह सूचित किया गया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई द्वीप शहर में भीड़ कम करने के आवश्यक उपाय किए जाने तक इस प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं पाया गया था।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र

5799. श्री के॰ पी॰ नायद्दू : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश संलग्न विवरण के अनुसार परिचालित कर दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। चूंकि अन्य पिछड़े वर्गों को प्रमाण-पत्र जारी करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए आवश्यक जांच करने के बाद उनसे यथा संभव कम से कम अवधि में इन प्रमाण-पत्रों को जारी करने की अपेक्षा की जाती है।

विवरण

तत्काल

संख्या-36012/22/93-स्था॰ (अनु॰जा॰)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 15.11.93

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

विषयः *अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के आशय से संपन्न वर्ग का उपवर्जन-उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र।*

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने अपने अधीन आने वाली सेवाओं तथा पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण

देने की व्यवस्था के विषय में 8.9.93 को अनुदेश जारी किए हैं (इस का॰ ज्ञा॰ की एक प्रति संलग्न है।) उक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों में वे जातियां तथा समुदाय सम्मिलित होगें, जिनके नाम मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूची दोनों में दिए गए हैं। ऐसी जातियां तथा समुदायों की सूची दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी॰सी॰सी॰ (सी॰) में अधिसूचित की गई थी। जातियों तथा समुदायों के सत्यापन के लिए भारत सरकार ने इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 36012/22/93-स्था॰ (अनु॰जा॰) प्रति संलग्न के द्वारा अनु॰जा॰/अनु॰ जनजाति के मामले में निम्नलिखित प्राधिकारियों से जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र निर्धारित किया है :

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक (स्टाईपैन्डरी) मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त (एक्सट्रा) सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो)।

(ख) मुख्य प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(ग) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी।

(घ) उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

2. इन्दिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर इस विभाग ने उन व्यक्तियों/वर्गो (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया है जिन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 36012/22/93-स्था॰ (अनु॰जा॰) की अनुसूची के कॉलम 3 द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं होगा। इस बात पर सोच-विचार किया गया है कि उन प्राधिकारियों को जिन्हें ''अन्य पिछड़े वर्ग का है'' यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाए कि उम्मीदवार का सम्बंध ''सम्पन्न वर्ग'' से नहीं है। अतः अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश दें कि वे उम्मीदवारों को ''अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित होनें'' तथा साथ ही साथ ''सम्पन्न वर्ग में न आने'' के बारे में अपेक्षित प्रमाण का सत्यापन करें तथा प्रमाणपत्र जारी करें। जिला प्राधिकारी उम्मीदवारों के दावों की जांच कर पायें इस हेतु एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया गया है जो अनुबंध ''ख'' पर उपलब्ध है। इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सकते हैं। सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र अनुबंध ''क'' पर उपलब्ध प्रपत्र के रूप में हो सकता है।

3. यह भी अनुरोध है कि दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित पिछड़ी जातियों की सूची से संबंधित दिनांक 10.9.93 के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं॰ 12011/68/93-बी॰ सी॰सी॰(सी॰) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.8.93 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 36012/22/93-स्था॰ (अनु॰जा॰) का व्यापक प्रचार किया जाए जिसमें वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिसके अनुसार उन व्यक्तियों का निर्धारण होगा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिन पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इससे उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह भी उपयुक्त होगा कि इस संबंध में प्रमाणन अधिकारियों को उचित जानकारी दी जाए और साथ ही उन्हें उपर्युक्त गजट अधिसूचना की तथा इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का॰ज्ञा॰ की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि शीघ्र तथा सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो सके।

4. इस सम्बन्ध में आपकी सरकार द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए।

भवदीया,

ह॰/-
(श्रीमती सरिता प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबन्ध ''क''

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . पुत्र . . . . . गांव . . . . . जिला/मंडल . . . . . राज्य के . . . . . समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी॰सी॰सी॰ (सी॰) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-एक खंड-एक में प्रकाशित हुआ था। श्री . . . . . और/अथवा उनका परिवार . . . . . जिला/मंडल . . . . . राज्य में सामान्यता रहा/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था॰ (अनु॰जा॰/जनजाति) में उल्लिखित (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है।

दिनांक :
मुहर

जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

विशेष : (क) यहां सामान्यता शब्द का अर्थ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

अनुबन्ध "ख"

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र।

(इस फार्म का उपयोग केवल मॉडल के रूप में किया जाए। यदि अतिरिक्त मदें आवश्यक हो तो उन्हें फार्म में स्थानीय स्थिति के अनुसार जोड़ दिया जाए)

सेवा में,

महोदय,

अनुरोध है कि मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए।

मेरे आवश्यक ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

1. आवेदक का पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)

2. जन्म तिथि

3. घर का पूरा पता
   (क) वर्तमान
   (ख) स्थायी

4. धर्म

5. जाति

6. उप-जाति

7. व्यावसायिक समूह

8. अन्य पिछड़ी श्रेणियों की केन्द्रीय सूची में जाति की क्रम संख्या

9. पिता का नाम

10. माता का नाम

11. पति का नाम

12. माता-पिता/पति का सामाजिक स्तर

पिता माता पति

(क) संवैधानिक पद

(1) पदनाम

(ख) सरकारी सेवाएं

1. सेवा (केन्द्रीय/राज्य)

2. पदनाम

3. वेतनमान वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो तो

4. पद पर नियुक्ति की तारीख

5. श्रेणी 1 पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू हो)

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नौकरी जैसेः यू०एन०, यूनिसेफ, डब्ल्यू०एच०ओ०

1. संगठन का नाम

2. पदनाम

3. सेवावधि से तक की तारीख दर्शाएं)

(ग) मृत्यु/स्थायी अशक्तता (यदि लागू न हो तो हटा दें)

1. मृत्यु/स्थायी अशक्तता के कारण अधिकारी को सेवा से बाहर करने की तारीख

2. स्थायी अशक्तता के ब्यौरे

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में रोजगार

1. संगठन का नाम

2. पदनाम

3. पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) अर्द्ध सैनिक बल सहित सशस्त्र सेना (सिविल पद पर धारित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)

1. पदनाम

2. वेतनमान

(ङ) व्यावसायिक श्रेणी/वर्ग (मद संख्या (ख) तथा (ग) में शामिल से भिन्न) तथा जो व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं।

1. व्यवसाय/पेशा

(च) कृषि जोत क्षेत्रः जिसके स्वामी माता-पिता तथा अवयस्क बच्चे हैं।

1. स्थान

2. जोत क्षेत्र का आकार

3. (क) सिन्चित (सिंचित भूमि की किस्म)

(1)

(2)

(3)

(ख) असिंचित

कम से कम तहसीलदार के जिला राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।

(4) राज्य भूमि सीमा नियमों के अधीन कानूनी ऊपरी सीमा के सन्दर्भ में सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता

(5) यदि जोत क्षेत्र सिंचित/असिंचित दोनों हैं तो राज्य भूमि सीमा नियमों में परिवर्तन सूत्र के आधार पर कुल सिंचित जोत क्षेत्र।

(6) उपरोक्त 4 के अनुसार कानूनी ऊपरी सीमा की तुलना में कुल सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता।

(छ) 2. बागान

(1) फसलें/फल

(2) स्थान

(3) बागान का क्षेत्रफल

(छ) 3. खाली भूमि और/या शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में इमारतें

(1) सम्पत्ति का स्थान

(2) सम्पत्ति का विवरण

(3) यह किस प्रयोग में लाई जा रही है।

(ज) आय/सम्पत्ति

(1) सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय (वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को छोड़कर)

(2) क्या कर दाता हैं (हां/नहीं)
(यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की विवरणी की एक-एक प्रति लगाएं।

(3) क्या सम्पत्ति कर अधिनियम में शामिल हैं (हां/नहीं)
(यदि हां, तो विवरण दें)

(ङ) अन्य कोई अभियुक्ति।

(च) मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहां तक मुझे ज्ञात है, सही है तथा मैं अन्य पिछड़ी जातियों में ''सम्पन्न वर्ग'' से नहीं हूं और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों पर विचारण हेतु पात्र हूं। मैं समझता हूं कि किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर अथवा चयन के पहले या बाद अपात्र पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध कानून और/अथवा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार आगे कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान : .....

दिनांक .....

तत्काल

सं॰ 36012/22/93 स्थापना (अनु॰ जाति)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली

दिनांक 15 नवम्बर, 1993

विषयः भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में

अधोहस्ताक्षरित को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का॰ ज्ञा॰ सम संख्या के पैराग्राफ 5 के अन्तर्गत भारत सरकार के अध्यधीन सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जातियों/समुदायों का सत्यापन कर प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को दर्शाया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि वे अधिकारी जो अन्य पिछड़े वर्गों का दर्जा अधिसूचित करने के लिए सक्षम थे, अब उन्हें यह भी सत्यापित करना होगा कि सत्यापन के लिए आया अभ्यर्थी इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का॰ ज्ञा॰ सम संख्या की अनुसूची के खंड 3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (सम्पन्न वर्ग) के अंतर्गत नहीं आता है। दिनांक 22.10.93 के का॰ ज्ञा॰ के पैराग्राफ 5 के अनुसार अभ्यर्थी को प्राधिकारी से प्राप्त किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का मॉडल फार्म अनुबंध-क में संलग्न है। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए यह प्रमाण-पत्र मंत्रालयों, विभागों आदि द्वारा मान्य होगा।

(हस्ताक्षर)

(एम॰ वेंकटारामन)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों

2. लोक उपक्रम विभाग, नई दिल्ली

3. आर्थिक कार्य (बैंकिंग प्रभाग) विभाग, नई दिल्ली

4. आर्थिक कार्य (बैंकिग प्रभाग) विभाग, नई दिल्ली

5. केन्द्रीय लेक सेवा आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 3.11.93 के उनके पत्र संख्या फ. 22/31/92-ड. (1) ख के संदर्भ में

6. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 1.11.93 के उनके पत्र संख्या 1/77।90-पी और पी कं संदर्भ में।

7. कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली (श्रीमती मजुला कृष्णन, निदेशक) नई दिल्ली।

अनुबंध (क)

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गो द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . पुत्र . . . . . गांव . . . . . जिला/मंडल . . . . . राज्य के . . . . . समुदाय से संबधित है जिसे भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी०सी०सी० (सी०) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत राजपत्र, असाधारण भाग एक खंड-एक में प्रकाशित हुआ था। श्री . . . . . और/अथवा उनका परिवार . . . . . जिला/मंडल. . . . . राज्य में सामान्यता रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (अनु०जाति/जनजाति) में उल्लिखित (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/समुदायों से संबंधित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट

उपायुक्त आदि

दिनांक :

मुहर

विशेषः (क) यहां 'सामान्यतया' शब्द का अर्थ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

काली मिर्च वायदा सौदा का एक्सचेंज

5800. श्री बी० एल० शंकर : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू काली मिर्च वायदा सौदों के कितने एक्सचेंज हैं तथा इस समय देश में स्थानवार कितने अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च वायदा सौदा एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) 1997-98 तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में राज्य-वार ऐसे कितने एक्सचेंज खोले जाने का विचार है; और

(ग) इन एक्सचेंजों की स्थापना पर कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) इस समय भारत में केवल एक ही घरेलू पैपर फयूचर्स एक्सचेंज अर्थात इंडियन पैपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोची, केरल है।

इंडियन पैपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कोची को हाल ही में एक अलग अंतर्राष्ट्रीय वस्तु विनिमय प्रभाग खोलकर काली मिर्च में अंतर्राष्ट्रीय फयूचर्स संविदाएं संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। काली मिर्च के अंतराष्ट्रीय फयूचर्स संविदा में व्यापार शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है।

(ख) और अधिक पैपर फयूचर्स एक्सचेंज खोलने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) मान्यता प्राप्त व्यापारी एसोसिएशन इन एक्सचेंजों की स्थापना करते हैं। सरकार एक्सचेंज को संचालित करने के लिए केवल तकनीकी सहायता देती है।

मिल्ली पार्लियामेंट

5801. श्री विजय संकेश्वर : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में "मिल्ली पार्लियामेंट" नामक एक गिरोह की गतिविधियों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कर्नाटक के हुबली में इस गिरोह द्वारा हाल ही में की गयी एक गुप्त बैठक में पारित संकल्प से अवगत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे देशद्रोही संगठनों/गिरोहों को कुचलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर पूर्वी राज्यों की परियोजनाओं में विलंब

5802. श्री जगमोहनः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट स्थापित करने, गुवाहाटी तथा अगरतला विमान पत्तनों का उन्नयन बर्नीहाट में रेल हैड तथा मणिपुर व उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकतक जल विद्युत परियोजना जैसी परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए नई पहलों का भाग हैं। सरकार द्वारा इनके कार्यान्वयन का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

दिल्ली में दंगे

5803. श्री हरिन पाठक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक दिल्ली के दंगों (1984) के शिकार कितने व्यक्तियों को वित्तीय क्षतिपूर्ति की गयी है तथा उन्हें सरकारी नौकरी दी गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

दिल्ली में 1984 के दंगा पीड़ितों को दी गयी वित्तीय सहायता, इत्यादि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

1. मृत्यु के मामले में दी गयी वित्तीय सहायता

दिल्ली के दंगों में मारे गए 2564 व्यक्तियों के निकट संबंधियों को प्रारंभ में, प्रत्येक को 20,000 रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई थी। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं० 1429/96 (श्रीमती भजन कौर बनाम दिल्ली प्रशासन) में 5.7.1996 को दिए गए अपने आदेश में यह निर्देश पारित किया कि 1984 के दिल्ली दंगों में जिनकी जान गयी उनकी विधवाओं और परिवारों को पहले दी गयी राशि को समायोजित करने के बाद 3.50 लाख रुपये की राशि (दो लाख रुपये ब्याज सहित, जो 1.50 लाख रु० होगा) दी जाये। इस फैसले के अनुसरण में अब तक 1725 मामलों में बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जा चुका है।

2. पेंशन

279 विधवाऐं और वृद्ध व्यक्ति प्रति व्यक्ति 1000 रुपये माहवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

3. छात्रवृत्ति

3489 मामलों में विधवाओं के स्कूल/कालेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी है। यह योजना अभी भी चल रही है।

4. जख्मी होने पर मुआवजा

2603 पीड़ितों को जख्मी मुआवजे के रूप में 54.62 लाख रुपयें दिए गए हैं।

5. क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा

3573 मामलों में आवास इकाईयों को हुई क्षति के लिए 583.68 लाख रुपयें की राशि दी गयी।

6. विवाह सहायता

विधवाओं के पुनर्विवाह के 14 मामलों में 1984 के दंगा पीड़ितों की पुत्रियों के विवाह के 214 मामलों में प्रत्येक में 3000 रुपये की सहायता दी गयी है।

7. विधवाओं/बच्चों को रोजगार

684 पीड़ितों को नौकरियां दी गयी हैं।

8. फ्लैटों का आवंटन

2181 पीड़ितों को फ्लैट दिए गए हैं।

9. जिन व्यापारिक सम्पत्तियों का बीमा नहीं किया गया था उनके लिए मुआवजा

इस श्रेणी के अन्तर्गत 3415 मामले कवर किए गए हैं।

[हिन्दी]

वन भूमि

5804. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 निजी तथा ग्राम पंचायत भूमि को ''वन भूमि'' में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है तथा क्या यह भूमि धारा 4 के अंतर्गत घोषित किए जाने पर ही वन भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो वन अधिनियम, 1927 की धारा 6 से धारा 19 तक के अंतर्गत इस हेतु कार्यवाही करने के पीछे क्या तर्क है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत वन भूमि को श्रेणीबद्ध किया जा चुका है तथा कितने जिलों में आज तक इसे श्रेणीबद्ध किया जाना है, और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना से ऐसे किसी भूखण्ड, जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का कालिकाना अधिकार है या वनोत्पाद का समग्र अंश या कोई हिस्सा जिस पर सरकार का अधिकार है, को सुरक्षित वन बनाने के संबंध में राज्य सरकार की मंशा जाहिर होती है। इस धारा के अधीन राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है :

1. जिसमें यह घोषणा की जाती है कि ऐसे भूखंड को सुरक्षित वन बनाने का निर्णय लिया गया है।

2. यथा संभव ऐसे भूखंड की स्थिति और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करना।

3. वन अधिकारी के रूप में ऐसे अधिकारी को नियुक्त करना

जो ऐसी सीमाओं के भूखंड में या उस पर अथवा किसी वनोत्पाद में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से उपस्थित किसी अधिकार की उपस्थिति प्रकृति और विस्तार की जांच करता है और उसका निर्धारण करता है।

अधिनियम की धारा 4 से धारा 19 तक प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात् ही धारा 20 के अधीन किसी भूखंड को सुरक्षित वन घोषित किया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एथिकल कैमिस्ट शाप्स

5805. **श्री टी॰ गोपाल कृष्णः**
श्री मंगल राम प्रेमीः
श्री भक्त चरण दासः
श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबूः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1997 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''स्टार्ट एथिकल केमिस्ट शाप्स एन॰ एच॰ आर॰ सी॰ अर्ज्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मद में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार में ब्राण्ड नामों की विविधता, इसी प्रकार के उत्पादों की कीमतों में विभिन्नता और उन कीमतों में अन्तर जिन पर दवा विक्रेताओं को दवाइयां सप्लाई की जाती हैं और अंतिम कीमत जिस पर वे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं, का उल्लेख किया गया है। समाचार में इस प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाया गया है कि नीतिपरक (एथिकल) दवाखाना स्थापित किया जाए।

(ग) विभिन्न ब्राण्ड नामों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाइयां बाजार में प्रतिस्पर्धा को इंगित करती हैं। आमतौर पर इस प्रकार ऐसी प्रतिस्पर्धा से कीमतें घटती हैं। ब्रान्ड नाम पर जो कीमतें होती हैं, का संबंध बाजार में इसकी महत्ता से जुड़ा होता है। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विपणन के अधिकांश हिस्से पर काबू पाने के लिए थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं को अधिक कमीशन दिए जाते हैं।

विद्यमान औषध नीति में लगभग 50 प्रतिशत सूत्रयोग कीमत नियंत्रण के अधीन है। जबकि गैर-अनुसूचित सूत्रयोगों के मामले में इन उत्पादों को अधिसूचित कीमत पर बेचा जाता है, इनकी कीमतें निर्धारित करने के लिए कंपनियां स्वतंत्र हैं।

धान की खेती करने वाले किसान

5806. **श्री एल॰ रमनाः**
श्री जी॰ ए॰ रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने धान की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल के लिए लाभकर मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या यह अनुरोध किया जा रहा है कि धान की खेती करने वाले किसानों को गेहूँ की खेती करने वाले किसानों, जिनके लिए केन्द्र ने 60 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है, के सामान माना जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों अथवा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत-हालैंड परियोजना

5807. **श्री जगत वीर सिंह ''द्रोण''** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को करोड़ों रुपये का भारत-हालैंड परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिससे पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय नदी संरक्षण विभाग से मंजूरी के बाद कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत कानपुर में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण की 105 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना नीदरलैण्ड सरकार की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है। नीदरलैण्ड सरकार द्वारा परियोजना को अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

विदेशी खुफिया एजेंसी पर नियंत्रण

5808. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-पाक वार्ता के दौरान देश के आन्तरिक मामलों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कार्यकलापों को नियंत्रित अथवा उनकी निगरानी करने संबंधी मुद्दे को उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ अभी हाल ही में वार्ता के दौरान भारत सरकार ने पाकिस्तान द्वारा उकसाए गए आतंकवाद और अघोषित युद्ध के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की है। जब कभी आवश्यकता होगी तो इन विचारों को पुनः दोहराया जाएगा।

[अनुवाद]

हमालियों के लिए आवासीय सुविधा

5809. श्री सनत मेहता : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमालियों के लिए आवासीय सुविधाओं के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये प्रदान किये है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस योजना का लाभ उठाया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने हमालियों को आवास की सुविधा प्राप्त हुई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) हमालियों के कल्याण के लिए किसी योजना से कल्याण मंत्रालय अवगत नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नकली शंकराचार्य

5810. कुमारी उमा भारती:
डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1997 के ''दैनिक जागरण'' में ''देश में नकली शंकराचार्य''शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है।

मूर्तियों की चोरी

5811. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंदिरों से मूर्तियों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किये हैं अथवा करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995 के दौरान प्राचीन वस्तुओं/मूर्तियों की चोरी के 280 मामले/घटनाएं हुई थीं। वर्ष 1996 के दौरान ऐसे मामलों/घटनाओं की संख्या 349 थी। तथापि, 1996 के दौरान चुराई गई मूर्तियों की संख्या 721 थी जबकि इससे पूर्व वर्ष के दौरान यह संख्या 948 थी।

(ग) से (ङ) ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है।

पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 के उपबंध जिनमें, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए लाइसेंस के अधीन निर्यात को छोड़कर भारत से बाहर पुरावशेषों के निर्यात पर प्रतिबंध है, भारत में राजनयिक मिशनों के ध्यान में लाए गए हैं। सरकार, आसूचना और प्रवर्तन एजेंसियों से जुड़े मूलभूत ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण पर भी बल देती है ताकि वे पुरावशेषों/मूर्तियों इत्यादि की देश से बाहर तस्करी की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी कदम उठा सकें।

बंजर भूमि

5812. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र को बंजर क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है और ऐसी भूमि में से कितना क्षेत्रफल जनजातीय

क्षेत्र में है; और

(ख) इन क्षेत्रों को उर्वर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चम्बल घाटी के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

5813. **श्री मनहरण लाल पांडेय:**
डा॰ राम लखन सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश की चम्बल घाटी के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में चम्बल घाटी के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) कृषि मंत्रालय को इस संबंध में कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रदूषण

5814. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री टी॰ गोपाल कृष्ण:
श्री शिवराज सिंह:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री लक्ष्मण सिंह:
श्री विश्वेश्वर भगत:
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार द्वारा उपाय किए जाने के बावजूद आवासीय क्षेत्रों में चोरी-छिपे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरों मे प्रदूषण फैलाने वाली इन इकाइयों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्थित उद्योगों का जनवरी-मार्च, 1996 के दौरान एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण किए गए 1.26 लाख उद्योगों में से लगभग 98,000 उद्योग ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जो मास्टर प्लान दिल्ली 2001 के प्रावधानों के अनुसार अनुकूल क्षेत्र नहीं हैं। जो उद्योग अनुकूल नहीं हैं वे मुख्यतः अनधिकृत कालोनियों लालडोरा गांवों, पुनर्वास कालोनियों तथा वाल्ड सिटी दिल्ली और अन्य आवासीय पाकेटों में स्थित हैं।

एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका सं॰ 4677/85 के आई॰ए॰सं॰ 22 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.04.1996 के आदेश के अनुसरण में उद्योग प्रधान सचिव तथा आयुक्त, दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी ताकि मास्टर प्लान के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे सभी उद्योगों को कहा गया था कि वे आवासीय क्षेत्रों में अपने-अपने उद्योग चलाने के लिए समिति की अनुमति प्राप्त करें और जो उद्योग समिति से आवश्यक अनुमति नहीं ले लेते उनका 1.1.1997 से आवासीय क्षेत्रों में चलना बंद कर दिया जाना था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न्यायालय के निर्देशों के तहत मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में 02 एकड़ विकसित भूमि और उत्तरी दिल्ली में सात स्थानों का, जिनका कुल अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 4800 एकड़ है, उद्योगों को बसाने के लिए पता लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आवासीय/प्रतिकूल क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों को अन्यत्र बसाए जाने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों के अधिग्रहण और विकास के वास्ते 1300 एकड़ भूमि अधिसूचित की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने औद्योगिक फ्लैट्स/भूखण्डों के आबंटन के लिए आवासीय प्रतिकूल क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं।

निगमों का कार्यनिष्पादन

5815. **श्री राजाभाऊ ठाकरे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों में मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे निगमों के कार्यनिष्पादन में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो निगम-वार मुख्य उपलब्धियों का तथा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न कर पाने वाले निगमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वव्यापी चुनौतियों का सामना करने के लिए इन निगमों को चुस्त-दुरूस्त करने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के लिए कार्यवाही की निगम-वार कार्यसूची क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड

के कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख सूचक क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

राष्ट्रीय बीज निगम

1. वर्ष 1997-97 की तुलना में कारोबार (टर्न-ओवर) में 5 प्रतिशत वृद्धि करना।

2. बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों की सन्तुष्टि के लिए बीजों की पर्याप्त पैदावार हेतु ठेके पर खेती में विस्तार एवं संसाधनों के दक्षतापूर्ण एवं इष्टतम उपयोग के माध्यम से अच्छी क्वालिटी के बीजों का उत्पादन करना।

3. ''प्रॉडक्ट मिक्स'' का उच्च गुणवत्ता एवं निम्न परिणाम बीजों के उत्पादन के लिए कुल टर्न-ओवर का 70 प्रतिशत तक विविधिकरण करना एवं निगम के लाभ में और अधिक वृद्धि करना।

भारतीय राज्य फार्म निगम

1. आधार वर्ष 1992-93 में 158000 क्विंटल उत्पादन की तुलना में 1997-98 के अंत तक बीज उत्पादन (प्रजनक, आधारी तथा प्रमाणित) में 237 प्रतिशत वृद्धि करना।

2. वाणिज्यिक उद्यानों तथा बागानी फसलों सहित कुल फसल क्षेत्र को 1992-93 में 29053 हेक्टेयर से 1997-98 में एक 33000 हेक्टेयर तक बढ़ाना।

3. साम्य पूंजी पर न्यूनतम 12.5 प्रतिशत की आय हासिल करके इसे कायम रखना।

विवरण-I

राष्ट्रीय बीज निगम

सं.	मद		1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96
1.	बीज अधिप्राप्ति (लाख क्वि॰ में)	लक्ष्य	2.92	3.03	3.79	3.42	4.91
		उप॰	2.41	3.03	3.84	3.52	4.38
2.	बीजों की बिक्री (लाख क्वि॰ में)	लक्ष्य	3.11	2.76	3.83	3.25	4.38
		उप॰	2.54	2.61	3.88	3.26	3.99
3.	बीजों की बिक्री (करोड़ रुपये)	लक्ष्य	33.65	32.70	39.92	41.48	59.13
		उप॰	25.03	30.11	40.74	42.70	57.97
4.	लाभ(+)/हानि(-) (करोड़ रुपये में)		(-)8.50	(-)5.87	(-)3.37	(-)1.87	(+)0.97

विवरण-II

भारतीय राज्य फार्म निगम

सं.	मद		1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96
1.	खेती के अंतर्गत क्षेत्र (है॰)	ल॰	26635	27431	28135	26905	26130
		उप॰	24685	25168	23671	24474	24443
2.	कुल उत्पादन बीज सहित(ला॰क्विं॰)	ल॰	6.46	7.21	7.00	6.84	7.13
		उप॰	5.47	4.07	3.77	5.32	5.78
3.	बीज उत्पादन (लाख क्विंटल)	ल॰	2088	2.90	2.93	2.65	2.81
		उप॰	2.12	1.57	1.53	1.98	1.91
4.	आय (करोड़ रु॰)	ल॰	32.86	37.56	40.01	45.27	48.72
		उप॰	32.66	27.46	31.85	40.26	44.39
5.	लाभ/हानि वास्तविक (करोड़ रुपये)		(+)2.08	(-)6.04	(-)1.76	(+)2.82	(+)1.17

[हिन्दी]

कृषि विकास कार्य

5816. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सहायता से मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में किये जा रहे विकास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए प्रस्तावित कृषि विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में कृषि विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनके 1997-98 में भी जारी रहने की संभावना है। 1997-98 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय/प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों, इस विभाग के लिए बजट में किये जाने वाले कुल आवंटन और पहले जारी की गई धनराशि में से बची धनराशि के मद्देनजर जारी की जायेगी।

विवरण

मध्य प्रदेश में चल रही केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजनाओं का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम--चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम--मोटे अनाज

1	2
3.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
4.	गहन कपास विकास कार्यक्रम
5.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
6.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
7.	त्वरित मक्का कार्यक्रम
8.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
9.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित प्रयोग
10.	कम खपत वाले और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग का विकास
11.	जैव-उर्वरकों के विकास और प्रायोग सम्बंधी राष्ट्रीय परियोजना
12.	समेकित बीज विकास योजना
13.	प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन को सही दिशा देना
14.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान देना
15.	कीटनाशी अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रोत्साहन
16.	छोटे किसानों में कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन
17.	देश में किसानों का आवागमन
18.	कृषक वैज्ञानिक सम्पर्क
19.	राज्य भू उपयोग बोर्ड
20.	नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण
21.	बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
22.	क्षारीय मृदा का सुधार
23.	मधुमक्खी पालन का विकास
24.	औषधीय सुगन्धित पौधों का विकास
25.	कृषि में प्लास्टिक प्रयोग
26.	वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास
27.	खुम्बी का विकास
28.	शुष्क, उष्णकीटबंधीय तथा समशीतोष्ण फलों का विकास
29.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम
30.	कन्द तथा मूल फसलों का विकास
31.	पान की बेल का विकास
32.	सब्जियों का विकास
33.	मसालों का समेकित विकास
34.	प्रशिक्षण एवं विस्तार (मात्स्यिकी)
35.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी
36.	मत्स्य पाकल विकास एजेंसियां
37.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी विपणन
38.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
39.	भूमि विकास बैंकों के डिबेन्चरों में निवेश
40.	गैर अतिदेय कवर योजना
41.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
42.	महिला सहकारी समितियों की सहायता
43.	यथासमय रिपोर्टिंग योजना
44.	फसल सांख्यिकी का सुधार
45.	पशुधन संगणना
46.	कृषि संगणना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5817. **श्री राम टहल चौधरीः**
श्री राजीव प्रताप रूड़ीः
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहीः
श्री हरिन पाठकः
श्री आर॰एल॰पी॰ वर्माः

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किये गये कार्य का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य-वार परियोजनाओं अथवा अन्य कार्यों की लागत वास्तविक से अधिक बताए जाने के बारे में कई अनियमितताअें का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन मामलों की जांच कराने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) काफी परामर्शों एवं चर्चाओं के बाद योजना के मार्गदर्शी सिद्धातों को अभी तीन माह पहले ही संशोधित किया गया है। योजना के कार्यान्वयन संबंधी सूचना समय-समय पर जिलाधिकारियों से प्राप्त होती रहती है। जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान जारी किए गए 2350.95 करोड़ रुपये में से दिनांक 6.5.97 तक 1069.07 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) से (च) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों में अनियमितताओं के कुछ मामलों की सूचना मिली है। ऐसे मामलों में, इस मुद्दे को संबंधित जिलाधिकारी/राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

उत्तर प्रदेश में आई॰एस॰आई॰ गतिविधियां

5818. **प्रो॰ ओमपाल सिंह निडर:**
श्री जगतवीर सिंह द्रोण:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1997 के ''दैनिक जागरण'' में ''उत्तर प्रदेश में आई॰ एस॰ आई॰ की आतंकी गतिविधियों के संकेत मिले'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 10 जनवरी, 1997 के ''दैनिक जागरण'' दिल्ली संस्करण में ''उत्तर प्रदेश में आई॰ एस॰ आई॰ की आतंकी गतिविधियों के संकेत मिले'' शीर्षक से कोई समाचार नहीं छपा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

चाइल्ड रैकेट्स

5819. **श्री पंकज चौधरी:**
श्रीमती केतकी देवी सिंह:
श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री राजीव प्रताप रूड़ी:
श्री एन॰ जे॰ राठवा:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार के लिये खाड़ी देशों में व्यक्तियों/बच्चों को भेजने में लिप्त गिरोह की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं;

(ग) क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ बच्चे जिनमें से अधिकांश विकलांग थे और जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले थे, मानव व्यापार में संलग्न संगठित गिरोहों द्वारा जुटाए गए हज/उमरा वीजाओं पर सऊदी अरब गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इन गिरोहों के संचालन की विस्तृत जांच पड़ताल कराने के लिए अपराध अन्वेषण विभाग के अधीन एक अन्वेषण दल गठित किया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर अभी तक नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसी घटनाओं के प्रति बहुत चिंतित है। तीर्थ-यात्रियों को होने वाली किसी असुविधा को न्यूनतम रखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि तीर्थ-यात्रा पर माता-पिता के साथ जाने वाले बच्चों को केवल प्रामाणिक मामलों में ही ऐसी अनुमति दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश यात्रा पर जा रहे बच्चे वास्तव में अपने माता-पिता के साथ ही जा रहे हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं ले जाए जा रहे, प्रक्रियाओं को कड़ा करने और कठोर उपाय करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

कलंदरों द्वारा प्रदर्शन

5820. **श्रीमती केतकी देवी सिंह:**
श्री एल॰ रमना:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैकड़ों कलंदर तथा बवेलियों ने, जो भालू, बंदर, तोता, तिलियर की कलाबाजी दिखाकर अपनी जीविका कमाते हैं, हाल ही में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) अगर उन्हें कोई वैकल्पिक रोज़गार नहीं दिया जाता है तो वे मनोरंजन के लिए पशुओं और पक्षियों के व्यापार और उन्हें रखने की अनुमति के लिए लाइसेंस की बहाली की मांग करते हैं।

(ग) और (घ) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार अनुसूचित पक्षियों और पशुओं से संबंधित व्यापार पर प्रतिबंधित होने के कारण सरकार उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर सकती है।

स्वैच्छिक संगठन

5821. डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जो मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे है;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई तथा गत दो वर्षों के दौरान उन्हें वास्तव में कितनी सहायता मंजूर की गई;

(ग) धनराशि मंजूर करने के लिये क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) वर्ष 1997-98 में कितनी धनराशि प्रदान किये जाने का विचार है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गये संगठनों के नाम क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) संबंधित योजना के मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां स्वीकृत की जाती हैं।

(घ) गैर-सरकारी संगठन-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ङ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

(रु॰ लाख में)

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	निर्मुक्त राशि 1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	सुदार एजूकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	1.76	2.95
2.	न्यू गांधी आल इंडिया फोरम फार सोसिओइकोनामिक ग्रोथ स्टडी, हैदराबाद	1.58	1.29
3.	तलंगना वीकर सेक्शन्सन डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	–	8.64
4.	ज्योति वैलफेयर एसोसिएशन, हैदराबाद	2.64	0.86
5.	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	2.44	5.68
6.	राजधानी स्लम्स प्रोग्रोसिव डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद	5.00	3.46
7.	मास्टर्स ए॰ कल्चरल एण्ड वीमेन्स वैलफेयर सो॰, करीम नगर	2.46	8.65
8.	मास एजुकेशनल डेवलपमेंट सासाइटी, जिला चित्तूर	4.81	5.61
9.	मल्लिकार्जुन सेवा समिति, जिला चित्तूर	6.24	6.24
10.	पेडा प्रजाला सेवा समिति, जिला चित्तूर	13.74	14.04
11.	प्रजा अभ्यूदय सेवा समिति, जि॰ चित्तूर	1.38	1.38
12.	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति, जि॰ चित्तूर	11.24	0.58
13.	कम्यूनिटी हैल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट सो॰, जिला चित्तूर	1.26	0.75
14.	सेवा भारती, जिला चित्तूर	2.97	1.68
15.	चाइल्ड फाउडेशन आफ इंडिया, विशाखापत्तनम	6.01	7.84
16.	प्रियदर्शिनी सर्विस आरगनाइजेशन, विशाखापत्तनम	10.20	5.39
17.	महालक्ष्मी वेलफयर सोसाइटी, विजयानगरम	0.86	–
18.	कावरू चैरिटेबिल ट्रस्ट, जिला कृष्णा	3.60	6.38
19.	वासव्य महिला मंडली, विजयवाड़ा	0.74	1.48
20.	आंध्र प्रदेश गिरिजन सेवा संघम, जिला कृष्णा	6.33	6.28

1	2	3	4
21.	सिटी एजुकेशनल सोसाइटी, विजयवाडा	8.02	8.04
22.	इटेग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी, जिला कृष्णा	4.90	6.28
23.	जयश्री महिला संगम, जिला खम्माम	6.96	7.76
24.	डा॰ अम्बेडकर दलित वर्ग अभिवृद्धि संगम, जिला कुड्डाप्पा	2.46	7.06
25.	इंटेग्रजेड कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला कुड्डप्पा	0.92	0.93
26.	हैल्प नीडी एसोसिएशन, जिला कुड्डापा	–	–
27.	माइनोरिट्टीज एण्ड वीकर सेक्शन्स इम्प्लाइज वैलफेयर एसोसिएशन, जिला रंगा रेड्डी	0.89	–
28.	पिंकी फ्लेवर्स एजूकेशनल सोसाइटी, जिला रंगा रेड्डी	3.46	–
29.	स्वैल एजूकेशनल सोसाइटी, सिकंदराबाद	7.96	8.35
30.	आरगेनाईजेशन फार रूरल एजूकेशनल डेवलपमेंट, जिला रंगा रेड्डी	2.08	–
31.	ज्योतिमा जिला नडली, जिला रंगा रेड्डी	4.91	3.46
32.	महिला मंडली, जिला प्रकासम	0.85	1.86
33.	सिवाकामेश्वरी वीकर सेक्शन महिला मंडली, जि॰ पू॰ गोदावरी	0.39	–
34.	पीपल्स एक्शन इन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला अनंतपुर	4.61	3.37
35.	सोसिओ इकोनामिक ए॰ डेवलपमेंट सोसाइटी, जि॰ अनन्तपुर	0.16	0.56
36.	मदर इंडिया, जिला अनंतपुर	5.06	3.24
37.	सेंटर फार रूरल एजूकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जि॰ अनंतपुर	3.39	5.92
38.	सेंट मरीजी रिहैबिलिटेशन सेंटर फार आर्फन्स, विडोज एंड लेपर्स जिला पश्चिम गोदावरी	2.09	1.44
39.	रूरल आरगेनाइजेशन फार सोशियल एक्टीविटी, जिला गुन्तुर	6.28	6.28
40.	इंदिरा मैमोरियल वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसाइटी, जि॰ गुन्तुर	2.71	3.91
41.	आंध्र प्रदेश नेलआर्म्सस्ट्रांग टीम, जिला गुन्तुर	1.91	6.70
42.	अ॰जा॰, अ॰ज॰जा॰, पि॰व॰ तथा अल्पसंख्यक कल्याण सेवा संगम, जिला गुन्तुर	0.73	2.36
43.	वी एम महिला मंडली, जिला गुन्तुर	0.51	0.51
44.	वीकर सेक्शन एकेडमी, जिला नालगौंडा	0.79	1.56
45.	पिनाकिनी एजूकेशन अकादमी, जिला नालगोंडा	3.14	–
46.	गौतम एजूकेशन अकादमी, जिला, वारंगल	2.45	8.29
47.	लोक सेवा केन्द्र, जिला वांरगल	1.97	4.77
48.	बेथेल एजूकेशनल सोसाइटी, जिला मेहबूबनगर	4.93	4.83
49.	प्रोग्रोसिव एसोसिएशन फार अपलिफ्टमेंट आफ लोअर क्लासेज, जिला महबूबनगर	0.73	1.54
50.	सोशियल एक्शन फार सोशियल डेवलपमेंट, जिला महबूबनगर	2.33	5.68
51.	एस सी, एस टी एम्पालॉईज एंड वीकर सेक्शन वैलफयर एसो॰, सिकन्दराबाद	1.71	–
52.	प्रकाशम जिला बलहीन वर्गला कालोनी वराला सेवा संगम, जिला प्रकाशम	0.99	0.77
53.	दी ए पी पीपल्स सोसिओ इकानामिक डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला प्रकाशम	1.55	0.77
54.	संस्कृतिका महिला मंडली, जिला प्रकाशम	2.82	1.55
55.	चिराला तालुक हरिजन संगम, जिला प्रकाशम	3.51	–
56.	सर्वोदय महिला मंडली, जिला प्रकाशम	0.88	1.86
57.	इंटरनेशनल एजूकेशनल सोसाइटी, जिला पश्चिम गोदावरी	–	–
58.	श्री सारदा महिला मंडली, जिला गुंतूर	–	–
59.	वेल्लाम्मा वीकर सेक्शन महिला मंडली, जि॰ गुंतुर	0.38	–
60.	कंप्रेहेंसिव कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सोसाइटी, जिला नालगौंडा	–	–
61.	डा॰ अम्बेडकर प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग	–	–

1	2	3	4
	अनुसूचित जनजाति कल्याण		
1.	रामकृष्ण मिशन, जिला पूर्वी गोदावरी	7.27	2.03
2.	हेल्प नीडी एसोसिएशन, जिला कुड्डापा	0.80	–
3.	प्रगति हरिजन महिला मंडली, जिला कुड्डापा	0.79	1.98
4.	रामकृष्ण मिशन, विशाखापत्तनम	6.78	1.44
5.	कम्यूनिटी हैल्थ एण्ड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला चित्तूर	1.66	2.36
6.	प्रजा अभ्ययूदय सेवा समिति, जिला चित्तूर	0.99	0.59
7.	आदर्श महिला मंडली, जिला प्रकाशम	1.85	–
8.	सोशियल एक्शन फार सोशियल डेवलपमेंट, जिला महबूबनगर	1.47	–
9.	एंटर फार डेवलपमेंट रिसर्च, हैदराबाद	2.38	–
10.	आंध्र प्रदेश हरिजन सेवा संघ, जिला कृष्णा	2.97	8.48
	विकलांग कल्याण		
1.	आंध्र प्रदेश सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन एंड वैलफेयर ऑफ हैंडिकैप्ड, हैदराबाद	2.34	2.51
2.	आंध्र प्रदेश एसोसिएशन फार दी डेफ, हैदराबाद	3.75	4.12
3.	हेल्लन किल्लेर स्कूल फार दी डेफ, कुड्डापल्ली-516001	9.32	8.60
4.	महालक्ष्मी वैलफेयर सोसाइटी, विजियानगरम	1.50	–
5.	आकार लायन्स स्कूल फार दी डेफ, विशाखापतनम	–	6.50
6.	विक्ट्री इंडिया चैरिटेबिल टैंट ऑफ रेस्क्यू, कुप्पम	3.97	4.08
7.	जिला विकलांगता संगमा, जिला गुंतुर	21.65	38.93
8.	आंध्र महिला सभा ट्रस्ट, हैदराबाद	8.45	8.82
9.	हैदराबाद स्पेशियल स्कूल फार चिल्ड्रन नीड फार स्पेशियल केयर, सिकन्दराबाद	35.20	41.44
10.	सोसाइटी फार दी एजूकेशन आफ डेफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम	5.25	–
11.	अनुराग, सिकंदराबाद	3.92	2.85
12.	अरूण स्पेशियल सेंटर, हैदराबाद	11.95	13.05
13.	सेंटर फार रिसर्च, डेवलपमेंट, हैदराबाद	6.68	7.38
14.	चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद	12.57	9.61
15.	करीमनगर डिस्ट्रिक्ट फ्रीडम फाइटर ट्रस्ट, करीमनगर	4.50	2.84
16.	लेअेनशिल्फील्फे स्पेशियल स्कूल फार दी डेफ, विशाखापत्तनम	21.08	23.60
17.	मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा	48.41	45.99
18.	पेनिनकैप, सिकन्दराबाद	6.74	2.26
19.	पामेनकप, हैदराबाद	3.47	1.10
20.	राधा इंस्टीट्यूट फार दी एम आर चिल्ड्रन, हैदराबाद	1.74	1.85
21.	रायलसीमा सेवा समिति, तिरूपति	15.49	19.79
22.	सेवा सदानम, खम्माम	15.49	19.79
23.	शांतिनिकेतन इंस्टीट्यूट फार मेंटली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन, हैदराबाद	1.49	1.73
24.	श्रीमती मेरिया रमम्मा मैन ट्रस्ट, कृष्णा जिला	8.70	8.68
25.	स्वयंकृषि, सिकन्दराबाद	7.65	7.16
26.	ठाकुर हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट फार मेंटली हैंडिकैप्ड, हैदराबाद	63.00	70.74
27.	उमा मनाविकास केन्द्रम, काकीनद	8.98	8.35
28.	क्रिप्पल्स पैराडाइज, जिला कृष्णा	5.55	5.85
29.	जिला सवोदया एजूकेशन सोसाइटी, जिला मेहबूबनगर	1.78	3.05
30.	महर्षि सबामूर्ति इंस्टीट्यूट आफ सोशियल डेवलपमेंट, काकीनाडा	4.86	4.74
31.	प्रियदर्शिनी सर्विस ऑर्गनाइजेशन, विशाखापत्तनम	8.66	10.09
32.	रेड क्रास सोसाइटी, काकीनाडा	3.05	3.64
33.	शेकिनन इंस्टीट्यूट आफ रिहैबिलिटेशन एंड वैलफेयर फार ड्रिसएबल्ड, हैदराबाद	4.89	6.05

1	2	3	4
34.	श्रीनिवास महिला मंडली, जिला प्रकाशम	4.82	4.73
35.	सेंट जॉन्स हैंडिकेप्ड इन्स्टीट्यूट, जिला कृष्णा	9.88	–
36.	वेगेस्ना फाउण्डेशन, हैदराबाद	12.20	15.86
37.	आंध्रा प्रदेश फेडरेशन फार दी ब्लाइंड, विशाखापत्तनम	0.78	–
38.	हैल्लेन किलर मैमोरियल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, विशाखापत्तनम	6.53	6.80
39.	मदर टेरेसा स्कूल फार दी ब्लाइंड, जिला प्रकाशम	2.39	3.59
40.	सेंट फ्रांसिंस एजूकेशनल सोसाइटी, जिला नेल्लूर	3.08	1.54
41.	दी देवनर फाउंडेशन फार दी ब्लाइड, हैदराबाद	2.41	3.93
42.	वीमैन वैलफेयर सेंटर, विजियानगरम	7.85	10.49
43.	अनुराग ह्यूमन सर्विसेज, हैदराबाद	4.56	7.66
44.	पॉवनकैप, हैदराबाद (मोनोकृष्णन)	3.47	4.66
45.	मानस, हैदराबाद	0.83	1.15
46.	सहाज सेवा संस्थान, हैदराबाद	3.78	2.39
47.	सूर्या किरण पेरेन्टस एसोसिएशन फॉर दी वैलफेयर आफ एम आर चिल्ड्रन, जिला गुन्तुर	3.65	4.47
	सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए		
48.	नवजीव ब्लाइंड रिलीफ सेंटर, जिला चित्तूर	2.62	3.30
49.	रोटेरियन्स कम्यूनिटी सर्विस फाउंडेशन, कोठागुडेम	0.78	–
50.	महालक्ष्मी वैलफेयर सोसाइटी, काकीनाडा	0.25	–
51.	विमुक्ति लेप्रोसी रिलीफ सोसाइटी, काकीनाडा	1.08	0.49
52.	महावीर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, हैदराबाद	1.05	–
53.	पीपल्स एक्शन फार सोशियल सर्विस, जिला, चित्तूर	3.00	4.12
54.	उपकार आर्टिफिशियल लिम सैंटर, सिकन्दराबाद	4.56	6.00
55.	लेलेन स्कूल फार दी डेफ, कुड्डापा	–	3.00
56.	सेवा भारती, जिला चित्तूर	0.50	0.50
57.	डी आर डी ए, महबूबनगर	–	6.00
58.	डी आर डी ए, मेंडक	–	6.00
59.	डी आर डी ए, खम्माम	–	6.00
60.	ओ आर डी ए, करीम नगर	–	6.00
61.	रायल सीमा सेवा समिति, तिरुपति	3.00	1.50
	दवा दुरुपयोग निवाण तथा सामाजिक रक्षा सेवाएं		
1.	दी आंध्र प्रदेश पीपल्स सोशिओ इकानॉमिक डेवलपमेंट सर्विसेज सोसाइटी, जिला प्रकाशम	2.57	1.29
2.	एसोसिएशन फार सोशियल हैल्थ इन इंडिया, हैदराबाद	–	9.21
3.	डॉ॰ पसुपुलेटी निर्मला हनुमंथा राव, सिकन्दराबाद	4.58	5.24
4.	पीपल्स एक्शन फार सोशियल सर्विस, जिला चित्तूर	1.29	5.65
5.	हैल्थ, एजूकेशन, लिंड प्रोग्राम (एच ई एल पी), हैदराबाद	6.42	3.31
6.	नेशनल फोरम फार दी वेलफेयर आफ दी मेन्टली हैन्डिकैप्ड, हैदराबाद	0.50	0.50
7.	रिहैबिलिटेशन बोआर्डिनेशन इंडिया, हैदराबाद	0.38	0.50
8.	महिला संगम, जिला कृष्णा	3.67	0.83
9.	तेलुगु भारती महिला मंडली, जिला चित्तूर	2.87	1.90
10.	हैदराबाद जिला महिला मंडलूला सामक्या, हैदराबाद	2.15	4.36
11.	प्रियदर्शिनी सर्विस आर्गेनाइजेशन, विशाखापत्तनम	2.15	–
12.	रूरल आंध्रा डाउनट्रोडन इंटीग्रेटेड अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, जिला प्रकाशम	4.30	3.15

1	2	3	4
13.	इंदिरा मेमोरियल वीकर सेक्शन डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला गुन्तुर	2.04	3.23
14.	वेल्लमा वीकर सेक्शन महिला मंडली, जिला गुन्तुर	0.68	-
15.	प्रकासम, जिला बालहीन वर्गामुला कालोनी वनाला सेवा संगम, जिला प्रकाशम	5.13	3.45
16.	आदर्श महिला मंडली, जिला प्रकाशम	2.11	1.60
17.	महिला दक्षत, समिति, हैदराबाद	2.71	2.80
18.	संजय गांधी मेमोरियल आर्फनेज एंड बोर्डिंग होम, राजमुन्द्री	3.10	2.13
19.	मदर टेरेसा महिला मंडली, विजयवाड़ा	1.50	2.95
20.	श्री वेंकेटश्वरा युवजन संगम, विशाखापत्तनम	2.13	2.13
21.	संजय गांधी हरिजन गिरिजन बलहीन वर्गला महिला मंडली, जिला गुन्तूर	3.47	3.25
22.	सारदा महिला मंडली, वल्लोर	0.68	0.68
23.	पीपल्स एक्शन फार सोशियल सर्विस, तिरुपति	6.05	-
24.	डा॰ अम्बेडकर दलित वर्ग अभिवृद्धि संगम, कुडप्पा	2.90	1.94
25.	मेडा प्रजाला सेवा समिति, जिला चित्तूर	3.91	4.00
26.	श्रीनिवासा एजूकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला कुड्डप्पा	1.93	2.04
27.	डिप्रैस्ड पीपल डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला कुड्डपा	1.94	2.04
28.	महिला मंडली, चिराला	2.15	1.73
29.	प्रकाशम नगर महिला मंडली, जिला गुन्तुर	0.76	2.33
30.	सबरी गिरिजन महिला मंडली, जि॰ प्रकाशम	0.65	0.65
31.	अरूणादया महिला मंडली, जिला प्रकाशम	1.35	1.30
32.	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला मंडली, जि॰ प्रकाशम	1.26	-
33.	श्री आंध्र केसरी मेमोरियल होस्टल कमेटी, जिला प्रकाशम	1.08	2.11
34.	श्री शक्ति महिला मंडली, कुरनुल	1.08	-
35.	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति, जिला चित्तूर	0.89	1.77
36.	कस्तूरीबाई गांधी महिला मंडली, विशाखापत्तनम	2.15	2.15
37.	श्री काशताजीवुला जटिया सेवा संगम, जिला प्रकाशम	1.07	2.73
38.	इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला मंडली, जिला प्रकाशम	0.65	-
39.	उदयश्री महिला समाजम, जिला गुन्तुर	1.07	3.22
40.	वाल्मिकी सेवा संगम, जिला प्रकाशम	0.97	1.94
41.	नवीन आदर्श महिला मंडली, जिला गुन्तुर	2.04	2.02
42.	रूरल एजूकेशन और अवेयरनेस डेवलपमेंट सोसाइटी कुड्डप्पा	2.15	2.15
43.	वुतुकुरी वेंकेटा सब्बम्मा वैलफेयर सोसाइटी, चिताला	0.67	2.02
44.	रायलसीमा सेवा समिति, तिरुपति	13.99	15.17
45.	डा॰ पी एन हनुमंथा राव चैरिटेबिल ट्रस्ट, सिंकदराबाद	2.15	2.15
46.	वेकेटाश्वरा सोसियल सर्विस एसोसिएशन, हैदराबाद	1.35	1.35
47.	कोठापेट महिला मंडली, जिला गुन्तुर	2.15	1.08
48.	सर्वोदया वीमेन वैलफेयर सोसाइटी तिरुपति	3.34	3.00
49.	लक्ष्मी महिला मंडली, जिला प्रकाशम	2.98	2.10
50.	प्रगति युथ संगम, जिला गुन्तुर	1.02	-
51.	आंध्र प्रदेश गिरिजन सेवक संघ, जिला कृष्णा	3.50	3.50
52.	सोशियल एक्शन फार सोसियल डेवलपमेंट, मेहबूबनगर	5.24	3.47
53.	सोशियल एक्शन रूरल रिहैबिलिटेशन क्रिएटिव एमिलिआरेशन एण्ड रिलीफ, जिला गुन्तुर	4.33	2.07
54.	अनुराग, हैदराबाद	0.20	0.41

1	2	3	4
55.	अनुराग ह्यूमेन सर्विसेज, हैदराबाद	2.04	2.08
56.	श्री वेंकटेश्वरा सोशिओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला कुड्डप्पा	0.64	1.31
57.	विजय सोशिओ इकॉनामिक डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला कुड्डप्पा	0.64	1.29
58.	मास्टर्स एजूकेशन कल्चरल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, जि॰ करीमनगर	3.47	1.74
59.	मदर इंडिया कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी, जिला चित्तूर	6.37	10.25
60.	मेथेल एजूकेशन सोसाइटी, मेहबूबनगर	2.15	2.15
61.	सेवा भारती, जिला चित्तूर	2.54	2.65
62.	मेरी माथा हरिजन गिरिजन क्रिश्चियन महिला मंडली, जि॰ प्रकाशम	0.96	–
63.	पुष्करमठ कंवेंट कमेटी, राजमुन्द्री	0.78	2.29
64.	आर्या दयानंद महिला मंडली, नेल्लोर	2.10	2.09
65.	श्री सुब्रामन्येश्वरी महिला मंडील, जिला गुन्तुर	1.02	–
66.	पॉलिमर्स एजूकेशनल सोसाइटी, जिला नेल्लूर	2.14	2.15
67.	प्रजा अभ्यदय सेवा समिति, जिला चित्तूर	1.58	1.78
68.	अस्थान ए क्रिस्तिया महिला मंडली, नेल्लूर जिला	2.00	–
69.	नेहरू भारती एजूकेशन इंस्टीट्यूट, जिला नेल्लूर	1.08	3.23
70.	साई सेवा संघ, हैदराबाद	1.72	1.72
71.	श्री वेंकटेश्वरा कन्वेंट एजूकेशनल सोसाइटी, जिला अनन्तपुर	2.04	2.10
72.	सेंट मरीज रिहैबिलिटेशन सेंटर फार आरफेन्स, विडोज एंड सपमर्स, जिला पश्चिम गोदावरी	1.08	3.23
73.	श्री विग्नेश्वरा महिला मंडली, जिला चित्तूर	0.42	1.26
74.	मदर इंडिया, जिला अनंतपुर	2.15	2.15
75.	श्री वेकेटेश्वरा महिला मंडली, जिला चित्तूर	0.78	–
76.	हेल्प दी वीमेन, काकीनाडा	1.08	6.55
77.	अन्नपूर्णा मानव समक्षेमा समिति, हैदराबाद	1.27	1.22
78.	श्री त्रिवेणी एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, जि॰ कृष्णा	1.17	0.59
79.	प्रेमा समाजम, विजियानगरम	0.79	2.03
80.	इंदिरम्मा महिला मंडली, नेल्लूर	0.42	1.35
81.	प्रियदर्शिनी महिला मंडली, नेल्लूर	1.24	–
82.	प्रियदर्शिनी महिला मंडली, ओगीले	1.24	1.35
83.	महालक्ष्मी महिला मंडली, जिला नालगोंडा	0.97	2.76
84.	श्री महालक्ष्मी महिला मंडली, चिराला	0.86	–
85.	हेल्प दी नीडी, नेल्लूर	0.68	2.03
86.	कंट्री वीमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया विजयवाड़ा	1.93	2.88
87.	साउथ इंडियन रूरल डेवलपमेंट सेवा समिति, चित्तूर	0.81	–
88.	भारत सेवा समिति, जिला चित्तूर	0.82	–
89.	ओल्ड एज वेलफेयर सेंटर, हैदराबाद	3.79	3.79
90.	जगजीवन बलहीन वर्ग अभिवृद्धि संगम, कुड्डप्पा	1.90	1.29
91.	कस्तूरबा महिला मंडली, वारंगल	1.98	–
92.	नरसेराओपेट तालुका शीड्यूल्ड ट्राइब्स क्लब, जि॰ गुन्तुर	1.04	2.11
93.	सोशीओ एजूकेशन रूरल डेवलपमेंट ऑफ एस॰सी॰ एस॰टी॰ वैलफेयर सोसाइटी, जिला गुन्तुर	3.84	1.18
94.	वासव्य महिला मंडली, विजयावाडा	0.65	1.98
95.	सीनियर सिटिजनस फोरम, विजयावाडा	1.34	1.33
96.	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, जिला अंनतपुर	–	4.20
97.	पीपल्स रूरल एजूकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी, जि॰ अंनतपुर	–	4.10

1	2	3	4
98.	ज्योति वैलफेयर एसोसिएशन, हैदराबाद	–	6.32
99.	इंडियन काउंसिल फॉर सोशियल वैलफेयर, हैदराबाद	0.57	–
100.	सोसाइटी फार इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट नई अर्बन एंड रूरल एरिया, हैदराबाद	3.33	–
101.	अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद	3.08	–
102.	वाई एम सी ए, हैदराबाद	3.70	–
103.	महिला उदक्षता समिति, हैदराबाद	3.70	–
104.	चाइल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम	3.70	–
105.	इंडियन काउंसिल फॉर सोसिशयल डेवलपमेंट, हैदराबाद	3.09	–
106.	एक्शन फॉर सोशियल डेवलपमेंट, हैदराबाद	1.05	–
107.	प्रियदर्शिनी सर्विस ऑरगेनाइजेशन, विशाखापत्तनम	–	4.43
108.	वालुन्दरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, हैदराबाद	–	–
	अल्पसंख्यक कल्याण		
1.	मोम्डन एजूकेशन सोसाइटी, हैदराबाद	1.35	–
2.	यूनिटी वैलफेयर सोसाइटी, हैदराबाद	1.35	–
3.	रिजवन एजूकेशन सो०, हैदराबाद	2.34	–
4.	उस्मानिया मुस्लिम माइनोरिटी एजू० सोसाइटी, हैदराबाद	1.35	–
5.	ऑल सैनिटी स्टडी सर्किल, विशाखापत्तनम	1.35	–
6.	ख्वाजा गरीब नवाज एजूकेशन सोसाइटी, गुन्तुर	1.35	–
7.	काउन्सिल फार कम्यूनिटी डेवलपमेंट, तिरुपति	2.61	–
8.	सोसाइटी फार ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रूरल प्रोस्पेरिटी, तिरुपति	1.35	–
9.	एक्शन फार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसाइटी, कुर्नूल	1.35	–
10.	महिला मंडली, जिला प्रकाशम	0.75	–
11.	एकलव्य मैमोरियल लीग, जि० प्रकाशम	1.35	–
12.	ए०एस०एस०आर० माइनोरिटी एजूकेशन सोसाइटी, जिला प्रकाशम	1.35	4.30
13.	संधिका संक सेना संगम, जिला पूर्वी गोदावरी	2.34	–
14.	आंध्र प्रदेश स्टडी सर्किल, हैदराबाद	–	14.48

विवरण-।।

अनुसूचित जाति कल्याण

1. पीपल्स ऑरगेनाइजेशन फार वैलफेयर एजूकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, उड़ीसा
2. आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद
3. उर्मिला समाज कल्याण, हरदोई, उत्तर प्रदेश
4. इंटरनेशनल बुद्धा एजूकेशन इंस्टीट्यूट, हापुड़, उत्तर प्रदेश
5. भागरा डायमंड क्लब, पश्चिम बंगाल
6. शिशु मंजिल, पश्चिम बंगाल
7. मानव कल्याण केन्द्र, सलोन, हिमाचल प्रदेश
8. हरि सिंह शिक्षा संस्थान, रेवाड़ी, हरियाणा
9. कमल महिला एवं बाल कल्याण समिति, हरियाणा
10. ग्राम सेवा संस्था, देवरिया, उत्तर प्रदेश
11. संस्कृत भाषा विकास परिषद्, देवरिया, उत्तर प्रदेश
12. समाज कल्याण शिक्षा समिति, पदरौना, उत्तर प्रदेश
13. जन कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया, उत्तर प्रदेश
14. नारी उत्थान समिति, दिल्ली
15. विद्या उत्थान समिति, दिल्ली
16. विद्या निकेतन एजूकेशन एसोसिएशन, कोलार
17. शोषण उन्मूलन परिषद्, दिल्ली
18. चिराला तालुक हरिजन संगम, आंध्र प्रदेश

19. सुषमा शिक्षा समिति, दिल्ली

20. एस०एल० आदर्श विद्यालय समिति, राजस्थान

21. भानु एजूकेशनल सोसाइटी, कर्नाटक

22. बाबासाहेब अम्बेडकर विद्या वर्धक संघ, कर्नाटक

समाज रक्षा

1. प्रगति यूथ संगम, जिला गुंतुर

2. इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला मंडली, जिला गुंतुर

3. कस्तूरीबाई महिला मंडली, जिला गुंतुर

4. श्री सुब्रामन्येस्वरी महिला मंडली, जिला गुन्तुर

बाघ निवास स्थल

5822. **कुमारी सुशीला तिरियाः**
डा० सी० सिल्वेराः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ ''रेंज'' देशों को अमीर देशों से वित्तीय सहायता बाघ निवास स्थल को दुर्लघ्य बनाने के लिये आवश्यक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या बाघ निवास स्थल का संरक्षण बाघ निवास स्थल की परिधि में रह रहे लोगों के सहयोग पर भी निर्भर करता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण उपायों का अनुसमर्थन करने में धनी राष्ट्रों से मिलने वाली वित्तीय सहायता से मदद मिलेगी।

(ख) टाइगर रेंज वाले राष्ट्रों ने प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम गठित किया है। इस समय भारत ग्लोबल टाइगर फोरम का अध्यक्ष है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। सीमांत ग्रामों की स्थानीय जनता को शामिल करने और संरक्षित क्षेत्र के संसाधनों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए पारि-विकास योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बाघ वासस्थलों का संरक्षण होता है। योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय जनता भी भागीदार है।

पुलिस अत्याचार

5823. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में ''पुलिस अत्याचार तेजी से बढ़ रहे हैं तथा 12 मार्च, 1997 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार इसे दूसरे स्थान पर बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाया है या उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सरकार ने प्रश्नगत समाचार को देखा है। पुलिस ज्यादतियों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस को स्थाई निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई न करने, तंग करने और दुर्व्यवहार करने, धन ऐंठने और भ्रष्टाचार करने, शक्ति और प्राधिकारी का दुरूपयोग करने, प्राथिमिकी दर्ज न करने, और हिरासत में होने वाले अपराधों सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ओर से होने वाली त्रुटियों के खिलाफ जनता की शिकायतों की शीघ्र दूर करने के लिए एक ''पुलिस शिकायत प्राधिकरण'' गठित करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

प्रदूषण संबंधी उपाय

5824. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम, तलचेर संयंत्र तथा उड़ीसा के राउरकेला में उर्वरक संयंत्र द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण के संबंध में उठाए गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन उर्वरक संयंत्रों द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में समुचित ध्यान न दिये जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन दो उर्वरक संयंत्रों द्वारा जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों द्वारा किये गये वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय निम्नानुसार हैः

I. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ०सी०आई०) का तलचर एकक।

(1) स्टीम जेनेरेशन सर्विस वायलरों में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिरेटरों की स्थापना।

(2) संयंत्र निःस्त्राव से अमोनिया दूर करने के लिए यूरिया संयंत्र में अमोनिया स्ट्रीपिंग टावर की स्थापना।

(3) गैसीफिकेशन और स्टीम जेनेरेशन संयंत्र में एश पान्ड में छानने के बाद निःस्त्रावों को छोड़ना।

II. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) राउरकेला की उर्वरक इकाई।

(1) लाइमस्टोन क्रशिंग एकक में बैग फिल्टर के अलावा साइक्लोनो की चार इकाईयों की स्थापना।

(2) न्यूट्रेलाइजर से अमोनिया भाप को साफ करने के लिए नाइट्रोलाइन संयंत्र में वेपर स्क्रबर की स्थापना।

(3) नाइट्रिक एसिड संयंत्र में अल्काली स्क्रीविंग इकाइयों की स्थापना।

(4) वेस्ट वाटर फलो के लिए एक-एक करके न्यूट्रेलाइजेशन पिट और पांच आक्सीडेशन पोन्डों का प्रचालन।

(ख) और (ग) वायु तथा जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपर्युक्त एककों द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इन संयंत्रों का उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित निरीक्षण भी किया जाता है।

(घ) और (ङ) भाग (क) में उल्लिखित उर्वरक संयंत्रों ने जल तथा वायु प्रदूषण रोकने के लिए विभिन्न साधन स्थापित किये हैं। एफ०सी०आई० के तालचर एकक के पास सभी प्रदूषकों के नियंत्रण और निपटान, हरित क्षेत्र विकास और पर्यावरण प्रबोधन कार्यक्रमों आदि के लिये एक पर्यावरण प्रबन्धन संयंत्र (ई०एम०पी०) है। प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के उपयुक्त संचालन और रख-रखाव के लिये संयंत्र के विभिन्न भागों द्वारा गहरी तालमेल रखी जाती है और निस्त्रावों की गुणवत्ता, निस्सरण के ढ़ेर और आस-पास की वायु गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

राउरकेला में सेल के उर्वरक एकक ने भीतरी भू-तल जल में तरल निस्त्राव छोड़ने हेतु निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिये एक मितव्ययी तथा क्रियाशील अतिरिक्त प्रणालियां तैयार करने का कार्य नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एन०ई०ई०आर०आई०) को सौंपा है।

[हिन्दी]

मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियां

5825. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रिक उपरांत दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि वर्तमान सूचकांक के अनुसार पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरों में दिनांक 1.10.1995 से व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में लगभग 30 प्रतिशत तक पहले ही वृद्धि की जा चुकी है। वित्तीय कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरक्षण भत्ते में संभावित सीमा तक वृद्धि की गई है। इसे औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना संभव नहीं है, तथापि, आय सीमा की पात्रता के लिए अक्तूबर, 1995 के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है।

बंगाली तथा सिंधियों को जाति प्रमाण-पत्र

5826. श्री हंसराज अहीर : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आकर महाराष्ट्र में बसने वाली बंगाली तथा सिंधी शरणार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नागरिकता प्रदान किये जाने के बावजूद उनकी अपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) बंगाली तथा सिंधी प्रादेशिक नाम हैं। इन समुदायों के सदस्य, यदि वे कोई खास समुदाय से संबंधित हैं और यदि यह उस राज्य में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के समय अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं तो तभी केवल उन्हें एक सूचीबद्ध समुदाय के सदस्य के रूप में पात्र माना जाना है।

[अनुवाद]

टाडा मामले

5827. श्री पी०आर० दासमुंशी:
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी:
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:
श्री आर० साम्बासिवा राव:
श्री टी० गोपाल कृष्ण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने टाडा के प्रतिस्थापन पर पुनर्विचार हेतु समितियों की सिफारिशों, विशेषज्ञों तथा न्यायालय में दिये गये निर्णयों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में कब तक विधेयक लाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या टाडा कानून में खामियों के कारण न्यायालयों को मामले निपटाने में मुश्किलें पेश आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) पूर्व, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम, 1987, जिसकी संवैधानिकता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध ठहरायी गयी थी, को मई, 1995 में व्यपगत होने दिया गया, क्योंकि यह आलोचना की गयी थी कि इसके कुछ उपबन्धों का गलत इस्तेमाल किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, टाडा के व्यपगत होने से उत्पन्न हुए शून्य को भरने के लिए एक आपराधिक कानून संशोधन विधेयक मई, 1995 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और यह सदन में लम्बित पड़ा है। यह विधेयक मुख्यतः, मानवाधिकारों और आतंकवाद की रोकथाम की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए है। संसद में इसे विचार के लिए प्रस्तुत करने से पहले, सरकार इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर विस्तृत विचार-विमर्श करना चाहेंगी। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी, 1996 में दिए गए अपने निर्णय में जमानत देने के लिए टाडा नजरबंदियों को वर्गीकृत किया है, जिसका अनुसरण टाडा न्यायालयों द्वारा किया जाना था। पूर्व टाडा की धारा (4) की व्यावृत्ति के कारण पूर्व टाडा के व्यपगत हो जाने से लम्बित मुकदमों के निपटान में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है। लम्बित कार्यवाहियों को वैसे ही निपटाया जा सकता है, जैसे कि अधिनियम व्यपगत ही नहीं हुआ हो। तथापि, कोई नया मामला या मुकदमा नहीं बनाया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र को ऋण

5828. **श्री राजकेशर सिंहः**
श्री नवल किशोर रायः
श्री सुरेन्द्र यादवः
श्री नीतीश कुमारः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि को दिये जाने वाले ऋण की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र को बैंको से निर्धारित प्रतिशतता तथा अपनी आर्थिक आवश्यकता के अनुसार ऋण प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कृषि क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकता क्या रही तथा उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया; और

(ङ) कृषि क्षेत्र आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) कृषि क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के लिए निश्चित निर्धारित लक्ष्य निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवल बैंक ऋण के लिए कृषि अग्रिम का प्रतिशत इस प्रकार है :-

वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र कृषि के लिए ऋण का लक्ष्य	निवल बैंक ऋण में कृषि अग्रिम का प्रतिशत
1994-95	18 प्रतिशत	13.91
1995-96	18 प्रतिशत	14.29
1996-97	18 प्रतिशत	उ० न०

कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने निम्नलिखित कार्य शुरू किए हैं :-

1. वाणिज्यिक बैंको से कहा गया है कि वे कृषि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान ऋण प्रवाह में 25 प्रतिशत की वृद्धि करें।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करते हैं, पुनः पूंजीकरण सहायता दी जा रही है।

3. बैंकों को सलाह दी गई कि वे केवल उच्च तकनीक की कृषि पेशगियों से संबंधी कार्यवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य में विशिष्ट कृषि शाखाएं खोले।

4. बैंकों को सलाह दी गई है कि जिन किसानों का पिछला रिकार्ड अच्छा रहा हो, उनकी विशिष्ट ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद ऋण सुविधा मुहैया कराएं।

5. छोटे किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने की दृष्टि से नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को सलाह दी कि वे छोटे, सीमान्त और आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों के लिए धन नियत करें।

6. नाबार्ड ने बैंकों को सलाह दी है कि वे छोटे और सीमान्त किसानों (जो आमतौर पर 10 प्रतिशत है और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 20 प्रतिशत है) की सारी आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

गोदाम सुविधाएं

5829. श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलियाः
श्री पी॰ एस॰ गढवीः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीर्घकाल तक ''खेरक'' के संरक्षण हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में उपभोग करने तथा निर्यात हेतु कृषि उत्पाद के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) हालांकि मंत्रालय द्वारा ''खेरक'' के संरक्षण के लिए कोई विशेष परियोजना शुरू नहीं कि गई है लेकिन इन्हें सुखाने, चीनी की चाश्नी में संरक्षित रखने और कम तापमान पर भंडारण करने आदि जैसे पारम्परिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सकता है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसमें फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग शामिल है, के संवर्धन के लिए अनेक योजना स्कीमें चलाई थीं। नौवीं योजना के दौरान भी इसी तरह की स्कीमें चलाने का प्रस्ताव है।

झीलों के आसपास वनरोपण

5830. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ बड़ी झीलों के आस-पास वनरोपण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन झीलों के नाम क्या हैं और ये किन-किन राज्यों में स्थित हैं; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु संबंधित राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत अभिनिर्धारित 21 शहरी झीलों में से 11 झीलों का चरण-I के अन्तर्गत संरक्षण किए जाने का प्रस्ताव था। झीलों के आस-पास वनरोपण सहित जलग्रह संरक्षण इन झीलों के लिए पूर्वव्यवहार्यता रिपोर्टों का ही एक हिस्सा बन गई है :

1.	सुखना झील	चण्डीगढ़
2.	डल झील	जम्मू-कश्मीर
3.	कोडयकनाल झील	तमिलनाडु
4.	ऊटी झील	तमिलनाडु
5.	भोज झील	मध्य प्रदेश
6.	सागर झील	मध्य प्रदेश
7.	हुसैन सागर झील	आंध्र प्रदेश
8.	पवाई झील	महाराष्ट्र
9.	उदयपुर झील प्रणाली	राजस्थान
10.	नैनीताल झील	उत्तर प्रदेश
11.	रविन्द्र सरोवर झील	पश्चिम बंगाल

इसके अलावा आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंध की स्कीमों के अन्तर्गत गहन संरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा देश में निम्नलिखित 18 जल निकाय अभिनिर्धारित किए गए हैं। वनरोपण इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण कार्य है।

क्र. सं.	आर्द्रभूमि का नाम	राज्य
1.	कोलीरू	आंध्र प्रदेश
2.	वेलूर	जम्मू-कश्मीर
3.	तासोमोरारी	जम्मू-कश्मीर
4.	चिल्का	उड़ीसा
5.	लोकतक	मणिपुर
6.	सांभर	राजस्थान
7.	सस्थामकोटा	केरल
8.	अस्थमुडी	केरल
9.	नालसरोवर	गुजरात
10.	हरिके	पंजाब
11.	कंजली	पंजाब
12.	रोपड़	पंजाब
13.	उजनी	महाराष्ट्र
14.	रेणुका	हिमाचल प्रदेश
15.	पोंगडैम	हिमाचल प्रदेश
16.	चन्द्रताल	हिमाचल प्रदेश
17.	काबार	बिहार
18.	डीपर झील	असम

(ग) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को नौवीं योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन

5831. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने निधियों पर निगरानी रखने के संबंध में योजना आयोग के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) ''भारत में स्थिरीकरण और सुधार के पांच वर्ष और विद्यमान चुनौतियां'' (1996) शीर्षक के तहत वर्ल्ड बैंक कन्ट्री स्टडी में निम्नांकित अभिमत व्यक्त किए गए :-

''योजना प्रक्रिया की कमजोरियों पर भी विचार किया जाना चाहिए, योजना आयोग के बजटीय दिशा-निर्देशों और कार्यप्रणाली में सुधार से राज्य संरचनात्मक बजटीय सुधार शुरू करने हेतु प्रोत्साहित होंगे और इससे ढांचागत प्रावधान को प्रभावी तथा कुशल बनाने अथवा पूरा करने के निमित्त उनकी क्षमता में अभिवृद्धि भी हो सकेगी, राज्य बजटीय डिजाइन की जटिल गांठ को तुरंत खोलने का तरीका ''योजना और गैर योजना'' व्यय के बीच अंतर को समाप्त करना होगा क्योंकि यह चालू लेखा व्यय से संबंधित है और इससे चालू और पूंजी व्यय बजट में अनिवार्य रूप से अंतर आ जाएगा। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों की क्षमता से बहुत अधिक योजना परियोजनाओं का प्रस्ताव देने का प्रोत्साहन मिलता है। परिणामस्वरूप इन स्कीमों में से बहुत सी स्कीमें प्रस्तावित रूप में पूरी नहीं की जा सकती और अंतरित संसाधनों को चालू व्यय में परिवर्तित करना पड़ता है। प्रयास यह सुनिश्चित करने के होने चाहिए कि उधार लिए गए संसाधनों का उपयोग केवल ऐसे व्यय के लिए हो, जो उधार की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त लाभ प्राप्त करें। केन्द्रीय योजना अंतरणों के सुधार हेतु विकल्पों में (1) केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले अंतरणों के अनुदान और ऋण घटकों को अलग करना और राज्य योजना सहायता के ऋण घटक को विशिष्ट प्रयोजन ऋण से बदलना, जिनकी तकनीकी सहायता के उदार प्रावधान सहित, विशेष तौर पर कमजोर कार्यान्वयन क्षमता वाले राज्यों के लिए बैंको द्वारा उत्तम मध्यस्थता की जाती है और (2) बहुसंख्य केन्द्रीय स्कीमों (जो सभी राज्यों को कवर करती है और जिन्हें विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा मानीटर किया जाता है) को कम केन्द्रीय संसाधन देने की वर्तमान पद्धति को अत्यधिक आवश्यकता वाले राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भली प्रकार लक्षित अंतरणों के अधिक सुसम्बद्ध सैट से बदलना (पृष्ठ-67)

योजना आयोग उपर्युक्त विचारों से सहमत नहीं है और यह आयोग की भूमिका एवं तरीका जिसके माध्यम से योजना प्रक्रिया राज्य और केन्द्र, दोनों स्तरों पर देश में प्रचलित है, के संबंध में पूर्ण गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होते हैं, योजना आयोग संस्थापन संकल्प के अनुसार योजना आयोग अन्य बातों के साथ-साथ देश के संसाधनों के अत्यधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग हेतु योजना का निरूपण करता है और निर्णय लेने और इन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र और राज्य सरकारों का है इस विशद् ढांचे के भीतर योजना आयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किए जाते हैं कि क्षेत्रकीय आवंटनों और विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं हेतु निधियों निर्धारण के माध्यम से निर्दिष्ट उत्पादी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएं, भारत में योजना के सृजनात्मक भूमिका अन्य बातों के साथ-साथ आई० एम०एफ० स्टाफ के अध्ययनों द्वारा भी प्रकाश में आई है। आई०एम०एफ० स्टाफ पेपर अंक 43, 1 मार्च, 1996, पृष्ठ 123 से 171 के तहत पाल केशिन और रत्ना सहाय द्वारा किए गए एक अध्ययन, जिसका शीर्षक है, ''इण्टर्नल माइग्रेशन सैन्टर स्टेट ग्राण्ट्स एंड इकोनोमिक ग्रोथ इन द स्टेट्स आफ इंडिया'' में स्पष्ट तौर पर केन्द्र से राज्यों को संसाधन अंतरण के लाभकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, आई० एम० एफ० स्टाफ पेपर अध्ययन को उद्धृत करते हुए ''क्या भारत की आरम्भिक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था प्रारम्भ में धनवान पक्षों की अपेक्षा अधिक तेजी से विकसित हुई है, इस पत्र का मुख्य निष्कर्ष यह है कि 1961-91 की अवधि के दौरान भारत में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक रूप में अंतर आया है, पाया गया अंतर निरपेक्ष है क्योंकि यह तभी होता है जब प्रति व्यक्ति आय के प्रारम्भिक स्तर के अलावा कोई व्याख्यात्मक चर स्थिर नहीं रहते (पृष्ठ 163-164) और पुनः ''यद्यपि केन्द्रीय सरकार से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों ने सुनिश्चित किया है कि राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से कम है, क्योंकि निर्धन राज्यों को धनी राज्यों की तुलना में अधिक अनुदान अंतरित किए गए'', (पृष्ठ-164)

योजना और गैर-योजना व्ययों के बीच अंतर से जुड़े अन्य मुद्दों का जहां तक संबंध है केन्द्रीय सहायता के अनुदानों से ऋण घटकों को अलग किया जाए और ऋण घटकों के स्थान पर विशिष्ट प्रयोजन ऋण आदि को रखा जाए, स्थिति का निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया जा सकता है :

योजना आयोग ने योजना और गैर-योजना व्यय के बीच अंतर से संबंधित मामलों की जांच की थी और इसे एक उपयोगी अंतर पाया था क्योंकि-योजना व्यय उत्पादक निवेश, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार कार्यक्रमों की ओर अधिक उन्मुख है। योजना और गैर-योजना व्यय में इस अंतर को नौवीं योजना में भी बनाए रखने का प्रस्ताव है। राज्यों को केन्द्रीय अंतरण के वितरण फार्मूले को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह कमजोर राज्यों की आवश्यकताओं तथा अन्य संगत घटकों जैसे जनसंख्या को ध्यान में रखता है, विशेष श्रेणी राज्यों और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों पर लागू अनुदान ऋण अनुपात भिन्न-भिन्न हैं और राज्यों को उनकी योजनाओं हेतु ऋण सहायता रोक देना वित्त पोषण और उनकी योजना-परियोजनाओं हेतु उन्हें बैंकों पर आश्रित बना देना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछित हालांकि क्रियान्वयन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य योजना एक विकास कार्यनीति है, न कि लाभकारी बैंक ऋणों का वाहन मात्र।

जहां तक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का संबंध है, संगत मामलों पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया था और उनके विचार नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्टिकोण पत्र में निम्नांकित रूप से समावेशित किये गये हैं।

जहां तक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनेक वर्षों से ऐसी स्कीमों का विस्तार किया जाता रहा है। राज्यों को संसाधनों सहित स्कीमों के हस्तांतरण के समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं लेकिन इस प्रकार के प्रयास बहुत सीमित प्रकृति के रहे हैं। परिणामतः 1995-96 में 16,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय सहित 182 सीएसएस थे, इनमें अधिकतर स्कीमें उन विषयों से संबंधित है जो राज्य सरकारों की सामर्थ्य के अंतर्गत आते हैं, सिद्धांत रूप में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें अंतर्राज्यीय प्रकृति के उन मामलों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अतिक्रमण, चुनिंदा राष्ट्रीय प्राथमिकताएं जहां प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्र द्वारा पर्यवेक्षण अनिवार्य है, और बहु-राज्यीय बहारी वित्त पोषित परियोजनाओं जहां प्रचालनात्मक कारणों से केन्द्र का समन्वय आवश्यक है, तक सीमित होनी चाहिए। ऐसी स्कीमों के अलावा सभी अन्य स्कीमें अनुरूप निधियों सहित राज्यों को स्थानांतरित कर दी जानी चाहिए। वे स्कीमें जिन्हें इस प्रकार स्थानांतरित किया जा सकता है, के ब्यौरे केन्द्र और राज्यों के परामर्श से तैयार करने होंगे ताकि क्षेत्र में किसी प्रकार का विघटन न हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बलात्कार के मामले

5832. **श्री अमर रायप्रधानः**
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डीः
श्री हरिन पाठकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में वयस्क और अवयस्क बालिकाओं के साथ हुए बलात्कार के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे बलात्कार के मामलों की वर्ष-वार/राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें परिवार के सदस्य/सम्बंधी शामिल थे;

(ग) इस सम्बंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) इस बुराई को रोकने के लिए सरकार का क्या एहतियाती कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बच्चों के बलात्कारियों को मृत्यु दंड देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना, संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती।

(ग) उपलब्ध सूचना, संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

1992-94 के दौरान 16 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के बलात्कार पीड़ित

क्रं. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	470	539	513
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	18	11
3.	असम	385	451	388
4.	बिहार	871	897	917
5.	गोवा	8	3	6
6.	गुजरात	234	251	243
7.	हरियाणा	134	131	139
8.	हिमाचल प्रदेश	50	64	71
9.	जम्मू और कश्मीर	112	103	107
10.	कर्नाटक	129	133	182
11.	केरल	154	157	135
12.	मध्य प्रदेश	2098	1974	2120
13.	महाराष्ट्र	584	670	813
14.	मणिपुर	14	6	4
15.	मेघालय	28	15	27
16.	मिजोरम	11	19	27
17.	नागालैंड	6	8	12
18.	उड़ीसा	311	348	356
19.	पंजाब	47	58	66
20.	राजस्थान	752	756	797
21.	सिक्किम	4	3	5

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	218	201	205
23.	त्रिपुरा	64	45	48
24.	उत्तर प्रदेश	1345	1276	1540
25.	पश्चिम बंगाल	463	570	384
	कुल	8505	8696	9116
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	3	4
27.	चंडीगढ़	7	3	3
28.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
29.	दमन और दीव	1	1	1
30.	दिल्ली	104	124	114
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	1	3	1
	कुल संघ शासित	116	134	124
	कुल (अखिल भारत)	8621	8830	9240

विवरण-II

1992-94 के दौरान 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बलात्कार पीड़ित

क्रं. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	303	301	360
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	11	17
3.	असम	148	109	142
4.	बिहार	249	221	213
5.	गोवा	4	11	3
6.	गुजरात	112	104	113
7.	हरियाणा	85	104	119
8.	हिमाचल प्रदेश	33	36	39
9.	जम्मू और कश्मीर	14	12	5
10.	कर्नाटक	46	99	99
11.	केरल	73	54	62
12.	मध्य प्रदेश	635	684	809
13.	महाराष्ट्र	407	475	491
14.	मणिपुर	4	2	1
15.	मेघालय	5	4	7
16.	मिजोरम	24	21	17
17.	नागालैंड	4	0	0
18.	उड़ीसा	27	57	80
19.	पंजाब	19	32	42
20.	राजस्थान	96	137	205
21.	सिक्किम	7	4	4
22.	तमिलनाडु	38	43	32
23.	त्रिपुरा	12	24	13
24.	उत्तर प्रदेश	412	511	538
25.	पश्चिम बंगाल	159	142	359
	कुल	2928	3198	3770
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	1
27.	चंडीगढ़	8	3	3
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1
29	दमन और दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	172	187	200
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	3	4	3
	कुल संघ शासित क्षेत्र	185	195	208
	कुल (अखिल भारत)	3113	3393	3978

विवरण-III

1992 से 1994 के दौरान बलात्कार के मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति (राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार)

क्रं. सं.	राज्य	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1056	1131	1053
2.	अरूणाचल प्रदेश	26	36	52
3.	असम	538	589	631
4.	बिहार	1741	1787	1863
5.	गोवा	16	24	10
6.	गुजरात	508	481	487
7.	हरियाणा	364	365	363
8.	हिमाचल प्रदेश	124	142	195
9.	जम्मू और कश्मीर	136	133	126
10.	कर्नाटक	281	330	418
11.	केरल	261	271	242
12.	मध्य प्रदेश	3975	3587	4140
13.	महाराष्ट्र	1513	1669	1940
14.	मणिपुर	26	2	3
15.	मेघालय	43	28	30
16.	मिजोरम	28	44	38
17.	नागालैंड	13	13	25
18.	उड़ीसा	392	581	499
19.	पंजाब	93	170	203
20.	राजस्थान	848	893	1110
21.	सिक्किम	16	13	12
22.	तमिलनाडु	398	352	459
23.	त्रिपुरा	135	100	126
24.	उत्तर प्रदेश	2685	2666	3285
25.	पश्चिम बंगाल	881	720	1187
	योग (राज्य)	16097	16127	18417
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	5	10
27.	चंडीगढ़	17	16	16
28.	दादरा और नगर हवेली	2	0	2
29.	दमन और दीव	1	1	0
30.	दिल्ली	290	297	429
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	3	7	6
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	317	326	463
	कुल (औसत भारत)	16414	16453	18880

समुद्री अभयारण्य

5833. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहीः
श्री अय्यन्ना पटरुघुः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा तट में ऑलीव रिडलेज कछुए और डालफिन मछलियां छोटी नौकाओं की बढ़ती हुई संख्या से प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उड़ीसा में समुद्र में दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करने तथा मछुआरों के लिए कछुओं को निकालने वाले उपकरण रखना अनिवार्य बनाने के लिए चिल्का झील और गाहीरमाथा तट को ''समुद्री अभ्यारण्य'' घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) गाहीरमाथा तट को समुद्री अभयारण्य घोषित करने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय, समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (एम॰ पी॰ ई॰ डी॰ ए॰ अधिनियम) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है जिसके अनुसार क्षेत्र में सभी झींगा जलपोतों को टर्टल एक्सक्लूडर उपाय (टी॰ ई॰ डी॰) का उपयोग करना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) इस उद्देश्य के लिए कोई भी धनराशि नहीं रखी गई है और न ही कोई समय सीमा निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

विवाहित महिलाओं का लापता होना

5834. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवाहित महिलाओं के सदेंहास्पद परिस्थितियों में लापता हो जाने की घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या विवाहित महिलाओं को उनके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए परेशान किए जाने के समाचार मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य में राज्य-वार कितनी महिलाओं के लापता होने के समाचार मिले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को सरकार गंभीरता से लेती है।

''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय होने के कारण, अपराध को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, पता लगाना और उसकी रोकथाम करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

वर्ष 1996 और 1997 के दौरान ''अपहरण और व्यपहरण'' और ''पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता'' के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1996 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

(राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अपहरण और व्यपहरण	पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	टिप्पणी (आंकडे निम्नलिखित महीने तक के हैं)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	534	2388	नवम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	0	सितम्बर
3.	असम	600	236	नवम्बर
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	
5.	गोवा	10	12	
6.	गुजरात	599	1910	
7.	हरियाणा	373	485	
8.	हिमाचल प्रदेश	131	211	
9.	जम्मू और कश्मीर	127	0	अगस्त
10.	कर्नाटक	332	1383	
11.	केरल	167	881	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	1561	2057	
13.	महाराष्ट्र	940	8595	
14.	मणिपुर	53	2	
15.	मेघालय	0	0	फरवरी
16.	मिजोरम	3	0	
17.	नागालैंड	0	0	
18.	उड़ीसा	316	396	अक्तूबर
19.	पंजाब	184	194	
20.	राजस्थान	2488	1900	
21.	सिक्किम	8	1	
22.	तमिलनाडु	568	366	
23.	त्रिपुरा	45	69	
24.	उत्तर प्रदेश	2562	3649	
25.	पश्चिम बंगाल	765	3181	
	कुल (राज्य)	12387	29910	
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान निकोबार द्वीप और समूह	4	5	
27.	चंडीगढ़	26	13	
28.	दादरा और नगर हवेली	3	6	

1	2	3	4	5
29.	दमन और दीव	उ. न.	उ. न.	-
30.	दिल्ली	944	150	
31.	लक्षद्वीप	0	0	
32.	पाण्डेचेरी	5	2	अक्तूबर
	कुल (संघ शासित)	982	176	
	कुल (अखिल भारत)	13369	30086	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

नोट : 1. आंकडे अनन्तिम हैं।

2. उ. न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

वर्ष 1997 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाऐं (राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अपहरण और व्यपहरण	पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	टिप्पणी (आंकडे निम्नलिखित महीने तक के हैं)
1	2	3	4	5
1.	गोवा	2	0	फरवरी
2.	गुजरात	44	157	जनवरी
3.	हिमाचल प्रदेश	14	27	फरवरी
4.	कर्नाटक	59	203	फरवरी
5.	मध्य प्रदेश	46	145	जनवरी
6.	महाराष्ट्र	128	1079	फरवरी
7.	मणिपुर	3	0	फरवरी
8.	मिजोरम	0	0	जनवरी
9.	नागालैंड	0	0	फरवरी
10.	सिक्किम	2	0	फरवरी
11.	त्रिपुरा	14	10	फरवरी
12.	उत्तर प्रदेश	417	523	फरवरी
	कुल (राज्य)	729	2152	
	संघ शासित क्षेत्र			
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	जनवरी
14.	चंडीगढ	2	2	फरवरी
15.	दादरा और नगर हवेली	0	2	फरवरी
16.	दमन और दीव	0	0	जनवरी
17.	दिल्ली	159	19	फरवरी
18.	पांडिचेरी	0	9	मार्च
	कुल (संघ शासित)	161	23	
	कुल (अखिल भारत)	890	2175	

स्रोत : 1. मासिक अपराध आंकडे।

नोट : 1. आंकडे अंतिम हैं।

2. शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हिन्दी का प्रयोग

5835. श्री पवन दीवानः
श्री रामकृपाल यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों और कम्प्यूटरों में हिन्दी के प्रयोग की भारी उपेक्षा की जा रही है और देश में हिन्दी की तुलना में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग कम करने के लिए हिन्दी के ''की बोर्ड'' में जान-बूझकर काफी परिवर्तन किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

नेत्रहीनों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण

5836. श्री विजय हाण्डिक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेत्रहीनों को रोजगार और प्रशिक्षण देने हेतु नए क्षेत्रों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने का कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

ओसवाल यूरिया फैक्ट्री

5837. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओसवाल यूरिया फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पिपटौला, शाहजहांपुर में गरीब किसानों से 950 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और कितने लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन गरीब किसानों को न तो उचित मुआवजा दिया गया है और न ही रोज़गार प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) शाहजहांपुर में मै॰ ओसवाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि॰ (ओ॰ सी॰ एफ॰ एल॰) के परिसर का क्षेत्रफल 930.75 एकड़ है। इसमें से, केवल 756.64 एकड़ का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम (यू॰ पी॰ एस॰ आई॰ डी॰ सी॰) के माध्यम से किसानों से किया गया था। ओ॰ सी॰ एफ॰ एल॰ ने भूमि अधिग्रहण प्रभारों के रूप में यू॰ पी॰ एस॰ आई॰ डी॰ सी॰ को 198.11 लाख रु॰ का भुगतान किया था। इस अधिग्रहण कार्यवाही से 980 भू-स्वामी प्रभावित हुये थे। भूमि से बेदखल हुये 112 व्यक्ति अवार्ड किये गये मुआवज़ें में वृद्धि के लिये न्यायालय में गये हैं। भूमि से बेदखल हुये 7 व्यक्तियों को ओ॰ सी॰ एफ॰ एल॰ ने प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। इसके अतिरिक्त, भूमि से बेदखल हुये 93 व्यक्तियों को ओ॰ सी॰ एफ॰ एल॰ ने अप्रत्यक्ष रोजगार भी दिया है।

[अनुवाद]

नकदी फसलों पर उपकर का भुगतान

5838. श्री एन॰ के॰ प्रेचचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नकदी फसलों के निर्यात से वसूल किए गए उपकर की समस्त धनराशि का राज्यों को भुगतान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) नकदी फसलों के निर्यात के जरिए एकत्रित उपकर की सारी रकम का भुगतान राज्यों को करने के बारे में कृषि और सहकारिता विभाग किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

पश्चिमी घाट का विकास

5839. श्री एस॰ बंगारप्पा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिमी घाट के विकास के लिए आबंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिमी घाट के विकास के लिए आबंटित धनराशि इन घाटों की उचित देखभाल के लिए बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के लिए राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्री खाद्य पदार्थ

5840. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे महासागर क्षेत्र में कितने समुद्री खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं;

(ख) क्या समुद्री खाद्य पदार्थों का स्वाद भारतीय खाने के स्वाद अनुरूप विकसित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन समुद्री खाद्य पद्धार्थों का स्वाद विकसित करने से काफी बचत होने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) हमारे महासागर क्षेत्र में बड़ी संख्या में समुद्री खाद्य पद्धार्थ उपलब्ध हैं। उनमें से वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों की लगभग 80 प्रजातियां हैं।

(ख) और (ग) समुद्री खाद्य पद्धार्थों के लिए स्वाद विकसित किया जा चुका है और भारत में खासकर तटवर्ती और आस-पास क्षेत्रों में उतारी जाने वाली समुद्री मछली के लिए बहुत बढ़िया बाजार है जहां इसे ताजा उपलब्ध कराया जा सकता है इसके अलावा सलाना समुद्री मछली के 27 लाख टन के कुल उत्पादन में से लगभग 90 प्रतिशत की खपत घरेलू बाजार में हो जाती है। वैसे कम मूल्य की मछली से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने से मूल्यवान प्रोटीन का अपव्यय रुकेगा और स्थानीय जनता को प्रोटीन से भरपूर सस्ता खाद्य उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

5841. श्री ए॰ सिद्धराजु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की तिथि और गठन का ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त आयोग के पुनर्गठन की तिथि और गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस आयोग द्वारा कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान आयोग द्वारा कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का पुनर्गठन अक्तूबर, 1995 में इस प्रकार किया गया :-

1. श्री एच॰ हनुमनथप्पा, अध्यक्ष
2. श्रीमती ओमेम मोयोंग देओरी, उपाध्यक्ष
3. श्री नर सिंह बैठा, सदस्य
4. श्री बी॰ येदैया, सदस्य
5. श्री आनन्द मोहन बिस्वास, सदस्य
6. माननीय लामा लोबजांग, सदस्य
7. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3.52 करोड़ रुपये व्यय किए।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस राष्ट्रीय आयोग ने अपनी वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

ऑपरेशन फ्लड

5842. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत एन॰ डी॰ डी॰ बी॰ द्वारा अनेक गांव/क्षेत्र/जिलों को शामिल नहीं किया गया है जबकि अतिरिक्त दुग्ध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों से निवेश हेतु प्रस्ताव तैयार करने और अपेक्षित सुविधाओं का सृजन करने में परामर्श किया गया है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) कार्रवाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम मार्च, 1996 में समाप्त हो गया है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ऐसे अनेकों गांव/क्षेत्र हैं जिसके पास अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन है लेकिन उन्हें अभी तक दुग्ध सहकारिता द्वारा शामिल नहीं किया गया है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने तथा अतिरिक्त उत्पादन की सीमा संबंधी कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों को यह परामर्श/सलाह दी गई है कि वे ऐसे अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों को सहकारिता नेटवर्क के तहत लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करें।

बेंगलौर में डेरी परियोजनाएं

5843. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) का विचार बेंगलौर में 120 करोड़ रुपये लागत की अत्याधुनिक डेरी की स्थापना करने का है;

(ख) क्या बेंगलौर में ही एन॰ डी॰ डी॰ बी॰ का विचार भी 50 करोड़ रुपये लागत की फल और सब्जी संबंधी परियोजना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने यह

जानकारी दी है कि उसने ऐसे प्रस्ताव का वित्त पोषण करने के लिए अमूल से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने यह जानकारी दी है कि बेंगलौर में फल और सब्जी परियोजना के लिए एक प्रस्ताव है तथा इस परियोजना के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

आर॰ डी॰ एक्स॰ की तस्करी

5844. **डा॰ एम॰ जगन्नाथः**
डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेयः
श्री चन्द्रेश पटेलः
श्री उत्तमसिंह पवारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई॰ एस॰ आई॰ ने भारत में विध्वंसक गतिविधियों के भाग के रूप में नशीली दवाओं के अलावा हाल ही में आर॰ डी॰ एक्स॰ की तस्करी भी प्रारम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान माह-वार और राज्य-वार पुलिस ने कितनी मात्रा में आर॰ डी॰ एक्स॰ और नशीली दवाओं को जब्त किया है; और

(ग) इस तस्करी के मुख्य स्थान क्या है और इसकी जांच के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) ऐसे दृष्टान्त हैं, जिनमें पाकिस्तान की आई॰ एस॰ आई॰ से सहायता प्राप्त और अवप्रेरित राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा देश में शस्त्रों, गोला-बारूद, विस्फोटकों इत्यादि की तस्करी की गयी थी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 6 महीनों के दौरान पकड़ी गयी आर॰ डी॰ एक्स॰ और नशीली दवाओं की मात्रा निम्न प्रकार से है:-

महीना	जब्त आर॰ डी॰ एक्स॰	जब्त नशीली दवाएं
1	2	3
1. जम्मू और कश्मीर		
अक्टूबर, 96	4 किलोग्राम	–
नवम्बर, 96	–	–
दिसम्बर, 96	–	–
जनवरी, 97	2 किलोग्राम	–
फरवरी, 97	–	–
मार्च, 97	–	–
2. पंजाब		
अक्तूबर, 96	27 किलोग्राम	–
नवम्बर, 96	5 किलोग्राम	–
दिसम्बर, 96	5 किलोग्राम	–
जनवरी, 97	–	–
फरवरी, 97	–	50 कि॰ग्रा॰ हेरोइन
मार्च, 97	54 किलोग्राम	11.63 कि॰ग्रा॰ हेरोइन
3. गुजरात		
अक्तूबर, 96	–	–
नवम्बर, 96	–	–
दिसम्बर, 96	4 किलोग्राम	–
जनवरी, 97	–	
फरवरी, 97	5.45 किलोग्राम	131 कि॰ग्रा॰ चरस (इसे सीमा सुरक्षा बल द्वारा भी दिखाया गया है।)
मार्च, 97	–	
4. राजस्थान		
अक्तूबर, 96	–	–
नवम्बर, 96	–	–
दिसम्बर, 96	–	–
जनवरी, 97	–	–
फरवरी, 97	–	–
मार्च, 97	14.7 किलोग्राम	30.5 किलोग्राम हेरोइन (इसे सी॰ सु॰ बल॰ द्वारा भी दिखाया गया है)
5. आन्ध्र प्रदेश		
अक्तूबर, 96	–	–
नवम्बर, 96	–	–

1	2	3
दिसम्बर, 96	–	–
जनवरी, 97	2.25 किलोग्राम	–
फरवरी, 97	–	–
मार्च, 97	–	–
6. दिल्ली		
अक्तूबर, 96	–	–
नवम्बर, 96	–	–
दिसम्बर, 96	–	–
जनवरी, 97	10 किलोग्राम	–
फरवरी, 97	–	–
मार्च, 97	–	–
7. सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गयी जब्ती		
अक्तूबर, 96	–	8 किलोग्राम हेरोईन
नवम्बर, 96	2 किलोग्राम	6 किलोग्राम हेरोईन
दिसम्बर, 96	–	6 कि॰ ग्रा॰ हेरोईन और 2.25 कि॰ग्रा॰ चरस
जनवरी, 97	–	500 ग्राम हेरोईन
फरवरी, 97	8.45 किलोग्राम	131 किलोग्राम चरस+
मार्च, 97	14.47 किलोग्राम++	35.1 कि॰ग्रा॰ हेरोइन और 2.5 कि॰ग्रा॰ चरस

+ गुजरात द्वारा भी दिखाया गया।

++राजस्थान द्वारा भी दिखाया गया।

(ग) देश में शस्त्रों, गोला-बारूद, विस्फोटक इत्यादि की तस्करी मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से की जाती है। राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति से सरकार अवगत है और इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. सूचना के विनिमय करने, आसूचना के आदान-प्रदान करने, रणनीति तैयार करने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/आसूचना एजेन्सियों/केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।

2. निम्न उपायों के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करना।

(ख) रात में देखने वाले यंत्र, हैड हेल्ड सैट, दूरबीनें, ड्रेगन लाईट इत्यादि की आपूर्ति करके सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, ताकि उनकी क्षमता बढ़ सके।

(ग) सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से अतिरिक्त सीमा चौकियों की स्थापना करना।

सांविधिक विकास बोर्ड

5845. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना के संबंध में 10 सितम्बर 1996 को सभा में आश्वासन दिए जाने के बाद कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) इस मामले पर केन्द्र सरकार का विचार यह है कि यदि शेष महाराष्ट्र, जिसमें कोंकण भी शामिल है, के लिए मौजूदा विकास बोर्ड अगले कुछ वर्षों के दौरान क्षेत्र की विकास अपेक्षाओं को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने की स्थिति में नहीं है तथा सरकार इस बात को मान लेती है कि यदि इस क्षेत्र को एक पृथक विकास बोर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका विकास बेहतर ढंग से किया जा सकता है, तो कोंकण के लिए एक पृथक विकास बोर्ड का गठन करने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

5846. श्रीमती रत्नमाला डी॰ सवान्नूर:
श्री एन॰ डेनिस:
श्री परसराम भारद्वाज:
चौधरी रामचन्द्र बैन्दा:
श्री जी॰ एम॰ बनातवाला:
प्रो॰ अजित कुमार मेहता:
श्री के॰ सी॰ कोंडय्या:
श्री चुन चुन प्रसाद यादव:
श्री के॰ पी॰ सिंह देव:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)

अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी कोई आलोचनात्मक समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 1997-98 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए बजट में आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यवसायकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अशक्त व्यक्तियों की संयुक्त कार्रवाई समिति की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी नहीं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 केवल 7.2.1996 से लागू किया गया है। इस प्रकार का कार्य शुरू करना अभी काफी समय-पूर्व होगा।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) जी हां। संयुक्त कार्रवाई समिति ने अपने दिनांक 5.3.1997 के ज्ञापन में इस प्रकार मांग की है:-

1. मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्क अंगघातग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय विधेयक की विषयवस्तु को सार्वजनिक किया जाए और विकलांगता के क्षेत्र विशेषकर मानसिक अवरुद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श असश्सेजित किया जाये।

2. केन्द्रीय समन्वय समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना वापस ली जाए और विकलांगता के क्षेत्र के प्रतिनिधियों के परामर्श से एक नई केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया जाए।

3. मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाए।

4. वर्ष 1997-98 के बजट में कल्याण मंत्रालय के विकलांगता प्रभाग के लिए आवंटन को 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लिए आवंटन में 200 करोड़ रुपये तक वृद्धि की जाए। अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी उपयुक्त आवंटन किए जाएं।

5. रेल बजट 1997-98 में कम से कम 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाए। कल्याण मंत्रालय के तथा कथित ''विकलांग कल्याण विभाग'' का नाम बदलकर-विकलांगता प्रभाग रखा जाए।

6. कल्याण मंत्रालय के तथाकथित ''विकलांग कल्याण विभाग'' का नाम बदलकर - ''विकलांगता प्रभाग'' रखा जाए।

(छ) 1. मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्कअंगघात ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास की स्थापना से संबंधित विधेयक की विषय-वस्तु का परिचालन इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी एजेंसियों में किया जा रहा है ताकि विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया जा सके।

2. पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों के सावधानीपूर्वक और अंतिम रूप से चयन के पश्चात केन्द्रीय समन्वय समिति दिनांक 21.2.1997 को अधिसूचित कर दी गई है। इस अधिसूचना के वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में।

4. योजना आयोग से बार-बार आग्रह करने पर इस मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग के लिए प्रस्तावित आवंटन को 1997-98 (योजना) के दौरान बढ़ाकर 107.04 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के लिए 28.00 करोड़ रुपये शामिल है। अन्य मंत्रालयों से भी उनके बजट आवंटनों में उपयुक्त प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

5. इस मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग का नाम बदलकर विकलांगता प्रभाग रखे जाने संबंधी औपचारिक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

निम्नलिखित वर्षों के लिए इस मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है :

(रु० करोड़ में)

1994-95		1995-96		1996-97		1997-98
योजना	गैर यो०	योजना	गैर यो०	योजना	गैर यो०	योजना-गैर यो०
45.90	45.90	19.37	45.90	19.21	107.04	18.93

वर्ष 1997-98 में विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ प्रस्तावित योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून।

2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता।

3. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई।

4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।

5. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक।

6. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।

7. राष्ट्रीय बहु विकलांग संस्थान।

8. कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

9. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता।

10. विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

11. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता।

12. प्रमस्तिष्क अंगघात और मानसिक अवरुद्धता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

13. विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहयता।

14. मिशन मोड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

15. विकलांगों को रोजगार।

16. भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र।

17. भारतीय पुनर्वास परिषद्।

18. मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्कअंगघात, अंगघात ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

19. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम।

20. विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय पुरस्कार।

21. विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय।

22. जिला पुनर्वास केन्द्रों का स्थापना।

23. राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम।

24. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं।

[हिन्दी]

वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

5847. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के कौन से जिले के वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ हुआ;

(ख) क्या इन जिलों में परियोजना के अंतर्गत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वांछित लक्ष्य न प्राप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मध्य प्रदेश के 45 से 44 जिलों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना प्रचालित होती रही है। जिलों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) 4.58 लाख हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्र के भौतिक लक्ष्य की तुलना में 385 सूक्ष्म-पनधाराओं के 7.496 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है। संरक्षण संबंधी उपायों के तहत किए गए मुख्य कार्यकलापों में कम्प्यूटर वानस्पतिक बाड़ा, लाइव फेंसिंग और नालियों के नियंत्रण के उपाय हैं जबकि उत्पादन प्रणाली के तहत किए गए क्रियाकलापों में फसल प्रदर्शन, शुष्क भूमि बागवानी और झाड़ियां व पेड़ लगाना शामिल है, शिलाएं रखकर नियंत्रण हेतु बांध बनाना, मिट्टी के ढांचे खोदकर गहरे ढांचे बनाना, निकासी-लाइन के उपचार के तहत किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में हैं। इसी प्रकार पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अनुपयुक्त सांड़ों का बाधियाकरण और चारा विकास के कार्य शुरू किए गए हैं। भौतिक लक्ष्यों की तुलना में इन चयनित क्रियाकलापों के मामले में उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जहां तक वित्तीय प्रगति का संबंध है, कुल 141.27 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई, जिसमें से मार्च, 1997 तक वहन किया गया व्यय 124.888 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ) कुछ कार्यकलापों के तहत लक्ष्यों में आंशिक कमी का कारण शुरू की अवधि में प्रशिक्षण में कमी और स्थानीय लोगों के इन कार्यकलापों में शामिल न होना रहा है। राज्य सरकार ने संसाधनों को इकट्ठा करने, समय-समय पर लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की मानिटरिंग और मूल्यांकन करने और क्षेत्र स्तर के स्टाफ व स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रयास किया है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत कवर किए गए जिलों की सूची

1.	मुरैना	7.	टीकमगढ़
2.	भिंड	8.	छत्तरपुर
3.	ग्वालियर	9.	पन्ना
4.	दतिया	10.	सागर
5.	शिवपुरी	11.	दामोह
6.	गुना	12.	सतना

13. रीवा	29.	रायसेन	
14. शहडोल	30.	बेतूल	
15. सीधी	31.	होशंगाबाद	
16. मंदसौर	32.	जबलपुर	
17. रतलाम	33.	नरसिंहपुर	
18. उज्जैन	34.	माण्डला	
19. शाहजापुर	35.	छिंदवाड़ा	
20. देवास	36.	सिवनी	
21. झबुआ	37.	बालाघाट	
22. धार	38.	सरगुजा	
23. इन्दौर	39.	बिलासपुर	
24. खरगौन	40.	रायगढ़	
25. खण्डवा	41.	राजनंदगांव	
26. राजगढ़	42.	दुर्ग	
27. विदिशा	43.	रायपुर	
28. सिहोर	44.	बस्तर	

विवरण-II

वर्ष 1990-91 से मार्च, 1997 तक मध्य प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत मुख्य घटकों के संबंध में उपलब्धि

क्र. सं.	मुख्य कार्यकलाप	यूनिट	लक्ष्य 1990-91 से मार्च, 1997	उपलब्धि मार्च, 97 तक
1	2	3	4	5
क.	**कृषि योग्य भूमि**			
1.	**संरक्षण उपाय**			
(1)	कन्टूर वानस्पतिक बाड़ा	है॰	415442	328005
(2)	मरम्मत/नाली नियंत्रण व अन्य उपाय	सं.	204234	147733
2.	**उत्पादन प्रणाली**			
(1)	फसल प्रदर्शन	सं.	412392	312839
(2)	कृषि-वानिकी	सं.	3986567	2734036
(3)	शुष्क भूमि बागवानी	सं.	2540825	2133079
(4)	घरेलू उत्पादन पद्धति	सं.	103343	58907
(5)	वास भूमि उद्यान	सं.	245269	242600
ख.	**गैर-कृषि योग्य भूमि**			
1.	**संरक्षण उपाय**			
(1)	कन्टूर वानस्पतिक बाड़ा	है॰	283169	229145
(2)	वानस्पतिक फिल्टर स्ट्रिप्स	आर.एम. टी.	271431	168568
2.	**उत्पादन प्रणाली**			
(1)	झाड़ी लगाना	सं.	19114503	10305283
(2)	घास और फली के अधिक बीज बोना	है॰	162653	134273
ग.	**निकासी लाइन का उपचार**			
1.	शिलाएं रखकर ढ़ांचा बनाना	सं.	39869	32536
2.	खुदे हुए गड्ढों के स्थान पर ढ़ांचा बनाना	सं.	17352	13212
घ.	**पशुधन प्रबंध**			
1.	कृष्ड चारा विकास	सं.	67315	29930
2.	अनुपयुक्त सांडों का बधियाकरण	सं.	356514	99257

परिचय पत्रों को जारी करना

5848. डा॰ रमेश चंद तोमरः
श्री देवी बक्स सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती जिलों में परिचय पत्र बनाने का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या जिनकों परिचय पत्र जारी किये जा चुके हैं, के साथ-साथ तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन सभी लोगों को कब तक परिचय पत्र जारी किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दसवीं लोक सभा के भंग हो जाने पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र (निवासियों को पहचान पत्र जारी करना) विधेयक, 1993 व्यपगत हो गया था। इस बीच, भारत के निर्वाचन आयोग ने समूचे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने संबंधी एक योजना की घोषणा की। इससे निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र के अलावा, एक अन्य पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता पर फिर से विचार करना अनिवार्य हो गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

इंटरपोल संचार तंत्र

5849. श्री यैल्लैया नंदी:
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नवीनतम एक्स-400 के माध्यम से इंटरपोल संचार तंत्र से जुड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे होने वाले संभावित लाभों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इंटरपोल द्वारा विभिन्न विषयों के साथ-साथ एक नयी अपराध संबंधी सूचना प्रणाली विकसित किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च) एक्स 400 प्रोटोकाल पर आधारित इन्टरपोल टेलिकम्यूनिकेशन नेटवर्क से जुड़ने का निर्णय किया गया है। यह एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग केवल इन्टरपोल सदस्य देशों और इन्टरपोल जनरल सेक्रेटरियेट द्वारा ही किया जा सकता है। इस नेटवर्क के सदस्य देश परस्पर और इन्टरपोल जनरल सेक्रेटरियेट को डाटा और इमेज भेज सकते हैं। इसमें कम्यूनिकेशन के आनलाईन इनक्रिपशन के लिए भी व्यवस्था होगी। इसे चालू वर्ष के अंत तक कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है।

इंटरपोल जनरल सेक्रेटरियेट का एक नई आपराधिक सूचना प्रणाली विकसित करने का कार्यक्रम है। इस नई प्रणाली का मुख्य तकनीकी लाभ इंटेलिजेंट कंसलटेशन सोफ्टवेयर शुरू करना होगा। अगले पांच वर्षों में निम्नलिखित विषयों को विकसित करने का प्रस्ताव है:-(1) मनी लॉन्डरिंग (2) क्रेडिट कार्डस (3) चुराये गए पारपत्र (4) पहचान दस्तावेज (5) चैक (6) अड्रैस बुक और पीडोफिलिया।

पाकिस्तान को चीनी का निर्यात

5850. श्री एन॰ एस॰ वी॰ चितयन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान भारत से चीनी का आयात कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो भारत से चीनी के निर्यात के लिए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) अब तक जितनी चीनी का निर्यात किया गया उसके मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान ने अचानक समझौता रद्द कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो समझौता रद्द किये जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां, पाकिस्तान भारत से वाणिज्यिक शर्तों पर चीनी का आयात कर रहा है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान पाकिस्तान को निर्यात की गई चीनी का कुल मूल्य लगभग 453.83 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) आई॰ एस॰ जी॰ आई॰ ई॰ आई॰ सी॰ लि॰ के साथ हुए किसी भी अनुबंध को पाकिस्तान द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। जैसाकि एस॰ टी॰ सी॰ द्वारा सूचित किया गया है उसके अनुसार एस॰ टी॰ सी॰ ने पाकिस्तान व्यापार निगम, कराची से अनुबंध निरस्त करने के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया है।

फल उत्पादक

5851. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में फल उत्पादकों को विशेष रूप से असम में अपने उत्पादन का लाभकर मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने फल उत्पादकों के हित में क्या उपाय किये हैं जिससे उन्हें उनके उत्पाद का लाभकर मूल्य मिले ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। हालांकि कृषि एवं सहकारिता विभाग राज्यों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर शीघ्र खराब होने वाले बागवानी पद्दार्थों के मामले में मंडी हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित करता है ताकि किसानों को मजबूरी में बिक्री न करनी पड़े। उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार मंडी हस्तक्षेप योजना में पूर्व निर्धारित मात्रा में खरीद करती है। इस योजना की लाभ/हानि को केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें 50:50 के आधार पर वहन करती हैं। इसके अलावा दो उदार ऋण वाली योजनायें (1) बागवानी फसलों की फसलोपरीत बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन संबंधी समेकित परियोजना, तथा (2) ''बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास'' राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से चलायी जा रही है जिसका उद्देश्य फसल के उपरांत होने वाली खराबी को कम करना और उत्पादों के विपणन में सुधार लाना तथा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

सम्बंधित राज्य सरकारों से विनिर्दिष्ट फार्म में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 28.2.97 से 15.2.97 तक उत्तर प्रदेश में माल्टा के लिए और 28.1.97 से 15.3.97 तक हिमाचल प्रदेश में माल्टा के लिए मंडी हस्तक्षेप योजना चलायी थी।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए धनराशि

5852. श्री पी० एस० गढ़वी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान देश में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि राज्यवार आवंटित की गयी;

(ख) उपर्युक्त योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित किये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी० ए० डी० पी०) के तहत आवंटित की गयी निधियों तथा किये गये व्यय को राज्यवार क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निधियों की उपलब्धता के विषय में अभी निर्णय लिया जाना है।

विवरण-I

1997-98 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत राज्यों को किये गये आबंटन (रु० लाख में)

राज्य	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98
1	2	3	4	5	6
असम	391.57	437.33	412.00	412.00	412.00
गुजरात	698.14	793.33	858.00	858.00	858.00
ज० व क०	1400.00	1750.00	2068.00	2068.00	2068.00
मेघालय	389.28	423.34	395.00	395.00	395.00
मिजोरम	283.57	325.34	273.00	273.00	673.00
पंजाब	644.62	788.33	854.00	854.00	854.00
राजस्थान	1905.74	2044.00	2563.00	2563.00	2563.00
त्रिपुरा	803.86	981.33	1096.00	1096.00	1096.00
प० बंगाल	2183.22	2457.00	3081.00	3081.00	3081.00
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	400.00
नागालैंड	–	–	–	–	400.00
मणिपुर	–	–	–	–	400.00
जोड़	8700.00	10000.00	11600.00	11600.00	13200.00

टिप्पणी:

1993-94 : इसके अतिरिक्त, राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 52.00 करोड़ रुपये तथा बिहार को तीन जिलों में फोटो पहचान पत्र जारी करने की स्कीम के लिए 1.00 करोड़ रुपये जारी किये गये। इस प्रकार 1993-94 के दौरान जारी की गयी कुल राशि 140.00 करोड़ रुपये है।

1994-95 : इसके अतिरिक्त, राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 60.00 करोड़ रुपये जारी किये गये। इस प्रकार कुल जारी की गयी राशि 176.00 करोड़ रुपये है।

1995-96 : इसके अतिरिक्त, राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 60.00 करोड़ रुपये जारी किये गये। इस प्रकार कुल जारी की गयी राशि 176.00 करोड़ रुपये है।

1996-97 : इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिये 40.00 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। यह 4.00 करोड़ रुपये के अनाबंटित अधिशेष को प्रदर्शित करता है तथा निधियों की कुल उपलब्धता 176.00 करोड़ रुपये है।

विवरण-II

आठवीं योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत राज्यों द्वारा किया गया सूचित व्यय

(रुपये लाख में)

राज्य	1993-94	1994-95	95-96	1996-97	प्राप्त पिछली रिपोर्ट के अनुसार
1	2	3	4	5	6
गुजरात	601.03	705.40	705.26	564.00	दिस०/96
मेघालय	280.01	415.21	255.57	316.93	दिस०/96
मिजोरम	282.58	285.76	225.04	56.80	सित०/96
राजस्थान	शून्य	1527.36	2428.08	900.09	दिस०/96
ज०औरक०	1360.27	1458.89	1216.81	463.01	फर०/97
असम	शून्य	213.87	189.66	शून्य	दिस०/96
प० बंगाल	1480.43	1180.42	शून्य	शून्य	सित०/96
त्रिपुरा	263.83	891.50	1408.44	शून्य	सित०/96
पंजाब	541.66	748.70	763.89	233.05	दिस०/96

[अनुवाद]

काजू की खेती

5853. श्री एन० डेनिस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार काजू उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेती की वैज्ञानिक प्रणाली को अपनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता ममले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने आठवीं योजना के दौरान 47.85 करोड़ रुपये के एक प्लान परिव्यय के साथ समेकित काजू विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की है जो निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए है तथा नौवीं योजना में भी इसके जारी रहने की संभावना है।

(1) उन्नत और अधिक उपज देने वाली किस्मों की रोपण सामग्री का बहुलीकरण और सप्लाई।

(2) मौंजूदा बागानों की उत्पादकता सुधारना।

(3) उन्नत उत्पादन और कृषि प्रबंध विधियां अपनाना।

(4) किसानों का प्रशिक्षण।

भूमि का अपक्षय

5854. श्री अमर पाल सिंहः
श्री विजय हाण्डिकः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है जिसमें देश की कुल भूमि में से कितनी हैक्टेयर भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, इसका अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरा शक्ति विशेष भूमि कितने प्रतिशत है तथा उसे पुनः कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता ममले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) बंजर भूमि विकास विभाग ने राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेन्सी, हैदराबाद के जरिये देश के 241 जिलों का सर्वेक्षण कराया है। उसके अनुसार, 35.65 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र निम्नीकृत है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 17.5 प्रतिशत बनता है। निम्नीकृत भूमि के सुधार हेतु केन्द्रीय/राज्यीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत तथा विदेशी सहायता से देश में विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आवासीय विद्यालय

5855. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए ब्लाक-वार मुफ्त आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समुदायों की बालिकाओं के लिए ब्लाक-वार मुफ्त आवासीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय में इस संबंध में कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय के नाम से एक नई योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल नही है।

[अनुवाद]

जगन्नाथ शेट्टी आयोग रिपोर्ट

5856. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1997 के ''द पाईनियर'' में ''आई॰ एस॰ आई॰ कास्ट्स ए लांग शेडो'' शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त रिपोर्ट में भारत में आई॰ एस॰ आई॰ की भूमिका के संबंध में क्या टिप्पणियां की गई हैं; और

(ग) सरकार ने आई॰ एस॰ आई॰ को भारत में नशीले पदार्थो, हथियारों और गोला बारूद तथा धन भेजने के लिए पड़ौसी देश को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सरकार ने समाचार रिपोर्ट को देखा है। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन नीति की समीक्षा

5857. डा॰ सी॰ सिल्वेरा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी पृष्ठभूमि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समीक्षा के अंतर्गत वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अद्यतन किया जाना भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार समीक्षा और अद्यतन किए जाने से आम जनता को किसी प्रकार की सहायता मिलेगी और पर्यावरण परियोजनाओं के सुचारू और गतिशील कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है जिसके लिए ब्यौरों का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संशोधन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की पुनरीक्षा की जा रही है ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय वन नीति की पुनरीक्षा करने से अन्य बातों के साथ-साथ वन संसाधनों के सतत् प्रबंधन में समुदाय द्वारा सक्रिय सहभागिता के लिए अधिक अवसर मुहैया होंगे। वन नीति, या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की पुनरीक्षा और अद्यतन का संबंध पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की उपलब्धता बढ़ाने से नहीं है।

वानिकी अनुसंधान हेतु सहायता

5858. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा:
श्री शिवराज सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद तथा वानिकी अनुसंधान संबंधी शैक्षिक संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से वित्तीय/तकनीकी सहायता प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र की ऐसी सहायता से कौन सी परियोजनाएं आरंभ किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) भारतीय वन अनुसंधान परिषद् को सुदृढ़ बनाने और उसका विकास करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता प्राप्त परियोजना सितंबर, 1992 से पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित की जा रही है जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का योगदान 2.56 मिलियन अमरीकी डालर और भारत सरकार का योगदान 21.94 मिलियन है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:-

- अवक्रमित वनों, ग्राम भूमियों और कृषि भूखंडों पर कृषि वानिकी के वनीकरण, पुनर्वनीकरण और पुनर्वास में सहायता करने के लिए बायोमास के अधिकतम उपयोग हेतु वानिकी उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में ठोस अनुसंधान आधार स्थापित करना;

- प्रयोक्ताओं को अनुसंधान के सिद्ध परिणामों और परीक्षित प्रौद्योगिकियों के स्थानान्तरण के लिए विस्तार क्रियाविधियों का विकास; और

- राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता का उन्नयन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी अनुसंधान का समेकन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि लक्ष्य की दिशा में की गई प्रगति को दक्ष वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अनेक सुगठित और बहुअनुशासनिक टीमों के समेकित प्रयासों द्वारा प्राप्त किया जा सके।

राज्यों को धनावंटन

5859. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार विभिन्न राज्य ''राजस्व में राज्यों की भागीदारी'' में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न केन्द्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी की एक वैकल्पिक स्कीम से जुड़ा है जिसे 1 अप्रैल, 1996 से प्रारंभ करने की सिफारिश दसवें वित्त आयोग द्वारा की गयी थी जिसके अन्तर्गत लगभग सभी केन्द्रीय करों की सकल प्राप्तियों का एक निश्चित भाग (29 प्रतिशत) राज्यों को हस्तांतरित किया जाना है।

जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा 22 जुलाई, 1996 के अपने बजट भाषण में वादा किया गया था, वित्त मंत्रालय ने वैकल्पिक स्कीम के पक्ष तथा विपक्ष में विविध तर्कों का उल्लेख करते हुये एक परिचर्चा पत्र निकाला था तथा 20 दिसम्बर, 1996 को इसे सदन के पटल पर रखा था। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि 1996-97 के बजट अनुमानों के आधार पर 1 अप्रैल, 1996 से स्कीम के क्रियान्वयन से केन्द्र से राज्यों को 2091 रुपये के संसाधनों का अतिरिक्त हस्तांतरण होगा।

वित्त मंत्री ने 22 फरवरी, 1997 को दिये गये अपने बजट भाषण में केन्द्र एवं राज्यों के मध्य साझेदारी वाले एक एकल विभाज्य कर पूल बनाने को दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किये जाने की सरकार के इरादे की घोषणा की।

(ग) और (घ) 15 जनवरी, 1977 को अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थायी समिति द्वारा अन्तरण की वैकल्पिक स्कीम पर चर्चा की गयी तथा पुनः 10 मई, 1997 को इस पर चर्चा करना निर्धारित हुआ है।

जीवनरक्षक औषधियों की कमी

5860. श्री राधा मोहन सिंह:
प्रो॰ रीता वर्मा:
डा॰ रमेश चन्द्र तोमर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है अथवा कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन औषधियों को उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) सरकार एक पद्धति का संचालन कर रही है जिसमें राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा दवाइयों की कमी की रिपोर्ट इस विभाग को सूचित करते हुए संबंधित निर्माता को की जाती है अर्थात् राज्य स्तर पर कमी को मानीटर किया जाता है तथापि विभाग कमी के संबंध में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में दवाइयों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्माताओं से इस मामले पर गौर करता है।

प्राप्त रिपोर्टों के सामान्य विश्लेषण से पता चलता है कि आवश्यक जीवन रक्षक औषधों की आम कमी की कोई जानकारी नहीं मिली है। तथापि, कुछ खास ब्रांडों के सूत्रयोगों की स्थानीय कमी की रिपोर्ट मिली है। अस्थायी कमी के इन मामलों में भी यह देखा गया है कि दवाइयों की औषधीय समतुल्य आमतौर पर उपलब्ध हैं।

फसल बीमा योजना

5861. श्री शिव राज सिंह:
श्री थावरचंद गेहलोत:
डा॰ अरविन्द शर्मा:
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
श्री भक्त चरण दास:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फसल बीमा योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित किए गए आर्थिक और वास्तविक लक्ष्य क्या हैं और इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई राज्यवार उपलब्धि क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की वर्षवार और राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य कतिपय संशोधनों के बाद भी इस योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को सभी राज्यों द्वारा लागू करने को बाध्यकारी बनाने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो यह योजना सभी राज्यों में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) इस समय वृहत फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन 15 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। इनके नाम इस प्रकार हैं :

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) गुजरात
(5) गोवा
(6) हिमाचल प्रदेश
(7) कर्नाटक
(8) केरल
(9) महाराष्ट्र
(10) मध्य प्रदेश
(11) मेघालय
(12) उड़ीसा
(13) तमिलनाडु
(14) त्रिपुरा
(15) पश्चिम बंगाल
(16) अंडमान एवं निकोबाद द्वीप समूह
(17) पाण्डिचेरी

वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते क्योंकि क्षतिपूर्ति दावों का भुगतान अधिसूचित क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने तथा पैदावार में कमी होने पर ही किया जाता है। भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

1992-93	30.00
1993-94	61.40
1994-95	106.00
1995-96	36.30
1996-97	110.42

(ग) वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत आठवीं योजनावधि के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कृषि उत्पादन में अपेक्षाकृत स्थिरता तथा जोखिम, फसलों आदि का कवरेज सीमित होने से यह योजना आकर्षक न लगने के कारण कुछ राज्य इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इस योजना में शामिल न होने वाले/योजना से बाहर रहने का विकल्प प्रस्तुत करने वाले राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम नीचे दिए गए हैं:

1. पंजाब
2. हरियाणा
3. सिक्किम
4. मिजोरम
5. अरुणाचल प्रदेश
6. नागालैंड
7. राजस्थान
8. दिल्ली
9. जम्मू एवं कश्मीर
10. उत्तर प्रदेश

(च) और (छ) वृहत फसल बीमा योजना को राज्यों के लिए अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वे इसे स्वीकार करना पसन्द नहीं करेंगे।

विवरण

वृहत फसल बीमा योजना के तहत आठवीं योजना के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	93-94	94-95	95-96	1996-97*
1. आन्ध्र प्र॰	182871	81041	211121	163964	
2. असम	1636	114	389	71	
3. बिहार	96995	15075	3909	34409	
4. गुजरात	18361	493763	68892	384318	
5. गोवा	115	78	1291	82	
6. हिमाचल प्र॰	782	391	388	8	
7. कर्नाटक	24915	19407	13580	48981	
8. केरल	4685	13500	15071	5841	
9. महाराष्ट्र	24897	21542	251878	130250	
10. मध्य प्र॰	86858	20650	103642	247586	
11. मेघालय	776	155	311	194	
12. उड़ीसा	87199	20398	81879	109243	
13. तमिलनाडु	38494	80795	14394	46775	
14. त्रिपुरा	शून्य	शून्य	306	शून्य	
15. प॰ बंगाल	37598	41037	59160	112887	
16. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17. पांडिचेरी	299	1495	शून्य	शून्य	
योग	606481	809441	826211	1284609	

* 1996-97 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

बीजों की उन्नत किस्में

5862. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक केवल उन्हीं उन्नत किस्मों के बीजों का विकास कर सकते हैं जिनका विकसित देशों द्वारा पहले ही विकास किया जा चुका है;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिक चने जैसे उन बीजों को विकसित करने में कोई उपलब्धि हासिल करने में असफल रहे हैं जिन्हें विदेशों द्वारा उत्पादित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न कृषि-जलवायुवीय दशाओं और स्थितियों के लिए उपर्युक्त उत्पादन एवं संरक्षण टेक्नोलाजी के साथ अधिक पैदावार देने वाली अनेक संकर किस्मों का विकास करने में अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। चने की अनेक महत्वपूर्ण किस्में जैसे पूसा 256, जे० जी० 74, पी० बी० जी०-1, फूले जी पूसा 372, जी० एन० जी० 663, के० डब्ल्यू० आर० 108 आदि विकसित एवं उगाने के लिए जारी की गई हैं जो 2.0 से 2.5 टन/ हैक्टे० पैदावार देती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश

5863. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रसायन और औषधि विक्रेता संगठन ने कुछ वर्षों पहले खुदरा मूल्य जमा स्थानीय कर अतिरिक्त के स्थान पर "सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य" अंकित करने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन करने हेतु कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जनवरी, 1997 में ए० आई० ओ० डी० सी० ने निवेदन किया था कि डी० पी० सी० ओ०, 95 में संशोधन किया जाए "खुदरा मूल्य + स्थानीय कर अतिरिक्त" के स्थान पर "अधिकतम खुदरा मूल्य सभी करों सहित" के प्रकाशन की अनुमति दी जाए।

(ख) प्रस्तुत कारण यह थ कि दवाइयां देश के सभी भागों में एक समान मूल्य पर उपलब्ध होंगी।

(ग) चूंकि अलग-अलग राज्यों में कर संरचना भिन्न-भिन्न है इसलिए यह संभव नहीं है कि वर्तमान में ए० आई० ओ० सी० डी० के निवेदन को स्वीकार किया जाए।

संसद सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक मामले

5864. श्री शिवानंद एच० कौजलगी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के विरुद्ध लंबित पड़े आपराधिक मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये किन-किन दलों/राज्यों से संबंधित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार में कथित भ्रष्टाचार

5865. श्री जय प्रकाश (हरदोई):
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सुपर बाजार में कथित भ्रष्टाचार तथा वस्तुओं की खरीद तथा मूल्य निर्धारण हेतु आपूर्तिकर्ताओं का चयन किए जाने के संबंध में कुप्रबंधन संबंधी कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्राप्त हुई इस प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान उसके

कुछ कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सप्लायरों के चयन तथा मूल्यों के नियतन में भ्रष्टाचार/कुप्रबंध से संबंधित 11 शिकायतें उनके ध्यान में आई हैं :

(ग) सुपर बाजार, दिल्ली ने इन शिकायतों के बारे में निम्नलिखित कार्यवाई की है:

1.	अधिकारियों का तबादला	– 1 मामले में
2.	सप्लायर/पार्टी को वस्तुएं लौटाना	– 2 मामलों में
3.	एक वर्ष की अवधि के लिए दर कम करना/मूल्यों में वृद्धि न करना	– 2 मामलों में
4.	जांच-पड़ताल पूरी हो गई है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है	– 3 मामलों में
5.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और अनुशासन समिति के निर्णय की प्रतीक्षा है	– 1 मामले में
6.	जांच की जा रही है।	– 2 मामलों में
	योग	11 मामले

(घ) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा विभागीय प्रबंधक तथा सतर्कता विभाग के जरिए तुरन्त निरीक्षण/जांच करने का कार्य शुरू किया गया है।

अल्कोहल युक्त पेय

5866. श्री परसराम भारद्वाजः
श्री छीतु भाई गामीतः
श्री माणिक राव होडल्या गावीतः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ शराब बनाने वाली इकाइयों ने पेल अल्कोहल के उत्पादन के लिए लाइसेंस में उल्लिखित क्षमता मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय के केन्द्र से राज्य को जाने के कारण ऐसे मामलों में दंड से बच जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने सामान्यतः उत्पादन वृद्धि के मामलों में ऊंचा उत्पाद कर लगाकर अनुमति प्रदान कर दी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों की उपलब्धता संबंधी अनुसंधान

5867. चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में वन और पहाड़ी क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी-बूटियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उनसे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए ''सेंट्रल फार्मास्यूटिकल एंड एरोमेटिक इंस्टीट्यूट'' द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों से संबंधित कोई योजनाबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सी॰ एस॰ आई॰ आर॰ का घटक संगठन ''सिमैप'' औषधीय व सगंध पादपों के समग्र विकास तथा लाभदायक उपयोग में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान ने इन पादपों की कई नई किस्मों तथा कृषि तथा प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। सिमैप के प्रयत्न स्वरूप औषधीय तथा सगंध पादपों के उत्पादन तथा उनमें से कुछ के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(घ) सिमैप मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किसानों को औषधीय तथा सगंध पादपों की खेती के लिए प्रशिक्षण देने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रही है। यह संस्थान राज्य में सभाओं तथा प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी करता रहा है। सिमैप ने मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् के लिए औषधीय तथा सगंध पादपों की खेती हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

5868. श्री तारीक अनवर : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सामीप्य, कानून व्यवस्था आदि जैसे कारणों से देश के कुछ क्षेत्र विदेशी (सुरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 तथा विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत सुरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक परमिट प्राप्त किए बिना इन क्षेत्रों में कोई विदेशी राष्ट्रीय प्रवेश नहीं कर सकता। वे क्षेत्र जो सुरक्षित तथा प्रतिबंधित घोषित किए गए हैं वे इस प्रकार हैं :

प्रतिबंधित क्षेत्र : अंडमान तथा निकोबार और सिक्कम के हिस्से।

सुरक्षित क्षेत्र : समस्त अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम तथा सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए कुछ क्षेत्र।

पशुपालन और डेयरी योजनाएं

5869. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पशुपालन और डेयरी उद्योग को इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया गया है कि जनता को संबंधित उत्पादों का ठीक प्रकार से वितरण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत वर्षों के दौरान पशुपालन और डेयरी की योजनाओं को शुरू करने के लिए स्थानों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) पशुपालन राज्य का विषय है तथा पहचान किए गए क्षेत्रों में इस क्षेत्र के विकास और इसके अंतिम उत्पाद के जनसमुदाय में उचित वितरण का प्रारंभिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों संपूर्ति के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

नौवीं योजना में सरकार की कार्यनीतियों तथा नीतियों का बल उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पशुओं के आनुवंशिक उन्नयन, आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास, आहार तथा चारे की उपलब्धता को बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबंध तथा लोगों के लिए कार्यक्रमों को अधिक लाभकारी बनाने पर केन्द्रित रहेगा।

नौंवी योजना के अनुसरण में, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने किसानों को घर पर ही सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 60,000 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, पशु संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, भेड़ तथा कुक्कुट विकास के लिए निगमों तथा संघों को बढ़ावा देने, सुव्यवस्थित बाजारों की स्थापना, गोपशु बीमा आदि के लिए योजना आयोग के पास प्रस्ताव भेजे हैं।

इस क्षेत्र के विकास के लिए 1997-98 के दौरान 170 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

बेसहारा बच्चे

5870. श्री दलीप सिंह गायकवाड़ः
श्री सत्यजीत सिंहः
श्री माधव राव सिंधियाः

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 के ''एशियन ऐज'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार बच्चों से संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों और उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में कोई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में किन मुख्य मुद्दों और समस्याओं का पता लगाया गया और इनका निपटान करने के लिए की गई टिप्पणियों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) जी, हां। कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1996 में बेसहारा बच्चों में नशीली दवाओं, एच॰ आई॰ वी॰/एड्स तथा यौन संचारी बीमारियों से संबंधित जोखिम उठाने को व्यवहार में कमी (रिड्यूसिंग रिस्क टेकिंग बिहैवियर) के संबंध में एक तीन दिवसीय कार्यशाला सह-प्रायोजित की गई। इस कार्यशाला द्वारा जिन मुख्य मुद्दों तथा समस्याओं की पहचान की गई उनमें बेसहारा बच्चों में नशीली दवाओं के दुरूपयोग का प्रभाव तथा उनके एच॰ आई॰ वी॰/एड्स तथा यौन संचारी बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता शामिल थी।

इस कार्यशाला की सिफारिशों में इन मुद्दों की अधिक हिमायत तथा जागरूकता, चिकित्सा देखभाल सेवाओं तथा नशामुक्ति केन्द्रों तक बेसहारा बच्चों और अधिक पहुंच में और बेसहारा बच्चों के लिए कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय भी शामिल थे।

इन मुद्दों तथा समस्याओं को मान्यता देते हुए यह मंत्रालय बेसहारा बच्चों के कल्याण तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण की योजना के लिए इसकी चल रही योजना के माध्यम से इस लक्षित समूह पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करेगा।

जाली प्रमाण-पत्र

5871. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंहः
श्री आर॰ एल॰ पी॰ वर्माः

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर जिले

के ग्राम अजोरपुर कराकट पंचायत में अनुसूचित जाति के जाली प्रमाण पत्र खुले तौर पर तैयार किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(ग) क्या कुछ लोग जौनपुर जिले के ग्राम अजोरपुर कराकट पंचायत चुनाव में जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर चुने गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

भाड़ा आदि प्रभारों की प्रतिपूर्ति

5872. **श्री दिलीप संघानी:**
श्री गोरधन भाई जावीया:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही लेवी चीनी के मूल्य 9.05 रुपये से बढाकर 11.00 रुपये कर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें भाड़ा, बीमा परिवहन और संभलाई प्रभारों को शामिल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार इन प्रभारों की प्रतिपूर्ति राज्य एजेंसियों को किस प्रकार से करने का है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। 10.2.1997 से लेवी चीनी का मूल्य 9.05 रुपये प्रति कि॰ ग्र॰ से बढाकर 10.50 रुपये प्रति कि॰ ग्रा॰ कर दिया गया है।

(ख) से (घ) लेवी चीनी के वितरण हेतु ब्याज, ढुलाई, रख-रखाव के खर्चे आदि थोक विक्रेताओं/उप-थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन में शामिल होते हैं। 1.4.1994 और 1.4.1996 से देशीय लेवी चीनी के संबंध में मार्जिन निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देशों की प्रतियां क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दर्शायी गई हैं।

विवरण-I

खाद्य मंत्रालय

स्वदेशी लेवी चीनी का खुदरा विक्रेताओं/उप-थोक विक्रेताओं/थोक विक्रेताओं के लिए मार्जिन निर्धारित करने के लिए 1.4.1994 से लागू मार्गदर्शी सिद्धांत

क्रं सं.	लागत की मद	खुदरा विक्रेता	उप-थोक विक्रेता/थोक विक्रेता
1	2	3	4
1.	पूंजी ब्याज	खुदरा लेवी मूल्य में से खुदरा विक्रेता का मार्जिन घटाते हुए उस पर 15 दिन के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर।	राज्य के लिए लेवी चीनी की भारित औसत लागत पर थोक विक्रताओं को एक मास के लिए और उप-थोक विक्रेताओं को 15 दिन के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर। (लेवी चीनी की लागत में चीनी के फैक्ट्री से मूल्य, उत्पाद शुल्क उपकर, भाड़ा घटक जहां मिलें "भाड़ा प्रदत्त" आधार पर चीनी के स्टॉक का प्रेषण कर रही है, शामिल है)
2.	परिवहन प्रभार	प्रत्येक	प्रत्येक
		(क) वास्तविक रेल भाड़ा (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर से सड़क मार्ग से वास्तविक परिवहन प्रभार जो कि उस राज्य में खाद्यान्नों की प्रभार ढुलाई हेतु जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित परिवहन प्रभार की दर पर सीमित होगा। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं हैं वहां सरकार की दरें अनुमत होंगी जो कि वास्तविक रेलवे भाड़ा तक सीमित होगा। जहां भारतीय	(क) वास्तविक रेल भाड़ा (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर से सड़क मार्ग से वास्तविक परिवहन प्रभार जो कि उस राज्य में राज्य खाद्यान्नों की प्रभार ढुलाई हेतु जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित परिवहन प्रभार की दर पर सीमित होगा। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां सरकार की दरें अनुमत होगीं जो कि वास्तविक रेलवे भाड़ा तक सीमित होगा। जहां भारतीय खाद्य निगम

1	2	3	4
		खाद्य निगम की दरें और रेलवे मार्ग दोनों उपलब्ध नहीं हैं वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत की जाएं।	की दरें और रेलवे मार्ग दोनों उपलब्ध नहीं हैं वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत की जाएं।
3.	हैडलिंग प्रभार	1.00 रु० प्रति परिचालन की दर पर 2 परिचालनों के लिए 2.00 रु० प्रति क्विंटल	1.00 रुपये प्रति परिचालन
4.	प्रशासनिक प्रभार	4 रुपये प्रति क्विंटल	मौसम के लिए निर्धारित किए गए अखिल भारतीय औसत फैक्ट्री मूल्य का 0.5 प्रतिशत
5.	बैंक कमीशन	भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान दरों के अनुसार	भारतीय स्टेट बैंक की दरों के अनुसार
6.	खुदरा विक्रेता का कमीशन	2.10 रुपये प्रति क्विंटल	–
7.	खाली बोरियों से प्राप्ति	नई "ए" दिवल बोरी की कीमत का 7.0 प्रतिशत	–
8.	भण्डारण/ मार्गस्थ हानि	अनुमेय नहीं	रेल द्वारा ढुलाई की गई मात्रा पर 0.25 प्रतिशत सड़क मार्ग द्वारा संचलन पर अनुमेय नहीं। थोक विक्रेताओं के मामले में एक मास और उप-थोक विक्रेताओं के मामले में 15 दिन के लिए चीनी के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भाण्डागार निगम की वर्तमान दरों, इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार
9.	तोल हानि	विक्रय की गई मात्रा पर 0.1 प्रतिशत	–
10.	प्रवेश शुल्क/ चुंगी कर/ बीमा	प्रतिपूर्ति नहीं की जाती	प्रतिपूर्ति नहीं की जाती

खुदरा विक्रेताओं और उप-थोक विक्रेता/थोक विक्रेता दोनों के लिए लागू सामान्य मानदंड

1.	मार्जिन का संशोधन	प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर
2.	संशोधित मार्जिन के लिए प्रभावी तारीख	वर्ष की पहली अप्रैल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में मार्जिन संशोधन करने से संबंधी सभी प्रस्तावों की प्रत्येक जनवरी से मार्च तक की अवधि के दौरान जांच-पडताल की जाती है।

नोट:(1) केवल दो एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम से अन्य अर्थात् थोक विक्रेता अथवा उप-थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता) को मार्जिन अनुमत होगा।

(2) जहां हैडलिंग प्रभार परिवहन प्रभारों में जोड दिए गए/शामिल कर दिए गए हैं वहां अलग से हैडलिंग प्रभार अनुमत नहीं हैं।

विवरण-II

खाद्य मंत्रालय

स्वदेशी लेवी चीनी का खुदरा विक्रेताओं/उप-थोक विक्रेताओं/थोक विक्रेताओं के लिए मार्जिन निर्धारित करने के लिए 1.4.1996 से लागू मार्गदर्शी सिद्धांत

क्रं सं.	लागत की मद	खुदरा विक्रेता	उप-थोक विक्रेता/थोक विक्रेता
1	2	3	4
1.	पूंजी पर ब्याज	खुदरा लेवी मूल्य में से खुदरा विक्रेता का मार्जिन घटाते हुए उस पर 15 दिन के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर।	राज्य के लिए लेवी चीनी की भारतीय औसत लागत पर थोक विक्रेताओं को एक मास के लिए और उप-थोक विक्रेताओं को 15 दिन के लिए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर। (लेवी चीनी की लागत में चीनी के फैक्ट्री से मूल्य, उत्पाद शुल्क, उपकर, भाड़ा घटक जहां मिलें "भाड़ा प्रदत्त" आधार पर चीनी के स्टॉक का प्रेषण कर रही हैं, शामिल है)

1	2	3	4
2.	परिवहन प्रभार	पिछले वर्षों के लिए वहन किए गए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा-अनुमोदित खर्च के लेखापरीक्षित आंकडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की एक समान दर निर्धारित की जानी है।	पिछले वर्षों के लिए वहन किए गए और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा-अनुमोदित खर्च के लेखापरीक्षित आंकडों के आधार पर प्रत्येक राज्य की एक समान दर निर्धारित की जानी है।
3.	हैडलिंग प्रभार	1.25 रु॰ प्रति परिचालन की दर पर 2 परिचालनों के लिए 2.50 रु॰ प्रति क्विंटल	1.25 रुपये प्रति परिचालन
4.	प्रशासनिक प्रभार	5 रुपये प्रति क्विंटल	मौसम के लिए निर्धारित किए गए प्रभार अखिल भारतीय औसत फैक्ट्री मूल्य 0.5 प्रतिशत
5.	बैंक कमीशन	भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान दरों के अनुसार	भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान दरों के अनुसार
6.	खुदरा विक्रेता का कमीशन	2.50 रुपये प्रति क्विंटल	-
7.	खाली बोरियों से प्राप्ति	नई ''ए'' दिवल बोरी की कीमत का 50 प्रतिशत	-
8.	भण्डारण/ मार्गस्थ हानि	अनुमेय नहीं	रेल द्वारा ढुलाई की गई मात्रा पर 0.25 प्रतिशत सड़क मार्ग द्वारा संचलन पर अनुमेय नहीं।
9.	भण्डारण प्रभार	-	एक मास और उप-थोक विक्रेताओं के मामले में 15 दिन के लिए चीनी के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भाण्डागार निगम की वर्तमान दरों, इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार
10.	तोल हानि	विक्रय की गई मात्रा पर 0.1 प्रतिशत	-
11.	प्रवेश शुल्क/बीमा	प्रतिपूर्ति नहीं की जाती	प्रतिपूर्ति नहीं की जाती

खुदरा विक्रेताओं और उप-थोक विक्रेता/थोक विक्रेता दोनों के लिए लागू सामान्य मानदंड

1.	मार्जिन का संशोधन	प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर
2.	संशोधित मार्जिन के लिए प्रभावी तारीख	वर्ष की पहली अप्रैल से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में मार्जिन संशोधन करने से संबंधी सभी प्रस्तावों की प्रत्येक वर्ष की जनवरी से मार्च तक की अवधि के दौरान जांच-पडताल की जाती है।

नोट:(1) केवल दो एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम से अन्य अर्थात् थोक विक्रेता अथवा उप-थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता) को मार्जिन अनुमत होगा।

(2) जहां हैडलिंग प्रभार परिवहन प्रभारों में जोड दिए गए/शामिल कर दिए गए हैं वहां अलग से हैडलिंग प्रभार अनुमत नहीं हैं।

रोजगार संबंधी विशेषज्ञ समिति

5873. श्री बादल चौधरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने 4 दिसम्बर, 1996 को त्रिपुरा का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव महोदय ने उत्तर-पूर्व राज्यों का दौरा किया।

(ख) और (ग) समिति ने 7 मई, 1977 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशों में राजकोषीय रियायतों, अवसंरचनात्मक सुधार, मानव संसाधन विकास तथा उत्तर-पूर्व के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सतत् आधार पर रोजगार सृजित करने हेतु मानव संसाधन विकास तथा संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल हैं।

ट्रांसपोर्टरों द्वारा रिश्वत देना

5874. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1997 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' में ''ट्रांसपोर्टस से दे पे रूपीज़ 1.2 करोड़ इन ब्राइब्स डेली'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ऐसे दृष्टान्त हैं जहां व्यक्तिगत रूप से यातायात पुलिस कार्मिकों को कदाचार में संलिप्त पाया गया लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि कोई संगठित मिली-भगत है। अकेले 1996 के दौरान, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 6 लाख से अधिक ट्रकों का चालान किया गया जो वर्ष 1995 के दौरान किए गए चालानों की संख्या से लगभग दुगनी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने कार्मिकों के बीच एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप 16 यातायात पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य 202 अधिकारियों का स्थानान्तरण गैर-संवेदनशील यूनिटों में किया गया।

खुली बिक्री योजना में भ्रष्टाचार

5875. श्री वीरभद्रम थम्मीनेनी:
श्री राम नाईक:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी संघ विशेषकर मद्रास से खाद्यान्नों की खुली बिक्री में कदाचार/भ्रष्टाचार के मुद्दे के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विकास को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय प्रधान मंत्री को सम्बोधित यूनियन ने अपनी दिनांक 16.1.1997 की शिकायत में मुख्य रूप से "गेहूं घोटाला" और हरियाणा में कुछ प्राइवेट व्यापारियों/वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का उल्लेख किया है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि खुली बिक्री योजना से केवल व्यापारियों/मिल-मालिकों को लाभ मिल रहा है और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता है और इसलिए यूनियन ने अनुरोध किया है कि खुली बिक्री की योजना की समीक्षा की जाए तथा हरियाणा में खुली बिक्री में कथित अनियमितताओं की भी गहन जांच की जाए।

(ग) खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन हरियाणा में गेहूं की बिक्री के संबंध में अनियमितताओं के बारे में हरियाणा सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी। राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा 6.1.1997 को तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा के विरुद्ध मामलों दर्ज किया गया है। मुख्य आरोप यह था कि जो गेहूं खुली बिक्री के अधीन बेचा जाना था वह क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा द्वारा व्यापारियों/मुनाफाखोरों को आवंटित कर दिया गया। भारतीय खाद्य निगम के दो अधिकारियों तथा तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा की सेवाएं उनके मूल संवर्ग में वापस कर दी गई हैं। राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है। यह मामला जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ भी उठाया गया है।

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सीमाओं के अन्दर भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1996-97 के दौरान स्वदेशी बाजार में गेहूं की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि 31 मार्च, 1997 के बाद खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री रोक दी जाए।

(घ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय के सतर्कता प्रभाग में हाल ही में एक स्क्वाड बनाया गया है। इस स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य अचानक मारे जाने वाले छापों की बारम्बारता में वृद्धि करना/भ्रष्टाचार उन्मुख क्षेत्रों, जिनमें वसूली केन्द्र, रेल हैड्स और अधिक हानि वाले डिपो शामिल हैं, में जाच में तेजी लाना है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आता है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वैच्छिक संगठन

5876. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष 1995-96 और वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई थी, इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी योजनाओं को बंद किए जाने और कितनी नई योजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आठवीं योजना के दौरान अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें चलाई थीं। इन स्कीमों के तहत अन्यों के साथ-साथ स्वयंसेवी संगठनों को भी स्कीमें लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं न कि एजेंसी विशेष।

1997-98 के योजना परिव्यय का क्षेत्रवार/स्कीमवार आवंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नौवीं योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों को बंद कर दिया गया है:

1. हलर मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता
2. खाद्य इंजीनियरिंग केंद्र
3. गहन समुद्री मत्स्यन तथा प्रसंस्करण उद्यमों में सहायता
4. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी
5. विविधीकृत मत्स्यन हेतु सहायता
6. राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना।

विवरण

वर्ष 1997-98 के योजना परिव्यय का क्षेत्रवार/स्कीमवार आबंटन

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3
	खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्र	
1.	खाद्यान्न प्रसंस्करण मशीनरी परीक्षण केन्द्र	0.20
2.	क्षेत्रीय विस्तार सेवा केंद्र (धान कुटाई)	0.23
3.	फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केंद्र, आई.आई.टी., खड़गपुर	0.50
4.	विस्तार सेवा केंद्र, सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर	0.12
5.	धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र	0.45
	कुल	1.50
	मांस तथा पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय मांस एवं पाल्ट्री उत्पाद विकास परिषद की स्थापना	0.10
2.	मांस और मांस उत्पादों के विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण एवं ढुलाई का विकास/सुधार	0.50
3.	मांस प्रसंस्करण (सुअर, भेड़, बकरी, खरगोश, भैंस) का विकास	3.00
4.	पाल्ट्री एवं अंडा प्रसंस्करण का विकास	2.70
	कुल	6.30
	बागवानी आधारित उद्योग	
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति का विकास	3.00
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण	10.00
3.	बैकवर्ड लिंकेज की मजबूत करना	1.00
4.	पायलट परियोजनाओं/प्रदर्शन यूनिटों की स्थापना	1.00
5.	व्यापक विज्ञापन	1.00
	कुल	16.00
	मात्स्यिकी	
1.	परम्परागत मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी/विपणन को मजबूत करना	0.50
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाएँ	11.20
3.	कम मूल्य की मछली का उपयोग	0.30
4.	तटरक्षक बल को सहायता	0.40
5.	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	15.50
	कुल	27.90
	दूध आधारित उद्योग	
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान और विकास से संबंधित स्कीम	3.90
2.	नवप्रचलित डेरी उत्पादों की स्थापना के लिए स्कीम	0.40
	कुल	4.30
	उपभोक्ता उद्योग	
1.	इक्विटी के रूप में माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. को बजट सहायता	1.00
2.	इक्विटी के रूप में ''नेरामक'' को बजट सहायता	0.50
	कुल	1.50
	सचिवालय आर्थिक सेवा	
1.	नोडल एजेंसियों को मजबूत करना	0.30
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन	1.80
3.	निगरानी सैल की स्थापना	0.40
	कुल	2.50
	कुल जोड़	60.00

[हिन्दी]

पशुओं की तस्करी

5877. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से होकर बंगलादेश में पशुओं की तस्करी के कारण दक्षिण बिहार में पशुओं की संख्या में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पशुओं की तस्करी करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार पशुओं की तस्करी रोकने के लिए किसी कार्यबल का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो कार्यबल का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जबकि यह कहना संभव नहीं है कि दक्षिणी बिहार में पशुधन में कमी आयी है, लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए जानवरों की संख्या से पता चलता है कि जानवरों की तस्करी में कमी का रूझान है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा जानवरों के तस्करों सहित पकड़े गए तस्करों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1995	-	5705
1996	-	4933
1997 (7 मई तक)	-	2596

सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर पकड़े गए तस्करों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों और राज्य पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है।

(ग) से (ङ) बताया जाता है कि तस्करी रोकने के लिए बिहार सरकार एक कार्य दल गठित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से, सीमा पर गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें सम्मिलित हैं : सीमा चौकियों के बीच की दूरी का कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, गश्त गहन करना, बेहतर निगरानी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी, बुर्जों का निर्माण और रात में देखने वाले उपकरण, दूरबीनों, इत्यादि की आपूर्ति और सीमा के भूमि तथा तटीय क्षेत्रों में गश्त लगाना।

[अनुवाद]

किसानों को राजसहायता

5878. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से किसानों को सीधी राजसहायता की प्रक्रिया को बहाल करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) अनुमानतया, माननीय सदस्य उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत का जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

चीनी उत्पादन

5879. श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगामी:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री आर० साम्बासिवा राव:
प्रो० प्रेमसिंह चन्दूमाजरा:
श्री सुरेन्द्र यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 के मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो चीनी की कितनी आवश्यकता है तथा इस गिरावट के कारणों सहित फसल के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ है;

(ग) 1996-97 के दौरान कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया है;

(घ) चीनी उत्पादन में गिरावट के कारण कितनी चीनी निर्यात होने की संभावना है; और

(ङ) 1997 के लिए चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) चालू 1996-97 चीनी मौसम (अक्तूबर 1996-सितम्बर 1997) 31.3.1997 तक, के दौरान चीनी का उत्पादन 106.05 लाख टन था जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख को 117.27 लाख टन था। यह कमी मुख्य रूप

से चालू मौसम के दौरान विलम्ब से पेरोई आरम्भ करने तथा पिछले मौसम के दौरान लम्बी अवधि तक पेरोई करने के कारण है। चालू 1996-97 मौसम के दौरान उत्पादन तथा घरेलू खपत दोनों लगभग 140 लाख टन होने का अनुमान किया जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू चीनी मौसम 1996-97 के दौरान 30 अप्रैल, 1997 तक 4.08 लाख टन (अंतिम) की मात्रा निर्यात की गई है।

(घ) चीनी का निर्यात, अधिशेष खुली बिक्री चीनी की उपलब्धता, घरेलू खपत की आवश्यकता, उत्पादन आदि पर निर्भर करेगा।

(ङ) मौसम के आरंभ में पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा चालू 1996-97 मौसम के दौरान अनुमानित उत्पादन से देश की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी।

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

5880. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की कितनी झीलों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश की सागर झील को उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु शामिल किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत अभिनिर्धारित 21 शहरी झीलों में से 11 झीलों का चरण-I के अन्तर्गत संरक्षण किए जाने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश की सागर झील को शामिल किया गया था। इसके अलावा आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंध की स्कीम के अन्तर्गत गहन संरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा देश के 18 जल निकायों को अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना से झीलों के बारे में एक प्रस्ताव और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य आर्द्रभूमियों का प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता पाने के लिए विचाराधीन है।

नागा भूमिगत गुट के साथ वार्ता

5881. श्री संतोष मोहन देव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार यदि नागा भूमिगत गुट अलग-अलग आते तो भी उनके साथ वार्ता करने के लिए सहमत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त नागा भूमिगत गुट के समक्ष कोई शर्त रखी है;

(ग) यदि हां, तो नागा भूमिगम गुट वार्ता के लिए कहां तक सहमत हो गया है; और

(घ) वार्ता कब तक शुरू होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार ने उग्रवादियों सहित व्यक्तियों के किसी भी ग्रुप के साथ उनकी वैध शिकायतों पर बिना किसी पूर्व-शर्त के विचार-विमर्श करने के लिए खुला निमंत्रण दिया हुआ है।

(ग) और (घ) एक भूमिगत नागा गुट के साथ केवल प्रारंभिक सम्पर्क हुआ था। औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने के लिए कोई समयावधि नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

कृषि विकास के लिए विदेशी सहायता

5882. श्री अन्ना साहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के वर्षों के दौरान कृषि विकास तथा अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि में से कितनी राशि प्रत्येक राज्य को दी गयी; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र के सुधार और विकास के संबंध में प्रत्येक राज्य को ऐसी सहयता देने में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान विश्व बैंक और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष से कृषि और अनुसंधान विकास हेतु प्राप्त राज्य/परियोजनावार सहायता का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) विश्व बैंक से सहायता का लक्ष्य इस प्रकार है : लाभार्थी राज्यों की समग्र कृषि कार्यनीतियों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकीय अपरदन की प्रक्रिया को कम से कम करना, कृषि उत्पादन के स्तर को बढ़ावा, बहुक्षेत्रीय कार्यकलापों के लिए बुनियादी अवसंरचना का सृजना करना। इस परियोजना का प्रभाव फसल गहनता और उत्पादकता में वृद्धि करने, फसलोत्पादन, कृषि वानिकी, शुष्क भूमि पर बागवानी, पशुधन प्रबंध, ग्रामीण सड़कें, पेयजल, लघु सिंचाई आदि जैसे कार्यकलापों से आय सृजन पर पड़ेगा।

कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष से सहायता मुख्यतया उन परियोजनाओं के लिए दी जाती है जिसका उद्देश्य सुविधाहीन समूहों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस समूहों में जनजातीय आबादी, महिलाएं तथा हरियाणा के मेवात क्षेत्र जैसे अत्यंत अविकसित क्षेत्र में गरीबी की घटना शामिल है। परियोजना घटक में ग्रामीण अवसंरचना का विकास, लघु सिंचाई और जल संरक्षण कार्य को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा, निर्धनों को ऋण आदि शामिल है। परियोजना में विशेषरूप से उत्पादन से संबंधित पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। ये परियोजनाएं संबंधित राज्यों में कृषि विकास के लिए प्रयासों में सहायता कर रही है।

विवरण-I

कृषि के विकास के लिए राज्यों को विश्व बैंक की सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना	राज्य	वर्ष				अभ्युक्ति
			1994-95	1995-96	1996-97	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम ग्रामीण संरचना और कृषि सेवा परियोजना	असम	–	6.95	7.33	14.28	वर्ष 95-96 में शुरू किया गया
2.	बिहार पठार विकास परियोजना	बिहार	11.32	23.05	20.92	55.29	
3.	उ० प्र० सोडायुक्त भूमि सुधार परियोजना	उ० प्र०	6.45	19.96	37.22	63.63	
4.	कृषि विकास परियोजना तमिलनाडु	तमिलनाडु	46.80	68.73	56.68	172.21	
5.	कृषि विकास परियोजना राजस्थान	राजस्थान	48.35	54.70	51.83	154.88	
6.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	गुजरात उड़ीसा एवं राजस्थान	19.23	26.42	51.60	97.25	
7.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर एवं पंजाब	22.16	34.93	28.58	85.67	
		योग	154.31	234.31	254.74	643.21	
	आगे लाया गया		154.31	234.31	254.74	643.21	
8.	झींगा तथा मछली पालन परियोजना	आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं प० बंगाल	3.15	9.58	14.49	27.22	
9.	राष्ट्रीय बीज परियोजना-III	आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल	13.88	128.25	69.90	212.03	
10.	राष्ट्रीय कृषि अनु० परियोजना-II	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	9.59	24.70	17.80	52.09	
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-II	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश	42.73	15.88		58.61	
	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु	–	10.35	11.79	22.06	
		योग	223.66	425.50	568.98	1018.24	

विवरण-II

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा परियोजनावार वित्तीय सहायता

(रकम अमेरिकी मि॰ डालर)

परियोजना का नाम	राज्य	94-95	95-96	96-97	योग
1 2	3	4	5	6	7
1. उड़ीसा जनजातीय विकास	उड़ीसा	1.434	2.157	1.336	4.927
2. तमिलनाडु महिला विकास	तमिलनाडु	0.764	3.840	3.839	8.443
3. आंध्र प्रदेश जनजातीय विकास	आंध्र प्रदेश	2.741	1.268	1.717	5.726
4. महाराष्ट्र ग्रामीण ग्रुप	महाराष्ट्र	2.000	0.340	1.795	4.135
5. आंध्र प्रदेश सहभागी जनजातीय विकास	आंध्र प्रदेश	1.800	1.268	1.467	4.535
6. मेवात क्षेत्र विकास	हरियाणा	-	1.200	0.000	1.200
योग		8.739	10.073	10.073	28.966

नोट :- 31.01.1997 की स्थिति के अनुसार

[अनुवाद]

असम में आतंकवादी गतिविधियां

5883. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय बागान एक बार फिर उग्रवादियों का निशाना बन गये हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान राज्य में कितने हमलों, हत्याओं की घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार समस्या से निपटने के लिए विशेष उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) असम में अन्य सार्वजनिक स्थलों सहित चाय बागानों, सुरक्षा कर्मियों, राजनैतिक नेताओं आदि पर उग्रवादियों के हमले होते रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष (2.5.96 से 30.4.97) के दौरान असम में हिंसा की 410 घटनाएं घटी जिनमें 377 लोग मारे गए।

(ग) और (घ) सरकार ने असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर काबू पाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं-अतिरिक्त सैन्य बल, अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती ताकि उग्रवादियों के खिलाफ विद्रोह विरोधी अभियान चलाए जा सकें; आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, विद्रोहियों के खिलाफ समन्वित अभियान चलाने के लिए रणनीति ग्रुप और एकीकृत मुख्यालय स्थापित करना; राज्य और केन्द्र स्तर पर नियमित समीक्षा आदि।

[हिन्दी]

उर्वरकों की खपत

5884. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कृषि भूमि में उर्वरकों की खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिसमें 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान देश में स्थाई फसलें उगाई जाती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किय गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाने तथा प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सभी फसलों में उर्वरकों की कुल खपत का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए नियंत्रण रहित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की रियायती बिक्री की योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन वितरित केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

1994-95 527.95 करोड़ रुपये

1995-96 500.00 करोड़ रुपये

1996-97 1671.73 करोड़ रुपये

इसके अलावा कम खपत वाले और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के उपयोग के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना नामक योजना के अधीन छोटी बोरी की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई। उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग की योजना का क्रियान्वयन करके गौण पोषक तत्वों सहित उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया गया।

(ग) और (घ) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की योजना जारी रखने का प्रस्ताव है और इसके लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 2000 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अधीन वर्ष 1997-98 के दौरान जम्मू व कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में नियंत्रण रहित उर्वरकों के परिवहन की अतिरिक्त लागत वहन की जाएगी। कम खपत सम्भावना वाले क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के लिए बफर स्टॉक की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

उर्वरक पोषक तत्वों की राज्यवार खपत

(नाइट्रोजन + फास्फेट + पोटाश)

(मी० टन)

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1644183	1751163	1823981
2.	कर्नाटक	822743	936645	874277
3.	केरल	199326	203319	206593
4.	तमिलनाडु	874579	755389	827425
5.	अंडमान व निकोबार	589	403	545
6.	पाण्डिचेरी	20222	20648	22499
7.	गुजरात	818299	753497	879469
8.	मध्य प्रदेश	895915	826283	1020528
9.	महाराष्ट्र	1390000	1374000	1355000
10.	राजस्थान	601990	642550	703580
11.	दादरा व नगर हवेली	1089	1093	1114
12.	गोवा	6275	6853	5771
13.	दमन व दीव	166	110	240
14.	हरियाणा	712253	723787	783982
15.	हिमाचल प्रदेश	29224	29678	37290
16.	जम्मू व कश्मीर	46310	51014	41084
17.	पंजाब	1285086	1263334	1244225
18.	उत्तर प्रदेश	2480297	2605217	2821132
19.	चण्डीगढ़	447	396	400
20.	दिल्ली	14766	18674	23492
21.	असम	37103	49141	53889
22.	मणिपुर	8554	11823	15197
23.	मेघालय	3229	2801	3957
24.	नागालैण्ड	646	521	934
25.	सिक्किम	775	1050	1249
26.	त्रिपुरा	7686	8448	9612
27.	अरूणाचल प्रदेश	554	390	546
28.	मिजोरम	939	777	387
29.	चाय बोर्ड (उ० पूर्वी)	33621	31697	45612
30.	बिहार	652944	720059	838343
31.	उड़ीसा	220001	237532	324023
32.	पश्चिम बंगाल	753582	847716	964429
33.	लक्षद्वीप	190	158	158
	समस्त भारत	13563493	13876166	14930963

दुग्ध उत्पादन

5885. श्री सोहन वीर : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोदुग्ध उत्पादन में हर वर्ष कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में दुग्ध उत्पादन में क्रमबद्ध वृद्धि को बरकरार रखने के लिए सघन प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय महत्व के गोपशु नस्लों के अपने गृह क्षेत्रों में चयनित प्रजनन तथा अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों में उनका उत्थान करके आणुवंशिक सुधार।

2. विदेशी डेयरी नस्लों वाले गैर-प्रजातीय गोपशुओं का वर्ण-संकरण।

3. चयनित प्रजनन के माध्यम से महत्वपूर्ण भैंस नस्लों का आणुवंशिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रों में गैर-प्रजातीय भैंसों का उन्नयन।

4. आहार तथा चारा संसाधनों का विकास।

5. उत्पादन कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए प्रभावशाली पशु स्वास्थ्य सेवा का आयोजन।

6. ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

7. गैर-ऑपरेशन, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास, तथा

8. डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन।

[अनुवाद]

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

5886. डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
श्री भक्त चरण दास:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई. वी. फ्लूयड औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या उनके मूल्य निर्धारण में उक्त फ्लूयड के निर्माताओं से विचार-विमर्श किया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सभी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम को अनुदेश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि भूमि की श्रेणियां

5887. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
जस्टिस गुमानमल लोढ़ा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की दरें भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादन की भिन्न-भिन्न दर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि भूमि को श्रेणीबद्ध किया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी श्रेणियों में कृषि भूमि को विभाजित किया गया है तथा श्रेणीकरण के मानदण्ड क्या हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। विभिन्न कृषि जलवायुवीय स्थितियों, मृदा उर्वरकता, सिंचाई के बुनियादी ढांचे तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता और राज्यों के विकासात्मक प्रयासों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादन की दर भिन्न-भिन्न है।

(ख) और (ग) उत्पादकता के आधार पर कृषि भूमि का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। वैसे, सरकारी आंकडों में फसली क्षेत्र को सिंचित और असिंचित के वर्गों में रखा गया है।

[अनुवाद]

नेफेड द्वारा फलों और सब्जियों का निर्यात

5888. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 1995 और 1996 के दौरान नेफेड द्वारा निर्यात और आयात किये गये ताजा फलों तथा सब्जियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान इन कार्यों में कितना लाभ और कितना नुकसान हुआ है;

(ग) ताजा फलों तथा सब्जियों के विपणन करने हेतु कमीशन एजेंट नियुक्त करने के लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) 1994-95 तथा 1996 के दौरान नेफेड द्वारा उन कमीशन एजेंटों से कितनी बकाया राशि वसूली जानी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) नेफेड ने वर्ष 1994-95 में 4036.47 लाख रुपये तथा 1995-96 में 2036.65 लाख रुपये के

मूल्य के प्याज, लहसुन, आलू, अंगूर, किन्नू, सेब, आम जैसे फलों और सब्जियों का निर्यात किया। नैफेड ने उन दोनों वर्षों के दौरान ताजे फलों और सब्जियों का आयात नहीं किया।

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में इन दोनों कार्यों में हुआ लाभ क्रमशः 742.90 लाख रुपये और 262.08 लाख रुपये था।

(ग) नेफेड इस अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी मंडियों में चल रही परिपाटियां अपनाते हुए ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात करता रहा है। कमीशन एजेंट को शिपिंग कम्पनी तथा सीमा शुल्क वालों से खैप छुडवानी होती है और इस प्रकार गन्तव्य पत्तन पर रख-रखाव और बिक्री का खर्च वहन करना होता है। मंडी में माल के निपटान की व्यवस्था करने के बाद वह अपनी सेवा के प्रभार सहित खर्चे काटकर बिक्री से प्राप्त धन जमा करा देता है।

(घ) वर्ष 1994-95 के लिये अंगूर के निर्यात के प्रति 8.96 लाख रुपये की धनराशि बकाया है।

चण्डीगढ़ के लिए सलाहकार समिति

5889. श्री सत्यपाल जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा अब तक इसकी कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी प्रथम बैठक कब तक आयोजित की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) जी हां। 21 नवम्बर, 1996 की संलग्न अधिसूचना में समिति की रचना की गई है। इस समिति की अभी तक कोई बैठक करना संभव नहीं हो सका है चूंकि जिला परिषद् के सदस्यों में से चुने जाने वाले पांच सदस्यों को नियुक्त नहीं किया जा सका है क्योंकि जिला परिषद् के चुनाव परिणामों की घोषणा पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए समिति की प्रथम बैठक आयोजित करने के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट करना मुश्किल है।

अधिसूचना

इस विषय के संबंध में पहले जारी की गई सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री से सम्बद्ध एक परामर्शदात्री समिति का गठन करते हैं।

2. परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) प्रशासक, चण्डीगढ़।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा सदस्य।

(ग) लोक सभा सदस्य को छोड़कर जिला परिषद् के पांच सदस्य, जिनका चयन जिला परिषद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा;

(घ) अध्यक्ष, नगर निगम, चण्डीगढ़;

(ङ) यदि उपरोक्त (ग) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई सदस्य नहीं है, तो इस वर्ग का एक सदस्य जिला परिषद् के सदस्यों में से प्रशासक, चण्डीगढ़ की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा नामित किया जाएगा।

(च) यदि उपरोक्त (ग) में कोई महिला सदस्य नहीं है तो एक महिला सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों में से प्रशासक, चण्डीगढ की सिफारिश पर, गृह मंत्री द्वारा नामित की जाएगी।

3. परामर्शदात्री समिति की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री अथवा उनकी अनुपस्थिति में गृह राज्य मंत्री द्वारा की जाएगी।

4. परामर्शदात्री समिति से निम्नलिखित मामलों में परामर्श किया जाएगाः-

(क) राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित नीति संबंधी सामान्य प्रश्न;

(ख) राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित संघ राज्य क्षेत्र संबंधी सभी विधायी प्रस्ताव;

(ग) संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी मामले, जहां तक उनका संबंध संघ राज्य क्षेत्र से हो, और ऐसे अन्य वित्तीय प्रश्न जो राष्ट्रपति द्वारा इसे संदर्भित किए जाएं;

(घ) कोई अन्य मामला जिस पर गृह मंत्री परामर्शदात्री समिति से परामर्श करना आवश्यक या वांछनीय समझें।

पैरा (2) के खण्ड (ग), (ङ) और (च) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उक्त पैरा (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित सदस्यों का चुनाव हाथ खड़े कराकर किया जाएगा।

5. परामर्शदात्री समिति के सदस्यों का प्रश्न पूछने के संबंध में अधिकार गृह मंत्री अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले मंत्री के जनहित में कोई जानकारी देने या किसी विषय पर चर्चा करने की अनुमति देने से इंकार करने के विवेकाधिकार के अध्यधीन राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के समनुरूप और उन्हीं की सीमाओं में होगा।

6. परामर्शदात्री समिति के सदस्य का पद अवैतनिक होगा और उसको कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।

ह०/-

(जलज श्रीवास्तव)
उप सचिव, भारत सरकार

सं० यू-13019/1/96-ए०एन०एल० दिनांक

(1) प्रशासक, चण्डीगढ प्रशासन, चण्डीगढ।

(2) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

ह०/-

(जलज श्रीवास्तव)
उप सचिव, भारत सरकार

नशे के व्यसनी चालक

5890. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बड़े शहरों में ट्रकों, बसों तथा तिपहिया वाहनों के बड़ी संख्या में चालक नशे का व्यसन करने वाले पाये गये हैं;

(ख) क्या यह दुर्घटनाओं की उच्च दर का एक मुख्य कारण हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को निर्देश जारी करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) यह सच है कि बड़े शहरों में ट्रक, बस और तिपहिया वाहनों के चालक नशे का व्यसन करने वाले पाए गए हैं तथा चालकों द्वारा नशे का व्यसनी होना, दुर्घटनाओं के कारणों में से एक है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, नशीले पद्धार्थों की आपूर्ति और इनकी मांग को कम करने के भरसक प्रयास कर रही है। नशीली दवाओं के बेचने, उनको बढ़ावा देने तथा उनका धंधा करने संबंधी मामलों से निपटने के लिए एन०डी०पी०एस० अधिनियम, 1985 लागू किया गया है इसकी मांग कम करने की दिशा में गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलबध कराने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत चालकों सहित नशे के आदी व्यक्तियों से नशे की लत छुड़वाने, उनका इलाज करने और उन्हें पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर में नशा-मुक्ति केन्द्र, परामर्श और अनुरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। नशे की लत की बुराईयों के प्रति जनता में जागृति फैलाने वाले कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ विभिन्न मीडिया माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रति व्यक्ति आय

5891. श्री सुरेन्द्र यादव:
श्री नीतीश कुमार:
डा० महादीपक सिंह शाक्य:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उदारीकृत औद्योगिक नीति अपनाये जाने के पश्चात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान प्रति व्यक्ति औसत आय में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 (अग्रिम अनुमान, 1996-97, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन) हेतु वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय (1980-81 की कीमतों की कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद) वर्ष 1990-91 से 21.4 प्रतिशत एक बढ़ गयी है जो 3.29 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एक औसत वार्षिक दर है।

(ग) आठवीं योजना हेतु प्रतिव्यक्ति आय (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। आठवीं योजना के लिये प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) की वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी तथा वास्तविक उपलब्धि 4.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष होने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रतिव्यक्ति आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर (जैसी कि 1980-81 की कीमतों की कारक-लागत पर प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा मापित की गयी है), सातवीं एवं छठी पंचवर्षीय योजनाओं हेतु क्रमशः 3.56 प्रतिवर्ष तथा 3.16 प्रतिवर्ष की तुलना में 4.4 प्रतिवर्ष है।

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में नौवीं योजना हेतु प्रतिव्यक्ति आय का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत वार्षिक है जो विगत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों से अधिक है और आबादी की वृद्धि दर कम होगी।

चीनी निर्यात हेतु बैंक गारंटी

5892. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
डा० मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री भक्त चरण दास:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० पी० ई० डी० ए० ने निर्यात क्रयादेश हेतु पूर्व में आवश्यक 5 प्रतिशत मूल्य की बैंक गारंटी दिए जाने के स्थान पर इसे कम करके 2 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण हाल ही में चीनी निर्यात शुरू करने वाले व्यापारियों द्वारा उदासीनता प्रकट की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने ए॰ पी॰ ई॰ डी॰ ए॰ को निजी निर्यातकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम गारंटी को ''राल बैंक'' करने का निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ए॰ पी॰ ई॰ डी॰ ए॰ की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोडकर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। बैंक गारंटी के लिए एफ॰ ओ॰ बी॰ मूल्य के 5 प्रतिशत की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) जी नहीं, एपेडा ने मार्च-अप्रैल, 1997 के दौरान 1,41,082 मी॰ टन चीनी की मात्रा के लिए पंजीकरण आबंटन प्रमाण-पत्र (आर॰ सी॰ ए॰ सी॰) जारी कर दिया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटर

5893. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बेरोजगार, विज्ञान और कृषि स्नातकों को उर्वरक कम्पनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) उर्वरक कम्पनियां कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। कम्पनियों द्वारा उनके वाणिज्यिक मूल्यांकन और आवश्यकता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की जाती है। तथापि, भारत सरकार ने सभी उर्वरक निर्माता कम्पनियों के मुख्य कार्यपालकों से डीलरशिप देने में शिक्षित बेरोजगारों को तरजीह देने के लिए कहा है और राज्य सरकारों जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत पंजीयन प्राधिकरण हैं, से भी इसे लागू करने का अनुरोध किया है।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहन

5894. श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री पंकज चौधरी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वाहनों को जब्त किए जाने तथा इन्हें पेट्रोल की आपूर्ति नहीं किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने वाहनों को जब्त किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में खुदरा पेट्रोल पंपों से स्वेच्छा से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वाहन मालिकों को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति करते समय उनसे ''प्रदूषण नियंत्रण में है'' का प्रमाण-पत्र दिखाने के लिए कहा जाए। बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों द्वारा यह कार्यवाही की जाने की सूचना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की मूल्य धारण योजना

5895. श्री गोरधनभाई जाविया:
डा॰ सत्य नारायण जटिया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के लिए मूल्य धारण योजना संबंधी सुझाव देने तथा प्रणाली की खामियों के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है एवं निदेश पद क्या हैं;

(ग) सरकार को उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) यूरिया की वर्तमान राजसहायता पद्धति की पुनरीक्षा करने तथा एक यौक्तिक विस्तृत आधार वाली, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति का गठन 28.1.97 को किया गया है। इस समिति का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) इस समिति द्वारा 6 माह की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें देना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) इस समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में सरकार द्वारा अन्ततः लिये गये निर्णयों पर एक रिपोर्ट यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

समिति का गठन

1.	प्रो॰ सी॰ एस॰ हनुमंथा राव, पूर्व सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	प्रो॰ जी॰ एस॰ भल्ला,	
3.	श्री पी॰ बी॰ कृष्णास्वामी, पूर्व सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य
4.	अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी॰ आई॰ सी॰ पी॰) (पदेन)	सदस्य
5.	श्री ओ॰ एन॰ कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि॰ (पी॰डी॰आई॰एल॰)	सदस्य
6.	श्रीमती कान्ता आहुजा, अर्थशास्त्री, जयपुर	सदस्य
7.	कार्यकारी निदेशक, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ॰आई॰सी॰सी॰)(पदेन सचिव)	सदस्य

समिति के विचारार्थ विषय

(1) उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य स्कीम (आर॰ पी॰ एस॰) के कार्यकरण की पुनरीक्षा करना तथा आर्थिक सुधार के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पद्धति के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव देना। समिति एक वैकल्पिक पद्धति का भी सुझाव देगी जो विस्तृत आधार वाली, वैज्ञानिक और पारदर्शी होनी चाहिये।

(2) पर्याप्तता अथवा अन्यथा इस उद्योग को प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा करना शुद्ध पूंजी पर लाभ का औचित्य, क्षमता उपयोगिता मानकों, मूल्यह्रास आदि से सम्बद्ध मुद्दे।

(3) नई उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में उपयुक्त पूंजी मानकों तथा ऋण साम्य अनुपात के सुझाव देना।

(4) इनपुट मूल्य निर्धारण नीति तथा आर॰ पी॰ एस॰ पर इसके प्रभावों की पुनरीक्षा करना।

(5) समीकृत भाड़ा प्रणाली की पुनरीक्षा करना तथा गमन दूरी कमी करने हेतु क्षेत्र पार संचलन को अल्पतम करने सहित इसे यौक्तिक बनाने के उपाय की सिफारिश करना।

(6) उर्वरक उद्योग के नियंत्रित तथा नियंत्रणमुक्त खण्डों के संबंध में नीतियों विशेषकर उर्वरकों की उपलब्धता पर अतिक्रमक नीतियों तथा नियंत्रित तथा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों को सापेक्ष मूल्य निर्धारण की सशक्तिशीलता में सुधार करने के उपायों का सुझाव देना ताकि उर्वरक राजसहायता को एक तर्क संगत स्तर पर रखते हुए कृषि की दृष्टि में वांछनीय एन॰पी॰के॰ खपत अनुपात प्राप्त किया जा सके।

(7) उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य मद।

अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

5896. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1997 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में वी॰ आई॰ पी॰ सिक्यूरिटी ड्रेन आन रिसोरसेज होम सैक्रेट्री'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों सहित उन व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा-जिन्हें अब इसकी जरूरत नहीं-को हटाने तथा पुलिस द्वारा अपना सामान्य कार्य किए जाने की अनुमति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं तथा इस प्रकार से उनके अपने-अपने राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाना, संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, विभिन्न आधारों पर निजी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए आवेदनों की सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा संवीक्षा करवा ली जाती है। अन्य परिस्थितियों में, इस आवश्यकता को सामान्यतः साधारण पुलिस संरचना द्वारा पूरा किया जाता है। मामलों की सांवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है तथा सुरक्षा व्यवस्था को समय-समय पर आवश्यकतानुसार, आशोधित किया जाता है/हटा लिया जाता है।

हिलसा मछली

5897. डा॰ असीम बाला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा नदी में हिलसा मछली पालन में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु क्या योजना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सेन्ट्रल इन्लैण्ड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बैरकपुर ने गंगा नदी में हिल्सा मछली की बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें समाप्तप्राय हिल्सा

मछली के प्रजनन और उनके बीज उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना शामिल हैं। इसके अलावा विगत चार वर्षों के दौरान फरक्का क्षेत्र में तथा धारा के ऊपरी क्षेत्र में हिल्सा मछली में काफी बढ़ोतरी देखी गयी है।

(ग) भारत सरकार ताजे तथा खारे पानी में जल कृषि का विस्तार करके तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास करके बुनियादी सुविधाओं जैसे कि विपणन इकाइयों, मत्स्य बन्दरगाहों तथा मत्स्य तटावतरण केन्द्रों का निर्माण करके पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में मत्स्य तथा अन्य समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने वाले/वाली योजनाओं/कार्यक्रमों को चला रही है।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के लिए परियोजना

5898. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में अरब जहारावहल सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है तथा शेष धनराशि को कब तक जारी कर किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार से जनवरी, 1993 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति के लिए सुन्दरगढ़ जिला के अरबाझोरबहल में सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई परियोजना के प्रतिष्ठापन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था इस परियोजना के प्रथम चरण में 2703 छोटे और सीमांत किसानों जिनमें से 2404 किसान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, खरीफ के मौसम में 43500 एकड़ भूमि में तथा रबी मौसम में 3500 एकड़ भूमि में और दूसरे चरण के रबी मौसम में 2700 एकड़ भूमि सिंचाई की परिकल्पना की गई। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 358.95 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार को अक्तूबर, 1994 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 158.00 लाख रुपए की राशि इस वचनबद्धता पर निर्मुक्त की गई थी कि उसके बाद वाले वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्य की प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पर निर्भर करते हुए शेष राशि स्वीकृत की जाएगी। वर्ष 1995-96 के दौरान शेष राशि की निर्मुक्ति नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार से शेष राशि को निर्मुक्ति करने के लिए अनुरोध वाला संशोधित प्रस्ताव काफी विलम्ब से दिनांक 15.4.1996 को प्राप्त हुआ। इसी बीच 1996-97 के दौरान अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना समाप्त हो गई और इस प्रकार शेष राशि मंजूर नहीं की जा सकी। तथापि, राज्य सरकार इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए सामान्य विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग कर सकती है।

प्रदूषण फैलाने वाली चीनी मिलें

5899. श्री श्याम लाल बंशीवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई चीनी मिलें प्रदूषण फैला रही हैं तथा इनके द्वारा किए जा रहे निस्सरण से नदियों में प्रदूषण फैल रहा है जिसके कारण कई जानवरों की मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चीनी मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन चीनी मिलों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) उद्योगों, जिनमें चीनी मिलें भी शामिल है, से निकलने वाले बहिस्त्राव के कारण जलचर जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की छुट-पुट घटनाओं के बारे में सूचना मिली है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल 392 चीनी मिलों में 309 चीनी मिलों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं। 21 चीनी मिलें बंद हैं और शेष 62 चीनी मिलों में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सभी 62 दोषी मिलों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

लकड़ी के फर्नीचर पर प्रतिबंध

5900. श्री परसराम मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेड़ों को लगातार काटे जाने के परिप्रेक्ष्य में सरकारी कार्यालयों में लकड़ी के फर्नीचर की खरीद तथा निजी और सरकारी भवनों में लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) वर्ष 1990 में इस मंत्रालय ने लकड़ी के विकल्प के उपाय पर एक नीति परामर्शक दल गठित किया था। दिसंबर, 1992 में नीति परामर्शक दल की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई हैं। उपरोक्त सिफारिशों से संबंधित भाग इस प्रकार हैं:

1. भवन निर्माण और फर्नीचर के उपयोग के लिए ठोस लकड़ी प्रतिबंधित की जानी चाहिए और उसके बदले लकड़ी के पैनल को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

2. खोई आधारित पार्टिकल बोर्ड, एम॰ डी॰ एफ॰, चावल की भूसी तथा बांस के बोर्ड जैसी काष्ठ इतर लिगनोसेलुलाजिक सामग्रियों से निर्मित पैनलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. भवन सामग्री के रूप में ठोस लकड़ी के उपयोग पर रोक के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सिफारिश राज्य लोक निर्माण विभागों पर भी लागू की जानी चाहिए।

4. पहाड़ी क्षेत्रों और भूकंप ग्रस्त क्षेत्रों के लिए लकड़ी के कम खर्चे के डिजाइनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन क्षेत्र में खनन कार्य

5901. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उदयपुर-डुंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्रों में खनन कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने एकड़ वन क्षेत्र में खनन कार्य चल रहा था;

(ग) खनन कार्य में कितने जनजातीय श्रमिक कार्यरत थे और कितने लोग बेरोजगार हो गए; और

(घ) वनक्षेत्र में खनन कार्य के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति है और इस प्रकार इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

लेक्टोज का उत्पादन

5902. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे दूध से "लेक्टोज" के उत्पादन में कितने एकक लगे हुए हैं;

(ख) देश में इनकी कुल मांग की तुलना में इन एककों की अधिष्ठापित क्षमता और संचालन क्षमता कितनी है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान देश में कुल कितने "लेक्टोज" का आयात किया गया और इन वर्षों के दौरान इन पर शुल्क की तुलना में देश में पहुंचने का मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयातित "लेक्टोज" पर "एंटी डम्पिंग" शुल्क लगाने की सिफारिश करने का है क्योंकि इसकी मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक है; और

(ङ) इस उद्योग के आरंभिक दशा में होने के कारण "लेक्टोज" के उत्पादन के लिए देश के उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारोपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) देश में लेक्टोज के उत्पादन में 3 एकक लगे हुए हैं।

(ख) इन एककों की अनुमानित वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है:

नाम तथा एककों की स्थिति	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता
1. मै॰ केफेम मिल्क स्पेशियलिटि लि॰ पटियाला (पंजाब)	5000 एम॰टी॰
2. डायनामिक्स डेयरी इंडस्ट्रीज, बरामती (महाराष्ट्र)	5000 एम॰ टी॰
3. मै॰ महान प्रोटीन लि॰ मथुरा (यू॰पी॰)	3000 एम॰ टी॰

हालांकि, देश में लेक्टोज की मांग पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) लेक्टोज के आयात का अनुवीक्षण इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने लेक्टोज के आयात-शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गोदाम

5903. डा॰ राम लखन सिंह:
श्री दिलीप सिंह भूरिया:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदाम कहां-कहां स्थित हैं और इनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्य में गोदामों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गोदामों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके स्थानों और क्षमता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) विवरण-I और II संलग्न हैं जिनमें क्रमशः बताया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदाम कहां-कहां स्थित हैं और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है।

(ख) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपलब्ध कुल क्षमता और उसके उपयोग के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

एजेंसी	कुल क्षमता (लाख टन में)	उपयोग का प्रतिशत
भारतीय खाद्य निगम (1.4.97 को स्थिति के अनुसार)	12.46	55 प्रतिशत
केन्द्रीय भंडारण निगम (1.2.97 की स्थिति के अनुसार)	6.79	59 प्रतिशत

उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि दोनों संगठनों के पास राज्य में पर्याप्त क्षमता है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम धमात्री में 10,000 टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कर रहा है।

केन्द्रीय भंडारण निगम का मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है:

क्रम सं.	केन्द्र	क्षमता
1.	ग्वालियर (मलनपुर)	5000 टन
2.	नरसिंहपुर	5000 टन
3.	सनवेर	2000 टन
4.	बिलासपुर	4800 टन
5.	रायपुर	5000 टन

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय भंडारण निगम मुरैना, भाटापाड़ा, कटनी और शिवपुरकलां में भांडागार स्थापित करने के बारे में भी विचार कर रहा है।

विवरण-I

1.14.1997 को स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (ढकी) (अपनी व किराये की) बताने वाला विवरण

(आंकड़ें 000 टन में)

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	अपनी भण्डारण	किराये की भण्डारण	जोड़
1	2	3	4	5	6
भोपाल	बेतुल	बेतुल	10.00	-	10.00
-वही-	भोपाल	भोपाल	25.00	-	25.00
-वही-	होशंगाबाद	इटारसी	86.25	-	86.25
बिलासपुर	बिलासपुर	अकालवारा (1.203 रा०स० +5.00 राभानि +5.00 निजी)	-	11.20(3)	11.20
		बेहला	8.34	-	8.34
		बिलासपुर	35.12	32.75 केभनि.	67.87
		कार्गी रोड	15.00	-	15.00
		कटघोरा	-	0.87 राभानि.	0.87
		नैला (0.60 राभानि +1.12 रा०स० +3.45 निजी)	14.28	5.17(30)	19.45
		शक्ति	12.50	0.505	13.00

1	2	3	4	5	6
बिलासपुर	रायगढ	जसपुर नगर	–	0.50 राभानि.	0.50
		खड़सिया	13.64	–	13.64
		रायगढ़	10.64	11.80 राभानि.	22.44
		सरनागढ़	–	1.49(20)	1.49
		(1.00 रा०स० +0.40 राभानि)			
		सहडोल	5.64	2.05(2)	7.69
-वही-	सहडोल	(0.6 रा०स० +1.45 राभानि)			
-वही-	सरगुजा	विश्रामपुर	13.34	–	13.34
		जनकपुर		0.20 राभानि	0.20
		रामनुजगंज	–	0.35 राभानि	0.35
ग्वालियर	भिंड	भिंड	–	0.50 केभनि	0.50
		गोहाद (0.37 रा.स. +6.60 राभानि)	–	6.97(2)	6.97
-वही-	दतिया	दतिया	7.50	–	7.50
-वही-	गुना	अशोक नगर	11.92	0.05के.भ.नि.	11.95
		गुना	–	2.00 राभनि	2.00
-वही-	ग्वालियर	डाबरा	–	3.00 राभनि	3.00
		ग्वालियर	12.50	0.06 राभनि	12.56
-वही-	मुरैना	मुरैना	–	5.00 केभनि	11.28
		(शिवपुर कलां)	11.28	–	5.00
-वही-	शिवपुरी	शिवपुरी	–	1.00 राभनि	1.00
इन्दौर	धार	धामोंद	–	2.00 राभनि	2.00
	इन्दौर	इन्दौर	–	32.50(2)	32.50
		(12.50 केभनि. +20.00 ए आर डी सी)			
-वही-	झाबुआ	मेघ नगर	5.00	–	5.00
-वही-	खंडवा	खंडवा	–	20.00 केभनि	20.00
-वही-	खरगौन	खरगौन	–	3.00 राभनि	3.00

1	2	3	4	5	6
जबलपुर	बालाघाट	बालाघाट	21.31	-	20.31
		कटंगी	13.98	-	13.98
		लाटमा	-	0.23 निजी	0.23
		बाड़ा सौनी	10.00	2.00 रामानि	12.00
-वही-	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	-	1.00 रामानि	1.00
		पानदुरना	-	4.00 (2)	4.00
		(3.60 रामानि + 0.40 निजी)			
-वही-	महाराष्ट्र	गोंदिया	-	5.00 केमनि	5.00
-वही-	जबलपुर	जबलपुर	10.64	-	10.64
-वही-		कटनी	8.64	-	8.64
-वही-	मांडला	बी० बांजर	-	0.25 रामानि	0.25
		धिन्डौरी	-	0.07 रामानि	0.07
		मांडला		1.40(2)	1.40
		(1.00 रामानि+0.40 निजी)			
		शाहपुरी	-	0.20	0.20
-वही-	सिओनी	लखामाड़ोनी	-	0.50 रामानि	0.50
		सिओनी	8.34	-	8.34
दुर्ग	बस्तर	भानुप्रतापपुर	-	0.80 रामानि	0.80
		बीजापुर	-	0.18 रामानि	0.18
		चरमा	-	0.80 रामानि	0.80
		जगदलपुर	10.64	8.96(3)	19.60
		(012 रा.स.+7.60 रामानि+1.24 निजी)			
		कंकेर	-	3.80(2)	3.80
		(3.15 रामानि+0.65 निजी)			
		कोडागांव	-	4.08(2)	4.08
		(3.15 रामानि+0.54 निजी)			
		केशकल	-	1.00 रामानि	1.00

1	2	3	4	5	6
		नारायणपुर	-	1.00 राभानि	1.00
		सुकमा	-	0.17 राभानि	0.17
दुर्ग	दुर्ग	बालोड़	-	1.00 राभानि	1.00
		बामेत्रा	-	1.50 राभानि	1.50
		दुर्ग (8.00 राभानि +7.50 निजी)	53.95	15.50(2)	69.45 -
-वही-	राजनंदगांव	राजनंदगांव	71.63	4.50 राभानि	76.13
रायपुर	रायपुर	अभनपुर	-	3.60 राभानि	3.60
		अरंग	-	4.93 निजी	4.93
		बागबहरा	10.67	42.53(3)	53.20
		(2.00 रास +1.40 राभानि + 39.13 निजी)			
		बलोड़ा बाजार	-	5.00	5.00
		भाटपाड़ा	-	21.67(2)	21.67
		(18.67 राभानि + 3.00 निजी)			
		बासना	-	11.61(2)	11.61
		(6.50 राभानि + 2.79 निजी)			
		भीमखोज	-	1.00	1.00
		धामत्री	12.34	27.57(30)	39.91
		(2.00 रास +21.10 राभानि + 4.47 निजी)			
		पिथोरा	-	5.12(2)	5.12
		(1.505 रास + 3.62 निजी)			
		खरोआ	-	0.27	0.27
		खुर्द (0.60 रास + 3.00 राभानि)	-	3.60(2)	3.60
		महासमंड	14.16	11.00(3)	25.16
		(1.35 रास +5.70 राभानि +4.27 निजी)			
		मंदिर हासौद	125.00	4.00	129.00
		नाग्री	-	2.90(2)	2.90
		(1.60 रास +1.30 राभानि)			

1	2	3	4	5	6
		नेवरा तिलडा	21.92	5.00 राभानि	26.92
		रायपुर	25.09	4.40(2)	29.49
		(2.42 रा.स. +1.98 राभानि)			
		राजिमा	15.64	9.75(2)	25.39
		(1.35रा.स. + 8.40 राभानि)			
		सरायपल्ली	-	12.02 निजी	12.02
सतना	छत्रपुर	हरपालपुर	10.00	0.38 राभानि	10.38
-वही-	रीवा	रीवा	-	2.00 राभानि	2.00
-वही-	सतना	सतना	6.92	10.00 निजी	16.92
-वही-	सिधी	सिधी	-	1.00 राभानि	1.00
-वही-	टिकमगढ़	नेवाड़ी	18.14	-	18.14
		टिकमगढ़	15.00	-	15.00
सागर	दामोह	दामोह	-	1.50 राभानि	1.50
-वही-	नरसिंहपुर	गदरवाड़	-	2.50 निजी	2.50
		नरसिंहपुर	-	40.00 केभनि	4.00
-वही-	सागर	बीना	6.28	-	6.28
-वही-	सागर	सागर	-	8.00 राभनि	8.00
-वही-	विदिशा	विदिशा	10.00	-	10.00
उज्जैन	देवास	देवास	-	17.50 निजी	17.50
-वही-	रतलाम	रतलाम	8.98	2.0 राभनि	10.98
-वही-	उज्जैन	उज्जैन	15.00	1.60 राभनि	16.60
		मध्य प्रदेश का जोड़	821.22	425.02	1246.24

सारांश

एजेंसी	क्षमता	उपयोगिता	गोदामों की संख्या
भा॰ खा॰ नि॰ की अपनी	821.22	52 प्रतिशत	41
राज्य सरकार से किराये पर	18.92	55 प्रतिशत	17
केंद्रीय भंडारण निगम	112.26	72 प्रतिशत	11
राज्य भंडारण निगम	149.37	64 प्रतिशत	52
निजी पार्टियां	144.47	48 प्रतिशत	23
जोड़	1246.24	55 प्रतिशत	144

विवरण-II

1.2.1997 की स्थिति के अनुसार भोपाल क्षेत्र में केन्द्रीय भंडारण निगम की केन्द्रवार क्षमता

(आंकडे टन में)

केन्द्र	निर्मित	किराये की	खुले में	जोड़
1	2	4	5	6
भोपाल क्षेत्र				
बालाघाट	5000	3158	0	8158
बर्गवान	0	17847	0	17847
भापाड़ा-1	23400	0	0	23400
भाटपाड़ा-2	15000	0	0	15000
भिंड	10000	0	0	10000
भोपाल-1	40740	0	0	40740
भोपाल-2	0	3745	0	3745
बिलासपुर-1	23200	3650	0	26850
बिलासपुर-2	10000	0	0	10000
बीना	0	1810	0	1810
बुरहानपुर-1	17200	0	0	17200
बुरहानपुर-2	10000	0	0	10000
छत्रपुर	0	17292	0	17292
ग्वालियर	19750	0	0	19750
हनुमाना	0	21693	0	21693
इंदौर-1	12500	0	0	12500
इंदौर-2	3750	1775	0	5525
इंदौर-3	18500	0	0	18500
इंदौर-4	16000	0	0	16000
इंदौर-5	20000	0	0	20000
कटनी	25100	0	0	25100
खंडवा बीडी	99000	0	0	90000
मक्सी	5000	0	0	5000
मानावार	0	1700	0	1700
मुरैना-1	31450	0	0	31450
मुरैना-2	22800	0	0	22800
नरसिंहपुर	9100	2855	0	11956
पीतमपुर	5000	5200	0	10200
रायगढ़-2	11300	12357	0	23657
रायपुर-1	13000	0	0	13000
रायपुर-2	8800	0	0	8800
रायपुर-3	33200	0	0	33200
रायपुर-4	8500	0	0	8500
संवार (आर)	5000	0	0	5000
सतना	0	16929	0	16929
शिवपुर कलां	11000	2899	0	13899
सौहागपुर	5000	0	0	5000
सूरजपुर (एम॰ पी)	0 6158	0	6158	
उचेरा	0	8415	0	8415
उपजोड़	539290	139909	0	679199
जोड़	539290	139909	0	679199

मत्स्यन बंदरगाह

5904. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः**
श्री बी॰ एल॰ शंकरः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और केरल में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये बंदरगाह किन-किन स्थानों पर निर्मित किए जाएंगे; और

(ग) इनका निर्माण कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) :

क्र. सं.	मत्स्यन बंदरगाहों का नाम	जिले का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत लागत (रू. लाखों में)	पूरा होने की मूल लक्षित तिथि	पूरा होने की संशोधित लक्षित तिथि
केरल						
1.	विझिंगम, चरण-3	त्रिवेन्द्रम	2/87	704.00	2/90	3/98
2.	कलमकुलम	अलापुझा	8/94	624.60	8/98	-
3.	थांगासेरी	क्विलोन	10/88	1980.50	10/93	2/98
4.	मोपला की खाड़ी	कन्नूर	1/92	564.00	1/96	12/97
5.	चोम्बल	कोजिकोड	1/92	556.00	1/96	12/97
कर्नाटक						
1.	मालपे चरण-II	दक्षिण कन्नड	2/96	1196.70	2/2000	

फलेक्सिबल काम्पलीमेंटिंग स्कीम

5905. श्री जी॰ वेंकटसामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोर्ड के संवर्द्धन के लिए ''फलेक्सिबल काम्पलीमेंटिंग स्कीम'' का कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारी संघ में व्याप्त घोर असंतोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस विभाग में उक्त योजना को कार्यान्वित न किए जाने के संक्षिप्त कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में बोर्ड के अधिकारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ''फलेक्सिबल काम्पलीमेंटिंग स्कीम'' को शुरू करने के बारे में मंत्रालय को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी॰पी॰सी॰बी॰) के तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारी संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (भर्ती की पद्धति, सदस्य सचिव को छोड़कर अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें) विनियम, 1995, जिन्हें कि केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनवरी 1995 में अधिसूचित किया गया था, में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारियों के वास्ते ''फलेक्सिबल काम्पलीमेंटिंग स्कीम'' का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में यह योजना लागू करने संबंधी विषय को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

5906. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेसर हनुमंत राव ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) देश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट प्रो॰ हनुमंत राव द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नकली कीटनाशक

5907. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को नकली कीटनाशक मिल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इनसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आज तक नकली कीट नाशक बनाने वाले कितने कारखानों का पता लगाया गया है और दण्डित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) किसानों को नकली कृमिनाशी न मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य कृषि विभाग कानून का आश्रय ले रहा है।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों (1995-96 और 1996-97) के दौरान पंजाब और हरियाणा के कृषि निदेशालयों ने क्रमशः 4 और 1 कारखानों का पता लगाया है, जो नकली कृमिनाशियों का निर्माण कर रहे थे। फलस्वरूप राज्यों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:-

1. पंजाब ने संबंधित पुलिस स्टेशन में सभी चार मामलों में अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

2. हरियाणा ने भी नकली कृमिनाशी के निर्माण करने वाली फर्म के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

3. नकली कृमिनाशियों के निर्माण और बिक्री पर काबू पाने के लिए कृषि विभाग, पंजाब ने प्रखण्ड और जिला स्तर पर अधिकारियों के विशेष दल तथा राज्य स्तर पर उड़न दस्ते का गठन किया है।

4. कृषि विभाग, हरियाणा, कृमिनाशी तैयार करने वाले कारखानों तथा कृमिनाशियों के वितरकों (डीलरों) तथा खुदरा व्यापारियों पर सख्त निगरानी रख रहा है। तदनुसार, राज्य कृषि विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा वितरकों (डीलरों), आपूर्तिकर्ताओं तथा विनिर्माताओं के स्टाक की नियमित और पूरी तरह जांच की जा रही है।

कृमिनाशियों की खपत करने वाले अन्य मुख्य राज्यों ने किसानों को गुणवत्तायुक्त कृमिनाशियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अधीन बिना ब्रांड वाले (अवमानक) कृमिनाशियों के आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन सुनिश्चित करने के प्रयासों के बारे में सूचना दी है।

पुष्प कृषि विकास के लिए निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

5908. डा॰ अरविन्द शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में वर्ष 1990 में बागवानी के नाम से एक नया विभाग स्थापित किया गया था और केन्द्र सरकार द्वारा इसके बाद से राज्य में पुष्प कृषि और बागवानी के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि को लक्षित प्रयोजनों में ही लगाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी की जा रही है;

(घ) उक्त धनराशि को किसी अन्य प्रयोजनों में लगाये जाने के मामलों का केन्द्र सरकार ने पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। राज्य में आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की बागवानी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 778.61 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

(ग) जी, हां। हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य में बागवानी विकास के लिए उक्त धनराशि में से 765.70 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महिला समृद्धि योजना

5909. श्री मोहन रावले : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिला समृद्धि योजना को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

साम्प्रदायिक हिंसा

5910. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा में हाल के साम्प्रदायिक हिंसा के क्या कारण हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में साम्प्रदायिक दंगा प्रवण स्थानों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मथुरा में साम्प्रदायिक हिंसा, एक समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर चाकू से घातक वार करने के कारण हुई।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार ''पुलिस और लोक व्यवस्था'' राज्य का विषय होने के फलस्वरूप प्राथमिक रूप से यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां प्रायः साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं तथा ऐसे दंगों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करें। तथापि, केन्द्र सरकार, आसूचना का आदान-प्रदान करके और कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध करके राज्य सरकारों की सहायता करती है। केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों की पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

5911. **डा॰ हरि सिंहः**
श्री पवन दीवानः
श्री माणिकराव होडल्या गावीतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक-पृथक राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन की राशि में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में कई राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन की राशि बढायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में समानता लाने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरदार भगत सिंह के पारिवार को भी पारिवारिक पेंशन दिया जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई मासिक पेंशन की दर संबंधी विवरण संलग्न है। कुछ राज्य सरकारों ने 1995 और 1996 में पेंशन की दरें संशोधित की हैं।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय राजस्व से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने से संबंधित है।

(छ) और (ज) केन्द्र सरकार की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और यदि वे जीवित नहीं हो तों, उनके परिवारों तथा शहीदों के परिवारों को पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था है। इस प्रयोजनार्थ, परिवार में क्रमानुसार, विधवा/विधुर, अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां, माता तथा पिता शामिल हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरदार भगत सिंह का एक भाई और एक बहन, अपने अधिकारों के तहत, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की गई मासिक पेंशन की दर
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	500/-
2.	अरूणाचल प्रदेश	कोई पेंशन योजना नहीं है।
3.	असम	750/-
4.	बिहार	250/- विशेष भत्ते के रूप में
5.	गोवा	350/- केन्द्रीय पेंशन प्राप्त करने वालों के मामलों में 750/- अन्य मामलों में
6.	गुजरात	650/- और 750/- मामले की मैरिट के अनुसार
7.	हरियाणा	750/-
8.	हिमाचल प्रदेश	500/-
9.	जम्मू और कश्मीर	300/-
10.	कर्नाटक	500/-
11.	केरल	1000/-
12.	मध्य प्रदेश	1000/-
13.	महाराष्ट्र	1000/- पुरूषों के मामले में 1100/- महिलाओं के मामले में
14.	मणिपुर	250/-

1	2	3
15.	मेघालय	कोई पेंशन योजना नहीं है।
16.	मिजोरम	250/-
17.	नागालैंड	कोई पेंशन योजना नहीं है।
18.	उड़ीसा	500/-
19.	पंजाब	600/-
20.	राजस्थान	500/-
21.	सिक्किम	कोई पेंशन योजना नहीं है।
22.	तमिलनाडु	1500/- (250/- केन्द्रीय पेंशन पाने वालों के मामले में) केवल विधवाओं और विवाहित लड़कियों को 100/- रू० प्रतिमाह दिया जाता है।
23.	त्रिपुरा	कोई पेंशन योजना नहीं है
24.	उत्तर प्रदेश	1050/-
25.	पश्चिम बंगाल	300/-
26.	अंडमान और निकोबार प्रशासन	कोई पेंशन योजना नहीं है।
27.	चण्डीगढ़ प्रशासन	250/- केन्द्रीय पेंशन पाने वालों के मामले में। 400/- अन्य के मामलों में
28.	दादरा और नागर हवेली दमण और दीव	100/-
29.	दिल्ली	500/-
30.	लक्षद्वीप	कोई पेंशन योजना नहीं है।
31.	पांडिचेरी	500/-

[अनुवाद]

वन भूमि का वितरण

5912. श्री नंद कुमार साय : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भूमि के वितरण के बारे में जनजातीय और आदिवासी लोगों की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) वन भमि के वितरण के संबंध में लगभग सभी राज्यों से आदिवासियों सहित विभिन्न लोगों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह अभ्यावेदन अधिकतर वन भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए देने या वन भूमि के मौजूदा कब्जे को नियमित करने से संबंधित है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतरण के लिए अपेक्षित प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत करना होता है, ऐसे अभ्यावेदनों को अनिवार्य रूप से राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जब भी इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु इनकी जांच शीघ्र की जाती है। इस मंत्रालय ने पहले ही मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में लगभग 1,58,704 हेक्टेयर वन भूमि के कब्जे को नियमित करने के प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमति दी है।

गेहूं का आयात

5913. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1997 को ''द स्टेट्समैन'' के नई दिल्ली प्रकाशन में ''नार्म्स फ्लाउटिड इन व्हीट इम्पोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। समाचार में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। सरकार ने केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली की प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यकता, खुले बाजार में मूल्यों आदि जैसे सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया ताकि देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके और मूल्यों को नियंत्रित रखा जा सके। आयातित गेहूं की उतरान लागत लगभग 7100 रुपये प्रति टन होगी जिसमें 29 रुपये प्रति बोरी की लागत शामिल है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वदेशी मंडियों से वसूल किए गए गेहूं की इकनामिक लागत 6763.80 रुपये प्रति टन है। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं भेजने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय संबंधित राज्यों पर छोड़ दिया जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर और रबी वसूली मौसम 1997-98 के दौरान अधिक से अधिक वसूली करने के लिए, इन सरकारों को गेहूं के संचलन पर कुछ प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है। यह आरोप

भी सही नहीं है कि कनाडा शिपमेंट से लिए गए नमूने खाद्य मंत्रालय द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई जांच में फेल हो गए थे।

अनिवासी भारतीयों से संसाधन जुटाना

5914. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकास प्रयोजनार्थ अनिवासी भारतीयों से भारी वित्तीय और बौद्धिक संसाधन जुटाने के लिए उनकी जनगणना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं।

(ख) जनगणना अधिनियम, 1948 के अधीन, जो समस्त भारत पर लागू होता है, केन्द्रीय सरकार केवल समस्त भारत अथवा इसके किसी भी भाग में जनगणना करवा सकती है। अतः भारत से बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों की जनगणना नहीं करवाई जा सकती है।

उड़ीसा में केले और आम की खेती

5915. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केले और आम की खेती की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उड़ीसा में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्य के तटीय और अनुसूचित क्षेत्रों में आम और केले की खेती के अंतर्गत लाए जाने वाले क्षेत्रफल के संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्र फलों, जिनमें केला और आम शामिल हैं, के विकास पर एक समेकित योजना कार्यान्वित कर रही है। नर्सरियों तथा टिशु कल्चर यूनिट की स्थापना के जरिये रोपण सामग्री के उत्पादन, क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अलावा राज्य सरकार ने केले और आम के लिए घने बागान लगाना आरंभ किया है जिसके लिये रोपण सामग्री, पौध संरक्षण रसायनों तथा किसानों के प्रशिक्षण हेतु सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की कृषि परियोजनाएं

5916. डा० बलिराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की विभिन्न कृषि परियोजनाओं को चलाने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि के विकास में तेजी लाने के लिए सहायता देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का एक विवरण संलग्न है। चालू वर्ष के दौरान किसी नयी योजना के लिये राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

विवरण

1. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल
2. समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं
3. गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास
4. गहन कपास विकास कार्यक्रम
5. विशेष जूट विकास कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
7. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
8. त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम
9. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
10. उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग
11. कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग का विकास
12. जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना
13. समेकित बीज विकास योजना
14. प्रमुख अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन को सही दिशा देना

15. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान देना

16. कीटनाशी अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान

17. छोटे किसानों में कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन

18. देश में किसानों का आवागमन

19. कृषक वैज्ञानिक अंतःक्रिया

20. कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण

21. राज्य भू उपयोग बोर्ड

22. नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

23. बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

24. क्षारीय मृदा का पुनरूद्धार

25. मधुमक्खी पालन का विकास

26. औषधिक एवं सुगन्धित पौधों का विकास

27. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग

28. वाणिज्यक पुष्पकृषि का विकास

29. मशरूम का विकास

30. उष्ण, शुष्क, समशीतोष्ण कटिबन्धीय फलों का समेकित विकास

31. मूल एवं कंद फसलों का विकास

32. पानबेल का विकास

33. सब्जियों का विकास

34. समेकित मसाला विकास

35. प्रशिक्षण एवं विस्तार (मात्स्यिकी)

36. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी

37. मत्स्य फार्म विकास एजेंन्सियां

38. अंतर्देशीय मत्स्य विपणन

39. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण

40. भूमि विकास बैंकों के डिबेन्चरों में निवेश

41. गैर-अतिदेय कवर योजना

42. कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष

43. महिला सहकारी समितियों को सहायता

44. कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता

45. समयबद्ध रिपोर्टिंग योजना

46. फसल सांख्यिकी में सुधार

47. फसल सब्जी और हल्की फसलों का फसल अनुमान सर्वेक्षण/नैदानिक अध्ययन

48. पशुधन संगणना

49. कृषि संगणना

[अनुवाद]

उर्वरकों की बिक्री में अनियमितताएं

5917. श्री सुन्दर लाल पटवा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान अमोनिया की बिक्री में कथित अनियमितताओं जिनके परिणामस्वरूप कृषकों को करोड़ों रुपये की हानि हुई, के बारे में जांच शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जांच कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी॰ बी॰ आई॰) ने कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ (कृभको) द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान अमोनिया की बिक्री में कथित अनियमिताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए 22.1.1997 को दो नियमित मामले (आर॰ सी॰) दर्ज किए हैं।

मधुमक्खी पालन का विकास

5918. श्री पी॰ सी॰ चाको : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मधुमक्खी पालन के विकास हेतु एक विस्तृत योजना/प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कब से लम्बित है;

(ग) प्रस्तावित योजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक मंजूरी दिए जाने और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कब तक धनराशि स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उद्योग एवं समाज कल्याण मंत्री, केरल सरकार द्वारा भेजा गया एक प्रस्ताव कृषि मंत्रालय में जुलाई, 1996 के दौरान प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव में फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मधुमक्खी पालन विकास नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका कार्यान्वयन राज्य कृषि निगम लि॰ पुनुलर जिले केरल में उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत एजेन्सी घोषित किया गया है, के तहत कार्यकलापों/घटकों के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है, जिन्हें इस मंत्रालय द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गयी है। उद्योग एवं समाज कल्याण मंत्री, केरल को अगस्त 1996 में उक्त से अवगत करा दिया गया है।

तेल क्षेत्रों से अपशिष्ट

5919. श्री केशव महन्त : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस बात की जानकारी है कि असम के तेल क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट से गंभीर वायु और जल प्रदूषण उत्पन्न हो गया है जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऑयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाने के लिए निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार तेल क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण ऑयल इंडिया लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस निगम में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कभी-कभी खराबी के कारण उत्पन्न होता है।

(ख) और (ग) असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चूककर्ता यूनिटों को अपने बहिस्रावों के लिए शोधन संयंत्र लगाने के निर्देश दिए हैं। तदनुसार, इन दो यूनिटों ने प्रदूषण के लिए आवश्यक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने पहले ही 7 चलते-फिरते और स्थिर अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाए हैं।
2. स्लॅरी पिट्स, रिंग बंध, फ्लेर पिट्स आदि को मजबूत करना।
3. तेल वाले बहिस्रावों को अलग-अलग करना।
4. अपशिष्ट जल को पुनः चक्रण के पश्चात् प्रक्रिया में लाना।
5. गैस के फैलाव को कम करना।
6. अपशिष्टों से तेल की प्राप्ति करना।

यूरिया की कमी

5920. श्री दत्ता मेघे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरिया की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अधिक मात्रा में यूरिया की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खरीफ, 97 हेतु महाराष्ट्र में यूरिया की निर्धारित आवश्यकता 11.0 लाख टन है। इसमें संशोधन हेतु राज्य ने अभी तक कोई मांग नहीं की है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पनधारा विकास

5921. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में पनधारा विकास के लिए विश्व बैंक तथा ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ॰डी॰ए॰) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए राज्य में पनधारा विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य राज्य में फैले हुए प्रत्येक 20,000 हैक्टेयर के 40 प्रमुख पनधाराओं का सहभागी सामुदायिक प्रबंध के आधार पर विकास करना है। उचित निर्णय लेने के लिए यह प्रस्ताव आर्थिक कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पनधारा विकास परियोजना का दूसरा प्रस्ताव, जिसमें चित्रदुर्ग, बेलारी और बीजापुर जिले को शामिल करने का विचार है, राज्य द्वारा ओवसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना के अधीन मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

मृदा और जल संरक्षण, सामान्य संपत्ति संसाधनों का विकास, भूमि आधारित कार्यकलाप और विभिन्न पणधारियों को प्रशिक्षण। संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद परियोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जायेगा।

राजस्थान के लिए योजनाएं

5922. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से डुंगरपुर जिले के समग्र विकास के लिए जनता जल योजना, सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई योजना तथा अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि मांगी है;

(ख) यदि हां, तो धनराशि कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है।

चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980

5923. श्री वी॰ प्रदीप देव : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु निवारण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार कितने व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है तथा दोषी पाया गया है;

(ख) क्या यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों से निपटने तथा उन्हें रोकने हेतु पर्याप्त है अथवा कुछ और अधिक कठोर उपाय अपनाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1996 तथा 1997 (31.3.1997 तक) में चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1981 के तहत नजरबंदी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	नजरबंदियों की संख्या	
	1996	1997
आंध्र प्रदेश	5	2
असम	10	6
गुजरात	55	25
उड़ीसा	2	-
योग	72	33

(ख) और (ग) उपर्युक्त अधिनियम के तहत मौजूदा उपबंधों को अपराधियों से निपटने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। कोई अन्य उपाय करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय

5924. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय एक बहुत बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इस कार्यालय में तीन वर्ष से भी अधिक समय से रह रहे हैं और भर्ती की सामान्य प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन के उत्प्रवास कार्यालय में विद्यमान बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफ॰आर॰आर॰ओ॰) में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कुछ शिकायतें हैं। ऐसी शिकायतों की विधिवत रूप से जांच की जाती है तथा जहां-कहीं आरोप सिद्ध हो जाते हैं, वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, दिल्ली में तीन वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत अधिकारियों की संख्या 186 बताई गई है। जबकि प्रति-नियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है, परन्तु अनेकों प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण इस अपेक्षा को कड़ाई से लागू करना संभव नहीं पाया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों (1994-1996) के दौरान एफ॰आर॰आर॰ओ॰ दिल्ली के कर्मचारियों से तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें एफ॰आर॰आर॰ओ॰ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर कदाचार बरतने के आरोप लगाए गए थे। इनकी विधिवत रूप से जांच की गई। जहां दो शिकायतें बिना किसी तथ्य के पाई गई थीं, तीसरे मामलें में दोषी अधिकारी के खिलाफ समुचित विभागीय कार्रवाई की गई थी।

उत्तर प्रदेश में अपराध

5925. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि में अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि में श्रेणीवार और वर्षवार कितने अपराध हुए; और

(ग) सरकार ने अपराधों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदूषण रहित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

5926. श्री अय्यन्ना पटरूधु : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणविदों के आंदोलन के कारण अनेक उद्योगों के बहुत से संयंत्रों में उत्पादन या तो बंद हो गया है या कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयंत्र लगाने से पहले उद्योगों द्वारा प्रदूषण रहित होने संबंधी प्रमाण-पत्र लिया जाना अपेक्षित है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) पर्यावरणविदों द्वारा आंदोलन के कुछ छुट-पुट मामलों की सूचना है। इनमें से कुछेक के कारण उद्योगों को अल्पकाल के लिए बंद होना पड़ा है।

(ख) और (ग) देश में सभी उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित और संचालित होने के लिए आवेदन और सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

5927. श्री वेंकटारामी रेड्डी अनन्या : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय और गोदाम कहां-कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का राज्य के उन जिलों में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय और गोदाम खोलने का विचार है जिनमें यह नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1.2.97 की स्थिति के अनुसार, आंध प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और कार्यालयों की स्थिति तथा क्षमता का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मौजूदा भंडारण क्षमता पर्याप्त है और सभी राजस्व जिले पहले से ही मौजूदा डिपुओं से जुड़े हैं। 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश में नये गोदाम/कार्यालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों का ब्यौरा

1. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा तल, हाका भवन, एपो॰ पब्लिक गार्डनस, हैदराबाद-500004
2. संयुक्त प्रबंधक (पी.ओ.) भारतीय खाद्य निगम, पांचवां तल, एपेस्ट्रो काम्पलेक्स, विशाखापतनम-530020
3. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, सनत नगर (आन्ध्र प्रदेश)
4. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, सिकंदराबाद (महबूब नगर)
5. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, पुलिस मुख्यालय के पीछे, काजीपेट, हम्माकोड़ा, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)
6. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, करीम नगर (आन्ध्र प्रदेश)
7. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, व्येरी रोड, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश)
8. भारतीय खाद्य निगम, जिला कर्यालय, मोगल राजपुरम, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)
9. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, स्टेशन रोड, नल्लौरी बिल्डिंग, गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश)

10. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, विरिन्द्रन, नल्लौर (आन्ध्र प्रदेश)

11. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, जुबली रोड, ताडेपाली, गुड्डम (आन्ध्र प्रदेश)

12. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, राजाजी स्ट्रीट, काकीनाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

13. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, 7-14-21 गांधी नगर, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)

14. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, रामगिरी, नालगोन्डा (आन्ध्र प्रदेश)

15. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, कडवालपेट, निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश)

16. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, नरसिम्हा रावपेट, कुरनोल (आन्ध्र प्रदेश)

17. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, द्वारकानगर, हारबर, एप्रोच रोड, विशाखपत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)

18. भारतीय खाद्य निगम, संयुक्त प्रबंधक, (ओपरेशन), विजयवाड़ा, (आन्ध्र प्रदेश)

विवरण-II

1.2.97 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में भा० खा० नि० के पास उपलब्ध ढकी हुई भण्डारण क्षमता (अपनी व किराये की)

(आंकड़े हजार टन में)

केन्द्र का नाम	भण्डारण क्षमता		
	अपनी	किराये की	जोड़
1	2	3	4
सनतनगर	53.76	–	53.76
मेढक	–	13.55*	13.55
सिद्दीपेट	–	17.56*	17.56
संगारेड्डी	–	1.59*	1.59
चेरलापल्ली	100.00	–	100.00
नाचाराम	–	0.26**	0.26
महबूब नगर	–	1172 (2)	11.72
जदचरेलो	–	3.34 निजी	3.34
गडवाल	–	0.63*	0.63
महबूबाबाद	–	1.12**	1.12
काजीपेट	78.30	–	78.30
जनगांव	–	7.30*	7.39
करीमनगर	–	17.88*	17.88
जाम्मीकुन्ठा	40.00	–	40.00
पेड्डापल्ली	13.30	–	13.30
जगतियाल	–	2.59**	2.59
अदीलाबाद	–	2.00*	2.00
मनचेरियाल	25.50	–	25.50
खम्माम	70.84 (2)	–	70.84
कोठागुडेम	–	3.90**	3.90
भद्राचालान	–	0.77**	0.77
बोधन	–	22.20 (2)	22.20
कांतेश्वर	–	5.00 निजी	5.00
निजामाबाद	–	9.25 (2)	9.25
कामारेड्डी	–	5.68 निजी	5.68
सारंगपुर	–	31.68*	31.68
नालागोण्डा	30.00	–	30.00
मिरयालगुडा	63.00 (2)	–	63.00
कोदड	–	14.81 (2)	14.81
चिटयाल	–	5.93*	5.93
सूर्यापेट	–	20.00*	20.00
भोंगीर	–	2.50**	2.50
हजूरनगर	–	11.22**	11.22
निदामानूर	–	3.70**	3.70
वी० टी० पालम	–	0.62**	0.62
नारेदचेरला	–	0.40**	0.40

1 2	3	4	
नंदी कोटकुर	–	0.65*	0.65
अदोनी	–	4.12*	4.12
कुरनूल	–	2.34**	2.34
नांदयाल	–	1.87*	1.87
जंगलापल्ली	75.00	–	75.00
तिम्मानचेरला	26.48	–	26.48
कुडप्पा	19.24 (2)	–	19.24
प्रोडुतूर	–	5.02**	5.02
वाई॰वी॰डिपु	–	2.50 निजी	2..50
एन॰डी॰आर॰ (नैल्लौर)	–	3.34 निजी	3.34
एन॰ राजूपालेम	–	5.00 निजी	5.00
नैल्लौर	–	10.00*	10.00
काकुतूर	–	5.00 निजी	5.00
कवाली	–	1.00**	1.00
गुडूर	–	0.50**	0.50
वेद्यापालेम	–	2.00**	2.00
चित्तूर	10.00	–	10.00
रेनीगुंटा	–	20.00(2)	20.00
सतनापल्ली	17.56	–	17.56
गुंटूर	–	8.85*	8.85
चिलकलूरीपेट	–	1.66*	1.66
वडलामुडी	–	9.70*	9.70
पेडककानी	–	14.53*	14.53
नरसरापेट	–	20.99**	20.99
तेनाली	–	24.01**	24.01
रेपाल्ली	–	4.58**	4.58
अंगोले	30.00	1.85*	31.85

1 2	3	4	
चिराला	–	3.77*	3.77
कृष्णा कैनाल	12.31	–	12.31
निजाविडु (हनुमान जं)	30.00	–	30.00
गुडीवडा	60.00		60.00
पनचिलीपटनम	–	10.09**	10.09
रायनापाडु	–	50.00**	50.00
ताडेपल्लीगुडेम	9.20	10.00**	19.20
भीमावरम	19.80	–	19.80
पालीकोले	10.64	–	10.64
अकीविडु	14.62	–	14.62
इलरु	26.76	–	26.76
पेन्नड़ा	70.00	–	70.00
निदादावोले	14.59	–	14.59
काकीनाड़ा	36.60	10.90**	47.50
बीकावेले	20.00	–	20.00
समालकोट	50.00	–	50.00
देवालेश्वरम	60.00	–	60.00
राजमुद्री	–	24.50*	24.50
वडीसलेरु	–	6.29*	6.29
मंडापेट	–	10.00**	10.00
गोपालपुरम	–	7.50**	7.50
रावुलापुलाम	–	2.00**	2.00
अत्रेयपुरम	–	0.80**	0.80
तूनी	–	6.00**	6.00
दिविली	–	5.00**	5.00
अमलापुरम	–	5.90**	5.90
पी॰ गन्नावरम	–	1.40**	1.40

1 2	3	4	
अमदलावलसा	24.87	–	24.87
पलासा	–	2.50**	2.50
सोमपेट	–	2.50**	2.50
विजयनगरम	–	9.68 (2)	9.68
चिपुरापल्ली	–	2.40**	2.40
विजाग	40.79	–	40.79
बोबिल्ली	2.00	5.62 (2)	7.62
विजाग पोर्ट	41.56	–	41.56
	जोड़		1740.37

* केन्द्रीय भण्डारण निगम

** राज्य भांडागार निगम

[हिन्दी]

आलू का उत्पादन

5928. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आलू का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण 30 प्रतिशत फल और सब्जियां जिसमें आलू भी शामिल है, नष्ट हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की बर्बादी की रोकथाम हेतु सरकार के पास कोई योजना नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान आलू का उत्पादन अनुमानतः 1923 मिलियन टन हुआ।

(ख) डा॰ एस॰एस॰ स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट (1981) के अनुसार कटाई पश्चात् रख-रखाव एवं बिक्री संबंधी अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण 20-40 प्रतिशत फल तथा सब्जियाँ नष्ट हो जाती हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से दो योजनाएं चला रही हैं : (1) बागवानी उत्पादों के कटाई पश्चात् रख-रखाव संबंधी समेकित परियोजना, एवं (2) सरल ऋण सहभागिता के माध्यम से विपणन विकास, जिसके अन्तर्गत ग्रेडिंग, पैकिंग, खुदरा दुकानों, प्रशीतित परिवहन वाहनों, शीत-गृहों, पैकिंग सामग्री आदि जैसी कटाई पश्चात् की बुनियादी सुविधाओं हेतु तथा कटाई पश्चात् क्षति को न्यूनतम करने के लिए विपणन सुविधा के सुधार हेतु सरल ऋण सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भी सहकारी क्षेत्र में शीत-गृहों फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियों तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों, की स्थापना फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों, खुम्बी, प्रसंस्कृत खाद्य संबंधी जेनेरिक विज्ञापन के बुनियादी ढांचे तथा विपणन के लिए सहायता दे रहा है।

गेहूं/चावल की उत्पादन लागत

5929. डा॰ सत्यनारायण जटिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष घोषित समर्थन मूल्यों की तुलना में गेहूं और चावल की राष्ट्रीय औसत उत्पादन लागत क्या है; और

(ख) सरकार ने कृषि उत्पादन में किसानों को राहत देने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फसलें, जिनमें गेहूं और चावल भी शामिल हैं, की राष्ट्रीय औसत उत्पादन लागत का हिसाब नहीं लगाया जाता है। किन्तु अपनी विभिन्न रिपोर्टों में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा यथा प्रक्षेपित कुछ मुख्य उत्पादक राज्यों में धान और गेहूं के उत्पादन की लागत संलग्न विवरण-I में दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार किसानों को विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है जिसमें लाभकारी मूल्य के अलावा उर्वरकों, बीजों, बिजली आदि आदानों की उचित मूल्य पर व्यवस्था प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए विस्तार सहायता, ऋण तथा मण्डी समर्थन शामिल है।

विवरण-I

*उत्पादन की लागत (सी,)**

(रुपये प्रति क्विंटल

राज्य	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97
1	2	3	4	5	6
धान					
पंजाब	243	292	281	329	358
हरियाणा	282	349	390	382	–

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	–	416	488	–	
गेहूँ					
पंजाब	250	293	–	353	369
हरियाणा	241	245	274	–	338
मध्य प्रदेश	393	442	–	454	513

* सांविधिक न्यूनतम मजदूरी दर अथवा वास्तविक मजदूरी दर, जो भी अधिक हो, पर श्रम का मूल्यांकन तथा कुल लागत के 10 प्रतिशत की दर पर प्रबंधकीय आदान का मूल्यांकन शामिल है।

विवरण-II

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	धान			गेहूँ
	सामान्य	अच्छा	उत्कृष्ट	
1992-93	270	280	290	330**
1993-94	310	330	350	350
1994-95	340	360	380	360
1995-96	360	375	395	380
1996-97	380	395	415	475***

** 25 रुपए प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस शामिल है।

*** 60 रुपए प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस शामिल है।

[अनुवाद]

राजस्थान में भंडारण सुविधाएं

5930. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी:**
श्री श्याम लाल बंशीवाल:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मौजूदा भंडारण सुविधाएं राज्य के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में किन-किन स्थानों पर गोदाम हैं और उनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1.2.1997 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राजस्थान राज्य भांडागार निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता और उनका प्रतिशतता उपयोग निम्नानुसार है :-

संगठन	उपलब्ध कुल क्षमता (लाख टन में)	प्रतिशतता उपयोग
भारतीय खाद्य निगम	11.77	50 प्रतिशत
केन्द्रीय भंडारण निगम	1.66	57 प्रतिशत
राजस्थान राज्य भांडागार निगम	5.07	38 प्रतिशत

अतः इस समय सरकारी क्षेत्र में इन 3 संगठनों के पास उपलब्ध क्षमता पर्याप्त है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राजस्थान राज्य भांडागार निगम के संबंध में गोदामों के स्थान और क्षमता को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II, III और IV के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) मेक्रो स्तर पर भारतीय खाद्य निगम के पास राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भण्डारण क्षमता पर्याप्त है। तथापि, इसने अपने फील्ड अधिकारियों को ये शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी है कि जब कभी जरूरत हो तो वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराये पर ले सकते हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम की निम्नलिखित स्थानों पर अपने गोदामों का निर्माण करने की योजना है:-

सीकर	5000 टन
कोटा	6300 टन
बीकानेर (अतिरिक्त)	5000 टन
तारवाड़ झील	5000 टन

राजस्थान राज्य भांडागार निगम निम्नलिखित स्थानों पर क्षमता स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है :

ब्यावर	1800 टन
जैसलमेर	1800 टन
नागौर	3600 टन
पाली	1800 टन
सुमेरपुर	1800 टन

विवरण-I

1.2.1997 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (ढकी) (अपनी व किराये की)

(आंकड़े हजार टन में)

जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	भण्डारण क्षमता		
			अपनी	किराये की	जोड़
1	2	3	4	5	6
अलवर	अलवर	अलवर	13.34	-	13.34
		खेरली	13.40	-	13.40
-वही-	भरतपुर	भरतपुर	12.31	-	12.31
-वही-	धौलपुर	धौलपुर	11.67	35.00 निजी	46.67
बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	21.08	2.64 केभनि.	23.72
		देशनोके	-	5.00 निजी	5.00
		नोखा	-	17.50 निजी	17.50
-वही-	चुरू	चुरू	12.45	-	12.45
		सादुलपुर	10.12	-	10.12
		सुजानगढ़	8.87	-	8.87
-वही-	झुन्झुनु	बागड़	-	5.00 निजी	5.00
		झुन्झुनु	13.56	-	13.56
		माखड़	-	10.00 निजी	10.00
जयपुर	दौसा	बांदीकुई	19.42	-	19.42
-वही-	जयपुर	गान्धी नगर	26.78	-	26.78
-वही-	सीकर	सीकर	13.34	-	13.34
-वही-	टोंक	नेवाई	21.34	-	21.34
जोधपुर	बाड़मेर	बाडमेर	26.54	-	26.54
	जैसलमेर	पोकरन	15.00	-	15.00
-वही-	जैसलमेर	जैसलमेर	-	2.25 राभानि	2.25
-वही-	जालौर	जालौर	12.92	-	12.92
		भीरमल	-	1.0 राभानि	1.00
-वही-	जोधपुर	जोधपुर	32.78	-	32.78
		फलौदी	-	2.00 राभानि	2.00
कोटा	बूंदी	बूंदी	15.00	-	15.00
		केशोराय पाटन	11.67	-	11.67
-वही-	झालावाड	भवानी मंडी	10.00	-	10.00
-वही-	बारन	बारन	7.50	-	7.50
-वही-	कोटा	शिवपुरा	32.18	-	32.18
-वही-	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी	-	1.63 राभानि	1.63
	सवाई माधोपुर		90.84	-	90.84
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर	20.65	4.00 राभानि	24.65
		श्रीगंगानगर	-	22.50 निजी	22.50
		-वही- 2 (1000 निजी+1.10 राभानि)	-	11.10 (2)	11.10
		सूरतगढ़	-	2.30राभानि.	2.30
		अनूपगढ़	-	0.50राभानि.	0.50
		श्रीकरणपुर	-	0.30राभानि.	0.30
		केसरी सिंहपुर	-	0.20 राभानि	0.20
-वही-	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	42.65	22.00 (2) (7.00 केभनि +15.00 निजी)	64.65
		पीलीबंगा	-	0.80राभानि.	0.80
		सांगरिया	-	2.50राभानि.	2.50
उदयपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	10.00	-	10.00
-वही-	चित्तोड़गढ़	चांदेरिया	19.00	-	19.00
-वही-	डूंगरपुर	डूंगरपुर	-	1.00 निजी	1.00
-वही-	सिरोही	सिरोही रोड़	12.73	-	12.73
-वही-	उदयपुर	उदयपुर	38.33	-	38.33
अजमेर	अजमेर	अजमेर	42.34	-	42.34
		ब्यावर	-	10.00 निजी	10.00
		किशनगढ़	14.42	-	14.42

1	2	3	4	5	6
अजमेर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	11.68	–	11.68
–वही–	नागौर	नागौर	17.90	3.54 केभनि.	21.44
		परबतसर		28.35 निजी	28.35
–वही–	पाली	मारवाड़ जंकशन	10.00	–	10.00
		पाली	15.22	–	15.22
		जोड़ (राजस्थान)	707.03	191.11	898.14

सारांश

एजेंसी	क्षमता	उपयोगिता	गोदामों की संख्या	
भारतीय खाद्य निगम की अपनी किराये पर ली गई		707.03	45 प्रतिशत	35
के०भ०नि०		14.28	100 प्रतिशत	4
रा०भा० निगमों		17.48	93 प्रतिशत	11
निजी पार्टियां		159.35	60 प्रतिशत	11
जोड़		898.14	50 प्रतिशत	61

भा०ख०नि० – भारतीय खाद्य निगम
के०भ०नि० – केन्द्रीय भण्डारण निगम
रा०भा०नि० – राज्य भांडागार निगम

विवरण–II

1.2.97 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारणक्षमता (कैप-खुली)

जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	भण्डारण क्षमता अपनी	किराये की	जोड़
1	2	3	4	5	6
अलवर	अलवर	अलवर	20.12	–	20.12
बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	–	15.00	15.00
		देशनोके	–	22.50	22.50
		नोखा	–	25.00	25.00
–वही–	चुरू	सादुलपुर	3.50	–	3.50
–वही–	सीकर	सीकर	1.80	–	1.80
जोधपुर	बाड़मेर	ब्योतरा	–	10.00	10.00
		पोकरन	5.00	–	5.00
–वही–	जोधपुर	जोधपुर	1.20	17.50	18.70
कोटा	बूंदी	बूंदी	3.15	–	3.15
–वही–	बूंदी	बाडन	3.15	–	3.15
		शिवपुरा	4.05	–	4.05
		सवाई माधोपुर	50.00	–	50.00
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर-1,	–	7.50	7.50
		वही–II	–	5.00	5.00
–वही–	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	20.30	9.50	29.80
		सांगारिया	–	5.00	5.00
		हनुमानगढ़ (के.डी.आई.पी.)	–	10.00	10.00
उदयपुर	चित्तौड़गढ़	चंदेरिया	3.22	–	3.22
–वही–	सिरोही रोड	कोडेरला	–	20.00	20.00
–वही–	उदयपुर	उदयपुर	2.10	–	2.10
अजमेर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1.35	–	1.35
–वही–	नागौर	डीडवाना	–	5.00	5.00
		मित्रा रोड़	–	5.00	5.00
		जोड़	122.15	157.00	279.15
		क्षमता उपयोगिता	07 %	15%	11 %
		गोदामों की संख्या	13	13	26

विवरण–III

1.2.97 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों की सूची

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	निर्मित	किराये की	खुली	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर	0	1937	0	1937

1	2	3	4	5	6
2.	बीकानेर	5000	1570	0	6570
3.	हनुमानगढ़	20700	0	0	20700
4.	जयपुर	0	3560	0	3560
5.	झुनझुनु	0	3844	0	3844
6.	खेरलीगंज	0	1250	0	1250
7.	कोटा-I	28825	12854	0	41679
8.	कोटा-II	29670	0	0	29670
9.	नागौर	0	7401	0	7401
10.	ओझाडा	0	1604	0	1604
11.	पृथ्वीपुरा	0	3824	0	3824
12.	सीकर	0	2229	0	2229
13.	श्रीगंगानगर-I	25200	0	0	25200
14.	श्रीगंगानगर-II	10000	0	0	10000
15.	श्रीमाधोपुर	0	5000	0	5000
16.	उदयपुर	0	1266	0	1266
	जोड़	119395	46339	0	165734

विवरण-IV

राजस्थान राज्य भांडागार निगम (एक सरकारी उपक्रम) मुख्य कार्यालय भवानी सिंह मार्ग जयपुर-302015
31 जनवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार भाण्डारण क्षमता और उसकी उपयोगिता

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	जिला		भाण्डागार का नाम	भण्डारण क्षमता			आरक्षण सहित उपयोगिता	उपयोग की प्रतिशतता
				अपनी निर्मित	अपनी निर्मित के अलावा	जोड़		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	1.	अजमेर	4350	–	4350	757	17
		2.	ब्यावर	–	1000	1000	715	72
		3.	केकड़ी	3500	–	3500	1414	40
		4.	किशनगढ़	5400	–	5400	2095	39
2.	अलवर	5.	अलवर	16350	0140	16490	6772	41
		6.	खैरथल	5600	–	5600	2516	45
3.	बांसवाडा	7.	बांसवाड़ा	3600	–	3600	891	25
4.	बारन	8.	बारन	17320	–	17320	12116	70
		9.	अन्ता	7400	–	7400	1290	17
		10.	अतद	3600	–	3600	0792	22
5.	बाड़मेर	11.	बालोतरा	–	1000	1000	0341	34
6.	भरतपुर	12.	भरतपुर	8500	3140	11640	3404	29
		13.	बयाना	4700	–	4700	1181	25
		14.	नादबाई	5600	–	5600	1324	24

1	2		3	4	5	6	7	8
7.	भीलवाड़ा	15.	भीलवाड़ा	7850	–	7850	3610	46
		16.	गुलाबपुरा	5950	–	5950	969	16
		17.	मंडलगढ	1800	–	1800	0270	15
8.	बीकानेर	18.	खाजूवाला	3600	–	3600	838	23
		19.	नोखा	1800	–	1800	1150	64
		20.	कोलायत	2250	0560	2810	0287	10
9.	बूंदी	21.	बूंदी	10820	–	10820	8555	79
		22.	कापरेन	6750	–	6750	0379	06
		23.	केशोरायपाटन	5400	–	5400	0670	12
10.	चित्तौड़गढ़	24.	चित्तौड़गढ़-।	6450	–	6450	0988	15
		25.	चित्तौड़गढ़-।।	5400	–	5400	2743	51
		26.	निम्बाहेड़ा	4050	1000	5050	4799	95
		27.	प्रतापगढ़	3600	1000	4600	2349	51
11.	चुरू							
12.	दौसा	28.	दौसा	7120	–	7120	2148	30
		29.	बांदीकुई	1620	–	1620	0364	22
		30.	लालसोट	–	1620	1620	1031	64
		31.	एम०एम० रोड	1320	0360	1680	956	57
13.	धौलपुर	32.	धोलपुर	3350	0650	4000	1339	33
14.	डूंगर पुर	33.	डूंगरपुर	5100	–	5100	1650	32
15.	हनुमानगढ़	34.	भदरा	2000	–	2000	230	12
		35.	डाबलीराथन	5400	–	5400	0008	00
		36.	गोलुवाला	5400	–	5400	848	16
		37.	नोहर	3800	–	3800	926	24
		38.	पीलीबंगा	17750	–	17750	2967	17
		39.	रावतसर	6750	–	6750	470	07
		40.	सांगरिया	7760	–	7760	4365	56

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	जयपुर	41. जयपुर (बीजी)	13430	27,00	16130	13399	83
		42. जयपुर (डीजीबी)	–	6000	6000	2273	38
		43. जयपुर (जेटीएच)	–	2850	2850	1309	46
		44. चौमू	1580	0610	2190	1330	61
17.	जैसलमेर	45. जैसलमेर	6750	–	6750	9011	133
18.	जालौर	46. भीनमाल	4850	0150	5000	3920	78
19.	झालावाड	47. झालरापाटन	5400	–	5400	3138	58
		48. भवानी मंडी	4500	–	4500	2472	55
20.	झुंझनू						
21.	जोधपुर	49. जोधपुर	8250	–	8250	4260	52
		50. बिलाडा	–	1030	1030	759	74
		51. फलौदी	3600	–	3600	2319	64
		52. इटावा	4400	–	4400	971	22
22.	कोटा	53. रामगंज मंडी	8300	–	8300	5650	68
		54. सुल्तानपुर	3600	–	3600	856	24
23.	नागौर	55. मेड़तासिटी	3600	4830	8430	4561	54
24.	पाली	56. पाली	6050	–	6050	2417	40
		57. सोजात रोड़	1800	–	1800	516	29
		58. सुमेरपुर	10800	7270	18070	3244	18
25.	राजसमंद	59. राजसमंद	1800	–	1800	466	26
26.	सवाईमाधोपुर	60. सवाईमाधोपुर	5140	–	5140	1686	33
		61. गंगापुर सिटी	6890	0540	7430	3134	42
		62. हिंडोन सिटी	3120	0340	3460	948	27
27.	सीकर						
28.	सिरोही	63. आबू रोड़	2700	0600	3300	923	28
29.	श्रीगंगानगर	64. अनूपगढ़	17400	–	17400	2541	15
		65. घड़साना	10700	–	10700	2436	23
		66. गजसिंहपुर	8200	–	8200	1562	19
		67. केसरी सिंहपुर	8100	–	8100	1605	20
		68. पदमपुर	9450	–	9450	2533	27

1	2		3	4	5	6	7	8
		69.	राय सिंह नगर	15050	–	15050	2336	15
		70.	सादुल शहर	10100	–	10100	2803	28
		71.	रावला	3600	–	3600	1094	30
		72.	श्रीकरनपुर	10800	–	10800	1710	16
		73.	श्रीविजयनगर	–	7720	7720	5150	67
		74.	सूरतगढ़	18900	–	18900	4192	22
30.	टोंक	75.	टोंक	1400	–	1400	837	80
		76.	निवाई	2000	–	2000	400	20
31.	उदयपुर	77.	उदयपुर	13500	0950	14450	7788	51
		78.	फतेहनगर	6200	–	6200	5251	85
			जोड़	460970	46060	507030	192330	38

भाण्डागारण क्षमता और गोदामों की संख्या

		गोदामों की संख्या	भाण्डागारण क्षमता (टन में)	भाण्डागारण क्षमता की उपोगिता	प्रतिशतता
(1)	अपने निर्मित	231	4,60,970	1,70,701	37
(2)	अपने निर्मित के अलावा				
(क)	पी.डब्ल्यू.डी. से स्थानांतरित	–	–	–	–
(ख)	के.यू.एम.एस./पी.डब्ल्यू.डी./	25	19,450	9,179	47
(ग)	सरकार/निगम से किराए पर ली गई	28	26,610	12,444	47
	निजी जोड़ (क + ख + ग)	53	46,060	21,623	47
	जोड़	284	5,07,030	1,92,330	38

1.	भाडागारण क्षमता	5.07		
2.	क्षमता उपयोगिता	1.92		
3.	उपयोग की प्रतिशतता	38		
(क)	सरकारी विभाग (भा.खा.नि. के अलावा अन्य निगम)	76775	40.0	
(ख)	सहकारी	54554	28.0	
(ग)	भारतीय खाद्य निगम	18854	10.00	
(घ)	व्यापारी	40036	21.0	
(ङ)	उत्पादक	2111	1.0	
	जोड़	192330	100.0	

(घ) निर्माणाधीन गोदाम जनवरी, 1997

क्र. सं.	स्थान	क्षमता (टन में)	शुरू करने की तारीख
1.	भवानीमड़ी	1000	11.07.96
2.	सुमेर पुर	900	16.04.96
3.	बिलारा	2700	11.07.96
4.	नागौर	1800	06.11.96
5.	मितरासिटी	1800	11.07.96
6.	टोंक	1800	11.07.96
7.	निमबाहेरा	1800	23.09.96
8.	सिसवाली	1800	14.10.96
9.	मिरासिटी	1800	07.10.96
10.	नीम का थाना	3600	03.10.96
	जोड़	19000	

मजदूरी संशोधन

5931. **श्री पी॰सी॰ थामस** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उस समझौता ज्ञापन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया गया है और उस प्रस्ताव में कुछ कटौतियां और संशोधन किए गए है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कामगार यूनियनों ने उनके मंत्रालय के पक्ष को स्वीकार करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन में 1.2.1992 से 31.12.1996 तक की अवधि के लिए औद्योगिक मंहगाई भत्ते पैटर्न पर श्रेणी-3 और 4 कर्मचारियों के लिए मजदूरी प्रस्ताव शामिल हैं जिस पर समझौते की समस्त अवधि के लिए लगभग 315 करोड़ रुपये का खर्च निहित है।

(ग) इस मंत्रालय ने कुछेक मामूली संशोधनों के साथ समझौता ज्ञापन अनुमोदित कर दिया है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए संशोधन कुछेक भत्तों और सुविधाओं से संबंधित हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भारतीय खाद्य निगम की यूनियनों के कामगारों ने मजदूरी संशोधन प्रस्ताव की अविवादित मदों के संबंध में प्रबन्ध के पास 6.5.1997 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

चीनी की उत्पादन लागत

5932. **श्री नीतिश कुमार**ः
श्रीमती सुषमा स्वराजः

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में बहुत कम अंतर होने के कारण भारतीय चीनी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चीनी पर वर्तमान शुल्क के कारण देश में इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो चीनी की उत्पादन लागत में कच्चा माल, करों की अनुमानित प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) देश में चीनी की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) चीनी का निर्यात चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों सहित अनेक घटकों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) फिलहाल, चीनी पर लगाए गए करों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1996-97 के लिए लेवी चीनी के प्रति क्विंटल अखिल भारत औसत निकासी मूल्य के घटकों में गन्ने की लागत 597.42 रुपये, रूपान्तरण लागत 275.83 रुपये और प्रतिलाभ 128.02 रुपये शामिल हैं, जिनका जोड़ 1000.77 रुपये बैठता है। फैक्ट्री उपरांत कर इस प्रकार हैं :- (1) लेवी चीनी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 38 रुपये प्रति क्विंटल, लेवी मुक्त चीनी पर 71 रुपये प्रति क्विंटल, और (2) चीनी उपकर 14 रुपये प्रति क्विंटल (निर्यात की छूट)

(ङ) सरकार प्रत्येक माह न्यायोचित निर्मुक्तियों द्वारा चीनी के मूल्यों पर नियंत्रण रखती है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में खाद्यान्न भंडार

5933. डा॰ रामकृष्ण कुसमारिया: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गत दो वर्षों की तुलना में वर्तमान में कितना खाद्यान्न है; और

(ख) चालू वर्ष में खाद्यान्नों के भंडार के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) 1.4.96 और 1.4.95 की तुलना में दिनांक 1.4.97 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं और चावल की स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	गेहूं	चावल	जोड़
1.4.97 (अनंतिम)	0.46	6.06	6.52
1.4.96 (अनंतिम)	1.65	8.42	10.07
1.4.95 (अनंतिम)	2.60	10.79	13.39

(ख) खाद्यान्नों के स्टाक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए दो महीनों के आवंटन के बराबर स्टाक का भण्डार करने के प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

5934. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य:
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान उक्त उत्पादन में से सरकार द्वारा कितनी "लेवी" चीनी प्राप्त की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान "लेवी" चीनी के रूप में चीनी के उत्पावन से 40 प्रतिशत से भी कम प्राप्तियों के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) चीनी मौसम 1994-95, 1995-96 के दौरान अनंतिम (अनु.) उत्पादन तथा 1996-97 के दौरान अनुमानित (अनु.) उत्पादन, साथ ही उक्त मौसमों के प्रत्येक मौसम के दौरान उक्त उत्पादन में से लेवी चीनी की मात्रा नीचे दी गई है:

(लाख टन में)

मौसम	उत्पादन	लेवी का अनुपात
1994-95	146.43	48.32
1995-96	164.29 (अनु.)	44.56
1996-97	140.00 (अनु.)	46.20

(ग) ऊपर निर्दिष्ट मौसमों के दौरान लेवी चीनी के रूप में चीनी के उत्पादन के 40 प्रतिशत कम प्राप्त करने का कारण जल्दी/विलम्ब से पेराई के लिए प्रोत्साहन की वजह से लेवी चीनी का खुली बिक्री चीनी में विपणन है तथा साथ ही नई तथा विस्तार फेक्ट्रियों को उनके उत्पादन के 60 प्रतिशत से अधिक की दर पर खुली बिक्री चीनी की रिलीज के रूप में प्रोत्साहन भी इसका कारण है।

सुपर बाजार द्वारा जहरीले आटे की आपूर्ति

5935. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सुपर बाजार की कुछ शाखाओं द्वारा जहरीले आटे की आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन शाखाओं के नाम क्या हैं जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उसकी शाखाओं द्वारा हाल में कोई विषाक्त आटा सप्लाई नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था बनाने में भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग

5936. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादियों के आतंक से निपटने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं

का उपयोग करने के संबंध में राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की गई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सामान्य नीति अपनायी जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्र सरकार ने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पूर्व सैनिकों का उपयोग किए जाने हेतु राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, समझा जाता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नक्सलवादी विरोधी अभियानों के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पुलिस का आधुनिकीकरण

5937. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पुलिस थानों के लिये भवन निर्माण आरम्भ करने के लिये 14.70 करोड़ रुपये में से 7 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह पुलिस बल के आधुनिकीकरण और थानों के लिये भवन निर्माण हेतु निधियों का उपयोग करे;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की; और

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई ठोस योजनाएं प्राप्त हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां।

(ख) ''राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण'' नामक योजना के अधीन थानों / बाहरी चौकियों की इमारतों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं होता है। तथापि, दसवें वित्त आयोग ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए थानों/चौकियों की इमारतों के निर्माण के लिए 204.00 लाख रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। वर्ष 1996-97 के दौरान इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में 30.60 लाख रुपये जारी किए गए थे।

(ग) से (ङ) जारी की गई राशि विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु प्रयोग करने के लिए है। निधि प्राप्त करने वाली राज्य सरकारों से यथा-समय निधि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मौजूदा मामलों में आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार से ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सामाजिक विधान पर आवधिक समीक्षा

5938. श्री छीतुभाई गामीत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिये अनेक कदम उठाये जाने के बावजूद ऐसे अपराध में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सामाजिक विधानों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिये इनकी आवधिक समीक्षा करने अथवा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिये इनमें आवश्यक सुधार करने का सुझाव दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कानून इस प्रकार बनाये जाने पर विचार कर रही है कि बलात्कार के मामले महिला न्यायाधीशों के पास पहुंचे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराध की घटनाओं की संख्या क्रमशः 98948, 105413 और 105459 (अनन्तिम) थी। ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय होने के कारण, अपराध को रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों को, अपने पुलिस बल को सुग्राही बनाने के लिए अधिक कार्य करने, जनता में जागरूकता पैदा करने और ऐसे सामाजिक-आर्थिक उपाय करने की आवश्यकता है जो महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए जरूरी हो। इस संबंध में केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है।

(ग) और (घ) भारत सरकार का महिला और बाल विभाग, महिला आयोग और अन्यों के साथ विचार-विमर्श करके संगत कानूनों की पुनरीक्षा करता रहता है ताकि उनमें खामियों का पता लगाया जा सके ओर आवश्यक संशोधन या नए विधान लाए जा सकें। अनेक संशोधन विचाराधीन होने के अलावा, दहेज मृत्यु से निपटने के लिए

भा.दं.सं. में धारा 304-ख जोड़ी गयी है और न्यायालय द्वारा दहेज मृत्यु के संबंध में पति/रिश्तेदार के दोष की आवधारणा करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113-ख अन्तःस्थापित की गयी है।

(ङ) और (च) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय प्रशासन राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे न्यायालय स्थापित करना संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों का काम है।

खाद्यान्नों की खुली बिक्री

5939. श्री राम नाईक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी व्यापारियों को खाद्यान्न आर्थिक लागत से कुछ ही अधिक दर पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने खुली बाजार योजना के अंतर्गत बिचौलियों और जमाखोरों को समाप्त कर सीधे उपभोक्ताओं को 5 कि.ग्रा. अथवा 10 कि.ग्रा. के छोटे पैकेटों में गेहूं और चावल की बिक्री पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं और चावल की बिक्री 1.4.1997 से रुकी हुई है। 31.3.1997 तक भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री की गई थी जो उत्तर भारत से भाड़ा, गेहूं की बाजार दर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के प्रमुख केन्द्रों पर गेहूं के थोक मूल्यों तथा चावल के लेवी मूल्य आदि जैसे विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी।

(ग) जी, नहीं

(घ) इसमें शामिल पैकिंग और हैडलिंग की अतिरिक्त लागत तथा भारतीय खाद्य निगम प्रचालनों की प्रकृति और स्वरूप को भी ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को सीधे 5 अथवा 10 किलोग्राम की छोटी थैलियों में गेहूं और चावल की बिक्री करना व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा खुले बाजार में बिक्री योजना 1.4.1997 से बन्द कर दी गई है।

आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति

5940. श्री धर्म भिक्षम : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति की जा रही चावल, गेहूं और अन्य मदों का कोटा बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है:

गेहूं - अप्रैल, 1997 से प्रतिमाह 15000 मी.टन से बढाकर 18000 मी. टन करना।

मिट्टी का तेल - अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध।

खाद्य तेल - 1996-97 के दौरान 49,000 मी.टन आयातित तेल का आवंटन करने का अनुरोध।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए खाद्यान्नों का आवंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए अनुपात में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

(हजार मी. टन प्रति माह)

चावल

गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	कुल
32.65	152.05	184.70

गेहूं

गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	कुल
शून्य	15.00	15.00

मिट्टी का तेल - वर्ष 1997-98 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 22646 मी. टन की वृद्धि की गई है जो 2.9 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 3.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

खाद्य तेल : वर्ष 1997-98 के लिए सरकार के खाद्य तेल आयात कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

खाण्डसारी इकाइयों के लिए "वैक्यूम पैन"

5941. श्री एन०जे० राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के चीनी मिलों के मालिक खाण्डसारी इकाइयों को "वैक्यूम पैन" प्रदान किए जाने का विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) वर्तमान कानून और नियम/आदेशों के अधीन "खांडसारी चीनी उत्पादकों" के लिए केवल खुला पात्र प्रक्रिया द्वारा उत्पादन करना अपेक्षित है, जबकि केवल "चीनी उत्पादकों" के लिए ही निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन अनुमत है। जो बाध्यताएं चीनी उत्पादकों पर अधिरोपित होती हैं वे खांडसारी उत्पादकों पर अधिरोपित नहीं होती। उदाहरणार्थ, खांडसारी यूनिटों के लिए अपने उत्पादन का कोई भी भाग लेवी के रूप में देना अपेक्षित नहीं होता और उनके लिए यह भी अपेक्षित नहीं है कि वे नियत मूल्य पर गन्ने की खरीददारी करें। उन पर कोई उपकर भी लागू नहीं होता है। न ही उनके लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क है। अतः चीनी उत्पादकों अर्थात्, जो निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, उनका यह विचार है कि जब तक खांडसारी और चीनी उत्पादक यूनिटों के बीच के सभी अंतर समाप्त नहीं कर दिए जाते तब तक खांडसारी यूनिटों द्वारा निर्वात पात्र का उपयोग करने के संबंध में लागू प्रतिबंध नहीं उठाये जाने चाहिएं। खांडसारी और चीनी उत्पादक यूनिटों के बीच इस अन्तर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात की दुग्ध योजना के लिए आधारभूत ढांचा

5942. श्री विजय पटेल : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत ढांचे की अनुपलब्धता के कारण गुजरात दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी निगम की कई योजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या अहमदाबाद में एक बड़ी राष्ट्रीय डेयरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की एक मेगा डेयरी अहमदाबाद के निकट गांधी नगर में हाल ही में स्थापित की गई है।

[हिन्दी]

चीनी विकास निधि से सहायता

5943. श्री अशोक प्रधान : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता हेतु राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उन चीनी मिलों के क्या नाम हैं जिन्हें सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन चीनी मिलों ने उक्त निधि का पूरी तरह उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मिलों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) 30.4.1997 तक उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से सहायता हेतु 87 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्रदान की गई चीनी मिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) चीनी मिल के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन का कार्य एक समय अवधि तक चलता है और इसकी मानीटरिंग वित्तीय सहायता सामान्यतया दो किस्तों में दी जाती हैं यह ज्ञात कर लेने के बाद कि आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन की अनुमोदित योजनाओं के लिए पहली किस्त का उपयोग समुचित रूप से किया गया है, अगली किस्त रिलीज की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली 13 चीनी मिलों में से 12 चीनी मिलों को सहायता की पूरी राशि पहले ही प्राप्त हो गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस प्रकार रिलीज सहायता उपयोगिता की विभिन्न अवस्थाओं के अधीन होती है और इन मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में वित्तीय संस्थानों से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में सहायता दी गई चीनी मिलों के नाम

क्रम सं.	चीनी मिल का नाम	वित्तीय सहायता रिलीजेज़
1	2	3
	1994-95	
1.	मै. यू.पी. स्टेट शुगर कॉर्पो. लि. यूनिट : सहारनपुर	दूसरी किस्त
2.	मै. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. यूनिट : गजरौला, जिला : मुरादाबाद	- वही-
3.	मै. गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. युनिट : मोरना	- वही-
4.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. घोसी, जिला : मऊ	- वही-
5.	मै. खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा.लि. खलीलाबाद, बस्ती	पहली और दूसरी किस्त
	1995-96	
6.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. यूनिटः तिलहर, जिलाः शाहजहाँपुर	दूसरी किस्त
7.	मै. आजुधिया शुगर मिल्स, राजा-का-सहसपुर, मुरादाबाद	पहली और दूसरी किस्त
8.	मै. गणेश्वर लि. देवबंद, सहारनपुर	-वही-
9.	मै. कानोरिया शुगर और जन.मैनु.कं.लि. कप्तानगंज, देवरिया	-वही-
10.	मै. प्रतापपुर शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि. प्रतापपुर, जिलाः देवरिया	पहली किस्त
11.	मै. के.एम. शुगर मिल्स लि. मोतीनगर जिलाः फैजाबाद	-वही-
	1996-97	
12.	मै. शेरवानी शुगर सिंडीकेट लि., पो.आ. नेवली, जिला एटा	पहली किस्त
13.	मै. बलरामपुर चीनी मिल्स लि. बलरामपुर फेक्ट्री, जिलाः गोंडा	पहली और दूसरी किस्त
14.	मै. खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा. लि., खालीलाबाद, बस्ती	अतिरिक्त ऋण
15.	मै. आजुधिया शुगर मिल्स राजा-का-सहसपुर, जिला : मुरादाबाद	तीसरी किस्त
16.	मै. प्रतापपुर शुगर एण्ड इंडस्ट्री लि. प्रतापपुर, लिजा : देवरिया	दूसरी किस्त
17.	मै. के.एम.शुगर मिल्स लि. मोतीनगर, जिलाः फैजाबाद	दूसरी किस्त

सुपर बाजार का गैर-योजना व्यय

5944. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के लिए सुपर बाजार, नई दिल्ली के लिए आवंटित गैर-योजना व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपर बाजार के विस्तार तथा आधुनिकीकरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारत सरकार सुपर बाजार, दिल्ली के संबंध में कोई योजना-भिन्न व्यय आवंटित नहीं करती। इसलिए गत वर्ष की तुलना में 1995-96 के दौरान इसमें कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईसाई मिशनरी

5945. श्री सुशील चन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की निगरानी कर रही है जो हाल के वर्षों में अरूणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में प्रवेश कर गई हैं;

(ख) क्या अरूणाचल प्रदेश के कुछ भागों में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तनाव उत्पन्न किये जाने के समाचार हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार को अरूणाचल प्रदेश में विभिन्न धार्मिक ग्रुपों की गतिविधियों की जानकारी है।

(ख) कुछ दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भूमि का हस्तांतरण

5946. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के कन्नूर जिले के कुबरी तथा पेरिन्नाम गांवों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने तथा केरल के लिए मंजूर की गई त्वरित कार्य बल के बटालियन को रखे जाने के लिए भूमि हस्तांतरित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए आर.टी.सी और आर.ए.एफ. बटालियन स्थापित करने के लिए केरल के कन्नूर जिले में भूमि हस्तांतरण (58.85 एकड़ भूमि कुवरी गांव में और 50 एकड़ भूमि पैरिंगम गांव में) करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था।

(ख) तथापि, राज्य सरकार द्वारा पेश की गई भूमि आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में, पर्याप्त और उपयुक्त नहीं पायी गयी। राज्य सरकार से उपयुक्त स्थान पर कोई दूसरी भूमि देने का अनुरोध किया गया है जो किसी जिला मुख्यालय के नजदीक हो।

इमारती लकड़ी की कटाई

5947. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के जंगलों से प्रति वर्ष कितनी इमारती लकड़ी की कटाई की अनुमति दी गई है;

(ख) ऐसी कटाई के लिए अब तक कितने परमिट जारी किए गए हैं;

(ग) अब तक इससे कितने चन्दन उद्योगों को लाभ पहुंचा है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1997 तक कितनी इमारती लकड़ी की कटाई हुई तथा कितनी इमारती लकड़ी को राज्य से बाहर भेजने की अनुमति दी गई;

(ङ) क्या उस क्षेत्र में पुनः वनरोपण हेतु कोई सुदृढ़ नीति अपनाई जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चूल्हे से फैलता धीमा जहर

5948. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1997 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''स्लो पॉयजनिंग एट द हर्थ'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस स्थिति विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, का सामना करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी हां।

28 मार्च, 1997 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''स्लो पॉयजनिंग एट द हर्थ'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार खाना पकाने के लिए कम दर्जे के ईंधन का उपयोग करने के कारण घर के अन्दर वायु प्रदूषण से संबंधित है, जिससे समाज के निम्न वर्ग के लोगों, विशेषकर महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह परिणाम टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है।

(ग) घर के भीतर वायु प्रदूषण का स्वरूप और उसकी महत्ता उपयोग किए गए ईंधन की प्रकृति और उसके स्वरूप, चूल्हें की बनावट, वायु संचार प्रणाली आदि पर आधारित है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने झुग्गी झोंपड़ियों में ईंधन की आपूर्ति और मांग की स्थिति का व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन करने का समर्थन किया है।

(घ) घर के भीतर वायु प्रदूषण के संबंध में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं नामतः उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम और बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय

परियोजना, जो परिवार के लिए बायोगैस संयंत्र का प्रबंध करती है, कार्यान्वित कर रही है। सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण और झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में इन उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य प्रोत्साहन भी मुहैया कर रही है।

2. सामान्य पर्यावरणीय जागरूकता अभियान आरम्भ किया गया है।

दिल्ली पुलिस में त्वरित पदोन्नति

5949. श्री विजय गोयल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली पुलिस को अपने उन कार्मिकों को त्वरित पदोन्नति देने हेतु कोई नीति निर्देश दिए गए हैं जो सशस्त्र मुठभेड़ में वांछित अपराधियों को पकड़ते हैं;

(ख) यदि हां तो वे विशिष्ट मार्ग निर्देश कौन से हैं तथा दिल्ली पुलिस के उन कार्मिकों की वर्षवार संख्या क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान इन मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत त्वरित पदोन्नति दी गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार हुई सशस्त्र मुठभेड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि त्वरित पदोन्नति और प्रोत्साहन से कुछ उत्साही पुलिस कर्मी को नकली सशस्त्र मुठभेड़ करने के लिए प्रेरित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पदोन्नति योजना से होने वाली ऐसी हानियों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) नियम, 1980 के नियम 19(ii) में, असाधारण खिलाडियों, निशानेबाजों, अधिकारियों, जिन्होंने अद्वितीय वीरता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया हो, को प्रोत्साहित करने के लिए अगले रैंक पर पदोन्नति देने का प्रावधान हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994, 1995 और 1996 के दौरान इस नियम के अधीन जिन अधिकारियों/कार्मिकों को अगले रैंक पर पदोन्नत किया गया है, उनकी संख्या निम्न प्रकार से हैंः

रैंक	1994	1995	1996
निरीक्षक से सहायक पुलिस आयुक्त	-	4	-
उप निरीक्षक से निरीक्षक	8	3	1
सहायक उप-निरीक्षक से उप निरीक्षक	3	4	1
हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक	16	13	20
कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल	29	42	28

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :-

वर्ष	मुठभेड़ों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या
1994	3	4	3
1995	10	6	5
1996	6	2	-

(घ) और (ङ) इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्टें हैं। त्वरित पदोन्नति के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल की पूर्व अनुमति अपेक्षित होती है और वह केवल पात्र मामलों में ही दी जाती है।

कृषि पर आधारित उद्योग

5950. श्री आर0 साम्बासिवा राव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थिति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय खाद्य उद्योग में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों, दक्षता और मुख्य उपकरणों में 2005 तक 1,40,000 करोड़ रु0 के भारी निवेश की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या सरकार ने ''खाद्य कृषि समेकित विकास और कार्य'' शीर्षक युक्त अध्ययन रिपोर्ट को देखा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) रिपोर्ट में बताए गए सुझावों पर सरकार का कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ङ) भारतीय उद्योग महासंघ तथा मैकिन्से एंड कंपनी ने भारतीय खाद्य उद्योग की भावी संभावनाओं का हाल ही में अध्ययन किया है। रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

औषधों का आयात

5951. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के वित्तीय वर्ष के दौरान औषधों के आयात के लिए कितनी भारतीय औषध निर्माण कंमनियों को लाइसेंस जारी किये गये और उन औषधों के क्या नाम हैं जिनके लिए लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) सरकार के पास औषधों के आयात की अनुमति लेने के लिए भारतीय औषध निर्माण कंपनियों के कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ग) आयात किए जाने वाले प्रस्तावित औषधों के नामों के साथ-साथ उन कंपानियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या उन औषध कंपनियों को औषधी आयात के लाईसेंस जारी करने में कोई कठिनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इन औषधि कंपनियों को कब तक आयात लाइसेंस दिए जाएंगे; और

(छ) सरकार द्वारा स्वदेशी औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान क्रमशः 38, 37 और 20 भारतीय औषध विनिर्माता कंपनियों के मामलों में पेन. जी और रिफा-एस के लिए आयात लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) से (च) आक्सीटेट्रासाइक्लिन एच सी एल के आयात के लिए मै. वोक्हार्ट लि. तथा मै. जगसनमाल लि. से प्राप्त केवल दो प्रस्तावों का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने स्वदेशी विनिर्माताओं से सप्लाई के लिए उनकी असमर्थता के संबंध में प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया था।

(छ) लाइसेंस मुक्त करने, आयातित कच्चे माल के सीमा शुल्क में उत्तरोतर कमी, मुलावस्था से विनिर्मित औषधों के लिए मूल्य निर्धारित करते समय उच्चतर लाभ की दर प्रदान करना, आदि कुछ वे कदम हैं, जो सरकार ने स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए हैं।

अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा दुर्व्यवहार

5952. श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार त्रिपुरा में अर्द्धसैनिक बलों द्वारा छापे के दौरान महिलाओं के साथ किये गये दुर्व्यवहार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) छापों के दौरान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में बलों को क्या निर्देश दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) त्रिपुरा में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी कुछ आरोप सरकार की जानकारी में लाए गए हैं। कुछ मामलों में, पुलिस मामले भी दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बलों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

कोचिंग स्कूल योजना के अन्तर्गत धन दिया जाना

5953. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार राज्य को कोचिंग तथा संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत गत वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में फरवरी, 1997 तक कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) बिहार में इस योजना के अन्तर्गत चल रहे/चलाए जाने के लिए विचारित कोचिंग केन्द्रों/निजी संस्थानों/विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बिहार को उक्त योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि को समायोजित करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा फरवरी, 1997 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए कोंचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अंतर्गत बिहार राज्य को दी गई राशि इस प्रकार है :-

(रु० लाख में)

1995-96	1996-97
18.05	2.90

(ख) इस अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित केन्द्रों की संख्या इस प्रकार हैः

राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग केन्द्र	निजी संस्थान
11	5

(ग) और (घ) जी हां। इन योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर आधारित पिछले वर्ष को व्यय न की गई राशि को समायोजित किया जाता है।

सड़ा हुआ खाद्यान्न

5954. डा॰ राम विलास वेदान्तीः
श्री सोहन वीर सिंहः

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न बड़ी मात्रा में भंडारण सुविधाओं के अभाव में सड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है और पिछले तीन वर्षों में दौरान राज्यवार कितने मूल्य का खाद्यान्न खराब हुआ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक कदम कौन-कौन से हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के स्टाक को ''ठोस'' से ''क्षतिग्रस्त'' में अंतरित कर दिया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी अंतरित मात्राएं और उनकी कीमत निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (टन में)	कुल स्टाक के लिए प्रतिशतता	कीमत (लाख रुपये में)
1993-94	45786.629	0.25	159.69
1994-95	19126.782	0.09	72.22
1995-96	32719.422	0.23	1601.21

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं:-

खाद्यान्नों का स्टाक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वैज्ञानिक विधियों से भंडारित किया जाता है और प्रशिक्षित गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पाक्षिक आधार पर इसकी पूर्ण जांच की जाती है। भण्डारण के दौरान नमी, कीट, मूषक, सूक्ष्म जीवों आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण भंडारित अनाज को खराब होने से बचाने के लिए आवधिक रूप से जन्तुबाधा निरोधी उपचार किया जाता है।

[अनुवाद]

विकलांगों के लिए साझा कार्यक्रम

5955. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने समाज में विकलांगों को बराबर की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस संबंध में मार्च, 1997 में दिल्ली में कोई सेमिनार आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस सेमिनार में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(घ) क्या भारत और चीन ने विकलांगों के कल्याण के लिए साझा कार्यक्रम अपनाने का निर्णय किया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) भारत और चीन ने एशियायी और प्रशान्त विकलांग व्यक्ति दशक के लिए कार्रवाई संबंधी कार्यसूची के कार्यान्वयन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोनों देशों में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल नीति और कार्यक्रम के वातावरण तैयार करने के साधनों पर बातचीत को बढ़ावा देने और आपस में विचारों का आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ख) विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोगी कार्रवाई संबंधी भारत-चीन संगोष्ठी दिनांक 25 मार्च से 2 अप्रैल, 1997 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(ग) यह संगोष्ठी एशिया और प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्कैप) तथा रीजनल इन्टरएजेंसी कमेटी फार एशिया एण्ड पैसिफिक (रिकैप) और विकलांगता विषयों से संबंधित उप-समिति के अन्य सदस्यों के निकट सहयोग से आयोजित की गई। भारत और चीन के अलावा इस संगोष्ठी में मलेशिया सरकार के एक प्रतिनिधि ने भी भाग लिया।

(घ) विशेषकर इन दोनों देशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अंतःक्षेत्रीय मुद्दों और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार तथा संबंधित क्षेत्रों को मुख्य धारा वाली नीतियों और कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों से जुड़े पहलुओं को शामिल करने के लिए संचार के क्षेत्र में कतिपय ठोस क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसी प्रकार अन्तः क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किए गए और विभिन्न क्षेत्रों के बीच अधिक समन्वय और सभी क्षेत्रों द्वारा विकलांगता से संबंधित पहलुओं के लिए संसाधनों के आबंटन के लिए सिफारिशें की गई।

चीनी का अतिरिक्त उत्पादन और निर्यात

5956. श्री के॰ परसुरामन:
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री नीतीश कुमार:
श्री सुरेन्द्र यादव:
श्री अमर पाल सिंह:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत चीनी नीति के अभाव में स्वदेशी चीनी उद्योग अतिरिक्त उत्पादन का शिकार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उठाये गये भंडार सहित कुल कितना भंडार है;

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश-वार निर्यात की गई कुल चीनी की मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा इसे किन दरों पर निर्यात किया गया अथवा किया जाना है;

(घ) क्या सरकार ने चीनी के निर्यात का निर्णय किया है परंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे लेने वाला कोई नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं, पिछले दो चीनी मौसमों के दौरान प्राप्त उत्पादन का उच्च स्तर गन्ने की अब तक की रिकार्ड पेराई के कारण था।

(ख) 31.3.1997 तक, चीनी का कुल स्टॉक लगभग 114.64 लाख टन था।

(ग) वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान चीनी की निर्यात की गई देश-वार मात्रा तथा प्राप्त मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान चीनी का निर्यात उत्पादन रुख, घरेलू खपत के लिए आवश्यकता तथा खुली बिक्री चीनी की अधिशेष उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) से (च) सरकार ने चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 को 15.1.97 से निरस्त करके चीनी के निर्यात को असारणीबद्ध कर दिया है ताकि चीनी के निर्यात में निजी पहल को प्रोत्साहित किया जा सके। चीनी निर्यात की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य सहित, कई तथ्यों पर निर्भर करती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान चीनी की निर्यात की गई देशवार मात्रा तथा प्राप्त मूल्य को दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय वर्ष	क्रम सं.	देश का नाम	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
1995-96	1.	मालदीव	1,000	1.30
	2.	सोमालिया	2,000	2.65
	3.	अदन	2,200	2.80
	4.	म्यांमार	8,000	10.50
	5.	यू.एस.ए	9,336	11.85
	6.	इरीट्रिया	12,500	15.25
	7.	यमन	15,000	18.51
	8.	फ्रांस	30,300	72.64
	9.	रूस	63,750	93.44
	10.	श्रीलंका	1,10,095	137.54
	11.	इंडोनेशिया	1,80,136	230.86
			4,34,317	597.34
1996-97	1.	मालदीव	2323.5	अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया
	2.	यमन	2500.00	-
	3.	म्यांमार	5500.00	-
	4.	केन्या	29500.00	-
	5.	बंगलादेश	35758.50	-
	6.	यू.एस.ए	13593.00	-
	7.	इंडोनेशिया	156773.95	-
	8.	रूस	50430.00	-
	9.	श्रीलंका	126776.05	-
	10.	पाकिस्तान	319450.55	-
	11.	फ्रांस	10000.00	-
	12.	जोर्डन	6000.00	-
	13.	दुबई	5500.00	-
	14.	अलमान	1770.25	-
	15.	सोमालिया	38000.00	-
	16.	इरीट्रिया	12500.00	-
			816375.80	-

नोट : नेपाल को छोड़कर मात्रा तथा मूल्य। (सभी आंकड़े अनन्तिम)

आपदा नियंत्रण प्रबंध केन्द्र

5957. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में तेजपुर विश्वविद्यालय में एक आपदा नियंत्रण प्रबंध केन्द्र स्थापित करने के संबंध में सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1997-98 हेतु कोई बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) तेजपुर विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संकाय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) असम सरकार की सलाह से पिछले वित्तीय वर्ष से तेजपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संकाय बनाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नशा करने संबंधी मामले

5958. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया:
श्री पवन दीवान:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री हंसराज अहीर:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार नशा करने संबंधी कितने मामले प्रकाश में आये;

(ख) कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किये गये हैं;

(ग) देश में राज्य-वार स्थापित किये गये नशा-मुक्ति केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(घ) इस बुराई पर नियंत्रण करने के लिए ऐसे और कितने केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) देश में नशीली दवाओं के व्यसन की सीमा के निर्धारण के लिए अब तक कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, यह मंत्रालय मद्यनिषेध और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ परामर्श और पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए नशीली दवाओं के व्यसनी ऐसे केन्द्रों में अपने नाम स्वेच्छा से दर्ज कराते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत नशीली दवाओं के व्यसनियों की राज्यवार संख्या ऐसे केन्द्रों सहित संलग्न विवरण-I मे दी गई है।

(ख) इस मंत्रालय को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले इन केन्द्रों में स्वेच्छा से आने वाले नशीली दवा के व्यसनियों को आरोपित नहीं किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय की सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या (राज्यवार) संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) नए केन्द्रों की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ इस योजना में उल्लिखित कतिपय निर्धारित मानदंडों को पूरा करने, संगठन के अनुभव, धनराशि की उपलब्धता, किसी क्षेत्र में इस समस्या की गंभीरता और आवश्यकता आदि पर निर्भर करती है। किसी वित्त वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्रस्तावित केन्द्रों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करना संभव नहीं है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97 दिसम्बर, 1996 तक
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,102	2,670	718
2.	असम	1,051	297	1,489
3.	बिहार	30,152	22,869	12,425
4.	गोवा	2,538	3,648	3,673
5.	गुजरात	12,521	14,756	12,219
6.	हरियाणा	23,069	15,623	16,958
7.	जम्मू और कश्मीर	214	187	221
8.	कर्नाटक	4,788	1,308	1,833
9.	केरल	25,231	29,376	20,792
10.	मध्य प्रदेश	10,231	10,577	7,688
11.	महाराष्ट्र	18,934	13,589	3,009
12.	मणिपुर	6,047	7,770	3,070
13.	मेघालय	8	248	51
14.	मिजोरम	2,228	2,225	2,306
15.	नागालैंड	1,010	1,041	1,858
16.	उड़ीसा	12,448	9,165	4,521
17.	पंजाब	27,831	18,714	16,446
18.	राजस्थान	11,454	6,385	4,763
19.	सिक्किम	52	1,063	478
20.	तमिलनाडु	15,687	16,667	17,564
21.	त्रिपुरा	545	436	1,189
22.	उत्तर प्रदेश	40,343	53,442	45,466
23.	प. बंगाल	23,571	17,039	12,118
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	चंडीगढ़	1,186	2,202	1,744
2.	दिल्ली	37,207	28,626	10,923
3.	पांडिचेरी	660	2,343	698

विवरण-II

कल्याण मंत्रालय को सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त देश में स्थापित नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या (राज्यवार) (31.3.1997 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	10
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	8
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	4
11.	महाराष्ट्र	7
12.	मणिपुर	10
13.	मेघालय	–
14.	मिजोरम	5
15.	नागालैंड	2
16.	उड़ीसा	6
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	4
19.	सिक्किम	–
20.	तमिलनाडु	8
21.	त्रिपुरा	–
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	प. बंगाल	8
		114
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	चंडीगढ़	1
2.	दिल्ली	8
3.	पांडिचेरी	–
		9
कुल नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या		123

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय स्कूल

5959. **श्री कोडीकुनील सुरेश:**
श्री ताराचन्द भगोरा:
कुमारी फ्रिडा तोपनो:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के पास समस्त देश में जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए आवासीय स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे क्या हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए व्यय की गई कुल राशि कितनी है; और

(घ) उसके ब्यौरे क्या हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) कल्याण मंत्रालय इस संबंध में कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय के नाम से एक नई योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

उल्फा के साथ वार्ता

5960. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका:**
कुमारी फ्रिडा तोपनो:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम ने असम के तेल प्रतिष्ठानों को उड़ा देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उल्फा ने कुछ शर्तों पर वार्ता करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उग्रवादियों के साथ वार्ता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कोई शर्त स्वीकार कर ली है; और

(च) यदि हां, तो उल्फा के साथ वार्ता/समझौता तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि उल्फा के खिलाफ एकीकृत मुख्यालय द्वारा अभियानों में ढील देने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु उल्फा ने सरकार को धमकियां दी हैं।

(ग) और (घ) यह बताया जाता है कि उल्फा ने बातचीत करने के लिए इच्छा व्यक्त की है बशर्ते कि बातचीत (1) किसी तीसरे देश में की जाए (2) संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि की मौजूदगी में हो, तथा (3) असम की प्रभुसत्ता पर भी चर्चा की जाए।

(ङ) और (च) सरकार शांति, स्थिरता और विकास के लिए समस्याओं का समाधान, वार्ता और बातचीत के द्वारा करने में विश्वास रखती है। सरकार ऐसे किसी भी ग्रुप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है जो कि भारत के संविधान के ढांचे के भीतर रह कर कार्य करने का और हिंसा त्यागने का इच्छुक हो। असम में सक्रिय किसी भी आतंकवादी गुट के साथ बातचीत शुरू नहीं की गई है क्योंकि उन्होंने उपर्युक्त मानदण्डों के अन्दर बातचीत करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है और वे हिंसा जारी रखे हुए हैं। भारत सरकार किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निधि

5961. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या **नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के सर्वेक्षण और पहचान करने तथा उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करने के लिए पर्याप्त निधि मुहैया कराई जा रही है ताकि नई प्रस्तावित युक्तिसंगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना को सफल बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत क्रियान्वित होती है। सर्वेक्षण करने और राशन कार्ड जारी करने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देष के तहत गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के संबंध में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों आदि के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षणों को आधार माना जा सकता है बशर्ते कि कुल आबादी स्व0 प्रोफेसर लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल के तरीको को अपनाकर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के आंकडों के भीतर सीमित हो। आमतौर पर राज्य पांच या छः वर्ष में राशन कार्डों का नवीकरण करते हैं। यदि राज्यों ने हाल ही में कार्ड जारी किए हैं और नया कार्ड जारी नहीं करना चाहते हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के कार्डों के मामले में एक उपयुक्त स्टाम्प द्वारा इस बारे में पृष्ठांकन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बीजों का निर्यात

5962. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि का कारण स्वदेशी बीजों का उत्पादन है;

(ख) क्या बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पश्चात् विदेशी बीजों का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वदेशी बीजों का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हाँ। बीजों के स्वदेशी उत्पादन से कृषि उत्पादन में उपलब्धियों में बहुत अधिक योगदान मिला है।

(ख) किसानों के लाभ के लिए देश में नई, उन्नत किस्मों का प्रयोग आरम्भ करने के संदर्भ में बीजों का आयात आवश्यक है। वैसे, बीज नीति इस प्रकार बनाई गई है कि यह सुनिंश्चित हो सके कि तिलहनों, अनाजों और दालों की आयातित किस्मों, बीजों का वाणिज्यिक बहुलीकरण देश के भीतर ही हो।

(ग) और (घ) भारत की विविध कृषि जलवायुवीय स्थितियों की उपलब्धता को देखते हुए यहां बीजों के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। बीजों की स्वदेशी आवश्यकता पूरी होने की शर्त पर भारत सरकार बीजों के निर्यात को बढ़ावा देती है।

[अनुवाद]

उर्वरक पर राज-सहायता

5963. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सीधे ही उर्वरक राज-सहायता वितरित करने संबंधी पूर्व प्रचालित प्रथा को बहाल करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार द्वारा आटे का ठेका

5964. श्री राम बहादुर सिंहः
श्रीमती गीता मुखर्जीः
प्रो॰ अजित कुमार मेहताः
श्री अजय चक्रवर्तीः
डा॰ सुब्रह्मण्यम नेलावालाः
श्री चुनचुन प्रसाद यादवः
श्री सनत कुमार मंडलः

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इटावा स्थित एक आटा मिल द्वारा दिल्ली स्थित सुपर बाजार के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है;

(ख) क्या सुपर बाजार द्वारा नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करके आटा मिल को ठेका दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा उठाना पडा है;

(घ) क्या सरकार ने इस ठेके के संबध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 1996-97 के दौरान खुले बाजार में गेहूं तथा आटे के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने जुलाई, 1996 में भारतीय खाद्य निगम से सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि० को गेहूं देने की एक स्कीम शुरू की जिससे कि सरकार द्वारा निम्न मूल्यों पर आटे की बिक्री की जा सके। सुपर बाजार के अनुसार मार्च, 1997 तक उसे 24,700 मी.टन गेहूं आवंटित किया गया था। सुपर बाजार द्वारा इस काम पर लगाई गई अनेक मिलों में से मै. इटावा फ्लोर मिल इटावा (उत्तर प्रदेश) ने गेहूं की पिसाई के लिए तुलनात्मक रूप से सस्ती दर की पेशकश की। क्रय समिति द्वारा इस मिल को मार्च, 1997 में नियमों के अनुसार 2000 मी.टन गेहूं आवंटित किया गया। इस मिल ने डिमान्ड डाफ्ट के द्वारा भारतीय खाद्य निगम के पास एक करोड़ रुपए भी जमा कराए और वास्तव में 1149.5 मी.टन गेहूं उठाया।

हालांकि मैसर्स इटावा फ्लोर मिल्स ने विलम्ब में कुछ मात्रा में आटे की सुपुर्दगी की परन्तु घटिया किस्म के होने के कारण सुपर बाजार द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

आटा और मिल द्वारा उठाए गए गेहूं की डिलीवरी नहीं किए जाने के ब्यौरों और कारणों की जांच करने के लिए सुपर बाजार के अधिकारियों की एक टीम ने अप्रैल 1997 के अन्तिम सप्ताह में इटावा फ्लोर मिल्स का निरीक्षण दौरा किया था।

मैसर्स इटावा फ्लोर मिल्स को इस आशय का एक नोटिस भेजा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की दर और बाजार दर में अन्तर की राशि के रूप में क्यों न भारतीय खाद्य निगम/सुपर बाजार के पास जमा अग्रिम राशि को जब्त कर लिया जाए।

सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक से मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण

5965. श्री प्रताप सिंह सैनीः
श्री राम टहल चौधरीः
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गजरौला, मुरादाबाद में स्थित मैसर्स वैम आर्गेनिक केमिकल्स लि० और श्री एसिड केमिकल्स लि० में एक दल भेजा है और इन औद्योगिक इकाइयों की प्रयोगशालाओं में प्रदूषण और बहिस्राव के नमूनों का विश्लेषण किया है;

(ख) क्या जांच और विश्लेषण में प्रदूषण निर्धारित मानदंडों से अधिक पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर प्रदूषण पाया गया; और

(घ) उपर्युक्त औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने 8 जुलाई, 1986 तथा 5 दिसम्बर, 1986 को गजरौला स्थित मैसर्स वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड तथा श्री ऐसिड्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का दौरा किया था। इन दौरों के दौरान नमूने एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया। मैसर्स वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड से 8 जुलाई, 1996 को एकत्र किए गए नमूनों से पता चला कि वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं, जबकि मैसर्स श्री ऐसिड्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त नमूने मानकों का पालन नहीं करते।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक दल ने 5.12.1996 को मैसर्स वैम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के शोधित बहिस्रावों के नमूनों को

पुनः एकत्र कर उनका विश्लेषण किया। इन नमूनों के विश्लेषण से जो संकेत मिले उनमें बायोकैमिकल्स आक्सीजन डिमाण्ड (बी. ओ. डी.) का स्तर निर्धारित मानक से थोड़ा अधिक पाया गया।

(घ) कथित उद्योगों से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गजरौला में दो निगरानी केन्द्र स्थापित किए हैं।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वह तृतीयक शोधन सुविधाएं, जिनमें उद्योग द्वारा रंग-शोधन भी शामिल है, उपलब्ध कराकर बहिस्राव शोधन संयंत्रों के स्तर में वृद्धि करना सुनिश्चित करे।

(3) उद्योग से कहा गया है कि वह सिंचाई के प्रयोजन के वास्ते डिस्टिलरी के बहिस्रावों के उपयोग की संभावना का अध्ययन करे।

(4) उद्योग को निर्देश दिया गया है कि वह बहिस्राव शोधन संयंत्र का लगातार और कारगर ढंग से संचालन और रखरखाव करे।

(5) उद्योग को निर्देश दिया गया है कि वह डिस्टिलरी के बहिस्राव से रंग हटाने के लिए पर्याप्त उपाय करे।

(6) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया है कि वह बगाद नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी के साथ-साथ गजरौला क्षेत्र में जल को प्रदूषण करने वाले उद्योगों की नियमित रूप से निगरानी करे।

(7) मैसर्स आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड से कहा गया है कि वह प्रदूषण के नियंत्रण की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करे, जैसा कि उद्योग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थाई समिति की पर्यावरण संबंधी मुद्दों की उप-समिति के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में बताया था।

(8) गजरौला स्थित उद्योग संघ के अध्यक्ष से कहा गया है कि वह अपनी सदस्य इकाइयों के लिए एक ऐसी कार्य योजना तैयार करे जिससे कि बागद नदी के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और इसकी सदस्य इकाइयों से निकलने वाले रंगीन बहिस्राव और दुर्गन्ध से छुटकारा मिल सके।

भारतीय खाद्य निगम में हिन्दी कर्मचारी

5966. डा॰ जी॰आर॰ सरोदे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार हिंदी कर्मचारी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी के पर्याप्त कर्मचारी कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अपराध सिंडीकेटों का उभरना

5967. श्री आई॰डी॰ स्वामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को देश के विभिन्न भागों में उभरने वाले अपराध सिंडिकेटों की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र निकाय गठित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उभरने वाले अपराध सिंडिकेटों से संबंधित कितने मामलों का पता चला है;

(घ) क्या इन सिंडिकेटों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए स्थापित की गई नोडल एजेंसी अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) सांसद श्री दिनेश त्रिवेदी. एवं अन्य द्वारा की गई एक जनहित याचिका में 20.3.1997 को दिए गए अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि राजनीतिज्ञ-अपराधी-नौकरशाह गंठजोड़ से जुडे मामलों पर एक ऐसे निकाय द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है जो हर प्रकार के बुद्धिगम्य प्रभाव एवं दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर ज्यादा से ज्यादा आजादी के साथ कार्य कर सके उक्त निर्णय से उत्पन्न मुद्दों एवं विकल्पों पर सरकार ध्यान दे रही है।

अपराध के अलग-अलग मामलों से संबद्ध जानकारी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। आमतौर पर तो, बड़े आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना और फील्ड फार्मेशनों द्वारा की जाने वाली कारवाई की समीक्षा नोडल एजेंसी करती है। नोडल एजेंसी, आसूचना संग्रहण, अन्वेषण और आभियोजन के लिए जिम्मेवार केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों की स्थानापन्न नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

5968. श्री राम टहल चौधरीः
श्री काशी राम राणाः

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन संबंधी आर्थिक सुधारों के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कोई नया फार्मूला अपनाया गया है; और

(घ) यदि, हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) और (ख) सामान्यतः उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) आंकड़ों की सहायता से गरीबी पर अध्ययन, किये जाते है। गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाने हेतु, योजना आयोग उपभोक्ता व्यय पर पंचवर्षीय एन एस एस आंकड़ों का उपयोग करता है। हाल ही में अपनायी गयी सरकारी पद्धति, जो गरीबों के अनुपात एवं सं० के अनुमान पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित है, उसका अनुसरण करते हुए दो नवीनतम अवधियों हेतु गरीबी की स्थिति 1987-88 में 38.68 प्रतिशत तथा 1993-94 में 35.97 प्रतिशत अनुमान की गयी।

(ग) और (घ) गरीबी रेखा, 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के अर्थ में परिभाषित की जाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति-प्रतिदिन की आवश्यकता के मानदंड पर वस्तुओं एवं ली गयी सेवाओं के बास्केट के सदृश है। 1973-74 की इन ग्रामीण एवं शहरी गरीबी रेखाओं को वर्ष के अंतर्राज्यीय मूल्य अंतर का प्रयोग करते हुए राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं को कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा तथा शहरी गरीबी रेखाओं की औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अद्यतन बनाया जाता है।

[अनुवाद]

पान की खेती

5969. प्रो० ओम पाल सिंह ''निडर'' : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार 1997-98 के दौरान पान की खेती को बढ़ावा देने और पान की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें पान का निर्यात किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि पान की बेल के विकास का कार्यक्रम 1997-98 से राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

(ग) पाकिस्तान, ओमान, यू.एस.एस.आर., संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, केन्या, इंग्लैण्ड, कनाडा, कुवैत, यमन अरब गणराज्य, सऊदी अरब, जर्मन संघीय गणराज्य, ब्राज़ील इत्यादि वे प्रमुख देश हैं जिन्हें पान के पत्ते निर्यात किये जाते हैं।

हिमालय क्षेत्र का विकास

5970. श्रीमती केतकी देवी सिंहः
श्री प्रभु दयाल कठेरियाः
कुमारी उमा भारतीः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण तथा वनों को नुकसान पहुंचाये बगैर वहां रह रहे लोगों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्षेत्र के संतुलित तथा समेकित विकास के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाने का है,;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं हैं। योजना आयोग ने हिमालय के समेकित विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। योजना आयोग ने हिमालय क्षेत्र में समेकित विकास के लिए राष्ट्रीय नीति पर विशेषज्ञ दल के रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखने हेतु एक स्थाई समिति गठित की है। इस समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्य आयोजना बनाने के लिए विभिन्न उप-समितियां बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग चल रही योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पर्यावरण के विकास के लिए हिमालय क्षेत्र में आंशिक रूप से पर्वतीय राज्यों (उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम) के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में अतिरिक्त धनराशि मुहैया करता है।

आई.एस.आई. मार्क का दुरुपयोग

5971. श्री बनवारी लाल पुरोहितः
श्री राम सागरः

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां आई.एस.आई. मार्क का अत्यधिक दुरुपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी कंपनियां हैं तथा वे किन-किन उत्पादों के लिए आई. एस. आई. मार्क का दुरुपयोग कर रही हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा इस मामले में गैर-कानूनी बातों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरुपयोग के कुछ मामले ब्यूरो के ध्यान में आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के संबंध में दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें उन कम्पनियों के नाम तथा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों के नाम दिए गए हैं जिनके विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान मानक चिह्न के दुरुपयोंग के लिए कार्यवाही शुरू की है। इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अभियोजन के 26 मामले शुरू किए गए हैं।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने एक प्रवर्तन निदेशालय स्थापित किया है जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न दुरुपयोंग से संबंधित सूचना एकत्रित करने तथा दोषी विनिर्माताओं के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपंबधों को लागू करने के प्रयोजन से ब्यूरो के प्रत्येक शाखा कार्यालय में केन्द्रक के अधिकारी नामित किए गए हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न के कपटपूर्ण प्रयोग की जांच करने की दृष्टि से बाजार सर्वेक्षण भी करता है।

प्रवर्तन से संबंधित एक स्थायी समिति जिसमें अन्यों के साथ-साथ उपभोक्ता संगठनों से सदस्य भी लिए गए हैं, आई.एस.आई. चिह्न को लागू करने तथा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ब्यूरो का मार्गदर्शन करती है।

विवरण

1995-96 तथा 1996-97 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न का दुरुपयोग करते हुए पाई गई कम्पनियों के नाम

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	उत्पाद
1	2	3
1995-96		
1.	कामाक्षी इन्टरप्राइजिज, विजयवाड़ा	स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर
2.	बनारसी दास एंड कम्पनी, दिल्ली	एम. एस. ट्यूब
3.	मेश इंडस्ट्रीज, दिल्ली	गैस स्टोब्स
4.	कृष्णा वाटर मीटर, दिल्ली	वाटर मीटर
5.	गाजीपुर डेरी फार्म, दिल्ली	सीमेंट
6.	दौलत राम गुप्ता, समालखा	सीमेंट
7.	प्राक्सीज इंजीनियर प्रा.लि., सहारनपुर	इलैक्ट्रिक आयरन एंड मिक्सर
8.	अशोक लैम्पस/स्टेलर लैम्प्स, बंगलोर	जी. एल. लैम्पस
9.	रेखा सीमेंट एंड कैमीकल्स, बंगलोर	सीमेंट
10.	ट्रेडर्स आफ एम एस ट्यूब्स इन पूणे	एस. एस. पाइप्स
11.	चन्द्रकान्त एंड कं., बम्बई	फायर एक्सटींगवीसर
12.	एम्स फूड प्रोडक्टस, बम्बई	कॉर्न फ्लैक्स
13.	क्लासिक इस्पात प्रा. लि., डेराबसी	एम. एस. ट्यूब्स
14.	कमल पेंट्स, कलकत्ता	पेंट्स एंड मिक्सर
1996-97		
15.	बालाजी इंटरप्राइजिज, हैदराबाद	डीजल
16.	सिटी एयर-कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज, दिल्ली	रूम एयर कंडीशनर्स
17.	विशन कुमार गोयल, दिल्ली	सीमेंट
18.	धर्मराज यादव, दिल्ली	जी.एल.एस. लैम्पस
19.	शिवांस इलेक्ट्रीक कं. दिल्ली	जी.एल.एस. लैम्पस
20.	एंकर इलेक्टीकल्स प्रा.लि., युनाइटिड मार्किटिंग, वलसार	एम सी बी
21.	आदित्य सीमेंट कं. राजकोट	सीमेंट
22.	स्विचक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वसार	एम सी बी
23.	प्रिंस पाइप एंड फिटिंस प्रा. लि., सिलवासा	यूपीवीसी पाइप्स
24.	अक्षय पम्पस एंड इंजी. प्रा.लि., अहमदाबाद	सबमर्सिबल /मोनोसेट पम्पस
25.	नारायणा इंडस्ट्रीज, बंगलोर	सबमर्सिवल पम्पस
26.	थापर कन्कॉस्ट लि. लुधियाना	एम. एस. ट्यूब्स
27.	अतुल इंजीनियरिंग इंटरप्राइजिज, लुधियाना	एम. एस. ट्यूब्स

1	2	3
28.	हिमालय इंडस्ट्रीज, आगरा	एससीआई स्वाक्ल पाइप्स एंड फिटिंग्स
29.	हिमालय सीमेंट, शिकोहाबाइ	सीमेंट
30.	विशाल पाइप उद्योग लि., सिकन्दराबाद	एम एस ट्यूब्स
31.	अग्रवाल टयूब्स प्रा. लि. मुजफ्फर नगर	एम एस ट्यूब्स
32.	सिंघल पेस्टीसाइड इंडस्ट्रीज, मुजफ्फर नगर	इंडोसलफान 35% ईसी
33.	शिवालिक टयूब्स प्रा.लि., मुजफ्फर नगर	एम एस ट्यूब्स
34.	डीलक्स सीमेंट मिल्स प्रा.लि., मेरठ	सीमेंट
35.	बी एम सीमेंट प्रा. लि., मेरठ	सीमेंट
36.	एस डी सीमेंट प्रा. लि., मेरठ	सीमेंट
37.	श्री सीमेंट इं., शिकोहाबाद	सीमेंट
38.	एम आर लैम्प्स, मेरठ	जी एल लैम्पस
39.	गुलाब सीमेंट्स प्रा. लि., मेरठ	सीमेंट
40.	आर सी रबड़ प्रोडक्ट, कलकत्ता	रबड, कैनवास, बूटस, माइनर्जर्स
41.	योनोक्स (इलैक्ट्रो) प्रा. लि., कलकत्ता	वाटर फिल्टर, केंडल्स

दृष्टिहीनों के लिए स्वैच्छिक संगठन

5972. **श्री के॰पी॰ सिंह देवः**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्रीः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य में नेत्रहीनों की लगभग कुल कितनी संख्या है;

(ख) नेत्रहीनों के लिए बनाये गये केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंदबुद्धि विकलांग बच्चों के लिए सोसाइटीज द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों को दी जा रही सहायता का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत इस तरह का विद्यालय चलाने वाली सोसाइटियों को पूरी तरह आर्थिक सहायता दी जाये;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित नवीनतम नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 4.01 मिलियन व्यक्ति दृष्टिबाधितार्थता से पीड़ित हैं। इन सर्वेक्षण ने राज्यवार वितरण के ब्यौरे नहीं बताए हैं।

(ख) दृष्टिहीनों के लिए कोई केन्द्रीय स्कूल नहीं है।

(ग) से (च) (1) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता, तथा (2) विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ अनुमोदित मदों पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा 90% तक किए जाने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से वहन किया जाता है। मानसिक मंदता तथा प्रमष्तिस्क अंगघात के क्षेत्र में जन शक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया 100% व्यय केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

पर्यटकों को लूटना

5973. **श्री हंसराज अहीरः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बिहार में बोधगया धोबी मार्ग पर कुछ सशस्त्र डकैतों द्वारा विदेशी पर्यटकों की एक बस को लूटने तथा पर्यटकों को घायल कर देने की घटना से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो ये पर्यटक किन-किन देशों से आए थे;

(ग) इन पर्यटकों से कुल कितना सामान तथा नकदी लूटी गयी;

(घ) इस घटना में घायल पर्यटकों की हालत कैसी है; और

(ङ) डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्वरकों की आपूर्ति

5974. **श्री पी॰आर॰ दासमुंशीः**
श्री लक्ष्मण सिंहः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 में खाद्यान्नों के 191 मिलियन टन के लक्षित उत्पादन में कमी के लिए उर्वरको की कम आपूर्ति उत्तरदायी थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा पिछले बर्ष की तुलना में राज्य-वार ये कितने कम रहे;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फिलहाल यूरिया ही ऐसा एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है। अन्य सभी उर्वरकों पर नियंत्रण नहीं है तथा इनकी सप्लाई मंडी को प्रभावित करने वाले कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान देश में यूरिया और अन्य मुख्य नियंत्रण रहित उर्वरक आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त थे, जैसा कि निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है:

(लाख मी० टन)

	अनुमानित आवश्यकता	सप्लाई	खपत
यूरिया	189.09	210.26	179.09
डाई-अमोनियम फास्फेट	-	53.77	34.51
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	-	29.23	13.92

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्यवार खाद्यान्न के लक्ष्य और उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान यूरिया (मुख्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक) के आयात के कुल स्तर का उल्लेख करना संभव नहीं है क्योंकि यह स्वदेशी उत्पादन, खपत की प्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य की प्रवृत्ति, विश्व की मांग और सप्लाई जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का आयात गैर सारणीबद्ध है तथा यह उपर्युक्त कारकों तथा मंडी को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्यवार कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य और उपलब्धियां

(लाख मी. टन)

क्र. सं.	राज्य	1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आन्ध्र प्रदेश	137.36	115.78	126.40	124.59
2.	असम	35.50	35.61	34.80	36.74
3.	बिहार	134.65	130.69	133.67	133.70
4.	गुजरात	58.85	41.03	48.35	47.96
5.	हरियाणा	101.50	102.08	106.32	107.88
6.	हिमाचल प्रदेश	14.56	13.73	14.13	15.38
7.	जम्मू एवं कश्मीर	15.04	13.67	14.43	17.04
8.	कर्नाटक	80.83	87.68	88.40	91.42
9.	केरल	11.34	9.56	10.18	11.82
10.	मध्य प्रदेश,	181.10	177.77	193.25	182.81
11.	महाराष्ट्र	138.10	116.68	137.14	142.88
12.	उड़ीसा	84.19	78.34	73.45	49.88
13.	पंजाब	204.63	200.18	214.25	208.71
14.	राजस्थान	102.28	95.66	109.70	122.15
15.	तमिलनाडु	86.08	91.64	90.21	73.29
16.	उत्तर प्रदेश	395.05	389.43	390.90	405.63
17.	पश्चिम बंगाल	117.67	129.94	128.25	128.85
18.	अन्य	21.27	21.31	21.17	21.01
	अखिल भारत	1,920.00	1,850.48	1,985.00	1,921.24

उर्वरक संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण

5975. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक संयंत्र प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 110 उर्वरक संयंत्र (मझौले और बड़े) हैं, जिनमें से 96 संयंत्रों ने निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण

सुविधाएं स्थापित की हैं और 8 संयंत्र बन्द हैं। शेष 6 संयंत्रों (असम में 2, उड़ीसा में 2, तमिलनाडु में 1 और बिहार में 1) ने अभी तक आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं।

(ग) 6 दोषी ईकाइयों में से चार उर्वरक संयंत्रों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। शेष दो उर्वरक संयंत्रों से संबंधित मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

5976. श्री जगत वीर सिंह द्रोणः क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में (गन्ने के शीरे का सत) आधारित नए उद्योग स्थापित करने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन, कार्यक्षेत्र, कार्यों और अवधि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत नेपाल सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियाँ

5977. डॉ. कृपासिंधु भोईः
श्री बी॰ प्रदीप देवः
श्री उत्तम सिंह पवारः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1997 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''आई.एस.आई. एजेंट्स एक्टिव इन नेपाल तराई एरिया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के सीमान्त तराई क्षेत्रों और भारत-नेपाल सीमा पर आई.एस.आई की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 8 जनवरी, 1997 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' समाचार पत्र में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई थी। तथापि सरकार ''आई.एस.आई. एजेन्ट्स एक्टिव इन नेपाल तराई एरियाज'' शीर्षक से 28.1.97 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार से अवगत है।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी आई. एस.आई., बिहार-नेपाल सीमा पर सक्रिय होने की भरसक कोशिश कर रही है और विध्वंसकारी गतिविधियों के प्रयोजनार्थ भारत में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भेजने के साथ-साथ पाक-प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ की कुछ घटनाएं हुई हैं। इसके द्वारा जिन क्रियाकलापों को करने के प्रयास किए गए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(क) भारत में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए यत्र-तत्र विशेष गतिविधियां शुरू करना;

(ख) भारतीय उग्रवादी ग्रुपों जैसे -उल्फा, बोडो, एन एस सी एन आदि को शरण उपलब्ध कराना;

(ग) भारतीय उग्रवादियों के प्रशिक्षण हेतु सुरक्षित मार्ग और स्थान उपलब्ध कराना; और

(घ) भारत में सक्रिय उग्रवादियों को हथियारों की आपूर्ति कराना।

मई, 1996 के लाजपतनगर बम विस्फोट संबंधी मामले की जांच से पता चला कि नेपाल को पार करके बिहार-नेपाल सीमा से होकर जम्मू एवं कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जे के एल एफ) के कुछ उग्रवादियों की घुसपैठ में पाकिस्तानी आई. एस. आई. की मिलीभगत थी। जनवरी, 1997 में रऊफ उर्फ फय्याज अहमद सहित जे के एल एफ के तीन उग्रवादी दिल्ली पुलिस द्वारा करोलबाग क्षेत्र से आर.डी एक्स. और अन्य सहायक सामग्री के साथ गिरफ्तार किये गये थे। वे भारत-नेपाल सीमा से भारत में घुसे थे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आई.एस.आई. द्वारा प्रशिक्षित एक अन्य एजेन्ट, नामतः मौहम्मद शकील उर्फ जावेद पावले को अभी हाल ही में पकड़ा था।

सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस चौकियों की संख्या और असूचना तन्त्र बढ़ाकर तथा संबद्ध राज्यों को पुलिस गश्त तेज करने की सलाह देकर पाकिस्तान की आई.एस.आई. के प्रयासों पर अंकुश लगाने के उपाय किए हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा के मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार, महामहिम की नेपाल सरकार के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए है। महामहिम की नेपाल सरकार के प्राधिकारियों ने सीमा-पार के आतंकवाद का मुकाबला करने में पूरा सहयोग किया है। आतंकवादियों के सीमा-पार आवागमन का प्रबोधन करने वाले भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की बैठक, स्थिति का जायजा लेने और प्रतिरोधी उपाय करने के लिए जून में किसी समय होने की संभावना है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी

5978. श्रीमती शारदा टाडीपारथीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने इस्पात संयंत्रों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या किसी सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र ने इस प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि उनके प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान (पी.सी.आर.आई.) ने इस्पात संयंत्रों के लिए कोई प्रदूषण प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत टैक्सी स्टैंड्स

5979. श्री अमर रायप्रधानः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में टैक्सी स्टैंड मालिकों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है; और

(ख) क्या सभी टैक्सी स्टैंड्स को वैधानिक मंजूरी मिली हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कितने टैक्सी स्टैंड्स को अनधिकृत पाया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इन अनधिकृत टैक्सी स्टैंड्स को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे 26 अनधिकृत टैक्सी स्टैंडों की पहचान की है। उनके मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन्हें तुरंत हटाएं।

प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियाँ

5980. श्री पवन दीवानः
श्री काशीराम राणाः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रदूषण फैलाने वाली कुछ फैक्टरियों को प्रदूषण रहित होने का प्रमाण जारी किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित अभिकरणों के कार्य की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं दी गई है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए यह आवश्यक है कि वे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् उद्योग की स्थापना और उनके संचालन के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से अनुमति प्राप्त करें।

(ख) और (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कार्यों का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

नामरूप उर्वरक एकक

5981. श्री विजय हाण्डिकः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नामरूप उर्वरक संयंत्र के एककों में से एक एकक से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से दी-साग नदी का जल प्रदूषित हो रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य उप-नदी है; और

(ख) यदि हां, तो नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों के शोधन हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स नामरूप फर्टीलाइजर्स को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नोटिस किया गया है। उद्योग को यह भी निदेश दिया गया है कि वह उन संयंत्रों को, जोकि बन्द किये गये हैं, तब तक पुनः चालू न करे जब तक कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं कर लिये जाते।

निःशुल्क बीमा योजना

5982. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रनः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए निःशुल्क फसल बीमा योजना तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फसल बीमा के लिए निःशुल्क प्रीमियम लागू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठते।

आदिवासियों की धनराशि का दुरुपयोग

5983. श्री टी॰ गोपाल कृष्णः क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि के दुरूपयोग के मामले ध्यान में आये हैं अथवा प्रकाशित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले दो वर्षों के दौराण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) और (ग) धनराशियों के दुरूपयोग का कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं आया है, किन्तु कुछ मामलों में राशियों के विपणन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो इस प्रकार हैः

(1) एक व्यावसायिक प्रशिक्षण निगम की स्थापना के लिए वर्ष 1992-93 में मिजोरम सरकार को 14.78 लाख रुपये प्रदान किए गए जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा आइजोल में वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए किया गया।

(2) तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार को वर्ष 1993-94 में 44.34 लाख रुपए प्रदान किए गए जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए किया गया। दोनो राज्य सरकारों से राशि वापिस करने के लिए कहा गया है।

(घ) सभी राज्यों को बजट में एकल मांग, एकल पंक्ति प्रशासन का सृजन करने तथा अन्तर-क्षेत्रीय आवंटनों आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन के किए आदिवासी कल्याण विभाग को प्राधिकृत करके महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करने की सलाह दी गई है। अधिकतर राज्यों ने इस दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

आदिवासी कल्याण सहित कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए एक मंत्रीमंडल समिति बनाई गई है।

वित्त मंत्रालय ने केवल उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्ति के पश्चात् तथा राज्यों के पास उपलब्ध बिना व्यय किए रह गई राशि की सीमा तक निर्मुक्ति को कम करने के बाद ही धनराशि निर्मुक्त करने के अनुदेश जारी किए हैं।

विवरण -I

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि का विवरण

31.3.1996 के अनुसार

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.के.स.	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	एज्यू. काम्प.	स्वै. प्रशि.	आर एंड टी	एनजीओ	एसटीडी सीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आं. प्र.	2140.32	460.50	91.00	92.63	72.17	2.49	64.34	25.54	27.01	90.00	3066.00
2.	अरू. प्र.		60.00	-	-	-	-	-	-	84.50	-	144.50
3.	असम	1545.19	315.00	303	-	-	-	64.90	17.77	15.10	-	1960.99
4.	बिहार	274.22	725.25	-	-	-	1.82	-	14.73	35.30	50.00	1101.32
5.	गुजरात	3060.26	675.00	-	-	-	22.51	52.31	0.14	1.08	-	3811.30
6.	हि.प्र.	541.62	24.00	6.50	-	-	-	-	0.28	-	-	572.40
7.	ज. व क.	756.64	95.25	24.05	12.70	-	-	-	-	10.82	-	899.46
8.	कर्नाटक	659.99	210.00	-	-	-	-	-	-	15.80	-	885.79
9.	केरल	181.20	35.25	-	-	-	2.75	-	11.25	29.42	57.00	316.87
10.	म.प्र.	9579.66	1687.50	-	-	99.45	30.44	44.34	22.21	12.54	57.00	11533.14
11.	महाराष्ट्र	2930.82	801.75	-	-	-	068	-	-	40.73	75.00	3848.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	मणिपुर	574.53	69.00	–	–	–	–	–	0.49	3.06	8.00	655.08
13.	मेघालय	–	166.50	13.75	13.75	–	–	–	–	68.91	–	262.91
14.	मिजोरम	–	72.00	–	–	–	–	–	–	–	–	72.00
15.	नागालैंड	–	116.25	–	–	–	–	–	–	1.96	–	118.21
16.	नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	36.76	–	36.76
17.	उड़ीसा	4958.10	771.00	65.93	46.62	70.00	68.67	–	12.90	70.64	–	6063.86
18.	राजस्थान	2819.04	600.00	66.74	–	–	20.64	–	7.93	10.79	–	3525.14
19.	सिक्किम	100.19	9.75	–	–	–	–	–	–	–	–	109.94
20.	तमिलनाडु	274.44	63.00	–	–	–	–	–	16.54	17.81	–	371.79
21.	त्रिपुरा	564.97	93.75	19.44	38.38	38.38	–	59.12	8.27	1.46	63.00	886.77
22.	उ.प्र.	104.08	31.50	–	–	–	–	–	1.12	6.19	–	142.89
23.	प. बंगाल	1763.21	417.75	19.57	115.92	–	–	–	10.83	40.12	–	2367.40
सं.रा.	क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
1.	द.न.ह.	–	–	40.00	45.00	–	–	–	–	–	–	85.00
2.	अं. नि.	112.21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112.21
3.	द. व दीव	59.31	–	20.00	–	–	–	–	–	–	–	79.31
	कुल	33000.00	7500.00	370.01	365.00	280.00	150.00	285.00	150.00	530.00	400.00	43030.01

विवरण-II

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1996-97 के दौरान राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.के.स.	अनुच्छेद 275(1)	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	आश्रम स्कूल	शैक्ष. परि.	स्वै. प्रशि.	आर एंड टी	एनजीओ	एसटीडी सीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आं.प्र.	2287.52	460.50	101.10	–	212.50	6.68	24.34	25.00	16.90	90.00	3224.54
2.	अरु.प्र.		60.00	–	–	–	9.69	–	–	88.13	–	157.82
3.	असम	1524.71	315.00	19.00	16.00	–	–	82.91	13.01	9.09	–	1979.72
4.	बिहार	3364.00	725.25	–	–	–	4.84		–	30.72	50.00	1474.81
5.	गुजरात	2642.95	675.00	–	–	21.60	8.78	101.90	–	1.12	–	3451.35
6.	हि.प्र.	622.44	24.00	–	–	–	–	–	0.22	–	–	646.66
7.	ज. व क.	681.54	95.25	–	17.22	–	–	–	–	30.28	–	824.29
8.	कर्नाटक	569.50	210.00	13.25	–	–	–	14.78	–	30.81	–	838.34
9.	केरल	153.71	35.25	14.70	20.00	–	–	–	13.50	25.80	–	262.96
10.	म.प्र.	7695.71	1687.50	–	–	–	27.98	–	22.02	2.03	–	9435.24
11.	महाराष्ट्र	3160.78	801.75	–	–	–	5.91	–	22.70	38.89	75.00	4105.03
12.	मणिपुर	653.22	69.00	31.50	37.25	–	–	73.90	10.35	13.79	–	889.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	मेघालय	–	166.50	13.75	13.75	–	–	–	–	43.38	–	237.38
14.	मिजोरम	–	72.00	–	–	–	–	–	–	–	–	72.00
15.	नागालैड	–	116.25	–	–	–	–	–	–	2.16	–	118.41
16.	नई दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	32.43	–	32.43
17.	उड़ीसा	4411.44	771.00	50.00	40.00	60.00	37.42	–	6.70	73.35	135.00	5584.91
18.	राजस्थान	2467.32	600.00	33.37	–	–	18.78	–	5.66	–	50.00	3175.13
19.	सिक्किम	133.41	9.75	–	–	–	–	–	–	–	–	148.16
20.	तमिलनाडु	238.81	63.00	8.04	35.24	–	–	–	9.90	29.01	–	383.40
21.	त्रिपुरा	594.48	93.75	34.04	31.41	93.46	–	–	11.21	0.31	–	858.66
22.	उ.प्र.	90.39	31.50	–	–	–	–	–	4.27	2.07	–	128.23
23.	प. बंगाल	558.07	417.75	–	–	–	–	–	6.06	28.82	–	2010.70
	सं.रा. क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
1.	द.न.ह.	–	–	–	15.00	–	–	–	–	3.25	–	18.25
2.	अं.नि.	35.18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.18
3.	द. व दीव	49.82	–		–	–	–	–	–	–	–	43.82
	कुल	33000.00	7500.00	318.78	225.87	387.56	120.08	297.83	150.00	502.34	400.00	42902.43

नोटः वर्ष 1996-97 में ग्रामीण ग्रेन बैंक योजना के अंतर्गत ट्राइफेड को 1.5 करोड़ रु० निर्मुक्त किए गए।

फल/सब्जी विपणन तथा निर्यात परियोजना

5984. श्री ए० सिद्धराजु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने एन.सी.डी.सी. तथा एन.एच.बी. से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई समेकित सहकारी फल तथा सब्जी विपणन तथा निर्यात परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उपयुक्त परियोजना पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने समेकित सहकारी फल और सब्जी विपणन और निर्यात परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को जुलाई 1996 में वित्तीय सहायता के लिए भेजी है। इस परियोजना में 4278.75 लाख रुपये के परिव्यय की परिकल्पना है।

(ग) ''तत्काल'' मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विशेषज्ञों के दल का गठन किया है जो वास्तविक आवश्यकता का अध्ययेन करने के लिए शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा। सहायता की स्वीकृति पर बाद में विचार किया जाएगा।

ऋण माफी योजनाएं

5985. डा० एम० जगन्नाथ : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई सहकारी संस्थाओं को पिछली सरकार की ऋण माफी योजनाओं के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सहकारी संस्थाओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) विभिन्न अध्ययनों के अनुसार सहकारी ऋण संस्थाओं की समस्यायें मूलतः असंतुलन, पर्याप्त कारोबार, उच्च लेन देन लागत, कम मार्जिन, कम वसूली, बढ़ती हुई अधिशेष राशियों, व्यावसायिकता की कमी और जनतंत्री प्रबंध की कमी से संबंधित हैं। ऋण माफी स्कीम ने भी वसूली की स्थिति को कम कर दिया है।

(ख) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990 के अंतर्गत सहकारी बैंकों के दावों का पूर्ण और अन्तिम निपटारा कर दिया गया है। सहकारी बैंकों ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत स्कीम, 1990 के अंतर्गत 3961 करोड़ रु० की धनराशि प्राप्त की, छः राज्य सहकारी बैंकों और सात राज्य भूमि विकास बैंकों ने प्रमाणित किया था कि इनके द्वारा प्रस्तुत दावों में दण्ड ब्याज की कोई धनराशि नहीं है और तदनुसार उचित

दावों की सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी थी। ऐसे राज्यों में जहां प्रस्तुत किये गये दावों में दण्ड ब्याज को शामिल किये जाने की सूचना दी गयी थी, वहां 5 प्रतिशत की मानक कटौती की गयी थी, जो कुल मिलाकर 169 करोड़ रु० की थी।

इसके अतिरिक्त सहकारी ऋण संस्थाओं की वाणिज्यिक क्षमता में सुधार लाने के लिए कदम उठाये गये हैं जो इस प्रकार हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं द्वारा उधार देने और राशियां बढ़ाने के लिये ब्याज दर संरचना-विनियमन मुक्त कर दिया है।

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने निरन्तर आधार पर वित्तीय सक्षमता को सुधारने के लिये इन संस्थाओं के कार्य निष्पादन और क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक विकास कार्य योजना तैयार की है। ''नाबार्ड'' और राज्य स्तरीय संस्थाओं के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों में सुझाई गयी विभिन्न कार्य नीतियों में ऋण प्रक्रिया की समीक्षा, पूर्व स्वीकृति मूल्यांकन, वसूली अभियान आदि शामिल हैं।

- राज्य सरकारें पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने, मॉनीटरिंग करने और अड़चनों को दूर करने के लिये कार्यनीतियां निर्धारित करने हेतु समितियां गठित कर रही हैं।

रुग्ण औषध क्षेत्र एकक

5986. श्री नारायण अठावले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1997 की तिथि के अनुसार औषध क्षेत्र में कितने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम औद्योगिक वित्त एवं पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सौंपे गए हैं;

(ख) इन रुग्ण एककों के पुनरुद्धार तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्यान्वित की गई पुनर्वास योजना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) एकक-वार इन एककों के पुनरूद्धार हेतु अपेक्षित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1997-98 के दौरान इस प्रयोजनार्थ जुटायी जाने वाली धनराशि के प्रावधान क्या हैं; और

(ङ) अन्तिम तौर पर कौन-कौन सी इकाइयों को बंद किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) औषध क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 5 उद्यम (पी एस यूज) अर्थात इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई डी पी एल), हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० (एच ए एल), बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (बी सी पी एल), बंगाल इम्युनिटी लि० (बी आई एल) और स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० (एस एस पी एल) हैं। ये सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) से पंजीकृत हैं। संयुक्त क्षेत्र के 3 उद्यम अर्थात उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (ओ डी सी एल) और महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (एम ए पी एल) भी बी आई एफ आर से पंजीकृत हैं। बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना (पैकेज) बी सी पी एल, बी आई एल और एस एस पी एल में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकरण (ए ए आई एफ आर) ने यू पी डी पी एल के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार योजना को अक्टूबर, 1996 में एक तरफ रख दिया था। ओ डी सी एल के लिए बी आई एफ आर द्वारा अगस्त, 1994 में अनुमोदित पुनरूद्धार योजना को बी आई एफ आर द्वारा अब असफल घोषित किया गया है। इसलिए यू पी डी पी एल तथा ओ डी सी एल के मामले अभी भी बी आई एफ आर के समक्ष हैं। आई डी पी एल तथा एम ए पी एल के मामलों में पुनर्वास के संबंध में या अन्यथा निर्णय बी आई एफ आर द्वारा अभी लिया जाना है। एच ए एल के लिए पुनरूद्धार योजना का अभी हिसाब लगाया जाना है और बी आई एफ आर द्वारा विचार किया जाना है।

(ग) और (घ) बी सी पी एल, बी आई एल और एस पी एल के लिए अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के अनुसार सरकार से क्रमशः 8.60 करोड़ रु०, 8.66 करोड़ रु० और 5.64 करोड़ रु० की नई वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। परिकल्पित वित्तीय सहायता 1.4.1994 से पूंजी पुनर्निर्माण के अनुसार राहत तथा रियायतों के अलावा 1994-95 से लेकर 1996-97 तक की अवधि के लिए थी। वर्ष 1997-98 में बी सी पी एल, बी आई एल तथा एस एस पी एस के लिए प्रस्तावित बजट सहायता क्रमशः 4.00 करोड़ रु०, 3.00 करोड़ रु० तथा 2 करोड़ रु० है।

(ङ) इस समय किसी इकाई को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी रुग्ण इकाई का पुनरूद्धार या अन्यथा बी आई एफ आर के समक्ष विचार-विमर्श के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

चुनाव व्यय सीमा

5987. डॉ॰ रमेश चन्द तोमर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय सीमा के संबंध में सरकार को एक पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अधीन व्याख्या-I को निकालने और उसी के साथ चुनावी खर्चों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने संबंधी संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव किया है।

(ग) से (ङ) यह प्रस्ताव, चुनाव सुधारों संबंधी उन अन्य प्रस्तावों में शामिल है जिन पर राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय कितने समय में ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

इसबगोल का उत्पादन

5988. श्री जय सिंह चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार इसबगोल का कितने मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको इस समय विशेषकर गुजरात की उन्हा मंडी से इसबगोल का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या भारत निकट भविष्य में इसबगोल का सबसे बड़ा निर्यातक होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मुख्यतया गुजरात और राजस्थान में इसबगोल की खेती की जाती है। वर्ष 1995-96 में गुजरात ने लगभग 21,500 मी.टन का तथा राजस्थान ने लगभग 20,000 मी. टन का उत्पादन किया।

(ख) उन देशों के नाम, जहां इसबगोल का निर्यात किया जाता है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं लेकिन मंडीवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत पहले से ही इसबगोल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुख्य आपूर्तिकर्त्ता है।

विवरण

देशों के नाम जहां इसबगोल निर्यात किया जा रहा है

क्र. सं॰	देश का नाम	क्र. सं॰	देश का नाम
1.	आस्ट्रेलिया	4.	बहरीन
2.	अफगानिस्तान	5.	बंगलादेश
3.	अर्जेण्टीना	6.	ब्राजील
7.	बेल्जियम	31.	नेपाल
8.	कनाडा	32.	नीदरलैंड
9.	चेक रिपब्लिक	33.	न्यूजीलैंड
10.	चीनी ताइपेई	34.	नाईजीरिया
11.	चीली	35.	ओमान
12.	डेनमार्क	36.	पाकिस्तान
13.	जिबूति	37.	कातर
14.	इथियोपिया	38.	रूस
15.	इजिप्ट ए रिपब्लिक	39.	सऊदी अरब
16.	फ्रांस	40.	इस्पेन
17.	फिनलैंड	41.	स्वीडेन
18.	जर्मन एफ रिपब्लिक	42.	स्वीटजरलैड
19.	हांगकांग	43.	सींगापुर
20.	ईरान	44.	दक्षिण अफ्रीका
21.	इटली	45.	श्रीलंका
22.	इजराईल	46.	थाइलैंड
23.	जापान	47.	तंजानिया रिपब्लिक
24.	जार्डन	48.	संयुक्त अरब अमीरात
25.	केनिया	49.	यूनाईटेड किंगड्म
26.	कोरिया रिपब्लिक	50.	संयुक्त राज्य अमेरिका
27.	कुवैत	51.	उरूग्वे
28.	मलेशिया	52.	जायरे रिपब्लिक
29.	मैक्सिको	53.	जाम्बिया
30.	मोजांबिक		

[अनुवाद]

गरीबी और बेरोजगारी

5989. श्री एन॰ डेनिस:
श्री प्रमोद महाजन:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1996 से 31 मार्च, 1997 तक वर्तमान सरकार द्वारा देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक योजना द्वारा अब तक की गई प्रगति की समीक्षा की है और शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के लिए बनाए गए इन कार्यक्रमों के लाभों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामान्य लाभार्थियों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभर्थियों का ब्यौरा क्या है और 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान उन्हें राज्य-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस अवधि के दौरान कार्यान्वयनाधीन बड़े कार्यक्रम/स्कीमें इस प्रकार हैं: (1) नेहरू रोजगार योजना, (एन आर वाई), (2) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी), (3) शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी), (4) ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.), (5) जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई), (6) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.)

नेहरू रोजगार योजना में (क) शहरी लघु उद्यमों (एस.यू.एम. ई.) की स्कीम, (ख) शहरी मजदूरी रोजगार (एम.यू.डब्लू.ई.) की स्कीम, और (ग) आवास एवं आश्रय उन्नयन (एस. एच. ए. एस. यू.) की स्कीम शामिल हैं। यू.बी. एस. पी. का उद्देश्य सामाजिक क्षेत्रक के लक्ष्यों की प्रभावकारी उपलब्धि, सामुदायिक संगठन, साधन जुटाने और निरन्तर सहायता प्रणाली के माध्यम से शक्तियां प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का सामान्य उद्देश्य एकीकृत तरीके से साथ-साथ गरीबी के अनेक मूल कारणों पर आक्रमण करना है, जिससे इस शताब्दी के अंत तक लक्षित शहरी क्षेत्रों से गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। यह कार्यक्रम श्रेणी-2 के केवल उन शहरी क्षेत्रों में जिनकी आबादी 50 हजार से लेकर 1 लाख तक है और पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्रों के 72 जिला कस्बों में लागू है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक ऋण से जुड़ा स्वरोजगार कार्यक्रम है, जबकि जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन स्कीम अनुपूरक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम हैं।

(ख) से (घ) कार्यक्रम की पुनरीक्षा/मानीटरिंग इनको कार्यान्वित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन के राज्यवार ब्यौरे विवरण I, II, III और IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना
वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96						1996-97					
	एसयूएमई लाभग्राहियों की संख्या		एसयूडब्ल्यूई सृजित श्रम दिवसों की संख्या		एसएचएएसयू उन्नत आवास एककों की संख्या		एसयूएमई लाभ ग्राहियों की संख्या		एसयूडब्ल्यूई सृजित श्रम दिवसों की संख्या		एसएचएएसयू उन्नत आवास एककों की संख्या	
	ल0	उ0	ल0	उ0	ल0	उ0	ल0	उ0	ल0	उ0	ल0	उ0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	10958	5701	2.18	1.95	-	3199	10985	18315	2.18	1.59	*	78650
बिहार	9283	14026	2.80	-	-	9588	9283	428	2.80	0.00	-	0
गुजरात	4397	1799	1.22	0.78	-	-	-	1512	0.65	0.38	-	0
हरियाणा	1453	1725	0.69	0.09	-	-	1211	1644	0.48	0.00	-	0
कर्नाटक	4332	-	1.38	-	-	-	-	4358	1.48	0.70	-	0
केरल	2981	1282	0.94	0.49	-	-	2981	0	0.94	0.00	-	0
मध्य प्रदेश	9529	16019	3.42	-	-	-	7944	16581	2.38	0.30	-	0
महाराष्ट्र	13736	10641	1.81	20.02	-	-	13736	13441	3.62	0.00	-	0
उड़ीसा	2800	6223	1.08	3.91	-	3293	-	3408	1.08	1.50	-	363
पंजाब	1106	2133	1.01	3.08	-	4133	1106	3931	1.01	1.43	-	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	4889	9415	2.76	1.93	-	-	4889	12140	1.92	1.15	-	0
तमिलनाडु	11497	9857	3.72	2.19	-	-	11497	26618	2.59	2.52	-	0
उत्तर प्रदेश	22830	24893	7.53	9.69	-	1168	19328	24833	7.53	7.72	-	8788
पश्चिम बंगाल	10938	17567	2.00	5.95	-	-	-	5278	2.00	1.99	-	5181
गोवा	111	10	0.09	0.73	-	-	-	0	0.05	0.00	-	0
अरूणाचल प्र.	611	-	0.26	0.53	-	-	-	813	0.18	1.47	-	0
असम	1278	-	1.13	1.36	-	-	1278	0	1.13	0.85	-	0
हिमाचल प्र.	687	1334	0.36	0.53	-	-	667	108	0.36	0.00	-	637
जम्मू और कश्मीर	778	1489	0.45	1.01	-	-	778	2386	0.31	1.80	-	2198
मणिपुर	532	-	0.47	-	-	-	444	0	0.33	0.00	-	0
मेघालय	278	146	0.16	-	-	-	278	1415	0.16	0.11	-	203
मिजोरम	200	40	0.17	-	-	888	167	90	0.12	11.35	-	875
नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
सिक्किम	266	310	0.13	-	-	-	222	406	0.09	0.78	-	0
त्रिपुरा	167	22	0.17	0.12	-	431	167	119	0.72	0.00	-	313
अं. व नि. द्वीप समूह	112	102	0.03	-	-	-	186	328	0.04	0.02	-	0
चण्डीगढ़	-	135	0.06	0.10	-	-	-	64	0.07	0.00	-	0
द.और न. हवे.	55	37	0.01	-	-	45	-	40	0.03	0.01	-	0
दमन और दीव	112	213	0.09	0.25	-	-	-	245	0.10	0.00	-	0
पांडिचेरी	111	211	0.10	-	-	-	-	616	-	0.54	-	0
दिल्ली	800	-	-	-	-	-	-	518	अपेक्षित नहीं	-	-	0
अखिल भारत	16807	125308	36.22	54.64	-	22763	87120	128899	33.74	9.57	-	86998

ल० - लक्ष्य, उ० - उपलब्धियाँ

सृजित श्रम दिवसों की संख्या लाख में है।

*निधियां जारी नहीं की गयी। गत वर्षों की खर्च न की गयी निधियों से प्राप्त उपलब्धियाँ।

नेहरू रोजगार योजना

एसयूएमई (सब्सिडी) आठवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

1995-96

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	197.25	131.50	328.75	357.00	97
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.00	7.33	18.33	19.58	100
3.	असम	23.00	15.34	38.34	33.87	88
4.	बिहार	167.10	111.40	278.50	214.07	77

1	2	3	4	5	6	7
5.	गोवा	2.00	1.33	3.33	8.22	100
6.	गुजरात	79.15	52.77	131.92	50.04	34
7.	हरियाणा	26.15	17.43	43.58	56.24	100
8.	हिमाचल प्रदेश	12.00	8.00	20.00	29.18	100
9.	जम्मू और कश्मीर	14.00	9.33	23.33	79.58	100
10.	कर्नाटक	77.98	51.99	129.97	49.12	38
11.	केरल	53.65	35.77	89.42	44.54	50
12.	मध्य प्रदेश	171.54	114.36	285.90	708.37	100
13.	महाराष्ट्र	247.25	164.83	412.08	207.97	51
14.	मणिपुर	9.59	6.39	15.98	13.98	87
15.	मेघालय	5.00	3.33	8.33	9.43	100
16.	मिजोरम	3.60	2.40	6.00	25.34	100
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	50.40	33.60	84.00	86.42	100
19.	पंजाब	19.90	13.27	33.17	61.53	100
20.	राजस्थान	88.00	58.67	146.67	212.84	100
21.	सिक्किम	4.80	3.20	8.00	38.55	100
22.	तमिलनाडु	206.95	137.95	344.92	155.21	46
23.	त्रिपुरा	3.00	2.00	5.00	4.34	87
24.	उत्तर प्रदेश	410.93	273.95	684.88	825.05	100
25.	पश्चिम बंगाल	196.90	131.27	328.17	597.04	100
26.	अ.और.नि. द्वीप समूह	3.35	अपेक्षित नहीं	3.35	–	–
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	(–)1.88	–
28.	दा.और न. हवेली	1.65	अपेक्षित नहीं	1.65	1.45	88
29.	दमन और दीव	3.35	अपेक्षित नहीं	3.35	8.18	100
30.	दिल्ली	14.40	9.60	24.00	–	–
31.	पांडिचेरी	2.00	1.33	3.33	3.99	100
	कुल	2105.89	1398.36	3304.25	3860.12	100

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1996-97) के दौरान शहरी माइक्रो-उद्यम स्कीम (सब्सिडी) के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	197.25	131.50	328.75	527.77	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	6.21	4
3.	असम	23.00	15.34	38.34	108.55	100

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	167.10	111.40	278.50	566.96	49
5.	गोवा	-	-	-	0.00	-
6.	गुजरात	-	-	-	41.68	-
7.	हरियाणा	21.80	14.54	36.34	36.00	99
8.	हिमाचल प्रदेश	12.00	8.00	20.00	13.75	69
9.	जम्मू और कश्मीर	14.00	9.34	23.34	39.24	100
10.	कर्नाटक	-	-	-	48.95	-
11.	केरल	53.65	35.77	89.42	124.51	100
12.	मध्य प्रदेश	143.00	95.34	238.34	565.99	100
13.	महाराष्ट्र	247.25	164.84	412.09	878.62	100
14.	मणिपुर	8.00	5.34	13.34	0.00	-
15.	मेघालय	5.00	3.34	8.34	20.67	100
16.	मिजोरम	3.00	2.00	5.00	(-)10.64	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	0.00	-
18.	उड़ीसा	-	-	-	65.46	-
19.	पंजाब	19.90	13.27	33.17	136.53	100
20.	राजस्थान	88.00	58.67	146.67	250.66	100
21.	सिक्किम	4.00	2.67	6.67	32.09	100
22.	तमिलनाडु	206.95	137.97	344.92	619.07	100
23.	त्रिपुरा	3.00	2.00	5.00	16.44	-
24.	उत्तर प्रदेश	347.90	231.94	579.84	922.92	100
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	(-)395.46	-
26.	अं.और.नि. द्वीप समूह	3.35	एन. आर	5.59	8.47	100
27.	चण्डीगढ़	-	एन. आर	-	1.96	-
28.	दा.और न. हवेली	-	एन. आर	3.35	0.04	-
29.	दमन और दीव	-	एन. आर	-	2.03	-
30.	दिल्ली	-	-	-	13.75	-
31.	पांडिचेरी	-	-	-	6.82	-
	जोड़	1568.15	1043.27	2611.42	4617.26	100

नोटः खराब निष्पादन के कारण वर्ष 1996-97 के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां नहीं दी गयी हैं उनके द्वारा सुचित व्यय विगत वर्ष की निधियों से किया गया है।

एन.आर - अपेक्षित नहीं।

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना के दौरान शहरी माइक्रो-उद्यम स्कीम (टी एण्ड आई) के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

1995-96

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.60	29.07	72.67	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.70	5.13	12.83	-	-
3.	असम	16.10	10.73	26.83	-	-
4.	बिहार	36.95	24.63	61.58	-	-
5.	गोवा	1.40	0.93	2.33	1.59	68
6.	गुजरात	17.50	11.67	29.17	-	-
7.	हरियाणा	13.44	8.96	22.40	34.21	-
8.	हिमाचल प्रदेश	8.40	5.60	14.00	16.35	100
9.	जम्मू और कश्मीर	9.80	6.53	16.33	10.92	67
10.	कर्नाटक	17.25	11.50	28.75	21.41	74
11.	केरल	11.85	7.90	19.75	-	-
12.	मध्य प्रदेश	37.91	25.27	63.18	-	-
13.	महाराष्ट्र	55.50	37.00	92.50	23.31	25
14.	मणिपुर	6.72	4.48	11.20	33.82	100
15.	मेघालय	3.50	2.33	5.83	13.28	100
16.	मिजोरम	2.52	1.68	4.20	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	11.15	7.44	18.59	-	-
19.	पंजाब	4.40	2.93	7.33	-	-
20.	राजस्थान	19.45	12.97	32.42	22.66	70
21.	सिक्किम	3.36	2.24	5.60	-	-
22.	तमिलनाडु	46.60	31.07	77.61	38.38	49
23.	त्रिपुरा	2.10	1.40	3.50	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	92.66	61.77	154.43	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	44.40	29.60	74.00	(-)5.86	-
26.	अं.और.नि. द्वीप समूह	2.35	अपेक्षित नहीं	2.35	0.40	17
27.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-
28.	दा.और न. हवेली	1.15	अपेक्षित नहीं	1.15	-	-
29.	दमन और दीव	2.35	अपेक्षित नहीं	2.35	-	-
30.	दिल्ली	3.60	2.40	6.00	-	-
31.	पांडिचेरी	1.40	0.94	2.34	0.90	38
	कुल	525.11	346.17	871.28	211.37	24

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1996-97) के दौरान शहरी माइक्रो-उद्यम स्कीम (टी एण्ड आई) के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.60	29.07	72.67	205.57	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	10.73	-
3.	असम	16.10	10.74	26.84	68.34	100
4.	बिहार	36.95	24.64	61.59	78.68	100
5.	गोवा	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	-	-	-	7.75	-
7.	हरियाणा	11.20	7.47	18.67	(-)2.23	-
8.	हिमाचल प्रदेश	8.40	5.60	14.00	14.56	100
9.	जम्मू और कश्मीर	9.80	6.54	16.34	-	-
10.	कर्नाटक	-	-	-	6.10	-
11.	केरल	11.85	7.90	19.75	-	-
12.	मध्य प्रदेश	31.60	21.07	52.67	239.37	100
13.	महाराष्ट्र	55.50	37.00	92.50	42.43	46
14.	मणिपुर	5.60	3.74	9.34	-	-
15.	मेघालय	3.50	2.34	5.84	4.59	79
16.	मिजोरम	2.10	1.40	3.50	11.49	100
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	-	-	-	-	-
19.	पंजाब	4.40	2.94	7.34	28.10	100
20.	राजस्थान	19.45	12.97	32.42	19.65	61
21.	सिक्किम	2.80	1.87	4.67	-	-
22.	तमिलनाडु	46.60	31.07	77.67	104.06	100
23.	त्रिपुरा	2.10	1.40	3.50	(-)5.32	-
24.	उत्तर प्रदेश	76.90	51.27	128.17	201.57	100
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-
26.	अं.और.नि. द्वीप समूह	2.35	एन. आर	2.33	-	-
27.	चण्डीगढ़	-	एन. आर	-	0.20	-
28.	दा.और न. हवेली	-	एन. आर		1.46	-
29.	दमन और दीव	-	एन. आर	-	2.67	-
30.	दिल्ली	-	-	-	6.91	-
31.	पांडिचेरी	-	-	-	1.75	-
	जोड़	390.80	259.03	649.83	1048.49	100

एन.आर. - अपेक्षित नहीं।

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना के दौरान एसयूडब्ल्यूई के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन
1995-96

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	130.95	87.30	218.25	226.74	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.80	10.53	26.33	19.02	72
3.	असम	67.70	45.18	112.83	123.73	100
4.	बिहार	167.80	111.87	279.67	260.67	93
5.	गोवा	5.45	3.63	9.08	14.24	100
6.	गुजरात	72.90	48.60	121.50	80.99	67
7.	हरियाणा	41.60	27.73	69.33	58.19	84
8.	हिमाचल प्रदेश	21.55	14.37	35.92	10.16	28
9.	जम्मू और कश्मीर	26.93	17.95	44.88	-	-
10.	कर्नाटक	82.63	55.09	137.72	252.40	100
11.	केरल	56.60	37.73	94.33	54.80	58
12.	मध्य प्रदेश	204.70	136.47	341.17	507.16	100
13.	महाराष्ट्र	108.63	72.42	181.05	477.62	100
14.	मणिपुर	28.30	18.87	47.17	54.01	100
15.	मेघालय	9.47	6.20	15.75	31.21	100
16.	मिजोरम	10.56	7.04	17.60	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	64.75	43.17	107.92	220.82	100
19.	पंजाब	60.60	40.40	101.00	102.79	100
20.	राजस्थान	165.77	110.51	276.28	134.35	49
21.	सिक्किम	7.90	5.27	13.17	25.86	100
22.	तमिलनाडु	222.94	148.63	371.57	186.82	50
23.	त्रिपुरा	10.41	6.94	17.35	10.72	62
24.	उत्तर प्रदेश	451.70	301.13	752.83	754.78	100
25.	पश्चिम बंगाल	120.10	80.07	200.17	121.33	60
26.	अं.और.नि. द्वीप समूह	2.50	एन. आर	2.50	-	-
27.	चण्डीगढ़	6.03	एन. आर	6.03	(-)16.93	-
28.	दा.और न. हवेली	0.05	एन. आर	0.85	-	-
29.	दमन और दीव	8.40	एन. आर	8.40	13.81	100
30.	दिल्ली	एन. ए.	-	-	-	-
31.	पांडिचेरी	5.80	3.87	9.67	9.45	98
	कुल	2179.30	1441.02	3620.32	3734.68	100

एन.आर. - अपेक्षित नहीं।

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1996-97) के दौरान शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	130.95	87.30	218.25	255.31	100
2.	अरूणाचल प्रदेश	11.00	7.34	18.34	48.66	100
3.	असम	67.70	45.14	112.84	58.64	52
4.	बिहार	167.80	111.87	279.67	640.86	100
5.	गोवा	2.94	1.96	4.90	-	-
6.	गुजरात	39.27	26.18	65.45	62.63	96
7.	हरियाणा	28.95	19.30	48.25	80.70	100
8.	हिमाचल प्रदेश	21.55	14.37	35.92	84.78	100
9.	जम्मू और कश्मीर	18.75	12.50	31.25	9.01	29
10.	कर्नाटक	89.02	59.35	148.37	142.64	96
11.	केरल	56.60	37.74	94.34	188.67	100
12.	मध्य प्रदेश	142.50	95.00	237.50	302.50	100
13.	महाराष्ट्र	217.25	144.84	362.09	597.16	100
14.	मणिपुर	19.70	13.14	32.84	-	-
15.	मेघालय	9.45	6.30	15.75	20.40	100
16.	मिजोरम	7.35	4.90	12.25	(-)14.91	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	64.75	43.17	107.92	89.17	83
19.	पंजाब	60.60	40.40	101.00	187.67	100
20.	राजस्थान	115.40	76.94	192.34	193.57	100
21.	सिक्किम	5.50	3.67	9.17	32.70	100
22.	तमिलनाडु	155.20	103.47	258.67	206.65	80
23.	त्रिपुरा	7.25	4.84	12.09	28.16	100
24.	उत्तर प्रदेश	451.70	301.14	752.84	561.25	75
25.	पश्चिम बंगाल	120.10	80.07	200.17	161.77	81
26.	अं.और.नि. द्वीप समूह	2.50	एन. ए	2.50	2.93	100
27.	चण्डीगढ़	4.20	एन. ए	4.20	0.79	18
28.	दा.और न. हवेली	0.92	एन. ए	0.92	0.92	100
29.	दमन और दीव	5.85	एन. ए	5.85	4.44	76
30.	दिल्ली	एन. ए	एन. ए	एन. ए	एन. ए	एन. ए
31.	पांडिचेरी	-	-	-	0.52	-
	जोड़	2024.73	1340.93	3365.68	3947.59	100

नोटः खराब निष्पादन के कारण वर्ष 1996-97 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां नहीं दी गयीं। उनके द्वारा सूचित व्यय विगत वर्ष की निधियों से किया गया है।

एन. आर - अपेक्षित नहीं एन.ए - लागू नहीं

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1995-96) के दौरान आवास एवं पुनर्वास उन्नयन स्कीम (सब्सिडी) के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन
1995-96

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	जोड़	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	183.88	
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	
3.	असम	-	-	-	-	
4.	बिहार	-	-	-	193.74	
5.	गोवा	-	-	-	-	
6.	गुजरात	-	-	-	2.32	
7.	हरियाणा	-	-	-	-	
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	0.87	
10.	कर्नाटक	-	-	-	-	
11.	केरल	-	-	-	15.92	
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	280.41	
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	
14.	मणिपुर	-	-	-	-	
15.	मेघालय	-	-	-	1.88	
16.	मिजोरम	-	-	-	11.65	
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	
18.	उडीसा	-	-	-	28.60	
19.	पंजाब	-	-	-	30.95	
20.	राजस्थान	-	-	-	66.80	
21.	सिक्किम	-	-	-	-	
22.	तमिलनाडु	-	-	-	(-) 66.17	
23.	त्रिपुरा	-	-	-	4.01	
24.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	32.46	
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	429.21	
26.	अं.और नि. द्वीपसमूह	-	-	-	-	
27.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	
28.	दा. और न. हवेली	-	-	-	-	
29.	दमन और दीव	-	-	-	-	
30.	दिल्ली	-	-	-	एन.ए	
31.	पांडिचेरी	-	-	-	0.20	
	जोड़	-	-	-	1216.73	

एनआर - अपेक्षित नहीं एन. ए. - लागू नहीं

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1996-97) के दौरान आवास एवं पुनर्वास उन्नयन स्कीम (सब्सिडी) के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	*केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	30.15	
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	0.00	
3.	असम	-	-	-	0.00	
4.	बिहार	-	-	-	0.00	
5.	गोवा	-	-	-	0.00	
6.	गुजरात	-	-	-	0.69	
7.	हरियाणा	-	-	-	43.74	
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	20.51	
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	21.38	
10.	कर्नाटक	-	-	-	0.00	
11.	केरल	-	-	-	0.00	
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	(-)180.21	
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	161.20	
14.	मणिपुर	-	-	-	0.00	
15.	मेघालय	-	-	-	1.07	
16.	मिजोरम	-	-	-	7.45	
17.	नागालैण्ड	-	-	-	0.00	
18.	उडीसा	-	-	-	4.76	
19.	पंजाब	-	-	-	12.29	
20.	राजस्थान	-	-	-	(-)169.34	
21.	सिक्किम	-	-	-	0.00	
22.	तमिलनाडु	-	-	-	0.00	
23.	त्रिपुरा	-	-	-	2.09	
24.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	682.20	
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	(-)102.86	
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	-	एन.आर.	-	0.00	
27.	चण्डीगढ़	-	एन.आर.	-	0.00	
28.	दा. और न. हवेली	-	एन.आर.	-	0.00	
29.	दमन और दीव	-	एन.आर.	-	0.00	
30.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
31.	पांडिचेरी	-	-	-	5.27	
	जोड़	-	-	-	480.39	

एन.आर. - अपेक्षित नहीं एन.ए - लागू नहीं *केन्द्रीय निधियां जारी नहीं की गयीं।

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1995-96) के दौरान आवास एवं पुनर्वास उन्नयन (टी एण्ड आई) स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.65	13.10	32.75	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.50	3.67	9.17	-	-
3.	असम	11.50	7.67	19.17	-	-
4.	बिहार	16.65	11.10	27.75	-	-
5.	गोवा	1.00	0.67	1.67	-	-
6.	गुजरात	7.90	5.27	13.17	-	-
7.	हरियाणा	8.00	5.33	13.33	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	6.00	4.00	10.00	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	7.00	4.67	11.67	15.37	100
10.	कर्नाटक	15.50	10.33	25.83	-	-
11.	केरल	5.35	3.57	8.92	-	-
12.	मध्य प्रदेश	14.25	9.50	23.75	-	-
13.	महाराष्ट्र	21.75	14.50	36.25	-	-
14.	मणिपुर	4.00	2.67	6.67	-	-
15.	मेघालय	2.50	1.67	4.17	1.51	36
16.	मिजोरम	1.50	1.00	2.50	-	-
17.	नागालैण्ड	3.50	2.33	5.83	-	-
18.	उडीसा	5.00	3.33	8.33	-	-
19.	पंजाब	2.00	1.34	3.34	-	-
20.	राजस्थान	8.75	5.84	14.59	41.29	100
21.	सिक्किम	2.00	1.33	3.33	-	-
22.	तमिलनाडु	17.75	11.83	29.58	-	-
23.	त्रिपुरा	1.50	1.00	2.50	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	34.65	23.10	57.75	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	16.70	11.14	27.84	112.75	100
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	1.70	एन.आर.	1.70	-	-
27.	चण्डीगढ़	0.85	एन.आर.	0.85	-	-
28.	दा. और न. हवेली	0.85	एन.आर.	0.85	-	-
29.	दमन और दीव	1.70	एन.आर.	1.70	-	-
30.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
31.	पॉडिचेरी	2.00	1.33	3.33	0.41	12
	जोड़	247.00	161.29	408.29	171.33	42

एन.आर - अपेक्षित नहीं एन.ए. - लागू नहीं

नेहरू रोजगार योजना

आठवीं योजना (1996-97) के दौरान आवास एवं पुनर्वास उन्नयन स्कीम (टी एण्ड आई) के अन्तर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	*केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल निधियाँ	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	0.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	0.00	
3.	असम	–	–	–	0.00	
4.	बिहार	–	–	–	0.00	
5.	गोवा	–	–	–	0.00	
6.	गुजरात	–	–	–	3.72	
7.	हरियाणा	–	–	–	0.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	2.40	
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	0.00	
10.	कर्नाटक	–	–	–	41.66	
11.	केरल	–	–	–	0.00	
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	22.92	
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	1.49	
14.	मणिपुर	–	–	–	0.00	
15.	मेघालय	–	–	–	2.04	
16.	मिजोरम	–	–	–	1.20	
17.	नागालैण्ड	–	–	–	0.00	
18.	उडीसा	–	–	–	4.68	
19.	पंजाब	–	–	–	0.00	
20.	राजस्थान	–	–	–	15.68	
21.	सिक्किम	–	–	–	0.00	
22.	तमिलनाडु	–	–	–	55.22	
23.	त्रिपुरा	–	–	–	0.25	
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	(-)138.67	
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	0.00	
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	–	एन.आर.	–	0.00	
27.	चण्डीगढ़	–	एन.आर.	–	2.10	
28.	दा. और न. हवेली	–	एन.आर.	–	0.00	
29.	दमन और दीव	–	एन.आर.	–	0.00	
30.	दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
31.	पांडिचेरी	–	–	–	2.11	
	जोड़	–	–	–	480.39	

एन. आर. - अपेक्षित नहीं एन.ए. - लागू नहीं

*केन्द्रीय निधियां जारी नहीं की गयीं।

विवरण-II

यू०बी०एस०पी० स्तर रिपोर्ट - सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन

31.03.1997 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित कस्बों की संख्या	कस्बों में कुल गंदी बस्ती जनसं. (हजार में)	कवर के लिए चयनित गंदी बस्ती पाकेटों की संख्या	इन गंदी बस्ती पाकेटों के अन्तर्गत कवर होने वाले लाभ ग्राहियों की सं (हजार में)	चयनित आरसी बी.सी की सं.	गठित एचएच सीजे की सं.	गठित सीडी सोसाइटियों की सं.	नियुक्त सी ओज की सं.	तैयार की गयी छोटी योजनाओं की सं.	माह/ वर्ष को सूचित रिपोर्ट	एचयूडी ए/एसएससी स्थापित अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	950	808	753	5888	647	56	40	545	08/96	एसयूडीए
2.	अरूणाचल प्रदेश	05	–	–	–	–	–	–	–	–	–	एसएमसी
3.	असम	04	174	40	174	6463	40	40	7	40	11/95	*
4.	बिहार	18	4187	29	290	1656	166	11	22	27	07/96	एसयूडीए
5.	गोवा	06	031	07	031	–	–	3	1	15	08/96	*
6.	गुजरात	27	1436	254	258	2573	245	35	73	254	04/96	एसएमसी
7.	हरियाणा	03	887	12	70	833	70	2	8	62	12/96	एसयूडीए
8.	हिमाचल प्रदेश	03	030	21	13	29	9	–	3	8	02/97	एसएमसी
9.	जम्मू और कश्मीर	02	012	08	005	–	14	–	1	–	03/96	*
10.	कर्नाटक	45	559	28	279	2103	200	–	25	200	06/96	*
11.	केरल	17	549	536	549	14945	2989	224	51	224	08/96	*
12.	मध्य प्रदेश	10	863	36	420	4077	400	45	48	357	12/96	एसयूडीए
13.	महाराष्ट्र	35	6657	557	981	6357	719	30	84	–	08/96	एसएमसी
14.	मणिपुर	04	078	45	020	385	33	1	11	233	09/96	एसयूडीए
15.	मेघालय	02	111	16	015	196	14	–	2	04	10/95	**
16.	मिजोरम	01	107	50	100	624	52	1	4	52	09/96	**
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	उडीसा	12	180	331	109	1329	137	–	25	328	08/96	**
19.	पंजाब	4	719	77	223	1737	173	19	14	152	09/96	**
20.	राजस्थान	21	1387	400	433	1732	117	2	13	80	02/97	एसएमसी
21.	सिक्किम	14	150	16	010	16	16	16	4	14	06/96	*
22.	तमिलनाडु	09	049	32	015	261	26	–	6	23	12/96	–
23.	त्रिपुरा	25	1219	717	723	7632	757	69	55	717	12/96	एसयूडीए
24.	उत्तर प्रदेश	25	2420	764	906	6208	618	64	23	543	09/96	*
25.	पश्चिम बंगाल	28	622	68	559	5190	560	5	56	100	04/96	*
26.	अं.और नि. द्वीप समूह	01	042	04	028	04	01	–	1	11	01/96	डीयूडीए
27.	चण्डीगढ़	01	100	11	060	–	–	5	–	1	12/96	एसयूडीए
28.	दा. और न. हवेली	01	012	01	012	–	–	–	1	–	12/96	*
29.	दमन और दीव	02	015	–	001	–	–	–	–	–	12/96	डीयूडीए
30.	दिल्ली	01	1500	47	388	2158	126	18	9	36	12/96	*
31.	पांडिचेरी	04	226	080	101	772	58	–	2	24	11/96	एसयूडीए
	जोड़	353	25322	4993	7526	73168	8187	646	591	4050		

* 11 कस्बों से संबंधित प्रगति ** केवल 14 कस्बों के लिए सूचित जानकारी

नेहरू रोजगार योजना

वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(आकड़े लाख रुपये में)

	1991-92 तक		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		सकल जोड़	
	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1. माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की सं.	2.87	1.42	0.92	2.37	1.25	1.52	1.02	1.25	1.17	1.25	0.87	1.29	8.10	9.10
2. एस.यू.एम.ई के अंतर्गत प्रशिक्षित/प्रशिक्षणाधीन व्यक्ति	0.68	0.48	0.32	0.41	0.42	0.31	0.34	0.38	0.40	0.46	0.30	0.46	2.46	2.50
3. एस.यू.डब्ल्यू.ई. के अंतर्गत सृजित कार्य के श्रम दिवस	257.84	195.24	63.74	76.27	50.84	72.17	41.12	50.85	36.22	54.64	33.74	9.57	483.50	458.7
4. एस.एच.ए.एस.यू के अंतर्गत उन्नत/ उन्नताधीन निवास एककों की संख्या	2.85	0.28	1.77	2.28	1.76	0.36	1.60	0.62	-	0.23	-	0.87	7.98	4.8
5. एस.एच.ए.एस.यू के अंतर्गत कार्य के श्रम दिवस	246.87	18.16	94.36	64.22	91.89	51.50	65.00	13.11	-	38.31	-	47.46	498.22	232
6. एस.एच.ए.एस.यू. के अंतर्गत प्रशिक्षित/प्रशिक्षणाधीन व्यक्ति	0.62	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.15	(-) 0.05	0.16	0.21	-	0.16	1.24	0

टी - लक्ष्य ए - उपलब्धियां

प्रधान मंत्री का एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी)

30.4.1997 के अनुसार वास्तविक उपलब्धियां

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कस्बों की संख्या	तैयार कस्बा वार परियोजना रिपोर्ट	कराया गया पारिवारिक सर्वेक्षण (कस्बों की सं.)	अग्रेषित आवेदनों की संख्या	अनुमोदित मामले			यूएलबी के लिए कराया गया चुनाव
						बैंक/ हुडको	बैंक	बैंक/ हुडको	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	34	-	-	7012	3874	-	-	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	07	-	-	-	-	-	-	नही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	19	–	–	–	–	–	–	हां
4.	बिहार	28	24	–	–	–	–	–	नहीं
5.	गोवा	03	–	–	–	–	–	–	हां
6.	गुजरात	27	–	27	–	–	–	–	हां
7.	हरियाणा	09	08	08	–	1090	–	1090	हां
8.	हिमाचल प्रदेश	09	–	–	–	–	–	–	हां
9.	जम्मू और कश्मीर	14	–	–	–	–	–	–	*
10.	कर्नाटक	17	12	–	–	390	–	390	हां
11.	केरल	09	9	9	3088	1650	762	1650	हां
12.	मध्य प्रदेश	29	26	26	7150	1365	2397	300	हां
13.	महाराष्ट्र	28	23	28	3834	–	411	–	हां
14.	मणिपुर	05	–	–	–	–	–	–	नहीं
15.	मेघालय	04	–	–	–	–	–	–	*
16.	मिजोरम	02	02	1	–	–	–	–	*
17.	नागालैण्ड	07	–	–	–	–	–	–	*
18.	उड़ीसा	10	–	–	–	–	–	–	नहीं
19.	पंजाब	18	–	18	299	–	–	–	हां
20.	राजस्थान	20	20	20	2082	3343	455	3343	हां
21.	सिक्किम	04	–	–	–	–	–	–	नहीं
22.	तमिलनाडु	41	41	41	1389	1769	–	–	हां
23.	त्रिपुरा	02	–	–	–	–	–	–	हां
24.	उत्तर प्रदेश	53	46	46	9564	–	689	–	हां
25.	पश्चिम बंगाल	18	13	16	702	1023	12	1023	हां
26.	अं.और नि.द्वीपसमूह	01	–	–	–	–	–	–	हां
27.	पांडिचेरी	01	–	–	–	–	–	–	नहीं
		229	240	31,286	14,504	4,726	7,796		

*74वां सी.ए.ए. लागू नहीं

1995-96 के दौरान आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

वास्तविक

राज्य/संघ राज्य	माह तक	शामिल किए गए परिवार (संख्या)					सुविधावंचित समूहों का कवरेज प्रतिशत				महिला लाभग्राही	विकलांग लाभग्राही
		पुराने परिवार	नए परिवार	कुल परिवार	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला लाभग्राही	विकलांग लाभग्राही	अ.जा.	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	3		122863	122863	43594	12827	31292	1562	35.48	10.44	25.47	1.27
अरूणाचल प्रदेश	3	6076	8305	14381		14381	6284		0.00	100.00	43.70	0.00
असम	3	104	58926	59030	8894	14201	14280	89	15.07	24.06	24.19	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
बिहार	3	2495	263030	265525	82045	47113	50817	392	30.90	17.74	19.14	0.15
गोवा	3	290	1196	1486	18		771	1	1.21	0.00	51.88	0.07
गुजरात	3		55686	55686	9892	15188	21549	61	17.76	27.27	38.70	0.11
हरियाणा	3	546	29225	29771	14560		12085	682	48.91	0.00	40.59	2.29
हिमाचल प्रदेश	3	1362	5244	6606	2705	585	2577		40.95	8.86	39.01	0.00
जम्मू और कश्मीर	3	65	13124	13189	1769	1361	1687	1	13.41	10.32	12.79	0.01
कर्नाटक	3	9244	110441	119685	36157	9021	44850	1633	30.21	7.54	37.47	1.36
केरल	3		43357	43357	17498	1262	20114	949	40.36	2.91	46.39	2.19
मध्य प्रदेश	3	2163	208529	210692	52025	69801	45050	88	24.69	33.13	21.38	0.04
महाराष्ट्र	3	19214	162383	181597	43786	28205	70638	152	24.11	15.53	38.90	0.08
मणिपुर	3		6077	6077	77	4222	2160	22	1.27	69.48	35.54	0.36
मेघालय	3		4534	4534	15	4519	2165		0.33	99.67	47.75	0.00
मिजोरम	3		5085	5085		5085	1746		0.00	100.00	34.34	0.00
नागालैण्ड	3		2531	2531		2531	677		0.00	100.00	26.75	0.00
उड़ीसा	3	468	120201	120669	30814	35843	47993	262	25.54	29.70	39.77	0.22
पंजाब	3		11768	11786	6287		4477	0	53.34	0.00	37.99	0.00
राजस्थान	3		92818	92818	30326	18748	31851	28	32.67	20.20	34.32	0.03
सिक्किम	3	138	2705	2843	153	1090	708		5.38	38.34	24.90	0.00
तमिलनाडु	3	993	182902	183895	82792	3800	85274	4492	45.02	2.07	46.37	2.44
त्रिपुरा	3		14657	14657	2351	5327	4346	4	16.04	3634	29.65	0.03
उत्तर प्रदेश	3	981	354935	355916	183165	3300	131006	905	51.46	0.93	36.81	0.25
पश्चिम बंगाल	3	254	161470	161724	55591	9804	62619	722	34.37	6.06	38.72	0.45
अं. और नि. द्वीप समूह	3	66	766	832		57	437	2	0.00	6.85	52.52	0.24
दादरा एवं नगर हवेली	3		274	274	5	265	33		1.82	96.72	12.04	0.00
दमन और दीव	3	42	268	310	58	102	125		18.71	32.90	40.32	0.00
लक्षद्वीप	3		18	18		18	4		0.00	100.00	22.22	0.00
पांडिचेरी			1563	1563	555	40	909	8	35.51	2.56	58.16	0.51
अखिल भारत		44501	2044899	2089400	705132	308696	698524	12055	33.75	14.77	33.43	0.58

वर्ष 1995-96 के दौरान जे आर वाई (प्रथम चरण) के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.95 के अनुसार अप्रयुक्त शेष	वित्तीय (लाख रुपये)						वास्तविक					
				कुल आवंटन			जारी संसाधन			उपलब्ध संसाधन (यूबी+रीलिज)	प्रयुक्त संसाधन	प्रयुक्त प्रतिशत	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस)		
				केंद्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल				लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत एसीएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	03	4399.14	27294.92	6823.73	34118.65	27353.57	6838.39	34191.96	38591.10	31705.69	82.16	675.74	641.62	94.95
2.	अरूणाचल प्रदेश	03	149.66	263.66	65.92	329.58	243.58	60.90	304.48	454.14	357.12	78.64	7.99	8.24	103.13
3.	असम	03	2743.72	8656.14	2164.04	10820.18	7719.76	1929.94	9649.70	12393.42	9583.33	77.33	178.63	179.08	100.25
4.	बिहार	03	17551.59	53426.54	13356.64	66783.18	51318.13	12829.53	64147.66	81699.25	50724.62	62.03	1151.61	975.49	84.71
5.	गोवा	03	167.50	284.87	71.22	356.09	284.87	71.22	356.09	523.59	363.47	69.42	7.94	8.38	105.54
6.	गुजरात	03	1369.69	10252.29	2563.07	12815.36	10650.13	2662.53	13312.66	14682.35	11338.14	77.22	197.40	185.83	94.14
7.	हरियाणा	03	618.12	2718.62	679.66	3398.28	2988.62	747.16	3735.78	4353.90	3304.78	75.90	34.63	33.50	96.74
8.	हिमाचल प्रदेश	03	486.90	919.27	229.82	1149.09	977.02	244.26	1221.28	1708.18	1001.19	58.61	24.27	21.45	88.38
9.	जम्मू एंड कश्मीर	03	816.06	2363.80	590.95	2954.75	1955.38	488.85	2444.23	3260.29	2294.59	70.38	85.50	43.24	50.57
10.	कर्नाटक	03	3646.38	17655.93	4413.98	22069.91	18271.77	4567.94	22839.71	26486.09	21986.93	83.01	462.45	460.74	99.63
11.	केरल	03	0.00	6423.47	1605.87	8029.34	7785.29	1946.32	9731.61	9331.16	8888.24	91.33	108.01	127.75	118.28
12.	मध्य प्रदेश	03	5970.92	34819.57	8704.89	43524.46	33926.66	8481.67	42408.33	48379.25	24789.46	71.91	804.64	618.65	76.89
13.	महाराष्ट्र	03	7567.46	29265.03	7316.26	36581.29	31604.36	7901.09	39505.45	47072.91	35947.07	76.36	848.75	912.05	107.46
14.	मणिपुर	03	423.86	340.36	85.09	425.45	275.83	68.96	344.79	768.65	506.22	65.86	5.78	9.34	161.59
15.	मेघालय	03	588.23	397.05	99.26	496.31	332.20	83.05	415.25	1003.48	200.28	19.96	7.88	4.86	61.68
16.	मिजोरम	03	17.17	166.43	41.61	208.04	183.20	45.80	229.00	246.17	284.56	115.59	4.15	5.20	125.30
17.	नागालैण्ड	03	220.40	421.02	105.26	526.28	599.49	149.87	747.36	969.76	264.07	27.23	11.82	5.76	48.73
18.	उड़ीसा	03	8268.86	21331.35	5332.84	26664.19	20874.62	5218.66	26093.28	34362.14	24683.95	71.83	581.07	586.04	100.86
19.	पंजाब	03	1863.95	1575.94	393.99	1969.93	787.97	196.99	984.96	2848.91	408.38	14.33	28.25	6.44	22.80
20.	राजस्थान	03	3538.33	14843.08	3710.77	18553.85	14789.74	3697.44	18487.18	22025.51	16430.90	74.60	294.60	327.88	111.30
21.	सिक्किम	03	92.40	273.54	68.39	341.93	442.52	110.63	553.15	645.55	618.83	95.86	5.38	9.27	172.30
22.	तमिलनाडु	03	0.00	24220.25	6055.06	30275.31	27532.48	6883.12	34415.60	34415.60	36365.08	105.66	809.39	983.75	121.54
23.	त्रिपुरा	03	63.59	446.92	111.73	558.65	617.68	167.92	839.60	903.19	788.23	87.27	12.40	18.43	148.63
24.	उत्तर प्रदेश	03	9935.23	65558.84	16389.71	81948.55	67869.78	16967.45	84837.23	94772.46	77168.60	81.43	1283.50	1408.13	109.71
25.	पश्चिम बंगाल	03	4748.14	23564.17	5891.04	29455.21	23657.47	5914.37	29571.84	34319.98	26114.49	76.09	401.18	366.28	91.30
26.	अं. एवं नि. द्वीप स.	03	0.00	154.18	0.00	154.18	151.14	0.00	151.14	151.14	161.26	106.70	2.26	2.59	114.60
27.	द. एवं न. हवेली	3	1.93	83.92	0.00	83.92	93.92	0.00	93.92	95.85	33.18	34.62	1.42	0.64	45.07
28.	दमन दीव	03	42.44	49.28	0.00	49.28	59.28	0.00	59.28	101.72	55.02	54.09	1.55	1.11	71.61
29.	लक्षदीप	03	15.97	76.70	0.00	79.70	86.70	0.00	86.70	102.67	40.86	39.83	1.45	1.05	72.41
30.	पांडिचेरी	03	231.65	151.86	0.00	151.46	77.12	0.00	77.12	309.07	199.85	64.66	3.16	3.10	98.10
	जोड़		75539.59	347999.00	86870.80	434869.80	353564.28	88274.03	441838.31	517377.90	396608.39	76.66	8042.80	7955.89	98.92

वर्ष 1995-96 के दौरान जे आर वाई के दूसरे चरण के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	वित्तीय (लाख रुपये) 1.4.95 के अनुसार अप्रयुक्त शेष	कुल आवंटन केंद्र	कुल आवंटन राज्य	कुल आवंटन कुल	जारी संसाधन केन्द्र	जारी संसाधन राज्य	कुल	वास्तविक उपलब्ध संसाधन	प्रयुक्त संसाधन	प्रयुक्त संसाधन प्रतिशत	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिवस) लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत एसीएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	03	343.93	2491.00	622.75	3113.75	1393.00	348.25	1741.25	2085.18	2851.21	136.74	24.34	59.96	246.30
2.	बिहार	03	12278.08	9452.00	2363.00	11815.00	3100.00	775.00	3875.00	16153.08	11557.33	71.55	94.25	221.54	235.06
3.	गुजरात	03	1815.96	1551.00	387.75	1938.75	435.50	108.88	544.38	2360.34	1486.28	62.97	15.83	23.59	149.02
4.	जे. एंड के.	03	578.94	341.00	85.25	416.25	88.11	22.03	110.14	689.08	239.79	34.80	5.44	4.99	91.73
5.	कर्नाटक	03	2323.20	1882.00	470.50	2352.50	817.00	204.25	1021.25	3344.45	2921.83	87.36	29.11	64.15	220.37
6.	मध्य प्रदेश	01	6568.19	6076.00	1519.00	7595.00	1357.00	339.25	1696.25	8264.44	7587.79	91.81	44.65	140.81	315.36
7.	महाराष्ट्र	12	4843.14	4062.00	1015.50	5077.50	1097.00	274.25	1371.25	6214.39	3854.49	62.03	62.00	102.42	165.19
8.	उड़ीसा	03	2732.10	3183.00	795.75	3978.75	1143.21	285.80	1429.10	4161.11	3987.53	95.83	42.40	92.27	217.62
9.	राजस्थान	03	1551.52	1817.00	454.25	2271.25	271.00	67.75	338.75	1890.27	1773.49	93.82	6.29	33.84	538.00
10.	तमिलनाडु	03	1024.63	1887.00	471.75	2358.75	1887.00	471.75	2358.75	3383.38	3050.62	90.16	43.70	86.00	196.80
11.	उत्तर प्रदेश	03	5305.90	4192.00	1048.00	5240.00	1667.00	416.75	2083.75	7389.65	6393.56	86.52	37.04	124.33	335.66
12.	पश्चिम बंगाल	03	3577.84	3066.00	766.50	3832.50	1839.00	459.75	2298.75	5876.59	4378.31	74.50	32.20	48.47	150.53
	जोड़		42943.43	40000.00	10000.00	50000.00	15094.82	3773.71	18868.53	61811.96	50082.23	81.02	437.25	1002.36	229.24

वर्ष 1995-96 के दौरान रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	वास्तविक (लाख रुपये) 1.4.95 के अनुसार अप्रयुक्त शेष	जारी संसाधन केन्द्र	जारी संसाधन राज्य	जारी संसाधन कुल	कुल उपलब्ध संसाधन	व्यय	वास्तविक (लाख श्रम दिवस) कुल उपलब्ध प्रतिशत व्यय	सृजित श्रम दिवस अ.जा	सृजित श्रम दिवस अ.ज. जा.	सृजित श्रम दिवस अन्य	सृजित श्रम दिवस कुल	कार्य सं. महिला	कार्य सं. पूरा हुआ	प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	3	1134.30	14560.00	3637.50	18187.50	19321.80	12249.54	63.40	89.52	55.37	107.53	252.42	97.84	18.22	8614
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	501.02	1859.00	464.75	2323.75	2924.77	1956.55	69.26	0.00	50.67	0.00	50.67	15.89	1329	940
3.	असम	3	3299.10	8020.00	2005.00	10025.00	13324.10	9822.93	73.72	32.64	61.08	88.10	181.82	17.69	2455	2584
4.	बिहार	3	7627.10	16230.00	4057.50	20287.50	27914.60	12901.12	46.22	79.10	86.15	88.96	254.21	153.36	7451	8553
5.	गुजरात	3	3125.07	6970.00	1742.50	8712.50	11837.57	5751.65	48.59	14.22	41.33	36.90	92.45	25.75	3146	3853
6.	हरियाणा	3	1354.62	3320.00	830.00	4150.00	5504.62	3814.72	69.30	35.81	0.00	16.30	52.11	12.15	7779	841
7.	हिमाचल प्रदेश	3	551.26	450.00	112.50	562.50	1113.76	455.55	40.90	2.37	2.95	1.54	6.86	0.90	471	754
8.	जे एंड के.	3	2258.95	6740.00	1685.00	8425.00	10683.95	6715.49	62.86	एन आर	एन आर	एन आर	129.96	एन आर	7405	4865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	कर्नाटक	3	3009.86	10970.00	2742.50	13712.50	16722.36	12144.91	72.63	69.56	26.26	172.91	268.73	70.38	17586	6901
10.	केरल	3	352.42	1850.00	462.50	2312.50	2664.92	2241.90	84.13	8.79	4.50	19.18	32.47	11.14	1171	987
11.	मध्य प्रदेश	3	4826.25	22940.00	5735.00	28675.00	33501.25	22951.66	68.51	86.03	187.39	114.60	388.02	151.89	8230	11054
12.	महाराष्ट्र	3	4286.64	11460.00	2685.00	14325.00	18611.64	10295.49	55.32	74.31	73.65	145.27	293.23	93.38	13475	12777
13.	मणिपुर	3	618.09	900.00	225.00	1125.00	1743.09	1337.11	76.71	0.00	31.21	0.00	31.21	एन आर	495	874
14.	मेघालय	3	934.12	250.00	62.50	312.50	1246.62	499.80	40.09	0.02	8.27	0.01	8.30	0.78	1140	182
15.	मिजोरम	3	72.66	1200.00	300.00	1500.00	1572.66	2023.87	128.69	0.00	40.91	0.00	40.91	13.75	एन आर	एन आर
16.	नागालैंड	3	349.98	2080.00	520.00	2600.00	2949.98	1800.70	61.04	0.00	49.00	0.00	49.00	10.08	733	383
17.	उड़ीसा	3	2253.71	11460.00	2885.00	14325.00	16578.71	13133.80	79.22	74.11	157.45	79.50	311.06	97.72	13067	11439
18.	राजस्थान	3	5146.69	14030.00	3507.50	17537.50	22684.19	14770.06	65.11	95.44	70.00	122.58	288.02	116.08	6237	7659
19.	सिक्किम	3	81.69	330.00	82.50	412.50	494.19	778.31	157.49	1.75	4.87	9.39	16.01	3.51	1057	18
20.	तमिलनाडु	3	1517.43	8410.00	2102.50	10512.50	12029.93	7581.23	63.02	95.08	21.58	94.78	211.35	72.92	20115	4759
21.	त्रिपुरा	3	0.00	1560.00	390.00	1950.00	1950.00	2085.78	106.93	7.72	21.49	13.90	43.20	15.96	4221	889
22.	उत्तर प्रदेश	3	7689.35	15560.00	3890.00	19450.00	27139.35	16731.96	61.65	151.91	5.30	161.02	318.23	73.43	7485	13854
23.	पश्चिम बंगाल	3	2849.53	9240.00	2310.00	11550.00	14399.53	992918	68.95	52.04	29.03	62.01	143.08	41.54	1546	3673
24.	अं. व नि. द्वी. स.	3	5.48	40.00	0.00	40.00	45.48	10.28	22.60	0.00	0.09	0.02	0.11	0.01	0	1
25.	दा. और न. हवेली	3	20.33	30.00	0.00	30.00	50.33	20.17	40.08	0.00	0.23	0.00	0.23	0.16	5	10
26.	दमन और दीव	3	1.54	20.00	0.00	20.00	21.54	13.05	60.58	0.00	0.01	0.35	0.36	0.01	6	2
27.	लक्ष्यद्वीप	3	114.06	100.00	0.00	100.00	214.06	44.33	20.71	0.00	1.02	0.00	1.02	0.26	993	726
	अखिल भारत		53981.25	170569.00	42594.75	213163.75	267145.00	172061.21	64.41	970.42	1029.81	1334.85	3465.04	1096.58	128420	107197

वर्ष 1996-97 (फरवरी-97) के दौरान

वास्तविक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह तक	शामिल किए गए परिवार संख्या			सुविधावंचित समूहों का कवरेज				प्रतिशत			
		पुराने परिवार	नए परिवार	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	महिला लाभग्राही	विकलांग लाभग्राही	अ.जा.	अ.ज. जा.	महिला लाभग्राही	विकलांग लाभग्राही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	2		130549	130549	40126	12183	44326	962	30.74	9.33	33.95	0.74
अरूणाचल प्रदेश	2	1309	3547	4956		4956	1559		0.00	100.00	31.46	0.00
असम	2	2	23060	23062	3196	5383	5291	27	13.86	23.34	22.94	0.12
बिहार	2	1717	189293	193010	54516	28932	36230	140	30.80	15.23	19.07	0.07
गोवा	2	75	899	974	6		523	0	0.62	0.00	53.70	0.00
गुजरात	2	373	14368	41741	6548	10218	15685	107	15.69	24.48	37.58	0.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	2	199	14461	14560	6924		5790	365	47.13	0.00	39.50	2.49
हिमाचल प्रदेश	2	916	5878	6794	2476	726	2640		36.44	10.69	38.86	0.00
जम्मू और कश्मीर	2		7529	7929	95(6)	122(6)	120(6)		1.20	1.54	1.51	0.00
कर्नाटक	2	6919	90361	97280	27861	7710	34460	933	28.64	7.93	35.42	0.96
केरल	2		40150	40150	14590	956	18094	733	36.34	2.38	45.07	1.83
मध्य प्रदेश	1	799	85645	86444	19496	21182	17542	201	22.55	24.50	20.29	0.23
महाराष्ट्र	2	4784	123334	128118	27258	16087	46390	91	21.28	12.56	36.21	0.07
मणिपुर	2		4029	4029	116	2902	1388	11	2.88	72.03	34.25	0.27
मेघालय	2		4120	4120	7	4113	1743		0.17	99.83	42.31	0.00
मिजोरम	2		1360	1360		1360	470		0.00	100.00	34.56	0.00
नागालैण्ड	12	79	2836	2915		1997	1101	80	0.00	68.51	37.77	2.74
उड़ीसा	2	200	61035	61235	15034	16581	19999	47	24.55	27.08	32.66	0.08
पंजाब	2		6781	6781	3466		2567	107	51.11	0.00	37.86	1.58
राजस्थान	2		53010	53010	15462	11149	19845	27	29.17	21.03	37.44	0.05
सिक्किम	2	75	1408	1483	87	637	373		5.57	42.95	25.15	0.00
तमिलनाडु	2		193883	103883	43972	1656	44278	1346	47.33	1.59	42.62	1.30
त्रिपुरा	2		4996	4996	667	1890	1459	6	13.35	37.83	29.20	0.12
उत्तर प्रदेश	2	275	313508	313783	153065	2892	120452	719	51.97	0.92	38.39	0.23
पश्चिम बंगाल	2	17	82960	82077	26005	4838	31707	536	31.68	5.89	38.63	0.65
अं. और नि. द्वीप समूह	2	40	236	276		1	79		0.00	0.36	28.62	0.00
दा. और न. हवेली	2		41	41	3	38	9		7.32	92.68	21.95	0.00
दमन और दीव	12	18	160	173	33	51	74		18.54	28.65	41.57	0.00
लक्षद्वीप	2	2	26	30		30	11		0.00	100.00	36.67	0.00
पांडिचेरी	2		1112	1112	350	2	649	8	31.47	0.18	58.36	0.72
अखिल भारत		17733	1388177	1413976	475359	158592	474846	6446	33.62	11.22	33.58	0.46

नोटः कोष्ट में दिए गए आंकड़े प्रगति रिपोर्ट के महीने सूचित करते हैं।

विवरण-III

वर्ष 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत ए.सी.एच	क्षेत्रीय उपलब्धि					
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.+ अ.ज.जा	अन्य	भूमि-हीन	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	373.67	184.85	49.47	83.17	27.71	110.88	73.47	163.76	64.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	02	4.42	1.76	39.82	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	0.39
3.	असम	02	98.77	67.58	68.62	12.96	18.89	31.85	35.73	21.64	9.57
4.	बिहार	01	689.25	334.71	72.50	146.19	70.80	216.99	137.72	232.03	91.67
5.	गोवा	02	4.39	4.95	112.76	0.06	0.00	0.06	4.89	0.00	0.92
6.	गुजरात	02	109.16	87.68	80.36	11.28	38.38	49.66	38.02	28.19	34.58
7.	हरियाणा	02	15.73	10.58	67.26	6.46	0.00	6.46	4.12	10.35	1.99
8.	हिमाचल प्रदेश	12	7.63	7.38	96.72	3.28	1.22	4.50	2.48	0.00	0.38
9.	जम्मू और कश्मीर	02	47.27	23.20	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	02	255.74	178.74	69.89	49.18	18.15	67.33	111.41	72.40	50.03
11.	केरल	02	59.73	37.92	63.49	11.50	2.45	14.03	23.89	3.07	12.46
12.	मध्य प्रदेश	12	444.97	217.21	48.81	56.46	80.35	136.79	80.42	80.21	71.40
13.	महाराष्ट्र	02	489.32	300.39	64.01	80.89	59.55	140.44	159.95	112.75	100.98
14.	मणिपुर	12	3.20	3.00	93.75	0.07	2.21	2.28	0.72	0.19	0.74
15.	मेघालय	12	4.35	5.06	116.32	0.00	5.06	5.06	0.00	0.53	1.52
16.	मिजोरम	02	2.29	1.89	82.53	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.55
17.	नागालैण्ड	12	6.54	4.18	63.91	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00	2.35
18.	उड़ीसा	02	321.32	258.84	80.56	79.19	96.60	173.79	85.05	62.79	86.74
19.	पंजाब	02	15.62	1.89	12.10	1.44	0.00	1.44	0.45	1.89	0.00
20.	राजस्थान	02	161.92	125.66	77.13	48.43	33.24	81.67	43.99	23.20	35.90
21.	सिक्किम	02	1.49	2.57	172.48	0.50	1.00	1.50	1.07	0.23	0.76
22.	तमिलनाडु	02	406.90	352.64	86.67	179.82	11.20	191.02	161.62	267.74	130.70
23.	त्रिपुरा	12	6.35	14.85	233.86	3.46	7.66	11.12	3.73	2.68	4.45
24.	उत्तर प्रदेश	02	603.21	550.82	91.31	286.48	5.00	291.48	259.36	149.16	143.81
25.	पश्चिम बंगाल	12	221.86	125.83	56.72	48.75	17.41	66.16	54.67	77.45	33.69
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	02	1.25	0.50	40.00	0.00	0.36	0.36	0.14	0.05	0.04
27.	दादर व न. हवेली	02	0.65	0.67	103.08	Neg	0.67	0.67	Neg	0.00	0.42
28.	दमन और दीव	11	0.85	0.27	31.76	0.02	0.16	0.18	0.09	0.10	0.13
29.	लक्षदीप	01	0.80	0.57	71.25	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.19
30.	पांडिचेरी	02	1.74	2.20	126.44	1.00	0.00	1.00	1.20	2.20	1.46
	कुल		4141.37	2928.39	70.71	1110.65	504.47	1613.23	1290.07	1312.42	882.56

+जम्मू और कश्मीर के लिए अ.ज./अ.ज.जा. ब्यौरे सूचित नहीं किए गए हैं।

विवरण-IV

वर्ष 1996-97 के दौरान रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस) के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

(लाख श्रम दिवस)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	सृजित श्रम दिवस				महिला	भूमिहीन	कार्य की संख्या	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल			पूरा किया गया	प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	73.81	24.57	65.70	164.08	57.43	147.65	31585	56517
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	0.00	20.72	0.00	20.72	7.20	0.00	523	862
3.	असम	2	16.22	26.90	46.80	89.92	11.95	39.72	1769	3174
3.	बिहार	2	89.75	63.78	102.93	256.46	75.81	145.56	8478	12240
4.	गोवा		एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5.	गुजरात	2	16.63	34.62	53.48	104.73	35.21	37.74	2226	4300
6.	हरियाणा	2	12.92	0.00	6.26	19.18	4.46	18.48	734	870
7.	हिमाचल प्रदेश	12	2.41	1.61	2.33	6.35	0.72	0.00	847	979
8.	जम्मू और कश्मीर	2	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	62.28	एन.आर.	एन.आर.	7472	8268
9.	कर्नाटक	2	56.15	26.02	149.29	231.47	65.54	100.33	14792	13493
10.	केरल	2	5.23	3.44	9.33	18.02	7.13	1.30	585	655
11.	मध्य प्रदेश	11	39.99	83.44	66.14	189.57	65.68	54.92	7169	10811
12.	महाराष्ट्र	2	57.73	46.31	107.27	211.31	65.39	12.15	9412	13485
13.	मणिपुर	12	0.00	9.96	0.00	9.96	2.78	0.00	764	927
14.	मेघालय	1	0.00	3.40	0.00	3.40	0.74	0.45	201	354
15.	मिजोरम	2	0.00	20.62	0.00	20.62	6.55	0.00	895	250
16.	नागालैण्ड	12	0.00	30.74	0.00	30.74	6.91	0.00	105	118
17.	उड़ीसा	2	98.75	126.46	105.04	329.75	86.19	104.75	12886	16407
18.	पंजाब		एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
19.	राजस्थान	2	55.73	43.58	70.52	169.83	64.67	55.23	4770	6209
20.	सिक्किम	1	0.75	0.97	0.71	2.43	0.72	0.18	206	98
21.	तमिलनाडु	2	114.20	15.25	128.70	258.15	91.11	215.69	11691	12583
22.	त्रिपुरा	1	12.49	21.54	0.40	32.51	12.75	4.84	750	500
23.	उत्तर प्रदेश	2	109.98	2.92	114.66	227.56	54.06	45.96	11036	14154
24.	पश्चिम बंगाल	12	45.81	22.55	47.70	116.06	33.04	75.76	7550	1607
25.	अ.और नि. द्वीपसमूह	2	0.00	0.19	0.07	0.26	0.02	0.02	7	18
26.	दा.एंड नगर हवेली	1	0.00	0.38	0.00	0.38	0.18	0.09	4	8
27.	दमन और द्वीव	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
28.	लक्षदीप	1	0.00	1.30	0.00	1.30	0.34	0.00	0	18
29.	पांडिचेरी		एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	अखिल भारत		808.06	631.27	1085.43	2587.04	756.56	1118.33	136407.00	172905.00

एन.आर. - सूचित नहीं

न्यूनतम सामान्य आवश्यकता कार्यक्रम

5990. **श्री सुरेश प्रभुः** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के दौरान आरंभ किए गए न्यूनतम सामान्य आवश्यकता कार्यक्रम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन/ पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई धनराशि का कुछ राज्यों द्वारा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम के ध्यानपूर्वक पुनरीक्षण से कुछ राज्यों में कुछ कमियों/त्रुटियों का पता चला है और इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए राज्य वार लक्ष्यों के साथ-साथ बेहतर कार्य निष्पादन और धनराशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) से (घ) जी, हां। बुनियादी न्यूनतम सेवा (बी एम एस) कार्यक्रम अगस्त, 1996-97 में शुरू किया गया था। इसके राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

बी एम एस के लिए आवंटित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को नवम्बर, 96 से शुरू करते हुए वर्ष 1996-97 के उत्तरार्द्ध के दौरान चार समान किश्तों में जारी किया गया था और अंतिम किश्त मार्च, 1997 में ही जारी की जा रही थी। केवल आठ राज्य सरकारों ने बी एम एस हेतु स्वीकृत निधियों के पूर्ण उपयोग को सूचित किया है जबकि अन्य राज्यों ने समय की कमी का उल्लेख किया है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा से पता चलता है कि कुछ राज्यों ने बी एम एस के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर कम राशि मुहैया करायी है यद्यपि उन्होंने सूचित किया है कि उन्हें जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त प्रावधान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भौतिक लक्ष्यों एवं एक संयुक्त मानिटरिंग प्रणाली का निर्धारण निहित है। वर्ष 1997-98 के लिए, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन का पहला पूर्ण वर्ष है, ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

गंगा सफाई योजना

5991. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में गंगा सफाई योजना के अंतर्गत नदी प्रदूषण में कितनी कमी आई है और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है तथा इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उत्तर प्रदेश में यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण कितना कम हुआ है और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) सरकार का विचार गंगा और इसकी सहायक नदियों को कब तक प्रदूषण से मुक्त करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) गंगा कार्य योजना चरण (I) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में 199.95 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत की गई प्रदूषण निवारण की 106 स्कीमों में से 104 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक 184.88 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। पूरी हो चुकी स्कीमों के परिणामस्वरूप नदी की जलगुणवत्ता में सुधार हुआ है।

(ख) गंगा कार्य योजना चरण (II) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा की दो सहायक नदियों यमुना और गोमती के प्रदूषण निवारण कार्य शुरू किए गए हैं। यमुना नदी के किनारे 8 शहरों और गोमती नदी के किनारे 3 शहरों में कार्यों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह दोनों नदी कार्य योजनाएं केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लागत में बराबर की हिस्सेदारी से कार्यान्वित की जा रही है। यमुना के लिए 99.48 करोड़ रुपये और गोमती के लिए 12.89 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाएं अभी तक स्वीकृत की गई हैं। इन स्कीमों के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक यमुना के लिए 31.26 करोड़ रुपये और गोमती के लिए 5.40 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

(ग) गंगा की सहायक नदियों यमुना और गोमती तथा दूसरे चरण के कार्यों सहित गंगा नदी के प्रदूषण निवारण कार्यों का मार्च, 1999 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

वन्य जीव बोर्ड की बैठक

5992. **डा० सी० सिल्वेराः**
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसीः

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 13 वर्षों के अन्तराल के बाद हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक आयोजित की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और गत 13 वर्षों के दौरान इसकी बैठक नहीं बुलाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस बैठक से मिजोरम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों को किस तरह से लाभ मिलेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बाघों के संरक्षण करने में भारत की विफलता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय भर्त्सना का मुद्दा बैठक में भी उठाया गया था; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ बैठक में क्या एहतियाती कदम सुझाये गये ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) 13.3.97 को भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की पिछली बैठक 17.6.1988 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान बाघ संकट, नौवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय परिव्यय में हुई वृद्धि, सुरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना रद्द करने, वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और उनके अवैध व्यापार के नियंत्रण से संबंधित विषयों पर परिचर्चा हुई। इसके पिछले सदस्यों को नामित करने के लिए अंतिम रूप देने के साथ-साथ शासकीय स्तर पर हुए परिवर्तन के विलम्ब के कारण पिछले 9 वर्षों के दौरान इसकी बैठक नहीं हो सकी।

(ग) और (घ) जी, हां, भारतीय वन्यजीव बोर्ड देश में वन्यजीव मामलों पर सर्वोच्च परामर्शक निकाय है और यह पूरे देश जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी आते हैं के वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के बारे में सलाह देता है।

(ङ) जी, हां।

(च) यह सुझाव दिया गया था कि प्रधान मंत्री को वन्यजीव संरक्षण के विषय पर राष्ट्र को सम्बोधित करने का अनुरोध किया जाएगा और वह मुख्यमंत्रियों को वन्यजीव के उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करने और राज्य योजना में अधिक बजट मुहैया करने के लिए लिखेंगे।

उर्वरकों का उत्पादन

5993. श्री शिवराज सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान नाइट्रोजनयुक्त/फास्फेटयुक्त उर्वरकों के उत्पादन की मात्रा क्या है;

(ख) क्या इन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) गत चार वर्षों के दौरान नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन नीचे दिया गया है:

(000 मी॰ टन)

वर्ष	उत्पादन	
	नाइट्रोजन	फास्फेट
1993-94	7231.2	1815.9
1994-95	7945.5	2492.9
1995-96	8777.0	2558.0
1996-97	8599.4	2555.9

(ख) जी, नहीं। उत्पादन और मांग के बीच के अन्तर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ग) स्वदेशी उर्वरक उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए एक समुचित नीति योजना का निर्धारण किया गया है। इस योजना के मुख्य तल निम्नानुसार है:-

(1) घरेलू यूरिया उद्योग को प्रतिधारण मूल्य-व-राजसहायता योजना के माध्यम से सहायता दी जाती है।

(2) उर्वरक उद्योग को फीड स्टाक, ईंधन और रेल परिवहन के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए सहायता दी जाती है।

(3) उर्वरक संयंत्रों में फीड स्टाक तथा ईंधन के रूप में उपयोग किए जा रहे तरल पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रियायती मूल्य पर की जाती है।

(4) सरकार की उदारीकरण नीति के एक अंग के रूप में अब उर्वरक संयंत्र सीमित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(5) उर्वरक क्षेत्र में निवेश को अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक उद्योग के लिए पूंजीगत माल की आपूर्तियों पर आयात शुल्क में छूट और सम निर्यात लाभों में रियायत, उर्वरक संयंत्रों द्वारा लिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज दर में रियायत के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(6) स्वदेशी डी ए पी पर विशेष रियायत की दर को दिनांक 1.4.97 से 3000 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। कम्पलैक्स उर्वरकों पर रियायत में फास्फेट और पोटाश घटकों के अनुपात में वृद्धि की गई है। एस एस पी के संबंध में विशेष रियायत की दर को 340 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।

उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों ने निम्नलिखित रणनीति अपनायी है :-

(1) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रिट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(2) नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाकर तथा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन संयंत्रों और परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीडस्टाक सुविधाएं स्थापित करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाना।

(3) प्रचुर तथा सस्ती कच्ची सामग्री स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों को बजटीय सहायता भी दी गई है ताकि वे अपना उत्पादन जारी रख सकें।

लगभग 5764.73 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी लागत की अनेक उर्वरक परियोजनाएं देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। जब इनका आरम्भण हो जाएगा तो इनसे 23.32 लाख मी॰ टन प्रतिवर्ष यूरिया और 7.81 लाख मी॰ टन कम्पलैक्स उर्वरकों का अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की आशा है। इसके अलावा, सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र के प्रवर्तकों द्वारा उर्वरक उत्पादन हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक निवेश पहल की गई है।

भारतीय उत्प्रवासियों को मतदान का अधिकार

5994. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत सत्र के दौरान सदन में किए गए वायदे के अनुसार भारतीय उत्प्रवासियों को मतदान का अधिकार दिए जाने के प्रश्न का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समिति को कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) दोहरी नागरिकता के प्रश्न की जांच करने के लिए, अन्य के साथ-साथ गृह, विदेश, वित्त, मानव संसाधन विकास, श्रम, विधि, शहरी मामले और रोजगार तथा वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को लेकर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। संबंधित मंत्रालयों से अपने-अपने प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया गया है। समिति गठित करने संबंधी औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

ख्वाजा मोइनउद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रबंधन हेतु अधिनियम

5995. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइउनद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रबंधन हेतु कोई अधिनियम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक किस तारीख को पारित किया गया था तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इसमें संशोधन किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। यह अधिनियम दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 के नाम से जाना जाता है।

(ख) यह अधिनियम 14.10.1995 को पारित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, जिसे सामान्यतः दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर के नाम से जाना जाता है, का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति नामक एक समिति में निहित होगा जो एक निगमित निकाय होगा और इसका सतत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगा और यह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा इस पर इसके अध्यक्ष के नाम से वाद चलाया जाएगा। दरगाह समिति मुस्लिम कानूनों को और चिस्ती संतों के मतों को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्त्तव्यों का पालन करेगी। इस समिति के पांच से कम और नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, सभी हनाफी मुस्लिमों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। दरगाह समिति का कार्यकाल पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा।

(2) दरगाह समिति अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में यह समिति दरगाह के प्रबन्धन के लिए दोषी हो या अपने कार्यों को समुचित रूप से नहीं निष्पादित करें तो केन्द्रीय सरकार इस समिति का अधिग्रमण कर सकती है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नई समिति गठित होने तक किसी व्यक्ति को उक्त समिति के पूरे अधिकार प्रदान कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार दरगाह समिति के परामर्श से एक निजाम की नियुक्ति कर सकेगी जो कि दरगाह समिति का पदेन सचिव होगा। निजाम के वेतन और भत्ते दरगाह के राजस्व से केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित दरों पर अदा किये जायेंगे।

(5) दरगाह समिति अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और नियंत्रण तथा दरगाह इन्डोमेन्ट के प्रबन्धन का कार्य निजाम के माध्यम से करेगी।

(6) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निजाम को सलाह के लिए उसके कार्यों को करने के लिए एक सलाहकार समिति होगी जो हनाफी मुस्लिम अधिनियम के तहत होगी, जिसके सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी जो कि राजस्थान के निवासियों या किसी अन्य पड़ौसी राज्यों से होगी, जो कि मुख्य आयुक्त के परामर्श से (अब राजस्थान सरकार) की जायेगी।

(7) सज्जदानशीन को पारितोषिक दरगाह के राजस्व से प्रदान किया जायेगा।

(8) ''नजारो'' को मांगने या दरगाह की ओर से मन्नत मांगने को भी निजाम द्वारा या उससे प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

(9) यदि एक ओर समिति और सज्जादनशीन, कोई खादिम या किसी व्यक्ति के बीच विवाद उत्पन्न होता हो जो किसी एक अथवा उनसे अधिक वंशानुगत अधिकार के अंतर्गत दरगाह का नौकर होने का दावा करता हो और दूसरी ओर दरगाह समिति की राय में इस प्रकार का विवाद धार्मिक परम्पराओं अथवा रीति-रिवाजों अथवा किसी धार्मिक संस्था के कार्य निष्पादन से संबंधित नहीं हो, तो यह विवाद किसी पक्ष के अनुरोध पर निर्णायक मंडल को भेज दिया जाएगा; इस निर्णायक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(1) दरगाह समिति का नामित;

(2) विवाद में दूसरी पार्टी का नामित; और

(3) कोई व्यक्ति किसी पद पर रहा हो, या कार्यरत हो या जिला जज के रूप में कार्य कर रहा हो या कार्य किया हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और किसी कोर्ट में उस पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। निर्णायक मंडल को भेजे जाने के लिए अपेक्षित किसी मामले से संबंधित कोई भी वाद किसी न्यायालय में नहीं रहेगा।

(ग) हां, महोदय।

(घ) निम्नलिखित संशोधन सुझाये गए हैं:-

(1) दरगाह समिति के लिए कम से कम दो सदस्य खादिम समुदाय से होंगे।

(2) दरगाह समिति में राजस्थान राज्य से प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए क्योंकि वे मुस्लिम धर्म स्थान में कानून और व्यवस्था आदि को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

(3) ''नजर'' के अंतर्गत शामिल विभिन्न मदों को विनिर्दिष्ट करने के लिए दरगाह इन्डोमेंट की परिभाषा में संशोधन।

(4) राजस्थान सरकार के स्थान पर दरगाह समिति से परामर्श आवश्यक बनाने के लिए नाजिम की सलाहकार समिति के गठन संबंधी धारा 10 में संशोधन।

(ङ) सरकार ने दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 में संशोधन करने संबंधी अपने दृष्टिकोण को प्रतिपादित नहीं किया है।

दलितों पर न्यायेतर अत्याचार

5996. श्री माधव राव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दलितों, महिलाओं तथा बच्चों पर हुए न्यायेतर अत्याचार की संख्या कितनी है; और

(ख) पुलिस/ग्राम पंचायत द्वारा बेसहारा बच्चों पर अपराध स्वीकार करने हेतु किए गए अत्याचारों सहित ऐसे न्यायेतर अत्याचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) ''न्यायेतर अत्याचार'' के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बच्चों के प्रति वर्ष 1994 से 1996 के दौरान हुए अपराधों की घटनाएं इस प्रकार रही।

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलाएं	बच्चे
1994	33908	5019	98948	5813
1995	32996	5498	105413	5751
1996	30356	4713	105459 (अनन्तिम)	5045

चूँकि ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'', राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार स्वतः ही समय-समय पर, राज्य सरकारों को कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों की रोकथाम के मामले में अति सतर्क रहने और उनके खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पहले से लागू विशिष्ट कानूनों और विधायी उपबंधों को प्रभावी रूप से उपयोग में लाने के लिए लिखती रही है।

गन्ना तथा ज्वार अनुसंधान केन्द्र को सहायता

5997. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गन्ना तथा ज्वार अनुसंधान केन्द्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त केन्द्रों में अनुसंधान कार्य में रूकावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन केन्द्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गन्ना व मोटे अनाजों से संबंधित अखिल भारतीय समेकित अनुसंधान प्रायोजना के तहत मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई केन्द्र नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

जाली पासपोर्ट

5998. श्री पंकज चौधरी:
श्रीमती केतकी देवी सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति जाली पासपोर्ट पर यात्रा करते हुये पाये गये;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) जाली पासपोर्ट पर यात्रा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मार्कण्डेय परियोजना

5999. श्री शिवानन्द एच॰ कौजलगी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्कण्डेय परियोजना मंजूरी के लिये लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) कर्नाटक में मार्कन्डेय जलाशय परियोजना की स्थल निकासी के लिए जुलाई, 1996 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परियोजना प्राधिकरणों से अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के सम्बंध में पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

सुपर बाजार के कर्मचारियों के प्रति बकाया धनराशि

6000. श्री जय प्रकाश (हरदोई): क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनराशि की कमी के कारण सुपर बाजार के कर्मचारियों के नाम पर कई लाख रुपए बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति बद से बदतर हो रही है फिर भी उसको सुधारने हेतु बकाया धनराशि को वसूल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सुपर बाजार के कर्मचारियों के प्रति बकाया धनराशि को वसूल किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कमी के कारण सुपर बाजार के कर्मचारियों से 1.4.1997 की स्थिति के दौरान 9.97 लाख रु0 वसूल किए जाने हैं। तथापि, वर्ष 1996-97 के दौरान 9.97 लाख रु0 वसूल किए गए।

(ग) और (घ) सुपर बाजार द्वारा कमी की राशि संबंधित कर्मचारियों से नियमित रूप से मासिक किस्तों में वसूल की जा रही है।

पारिस्थितिकीय सतत विकास

6001. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री पी॰आर॰ दासमुंशी:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर सरकार पैनल ने अपनी वर्तमान रिपोर्ट में यह कहा है कि भूमण्डलीय ऊष्णता से पृथ्वी के वातावरण में वैसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जैसे कि पिछले 10,000 वर्षों में भी नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च में बर्लिन जनादेश पर तदर्थ ग्रुप की बैठक में सरकार का सभी औद्योगिक राष्ट्रों से अपने भूमंडलीय ऊष्णता गैस के उत्सर्जन को वर्ष 2005 तक 1990 के स्तर से 20 प्रतिशत कम करने के लिए दवाब डालने का विचार है जैसा कि छोटे द्वीप देशों के संगठन ने प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो देश में गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि 1992 के फेमवर्क कनवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार यह भूमंडलीय ऊष्णता बढ़ाता है;

(घ) क्या सरकार विकासशील देशों में परिस्थितिकीय सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्वव्यापी राजस्व स्रोतों के प्रस्तावों का भी समर्थन करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) 1994 में प्रकाशित जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पेनल रिपोर्ट में माडल परिणामों पर आधारित संभावित जलवायु परिवर्तन जिसमें उत्सर्जनों के भावी परिदृश्यों की कल्पना की गई हैं, का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर गर्मी की औसत दर में संभवतया वृद्धि होगी जैसा कि पिछले 10,000 वर्षों का अनुभव बताता है। इसमें आगे बताया गया है कि क्षेत्रीय तापमान परिवर्तनों में इस विश्वमान से काफी भिन्नता हो सकती है। जिन परिदृश्यों पर विचार किया गया उनमें मानव जनित उत्सर्जनों के बारे में केवल देखने में विश्वसनीय भावी स्थिति दिखाई गई है। जलवायु परिवर्तन की

भविष्यवाणी करने के लिए प्रयुक्त माडलों की निहित सीमाएं हैं तथा तदनुसार संभावित तापमान परिवर्तन अनुमानों में कई अनिश्चितताएं हैं।

(ख) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्वावधान में स्थापित बर्लिन जनादेश पर तदर्थ दल, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने के लिए विकसित देशों की समितियों को सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। विश्वव्यापी जी एच जी- उत्सर्जनों को कम करने के लिए अपेक्षित नीतियों और उपायों के संदर्भ में विभिन्न उपायों पर इस दल में बातचीत चल रही है।

(ग) यू एन-एफ सी सी सी के उपबंधों के अनुसरण में विकासशील देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) को ग्रीन हाउस गैस में भी कमी करने के लक्ष्य को अपनाना अपेक्षित नहीं है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विश्वव्यापी जी एस जी उत्सर्जनों में भारत का विगत और वर्तमान योगदान अधिक नहीं है। उपरोक्त के होते हुए भी यू एन-एफ सी सी सी और संबंधित पर्यावरणीय मामलों के कार्यान्वयन की दिशा में विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए भारत का दृष्टिकोण नीति घोषणाओं, नामतः ''राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास पर नीति विवरण (1992)'' में और ''प्रदूषण के उपशमन पर नीति विवरण (1992)'' में वर्णित किया गया है। इसके अलावा 1988 में वन (संरक्षण) अधिनियम,1980, वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1982 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 जैसे अन्य विभिन्न अधिनियमों का जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1988 में पर्यावरणीय सुरक्षा को विनियमित करने के लिए पर्याप्त कठोर उपायों की व्यवस्था है तथा सरकार को विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सांविधिक नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को सांविधिक बनाया गया है और तटीय विनियम क्षेत्र के प्रबंधन के लिए तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना (1991) भी मौजूद है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की पूर्व वचनबद्धताओं का पालन न होने पर चिंता है और पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जोर दिया गया कि पारिस्थितिकीय रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की जाए। पर्यावरण से संबंधित विभिन्नि संयुक्त राष्ट्र मंचों में भारत विभिन्न विद्यमान कन्वेशनों, प्रोटोकोल तथा करारों के उपबंधों के अनुसार विकासशील देशों को नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की मांग करता आ रहा है।

विद्यार्थियों को मादक पदार्थों की बिक्री

6002. श्री परसराम भारद्वाजः
श्री माणिकराव होडल्या गावीतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1997 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' के ''एलर्ट ऑन कैन्डीज लेस्ड विद ड्रग्स एण्ड एलार्म ओवर कार्टून बुक्स'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे बदनाम मिठाई निर्माताओं और कार्टून पुस्तकों के प्रकाशकों को गिरफ्तार करने के लिये क्या कदम उठये गये हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों की संख्या

6003. श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में आज की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन, भत्तों इत्यादि पर खर्च की जाने वाली राशि में पिछले तीन वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1995-96 के दौरान पृथक रूप से प्रत्येक मद पर व्यय की जा रही राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 31.12.1996 को स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार हैः

श्रेणी -	I	-	687
श्रेणी -	II	-	4054
श्रेणी -	III	-	36852
श्रेणी -	IV	-	21943
जोड़ :		-	63536

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

करोड़ रूपये में

	1993-94	1994-95	1995-96
निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और भत्ते	511.86	595.09	788.01
अन्य प्रशासनिक ऊपरिव्यय	64.17	66.81	75.01
जोड़ :	576.03	661.90	863.02

मछुआरों के लिए जीवन रक्षक उपस्कर

6004. श्री येल्लैया नंदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री तुफानों के दौरान भारतीय मछुआरों के जीवन रक्षक उपस्करों के रूप में अत्याधुनिक उपकरणों को प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के वित्तपोषण हेतु रोम स्थित एक संगठन को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो मछुआरों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न जीवन रक्षक उपस्करों सहित इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में निवेश की जा रही विदेशी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत ''समुद्री सुरक्षा विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम'' नामक एक परियोजना, जिसका परिव्यय 316000 अमरीकी डालर है, आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कार्यान्वयन हेतु मंजूर की गयी है। इस पाइलट परियोजना में चुनिन्दा लाभानुभोगियों के लिए मत्स्यन नौकाओं में तट से नौका तक संचार प्रणाली के लिए ट्रान्सीवर लगाने, सुरक्षा उपकरणों, आऊट बोर्ड मोटर तथा जीवन रक्षक उपायों जैसे लाइफ जैकेटों तथा लाईफ बाँयों का प्रावधान है।

वृक्षों को काटना

6005. श्री तारीक अनवर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने जनजातीय व्यक्तियों द्वारा कृषि योग्य भूमि से वृक्षों की कटाई को नियमित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारी आंदोलन

6006. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी समस्याएं दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के अराजपत्रित कर्मचारी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अपनी दिनांक 4 जनवरी, 1996 की अधिसूचना के तहत मुख्य लिपिकों/प्रभारी सहायकों के पदों पर भर्ती के नियमों में इन पदों का 75 प्रतिशत हायर ग्रेड क्लर्कों में से प्रोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान था। कर्मचारी एसोसिएशन ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता बैंच में भी एक आवेदन पत्र दाखिल किया है और इसलिए मामला अब न्यायनिर्णयाधीन है। अण्डमान और निकोबार प्रशासन, परस्पर स्वीकार्य समाधान की तलाश में कर्मचारी एसोसिएशन के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

6007. श्री के॰एस॰ रायुडु : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगमों की संख्या कितनी है और ये किन-किन राज्यों में हैं;

(ख) इन निगमों की धनराशि और उनके कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने निगम समुचित रूप से कार्यरत हैं और इनमें से कितने निगम संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) निम्नलिखित राज्यों में स्थापित 10 राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम हैं :-

क्र.सं.	राज्य का नाम
1.	उत्तर प्रदेश
2.	बिहार
3.	आन्ध्र प्रदेश
4.	कर्नाटक
5.	पश्चिम बंगाल
6.	हिमाचल प्रदेश
7.	तमिलनाडु*
8.	मध्य प्रदेश*
9.	असम (स्थापना की जा रही है)
10.	त्रिपुरा (स्थापना की जा रही है)

* इन राज्यों की राज्य माध्यम एजेंसियां, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा त्रिपुरा सहकारी विकास निगम लिमिटेड नियमित किए जाने की प्रक्रिया में हैं। बिहार अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम ने अभी तक एन.एम.डी.एफ.सी. की वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है। उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश राज्यों के राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने उचित रूप से कार्य किया है।

राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की निधियां तथा उनके कार्यक्रमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(रु0 करोड़ में)

क्र.सं.	माध्यम एजेंसी का नाम	निधियां	कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	14.225	1. एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाओं का कार्यान्वयन 2. उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाएं अर्थात् सीमान्त राशि ऋण प्रशिक्षण से संबंधित शिक्षा, तथा व्यवसाय मुक्त ऋण जनशक्ति निर्यात योजना आदि।
2.	बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं	2.055	1. एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं।
3.	आंध्र प्रदेश राज्य के अल्पसंख्यक	10.000	1. एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यकों के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं।
4.	कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक विकास निगम	10.000	1. एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. कर्नाटक के अल्पसंख्यकों के लिए रियायती क्रेडिट और प्रशिक्षण योजनाएं।
5.	पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि0	2.840	1. एन.एम.डी.एफ.सी. की योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. पं0 बंगाल के अल्पसंख्यकों के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं।
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	0.250	1. एन.एम.डी.एफ.सी. योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. स्वरोजगार योजनाओं के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं, अर्थात् बागवानी खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध एकक, मधुमक्खी पालन, फलोरिकलचर आदि।
7.	तमिलनाडु पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम	2.315	1. एन.एम.डी.एफ.सी. योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. तमिलनाडु की पिछडे वर्गों के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं।
8.	मध्य प्रदेश पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	0.430	1. एन.एम.डी.एफ.सी. योजनाओं का कार्यान्वयन। 2. मध्य प्रदेश के पिछडे वर्गों के लिए रियायती क्रेडिट योजनाएं।
9.	असम अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम		स्थापना की जा रही है।
10.	त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम लिमिटेड		स्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तराखंड का विकास

6008. श्री देवी बक्स सिंहः
श्री सोहन वीरः

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शीर्षवार कितनी अनुदान राशि जारी की गई;

(ख) क्या सरकार को उक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए पृथक रूप से कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उत्तराखंड के विकास के लिए इतनी राशि पर्याप्त होगी; और

(छ) यदि हां तो अधिक धनराशि के आवंटन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : (क) उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज की गई विशेष केन्द्रीय सहायता (जिसमें से 90 प्रतिशत अनुदान है) की धनराशि क्रमशः 182.01 करोड़ रुपये, 197.06 करोड़ रु0, 197.06 करोड़ रु0, 225.00 करोड़ रु0 और 225.00 करोड़ रु0 थी।

(ख) और (ग) उक्त धनराशि के उपयोग के बारे में राज्य सरकार से पुष्टि प्राप्त हो चुकी है।

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1997-98 के लिए योजना आयोग द्वारा 225.00 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(च) और (छ) उपर्युक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के अलावा उत्तराखंड के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की कमी

6009. श्री राम सागरः
श्री जंगबहादुर सिंह पटेलः
श्री चन्द्र भूषण सिंहः

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के किसान राज्य में चीनी मिलों को अपना गन्ना उधार देने की अपेक्षा हरियाणा स्थित खांडसारी एककों और चीनी मिलों को नकदी पर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी मौसम में चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू 1996-97 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, 7 अप्रैल, 1997 तक, उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन पिछले मौसम के दौरान इसी तारीख को 32.64 लाख टन के प्रति 32.78 लाख टन था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय पुनर्वास परिषद विनियम, 1997

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय मैं भारतीय पुनर्वास परिषद् विनियम, 1997 जो भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 संख्या 5-62/93 आर.सी.आई. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1984/97]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1997, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): महोदय, मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँः-

(एक) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1996 जो दिनांक 9 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 485 में प्रकाशित हुए थे ताकि उनका शुद्धिपत्र जो दिनांक 22 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1997, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 238(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1982/97]

(3) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1983/97]

(5) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5)) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1984/97]

(7) केन्द्रीय भांडागार निगम और खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1985/97]

(8) बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) (तीसरा संशोधन) नियम, 1997 जो बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 9 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1986/97]

भारत के राजपत्र दिनांक 7.4.97 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का0 आ0 305 (अ) और भारत के राजपत्र दिनांक 26.3.97 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 243 (अ)

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँः

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 305(अ) जो 7 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 728(अ) में कतिपय संशोधन किए गए थे ताकि अधिसूचना में वर्णित प्रयोगशालाओं को सरकारी विश्लेषक की मान्यता दी जा सके की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1987/97]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 243(अ) जो 26 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एज़ोडाइस की उठाई-धराई और इन पदार्थों के बनाने अथवा पूरे देश में उनको ले जाने में प्रयुक्त आनुषंगिक प्रक्रिया पर प्रतिषेध लगाये गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1988/97]

गोवा मीट काम्प्लेक्स लिमिटेड पणजी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और गोवा मीट काम्पलेक्स, पणजी के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पणजी के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1989/97]

(3) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1990/97]

इंस्टिट्यूट आफ फिज़िक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे और प्रतिवेदन

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ फिज़िक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंस्टिट्यूट आफ फिज़िक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ फिज़िक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1991/97]

(3) (एक) टाटा मैमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मैमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1992/97]

(5) (एक) एटामिक एनर्जी ऐजुकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एटामिक एनर्जी ऐजुकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1993/97]

(7) (एक) मेहता रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ मेथमेटिक्स एंड मेथमेटिकल फिज़िक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेहता रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ मेथमेटिक्स एंड मेथमेटिकल फिज़िक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1994/97]

(9) (एक) इंस्टिट्यूट आफ मेथमेटिकल साइंसिज़, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ मेथमेटिकल साइंसिज़, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ मेथमेटिकल साइंसिज़, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10)उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1995/97]

(11)(एक) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट आफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12)उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1996/97]

(13) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1997/97]

(15) कम्पनी अधिनियम, 1995 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1998/97]

(ख) (एक) सी.एम.सी. लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सी.एम.सी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1999/97]

(17)(एक) श्री चित्रा तिरूनल इन्स्टीट्यूट फार मेडीकल साइन्सिज एण्ड टेक्नोलाजी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरूनल इन्स्टीट्यूट फार मेडीकल साइन्सिज एण्ड टेक्नोलाजी, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2000/97]

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय इलैक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2001/97]

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2002/97]

(तीन) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2003/97]

(चार) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2004/97]

राष्ट्रपति द्वारा किए गये विशेष अध्यादेश जिसके द्वारा नागालैण्ड के राज्यपाल को वर्ष 1996-97 के अतिरिक्त व्यय हेतु प्राधिकृत करना और दिनांक 4 मार्च, 1997 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1687 के उत्तर में शुद्धि करने वाला *विवरण*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) राष्ट्रपति द्वारा किए गए विशेष आदेश, जिसके द्वारा राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बने राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसची ii में 'दौरा व्यय' के अन्तर्गत नागालैण्ड

के राज्यपाल को वर्ष 1996-97 की अवधि के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु प्राधिकृत किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2005/97]

(2) (एक) प्रो0 अजित कुमार मेहता द्वारा बम विस्फोट के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1687 के दिनांक 4 मार्च, 1997 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2006/97]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

(तेरहवां प्रतिवेदन)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ।

अपराह्न 12.02 1/4 बजे

[अनुवाद]

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

(पहला प्रतिवेदन)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

3 मई, 1997 को बिहार बंद के दौरान हुई घटनाएं

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने 3 मई, 1997 को बिहार बंद के दौरान बिहार में हुई हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिन्ता प्रकट की है। बिहार के सांसद श्री आर. पी. सिंह रूडी, पर गोली चलाए जाने के बारे में भी उल्लेख किया गया ।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, ''चारा घोटाला'' मामले में बिहार के मुख्य मंत्री और 54 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल करने के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निर्णय के कारण, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए भा.ज.पा. और समता पार्टी द्वारा किए गए आह्वान पर 3.5.97 को बिहार में राज्यव्यापी बंद रखा गया था।

बंद के दौरान रेल यातायात में बाधा डाली गई जिसके परिणाम-स्वरूप अनेक स्थानीय/लम्बी दूरी की रेलगाड़ियाँ विलम्ब से चलीं। तथापि, अस्पताल, जल और विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद के दायरे से बाहर रखा गया था।

बंद के दौरान हिंसा की छिट-पुट घटनाएं हुई। बंद समर्थक और बंद विरोधी लोगों के बीच सामूहिक झड़पों की घटनाएं सारण, खगड़िया, पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास, जहानाबाद और मुँगेर सहित बड़े जिलों में घटीं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बंद के दौरान लगभग 11 बजे पूर्वाह्न एक ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री आर. पी. सिंह रूडी और उनके समर्थकों तथा दूसरी ओर जनता दल विधायक श्री राज कुमार राय और उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई जिसमें कुछ गोलियां चलाई गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई और स्थिति पर काबू पा लिया गया। किसी को चोट नहीं लगी।

बिहार सरकार ने आगे सूचित किया है कि श्री आर.पी.सिंह रूडी, सांसद के अंगरक्षक कांस्टेबल सुभाष ओझा की शिकायत पर भा.द. सं. की धारा 147/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत थाना सोनापुर में दिनांक 3.5.97 को एक मामला संख्या 117 दर्ज किया गया जिसमें उनके जुलूस पर स्थानीय विधायक के (स्टैनगन धारक) अंगरक्षक सहित 20 व्यक्तियों द्वारा शस्त्रों से हमला करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार श्री रूडी पर 16 बार गोलियां चलाई गई। इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ था।

जनता दल विधायक श्री राज कुमार राय की शिकायत पर उसी थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अधीन सर्वश्री त्रिलोकी सिंह, अवध सिंह, विमल सिंह, फेकन सिंह, बैया बाबू, केवल सिंह, पंकज सिंह, रणवीर सिंह, गोपाल सिंह और बलराम सिंह के खिलाफ एक अन्य मामला दर्ज किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भा. ज.पा. सांसद श्री आर.पी. सिंह रूडी के नेतृत्व में इन व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसके समर्थकों पर उस समय हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की थी जब लोग अपने दल के कार्यालय में बैठे हुए थे।

दोनों मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी है.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियमों के अनुसार मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के बाद आप नहीं बोल सकते।

.....(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ) : महोदय, वह अध्यक्ष द्वारा आश्वासन के बाद ही बोल रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह सदन में अध्यक्ष द्वारा दी गई वचनबद्धता है। उन्होंने मुझे अनुमति दी है।

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी): महोदय, गृह मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य कि गोली किसने चलाई स्पष्ट नहीं है।

सभापति महोदय : श्री रूडी, कृपया संक्षेप में बोलें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): सभापति महोदय, मैने नोटिस दिया है। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल चर्चा हो गई है। आप कल यहां नहीं थे।

....(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: महोदय, मैंने मुस्लिम लड़कियों के बलात्कार के बारे में नोटिस दिया है। *.....(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): किस नियम के तहत बोल रहे हैं? *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कल अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति दी थी।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री फातमी, कल जब श्री रूडी द्वारा मामला उठाया गया था उस समय आप सदन में थे।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। दोनों तरफ से केस हो गया है। एक आदमी अपनी बात रखेगा और दूसरे एम.एल.ए. यहाँ नहीं हैं। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट ग्रहण करें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, पहले आप बैठिए।

....(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : हमको परमिशन दी है, यह आप जानते हैं। *....(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : किस रूल में?

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, यह नियम पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय : हम बता रहे हैं, आप जरा मेहरबानी करके बैठ जाइए। हम आपको बताएंगे, नहीं बैठने से कैसे बताएंगे। पप्पूजी, आप बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर राय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, इस घटना के संदर्भ में आज जो आशा थी, जो उम्मीद थी *.....(व्यवधान)* इसका गृह मंत्री जी जवाब देंगे। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम (गुलबर्गा) : गृह मंत्री ने पहले ही अपना वक्तव्य दे दिया है। मैं पीठासीन अधिकारी से यह जानना चाहूंगा कि किस नियम के तहत स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। महोदय, कृपया नियमों का उल्लेख करें *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट ग्रहण करें।

श्री कमारूल इस्लाम : प्रक्रिया के अनुसार, जब कोई मंत्री अपना वक्तव्य दे देता है, तब माननीय सदस्य स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। अब पुनः माननीय सदस्य स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। महोदय, किस नियम के अन्तर्गत आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं?

सभापति महोदय : मैं आपको बताऊँगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री कमारूल इस्लाम : महोदय, कृपया नियम संख्या बताएं ताकि हम भी जब कभी मंत्री महोदय वक्तव्य दें तो इसका लाभ उठा सकें। हम इसे भविष्य के लिए पूर्वोदाहरण के तौर पर अपना सकते हैं। यह भविष्य के लिए स्पष्ट उदाहरण होगा।

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव और श्री पप्पू यादवजी कृपया अपने स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए, हम आपको बताएंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप बताइए।

सभापति महोदय : आप बताने का मौका कहाँ दे रहे हैं। आप शांत होकर बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कल नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, कल एक घटना घटी है। *.....(व्यवधान)* 14 आदमी मारे गए हैं। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम : यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है। इस तरह सभा में बार-बार प्रयास हो रहा है। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बताऊँगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : फातमी जी, आप बैठिए हम बताएंगे।

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम : महोदय, कृपया आप सभा को बताएं कि किस नियम के अन्तर्गत आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री फातमी, मैं आपको बताऊँगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मिश्र, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कल वे विशेषाधिकार का मामला उठाना चाहते थे। शायद आप भी उस समय यहाँ उपस्थित थे। उस समय अध्यक्ष महोदय ने कहा था, ''मैं वायदा करता हूँ कि मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद मैं आपको मौका दूंगा।''

श्री अन्नासाहिब एम.के.पाटिल (इरन्दोल) : अब यह अध्यक्ष महोदय के द्वारा किये गये वायदे का सवाल है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, स्पीकर के पास पावर है। स्टेटमेंट आ गई। यह दोतरफा केस है। यहाँ एक तरफ से बात रखी जाएगी तो दूसरी तरफ से बात यहां नहीं आ पाएगी। यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर है। माननीय सदस्य श्री रूडी कृपया बोलिए।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने केवल श्री रूडी को अनुमति दी है।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*.....(व्यवधान)**

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : आप उनका नाम क्यों नहीं लेते ?

सभापति महोदय : श्री फातमी, मैंने केवल श्री रूडी को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, इस सदन में कोइे लीडर ऑफ दी हाउस है जो सदन को चलाने में मदद करे ?

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

वह पीठासीन अधिकारी की मदद नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, के दिए गए वचन को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। सभा के नेता को पीठासीन अधिकारी की मदद करनी चाहिए। सभा के नेता कहाँ हैं? पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

आपको कुछ बोलना है तो बाद में बोलिए। अभी मत बोलिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री फातमी यंह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको बोलने के लिए बाद में बुलाया जाएगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप बैठिए।

[अनुवाद]

कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रूडी जी, आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, मैं बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। गृह मंत्री जी जब यहां जवाब दे रहे थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था।

सभापति महोदय : क्लैरिफिकेशन्स मत दीजिए। जो घटना घटी, वही आप बताइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, मैं पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था कि गृह मंत्री जी का वक्तव्य आए। मैं जानता हूँ कि गृह मंत्री जी की आत्मा बयान देते समय क्या कह रही थी और वह जो बयान पढ़ रहे थे, उसमें क्या था? इन्होंने उस प्रतिवेदन को दर्शाया है जो राज्य सरकार ने भेजा। गृह मंत्री जी संचयिका में भी गए हैं। उनके चेहरे से रूबरू दिखायी दे रहा था कि उनके पास.... *(व्यवधान)* महोदय, उनके भी अपने स्रोत हैं। वह देश चला रहे हैं। उनके पास जो प्रतिवेदन भेजा गया है, वह खुफिया एजेंसी ने भेजा है। मेरे पास उसका प्रमाण है।

सभापति महोदय : जो घटना घटी है, वह बताईये।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं चाहूँगा कि गृह मंत्री जी केवल मेरी बात को गलत साबित करके बताएं और इसके लिए मैं आपकी तरफ से किसी भी कार्यवाही के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँगा कि गृहमंत्री केवल मेरी बात को गलत साबित करके बताएं। इसके बाद मुझे इस सभा के समक्ष कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूँगा .....*(व्यवधान)* यह वास्तविक तथ्य है जो मैं सभा के समक्ष रखने जा रहा हूँ। मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल माननीय मंत्री महोदय से दस छोटे-छोटे प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। यदि वह ठीक समझें तो वह इनके उत्तर दे सकते हैं, इनके लिए उनका स्वागत है।

क्या यह सच नहीं है कि सोनपुर निर्वाचन क्षेत्र जहाँ यह घटना घटी, किसी समय बिहार के मुख्य मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र रहा है? क्या यह सच नहीं है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ अर्थात छपरा निर्वाचन क्षेत्र, दो बार बिहार के मुख्य मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र रहा है? क्या यह सच नहीं है कि उस संसदीय स्थान के अन्तर्गत सभी छः विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व जनता दल के विधायक कर रहे हैं? मैं उनसे एक बात और पूछना चाहूँगा। घटना के बारे में भूल जाइए। क्या यह सच नहीं है कि पिछले पाँच वर्षों में मेरे जिले में तीन विधायकों की हत्या हुई है .....*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपने प्रश्न पूछने दीजिए। मैं बहुत ही सीधे साधे प्रश्न पूछ रहा हूँ .....*(व्यवधान)* यह उस घटना से सम्बद्ध हैं, जो घटी है। मैं केवल पाँच मिनट लूंगा। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : श्री रूडी, आप वह बताएं जो उस दिन हुआ था । आप इस प्रकार नहीं पूछ सकते।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं प्रश्नों के जरिए सभा के समक्ष तथ्य रख रहा हूँ।

सभापति महोदय : आप केवल घटना के बारे में बताएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मुझे स्पष्ट करने दें कि यह मामला कैसे उठा की एक माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय ने निवेदन करने की अनुमति दी उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा था। उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वे विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करना चाहते थे। *(व्यवधान)* जिसके बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा था ''मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको कुछ तर्क रखने हैं लेकिन आपके अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कुछ कहने से पहले मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा की वे सभा में तथ्यों के साथ उपस्थित हों''। गृह मंत्री जो तथ्य प्राप्त हुए

उन तथ्यों के साथ सभा के समक्ष उपस्थित हुए। माननीय सदस्य गृह मंत्री ने जो कहा उस संबंध में निवेदन नहीं कर रहे हैं। बल्कि वे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं। इस सबका मूल विशेषाधिकार प्रस्ताव है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि सभा में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते समय उन्हें क्या कहना चाहिए यह बताना अथवा इस संबंध में सुझाव देना हम सदस्यों का काम नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उन्हें सुझाव नहीं दे रहे हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे प्रश्न न करें। यह प्रश्न-काल नहीं है। .....*(व्यवधान)* उन्हें अपनी बात कहने दें .....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरी सारी बात प्रश्नों के रूप में हैं .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रूडी कल आप कुछ निवेदन करना चाहते थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, लगता है कि आपको मेरा भाषण पसन्द नहीं आया। मैं प्रश्नों के माध्यम से तथ्य रख रहा हूँ। प्रश्न अपने आप में स्पष्ट हैं।

सभापति महोदय : कल आप कुछ निवेदन करना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि गृह मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : वह उत्तर क्यों नहीं दे रहे? मेरे सभी उत्तर प्रश्नों के रूप में हैं जो मैं पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय : आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : ठीक है, महोदय मुझे अपनी बात कहने दें।

सभापति महोदय : अपनी बात कहें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैंने प्रश्नों के जरिए अपनी बात कही है जो कि उचित है।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न न करें।

.....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : ठीक है इसे छोड़िए .....*(व्यवधान)* मैं अब प्रश्न के रूप में नहीं पूछूंगा। .....*(व्यवधान)* पिछले पाँच वर्षों में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन विधायकों की हत्या हुई है। आप मुझे विस्तार में बताने के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं संक्षेप में प्रश्न पूछ रहा हूँ .....*(व्यवधान)* मेरे जिले में तीन विधायकों की हत्या की गई। मेरी जान को खतरा देखते हुए गृह मंत्रालय ने मुझे 'एक्स' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। वे जानते थे कि राजीव प्रताप रूडी को मारे जाने की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त छः विधान सभा सीटें हैं। और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से छः विधायक हैं। लेकिन दिल्ली छोड़ने से पहले मैंने सुरक्षा ऐजेंसी को इतला दे दी थी कि मैं सोनपुर जा रहा हूँ। अपने निर्वाचन क्षेत्र की हिमायत के लिए एक विधायक ही वहां क्यों था और पाँच अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में कोई क्यों नहीं था? विधायक का क्या काम है? राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी .....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रूडी, वास्तव में क्या हुआ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उस प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की पुलिस, वहाँ के मजिस्ट्रेट और प्रशासन की है। स्थानीय विधायक दस लोगों के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? क्या राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना विधायकों का काम है? ..... *(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूँ .....*(व्यवधान)* सच क्या था? ..... *(व्यवधान)* एक जुलूस मेरे साथ था। जैसे मैं जुलूस के साथ गुजरा तो 20 लोग हमारे पीछे हो लिए। उन्होंने माना है कि वहां एक विधायक था। उनका नाम श्री राज कुमार राय है और वे हमारे पीछे चल रहे थे। वहां हवा में गोली चालाई गई और उनके साथ चल रहे बदमाशों ने मुझ पर गोली चलाई मैं जानना चाहूँगा कि यदि स्थिति यह थी तो घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जब उनके सिपाही सोनपुर की गलियों में मुझे घसीट रहे थे, तो क्यों मुझे रेलवे स्टेशन के पास ले आए। जिला पुलिस अधीक्षक को इस गोलीबारी के बीच वहाँ क्यों आना पड़ा और वह मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए? वे वहां पहुँचे क्योंकि उन्हें डर था कि इस सांसद को गोली मार कर खत्म न कर दिया जाए। इस तथ्य को क्यों नहीं बताया गया कि जिला पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुँचे और मुझे अपनी जीप में बिठाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन लाए? इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया कि मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा रहा था और पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर नागरिक प्रशासन को बाद में खयाल आया और उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने मुझ पर दोष नहीं लगाया लेकिन उन्होंने मेरे समर्थकों को दोषी ठहराया जो मेरा अनुसरण कर रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी इससे क्या साबित होता है?

सभापति महोदय : आप फिर प्रश्न पूछ रहे हैं?

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मेरा एक सुझाव है। हम सब उनकी बात लिखेंगे और वे इसे पढ़ लेंगे। यह उनका कहने का अपना एक अंदाज है .....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : जब कोई संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता है तब वहाँ उस पर एक भी गोली क्यों चलाई जाए? मूल कारण क्या है? सांसद के अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के समय एक भी गोली चलाने का क्या मतलब है? फिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई? स्थानीय सांसद के वहाँ दौरे के समय विधायक के उपस्थित होने का क्या मतलब है? यदि गृह मंत्री इससे इन्कार करते हैं तो उन्हें इस

एक पृष्ठ की रिपोर्ट जो मेरे पास है, से इनकार करना होगा। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

यह 3.5.97 की रिपोर्ट है; समय 13.00 बजे; स्थान हाज़ीपुर।

सभापति महोदय : कौन सी रिपोर्ट?

श्री राजीव प्रताप रूडी : गृह मंत्री जी को इससे इनकार करने दें।

सभापति महोदय : श्री रूडी यह किसकी रिपोर्ट है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : ''चारा घोटाले के विरूद्ध भा.ज.पा. और समता पार्टी के संयुक्त आहवान पर बिहार बंद के दौरान राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य, छपरा पर 3.5.97 को हमले की घटना। प्रातः 10.45 के लगभग भा.ज.पा. और समता पार्टी के 80 से 100 कार्यकर्त्ता के जूलूस .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह किसकी रिपोर्ट है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह पहली बार दर्ज की गई आसूचना रिपोर्ट है .....*(व्यवधान)* यह वह रिपोर्ट है जिस पर गृह मंत्री बोलना चाहते थे लेकिन इसे उन्हें बोलने नहीं दिया गया क्योंकि ..... *(व्यवधान)*

> ''80 से 100 भा.ज.पा. और समता पार्टी के कार्यकर्त्ता जब स्थानीय सांसद श्री राजीव प्रताव रूडी के नेतृत्व में सोनपुर में गोला बाजार की ओर जा रहे थे तब जनता दल के विधायक श्री राज कुमार राय के साथ 10-12 व्यक्ति जो कि हथियार लिए हुए थे उनके पीछे हो लिए।

स्थानीय जिला पुलिस उपस्थित थी और शोभायात्रा के साथ चल रही थी, दुर्गा मन्दिर के समीप, धक्का-मुक्की हुई थी और श्री आर. पी.रूडी. के पीछे चल रहे व्यक्तियों/कार्यकर्त्ताओं ने हवा में चार राउण्ड फायर किए जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई और श्री मनोज पाल ने एक राइफल से लगभग 200 गज की दूरी से संसद-सदस्य पर दो फायर किए। स्थानीय विधायक श्री राजकुमार को एक दुनाली बन्दूक से हवा में गोलियाँ दागते हुए देखा गया था और श्री राजकुमार राय के सुरक्षा कांस्टेबल को, संसद सदस्य को और उनके सुरक्षाकर्मियों को निशाना बना स्टेन गन को थामे हुए देखा गया था यद्यपि यह सूचित किया गया था कि उनके द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई। संसद सदस्य के साथ एक सुरक्षाकर्मी जिला पुलिस से और दो निजी सुरक्षा अधिकारी, दिल्ली पुलिस के तैनात थे जो सांसद को कवर किए हुए थे और वे श्री रूडी को एक ओर बिना किसी चोट के गली में खींचकर ले गए थे। आत्म रक्षा में गोली नहीं चलाई गई थी। यह घटना पूर्वाह्न 11.00 बजे और पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच घटित हुई थी।

स्थानीय पुलिस पर टिप्पणी : जिला पुलिस जिसमें डी.एस.पी. श्री कुमार ऐकले भी शामिल थे, जो उस जगह फायरिंग होते समय पहुँच गए थे, उन्होंने फायरिंग को रोकने लिए कोई गिरफ्तारी नहीं की और कोई कदम नहीं उठाया। स्थानीय पुलिस थाना के दो अधिकारी जो कि संसद सदस्य के साथ चल रहे थे, श्री आर.के. दुबे, सहायक सब इंस्पेक्टर और श्री अनिल कुमार, डी.एस.पी. के पास दौड़कर गए थे, श्री कुमार ऐकले जो घटना वाले स्थान से भाग गए थे, संसद सदस्य के पास गए थे और उन्हें उनकी सरकारी डी.एस.पी. जीप में उन्हें प्राथमिक स्कूल, पखेनाबाद से लेकर आए थे जिसके बाद सोनपूर पुलिस थाने में निजी सुरक्षा अधिकारी द्वारा 12.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। सूचना के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रमाणित की गई है। एस.डी.एम. पुलिस स्टेशन में थे।

टिप्पणियाँ : श्री आर.पी. रूडी को चोट नहीं लगी है और स्थिति तनावपूर्ण है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, होम मिनिस्टर इसके बारे में जवाब दें कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट किस तरह से बी.जे.पी. और समता पार्टी के पास पहुंचती है। क्या होम मिनिस्ट्री से रिपोर्ट लीक हुई है? इनके हाथ में यह कैसे आई है। यह बहुत सीरियस मामला है। यह कोई मामूली मामला नहीं है। यह सी.बी.आई. की रिपोर्ट इन तक पहुंची है।.....*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढी) : सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को ऑथेन्टिकेट करने के लिए इन्हें निर्देश दीजिए।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्लीज आप लोग बैठिये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सी.बी.आई. की रिपोर्ट इन तक कैसे पहुँची, यह लीक कैसे हुई। यह प्रोपर नहीं है। यह रिपोर्ट एक एम.पी. के पास कैसे पहुँची .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह उचित नहीं है। एक गुप्तचर विभाग की सूचना एक संसद सदस्य के पास किस प्रकार जा सकती है? .....*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह गृह मंत्रालय के स्थानीय गुप्तचर अधिकारियों द्वारा भेजी गई प्रथम सूचना है। .....*(व्यवधान)* महोदय, मैं इस को प्रमाणित कर रहा हूँ। मैं उन सभी बातों को बताऊँगा जो मैंने दर्ज की है। मैं उसे सभा पटल पर रखूँगा। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। श्री रूडी जो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। .....*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.34 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं चाहूँगा गृह मंत्री इन तथ्यों को मानने से इंकार करें। मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। मैं इसे सभा पटल

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर रखना चाहूँगा परन्तु इस समय यदि गृह मंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं और निष्ठुर बने रहते हैं तो .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं उनसे औथेन्टिकेट करने के लिए कैसे कहूँगा ?

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जरा बैठिए, मैं उन्हें कह रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं उनसे प्रमाणीकरण के बारे में कहूँगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठिए प्लीज, मैं उन्हें बोलूँगा। अपनी सीट पर जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.36 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप जरा बैठिए। पप्पू जी आप भी बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : रिपोर्ट लीक हो रही है।

.....*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : यह बी.जे.पी. के साथ मिलकर साजिश हो रही है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, मैं करवाऊंगा।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप इसे प्रमाणित कर रहे हैं ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह तथ्य है। यदि ये तथ्य नहीं हैं तो गृह मंत्री को इसे नकारने दीजिए। जो कुछ मैंने कहा उसे गृह मंत्री को नकारने दीजिए।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आपने रिपोर्ट में से उद्धृत किया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : हाँ महोदय, यदि यह गलत है तो इसे गृह मंत्री को नकारने दीजिए।

सभापति महोदय : श्री रूडी, आपने एक रिपोर्ट में से उद्धरण दिया है। वह कौनसी रिपोर्ट है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : हाँ, मैंने रिपोर्ट में से उद्धृत किया है। यह सभा की सम्पत्ति है। यह गुप्तचर विभाग की प्रथम रिपोर्ट है।

सभापति महोदय : जब तक कि आप इसे प्रमाणित नहीं करते हैं और सभा पटल पर नहीं रखते हैं तब तक यह सभा की सम्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : हाँ, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ और इसे सभा पटल पर रखता हूँ।

सभापति महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : नहीं, महोदय।

सभापति महोदय : इसके लिए पूर्वानुमति अपेक्षित होती है।

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, यहाँ हम जिस बात पर फंसे हुए हैं वह एक संसद सदस्य पर जानलेवा हमला है। उन्होंने सभा के समक्ष उन पर हुए जानलेवा हमले का प्रश्न उपस्थित करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव की विधि चुनी है जिसे केवल नियमों से आबद्धकर नहीं देखा जाना चाहिए। यदि माननीय सदस्य एक सरकारी दस्तावेज का उद्धरण दे रहे हैं तो यहाँ या वहाँ से कोई भी कह सकता है कि सरकारी दस्तावेज को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। कोई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात, यदि वे एक दस्तावेज में से उद्धरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे प्रमाणित कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : ऐसी बात नहीं है। इसके लिए पूर्वानुमति आवश्यक है।

.....*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : यदि वह उस रिपोर्ट में से उद्धरण देते हैं और उसी समय प्रमाणित करते हैं तो पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं है।
.....*(व्यवधान)*

क्या आप उनके अधिकार को मानने से इंकार करते हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, तो उन्हें नकारा नहीं जा रहा है। उन्हें एक निवेदन करने की और जो हुआ उसे वर्णित करने की अनुमति दी गई है।

.....(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति महोदय, पटल पर दस्तावेज को रखे जाने के लिए एक नियम हो सकता है। परन्तु यदि किसी सदस्य के पास कोई सूचना हो और उसके पास कोई सूचना हो तो न ही सभा और न ही अध्यक्षपीठ उससे उस रिपोर्ट के स्रोत के बारे में पूछ सकते हैं। यह केवल उनकी जिम्मेदारी है कि उस रिपोर्ट में से उद्धरण दें।

श्री रूडी को उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जा सकता परन्तु वे उस रिपोर्ट से उद्धरण देने के लिए अपने अधिकारों के भीतर हैं और यह कार्यवाही का हिस्सा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल *.....(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर : यह उस सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह प्रमाणीकृत रिपोर्ट से उद्धरण दे रहे हैं और यदि यह बात अन्यथा सिद्ध होती है तो सभा उनके विरुद्ध कार्यवाई कर सकती है। यही कार्यप्रणाली रही है। परन्तु हम किसी सदस्य को उद्धरण देने से रोक नहीं सकते हैं। यदि कोई सोचता है कि यह एक गलत रिपोर्ट *.....(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। यदि माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि यह एक गलत रिपोर्ट है तो सारी बात दूसरा ही रुख अख्तियार कर लेगी। परन्तु यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि यह एक प्रमाणीकृत रिपोर्ट है तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि इस सभा को कोई आपत्ति क्यों करनी चाहिए। यदि सदस्य महसूस करते हैं कि उनकी जान को खतरा है और सरकारी एजेन्सियों से ऐसी रिपोर्ट आयी थी और जिसे सभा के समक्ष लाया गया था तो उस रिपोर्ट को सभा के समक्ष लाने में अपने अधिकारों की सीमा में है। मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता हूँ क्यों उन्हें ऐसा करने से रोका जाये *.....(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, यह अत्यधिक गंभीर मामला है। माननीय सदस्य एक दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं और जिसे वो गुप्तचर विभाग की एक रिपोर्ट होने का दावा कर रहे हैं। यदि यह गलत या झूठी साबित होती है तब यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। परन्तु क्या यह प्रामाणिक है या नहीं और क्या इसे सभा की सम्पत्ति बनना या नहीं बनना चाहिए यह प्रश्न है। इसको प्रमाणीकृत किए जाने के पश्चात् वे इसे पटल पर रख सकते हैं। *.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। *.....(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, अगर उनको मौका मिला तो मैं भी बोलूंगी। *.....(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं। *.....(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, अगर ये लोग बार-बार बोलेंगे तो आप हमको भी बोलने का मौका दीजिए। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रूडी महोदय, क्या आपने अपना निवेदन पूरा कर लिया है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अपना निवेदन पूरा करने से पहले मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करूँगा कि जो प्रमाणीकृत वक्तव्य जो मैंने दिया है *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने पूर्वानुमति नहीं ली थी।

.....(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह एक विशेषाधिकार का मामला है *.....(व्यवधान)* मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ महोदय। क्योंकि मैंने यह सब सभा में उद्धरित किया है। और निजी तौर से नहीं, क्या माननीय गृह मंत्री इसे मानने से इंकार करेंगे, मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूँ और मैं सभा को मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने दूँगा। परन्तु माननीय गृह मंत्री को, जो भी वो कहना चाहते हैं, इसके विरुद्ध आगे बढ़कर कहना चाहिए। वो चुप क्यों हैं? जो कुछ मैं कह चुका हूँ उसे वे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। यह मेरा विशेषाधिकार है। माननीय गृहमंत्री को मेरे प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए *.....(व्यवधान)* मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ *.....(व्यवधान)* मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा है उसे मानने से मैं इंकार करना चाहूँगा *.....(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम सब चिन्तित हैं कि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। हम इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं। परन्तु हमें यह पता लगाना होगा कि हमें क्या करना होगा। वे एक दस्तावेज से उद्धरण दे रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर ने जो कहा था, उस पर मुझे कुछ आपत्ति हो सकती है क्योंकि हम तुलना कैसे कर सकते हैं कि यह सही प्रति है या नहीं? *.....(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए, मैंने कभी किसी के भाषण में बाधा नहीं डाली है *.....(व्यवधान)* माननीय गृह मंत्री बिहार सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट मात्र को पढ़ रहे हैं *.....(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : वे अपनी एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट को क्यों नहीं पढ़ते हैं? *.....(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सब क्या है? माननीय सदस्य को धैर्य रखना चाहिए। माननीय सदस्य मेरी ओर घातक दृष्टि से देख रहे हैं। *.....(व्यवधान)* इसलिए माननीय गृह मंत्री किस प्रकार उत्तर देना जारी रख सकते हैं मैं नहीं जानता। भारत के गृह मंत्री एक अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हैं।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : तो क्या हुआ ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्योंकि प्रश्न गृह मंत्री से पूछे जा रहे हैं। मैं उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। यदि उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ ? ..... *(व्यवधान)* इसलिए बात यह है क्या हम माननीय गृह मंत्री से पूछ सकते हैं क्या यह सही है या नहीं। यह तो ऐसी ही बात है कि मैं कागज के टुकड़े पर कुछ लिख लाऊँ जिस पर गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट उद्धरित हो और आपसे कहूँ सत्य का पता लगाइए। इसके अलावा उनका उच्च अधिकारियों से सम्पर्क और उच्च अधिकारियों से उनकी निकटता भी संदेह का विषय है।

प्रो॰ रीता वर्मा : संदेह का विषय क्यों है ? *.....(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए श्री चंद्रशेखर ने जो कहा था मैं उसका अनुमोदन करता हूँ कि सदस्य का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसके संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए। परन्तु इस प्रक्रिया में कुछ नियमों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन दस्तावेजों को उचित ढंग से रखा जाना चाहिए जिससे कि इनकी तुलना की जा सके और माननीय गृह मंत्री कह सकें कि यह सही है या नहीं। उस आधार पर इसका निर्णय होने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह : मूल मुद्दा माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है और माननीय सदस्य के विरुद्ध किया गया विशेषाधिकार का हनन है। ये सारे मुद्दे उस विशेषाधिकार हनन से उठ रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि विशेषाधिकार हनन के पक्ष को इन औपचारिकताओं के नीचे, कि क्या वे इसे सभा पटल पर रख सकते हैं या इसे प्रमाणीकृत किया जाना होगा या नहीं, दबने नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्य मुद्दा यही है विशेषाधिकार हनन, माननीय सदस्य पर जानलेवा हमला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इसके अन्त में यह कहेंगे और अपील करेंगे कि इस मुद्दे को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। विशेषाधिकार समिति को इन सभी बातों की जाँच करने दीजिए। *.....(व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ? वे मेरे प्रिय और अच्छे मित्र हैं *.....(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ परन्तु हमें कुछ बातों को यूँ ही नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय करने के उद्देश्य से हमें अन्य बातों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए *.....(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि यह एक सच्चाई है कि 16 गोलियाँ, जैसा कि माननीय सदस्य पर चलाई गई और जो अपेक्षित है वह ये कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये *.....(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : यह निर्णय करना कांग्रेस पार्टी का कार्य नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते *.....(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं आपका समर्थन प्राप्त करना चाह रहा हूँ। *.....(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : हमें इस बात से कुछ नहीं करना है कि यह विशेषाधिकार समिति के समक्ष जाए या नहीं। यह फैसला करना अध्यक्षपीठ का काम है। तथ्य यह है कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे हम उनके बोलने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब उन्हें अनुमति दे दी गई थी।

श्री संतोष मोहन देव : वे नए सदस्य हैं। मैं उनका समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि वे एक खिलाड़ी हैं। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। पर मैं यह कह रहा हूँ कि इस सदन ने विहार के मुद्दे पर काफी समय ले लिया है। अगर माननीय गृहमंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो वे कह सकते हैं। उसे सुनने के बाद अध्यक्ष जी को तुरंत ही यह विचार करना चाहिए कि क्या यह विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए या नहीं। इसका फैसला अध्यक्ष महोदय करेंगे। *.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, एक मिनट का मौका हमें भी दे दीजिए। *.....(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, आप हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हमें भी अपनी बात रखनी है। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी जी, क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली है ?

श्री राजीव प्रताप रूडी : जी, नहीं। मुझे अंतिम वाक्य और कहना है।

महोदय, मैंने यह विशेषाधिकार का मामला सदन के समक्ष इसी कारण रखा था कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करना है, मुझे अपने संसदीय क्षेत्र का काम करना है और मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर मुक्त रूप से अपने कार्य करने से वंचित रहा हूँ। अगर सदन की यही इच्छा है- मैं नहीं जानता कि इस पर माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहेंगे, मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था : ''अगर जम्मू - कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को डराया जाता है तो वे जम्मू-कश्मीर क्यों जाते हैं ?'' अगर गृह मंत्री जी कहें तो वे हमे निर्देश दे सकते हैं *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इसे बढ़ा क्यों रहे हैं ? अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अगर गृह मंत्री जी चाहें तो वे हमें हमारे संसदीय क्षेत्र में न जाने का निदेश दे सकते हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यह मेरे जीवन की विशेष बात है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहता हूँ। इस मामले को

विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए क्योंकि संसद के कार्य करने वाले एक सदस्य के विशेषाधिकार के मामले से संबंधित है।

सभापति महोदय : अब मैं गृह मंत्री जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : आप हम लोगों की बात भी सुन लें। *.....(व्यवधान)* एक मिनट हम लोगों की बात सुनकर फिर होम मिनिस्टर साहब बात कर लें।

सभापति महोदय : पहले होम मिनिस्टर को सुनिये। गृह मंत्री जी को सुनिये।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति महोदय, जहां तक विशेषाधिकार का मामला है इसका अर्थ है कि जब भी इस सदन का कोई माननीय सदस्य यह शिकायत करता है या आरोप लगाता है कि संसद सदस्य के रूप में, यथावश्यक जब भी उसे अपने संसदीय क्षेत्र में जाना होता है और इसमें वहां की किसी चुनौती से रूकावटें आती हैं –जो उसके जीवन इत्यादि से संबंधित हैं– तो वह बहुत ही गंभीर मामला है। विगत में हुए ऐसे कई मामलों का हमें पता है। मुझे याद है, वर्षों पहले सदस्यों ने इस सदन में आकर शिकायत की थी कि संसद सदस्यों के रूप में अपने कार्य करने से उन्हें रोका जाता था। जहां तक मुझे याद है, उन मामलों में –मुझे याद नहीं कितने – से अधिकांश को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

श्री राजीव प्रताप रूडी के मामले में उनकी बात सुनने के बाद भी, इस मामले को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किए जाने में मुझे जरा भी आपत्ति नहीं है। परन्तु महोदय जो कुछ आपने पीठासीन होकर कहा तथा जो कुछ अध्यक्ष महोदय ने कल कहा था आप उसका उद्धरण दे रहे हैं,– मैं यहां नहीं था: मैं उस समय सदन में था। मुझे यह पता चला है कि उन्होंने कहा था कि मेरे वक्तव्य के बाद, श्री राजीव प्रताप रूडी को कुछ कहने का कोई वक्तव्य देने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, वह कर दिया गया है, चाहे यह इस सदन के नियमों के बिल्कुल अनुरूप न हो जिसके अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती। वास्तव में ऐसा करने की अनुमति दूसरे सदन में तो दी जाती है। इस सदन में नहीं। फिर भी हमें अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसीलिए श्री राजीव प्रताप रूडी जी को अनुमति दी गई थी और उन्होंने यहां काफी लम्बा वक्तव्य या निवेदन किया था इसे आप चाहे जो कहें। इस प्रकार उनसे यह करने के लिए कहा गया था और उन्होंने वह किया मैं अब इसके लिए बाध्य नहीं हूँ कि मैं उनके 50 प्रश्नों का उत्तर दूं जो वे पूछ सकते हैं। वे कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। महोदय, मैं क्यों दूँ? यह मेरा काम नहीं है। *..... (व्यवधान)* अगर हम पूरे मामले को देखें कि वास्तव में उस क्षेत्र, सोनपुर, में क्या हुआ तो मेरी समस्या यह है कि उस क्षेत्र की दो अलग-अलग शिकायतें हैं जो परस्पर विरोधी शिकायतें हैं। वहां एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज है। इसके विरोध में एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी है। मैं इसका फैसला करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यह नहीं कर सकता। यह जाँच का मामला है जो अभी चल रही है। महोदय यदि आप चाहते हैं कि यह सदन इस मामले की जाँच करे तो साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए और गवाहों को यहां बुलाइए परन्तु मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए यह सब करना संभव है।

सभापति महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर विशेषाधिकार समिति चाहती है तो यह पूरे मामले की जाँच कर सकती है जो कि इसका अधिकार है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

जहाँ तक श्री राजीव प्रताप रूडी के जीवन को उनके क्षेत्र में से मिलने वाली धमकी का संबंध है, अगर वे मुझसे संपर्क करके इस बारे में कहते हैं तो मैं उनके लिए यथासंभव सुरक्षा प्रबंध करने के लिए तैयार हूँ। हम उन्हें उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में कोई मतभेद नहीं हैं क्योंकि वे इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं। परन्तु इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब उन्होने वक्तव्य दे ही दिया है तो मैं समझता हूँ कि इस सदन को यह मामला अब समाप्त कर देना चाहिए। हम उसके बारे में और अधिक कुछ नहीं कर सकते।

श्री संतोष मोहन देव : सभी मंत्री संसद सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। वे कहते हैं "मेरा काम जवाब देना नहीं है"। यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : श्री देवी प्रसाद पाल जी।

.....(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे क्लास में उपस्थित होना है। *..... (व्यवधान)* वे एक अध्यापक हैं। *.....(व्यवधान)* मैं उनका छात्र हूँ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, क्या आप इस पर अपना निर्णय रोक रहे हैं? *.....(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी को यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : जहां तक विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का प्रश्न है इसका फैसला माननीय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैंने भी इस पर नोटिस दिया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : पप्पू जी, मुझे आइडेंटिफाई किया है, मेरे बाद आप बोल लेना *.....(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : आप इनके बाद बोलिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰वी॰ राजेश्वर राव (सिकन्दराबाद) : बिहार के अलावा कुछ भी नहीं है। यह क्या है? .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको भी अनुमति मिलेगी।

.....*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, लाखों मजदूरों को रोका जा रहा है।

श्री पी॰वी॰ राजेश्वर राव : महोदय, आंध्र प्रदेश में, हमारे सामने ज्वलंत समस्या है .....*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, हमें मौका नहीं मिल रहा है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नोटिस है। अपको मौका मिलेगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको मौका मिलेगा।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं समय सीमा के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका दूंगा। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आपको मौका कैसे दे सकता हूँ?

.....*(व्यवधान)*

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश में एक ज्वलंत समस्या है। आपको आंध्र प्रदेश को बचाने के लिए आना होगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, मैने भी नोटिस दिया है, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

सभापति महोदय : देखा जाएगा।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : महोदय, हमने नोटिस दिये हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको बुलाएंगे। मेरे बाद आपको भी बुलाएंगे। .....*(व्यवधान)* सभापति जी, पुलिस द्वारा यातनाएं देने की घटनाएं इस देश में आए दिन घटती रहती हैं। लेकिन यदि देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम सड़क पर और प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मियों के द्वारा यातना देने की घटना घटती है तो वह घटना देश के समाचार-पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर स्थान लेती है। पूरा देश इस घटना से पुलिस की आलोचना कर रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र दक्षिण दिल्ली के एक व्यक्ति के साथ यह घटना अभी हाल में घटी। ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' का मुख्य पृष्ठ आपने देखा होगा, मेरे संसदीय क्षेत्र में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मार्टिन मैसी 48 वर्ष के नवयुवक एक प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। स्कूटर पर खान मार्केट से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में प्रधान मंत्री के कारवां के कारण ट्रेफिक को क्लीयरेंस दे दी गई है। उन्होंने अपना स्कूटर आगे बढ़ा दिया। पुलिस वालों ने उनका पीछा किया। एक जगह पर जाकर उनको पकड़ लिया और उसके बाद वहां न आव देखा न ताव और मुक्के, लाठी मार-मारकर उस आदमी को अधमरा कर दिया। यह ''टाइम्स ऑफ इंडिया'' के प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई तस्वीर उस आदमी की दर्दनाक गाथा को कह रही है।

सभापति जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री को सुरक्षा मिले, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए, इस बात की वकालत हम स्वयं करते हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को मार-मार कर उन्हें अधमरा कर दिया जाए, पुलिस वालों को किसी भी तरह मारपीट करने का लाइसेंस दे दिया जाए, इसकी पैरवी सदन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी देश में सुरक्षा के अभाव में जहां सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, दो-दो प्रधान मंत्रियों की हत्या हो गई, ये सुरक्षाकर्मी उन प्रधान मंत्रियों को बचा नहीं सके। लेकिन यहां अगर एक निर्दोष व्यक्ति स्कूटर पर बैठकर आगे निकल भी गया और उसको पकड़ लिया, यदि उसकी गलती थी तो उसको थाने ले जाया जा सकता था, उसकी तलाशी ली जा सकती थी। अगर उसके पास कुछ नहीं मिला तो डिटेन करके उससे पूछताछ की जा सकती थी। लेकिन मार-पीटकर नीला करके और पीट-पीटकर उसके आगे के चार दांत दोड़ दिए गए। आज वह घायल अवस्था में अपने घर में पड़ा है और महीनों अपनी चारपाई से उठ नहीं सकेगा। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूंगी कि एक तो गृह मंत्री जी तुरंत दिल्ली के पुलिस कमिशनर को कहकर जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनको तुरंत दंडित कराने का काम करें। केवल इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक खेद का पत्र उस व्यक्ति के घर जाना चाहिए। प्रधान मंत्री के कार्यालय से कोई राज्य मंत्री या प्रधान मंत्री का कोई दूत उसके घर पर स्वयं जाकर माफी मांगे ताकि उस आदमी के जख्मों पर कुछ मरहम लगे। मैं तो अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि होने के नाते आज उसके घर जाऊंगी। लेकिन आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपील है कि आप जरूर एक व्यक्ति को वहां भेजें और उस घटना के लिए वह व्यक्ति वहां जाकर उससे क्षमा मांगे। सरकार की तरफ से माफी मांगी जानी चाहिए तथा दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कम से कम इस बात को करने का काम करें, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, हो गया।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, गृह मंत्री जी खड़े हैं।

.....(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं भी उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। गृह मंत्री जी खड़े हैं। लोढा जी, कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : उन्हें इसका भी उत्तर देने दीजिए कि क्या माननीय गृह मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी के रूट कवरेज के लिए नए मानदण्ड निर्धारित करेंगे।

इस मामले में, उस व्यक्ति को थाने ले जाया गया था और उसे छोड़ने के लिए उससे घूस के रूप में 3,000 रुपये मांगे गए थे।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, उसका स्कूटर छोड़ने के लिए उससे 1,000 रुपये घूस ली गई। *.....(व्यवधान)*

इसका साक्ष्य है। *.....(व्यवधान)* क्या माननीय गृह मंत्री जी इसका भी उत्तर देंगे ? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय : लोढा जी, कृपया बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी खड़े हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री जी प्रधान मंत्री जी के रूट से संबंधित मानदण्डों में संशोधन करेंगे ? *.....(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं एक वक्तव्य देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

सभापति महोदय : लोढा जी, कृपया बैठ जाइए।

डॉ॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। *.....(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि वह यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना को इस सदन के ध्यान में लाई जो आज कम से कम एक समाचार पत्र में भी छपी है। मुझे उनसे यह जानकर भी खुशी हुई कि वह इस महाशय के घर भी जाना चाहती हैं क्योंकि वह उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में है।..... *(व्यवधान)* मेरा ख्याल है वह उनके घर जाएंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी हां, मैं जा रही हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर भी मैं उनकी, सदन की तथा आपकी जानकारी के लिए यह बता दूँ कि आज सुबह मैंने यहां अपने कार्यालय में पुलिस कमीशनर को बुलाया है और उन्हें यह कहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेवार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जिन व्यक्तियों ने हमारे देश के नागरिकों पर इस प्रकार का अमानवीय जुल्म किया है उनकी पहचान के लिए जाँच के आदेश पहले दिए जा चुके हैं। मुझे आशा है कि कार्रवाई की जाएगी। मैं इस तरफ ध्यान दूंगा कि कड़ी कार्रवाई की जाए।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले, कनाट प्लेस में *.....(व्यवधान)* ठीक है मैं इस बारे में फिर बात नहीं करना चाहता। परन्तु उस घटना के लिए जिम्मेवार उन दस पुलिस कर्मियों को अब प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत उनकी भूमिका के लिए सजा दी जा रही है। मुझे विश्वास है कि इस मामले में भी, इन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुझे बहुत दुख है कि हमारे देश के इस क्षेत्र के कुछ पुलिसकर्मी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बहुत संभव है वे अन्य जगहो में भी करते होंगे। मुझे पता है ऐसा क्यों होता है। परन्तु, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह राजधानी में होने वाली सबसे दुखद् घटना है। मैं सदन को आश्वासन दूंगा कि अपराधी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ..... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : गृह मंत्री जी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी : महोदय, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।

कर्नाटक सरकार न केवल अलमाती बल्कि 667 करोड़ रुपये की लागत से अन्य बाँध, जिसका नाम अपर तुंगा परियोजना है, का निर्माण भी कर रही है जो आगामी ढाई वर्ष में पूरा किया जाना है। वहां पहले ही तुंगभद्रा परियोजना है जो आंध्रप्रदेश और कर्नाटक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। आंध्रप्रदेश क्षेत्रों की लगभग दो लाख एकड़ भूमि में इस तुंगभद्रा परियोजना से सिंचाई हो रही है। अगर यह अपर तुंगा परियोजना पूरी हो जाती है, जो कि लगभग सात लाख एकड़ जमीन की सिंचाई का कार्य करेगी, तो मुझे विश्वास है कि जो तुंगभद्रा परियोजना आंध्रप्रदेश की लगभग गत चार दशकों से आंध्रप्रदेश के तीन जिलों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है और उपयोगी नहीं रहेगी और इन स्थानों में और जल नहीं मिलेगा। लोअर रिपेरियन अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। किसानों में काफी रोष है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलमात्ती बाँध नामक परियोजना पिछले ढ़ाई वर्षों से चल रही है। यह परियोजना पूरी तरह अवैध रूप से, केन्द्रीय जल आयोग

की अनुमति के बिना चलाई जा रही है, और यही बात इस अपर तुंगा परियोजना में भी दोहराई जा रही है।

महोदय, यह बछावत आयोग के पंचाट के बिल्कुल विपरीत है। यह कहीं भी परिनिर्णय में शामिल नहीं है। बछावत न्यायाधिकरण में निर्णय के अनुसार केवल आन्ध्र प्रदेश को ही सन् 2000 तक अतिरिक्त पानी का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

महोदय, जब उनको अतिरिक्त पानी के प्रयोग का कोई अधिकार नहीं, वे एक के बाद एक परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री शिवानंद एच• कौजलगी (बेलगाम) : सभापति महोदय, कर्नाटक सरकार अपना पानी इस्तेमाल कर रही है .....*(व्यवधान)*

डा• वाई•एस• राजशेखर रेड्डी : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री शिवानंद एच• कौजलगी : महोदय, यह राज्य का विषय है।

डा• वाई•एस• राजशेखर रेड्डी : महोदय, मैं नहीं मान रहा।

सभापति महोदय : वह नहीं मान रहे। आप अपने स्थान पर बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी गई है। आप अपनी बात कहने के लिए नोटिस दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री शिवानंद एच. कौजलगी : महोदय, हम अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और बछावत आयोग के निर्णय के अनुरूप ही बांध का निर्माण कर रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप भी नोटिस दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आपत्ति क्यों उठा रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उन्हें मामला उठाने की अनुमति दी है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रेड्डी जी, कृपया संक्षेप में कहिए, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं।

डा• वाई•एस• राजशेखर रेड्डी : महोदय, मुख्यमंत्रियों की समिति ने एक तकनीकी टीम नियुक्त की थी जिसने अलमत्ती बांध मामले का पहले ही अध्ययन किया है। और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कर्नाटक सरकार गलत काम कर रही है और यह पूर्णतया अवैध है। परन्तु अभी भी केन्द्रीय सरकार इस रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं कर रही है। पिछले महीने तक तो श्री देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे परन्तु श्री गुजराल के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार की इस अवैध कार्यवाही के लिए कुछ नहीं कर रही। पिछले ढाई वर्ष तक तो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले को किसी उचित मंच के ध्यान में लाने का भी कष्ट नहीं किया। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है ? यदि यह मामला वहाँ लम्बित है तो आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित हो, उसका हवाला आप नहीं दे सकते।

.....*(व्यवधान)*

श्री वेंकटरामी रेड्डी अनन्त (अनन्तपुर) : सभापति महोदय, कर्नाटक सरकार अवैध तरीके से बांध का निर्माण कर रही है और जब तक उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर कोई निर्णय नहीं हो जाता, तंब तक आगे निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री सुब्रह्मण्यम् नेलावाला (तिरूपति) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करके तुरन्त अपर तुंग परियोजना के निर्माण कार्य को रोक देना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

डा• वाई•एस• राजशेखर रेड्डी : इस अवैध निर्माण कार्य को कैसे चलने दिया जा सकता है जिससे आन्ध्रप्रदेश के निचले तटीय इलाकों के किसानों के अधिकार प्रभावित होते हैं ? केन्द्र सरकार इसकी अनुमति कैसे दे सकती है ? .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, कृपया अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए।

डा• वाई•एस• राजशेखर रेड्डी : यदि श्री गुजराल के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् भी यह सब अवैध कार्यवाही इसी ढ़ंग से जारी रहेगी, तो क्या हम मूकदर्शक बने रहेंगे ? क्या केन्द्र सरकार की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदय, आप इनको भी एलाऊ करिए .....*(व्यवधान)* आप एक पक्ष की बात मत सुनिए, दोनों पक्षों की बात सुनिए।

[अनुवाद]

डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : महोदय, कर्नाटक सरकार जो बांध का अवैध निर्माण कर रही है उसके बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए .....*(व्यवधान)*

श्री कमारूल इस्लाम (गुलबर्गा) : सभापति महोदय, आन्ध्रप्रदेश के एक माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है। वास्तव में यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और कर्नाटक सरकार अलमत्ती और अपर तुंग परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो कदम उठा रही है वह बछावत सिफारिशों के अनुरूप है। आन्ध्रप्रदेश के माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह गलत है और वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। यही मुद्दा कर्नाटक के सभी माननीय सदस्य सदन में उठाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मई का आधा महीना लगभग बीत चुका है। दो महीने के बाद बरसात का मौसम आएगा और फिर बाढ़ आएगी। मुझे हर साल मुर्शिदाबाद के बारे में मामला उठाना पड़ता है। मैंने पिछले साल भी यह सवाल उठाया था सौ गांव जो गंगा के किनारे थे, वे कट गए। वह जमीन बंगलादेश के साथ जुड़ी हुई है। हमारा बंगलादेश के साथ पानी में एग्रीमैंट हुआ। क्या ऐसा भी कोई एग्रीमैंट हुआ है कि हमारी जमीन भी उनको दे दी जाएगी। पिछले साल 13 गांव चले गए। मैंने इस सवाल को यहां उठाया। यह सवाल उठाने के बाद प्रधान मंत्री जी वहां गए। वहां का 30 सितम्बर को एरियल सर्वे हुआ। इस काम के लिए हाई पावर कमेटी बनायी गई। इसकी रिपोर्ट इस साल जनवरी महीने में आ गई। उस रिपोर्ट की कापी मेरे पास है। मैंने 9 सितम्बर को प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। मेरे पास उसका जवाब 21 अप्रैल को आया। उसमें शॉर्ट टर्म और लॉग टर्म दोनों रिकमंडेशन्स हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 315 करोड़ रुपए और लॉग टर्म के लिए 612 करोड़ रुपए देने की बात हैं। स्टेट गवर्नमैंट ने थोड़ा काम शुरू किया लेकिन बाकी सिफारिशें यूं ही पड़ी हुई हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट ने आज तक एक पैसा भी स्टेट गवर्नमैंट को नहीं दिया। दो महीने के बाद फिर कटान शुरू होगा और 10-15 गांव उधर चले जाएंगे। गंगा के इधर आ जाने से हमारी जमीन उस पार चली जाएगी। हमारा बंगलादेश के साथ बॉर्डर के सम्बन्ध में एग्रीमैंट हुआ। बी. एस. एफ. की स्पैशल रोड गंगा के इस पार है। गंगा को पार करके इधर आने में 8-10 घंटे लगते हैं। हमारे देश के नागरिक मैंटली बंगलादेशी बन रहे हैं। वे उनके साथ जुड़ गए हैं। कब तक इस चीज को बर्दाश्त किया जाएगा? हम कब तक इस चीज को सदन में उठाते रहेंगे? मैं 18 साल से बार-बार इस बात को कह रहा हूं। मुर्शिदाबाद जिला जो कि पिछड़ा हुआ है, क्या उसे आप बंगलादेश को देना चाहते हैं? यहां प्रधान मंत्री और जल संसाधन मंत्री नहीं हैं लेकिन लीडर आफ दी हाउस हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वह हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के अनुसार पैसा रिलीज करेंगे या नहीं? दो महीने के बाद वहां बाढ़ आएगी। इससे वहां के लोग बेपनाह होकर इधर-उधर भागेंगे। वहां की जगह छोटी हो गई है। रिहैबिलिटेशन के लिए जगह नहीं है।

सभापति महोदय : आपकी बात पूरी हो गई है। अब आप बैठ जाएं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लीडर आफ दी हाउस यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह कम से कम इतना कह दें कि कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उसके मुताबिक वह जल्दी पैसा रिलीज कर देंगे।

[अनुवाद]

"सिफारिशों के कार्यान्वयन से गंगा और पद्मा नदी के किनारों के कटाव को रोकने में सहायता मिलेगी और इससे सम्पत्ति के नुकसान का खतरा कम होगा।"

[हिन्दी]

लीडर आफ दी हाउस यहाँ बैठे हुए हैं। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह आपकी भावनाएँ जल संसाधन मंत्री तक पहुँचा देंगे।

.....(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का नोटिस दिया था। यह क्या है? मुझे कितनी देर इन्तजार करना पड़ेगा? मैं शुरू से ही अपना हाथ खड़ा कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : सभी सदस्य शुरू से ही अपने हाथ उठाते आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : सभापति जी, मुझे कुछ बोलना नहीं, कुछ जानना है कि क्या दिल्ली किराया कानून पर सरकार स्टेटमेंट दे रही है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : वह जल संसाधन मंत्री को आपकी भावनाओं से अवगत करवा देंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, दिल्ली किराया कानून पर सरकार स्टेटमेंट देगी या नहीं, ताकि हम उसी हिसाब से रिएक्ट करें।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मंत्री जी को इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, जब से जीरो आवर शुरू हुआ है, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय : पप्पू जी, आप बैठ जायें, मंत्री जी खड़े हैं।

श्री विजय गोयल : साभापति जी, आप मिनिस्टर से मालूम करिए।

सभापति महोदय : अभी पूछेंगे।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो समस्या उठाई है, हम सब उससे बहुत चिन्तित हैं। इसकी जाँच-परीक्षा की गई है और हम संसाधन खोजने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : केन्द्र सरकार निधियाँ जारी क्यों नहीं कर रही? *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल, दिल्ली किराया नियंत्रण कानून से सम्बद्ध मामला कई सदस्यों ने उठाया और वे सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे।

.....(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मैं तो माननीय सदस्य को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है और इस परियोजना के लिए जो कुछ भी संसाधन हम जुटा सकते हैं, उन्हें जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल उत्तरदायित्व तो बेशक राज्य सरकार का ही है। वे इसे वार्षिक योजना में डालना चाहते हैं। हम उनकी सहायता करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं *.....(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यह समस्या आपके साथ है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

सभापति महोदय : मैं बहुत से सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकता हूँ यदि वे एक-एक करके बोलें।

.....(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : आप मेरी बात सुनना चाहते हैं या नहीं। यदि आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको यह अवश्य बता दूँ *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठें।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड) : उन्होंने अपनी बात कह ली है, महोदय आपको उन्हें छा जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, मैं एक संवेदनशील मामले पर खड़ा हूं .....

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, जहां तक दिल्ली किराया कानून का मामला है, चेयर ने डायरेक्शन दे दी है जिसके मुताबिक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को मामला भेज दिया गया है और एक-दो दिन के अंदर बता देंगे।

श्री विजय गोयल : सभापति जी, आपने ही कहा था कि कल या आज स्टेटमेंट होगा। एक दिन तो आज चला गया, कल स्टेटमेंट हो जाना चाहिये।

सभापति महोदय : एक-दो दिन में स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री राम विलास पासवान : हमने कहा कि एक-दो दिन में स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री विजय गोयल : एक-दो दिन से क्या मतलब? यह सदन 16 को समाप्त हो रहा है। आप कंसर्न्ड मिनिस्टर से कहें कि कल स्टेटमेंट दें।

सभापति महोदय : ये करेंगे।

श्री विजय गोयल : सभापति जी, इसके लिए कैजुअल अप्रोच नहीं हो क्योंकि एक दिन हो गया, आज दूसरा दिन है। क्या आज नहीं दे सकते? आप कन्सर्न्ड मिनिस्टर से कहें कि कल स्टेटमेंट जरूर दें क्योंकि 16 को हाउस खत्म होने वाला है।

श्री राम विलास पासवान : 16 से पहले कर देंगे।

श्री विजय गोयल : क्या 16 तारीख तक व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे? सभापति जी, यह इश्यू दो साल पुराना है। इस मामले में लैंड लाड्र्स और किरायेदार लटक रहे हैं। उनके ऊपर एक तलवार सी लटक रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर जल्दी ही फैसला करें और हमें बता दें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, मेरा एक अति संवेदनशील मामला है।

सभापति महोदय : हम आपको जरूर देंगे।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, आपने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक विधानमंडल के गठन के लिए एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पेश किया और पूरे सदन ने उसे एकमत से पारित किया। परन्तु संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार की ओर से, सदन को विश्वास दिलाया कि एक सर्व-दलीय बैठक बुलाई जायेगी और तत्पश्चात सरकार संसद के चालू सत्र में एक विधेयक सदन में लायेगी। तदनुरूप एक सर्व-दलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सदन के नेता स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने इस मांग का समर्थन किया।

सभी पार्टियों ने इस मांग का समर्थन किया और विधेयक को इसी सत्र के दौरान पेश किया जाना था। परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे अथक प्रयासों और ऊपर से नीचे तक दौड़-धूप के बावजूद, सरकार ने इस सत्र के दौरान विधेयक पेश नहीं किया है।

गृह मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे मिला और निवेदन किया कि इसे तुरन्त किया जाना चाहिए। परन्तु गृह मंत्री का मत यह है कि इतने थोड़े से समय में इसे नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसे बहुत से दृष्टान्त दिए जब कोई विधेयक मात्र दो दिन के अन्दर ही सदन में पेश किये गए थे।

मुझे लगता है कि हमारे निवेदन पर इसलिए गौर नहीं किया जाता क्योंकि हमारा द्वीप छोटा है और यह एक सदस्यीय संसदीय चुनाव क्षेत्र है जो समुद्र के बीचों बीच है।

माननीय गृह मंत्री जो इस समय सदन में उपस्थित हैं उनसे अपील करता हूँ कि वे मेरी मांग की ओर ध्यान दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार किसी मांग पर केवल तभी ध्यान दे जब हिंसा का खतरा हो और शांतिपूर्ण तरीके से की गई मांगों की ओर वह ध्यान न दे।

श्री रूपचन्द पाल : माननीय गृह मंत्री सदन में उपस्थित हैं और उन्होंने वह सब सुना है जो माननीय सदस्य ने कहा है। गृह मंत्री सदन को आश्वासन दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सदन और माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूँ कि जहाँ तक अण्डमान और निकोबार द्वीपों में चुने हुए विधान-मण्डल का प्रश्न है *.....(व्यवधान)*

श्री पी॰एम॰ सईद (लक्ष्यद्वीप) : लक्ष्यद्वीप के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इस विशेष मामले के बारे में पूछा गया है, इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना इस मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता। जैसा कि आप जानते है मंत्रिमंडल को एक नोट भेजना होगा। वह नोट, मेरी जानकारी के अनुसार तैयार किया जा रहा है। जब वह तैयार हो जायेगा तो उसे मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। जब वहाँ से स्वीकृति मिल जायेगी तभी मामला कुछ आगे बढ़ पायेगा। *.....(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने जो मामला उठाया है, वह बहुत आवश्यक है। पूरे देश में घबराहट सी फैली हुई है।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने उर्वरक ईकाइयों के बन्द होने और पुनरुद्धार के विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए सहमति दी है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आई. डी. पी. एल. की क्या स्थिति है। *.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, मैं बिहार के एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिहार में चतरा एक जिला है और वहां दण्डवी पुलिस थाना में सराठू गांव है। वहां 45 वर्ष की एक औरत और 14 वर्ष की उसकी बेटी तथा दो बेटों को रात के बारह बजे घर से उठाकर ले जाया गया और मां-बेटी दोनों को नंगा कर दिया गया और दोनों बेटों से कहा कि दोनों इनसे बलात्कार करो। जब नहीं किया तो एक को गोली मार दी। एक लड़के की स्पॉट पर डेथ हो गई। 14 वर्ष की लड़की का नाम * है और उसकी मां का नाम * है। 20 लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और वह बेहोश हो गई *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : जिन व्यक्तियों से बलात्कार हुआ है, उनके नाम रिकार्ड में नहीं जाने चाहिए। यह अनुचित है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, सदन में जो सवाल खड़ा किया गया है वह उचित है। जिस महिला पर इस तरह के अत्याचार होते हैं उनके नाम रिकार्ड पर जाने उचित नहीं होते हैं उनका गलत प्रभाव होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड में नहीं जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, उसके बाद जब वह बेहोश हो गई तो उसको फिर उठाकर दूसरी जगह ले जाया गया और फिर उस 14 साल की लड़की के साथ 8 आदमियों ने बलात्कार किया और दिन में नंगा करके पांच गांवों में घुमाया गया उसके बाद दस लोगों के नाम में थाने में केस हुआ है। पुलिस चुपचाप बैठी है। हम लोग उसके गांव गये और उसको पटना लाया गया। इस समय उसका पटना आयुर्वेदिक संस्थान में इलाज चल रहा है। उसके ठीक बाद उसी घटना के क्रम में कल शाम चार बजे कोडरमा बस जा रही थी उसमें से 12 आदमियों को नीचे उतारा गया, वहां कोडरमा में एक मुस्लिम गांव है वहां पर उन लोगों से नाम पूछकर चुन-चुनकर जान करके उनको गोली मार दी गई *.....(व्यवधान)* वे वही मर गयें उसके बाद पुनः डेढ़ घंटे के बाद एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई क्योंकि वह भी उसी गांव से आ रहे थे और उस फायरिंग में दो लोग मारे गये। कुछ दिन पहले गवर्नर साहब आये थे, वह कह रहे थे कि बिहार में कोई स्थिति नहीं है, ऑर्डर तो हम देख रहे हैं। महोदय, आज 14 वर्ष की लड़कियों के साथ बलात्कार हो, मां के साथ बलात्कार हो। इतने लोग मारे जाएं आज बिहार में यह सब हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं *.....(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, इसी पर हमने भी नोटिस दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जब कभी हम लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो लाठियों से चुप करा दिया जाता है *.....(व्यवधान)* एम. सी. सी. किसकी संरक्षक है। एम. सी. सी. ने कहा है कि जो बिहार के मुख्य मंत्री के खिलाफ बोलेगा, हम उसको गोलियों से भून देंगे।*.....(व्यवधान)* यह एम. सी. सी. ने थ्रेट दी है। महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो बलात्कार का मामला आया है और इतने लोग मारे गये हैं उस पर हम गृह मंत्रीजी

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

से चाहते हैं कि जो मां-बेटी हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल हो और जो 14 लोग मारे गये हैं .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : इसी पर हमने भी नोटिस दिया है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पप्पू जी, अब आप बैठिये। .....*(व्यवधान)* आर्डर, प्लीज

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आप अध्यक्ष महोदय से बात करके बिहार से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा के लिए प्रतिदिन एक घंटे का समय निर्धारित करवा लीजिए। हर रोज वे यही करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : बिहार में जो वारदातें हो रही हैं .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अभी आप कितना और बोलेंगे, क्या दिन भर बंगाल पर डिसकशन होगा? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : सभापति महोदय, मैंने यहाँ किसी से प्रश्न नहीं किया मैं केवल एक बात पूछ रहा हूँ? क्या स्थानीय विषयों को उठाना और उन पर चर्चा करना सही है?

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : बिहार में कोई सरकार नहीं है ..... *(व्यवधान)* उसको बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए .....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : बिहार में असेम्बली नहीं है। यह ठीक कह रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : सर, इस पर हमने नोटिस दिया है। यह केवल बिहार या बंगाल का सवाल नहीं है। यह ह्यूमेनीटिरेयन सवाल है। .....*(व्यवधान)* आप भी उठाइये कौन रोकता है .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है। दो मिनट में खत्म करिये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मुंशी जी सीनियर मैम्बर हैं यह बीच में बार-बार खड़े हो रहे हैं। .....*(व्यवधान)* इतनी देर से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं मुझे दो मिनट का समय चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : श्री नीतीश कुमार, यदि मैं अपने राज्य से सम्बधित कोई मुद्दा उठाऊँ तो क्या आप यह नहीं कहेंगे कि यह राज्य का विषय है? परन्तु आप तो इसे उठा रहे हैं? यह क्या है .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने श्री पप्पू यादव को सुना । मुझे कोई एतराज़ नहीं। यदि दूसरी ओर से ऐसा मामला उठाया जाए तो क्यों आप चर्चा की अनुमति देंगे?

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : बिहार की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, पप्पू यादव जी ने अभी जो सवाल उठाया है, उसके संबंध में मैंने भी नोटिस दिया था। चतरा जिले के टंडवी थाने में सराठू पंचायत के अंतर्गत चर्बीटार गांव के एक परिवार की एक मां और एक बेटी को जिस तरह उठाकर ले जाया गया, वह बहुत गम्भीर मामला है। उन दोनों के साथ एक नहीं अनेकों बार बलात्कार हुआ। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : उन्होंने पहले ही यह कहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : वह तो हाउस में बोला जा चुका है, उसी को आप क्यों रिपीट कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई नया पाइंट हो तो उसे कहिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप पहले सुन तो लीजिए, जो कुछ कहा जा चुका है, मैं उसे सप्लीमेंट कर रहा हूं।

सभापति महोदय : इसमें कोई नई बात नहीं है। आप रिपीट कर रहे हैं। बैठिए।

श्री नीतीश कुमार : आपने बिना सुने कैसे कह दिया कि मैं कहना चाहता हूं कि पहले इस मामले की थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। जब कलैक्टर से एक डेलीगेशन मिला तो उनके हस्तक्षेप के बाद ही एफ.आई.आर. दर्ज हुई .....*(व्यवधान)* ऐसी स्थिति में, हम आग्रह करेंगे कि गृह मंत्री सदन में वहां की पूरी स्थिति पर वक्तव्य दें क्योंकि वह इलाका धू-धू करके जल रहा है। कल 11 लोग मारे गए और कुल मिलाकर 583 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठिए।

श्री नीतीश कुमार : मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा आप सुनने से पहले ही कह देते हैं। वहां कुल मिलाकर अब 583 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 450 लोग मुसलमान संमाज के हैं लेकिन किसी को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। वहां नरसंहार का सिलसिला जारी है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : मेरे पास पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित दस मामले हैं। आप मुझे इन्हें उठाने की अनुमति दीजिए। आप मुझे इससे रोक नहीं सकते।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नीतीश जी, अब आप बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे : बिहार में कानून-व्यवस्था बुरी तरह फेल हो गई है, इसलिए बिहार की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : इस कांड के बाद वहां बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। जो लोग मारे गए हैं, उनमें से किसी को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं कि होम मिनिस्टर साहब सदन में वक्तव्य दें। .....*(व्यवधान)* वहां नरसंहार का सिलसिला जारी है।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : आपने पहले ही उनकी बात सुन ली है । फिर यह बहस क्यों चल रही है ?

सभापति महोदय : यह इस विषय पर कोई बहस नहीं चल रही।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.32 बजे

[अनुवाद]

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह क्या है। आप तो कई बार बोल चुके हैं। आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। .....*(व्यवधान)* पप्पू यादव जी आप बैठिए।

अपराह्न 1.33 बजे

उस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, हमें सुरक्षा चाहिए।

सभापति महोदय : आप किसकी सुरक्षा चाहते हैं। आपकी सुरक्षा का बंदोबस्त होम मिनिस्टर साहब करेंगे जो आपकी बगल में बैठे हैं। अब आप बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या दिन भर बिहार के मामले ही चलते रहेंगे, दूसरा कोई मामला नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप चेयर से क्या कह रहे हैं, बिहार क्या देश के बाहर है। वह भी देश का एक राज्य है। अगर वहां सामूहिक बलात्कार होंगे तो उसे कहां उठाया जाएगा। बिहार देश के बाहर नहीं है .....*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे : बिहार की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राम नगीना मिश्र।

श्री नीतीश कुमार : वहां कुल मिलाकर 450 मुसलमान मारे जा चुके हैं लेकिन किसी को आज तक मुआवजा नहीं मिला। ..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ श्री राय नगीना मिश्र कह रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री राम नगीन मिश्र (पडरौना) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं .. ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चौबे जी, आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं हो रहा है।

.....*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं .....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इनकी भी समस्या है।

.....*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति जी, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं उसकी ओर आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। .....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। .....*(व्यवधान)* मैं इसी विषय पर एक मिनट बोलूंगा .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने राम नगीना मिश्र जी को बुलाया है।

.....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, आप मुझे केवल एक मिनट बोलने का समय दीजिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिये।

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, पहले मुझे बोलने दीजिए। .....*(व्यवधान)* यह क्यों बोलेंगे ? .....*(व्यवधान)* इन्होंने नोटिस नहीं दिया है। .....*(व्यवधान)* हमने नोटिस दिया है इसलिए आप हमें बोलने दीजिए। .....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, अभी जो सवाल पप्पू यादव जी ने उठाया है, वह बड़ा दुखदायी है ..... *(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, हम लोगों ने भी नोटिस दिया है। .....*(व्यवधान)* यह क्यों बोलेंगे ? .....*(व्यवधान)* पहले हमें बोलने दीजिए। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि व्यवस्था स्थापित नहीं होती, मुझे स्थगित करना पड़ेगा।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, इन्होंने नोटिस नहीं दिया है। यह क्यों बोलेंगे .....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : बिहार के अंदर जो मौत हुई हैं उसका हमें अफसोस है। श्री लालू यादव और उनकी सरकार को सेक्युलर होने का सर्टीफिकेट किसी से नहीं चाहिए। ..... *(व्यवधान)* श्री लालू यादव ने बिहार के अंदर जिस तरह से सेक्युलरिज्म दिया है, वह हिन्दुस्तान में किसी ने नहीं दिया। .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, जब मैं बोल रहा था तो आपने कहा कि दस मिनट हो चुके हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मै पांच मिनट बाद बोला था।

.....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, छह जिलों में 400 मुसलमान मारे गये हैं। .....*(व्यवधान)* एक को भी मुआवजा नहीं मिला है .....*(व्यवधान)* इस पर होम मिनिस्टर का स्टेटमैंट आना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप पहले बोल चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, वहां पर एम. सी. सी. और रणबीर सेना की अंडरग्रांउड लड़ाई चल रही है जिससे कई मौतें हो रही हैं। यह बहुत दुखदायी बात है। .....*(व्यवधान)* हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि उस पर काबू पाया जाये ..... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। मैंने आपको एक मिनट समय दिया था आपने एक मिनट बोल लिया है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड हो गयी है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री फातमी, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी 450 मुसलमान मारे गये हैं .....*(व्यवधान)* एक को भी मुआवजा नहीं मिला है। 11 मुसलमान कल मारे गये हैं। .....*(व्यवधान)* दो मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुए .....*(व्यवधान)* कुल 450 मुसलमान मारे गये हैं .....*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, हम आपसे यही मांग कर रहे हैं .....*(व्यवधान)* जहां तक पप्पू यादव जी का सवाल है, उनकी पार्टी यू.पी. में बी.जे.पी. को लेकर गयी है और बिहार में भी लाना चाहती है, लेकिन हम लोग आने नहीं देंगे ..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.51 बजे

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.51 बजे पुनः समवेत हुई

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के मछलीशहर में चीनी मिलों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ राम विलास वेदान्ती (मछलीशहर) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर (उ.प्र.) के अन्तर्गत गन्ने की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। लेकिन गन्ने की पेराई का कोई साधन न होने के कारण गन्ना उत्पादकों को गन्ना बहुत ही सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है या गन्ने की फसल को उचित दाम न मिलने के कारण जलाने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रतापगढ़ जिले में कोई चीनी मिल न होने के कारण किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है। क्षेत्र के लोग काफी समय से चीनी मिल लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी उचित मांग पर सरकार समुचित ध्यान नहीं दे रही है।

अतः मैं पुनः केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर के अन्तर्गत कम से कम चीनी मिलों को लाईसेंस दिए जाएं ताकि क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का आर्थिक शोषण रोका जा सके।

(दो) लद्दाख स्काउट्स की संख्या बढ़ाने और उसे एक रेजीमेंट का दर्जा दिए जाने की अवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी॰ नामग्याल : लद्दाख स्काउट्स जिसे भारतीय सेना की आँखें और कान' माना जाता है, इतनी ऊँचाई और विकट मौसमी परिस्थितियों में भी पूरे जोश और समर्पण से, अपने अस्तित्व में आने के समय से ही देश की सेवा करता रहा है। न केवल यह कि यह इकाई दुर्गम ऊँची सीमाओं की रक्षा करके राष्ट्र की सेवा करती रही है अपितु पाकिस्तान के साथ हुए तीन युद्धों और चीन के साथ हुए एक युद्ध के कारण लद्दाख की बिखरी हुए अर्थ-व्यवस्था को निर्मित करने में भी इस इकाई ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास में राष्ट्र की सेवा करते हुए लद्दाख स्काउट्स ने भारतीय सेना की सर्वाधिक सजीली इकाई के रूप में अनगिनत विशिष्टाएं और वीर पदक जीते हैं। लद्दाख शब्द जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का पुराना नाम है और इसका किसी जाति अथवा धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसे भारत सरकार द्वारा उचित मान्यता दी जानी चाहिए।

अब समय आ गया है जब देश की अत्यधिक दुर्गम, ठण्डे और संवेदनशील सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा में निष्काम सेवा करने वाली इस इकाई को सरकार द्वारा उचित मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह लद्दाख स्काऊट्स की वर्तमान संख्या को बढ़ाए और बिना कोई समय गंवाए इसे रेजीमेंट का दर्जा दे।

(तीन) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या का समाधन करने हेतु सिद्धमुख नहर परियोजना की मूल योजना को बनाए रखने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चूरू) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिला चुरू (राजस्थान) में पानी की भारी कमी रहती है, जिसके कारण हर साल अकाल और सूखा पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए तहसील राजगढ़ जिला चुरू में पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल आपूर्ति हेतु दिनांक 5.10.87 को स्व. राजीव गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सिद्धमुख नहर परियोजना का शिलान्यास किया था। इस योजना के पूर्ण होने पर न केवल पेयजल की आपूर्ति होगी और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोका जा सकेगा और चारों ओर हरियाली हो जाएगी और अन्नोत्पादन में वृद्धि होगी, किन्तु पता नहीं किन कारणों से प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत इस सिद्धमुख नहर परियोजना के मूल प्लान (ओरिजनल प्लान) में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया और इसका मुख पूर्व की जगह पश्चिम कर दिया गया, जिसके कारण मेरे क्षेत्र में अब इस सिद्धमुख नहर परियोजना का पानी नहीं आएगा और मेरे क्षेत्र में बने कार्यालय एवं आवास के भवनों पर खर्च किया गया करोड़ों रुपया व्यर्थ हो जाएगा तथा मेरे क्षेत्र के लोगों की वर्षों से पानी आने की आशा टूट जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इस सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ओरिजनल प्लान के अनुसार ही करवाया जाए, ताकि इस क्षेत्र के 50 गांवों की जनता को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

(चार) महान उपन्यासकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा॰ राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के लोग साहित्य के क्षेत्र में महान उपन्यासकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय की उपलब्धियों के लिए उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को इस वर्ष इस महान उपन्यासकार की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की ओर ध्यान दे।

(पाँच) नेपाल सरकार के सहयोग से ककरहवा और लुम्बिनी (नेपाल) के बीच सड़क निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर स्थित ग्राम पिपरहवा को पुरातत्व विभाग ने खुदाई के बाद महात्मा बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु घोषित किया, जिसकी प्रामाणिकता की पुष्टि देश-विदेश के बौद्ध धर्मावलम्बियों ने की है। इसी के निकट भगवान बुद्ध भारत की सीमा ककरहवा से लुम्बिनी जाने का सीधा रास्ता था, जिससे भारी मात्रा में विदेशी-देशी पर्यटक आते-जाते थे, परन्तु कपिलवस्तु की घोषणा के बाद नेपाल सरकार की उपेक्षा के कारण लुम्बिनी का रास्ता टूट-फूट कर जर्जर हो गया। इस कारण लुम्बिनी जाने के लिए करीब 120 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, परन्तु यदि नेपाल सरकार यह सड़क बना दे, तो कपिलवस्तु से लुम्बिनी की दूरी घटकर करीब 15 किलोमीटर हो जाएगी। अतः हमारी मांग है कि भारत सरकार नेपाल सरकार से अनुरोध करे कि लुम्बिनी में चेक पोस्ट खोले और ककरहवा से लुम्बिनी के बीच की सड़क का पुनर्निर्माण कराये अथवा नेपाल सरकार की आर्थिक कठिनाई के कारण संभव न हो तो जिस प्रकार भारत सरकार या अन्य विदेशी सरकारें नेपाल की मदद के लिए नेपाल के अन्य भागों में सड़क का निर्माण किया है, उसी प्रकार प्राथमिकता दे कर भारत सरकार ही उसका निर्माण करे। इससे भारत-नेपाल संबंधों को भी बल मिलेगा और हमारे पर्यटन को भी बढ़वा मिलेगा। साथ ही कपिलवस्तु विकास योजना के लिए बने मास्टर प्लान का काम रुका हुआ है।

इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि मास्टर प्लान का कार्य शीघ्र शुरू करा कर पूरा किया जाए और इसे अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित कर इस क्षेत्र का चौतरफा विकास किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

(छः) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में मगदापुर और औरंगाबाद क्षेत्रों में पेड़ों के नष्ट होने के कारणों की जांच करने हेतु विशेषज्ञ दल भेजे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र खीरी जिले की मोहम्मदी वागोला तहसील के परगना मगदापुर तथा औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर स्थित पेड़ और बागान सूख रहे हैं। पेड़ों के सूखने के कारणों का पता यहां के लोग अभी तक नहीं लगा पाये हैं कारणों का पता न लगने से स्थानीय लोग कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र के 10 कि.मी. उत्तर में वे जंगल आरम्भ होते हैं जो नेशनल पार्क तक जाते हैं। जो कभी भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकता है और देश का काफी नुकसान हो सकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पेड़ सूख रहे हैं उनकी बीमारी का कारण पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की टीम वहां भेजी जाये जिससे इन पेड़ों को गिरने से रोका जा सके।

(सात) सोनीपत जिले की तहसील गोहाना में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत चीनी मिल की स्थापना करने हेतु हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ अरविन्द शर्मा (सोनीपत) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हरियाणा में प्रतिवर्ष लगभग 95.30 लाख मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है और वहां स्थित चीनी मिलों की वर्तमान में गन्ना पिराई की कुल क्षमता 67 लाख मीट्रिक टन है। इसलिए काफी बड़ी मात्रा में गन्ना पिराई के लिए उपलब्ध है लेकिन पर्याप्त संख्या में चीनी मिलों के न होने के कारण गन्ना किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला सोनीपत की गोहाना तहसील एवं आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा होता है लेकिन चीनी मिल न होने के कारण वहां के किसानों को अपना गन्ना दूर स्थित अन्य मिलों में ले जाना पड़ता है जिसके कारण ढुलाई पर उनका काफी खर्च आता है तथा काफी समय बर्बाद होता है जिससे किसानों को बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। गोहाना में केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने के राज्य सरकार को एक आशयपत्र तीन वर्ष पूर्व जारी किया था, किन्तु तीन वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी राज्य सरकार अब तक इस चीनी मिल को स्थापित नहीं कर सकी है। अब शायद एक वर्ष की समयावधि केन्द्र सरकार ने और बढ़ा दी है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गन्ना किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए इस चीनी मिल को स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार पर दबाव डालें और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप इस चीनी मिल की स्थापना को सुनिश्चित करें। यदि राज्य सरकार आर्थिक विपन्नता के कारण इस चीनी मिल को स्थापित करने में असमर्थ रहती है तो मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा के गन्ना किसानों के हित में इस चीनी मिल को निजी क्षेत्र में स्थापित करने के आदेश दें।

(आठ) मेडिकल कालेजों में दाखिले हेतु जम्मू-कश्मीर राज्य को प्रवेश परीक्षा के सामान्य पूल के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपूर) : पहले राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कालेजों में प्रवेश केवल संबंधित राज्यों के विद्यार्थियों तक ही सीमित था और उसमें सभी प्रकार के आरक्षण भी थे। विद्यार्थी समुदाय में काफी रोष था इस मामले को 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था। न्यायालय ने 1986 में एक निर्णय दिया जिसके अंतर्गत राज्य चालित मेडिकल कालेजों से 15 प्रतिशत सीटों (अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट) का एक पूल बनाने का निर्देश दिया था। इन सीटों को बिना किसी आरक्षण के भाग ले रहे सभी राज्यों के अभ्यर्थियों की एक सामान्य प्रवेश परीक्षा लेकर भरा जाता है। न्यायालय ने राज्य सरकारों से स्वीकृति मांगी है। जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य इस स्कीम में हिस्सा लेने पर सहमत हो गए हैं

जो जनवरी, 1986 से लागू हुई। इस स्कीम के अंतर्गत, एम.सी.आई. के नियंत्रण के अंतर्गत सी.बी.एस.ई. द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा ली जाती है और अंकों के आधार पर भर्ती की जाती है। इस प्रकार भागीदार राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए कुल 1500-2000 सीटें उपलब्ध हैं।

जम्मू-कश्मीर में इस योजना के पक्ष में विद्यार्थियों द्वारा अभ्यावेदन दिये गये तथा यहां तक कि जूनियर डाक्टरों ने भी इस बारे में दो बार हड़ताल की थी। जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थी तथा जूनियर डाक्टर बिना किसी गलती के दुख उठा रहे हैं।

इसके लागू होने पर, मेधावी छात्र राष्ट्रीय स्तर पर 1500-2000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं और वे निश्चित रूप से उससे अधिक पा सकेंगे जो हम उन्हें कॉमन पूल के अंतर्गत देते। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय अखण्डता की दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों से एक दूसरे के निकट लाता है।

मेरा अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को शीघ्र इस प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत लाया जाए।

अपराह्न 3.05 बजे

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में प्रस्ताव - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सदन नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगा। इस चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा पांच घंटे का समय निर्धारित किया गया था और अब तक 2 घंटे और 42 मिनट का समय दिया जा चुका है। शेष समय 2 घंटे और 18 मिनट का बाकी है। लातूर के माननीय सदस्य सबसे अंतिम में बोल रहे थे और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना अभिभाषण जारी रखें।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल (लातूर) : सभापति महोदय, मुझे वास्तव में बड़ी खुशी है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा की जा रही है।

पंचवर्षीय योजनाओं को भी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसपर सदस्यों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कुछ समय बाद पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। मैं समझता हूं कि रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सदस्यों को उस रिपोर्ट पर चर्चा करने का मौका भी मिलना चाहिए।

जब संदर्भ पत्र पंचवर्षीय योजना और मध्यावधि मूल्यांकन पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जाती है तो सरकार के लिए संसद सदस्यों और लोगों की भागीदारी द्वारा योजना को कार्यान्वित करना आसान हो जाता है। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, इस दृष्टिकोण से विचार काफी सराहनीय है।

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के संबंध में एक अध्याय है जिसका सरकार को अनुपालन करना चाहिए। यह भारत के संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें ऐसा दृष्टिकोण रखा गया है जो नीति बनाने तथा नीति को लागू करने में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इस समय तक आठ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और लागू की जा चुकी हैं। उन सभी योजनाओं में - मैं समझता हूं कि इस योजना में भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया है। वर्तमान सरकार यह दावा करती है कि यह दृष्टिकोण पत्र और नौवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा बनाए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम से उद्भूत हैं। सरकार को इस दावे को लेकर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहा जा सकता है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वे नीतियाँ अपनाई गई हैं जो हमने अपने लिए देश में बनाई हैं तथा जो पंचवर्षीय योजना हमने अपने लिए बनाई है उसमें हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को अपनाया गया है।

इसलिए, इस पर विवाद करना आवश्यक नहीं है और यह बात बहुत आसानी से स्वीकार की जा सकती है कि यह संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अपनाए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।

मैंने इस दृष्टिकोण पत्र का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें निर्धारित वरीयताएं और लक्ष्य सही दिशा में हैं।

ये वरीयता और लक्ष्य संविधान में, नीतियों में जो कि हमने इन वर्षों में अपने लिए बनाई हैं उल्लिखित किया गया है तथा पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस पंचवर्षीय योजना में दिए गए निर्देश को पहले कि पंचवर्षीय योजनाओं में दिए गए निर्देशों के बिल्कुल समान हैं। इसमें एक निरंतरता और परिवर्तन होना चाहिए तथा इस संदर्भ पत्र में निरंतरता का धागा है तथा मैं समझता हूं कि यह नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी स्पष्ट झलकेगा। निश्चत रूप से, हम ठहराव नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ना है तथा इस पत्र में वह गलती स्पष्ट झलकती है।

एक और बहुत महत्वपूर्ण बात गरीबी उन्मूलन है तथा गरीबी उन्मूलन को इस संदर्भ पत्र में पहला स्थान दिया गया है। गरीबी उन्मूलन या गरीबी समाप्त करना एक ऐसा विषय हैं जिसपर हमारे देश में पिछले कई सालों से चर्चा की जाती रही है। जब इसपर विगत में चर्चा की गई थी तो कुछ लोगों ने गरीबी उन्मूलन के विचार का विरोध किया था उन्होंने कहा था कि "यह सरकार का लोगों से वोट लेने के लिए दिया गया नारा हैं।" मैं नहीं समझता कि उनका मूल्यांकन सही था और मैं नहीं समझता कि अगर कोई इस कार्यक्रम में उल्लेख किए गए गरीबी उन्मूलन के संबंध में ऐसी धारणा रखता है तो उसे सही माना जाएगा।

विगत में, भूमि के मालिकों और जमीदारों से जमीन लेकर लोगों में वितरित की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उन्हें

किसानों तथा थोड़ी संपत्ति, व्यवसाय और उद्योग के मालिकों को धन देने के लिए कहा गया था। गरीबी उन्मूलन के लिए अन्य कई उपाय किये गए थे। इस समय यहां उन सभी का उल्लेख करना आवश्यक नहीं हैं। जब समय आएगा तो उनका उल्लेख भी कर दिया जाएगा।

सरकार द्वारा दिए गए दृष्टिकोण पत्र में दो बातें काफी महत्व रखती हैं। पहली बात है रोजगार आश्वासन स्कीम। सरकार ने कहा है कि रोजगार आश्वासन स्कीम – वे इसे रोजगार गारंटी स्कीम नहीं बल्कि रोजगार आश्वासन स्कीम कह रहे हैं – को देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। कुछ समय तक, उन्होंने इसे केवल कुछ ब्लाकों में ही लागू किया था और अब इसे देश के सभी ब्लाकों में लागू किया जाएगा। मैं समझता हूं, यह इस सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इस सरकार को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि क्या यह रोजगार आश्वासन स्कीम सही तरीके से लागू हो सकेगी। मैं इस सदन के उन सदस्यों में से एक सदस्य हूं जिसने स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, और केंद्रीय स्तर पर कार्य किया है। जब महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी स्कीम बनाई गई थी तो मैं उस समिति का एक सदस्य था। जब वह रोजगार गारंटी स्कीम बनाई गई थी और राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की गई थी तो कई लोग इस बात पर संदेह कर रहे थे कि क्या यह रोजगार गारंटी स्कीम उस समय लागू हो सकेगी ?

उस रोजगार गारंटी स्कीम को बहुत ही सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें कोई कमियां नहीं हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि रोजगार स्कीम को लागू करते समय लोगों ने गलती की। आखिर, रोजगार गारंटी स्कीम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और हम सभी देख सकते हैं। अगर कोई अधिकारी किसी संसद सदस्य या किसी विधायक के पास आता है या किसी मंत्री के पास जाता है तथा यह कहता है कि रोजगार गारंटी स्कीम सही ढंग से लागू की गई है तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास कर सकता है। परंतु अगर गांव में लोग आकर जनता के प्रतिनिधि से यह शिकायत करते हैं कि आपने यह रोजगार गारंटी स्कीम क्यों लागू की जिससे हम अपने खेतों में अधिक लोगों को नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि रोजगार गारंटी स्कीम सफल हुई है।

महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी स्कीम सफल हुई है और मैं समझता हूं कि अगर इसे पूरी सावधानी और वैज्ञानिक तरीके से, जहां भी यह स्कीम चल रही है वहां से सूचना एकत्र करके, उसका विश्लेषण करके और सुधारात्मक उपाय करके स्कीम को लागू किया जाता है तो यह स्कीम सफल होगी। अगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो यह पंचवर्षीय योजनाओं की एक सर्वोतम उपलब्धि होगी।

हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जीने के अधिकार पर निर्णय देते समय कहा था कि नागरिकों को काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने इतना ही नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि इस जीने के अधिकार में काम का अधिकार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। जीने के अधिकार में काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और आवास का अधिकार शामिल है। नागरिकों के जीने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या दी है। एक वकील के रूप में, उस अनुच्छेद पर दी गई व्याख्या से मेरे विचार भिन्न हो सकते हैं। परंतु एक राजनीतिज्ञ और एक व्यक्ति के रूप में, जिसकी समाज के विकास में रुचि है, मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सही दिशा में कार्य करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है वह सब उन बातों से बहुत अलग नहीं है जो हमें इस देश में करनी चाहिए।

जब हम सोचते हैं कि न्यायपालिका को क्या करना चाहिए तो हम कहते हैं कि उनका काम कानून की व्याख्या करना है तथा प्रकृति से वे रुढ़िवादी हैं। वे विगत और वर्तमान को देखते हैं तथा विद्यमान नियमों की व्याख्या करते हैं और इस विधायिका से यह आशा की जाती है कि वर्तमान और भविष्य की मांग को पूरा करने वाली नीतियां बनाने के लिए भविष्य को देखते हुए भावी दृष्टिकोण अपनाएं। विगत से शिक्षा लेते हुए, इस विधान सभा या किसी भी विधान सभा का यह कार्य है कि वह भविष्य की ओर देखे तथा यह समझने की कोशिश करे कि उसके नागरिकों द्वारा किन-किन कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है तथा उनके लिए आवश्यक नीतियाँ तथा कानून बनाने की कोशिश करें।

यह बहुत अच्छा होता अगर संसद इस बात के साथ सामने आती कि हम काम करने के अधिकार को संविधान में शामिल कर लेंगे। प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार इस भार को उठा सकने में सफल होगी। मेरा विचार है कि सरकार अकेली इस भार को नहीं उठा सकेगी परंतु पूरा समाज इस भार को ज़रूर उठा सकेगा। माननीय विदग्धता इतनी कमज़ोर नहीं है कि समाज को इस प्रयास में भागीदार न बनाए और ज़रुरतमंद लोगों को रोज़गार प्रदान न करे।

काम करने का अधिकार क्या है ? हमें यह जानकर हैरानी होगी कि काम करने का अधिकार न केवल कम्यूनिस्ट संविधान या समाजवादी संविधान में दिया गया है बल्कि ऐसे संविधानों में भी, जिसमें पूंजीवादी सिद्धांत बल्कि बाजार अर्थनीति के सिद्धांत भी अपनाए गए हैं, में भी दिया गया है। जिन देशों में इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता वहां बेरोज़गार लोगों को मुफ्त सहायता दी जाती है। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि में काम का अधिकार नहीं दिया जाता परतु मुफ्त सहायता दी जाती है। कोई आदमी काम न भी करे फिर भी उसे अपना गुज़ारा करने के लिए बेकारी अनुदान दिये जाते हैं। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में काम का अधिकार प्रदत्त नहीं है, परन्तु बेकारी अनुदान दिया जाता है। किसी आदमी को काम भले ही न मिले परन्तु अपना गुजारा करने हेतु बेकारी अनुदान अवश्य मिलता है। जापान, जो न ही एक समाजवादी देश है और न ही एक कम्यूनिस्ट देश है, ने एक ही शब्द में एक अनुच्छेद में कहा है कि किसी भी नागरिक का काम करने का अधिकार और कर्तव्य होगा। इस कथन में विचार भरे पड़े हैं। नागरिक का काम करने का अधिकार होगा और नागरिक का काम करने का कर्तव्य होगा। अगर उसे काम करने का अधिकार दिया गया है। तो काम करना उसका कर्त्तव्य भी बन जाता है और उसके कर्त्तव्य में से जो कुछ कार्य होगा उससे बेरोजगारों को काम पर भी लगाया जा सकेगा।

जापान में इस तरह की स्थिति है। यह भारत जैसे देश में इस तरह की समस्या को सुलझाने के लिए सिद्धांत और नीति बनाकर,

[श्री शिवराज वी॰ पाटिल]

संविधान में इसे लाकर और हम सभी पर यह बात लागू करके कि जिसके पास भूसंपत्ति नहीं या जिसके पास कोई व्यवसाय या उद्योग न हो या जो काम करने के लिए तैयार हो उसे चोरी या आत्महत्या करने पर मज़बूर नहीं होगा—क्यों नहीं संभव होगा?

हमारे लिए यह संभव क्यों नहीं हो सकता? अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और अगर हम अपनी-अपनी बातों पर ही अड़े रहते हैं तो ठीक है ऐसा नहीं हो सकेगा। परंतु मैं समझता हूँ कि यह काम करने के अधिकार की वह व्याख्या नहीं है जिसे आम तौर पर लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। काम करने के अधिकार की व्याख्या यह है कि जो काम बेरोजगारों को दिया जाए, जो इसे करना चाहते हैं या कर सकने में समर्थ हैं। यह व्याख्या नहीं है। काम करने के अधिकार की व्याख्या यह है कि बेरोजगार लोगों को एक ऐसा काम मिले जिससे उनको जीवन-यापन में सहायता मिले। एक पी.एच.डी. व्यक्ति को भी क्लर्क का काम दिया जाए तथा अगर ऐसा हो जाता है तभी काम करने का अधिकार लागू हो सकता है। अगर काम करने के अधिकार के ये सारे पक्ष हम समझ लेते हैं और उन्हें अपने मस्तिष्क में उतार लेते हैं तो हमारे लिए इस प्रकार की बात होना हमारी क्षमता के बाहर नहीं है- मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि इसी प्रकार की कोई बात है जो कि हमारे नागरिकों को काम करने के अधिकार प्रदान करने के लिए हमारे मूलभूत कानून या अन्य कानूनों में दी गई है। मैं समझता हूं कि यह संदर्भ पत्र इस दिशा में काफी सही है और इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

दूसरी मुख्य बात जिसका उल्लेख उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए किया है वह सब्सिडी के संबंध में है। सब्सिडी का यह मुद्दा इस सदन में इस सदन के बाहर और देश के बाहर लोगों द्वारा तथा हमारे देश में व्यक्तियों, संगठनों, वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाया जा रहा है।

आज प्रश्न यह है कि हमने किन क्षेत्रों में सब्सिडी दी है। हमारे सामने यह प्रश्न उठा है कि क्या इन सब्सिडियों को जारी रखा जाये या खत्म कर दिया जाए, क्या इन सब्सिडियों को कम कर दिया जाए, क्या कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी को कम या खत्म कर दिया जाए। यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है इस संबंध में सभापटल पर एक पत्र प्रस्तुत किया गया है और मैं समझता हूँ कि जब भी समय मिलेगा यह सदन इसपर चर्चा करेगा। परंतु इस मामले पर चर्चा करते समय इस सरकार को, संसद को और देश को बहुत सावधान होना चाहिए। यह सब्सिडी देश के सबसे अधिक गरीब लोगों की मदद के लिए दी गई है। अगर यह अमीर या समृद्ध लोगों के लिए दी जाती तो इस सब्सिडी को हटाना कठिन नहीं होता परंतु अगर आपको इस देश के सबसे गरीब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना है तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा और अगर हम सावधान नहीं होते हम इसके परिणमों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तथा ये नीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति तथा इस देश की संप्रभुता को हिला देंगे। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार को सब्सिडी की समस्या के संबंध में काफी सावधान होना चाहिए और यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि किन क्षेत्रों में सब्सिडी को जारी रखा जाए, किन क्षेत्रों में इनको जारी न रखाजाए, किन क्षेत्रों में और किस हद तक इसको कम किया जाए और तभी हमें यह करना चाहिए। उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए न कि इसके विपरीत। अगर ऐसा किया जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं इस पत्र में उल्लिखित गरीबी उन्मूलन सिद्धांत के अर्थ पहलू के संबंध में बात नहीं करूंगा। तीसरी बहुत महत्त्वपूर्ण बात जो इस दृष्टिकोण पत्र में कही गई है वह है, उत्पादन - कृषि से उत्पादन और उद्योग से उत्पादन। उन्होंने प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों या ज्ञानवर्धन वाले क्षेत्रों से होने वाले उत्पादन का उल्लेख नहीं किया है। अगर वे उत्पादन के क्षेत्रों का भी उल्लेख करते तो अच्छा होता। कृषि उत्पादन अच्छा रहा है, चाहे जनसंख्या 350 मिलियन से बढ़कर 950 मिलियन तक हो गई है फिर भी हम अपने लोगों के लिए खाद्य उपलब्ध करा सकते हैं, हम अपने लोगों को कपड़े दे सकते हैं। ऐसा कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ।

मैं समझता हूं हम 200 बिलियन टन अनाज के लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। .....*(व्यवधान)* यह अच्छी बात है। परंतु इस क्षेत्र में भी सावधान होना पड़ेगा। भारत में प्रति हेक्टेयर भूमि में होने वाली उत्पादकता कई अन्य देशों में होने वाली उत्पादकता के बराबर नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है। प्रति एकड़ भूमि में उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को और अधिक उत्पादक तथा लाभकारी बनाने तथा पारिश्रमिक को और अधिक बढ़ाने के लिए हमें उपाय करने होंगे। हम इसे अधिक उत्पादक और लाभकारी कैसे बना सकते हैं? एक अन्य बात यह है कि बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए। अगर हम धन को जमीन में नहीं लगाते तो हमें काफी कम लाभ मिलेगा।

दूसरा, भारत में उद्योगों की तरह कृषि अति आधुनिक नहीं है। कृषि को आधुनिक बनाने की भी गुंजाइश है।

तीसरा, खेती में दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा भी पर्याप्त नहीं है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि सही मात्रा में उर्वरक डाले जाएं।

चौथा, सिंचाई सुविधा के संबंध में है। सिंचाई सुविधा बड़े पैमाने पर की गई थी और हम इसके परिणाम जानते हैं। अगर पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध न होता और पंजाब और हरियाणा के किसानों को सिंचाई सुविधा न मिलती तो वे उतना उत्पादन नहीं कर सकते थे जितना वे आज कर रहे हैं। परंतु मैं समझता हूं इस क्षेत्र में राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं और इस कारण कृषि को काफी नुकसान हुआ। नदी पर बांध बनाना और पानी को रोककर उसे भूमि में उपलब्ध कराना ही काफी नहीं है। इस जल को मितव्ययी तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। पानी की प्रत्येक बूंद का सही तरीके से उपयोग होना चाहिए और आधुनिक साधन सुविधाएं और उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस्राइल जैसे देश में सिंचाई के लिए कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की कीमत लाखों रुपए नहीं बल्कि कुछ हजार रुपए होती है - सिंचाई के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए खेती में यह तरीका अपनाया जाना चाहिए।

जहां तक उद्योग का संबंध है, मैं समझता कि योजना आयोग द्वारा उद्योगों की समस्या को सुलझाने के लिए किया गया उपाय बहुत अच्छा है। उन्होंने कई पहलुओं पर विचार किया है और मैं समझता हूं कि आखिर वे बहुत सही निष्कर्षों पर पहुंचे हैं और वे निष्कर्षों को औद्योगिक उत्पादन में लागू कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में औद्योंगिक उत्पादन लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और कुछ अन्य क्षेत्रों मे यह 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष भी है। यही गति जारी रहनी चाहिए और अगर संभव हो तो इस स्तर को और अधिक बढ़ाना चाहिए। अगर हम कृषि में मज़बूत हैं तो हम उद्योग में कमज़ोर हैं। हम उद्योग में कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि भारत औद्योगिक दूरदृष्टि नहीं अपनाता। यद्यपि 60 से 70 प्रतिशत लोग इस देश में कृषि पर निर्भर हैं फिर भी औद्योगिक विकास में कृषि विकास से कहीं अधिक वृद्धि हो सकती हैं। जब तक हम औद्योगिक रूप से मज़बूत नहीं होते तब तक हम अन्य देशों को निर्यात करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के निर्यात नहीं कर सकेंगे इसलिए यहां भी हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा। उद्योग में भी एक और कमज़ोर पक्ष विद्युत और यातायात है।

दृष्टिकोण पत्र में भी उन लक्ष्यों के बारे में कहा गया है जो हमने पिछले पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये थे तथा जिनके लिए सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। हम यहां सरकार पर आरोप लगाने के लिए नहीं हैं, हम यहां यह देखने के लिए हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है तथा अगर कुछ सही नहीं है तो यह सही क्यों नहीं है; हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। हम इसी करण यहां हैं। हम योजना की प्रशंसा करने के लिए नहीं हैं हम योजना की बुराई करने के लिए भी नहीं हैं। हमारी ऐसी धारणा कभी नहीं रही। परंतु विद्युत उत्पादन सबसे कमज़ोर पक्ष रहा है और इस संदर्भ में हमें कुछ करना होगा।

उद्योग और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में दूसरा सबसे कमजोर पक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी है।

योजना मंत्री, सौभाग्य से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं और किसी अन्य मंत्री की तरह उन्हें भी ज़रूर अपने मंत्रालय से प्यार और स्नेह होगा। जब मैं वहां था तो मैं भी वही बातें करता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने जो कुछ किया है, वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है और यह कहना गलत है कि हमारी प्रयोगशालाएं काम नहीं करती, हमारी नीतियां सही नहीं रही, हमने अच्छा काम नहीं किया इत्यादि। 1958 की विज्ञान नीति ने हमारी बहुत मदद की है। हमारे देश में लगभग 300 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से हमें काफी मदद मिली है और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई हमारी विज्ञान नीति के कारण आज हमारे पास इतनी अधिक वैज्ञानिक जनशक्ति है कि हमें किसी भी जटिल उद्योग या कार्य क्षेत्र को संभालने के लिए बाहर से विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम आत्मनिर्भर हैं और न केवल इतना बल्कि जहां तक विज्ञान और प्रोद्योगिकी का संबंध है हम जटिलतम चीजों का उत्पादन कर सकते हैं और उच्चतम शिखर तक पहुंच सकते हैं।

इतना कहने के बाद भी यह महसूस किया जाना चाहिए कि जो कुछ हमने किया वह पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र को नज़रअंदाज करना गलत होगा। हमारे देश के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसा महत्त्वपूर्ण कोई और क्षेत्र नहीं है। विज्ञान मंत्रालय या उनके सहकर्मियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक कार्यों तथा सरकार द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों को अपनाकर यह कहना गलत होगा कि यह पर्याप्त है। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं होऊंगा अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि: 'आप एक रुपया कमाओ और मैं आपको एक रुपया दूंगा'। ऐसी नीति से कोई मदद नहीं हो सकती। हमें अपने आपको गुमराह नहीं करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किया गया निवेश उद्योग या कृषि या इसी प्रकार के किसी अन्य कार्य में किए गए निवेश से हजारों गुणा अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सी.एस. आई.आर. विज्ञान प्रयोगशालाएं दो करोड़ या तीन करोड़ रुपया अर्जित कर सकें और सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं को दो या तीन करोड़ रुपया दे दिया जाएगा और अगर आप यह सोच रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इतना रुपया काफी होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। हमें इस प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। यह ठीक नहीं है। यह पर्याप्त होगा। हमें और अधिक धन की आवश्यकता है। जब तक क्षितिज क्षेत्रों में - अंतरिक्ष विज्ञान, महासागर विज्ञान, पदार्थ से संबंधित विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक से संबंधित विज्ञान, आनुवांशिकी से संबंधित विज्ञान और ज्ञान तथा संचार से संबंधित विज्ञान-कार्यरत प्रयोगशालाओं को इतनी धनराशि नहीं दी जाती और जबतक इस उद्देश्य के लिए उतनी राशि नहीं लगाई जाती, तब तक हमारा विज्ञान एक प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञान नहीं हो सकेगा।

1983 में एक प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई थी और वह प्रौद्योगिकी नीति अब भी है। आज आप प्रौद्योगिकी के आयात या प्रौद्योगिकी के उत्पादन या प्रौद्योगिकी के निर्यात की अनुमति की जो कोशिश कर रहे हैं उन सभी नीतियों पर प्रौद्योगिकी नीति विवरण में विचार किया गया है। मैं उन सभी से जो नीतियां बना रहे हैं और नीतियां लागू कर रहे हैं अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उस नीति से उन क्षेत्रों का समाधान नहीं हो सकता तो हमें उस नीति को संशोधित कर देना चाहिए या हमें वह नीति अपना लेनी चाहिए। परंतु नीतियां पहले ही बनी हुई हैं और हमें उन पर निर्भर रहना होगा।

हमारे देश में ज्ञान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास या उत्पादन के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान के विकास के लिए हम जो निवेश कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कम से कम मैं - चाहे इसे अन्य लोग स्वीकार कर लें नौवीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकता। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। हमें यह कहकर बहकना नहीं चाहिए कि: 'आप एक रुपया कमाइये और मैं आपको एक रुपया दूंगा'। यह ठीक नहीं है। यह बेकार की बातें हैं। यह उसी प्रकार है कि किसी बच्चे को एक लॉलिपॉप दे दो और उसे कहो कि तुम इस लॉलिपॉप से ही खुश रहो। इस तरह का कोई लॉलिपॉप हमारी मदद नहीं करेगा। हमें बहकना नहीं चाहिए और हमें इन बातों से बाहर आना चाहिए।

अब मैं वितरण की बात करता हूं। वितरण भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। अगर गरीबी उन्मूलन महत्त्वपूर्ण है, अगर उत्पादन महत्त्वपूर्ण है तो वितरण भी महत्त्वपूर्ण है मैं समझता हूं कल अनादि चरण साहू

[श्री शिवराज वी॰ पाटिल]

और श्री सुरेश प्रभु ने ज़ोर देकर यह कहा था कि चाहे हम कितना ही उत्पादन करलें परंतु यह जबतक जरूरत मंद लोगों तक नहीं पहुंच रहे है तो इसके होने का क्या फायदा है?

हम गेहूं और ज्वार का उत्पादन कर सकते हैं फिर हम उसे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भर देते हैं। इस प्रकार यह लोगों को उपलब्ध नहीं होगा। फिर हम उसे 2 वर्ष बाद निकालकर खुले बाज़ार में बेच देते हैं, जो कि लोगों के खाने के लिए ठीक नहीं है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई वितरण प्रणाली नहीं है। इसलिए, वितरण संबंधी न्याय करना भी आवश्यक है।

अब मैं सामाजिक क्षेत्र की बात करता हूं। मैं समझता हूं कि योजना आयोग ने उत्पादन और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काफी सही और विस्तारपूर्वक सोचा है। परंतु जहां तक सामाजिक क्षेत्र का संबंध है मैं यह महसूस करता हूं कि उनके द्वारा दिया गया निर्देश वास्तव में उत्साहवर्धक नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अनुपयोगी है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें कमी है, मैं यह कह रहा हूं कि यह उत्साहवर्धक नहीं है। इससे कोई मदद नहीं होने वाली है।

जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संस्कृति, समाज, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का संबंध है उनमें कुछ कमियां हैं। मैं समझता हूं कि इसे मंत्रीजी ने भी महसूस किया था क्योंकि कल प्रारंभिक वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में काफी विचार किए जाने की आवश्यकता है और हम नीतियों में सुधार करेंगे, हम नीतियों का विस्तार करेंगे तथा हम नीतियां बनाएंगे।

महोदय, जहां तक शिक्षा का संबंध है हमने नई शिक्षा नीति बनाई है। मुझे इस सदन में इसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसपर बहुत बार बोला गया है और शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोग जानते हैं कि यह एक नीति है; प्रश्न यह है कि हमने इसका कितना भाग लागू किया है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना आवश्यक है परन्तु साथ ही, गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा होना भी आवश्यक है। भविष्य में देखने, जीवन की जटिल बातों की जाँच करने तथा इस समस्या के समाधान का पता लगाने की कोशिश करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर संख्या अड़चन है तो हमें बुद्धिमत्ता से इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। जब 1980 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी तो इसमें किया गया एक समाधान मुक्त विश्वविद्यालयों को खोलना था। अगर हम अधिक से अधिक मुक्त विश्वविद्यालय खोलें तो हम प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों को भी शिक्षा दे सकेंगे। परन्तु मेरे अनुसार सामाजिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में दृष्टिकोण पत्र ने कोई उत्साहवर्धक सुझाव नहीं दिया है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उन्हें गहन अध्ययन करना होगा और उन्हे कुछ निष्कर्ष निकालना ही होगा।

अब मैं जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर बात करता हूँ। हम चाहे कितना भी उत्पादन कर लें पर अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो यह कम ही होगा। इसलिए जनसंख्या को कड़ी कार्रवाई से तथा इस धारणा के साथ रोकना चाहिए कि अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाते तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ चुनावों में इसे मुद्दा बनाया गया था और इसकी इतनी आलोचना हुई थी कि हम इसे दूर से भी छूना नहीं चाहते। हम हर समय 'छुई मुई' की प्रवृति अपनाते हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। परन्तु इससे इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। महात्मा गांधी जी का सिद्धान्त अपनाया जा सकता है या हम कानून बनाकर इसे अपने अनुकूल बना सकते हैं या हम नीति को सही ढंग से लागू करके अच्छे परिणाम पा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विदेशों की तरह जहां जनसंख्या की समस्या नहीं है, दवाइयों और उपकरणों पर निर्भर हो रहे हैं। उन देशों से आशा की जाती है कि इसका उत्पादन करें यह हमें दें और हमसे आशा की जाती है कि इसका उपयोग करें। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ लाभ होने वाला है।

जो देश इस समस्या से पीड़ित हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्हें इस समस्या को सुलझाने के लिए उपयुक्त दवाईयां अथवा उपकरण बनाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर उचित ध्यान देना भी अति आवश्यक है। मेरा तो यह विचार है कि पर्यावरण की समस्या को समूचे परिप्रेक्ष्य में देख कर इसका समाधान किया जाना चाहिए। मैं इस संदर्भ में विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत ही सीमित समय मिला है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमें इस संबंध में विचार करने का अवसर मिलेगा लेकिन इस संबंध में सरकार की दिशा ठीक लगती है।

एक अन्य बात जो मुझे इस पत्र को पूरा पढ़ने पर अत्यधिक खटकी है और मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि 'सामाजिक न्याय' शब्द अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है और यह ठीक भी है। किसी को इससे आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यह समझना कठिन था कि क्या 'आर्थिक न्याय' जैसी भी कोई चीज़ है? यदि हम आर्थिक न्याय की वलि चढ़ा कर सामाजिक न्याय पर बल दे रहे है, तो यह बात, चाहे मैं कहूँ या कोई और, मान कर चलें कि इससे आपको सामाजिक न्याय भी नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय साथ-साथ चलने चाहिए। सामाजिक न्याय से बचें नहीं मुझे मालूम है कि सामाजिक न्याय देना बहुत कठिन है। लेकिन आर्थिक न्याय देना भी उतना ही कठिन है और यदि हम फिर भी ऐसा दृष्टिकोण अपना रहे हैं जिसमें आर्थिक न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है तो आप सामाजिक न्याय अथवा राजनैतिक स्थिरता अथवा अपने देश की संप्रभुता को सुदृढ़ बनाने अथवा देश को अन्य देशों का प्रतियोगी बनाने जैसे समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। यदि आर्थिक न्याय नहीं दिया जाता तो इस 60-70 प्रतिशत लोगों को क्षति होगी और हानि उठाने वाले ये लोग अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का उस सबके लिए प्रयोग नही कर पाएंगे जो देश की संप्रभुता को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है।

मेरा अनुरोध है कि आर्थिक न्याय को भी स्थान दिया जाए। यदि ऐसा दस्तावेज़ों में नहीं हैं तो कम से कम इसे योजना में अवश्य स्थान दें। यदि ऐसा किया जाना है तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हम लोकप्रिय सिद्धान्त वाक्यों की बात करते हैं और यही कारण है कि कभी-कभी हम कुछ उक्तियों को बहुत अधिक महत्त्व दे देते हैं

और कुछ अन्य उक्तियों से यह भूलकर दूर हट जाते है कि जब तक हम वास्तविक न्याय नहीं करते, वास्तविक उत्पादन नहीं हो पाएगा अथवा कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं किया जा सकेगा।

मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस दृष्टिकोण पत्र में उन्होंने नए शब्द जोड़े हैं और कहा है; ''यह एक सहकारी संघीय पद्धति होगी'' मानों पहले की संघीय प्रणाली विरोधात्मक थी। जो भी हो यह दृष्टिकोण वास्तव में अच्छा है यद्यपि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच मतभेद थे, फिर भी यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनमें परस्पर मतभेद अथवा विरोध नहीं अपितु सहयोग है। उनमें परस्पर विरोध हो या न हो लेकिन पूर्ण रूप से आपसी समझ नहीं हो सकती। इसलिए यदि सहकारी संघीय प्रणाली के लिए प्रयास किया गया है, तो मैं समझता हूँ इसे बताया जाना बहुत आवश्यक है।

यह दृष्टिकोण पत्र यह समझने के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा सकता है, इसी प्रकार राज्य स्तर, जिला स्तर, तालुक स्तर, स्थानीय स्तर पर, शहरों और गांवों के स्तर पर क्या-क्या किया जा सकता है। यह बहुत ही स्पष्ट है। मैं समझता हूँ कि यह एक नई अवधारणा विकसित की गई है। संभवता इसकी जड़ें हमारे संशोधित संविधान में हों जिससे हम जिला स्तर की सरकार की बात संविधान में लाए जो कि उसमें पहले दी थी। लेकिन यह दृष्टिकोण बहुत ही सही है और इसपर बहुत ही विश्वास के साथ और ध्यानपूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

इसमें आने वाले कठिनाईयों में एक है इसका कार्यान्वयन। मैं समझता हूँ कि जो योजना हम तैयार कर रहे हैं वह एक दम सटीक योजना नहीं है। कोई सटीक कानून और सटीक योजनाएं नहीं हैं कानून और योजनाओं में अनेक कमियां रहेगी। लेकिन यदि आप सटीक योजना नहीं बना रहे हैं तो जो परिणाम सामने आएंगे वह और भी अधिक असंतोषजनक होंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय और दूसरी तरफ सदस्य के बीच उपलब्ध जानकारी के संबंध में बातचीत सुन रहा था। मैं कई मंत्रालयों में कार्य कर चुका हूँ और मुझे मालूम है कि वाणिज्य मंत्रालय को चार चार वर्षो तक कुछ जानकारी नहीं मिलती है। मुझे मालूम है कि कृषि मंत्रालय के पास वह समस्त जानकारी नहीं है जो उसके लिए आवश्यक है। श्रम मंत्रालय के पास भी वह समस्त जानकारी नहीं है जो उसके लिए आवश्यक है। मुझे मालूम है कि अनेक अन्य मंत्रालय हैं जिन्हें इस तथ्य के बावजूद पूरी जानकारी नहीं है। हमारे देश में सर्वोत्तम संस्थान हैं और उनमें बहुत ही श्रेष्ठ लोग कार्यरत हैं। वे अपना कार्य बहुत ही सर्वोतम ढंग से कर रहे हैं। वे जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं एकत्र करते हैं, रखते हैं और उसे उपलब्ध करते हैं और फिर भी यह सच है कि आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे में यह सिद्ध करने के लिए कि जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैं किसी अन्य दस्तावेज को नहीं ले रहा। इस दस्तावेज - दृष्टिकोण पत्र और नौवीं पंचवर्षीय योजना में कई जगह कहा गया है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मुझे उन पृष्ठों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने इसे पढ़ा है वे इसे जानते हैं; जिन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया है, वे निश्चित रूप से इसे जानते हैं। इस दस्तावेज में कहा गया है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए दूसरी बात यह है कि किये जाने वाले कार्यों का यह अल्पांश भी नहीं है। इसमें देश के बहुमुखी विकास की दृष्टि समाहित है। यदि जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और यदि इसे लिखित रूप में दिखाया जाता है और यदि इसे.....

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं केवल पांच मिनट और लूंगा मुझे मालूम है कि मैंने बहुत समय ले लिया है लेकिन मैं अन्य विषयों पर न बोलकर इस समय की पूर्ति कर दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे अपनी बात के चरम पर पहुँच रहे हैं।

सभापति महोदय : अनेक अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री शिवराज वी.पाटिल : मैं आपका आभारी हूँ। न केवल जानकारी बल्कि दूरदृष्टि का होना भी आवश्यक है। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो दूरदृष्टि उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए जानकारी, विश्लेषण शक्ति और दूरदृष्टि साथ-साथ होने चाहिए। केवल तभी ऐसा किया जा सकता है।

जबतक हमारे पास अच्छी योजनाएं नहीं हैं, और जबतक उन्हें उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, योजनाओं के परिणाम सामने आने वाले नहीं हैं। कार्यान्वयन के क्षेत्र में सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है। जानकारी एकत्र कराना, विश्लेषण कराना और चीजों को सही ढंग से ठीक किया जाना चाहिए और जबतक यह नहीं किया जाता ये चीजें उपयोगी सिद्ध नहीं होंगी।

मैं केवल दो बातें कहूँगा और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लूँगा। कल एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था जिसपर प्रायः अनेक स्थानों पर चर्चा हुई है। वह यह है कि क्या योजनाएं बनाना आज देश में और विश्व में उपयुक्त है। योजनाएं बनाना व्यक्ति विशेष के जीवन में भी आवश्यक है; योजना बनाना परिवार के लिए भी जरूरी है। लघु उद्योग के लिए भी योजना बनाना आवश्यक है, सभी बहुराष्ट्रीय निगमों की अपनी भावी योजनाएं हैं। यदि योजना बनाना व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक है, यदि यह एक परिवार के लिए आवश्यक है, यदि यह एक उद्योग के लिए आवश्यक है, यदि यह कृषि संबंधी विकास और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है तो क्या यह एक देश के लिए आवश्यक नहीं है? जो यह कह रहे हैं कि योजना बनाना आवश्यक नहीं है और आज के समय में इन्हें बनाना संगत नहीं है वे अपने आपको गुमराह कर रहे हैं और उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो अपने स्वार्थों के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई बहुराष्ट्रीय निगम योजना विहीन नहीं हैं: कोई भी विकसित देश चाहे वह अमरीका हो अथवा जापान अथवा जर्मनी, योजना से अछूता नहीं है। वह योजनाएं बनाते हैं। यह योजनाएं किस प्रकार की हैं, प्रश्न यह है।

यह योजना बहुत सैद्धान्तिक नहीं हो सकती। योजना यांत्रिक भी नहीं हो सकती जो देश के सभी भागों में सभी परिस्थितियों में एक ही तरीके से जैसे इसे बनाया गया है लागू हो पाएगी। योजना में प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकती हैं, योजना में लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। योजना में यह सुझाया जा सकता है कि कैसे राजस्व

[श्री शिवराज वी॰ पाटिल]

एकत्र किया जाएगा ओर कैसे कार्य किया जाएगा। यह सैद्धान्तिक नहीं हो सकती; यह लचीली हो सकती है और निश्चित ही यह एक दिशा होगी। मुझे विश्वास है कि देश में इतनी अधिक असमरूपता होगी कि हम भी अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। हम हजारों - लाखों कार बना सकते हैं। लेकिन यदि सड़कें नहीं हैं अथवा साथ-साथ नहीं बनाई जानी है तो कारों का क्या करेंगे? हम अपनी ताकत और धन को बर्बाद कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम देश में अपने जननिक उद्योग विकसित करने जा रहे हैं और यदि हम अपने विद्यार्थियों को जननिकी की नहीं बल्कि रसायन शास्त्र अथवा अन्य की शिक्षा दे रहे हैं तो यह भी ठीक नहीं होगा इसलिए योजना एक ऐसी चीज़ है जो हमारी शक्ति, और ताकत और हमारे विचारों को सही दिशा देने में मदद कर सकती है ताकि थोड़े से प्रयासों से ही अच्छे से अच्छे ढंग से सर्वोत्तम परिणाम सामने आ सकें। यही कारण है कि योजना अवश्य बनाई जानी चाहिए। यह सोचना गलत है कि योजना बनाना आवश्यक नहीं है और हमें योजना नहीं बनानी चाहिए। यदि कोई देश पूर्णतः विकसित नहीं है तो योजना बनाना और भी आवश्यक है।

हमारे संविधान में कुछ बहुत से अंच्छे उपबंध हैं। लेकिन हमारे इस संविधान में कुछ कमियाँ भी हैं। एक त्रुटि यह है कि संशोधनों को छोड़कर जो कि बाद में जोड़े गए हैं इसमें 'योजना' शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में दो शब्दों का अभाव है जो कि भारत की वर्तमान शासन-व्यवस्था में बहुत उपयोगी है - एक है आयोजना और दूसरा पार्टी। अब 'पार्टी' और 'योजना' शब्दों क्रमशः दसवें और ग्यारहवें संशोधनों के जरिए संविधान में शामिल किया गया है। इससे पहले ये शब्द इसमें नहीं थे।

योजना आयोग संविधान की देन नहीं है। यह कानून की देन नहीं है। यह एक प्रशासनिक आदेश की देन है। यह संविधिक नहीं है। योजना आयोग से राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों और राष्ट्रीय विधान परिषद् जिसे संविधान की उपज नहीं है और जो संविधिक भी नहीं है जिस में अन्यों से परामर्श करने की अपेक्षा की जाती है। यह प्रशासनिक आदेशों की देन है और इसकी स्थापना श्री जवाहर लाल नेहरू ने की थी। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् दो निकाय हैं जो कि बहुत महत्त्वपूर्ण हैं जो कि केवल एक वर्ष के लिए देश के भाग्य का निर्णय नहीं लेते। यदि बजट पारित कराना होता है तो यह संबिधान के अनुसार किया जाता है। इसको इस सभा में और दूसरे सदन में भी स्वीकृत्ति प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यदि आप पांच वर्षों के लिए योजना तैयार कर रहे हैं तो आपको इसे संसद में नहीं लाना पड़ता। इसे सांवैधानिक पुनीतता प्राप्त नहीं है। इसे कोई विधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। योजना आयोग से केवल परिणामों को प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में लिये गये निर्णय किसी पर बाध्यकारी नहीं हैं फिर भी राष्ट्रीय विधान परिषद् और योजना आयोग से परिणामों को प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। मैं समझता हूँ कि हमें इन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के मामलों पर ध्यान नहीं देते और हम ऐसे मामलों पर समय देते हैं जिन्हें न्यायालय में अथवा पुलिस अधीक्षक की अदालत अथवा लेखापरीक्षक द्वारा निपटाया जाना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि हम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। योजना को कुछ सांवैधानिक आधार प्राप्त होना चाहिए, इसका कुछ सांविधिक आधार होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद् जो भारत सरकार और राज्य सरकारों को योजनाओं और अन्य अनेक मामलों पर विचार करने के लिए सम्बद्ध करता है उसके कुछ आधार होने चाहिए जिसके पीछे कुछ कानून अथवा संविधान होना चाहिए और तभी हम ऐसा कर पाएंगे।

महोदय आप मुझपर बहुत कृपालु रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, सरकार के द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो दृष्टिकोण पत्र सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार-विमर्श हो रहा है। यह हम सब लोगों का सौभाग्य कहिए अथवा कुछ और कहिए कि सदन को विचार करने का मौका मिला है। स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना के सुपरिणामों या दुष्परिणामों पर दृष्टिपात करते हुए, देश की कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नागालैण्ड तक जो स्थिति है यदि उस के ऊपर भी दृष्टिपात करें और वस्तुस्थिति का नक्शा खींचें अथवा आदर्श लोक में अपने आप को भ्रमित करने का प्रयास करें, ये सारी चीजें मेरे लिए इतनी असमंजसपूर्ण हो गई हैं कि मैं समझ नही पा रहा हूँ कि क्या कहूं और क्या न कहूँ। लेकिन कुछ कहना है, विचार-विमर्श होना है, इसलिए मैं एक सवाल पहले ही कर दूँ 28 नवम्बर, 1996 को योजना आयोग की बैठक माननीय तत्कालीन प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हो गई और उस में मसौदे को स्वीकार कर दिया। उसके बाद दिसम्बर में कैबिनेट की मीटिंग हो गई और कैबिनेट ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी तथा उसके बाद जनवरी में प्रारम्भिक सप्ताहों में माननीय मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी सम्पन्न हो गया तथा उन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई और उन्होंने भी अपनी मौहर लगा दी। इस के बाद में जनता के सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि जो अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं, जो पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने में भी जन-सहभागिता जुटाने का प्रयास करते हैं या उनके निर्णय लेने में शामिल होते हैं, उन सब के सामने इस दृष्टिकोण पत्र को अब रखा जाना और इतनी बहस होने के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे या जो विचार-विमर्श का निर्णय मक्खन की तरह सामने आएगा, क्या इन सब को उस मसौदे में स्वीकृत किया जाएगा, क्या उसके अनुसार मसौदे में परिवर्तन किया जाएगा या केवल औपचारिकता मात्र का निर्वाह करने के लिए यह दृष्टिकोण पत्र सदन में प्रस्तुत किया गया है? ऐसा लगता है कि सदन में कोई महत्वपूर्ण ऐजैंडा नहीं था, इसलिए सरकार ने देखा कि अंतिम सप्ताह में कैसे पीछा छुड़ाया जाए, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा करने के लिए समय दे दिया। सभापति जी, मुझे यह बात कहने के लिए क्षमा करेंगे। महोदय, मैं मानता हूँ कि योजना का प्रारूप केवल बेजान आंकड़ों की भूलभुलैया नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र ....

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों और सदन को पूरा आश्वासन दूंगा कि सदन में जो कुछ कहा जा रहा है, उसके नोट्स मैं भी ले रहा हूँ और योजना आयोग के सीनियर अधिकारी भी ले रहे हैं। अभी

9वीं पंचवर्षीय योजना को तो फाइन्लाइज़ होना है। एप्रोच पेपर पर डिसकशन तो हिन्दुस्तान में कस्टमैरिली एन०डी०सी० के पास होने के बाद भी संसद में और लैजिसलेचर्स में, सब जगह होता है आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, उनका हम 9वीं पंचवर्षीय योजना में उपयोग कर पायेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो० रासा सिंह रावत के पुनः अपनी बात शुरू करने से पहले मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री जी ने योजना मंत्री को टोक्यो के लिए प्रस्थान करने को कहा था। उन्हें वहां के लिए विमान में सवार होना है। मंत्री महोदय, आपकी हवाई जहाज़ कितने बजे उड़ान भरेगा?

श्री योगेन्द कुमार अलघ : सायं 5.45 बजे।

सभापति महोदय : उन्हें सायं 5.45 बजे विमान में सवार होना है इस बीच उन्हें अपना उत्तर तैयार करना होगा। वह बहुत विस्तार से सब कुछ नोट कर रहे हैं और प्रत्येक मुद्दे को लिख रहे हैं। इसलिए उन्हें बहुत ही विस्तार में उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया इसे ध्यान में रखें और संक्षेप में अपनी बात कहें।

.....(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या इसका यह अर्थ है कि माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के साथ चर्चा समाप्त हो जाएगी? स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होगा। मैं समझता हूँ कि सभी सदस्यों को जिन्होंने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपने नाम दिए हैं, उनको बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहनी होगी। मैं इसके महत्त्व, उद्देश्य और भविष्य में इसके दृष्टिकोण का उल्लेख करना नहीं चाहता जैसा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में यहां उल्लेख किया गया है। इसका एक विकल्प है। उन्हें बीच-बीच में बोलने दें। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को विदेश जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। इसलिए वे बीच-बीच में अपनी बात कह सकते हैं और वाद विवाद जारी रखा जा सकता है *.....(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय से भी कह चुका हूँ। अनेक माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय को उनकी विदेश यात्रा के लिए अनुमति दे दें।

अपराह्न 3.58 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

चर्चा अगले सत्र में जारी रखी जा सकती है। आप जा सकते हैं। अन्य सदस्यों को भी चर्चा में भाग लेने दें *.....(व्यवधान)* चर्चा को जारी रखें। आम दिनों की तरह हम छः बजे इसे समाप्त करेंगे। इस बीच, मंत्री महोदय जा सकते हैं क्योंकि उन्हें देश के बाहर महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। चर्चा अगले सत्र में भी जारी रखी जानी चाहिए। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। अनेक सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अगले सत्र में आपके लौटने के बाद यह चर्चा जारी रखी जा सकती है *.....(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : सभा में चर्चा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और मेरे काम दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। यदि आवश्यक है तो मैं अपने दूसरे कार्य को छोड़ सकता हूँ। यदि हम चर्चा सांय 5.45 बजे तक अथवा छः बजे तक समाप्त कर लेते हैं तो मैं अपना वक्तव्य अवश्य दूंगा। मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक सदस्य बोलने वाले हैं।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि हम इसे अगले सत्र में जारी रखते हैं तो इसमें क्या कठिनाई है।

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : यदि इसे अगले सत्र में जारी रखा जा रहा है, तो अच्छा है। यह ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : हम संसद के अगले सत्र में चर्चा पुनः आरम्भ करेंगे। आप जिस समय जाना चाहें, जा सकते हैं। किसी को मुख्य मुद्दे नोट कर लेने चाहिए। हम अगली बार चर्चा जारी रखेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने प्रारम्भ ही किया था। मैं यह कह रहा था कि योजना का प्रारूप केवल बेजान आंकड़ों की भूल-भूलैया नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का दिशा-निर्देशक, नीति विषयक दस्तावेज होता है। परन्तु जिस फुर्ती के साथ यह दृष्टिकोण पत्र या मसविदा तैयार किया जाना, सरकार के द्वारा शीघ्रता से स्वीकार किया जाना और उसके साथ-साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा भी स्वीकार कर लिया जाना तथा आज जिस ढंग से मंत्री जी ने जाने के उतावलेपन में किया है, वह चाहते हैं कि बहुत जल्दी बहस सम्पन्न हो जाए, इन सारी चीजों से गैर आयोजना का ज्वलंत उदाहरण लगता है। *.....(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : देखिए, मुझे अपने देश के लिए काम करना है, निजी काम के लिए नहीं जा रहा हूं। *.....(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं आपके जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए *.....(व्यवधान).....(व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र कुमार अलघ : मेरे लिए यह बहुत जरूरी है। *.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले को निपटा चुका हूँ। आप पुनः क्यों इसे उठा रहे हैं?

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मान्यवर, नियोजन का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुच पाया, यही भारतीय नियोजन व्यवस्था की सबसे बड़ी असफलता है। हमारे माननीय पाटिल साहब, पूर्व अध्यक्ष बड़े जोर-शोर से कह रहे थे, योजना होनी चाहिए। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं। परन्तु यह योजना जिनके लिए थी और निर्धनता का उन्मूलन होना चाहिए था, अशिक्षा का उन्मूलन होना चाहिए था, यह दूर होनी चाहिए थी। बीमारियां मिटनी चाहिए थीं। देश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए था, वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना चाहिए था। 50 वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक इनमें ठीक से सुधार नहीं हुआ।

महोदय, किसी भी वृक्ष की पहचान उसके फलों से, उसके परिणाम से होती है। आज आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद उसके जो दुष्परिणाम या कटु फल देश के सामने आए हैं और स्थिति सामने रख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे नियोजन का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। यही हमारे नियोजन की सबसे बड़ी असफलता है।

अपराह्न 4.02 बजे

[प्रो॰ रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

माननीय सभापति महोदया, इस नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में जो कुछ भी मसविदा स्वीकृत किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, यदि मैं अपने शब्दों में कहूं तो यह योजना का प्रारूप प्रेरणा विहीन, संकल्प विहीन और लीक पर चलने वाला घिसा-पिटा मसविदा है। मैं इस शब्दावली का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यह 13 दलों की सांझी सरकार है और किसी नीति में कोई मेल नहीं। ''कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा,'' इसके आगे की दूसरी लाईन आप सब जानते हैं ऐसी 13 पार्टियों के संयुक्त मोर्चे के सांझे कार्यक्रम कौन-कौन से होंगे, उनके बारे में हुई व्याख्या, फिर उनके लागू करने की कौन सी प्रणाली, उनके बारे में वामपंथी मित्रों द्वारा उठाए गए विवाद और उसके बाद ग्रामीण और कृषि विकास के लिए हम जो कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, चाहे इंदिरा जी या उनके पहले जो और लोग थे, उनके गरीबी हटाओ नारे को अभी तक देश भूला नहीं है। गरीबी हटाओ और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की क्या दुर्गति हुई, उसका क्या अच्छा परिणाम देश के सामने आया गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई, बहुत अच्छी बात है। इसमें कृषि विकास पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन वह जो सरकारी शब्दावली थी उसी का प्रयोग है और उसी मंत्र जाप के अंदर हम अपने आप को मुग्ध करके उसका गुणगान करने में लगे हुए हैं। आठवी पंचवर्षीय योजना में यही था, 1992 से लेकर 1997 और पिछली जो आठवीं पंचवर्षीय योजना सम्पन्न हुई तब तक हम सारी योजनाओं के बारे में यही कहते थे।

''इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, परंतु पहुंचना इस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं''

लेकिन स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती वर्ष में और नियोजना के भी लगभग 45 वर्ष हो गए, आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, यानी 40 वर्ष बीत चुके हैं और अब 41वां वर्ष प्रारम्भ होने जा रहा है। इन वर्षों में हम केवल यही कोरी बातें कहते रहे और वोट लेने के बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास करते रहे। उन पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर जो कुछ भी हुआ जैसे कि कुछ परिणाम सामने आए, यदि मैं यह कहूं कि कोरी भटकन ही भटकन है तो योजना के नाम पर जो वांछित लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए थे, वे प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह कोरी मृगतृष्णा ही सिद्ध न हो जाए।

सकल घरेलू उत्पाद में सात परसैंट वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकारी क्षेत्र का परिव्यय 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये नौवीं पंचवर्षीय योजना में रखा है। मैं आपके माध्यम से योजना मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि योजना में आपने 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये रखे हैं जबकि वित्त मंत्रालय ने कह दिया कि हम केवल तीन लाख करोड़ रुपए मुहैय्या करा सकते हैं तो पैसे में बाकी 75 हज़ार करोड़ रुपए कहां से मुहैय्या होंगे ? आप कैसे संसाधन जुटाएंगे ? आपने कहा कि राज्य अपने विशेष संसाधन जुटाएं। राज्यों की अब तक की जो स्थिति रही है, उससे आप तो वाकिफ़ ही हैं। आपने उन्हें एक प्रकार से केन्द्र की ओर झोंकते हैं और केन्द्र की ओर मुखातिब होकर एक प्रकार से उन्हें हाथ फैलाना पड़ता है। राज्यों को जिस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, आज राज्यों की सरकारें इस स्थिति में नहीं रहीं कि वे अपने संसाधन पैदा करके जुटा सकें और योजना के अन्दर बजट पूरा कर सकें।

मैं यह कह रहा था कि 13 दलों की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके प्रारम्भ में उठी हुई बहसें और जो अन्तर्विरोध इनके अन्दर विद्यमान हैं, उनके होते हुए नीतियों के बारे में अस्पष्टता, भविष्य के बारे में प्रश्नवाचक चिह्न, रोज उठते हुए नीतियों के बारे में अस्पष्टता, भविष्य के बारे में प्रश्नवाचक चिह्न, रोज उठते हुए मुद्दे और कांग्रेस का बाहर से लगातार झटके देना, इन परिस्थितियों के अन्दर इस पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ ही ऐसे वर्ष के अन्दर हो रहा है, आगे जाकर इसके क्या सुपरिणाम होंगे, इसके बारे में देश की जनता क्या सोच सकती है, क्या कल्पना कर सकती हैं, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस बारे में गम्भीरता से विचार करेंगे।

गरीबी उन्मूलन की बात बहुत अच्छी बात है। हम सभी चाहते हैं कि गरीबी का उन्मूलन हो लेकिन हमारे देश में गरीबों की कितनी संख्या है ? इसके बारे में जितनी चर्चा और जितना ध्यान दिया गया, उतना गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया। यदि मैं कहूं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, इसमें तनिक मात्र अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, योजना आयोग द्वारा आधिकारिक जानकारी प्रदान की गई है। उसके अनुसार गरीबों की संख्या 330 मिलियन है। पहले यह संख्या 160 मिलियन थी। जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं और जो लकड़ावाला फार्मूला लागू हुआ है, उसके आधार पर गरीबों की संख्या एकदम सही स्थिति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

सरकार ने स्थिति को एक प्रकार से स्वीकार किया है। संख्या के आंकड़ों पर जाना विवाद है जबकि गरीबों के जो कल्याणकारी कार्यक्रम थे, उनका कारगर लाभ आम जनता को किस प्रकार से मिले, इसका पता लगाने का कम प्रयास किया है। फिर ''देर आयद, दुरुस्त आयद''। यह स्वीकार कर लिया गया है कि आज की तारीख में हर तीन भारतीयों

में से एक भारतीय निर्धन है। आठ पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम वैसे ही है जैसे विद्यार्थी वर्ष भर प्रयास करता है, फिर उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद जो अंकन होता है तो उसको फर्स्ट डिविजन, सैकिंड डिविजन, थर्ड डिविजन मिलती हैं। इसकी क्या स्थिति है, हम इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं।

जब गरीबों के बारे में सही स्थिति की जानकारी मिल गई और योजना का मसौदा सामने आ गया, फिर इन नीतियों के चक्कर में, मेरे वामपंथी मित्र मुझे क्षमा करेंगे, वाम पंथी दलों का यह कहना कि सरकार घोषित नीतियों से दूर हट रही है, सार्वजनिक उद्योगों के अन्दर डिसइनवैस्टमैंट, बीमार इकाइयों को विदेशी कम्पनियों को सौंपे जाने का विरोध, बहुराष्ट्र कम्पनियों के प्रवेश के क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण, खान और खनिज के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश और विदेशी कम्पनियों की भागीदारी का 50 परसैंट के ऊपर भी स्वीकृति करना, इन सारे सवालों पर विवाद उठ खड़ा हुआ है।

बीमे के बारे में निजी निवेश हो या न हो, इसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया है। आज वामपंथी पार्टियां, जो सरकार में सम्मिलित हैं, वे अस्पष्ट हैं। उनके सहयोगी दल या जो बाहर रहकर इस सरकार की मदद कर रहे हैं, उनमें भी अस्पष्टता है, उनका आपस में अन्तर्विरोध है और कांग्रेस का तो अपने आप में कहना ही क्या? इसलिये, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन लक्ष्यों को हमने निर्धारित किया है, उनको कैसे प्राप्त कर सकेंगे।

पंचवर्षीय योजनाओं का क्या परिणाम हुआ है? हालांकि मैं इसका निराशाजनक चित्र प्रस्तुत कर अपने को निराशावादी प्रमाणित नहीं करना चाहता लेकिन एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते और यह सदन सर्वोच्च होने के नाते सच्चाई को सामने रखना चाहता हूं। आज एक नारा सुनाई पड़ता है-'रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिन्दुस्तान' या फिर एक कवि की कविता की पंक्तियां याद आती हैं-

श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की छाती से चिपक ठिठुर-ठिठुर रह जाते हैं।

यह आज की स्थिति है जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मूल्य आसमान को छूते चले जा रहे हैं, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, बेरोज़गारी सुरसा की तरह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। भ्रष्टाचार पनपकर बढ़ता चला जा रहा है, देश के लोगों में अकर्मण्यता की भावना आ गई है, देशभक्ति में कमी हो गई है और कर्तव्य परायणता की भावना कम हो गई है। हमें निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना और देशभक्ति की भावना के साथ हमारे राष्ट्र को विश्व के राष्ट्रों में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयत्न कर इस प्रकार की प्रतिबद्धता तथा दृढ़ शक्ति यहां के नागरिकों में होनी चाहिये, जिसका निरंतर अभाव हो रहा है। इसके साथ ही कुपोषण, अज्ञानता, नाना प्रकार की बीमारियों, नौकरशाही, भाई-भतीजावाद और सबसे बढ़कर उत्पादन तो 1-2-3-4-5-6 लेकिन आबादी 2-4-8-18-32-64-128 की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक जितना अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच रहा है जबकि हमारे हिन्दुस्तान में एक नई पीढ़ी आस्ट्रेलिया के बराबर तैयार हो जाती है। हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रख पाये हैं।

सभापति महोदया, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की ओर ख्याल नहीं किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अनिवार्य प्राईमरी शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के हर बालक को प्राप्त हो, शिक्षा का अधिकार सबको मिले, इसके बारे में क्या हुआ? जो लक्ष्य हमने प्रारम्भ में 10 साल के लिए रखा था, उसका क्या हुआ? 1960 में जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें भी अब हम 50-55 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर पाये हैं महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत तो और भी कम है। इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? यहां पर नियोजन की बात करते हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो पाते हैं कि उसको रहने के लिए मकान नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, आने-जाने के लिये सड़क नहीं, बच्चों के पढ़ने के लिये शिक्षा नहीं, इलाज के लिये अस्पताल नहीं और रात को बिजली नहीं गांव वालों को आंकड़ों के जाल से क्या लेना-देना? उनको तो 4-5 बेसिक चीजों की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, भारत एक कृषि पर निर्भर देश है। यहां की 70-80 प्रतिशत जनता की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर है। मैं एक बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि इस नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि यह पहले से ही कृषि प्रधान देश है।

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : दुग्ध और पशुपालन में भी है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : यदि मंत्री जी इसका श्रेय ले रहे हैं तो ठीक है लेकिन बहुत देर से इस बात को स्वीकार किया गया है लेकिन कृषि के अंदर जितना अधिक उत्पादन होना चाहिये था, उतना तो नहीं हुआ फिर भी किसानों को उसके उत्पादन का जितना मूल्य मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विशेष कर वृद्धि के पैटर्न से गरीबों और कमज़ोरियों की इस तरह से दूर करें ताकि आर्थिक वृद्धि के लाभ आम गरीबों तक पहुंचे। इसके साथ-साथ अगर सरकार पहले से भली प्रकार से ध्यान देती तो खेतों में उत्पादन बहुत अच्छा होता। हमारे देश के बारे में कहा जाता था कि --''मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती'' और 'हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं', लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 20 लाख टन गेहूं हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा है। हम यहां के किसानों को पूरी कीमत नहीं देना चाहते और बाहर उससे ज्यादा कीमत देकर गेहूं और दूसरी चीजें मंगा रहे हैं। अगर कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ता और विशेषकर सिंचाई क्षमता पैदा करने का प्रयास होता, छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर अगर पूरा ध्यान दिया जाता, उनमें अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती तो मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में वास्तव में कहा जाता कि हमें सच्ची सफलता प्राप्त हुई है। ऐसा न होने के परिणामस्वरूप 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई। गेहूं की उगाई भी लक्ष्य से नीचे रही और अनाज के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई। इसलिए नौवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और कृषि को भी टाप प्रायोरिटी प्रदान करने का प्रयास किया है। अगर सही मायनों में इन दोनों लक्ष्यों को ही ध्यान में रखकर उससे गांवों की अर्थव्यवस्था का आंधार कृषि और कृषि पर आधारित दूसरे कार्यों द्वारा ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को सही अर्थों में प्राप्त कर लिया गया तो मैं समझता हूं कि सच्चे अर्थों में हमारी

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ अगर आम जनता तक नहीं पहुंच पाया, हमारे अंदर प्रतिबद्धता की भावना पैदा नहीं हुई, हमने जवाबदेही किसी पर नहीं डाली, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर, विकेन्द्रित योजना-प्रणाली के नाम पर राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार की या जिला योजना समिति या डी.आर.डी.ए. अथवा पंचायत समितियों, नगर परिषदों, ग्राम पंचायतों, जिनको आप सम्मिलित करना चाहते हैं, इनकी अगल-अलग अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी और योजना के कार्य में जो लोग लगे हुए हैं और सारे देश के लोगों में और सरकार में ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि वह अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति भली प्रकार से कर सके।

आपने इसमें एक नया शब्द दिया है सहकारी संघवाद। भारत एक राष्ट्र है, भारत की एकात्मकता, भारत की अखंडता, भारत की राष्ट्रीयता, इन सब बातों से हम बस सहमत हैं, लेकिन सहकारी संघवाद कहकर क्या आप अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? जो आपका कामन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या वह क्षेत्रियतावाद को, भाषावाद को, तथाकथित जातिवादी ताकतों को या और तथाकथित क्षेत्र विशेष की जो ताकतें हैं उनको और भी ज्यादा प्रोत्साहित करके कैसे राष्ट्र की मुख्यधारा में लाएगा और कैसे ''संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवो मनांसि जानताम्'' या ''समानो मंत्रः समिति समानी'' के अनुरूप हमारी योजनाओं में हमें साथ शामिल करके चलेगा, कैसे मिलकर आगे बढ़ेगा और क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, कैसे लोगों के जीवन में गुणवता आएगी और कैसे उत्पादकता में वृद्धि होगी, कैसे रोज़गार के साधन बढेंगे, इसके लिए आपने नौ उद्देश्य रखे हैं। पंचवर्षीय योजना में आपने उद्देश्य ऐसे रखे हैं जिससे मैं समझता हूं कि शायद किसी को मतभेद नहीं हो सकता है। उद्देश्य आपने बहुत अच्छे रखे हैं, लेकिन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के साधन आपके पास क्या होंगे, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं।

आपने जो उद्देश्य तय किये हैं, उनमें पहला पर्याप्त उत्पादक रोज़गार उत्पन्न करना और निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना है। हम सब इससे सहमत हैं और हम सब वाहवाही करने को भी तैयार हैं। परंतु सवाल तो यह है कि--

''कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार।
कहे कबीर करनी सबाल, उतरे भव-जल पार।''

[अनुवाद]

कथनी और करनी के बीच बहुत अधिक अन्तर है।

[हिन्दी]

कितने वर्षों से इतनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, मगर सुनते-सुनते हमारे कान पक गए हैं।

दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। हम पिछली गलतियों से सबक ग्रहण करके यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर और फिर देश के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते तो उत्तम रहता। यह शब्द तो बहुत अच्छे हैं, पर्याप्त उत्पादकता, रोजगार और सुनिश्चित रोजगार योजना, इस योजना की प्रशंसा तो बड़ी हो रही है कि बहुत अच्छी योजना है। लेकिन आज लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। एक बार श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम यहां से एक रुपया भेजते हैं और वहां पर 15 पैसे पहुंचते हैं बाकी 85 प्रतिशत रास्ते में ही इधर-उधर हो जाते हैं और वहां पर जो सरपंच हिस्सा देते हैं, वे अधिकारियों की जेबें गर्म करते हैं। 1991 में आपने गरीबी की रेखा से नीचे को लोगों को छांटा था, आज 1997 है और उस समय के छांटे हुए लोगों को किन्हीं अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत यानी जो गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले हैं, इन्हीं परिवारों को सुनिश्चित रोजगार योजना में काम दिया जायेगा और बाकी को नहीं। लेकिन बाकी तो बेचारे गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ चले जाते हैं और जो बचते हैं उनकी फर्जी हाजिरी और कुछ थोड़ा काम और काम में निर्माण कार्य जैसे गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वह क्वालिटी नहीं होती है। परिणामस्वरूप साल दो साल में विद्यालयों की छतों से पानी टपकना प्रारम्भ हो जाता है। आप कहेंगे कि इससे हमारा क्या लेना-देना है। यह तो वहां के लोगों की जिम्मेदारी है। बात ठीक है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद सबसे बड़ा काम श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण है। मनुष्य ही जो सबसे बड़ा कारण है अगर उस मनुष्य का निर्माण सही अर्थों में कर दिया जाता, संस्कारी मानव, देशभक्त मानव, राष्ट्रवादी मानव, ईमानदार मानव, नैतिक मूल्यों को धारण करने वाला मानव, शिक्षा के माध्यम से चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो और महाविद्यालयीन शिक्षा हो, उसके माध्यम से श्रेष्ठ नागरिकों, श्रेष्ठ भारतीयों का निर्माण किया जाता तो उचित रहता। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो उस समय सारे देश के लोगों ने अपने बंगलों के अंदर गेहूं उगाना प्रारम्भ कर दिया था और उन्होंने कहा था कि खर्चा कम करो, फिजूलखर्ची को कम करो। इस तरह का आह्वान पहले के लोग करते थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि यथा राजा, तथा प्रजा, यानी जैसा बड़े करते हैं, वैसा ही छोटे करेंगे। फिजूलखर्ची बढ़ने लगी और जो भी बुराइयां हैं, उनको गिनाकर मैं सदन का समय जाया नहीं करना चाहता, उन सारी बुराइयों से आप और हम परिचित हैं, उनको रोकने का प्रयत्न तभी होता तब श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप आज चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हों या हमारे जैसे सांसद हों, आते तो उसी समाज से हैं। आज समाज के अंदर सारी बुराइयां हैं। वे सारी बुराइयों से लिप्त और युक्त होते हैं, उनमें कोई कम है तो काई ज्यादा है, कोई उसका अपवाद भी हो सकता है। इस प्रकार यह सारा माहौल है जिसको समझा जा सकता है। इसके साथ-साथ जो दूसरे उद्देश्य हैं .....*(व्यवधान)* हमने पहले भी कहा कि जे.आर.वाई. में भ्रष्टाचार मान्यवर आप खुद पनपाते हैं। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जवाहर रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना थी, चाहे वह फर्स्ट हो या सैकिंड हो लेकिन इसे आपने 60-40 का ऐसा कर रखा है कि 40 परसेंट सीमेंट और निर्माण के अंदर और 60 परसेंट लेबर चार्जेज और कच्चा काम और 40 परसेंट पक्का काम और उस पक्के काम का हिसाब-किताब सरपंच बेचारा कैसे रखता है पट्टियां, चूना, सीमेंट इन सब मदों में वह नकली हाजिरी लगाकर एडजस्ट करता है। ताकि वह काम भी अच्छा हो और परिणाम भी सामने आये और वह सारा सिलसिला शुरू होता है। जबकि योजना बनाते समय ही इन सारी बातों पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज अमीर ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है और गरीब ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। समाज के जो कमजोर तबके हैं जिनको कि लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उनको नहीं मिलता है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होती है। यानी जो जितना ताकतवर है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत या अन्यत्र वह उतना ही रह जाते हैं इसलिए इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण को सामने रखकर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके बाद आपने लक्ष्य रखा है - मूल्यों में स्थायित्व के साथ-साथ विकास की दर तेज करना। आपने 7 परसेंट विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। ईश्वर करे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सफलता मिले, आप सभी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त कर सके लेकिन पिछला अनुभव हमें बताता है कि कछुए की चाल से जितना हम आगे बढ़े हैं, उतना ही पीछे आ गए हैं यानी हम जहां थे, आज भी वहीं हैं-यह स्थिति है। हमारे सामने चीन, जापान, कोरिया और जर्मनी के उदाहरण हैं। आप जानते हैं कि पहले जर्मनी दो टुकड़ों में बंटा हुआ था लेकिन पुनः संगठित होकर आज विश्व की अर्थ-व्यवस्था पर छा गया है। दो विश्व-युद्धों में तबाह होने वाला जापान अपनी राष्ट्रीयता की भावना, स्वावलम्बन तथा कर्तव्य-परायगता की भावना के बल पर सारे विश्व की अर्थ-व्यवस्था पर छा गया है और अमेरिका जैसे देश को चुनौती दे रहा है वहीं हम विदेशी कर्ज के बोझ से लगातार दबते जा रहे हैं, हमारे ऊपर ब्याज प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, हमारा आंतरिक ब्याज कितना बढ़ गया है, यदि मैं इसकी चर्चा करूं तो सदन का समय व्यर्थ जाएगा क्योंकि वास्तविक स्थिति क्या है, उससे हम और आप सभी परिचित हैं।

हमें देखना पड़ेगा कि आज हमारी ऐसी स्थिति क्यों है। यदि हम सही दिशा में चले होते तो सही परिणाम हमारे सामने आते क्योंकि मैंने वार-बार इस सदन में कहा है कि -

जैसी होगी दृष्टि, वैसी करेगी सृष्टि,
जैसी मिलेगी शिक्षा, वैसी प्राप्त होगी दीक्षा।

जब हम सही दिशा में नहीं चले, उसके परिणाम हमारे सामने हैं।

आपका अगला लक्ष्य है सभी के लिए और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करना लेकिन आप जानते हैं कि आज हमारे आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति क्या हो गई है। इसके साथ-साथ प्राइमरी स्कूलों में जिसकी ४० प्रतिशत उपस्थिति हो, उसे तीन किलो अनाज देने की स्कीम आपने शुरू की लेकिन दुकानों से सीधे बिक्री कर दिया गया, कितना बीच में इधर-उधर कर दिया गया, उसमें कितने पौष्टिक तत्व थे, उससे बालकों की कितनी न्यूट्रीशन ताकत बढ़ी, मैं समझता हूं कि इस ओर हमने ध्यान नहीं दिया जिससे स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। आज यदि अस्पतालों में जाएं तो वहां डाक्टर नहीं मिलते। दूसरी तरफ न मालूम कितनी नाना प्रकार की बीमारियां हिन्दुस्तान में आ रही हैं, जैसे हैजा, कैंसर, मलेरिया, टी.बी., डेंगू आदि। सभापति जी, यदि मैं इसके विस्तार में जाऊंगा तो आप कहेंगी की सदन का समय व्यर्थ जा रहा है।

जहां तक स्वच्छ पेयजल का सवाल है, आज भी देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। कहीं पानी में फ्लोराइड नहीं है और कही ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे गया है जिससे सारे हैंड-पम्प सूख गए हैं। इस स्थिति के चलते हमारा लक्ष्य लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा देना बहुत अच्छा है लेकिन इसे क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, उसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी, कैसे समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी, इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, आपने घंटी बजा दी, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा का प्रश्न कुछ समय पूर्व जब इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया था, पूर्व प्रधानमंत्री जी सदन में विद्यमान हैं, उस समय समीक्षा की रिपोर्ट क्या थी, बड़ी मुश्किल से उसका यहां आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके परिणाम छन-छनकर हमारे सामने आ रहे हैं कि हमारी योजनाओं में क्या कमियां रहीं। हमें चाहिए था कि उन कमियों से प्रेरणा लेकर, आगे कैसे उन कमियों से बचा जा सकता है, उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, उस दिशा में प्रयास करते।

अब अंतिम बिन्दु पर जोर देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समझता हूँ कि आबादी की वृद्धि दर को नियंत्रित करना आज परम आवश्यक है। हम अपनी योजनाओं का लक्ष्य भले ही कुछ भी रखें लेकिन सही ढंग से शिक्षा प्रदान करें और आम जनता तक सही तरीके से पहुंचने का कार्य करें ताकि उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाया जा सके। जब मानसिकता में परिवर्तन आएगा तो वे सामाजिक न्याय को समझेंगे, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित होंगे, बाल-विवाह के जाल में नहीं फंसेंगे, झाड़-फूंक और जादू-टोने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे बल्कि कोई बीमारी होने पर सीधे अस्पताल जाएंगे, तभी सोशल चेंज तेजी से आ सकेगा और तभी वे जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी सोचेंगे कि वास्तव में उतनी ही संतान उत्पन्न करें जिनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा भली प्रकार से कर सकें। उचित चिन्तन और शिक्षा से ही ऐसी स्थिति बन सकती है जिसे प्राथमिकता देना परम आवश्यक है। इस संबंध में हमारा चिन्तन होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे सफल और कामयाब बनाया जाए क्योंकि इसके कारण हमारी सारी योजनाएं फेल होती जा रही हैं। कभी अल्पसंख्यकों के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी डर के कारण, वोट की राजनीति ऐसी हो गई कि अगर हम सख्त कदम उठाना भी चाहें तो भी नहीं उठा सकते।

राजस्थान सरकार ने इस बारे में एक पहल की है। जो पंचायत समितियों के, ग्राम पंचायतों के जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी अब तक जितनी संतानें थीं, वे थीं लेकिन अब अगर दो के बाद तीसरी संतान लड़का या लड़की पैदा हो गयी अथवा सातवें के बाद आठवां पैदा हो गया तो वह अयोग्य घोषित हो जायेगा। इससे पिछले दो वर्षों में कई सरपंच और प्रधान अयोग्य घोषित हो गये हैं। इस संदर्भ में मैं समझता हूँ कि संसद से यह चीज शुरू होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित करने की बात हम करते हैं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय नरसिम्हा राव जी के समय में यह बिल आया और उस बिल को स्थायी समिति में प्रस्तुत किया गया था। उस बिल पर स्थायी समिति की सर्वसम्मति थी लेकिन हैदराबाद के एक सांसद की आपत्ति के कारण जिसमें लिखा गया था कि यदि यह बिल लोक सभा में पेश होता है तो हिन्दुस्तान के मुसलमान

[वैद्य दाऊ दयाल जोशी]

जो पहले ही बाबरी मस्जिद को लेकर जले-भुने बैठे हैं, हिन्दुस्तान में तबाही मचा देंगे। इसलिए श्री मणि शंकर अय्यर जैसे व्यक्ति, जो चार दिन पहले तक इस बिल का समर्थन कर रहे थे, ने अपनी भाषा बदल दी। आज केवल हैदराबाद की पालिसी के कारण वह बिल रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। यहां पर श्री नरसिम्हा राव जी बैठे हुए हैं। अगर उनको मालूम हो तो वह बतायें कि वह बिल कहां गया? सांसद चाहते हैं कि उन पर यह बिल लागू हो। विधायक चाहते हैं कि उन पर यह बिल लागू हो लेकिन यह बिल गायब हो गया। मेरा निवेदन है कि उस बिल को इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में जरूर पेश किया जाये और सांसदों को बाधित किया जाये क्योंकि आम आदमी के मन में यह आ रहा है कि सांसद अपने ऊपर कोई चीज लागू नहीं करना चाहते। विधायक अपने ऊपर कोई बिल लागू नहीं करना चाहते। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण बिल को लागू करके हमारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। सारे हिन्दूस्तान में ढ़ाई-तीन हजार आदमी होंगे। अगर हम पर यह बिल लागू होता है तो हिन्दुस्तान में एक मैसेज जायेगा कि सांसदों ने भी अपने लिए एक बिल पेश किया है और दो से तीसरा बच्चा होने पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। कृपा करके माननीय मंत्री जी उस बिल को अवश्य लागू करवायें।

सभापति महोदय : ठीक है। आपकी बात मंत्री जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : जैसे निर्धनता उन्मूलन, कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता प्रदान की गयी है उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण को भी प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे साथी श्री दाऊ दयाल जोशी जी जो कह रहे थे उसके बारे में भी आप चिंतन करें लेकिन पहले आपको शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम देश के अंदर महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो एक बच्ची दो परिवारों का निर्माण कर सकती है। एक प्रकार से पीढ़ियों का निर्माण करती है लेकिन हमारी शिक्षा थोड़ी ऐसी हो कि वह वैज्ञानिक दृष्टि को पनपा सके मानसिक परिवर्तन लाने की क्षमता पैदा कर सके। जो रटा-रटाया मैथेड अपनाते हैं, उनसे बचें।

आपको जनसंख्या नियंत्रण को भी प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। इसके बारे में मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि हम परिवार कल्याण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल क्यों रहे? बिना जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के भेदभाव के राष्ट्रीय आवश्यकता और राष्ट्रीय समीक्षा मानकर इसका हल करने के लिए राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर हम सबको निर्णय लेना होगा क्योंकि राष्ट्र का भविष्य हमारा भविष्य है। क्षेत्र का विकास हमारा विकास है और अगर नाव डूबेगी तो सारे डूबेंगे, न हम बचेंगे और न साथी हमारे। इसलिए इस मामले में हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम इस ओर विशेष ध्यान दें।

मान्यवर, इस प्रकार से नौ लक्ष्य रखे हैं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी आपने रखा है। पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी भी आपने रखी है। सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन विकास के एजेंडे के रूप में महिलायें, सामाजिक स्तर पर कमजोर वर्गों को बढ़ाना, एस.सी.एस.टी. तथा अल्पसंख्यकों को बढ़ाना आदि सब बातें कही हैं। ये सारी बाते सिद्धांत रूप में सही हैं। पर्यावरणीय क्षमता और सामाजिक मेल-जोल की बात और सब स्तरों पर लोगों की भागीदारी। वहां भागीदारी कैसे प्राप्त की जायेगी, इसके बारे में थोड़ा संकेत दें तो अच्छा होगा। लेकिन आपने जो लक्ष्य निर्धारित किये है और इसके चार महत्वपूर्ण आयाम जो रखे हैं - नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता आये, उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना, क्षेत्रीय संतुलन पैदा हो और आत्मनिर्भरता। आज आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की क्या स्थिति है? आज बिहार के अंदर हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि कई क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। हमारे राजस्थान के अंदर कई मरूस्थली क्षेत्र हैं जहां पर पीने के पानी का बड़ा अभाव है। या और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर भारत में किस प्रकार की स्थिति है, इन सारे असंतुलनों को दूर करना होगा, देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना होगा।

उन कमज़ोरियों को इस तरह से दूर किया जाए कि वृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचे और उनको यह एहसास हो कि हमारे लिए ये सारी योजनाएं बनी हैं। दूसरी बात, कृषि एवं ग्रामीण आय का स्तर बढ़ाने के ठोस उपाय होने चाहिए। छोटे, मझले, सीमांत किसान, भूमिहीन कृषक आदि सबके लिए विशेष नियम बनने चाहिए। भूमि सुधार कानून कई राज्यों में अभी लागू नहीं हुआ है। कुछ राज्यों ने बड़ी अच्छी प्रगति उस क्षेत्र में प्राप्त कर ली है। उसके सुपरिणाम भी सामने आए हैं सारे राज्यों में इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सबसिडी का लाभ अब तक बड़े-बड़े किसानों तक ही पहुंचा है, उन्हीं को ज्यादा फायदा पहुंचता है। छोटे किसान इन सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

एक विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जाए। सिंचाई के लिए जल का विशेष प्रावधान किया जाए और बड़े-बड़े बांधों को बनाने के स्थान पर जहां पर जैसी स्थिति हो, आपका वाटरशैड प्रोग्राम जो चलता है, कुछ राज्यों में उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं लेकिन कुछ राज्यों में पूरा वेस्टेज हो रहा है। सॉयल कन्ज़र्वेशन का काम, भूसंरक्षण के काम को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। वाटरशैड, सॉयल कन्ज़र्वेशन सबमें को आर्डिनेशन हो। अभी तो कई योजनाएं एक साथ पैरलल में चलती हैं। उनके परिणाम पता ही नहीं लगते। एक तरफ जवाहर रोजगार योजना प्रथम और द्वितीय चरण, एक तरफ सुनिश्चित रोजगार योजना, एक तरफ बंजर भूमि विकास योजना, एक तरफ पशुपालन के बारे में योजना और दूसरी तरफ केन्द्र या राज्यों द्वारा स्पौन्सर्ड योजनाएं होती हैं, उन सारी योजनाओं में जिला स्तर पर कोआर्डिनेशन होना चाहिए ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो और उस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, कौन से काम जरूरी हैं, उस काम के क्या सुपरिणाम सामने आएंगे, कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा, इन सारी बातों को सोचकर उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

सांसदों के लिए एक करोड़ रुपये की पहली किश्त तो सानी क्षेत्र विकास योजना के लिए लागू कर दी है। योजना में चर्चा चल रही है। योजना में सांसदों की काफी भागीदारी रहती है। मंत्री जी उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से यह बताने की कृपा करें कि दूसरी किश्त कब जारी की जाएगी। .....*(व्यवधान)* केन्द्र द्वारा परिवर्तित जितनी विकास योजनाएं हैं, उनमें सांसदों की भागीदारी होनी चाहिए। अभी इंदिरा आवास योजना में वहां के जिलाधीश निर्णय कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कई राज्यों में आज की तारीख में भी वहां के सांसद

उसके सदस्य नहीं हैं। पिछले दिनों सरकार ने नया एक्ट बनाया है, उसके अंतर्गत वहां की म्यूनीसिपैलिटि और पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि तो आ जाएंगे, जिला प्रमुख भी आ जाएंगे लेकिन कई सांसद उसमें नहीं हैं हम पूरे जिले में घूमेंगे लेकिन योजना कमेटी में नहीं बैठेंगे तो जिले की योजना का निर्माण किस प्रकार से होगा। सारे देश में एकरूपता और एक प्रकार की समानता होनी चाहिए और सांसदों की भागीदारी के लिए आप विशेष निर्देश दें कि केन्द्र द्वारा परिवर्तित योजनाओं में सांसदों की भागीदारी अनिवार्य रूप से हो। वे सारी बैठकें उस समय रखते हैं जब संसद में अधिवेशन चलता है ताकि सांसद उसमें नहीं पहुंच सकें और सब कुछ सरलता के साथ पास हो सके। इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। .....*(व्यवधान)*

श्री विजय अन्नाजी मुडे (वर्धा) : जब डी.आर.डी.ए. की मीटिंग होनी होती है तो उसका चेयरमैन सी.ओ. होता है और सांसद उसके बगल में बैठता हैं। यह सांसदों की डिगनिटी का सवाल है। डी.आर. डी.ए. की योजना में सांसदों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए कुछ करें .....*(व्यवधान)*

प्रो॰ ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : एस.आर.वाई. में तो आपका नियंत्रण ही नहीं हैं एस.आर.वाई. का प्रशासन ने मनमाना उपयोग किया है, आपके नियमों को ताक पर रख दिया है। न जल संवर्धन में कोई काम हुआ है, न पर्यावरण सुधार में कोई काम हुआ है, केवल कच्चा काम सड़कों पर हुआ है जिसमें 30 प्रतिशत काम होता है और 70 प्रतिशत खा जाते हैं।

और यह सही बात है कि डी.आर.डी.ए. में जिला पंचायत का अध्यक्षता करता है और वहां बैठे हुए विधायक हम लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं, जबकि पैसा 80 परसेंट केन्द्र का जाता है तो सीधे निदेश दे दिये जायें कि जितना हिस्सा केन्द्र का है, उतना ही नियंत्रण हम सांसदों का हो। हम इसमें सहभागी हों या फिर हमें उसमें से निकलवा दिया जाये, तब हम वहां अपमान से तो बचेंगे।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि परियोजनाओं की जो योजना बने, वह वैज्ञानिक ढंग से हो। मंजूरी की जो प्रक्रिया है, सैंक्शन की प्रक्रिया थोड़ी कठोर हो और विकेन्द्रीकरण आप अवश्य करें, लेकिन लोगों की भागीदारी को उसमें बढ़ावा मिले लेकिन बढ़ावा सही तरीके से मिले और सही भागीदारी हो, इस बारे में ध्यान रखें। फिजूलखर्ची को रोकने का भी प्रयास किया जाये और समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सी॰ नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में आगामी पांच वर्षों के लिए देश की कार्य सूची बताई गई है। मैं सरकार को उसके इस प्रयास के लिए बधाई देता हूँ जिसमें संयुक्त मोर्चे के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्य और पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन्हें प्राथमिकता दी जाती है, शामिल किए गए हैं। इसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषरूप से मूल न्यूनतम सेवाओं जिसमें वे सात प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बताया गया था, पर दबाव डाला गया है इन सेवाओं को केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र माना है। इन सेवाओं में सुरक्षित पेय जल की सुविधा, आवास सुविधा, देश के सभी क्षेत्रों को आपस में सम्बंध करने की सुविधा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं के अतिरिक्त, शहरों और गांवों दोनों में स्थानीय विकासों को शक्ति और कार्य देने पर बल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों को संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के अन्तर्गत और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और अन्य शहरी निकायों के संविधान के चौहत्तरवें संशोधन के अन्तर्गत शक्तियां और कृत्य होने पर बल दिया गया है।

साथ ही, शहरों और गांवों दोनों में बेरोजगारी को कम करने, गरीबी के उन्मूलन के उद्देश्य से चलाए गए कार्यक्रमों से भी स्थिति में बदलाव आया है जो कि इन वर्षों में बताए गए और विशेष रूप से इन वर्षों में शुरू किए गए हैं। ये उद्देश्य स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के कार्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि दृष्टिकोण पत्र में स्थानीय निकायों को शक्तियाँ प्रदान करने के और उन्हें सुदृढ़ बनाने की बात कही गई है, तो भी मैं महसूस करता हूँ कि तिहत्तरवें और चौहत्तरवें सांवैधानिक संशोधनों के बाद भी देश में बहुत किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि स्थानीय निकायों को शक्तियों ओर कार्यकलापों को सौंपे जाने सम्बन्धी गतिविधियाँ राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आती है सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों को समाविष्ट करने वाला यह विधायी परिवर्तन कर चुके हैं। परन्तु हम पाते हैं कि वे शाब्दिक ज्यादा है और सांवैधानिक संशोधन की मूलभावना के अनुरूप नहीं है और शक्तियों को वास्तविक रूप से सौंपा नहीं गया है। यह स्थानीय निकाय अपने कार्यों को पूरा करने विभिन्न कार्यक्रमों, जिन्हें आजकल संविधान या दृष्टिकोण दस्तावेज में दिया जा रहा है, को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक तंत्र और शक्ति से सम्पन्न नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस योजना अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पंचायती राज निकाय और अन्य स्थानीय निकाय प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम हो और इन विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सक्षम हो, राज्य सरकारों के सहयोग से कदम उठाएगी।

सहकारी समितियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों, चाहे वह ग्रामीण या शहरी इलाकों में हो, मैं सहकारी समितियों की सक्रिय भूमिका भी सम्मिलित होती है जिनका हमारे देश में व्यापक नेटवर्क है। इन सहकारी समितियों में कई हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। परन्तु मैं अनुभव करता हूँ कि प्रत्येक राज्य में यह सामान्य बात है कि यह संस्थाएं जिनसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वस्तुतः ऐसा कार्य नहीं करती है। यह सरकार के लिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहकारी संस्थाएं जो कि सबसे निचले स्तर पर कार्य कर रही हैं अदम्य उत्साह वाली संस्थाएँ बन जाएँ जो देश में, विशेषकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में विकास लाने को कार्य करने लगे, तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के समान एक उपयुक्त संवैधानिक संशोधन लाने के लिए कार्यवाही शुरू करें। केन्द्र और राज्यों द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न

[श्री सी० नारायण स्वामी]

कार्यान्वयन में वित्तीय संस्थाओं, जिसमें व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, की भूमिका सर्वोत्कृष्ट रही हैं। जब तक कि इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाता है और उनकी भागीदारी और उचित भूमिका को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तब तक इनमें से अधिकतर कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और टी. आर.वाय.एस.ई.एम. और अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों में इन वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी सम्मिलित रहती है। हमारा देश में अनुभव रहा है कि उन लाभार्थियों, जिनका गरीबी की रेखा से ऊपर उठना अपेक्षित है, को अपेक्षित वित्तीय सहायता सुलभ नहीं हो पा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि योजना प्रस्तावों में, आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा और देश में विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए इन वित्तीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा निजी अनुभव अत्यंत दुखद रहा है। लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए जाने के बाद भी, जब क्रियान्वयन की बात आती है, जब वित्त-षोषण की बात आती है तो विभिन्न कार्यक्रम या तो कम निधियों से चलते हैं या विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जारी की गई निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र नहीं होता है। परिणाम यह होता है, जैसाकि हम देखते हैं, अन्तिम उपयोग वैसा नहीं होता है जैसी हमने अपेक्षा की थी या प्रत्याशा की थी। कृषि क्षेत्र में हम देश में सिंचाई सुविधाओं के सुधारने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। बेशक, देश में पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू होने अर्थात् प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक, हमने देश में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। कई लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है। परन्तु हम इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि हमारे देश की कृषि योग्य भूमि में से केवल 30 प्रतिशत की ही सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा सका है। बाकी बचा क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। हमारे देश में मानसून में कई प्रकार की अनिश्चितता होती है और जब तक कि हमारे पास देश के लिए एक जल प्रबन्धन नीति नहीं होगी जब तक हम शुष्क भूमि कृषि तकनीकों और बंजर भूमि के विकास पर जोर नहीं देते हैं तब तक हम सफल नहीं हो सकते। यद्यपि योजना दस्तावेज इन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करता है, हमारा पूर्व अनुभव बंजर भूमि विकास सम्बन्धी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति ज्यादा सहायक नहीं रहा है।

हम देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष देश में भूमिगत जल स्तर नीचे गिरती जा रही है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, बेंगलूर के समीप, जिसका मैं पिछले सात या आठ वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जहाँ पहले हम 150 फीट की गहराई पर जल प्राप्त करने में सक्षम थे अब उसी स्थान पर दो ब्लाकों को खान और भूवैज्ञानिक विभाग ने जलविहीन क्षेत्रों के रूप में घोषित कर दिया है। अब हमें जल प्राप्त करने के लिए 450 से 500 फीट की गहराई तक जाना पड़ता है क्योंकि पिछले आठ से दस वर्षों के दौरान भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग किया गया और हम भूमि सतह के जल को उपयोग कर पाने में सफल नहीं रहे और इन क्षेत्रों में वर्षा का पानी इधर-उधर रिस जाता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार उपलब्ध सिंचाई साधनों को बढ़ावा देने जैसे छोटे सिंचाई तालाब इत्यादि को प्राथमिकता दे। ऐसे छोटे सिंचाई तालाब हमारे क्षेत्र में हजारों हैं। उन पर अपेक्षित जोर नहीं दिया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, मैं अनुभव करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए ट्यूबवेलों और बोरवेलों को उपलब्ध कराए जाने में निवेश व्यर्थ हो रहा है सरकार को हर तीसरे वर्ष बोरवेलों की ड्रिलिंग फिर से करवानी पड़ती है क्योंकि भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है। जब गरीब किसान सिंचाई सुविधाओं के लिए नलकूल खुदवाता है तो वह शुष्कभूमि क्षेत्रों में वर्षा जल पर निर्भर रहता है जहाँ उसे सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। और उसके द्वारा नलकूप लगाया गया धन व्यर्थ हो जाता है क्योंकि तीन या चार वर्षों के पश्चात वह काम का नहीं रहता फिर से उसे कई लाख रुपयों का निवेश करना पड़ता है। सरकार द्वारा घोषित किए गए जलविहीन क्षेत्रों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुझे विश्वास है एक बार यदि सरकार इन चीजों को प्राथमिकता देती है तो इससे उन लोगों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

पहले, सरकार, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने के उपाय के रूप में पुनर्निर्माण कार्य करवाया करती थी। यह काम हाथों द्वारा किया जाता था। जब कभी भी वर्षा आती है, तब बाहर निकाली गई मिट्टी फिर से तालाब में चली जाती है और तालाब बेकार हो जाता है। अतः इन तालाबों में से मिट्टी निकालने तथा जल के अतःसुखण को सुनिश्चित करने के लिए जल भण्डारण की व्यवस्था हेतु मशीनों की सहायता ली जानी चाहिए तथा इस दिशा में एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिससे कि भूमिगत जल बढ़ाया जा सके। मैंने स्वयं मोटे तौर पर हिसाब लगाया है कि हम वास्तव में कई गांवों में नलकूपों की खुदाई पर किए जाने वाले हजारों करोड़ रुपयों को बचा सकते हैं जहाँ पर पहले लगाए गए नलकूप बेकार हो चुके हैं।

जिला स्तर पर मैंने पंचायती राज संस्था में एक निर्वाचित कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य किया मेरा स्वयं का अनुभव है कि हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिए नलकूप की खुदाई पर पैसा बेकार कर रहे हैं। क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव में जब हमने नलकूपों की खुदाई शुरू की तो आठ से नौ नलकूप के लिए खुदाई बेकार गई रिगों का परीक्षण करने और अधिकतम गहराई तक जाने के लिए हम 1,040 फीट की गहराई तक गए थे जहाँ हम केवल 800 गैलन पानी को ही प्राप्त करने में सफल रहे। हमारे देश में ऐसे स्थान हैं और सरकार को इन्हें अपने हाथ में लेकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। यहाँ इस बात का उल्लेख करन्ग अनुचित नहीं होगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित मेरे राज्य कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में, बेंग्लूर और बौलार जिलों में, हमें पीने के काम आने वाले पानी की राशनिंग को लाना होगा। मैं बढ़ा चढ़ा कर इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इसे देख चुका हूँ।

सरकार के आने वाले वर्षों में इस समस्या से युद्ध स्तर पर निपटना होगा जोकि वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

जब हम कृषि के प्रश्न पर आते हैं तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ सिंचाई के प्रावधान के अन्तर्गत हम लगातार बांधों और अन्य सुविधाओं जैसी कृषि सुविधाओं के प्रावधान पर हजारों करोड़ या लाखों

रुपए निवेश कर रहे हैं। परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसा कि मैं कह चुका हूँ, जिन्हें सिंचाई के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है। हमारे पास कोई सदाबहार नदी जल स्रोत नहीं है। तब हमें ऐसे क्षेत्रों में हमें ऐसी बातों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि सिंचाई या सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए बड़े स्रोतों के आबंटन के प्रश्न को नहीं उठाते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संसाधनों और योजना संसाधनों को हमारे देश में कृषि सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, शुष्कभूमि जल सिंचाई तकनीकी को लाएं जैसाकि अन्य देशों में सफल रहा है। ऐसा ड्रिप सिंचाई या रिप्रंकलर सिंचाई करके या इन क्षेत्रों में हमारी फसल पद्धति में परिवर्तन कर के किया जा सकता है। मेरे विचार से इसको महत्व दिया जाना चाहिए। दृष्टिकोण पत्र में जो उल्लिखित है उसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है मुझे विश्वास है कि सरकार इस पक्ष पर अपना बयान देगी।

हमारे पास आयोजना प्रक्रिया है। अब तक हमारे देश में योजनाओं को आरम्भ किए जाने के पश्चात् हमारा स्वयं का अनुभव रहा कि - मैं एक गाँव से सम्बन्ध रखता हूँ और मैं पंचायती राज संस्थाओं में एक निर्वाचित कार्यकर्त्ता के रूप में दस वर्ष के लगभग कार्य कर चुका हूँ- दिल्ली में या अन्य राज्यों की राजधानियों में देश के कर्णधार बने लोग यह सोचते हैं कि वे अनुभवी योजनाकार हैं और केवल वे जानते हैं कि एक आम गांव वासी के लिए या एक आदमी के लिए क्या अच्छा है; वे इस परिकल्पना के अन्तर्गत कि ग्रामीण लोगों के पास तों अपने भविष्य के लिए योजनाओं को रूपांवित करने की योजनाएँ बनाने का ज्ञान या विशेषज्ञता नहीं होती है, वे योजनाओं को बनाते और योजनाओं को रूपांवित करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के पास ''देहाती सामान्य बुद्धि'' हो सकती है। गाँवों के लोग भोले-भाले, अज्ञानी और निरक्षर हैं परन्तु वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। अब हमारे पास योजनाएँ ऊपर से गाँव वासियों की और, ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं। मैं महसूस करता हूँ इसे और तरीके से किया जाना चाहिए। योजनाएँ बड़े लोग बनाते हैं। परन्तु हमें निचले स्तर पर आयोजना की व्यवस्था करनी चाहिए।

तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधनों में जिला योजना समितियों का उपबंध किया गया है। मैं इसके लिए पश्चिम बंगाल राज्य को विशष रूप से बधाई देता हूँ। जब मैं विकेन्द्रीकरण के बारे में सोचता हूँ। एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल के साथ कर्नाटक भी एक आदर्श था परन्तु अपने राज्य के सम्बन्ध में प्रसन्न नहीं हूँ जब तक कि कतिपय परिवर्तन नहीं लाए जाते हैं। अब हम इस बात पर आते हैं वे जिला स्तर से भी नीचे जा चुके हैं उनके पास आयोजना कार्य के लिए ब्लाक स्तरीय आयोजना समितियाँ कार्य कर रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उप राज्य स्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं या स्थानीय निकायों को सब तरह का प्रशिक्षण सभी प्रकार की सहायता तकनीकी, कार्मिक प्रदान करें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वे उन्हें आवश्यक योजनाओं को स्वयं रूपांवित करें और उन्हें क्रियान्वित भी करें।

अन्य पहलू जिस पर यहाँ हमें ध्यान देना होगा वह यह कि - मैं पुनः सरकार और विशेषकर माननीय मंत्री को योजना के लिए बधाई देता हूँ, विभिन्न स्कीमों के एकीकरण का उल्लेख किया गया था। हमारे पास एक ही उद्देश्य वाली विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न क्षेत्रों के नाम से जुड़ी विभिन्न योजनाएँ हैं। कार्यक्रमों की बहुलता है। कार्यक्रमों की बहुविधता है। समान उद्देश्य वाले इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली ऐजेन्सियों की बहुविधता है। इन योजनाओं के प्रस्तावित एकीकरण का एक उल्लेख किया गया है।

अपराह्न 05.00 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

इन योजनाओं को एकीकृत किए जाने के प्रयास के अतिरिक्त, दिल्ली से कृषि भवन से योजना निधियों को निर्धारित करने के स्थान पर हमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्यों को धनराशि सौंपनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय योजना मंत्री, जो कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, राज्यों को ब्लाक अनुदान आबंटन और अन्य उपराज्य स्तर संस्थाओं की आवश्यकता को महसूस करेंगे। खेत की जमीनी विभिन्न परिस्थितियों के ध्यान में लाए बिना यहाँ पर योजनाएँ रूपांवित की जाती हैं। इसी कारण, क्रियान्वयन करने वाली एंजेंसियों जो कि मूलतः स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं हैं, का इन नीतियों को बनाने और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भी योगदान होना चाहिए। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर, परिवार कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शेष धनराशि राज्यों को दी जानी चाहिए और राज्यों से पंचायती राज संस्थाओं को ब्लाक अनुदान के रूप में जिससे कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना निधियों का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। केन्द्र से राज्यों को निधियाँ देने या निधियों को सौंपे जाने के लिए पहले ही एक व्यवस्था है।

हम गाडगिल फार्मूले के अनुसार कार्य करते हैं अब राज्यों से स्थानीय स्तर-जिला और पंचायती राज संस्थाओं को निधियों को सौंपे जाने के लिए विकसित इस फार्मूले को नए सिरे से बनाने की भी आवश्यकता है। मैंने कुछ ऐसे राज्यों को भी देखा है, जहाँ केन्द्र से या राज्य के बजट से प्राप्त निधियों को विभिन्न जिलों और विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जाने में असंतुलन है। वहाँ पर हो रहा भेदभाव राज्य स्तर पर शासन कर रही सरकार के कारण होता है। जब जिला स्तर या उससे नीचे निर्वाचित संस्था के रूप में भिन्न राजनीतिक समीकरण होता है तो इन पंचायती राज संस्थाओं को निधियों को जारी करने या सौंपने में भेदभाव की घटनाएँ देखी गई है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूँ जोकि एक अनुभवी व्यक्ति है, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, कि वे एक व्यवस्था, मानदण्ड बनाए जिनका राज्यों द्वारा राज्यों से उपराज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं या शहरी स्थानीय निकायों को योजना आबंटनों को सौंपे जाते समय पालन किया जाय और एक जिले से दूसरे या एक स्तर से दूसरे स्तर पर दिए जाने के समय निर्वाचित कार्यकर्ताओं की संरचना के आधार पर भेदभाव न हो।

देश में भूमि सुधारों की वांछनीयता पर स्वागत योग्य उल्लेख हुआ है। जब कभी भी मैं सभा में इस मुद्दे पर चर्चा सुनता हूँ, हमारे मित्र विशेषकर पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र या वाम पक्ष की पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे मित्र भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की पुरजोर माँग करते हैं। मैं फिर से पश्चिम बंगाल की सरकार को यह कदम

[श्री सी॰ नारायण स्वामी]

उठाने के लिए बधाई देता हूँ यद्यपि मैं यह नहीं कहता हूँ कि अन्य राज्यों ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए हैं। कई अन्य राज्यों ने भी भूमि सुधारों को लाने के लिए कदम उठाए हैं। हमारे राज्य कर्नाटक में जब स्वर्गीय श्री देवराज अर्स मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने भूमि सुधारों के लिए कतिपय उपाय किए थे।

उस समय सरकार की नीति और दर्शन यह था कि जोतने वाले को भूमि दी जानी चाहिए। वह दर्शन था तब कर्नाटक राज्य में भूमि न्यायाधिकरणों के गठन के लिए गैर सरकारी व्यक्तियों को चुना गया। जो लोग भूमि जोत रहे हैं जो लोग खेती कर रहे हैं, जिनके पास काश्तकार के रूप में भूमि की मिलकियत है, उनको अपने आवेदन पत्र देने के लिए अन्तिम तारीख बता दी गई है ताकि न्यायाधिकरण उनकी जाँच कर सके और उनके द्वारा जोती गई भूमि के स्वामित्व अधिकार उन्हें प्रदान कर सके। अतः कर्नाटक में काश्तकारी के अंतर्गत काश्तकारों द्वारा जोती गई लाखों एकड़ भूमि वास्तविक रूप में से खेती करने वालों को दे दी गई है। बाद में काश्तकारों को स्वामी के रूप में क्षतिपूर्ति मूल्य अदा करना था जो कि सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया गया था। इस राशि का भुगतान वास्तविक भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए सरकार को किया जाना था। उत्तरवर्त्ती सरकारों द्वारा बाद में इसे भी माफ कर दिया गया। बिना कोई धनराशि अदा किए काश्तकार भूमि के स्वामी बन गए। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राज्यों में विशेषकर कि उन राज्यों में जो कि हमारे देश में काफी सफल रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, भूमि सुधार कानून के कार्यान्वयन में और अध्ययन करने कि भूमि सुधार किया गया है, यद्यपि यह कहना सरल परन्तु कहना कठिन है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की समानता होनी चाहिए। हमारे देश में भूमि सुधार के संबंध में कानून बनने का एक उचित प्रयत्न करना चाहिए जब इस संबंध में विचार किया जाता है तो दो पहलुओं पर गौर किया जाता हैं एक तो स्वामित्व के अधिकार प्रदान करना और दूसरी बात है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के जरिये सफलतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया है और जिसे आम तौर से ''आपरेशन बर्गा'' के रूप में जाना जाता है मैं विस्तृत जानकारी लेने के लिए पश्चिम बंगाल में था। मेरे विचार में इसे देश के सभी राज्यों में, अनेक अनुभव के आधार पर कुछ संशोधनों के साथ, लागू करना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि संयुक्त मोर्चा सरकार इसे प्राथमिकता दे। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं?

श्री सी॰ नारायण स्वामी : मैं एक या दो वाक्यों के बाद अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, माननीय मंत्रीजी को न केवल अनुभव है, बल्कि वे इसे समझ भी रहे हैं। माननीय सदस्य ने भी यही सुझाव दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया है कि यह चर्चा जारी रहेगी .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसे अगले सत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसे मामले में समय की रूकावट भी नहीं होनी चाहिए और हम इस मामले में थोड़ा उदार हो सकते हैं। श्री नारायण स्वामी पश्चिम बंगाल की इतनी प्रशंसा कर रहे थे।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : मैं वहाँ पर किए गए प्रयोग के परिणामों से काफी प्रभावित हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मुझे आपके भाषण में हस्तक्षेप किए बिना एक बात कहने दीजिए। जब आप पश्चिम बंगाल के अनुभव की बात करते हैं तो एक चीज़ भूल जाते हैं कि इसका इतिहास कृषकों के घोर संघर्षों का इतिहास है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी हम कहाँ थे, वहाँ तलबाधा आन्दोलन हुआ था और काफी खून बहा था। हैदराबाद के तेलंगाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में भी ऐसा हुआ था। तत्पश्चात् 1967-1968-1969 के दौरान कृषकों में आंदोलन की एक बड़ी लहर जिसमें उन्होंने जमीनों पर कब्जे किये। उसके शक्ति के बिना न तो पंचायत सफल हो सकती है और न ही भूमि सुधार। इसे छिपाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल से यह सबसे महत्त्वपूर्ण सबक सीखा गया।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : इसके अतिरिक्त मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के पास एक विरासत है और अनेक दृष्टियों से वह देश के अन्य भागों से बाजी मार ले गए हैं। प्रस्ताव में यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के इस उद्देश्य का भी उल्लेख किया गया है कि भूमि के संबंध में बटाईदारी की अनुमति दी जाएगी और उसे मान्यता प्रदान की जाएगी। मेरे विचार से जहां तक कि भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है यह एक स्वागतजन्य कदम है। इससे भूस्वामियों द्वारा बंटाईदारी का शोषण नहीं किया जा सकेगा। यह एक अच्छा सुझाव है। मैं उस मुद्दे के अन्य पहलूओं पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं मैं लोगों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य पर आता हूँ। हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ किया गया है जिसका काफी स्वागत किया गया है और राज सहायता के बोझ को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की गई है।

जब भी इस माननीय सभा में खाद्य पर चर्चा होती है मैंने हमेशा देखा है कि गेहूं और चावल के बारे में उल्लेख किया जाता है। यह शोर मचा हुआ है कि गेहूं का समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है और आयातित गेहूं का मूल्य अधिक है तथा कृषकों को असुविधा तथा हानि उठानी पड़ रही है। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उनके अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए और उनके उत्पाद का विपणन आवश्यक है। इसके साथ ही मैंने इस माननीय सभा में पहले भी यह उल्लेख किया है कि हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप गेहूं तथा चावल के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं शुद्धि के अध्यधीन गेहूं का उत्पादन मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है। जो लाभ केन्द्र सरकार देती है वह इन राज्यों में कृषकों को भी दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उन्हें अधिक मूल्य मिलना चाहिए। मैं उस पर असंतोष प्रकट नहीं कर रहा हूँ। खाने की आदतें प्रत्येक राज्य में भिन्न होती हैं। हमारे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य भोजन रागी और ज्वार है ज्वार भी उपयोग में लाया जाता है जब श्री रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे तब मैं राज्य स्तर के संगठन का इंचार्ज था जो दो रुपए प्रति किलो सस्ता खाद्यान्न योजना को कार्यान्वित कर रहा था। इस योजना को बाद में भी जारी रखा गया

जब भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती खाद्यान्न वितरण योजना के अंतर्गत रागी और ज्वार जैसे खाद्यान्न राज्य में लाए गए। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए खाद्यान्न में रियायत प्रदान की। उसके दो लाभप्रद प्रभाव थेः एक तो यह कि गरीब लोगों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त हुए और दूसरा जो कृषक अपनी भूमि में इन खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे थे, उनकी भी राज्य सरकार द्वारा खरीद से सहायता प्राप्त हुई।

मैं यह महसूस करता हूँ कि इस बार संयुक्त मोर्चा सरकार की केन्द्रीय सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए। प्रश्नकाल में अनुपूरक प्रश्नों के समय हस्तक्षेप के दौरान पहले भी मैंने कहा था कि केन्द्र सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि निर्धन लोगों को लाभ पहुँचे। राज्य के हमारे भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में खाने में गेहूँ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वे गेहूं नहीं खाएंगे और गेहूं को शहरी क्षेत्रों में खुले बाज़ार से रागी खरीदकर इस्तेमाल करते रहेंगे।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि वे देखें और इस तत्व को सामने लाएं। जनसंख्या के निर्धन वर्ग द्वारा देश के विभिन्न भागों में जो खाद्यान्न इस्तेमाल होते हैं, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, वितरित किए जाने चाहिएं। इस क्षेत्र के लिए राज सहायता भी दी जानी चाहिए।

महोदय, एक और मुद्दा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मज़बूती प्रदान करने के संबंध में रखे गए प्रस्ताव का भी स्वागत किया गया है। मेरे मित्र तथा वरिष्ठ नेता हमेशा उसी बात का उल्लेख करते हैं और मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। हालांकि मुझे इतना अनुभव नहीं है जितना उन्हें हैं और न ही मैं व्यक्तिगत रूप से कभी उस क्षेत्र में रहा हूं। लेकिन, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के एकक हैं जो कि देश के बहुत उत्तम एकक माने जाते हैं जैसे एच.एम.टी, आई. टी.आई और बी.ई.एम.एल, दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का हमारे औद्योगिक विकास में अपना एक इतिहास है। पूरे दक्षिण एशिया में भारतीय टेलीफोन उद्योगों के पास सबसे उत्तम आर एण्ड डी सुविधाएँ हैं। क्रयादेशों की कमी और केन्द्र में पूर्ववत्ती सरकार की दूरदृष्टि की कमी के लिए मैं इस सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति संचार मंत्रालय को चला रहे थे और जो अब सुर्खियों में हैं – उस उपक्रम को घाटा हुआ।

संचार विभाग द्वारा आदेश जारी न करने के कारण, पहली बार भारतीय टेलीफोन उद्योग को हानि उठानी पड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अक्षय था और इसलिए भी नहीं क्योंकि उनमें उनके द्वारा आवश्यक उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता नहीं थी। इसे दूरसंचार विभाग के एक 'कैप्टिव' एकक के रूप में स्थापित किया गया था लेकिन प्राय देशों की कमी के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा। उसे रूग्ण एकक माना जाता था। मैं एक बार फिर संयुक्त मोर्चा सरकार को धन्यवाद दूँगा और उनकी प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दी गई नीति के अनुसार भारतीय टेलीफोन उद्योग को सहायता दी है। मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं और अब आई. टी.आई अपने आपको बनाए रख सकती है। लेकिन सरकार से 'इक्विटी' सहायता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि सरकार यह सहायता प्रदान करेगी। जब माननीय सदस्यों ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों का सुझाव दिया तो माननीय वित्त मंत्री ने अपने हाल ही में दिए गए जवाब के दौरान कहा कि वे उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की मदद करेंगी जिन्हें फिर चालू किया जा सकता हैं। 'फिर से चालू किये जाने योग्य' शब्द का अर्थ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी के संबंध में भिन्न हो सकता है। जब भारत सरकार स्कूटर (इण्डिया) लिमिटेड की वित्तीय सहायता के लिए आगे आ सकती है तो मुझे नहीं मालूम कि भारतीय टेलीफोन उद्योग की मदद क्यों नहीं की जा सकती है। आई.टी.आई. संचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक मूलभूत उपकरणों का उत्पादन करती है।

सभापति महोदय : श्री नारायण स्वामी, यह एक स्पष्ट उदाहरण है। एक बार भारत सरकार ने स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया था।

श्री सी॰ नारायण स्वामी : महोदय, मैं स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड को फिर से चालू करने का स्वागत करता हूँ। आई.टी.आई. एक 'कोर सेक्टर' उद्योग है। यदि हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो हमें प्रत्येक उपकरण के लिए बहु उद्देश्यीय निगमों पर निर्भर रहना होगा। हमारे देश में सी-डॉट प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत या आई.टी.आई. अथवा किसी अन्य भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित टेलीफोन एक्सचेंज को प्रति लाइन लागत लगभग 3,500 रु० अथवा 4,000 रु० आती है। आई.टी.आई. के न होने पर एक एम एन सी आयातित उपकरण की प्रति लाइन लागत 8,500 रु० आती है अब आई.टी.आई सी-डॉट तकनीक के अन्तर्गत 40,000 लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण कर रहा है हमें ऐसे उद्योग को असमय ही बंद होने नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इस उद्योग को पुनर्जीवित करने और प्रतिस्पर्द्धा में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरे विचार में, सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु एक अच्छा समय है कि विशेषकर कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानीय उद्योगों स्वदेशी उद्योगों को समान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने (लेवल प्लेइंग फील्ड) का अवसर प्राप्त हो बहुउद्देश्यीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

इन विचारों की अभिव्यक्ति के साथ, दृष्टिकोण पत्र में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ मुझे विश्वास है कि विगत के अपने अनुभव से और नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा रखी गई प्राथमिकताओं से सब कुछ बदल जाएगा। मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए योजना आयोग की भी प्रशंसा करूँगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू की गई आर्थिक गतिविधियों के कारण उस योजना के अन्त तक, बेहतरी के लिए अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं, हालांकि अभी भी कुछ परिवर्तन होने आवश्यक हैं। हम संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के अनुसार केवल कुछ संशोधनों के साथ उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। श्री यू.एस. झा जो कि आर. पी. एफ. यूनियन के पूर्व महासचिव हैं वह कल से श्री जनेश्वर मिश्र के आवास के बाहर अनशन पर बैठे हैं। उसका कारण यह है कि जब श्री जनेश्वर मिश्र रेल मंत्री थे, उन्होंने इस आशय का एक पत्र दिया

[श्री संतोष मोहन देव]

था कि यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित औपचारिकताओं के अध्यधीन एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की जाएं उसके पश्चात्, अनेक समितियों की बैठक हुई हैं और हाल ही में भी एक बैठक हुई है। श्री राम विलास पासवान, रेलवे संबधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री बसुदेव आचार्य तथा अन्य लोगों की बैठक हुई, उन्होंने चर्चा की और सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया कि मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। तो, यह महाशय अनशन क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि वे पानी या चाय भी नहीं ले रहे हैं। यह बहुत गंभीर बात है। इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेल मंत्री कह रहे हैं कि उनका मंत्रालय सिद्धांततः इससे असहमत नहीं है लेकिन गृह मंत्रालय की सहमति लेनी पड़ेगी। अतः, मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि कल पहले घंटे में ही कुछ परिणाम निकलना चाहिए। हम उन महाशय से कहेंगे कि वे अपना अनशन समाप्त करें। महोदय, मेरा विचार ये है कि आप यह मामला माननीय गृह मंत्री को भेज देंगे।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, जो इन्होंने कहा है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह एक गंभीर मुद्दा है इस मामले की सूचना माननीय गृह मंत्री को दी जानी चाहिए क्योंकि उन महाशय की हालत गंभीर है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, इसे एक ही बार हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मामला पिछले दस वर्षों से लटका हुआ है। इसे सभी दलों ने सभा में समर्थन दिया है।

सभापति महोदय : इस मुद्दे के संबंध में कोई दो राय नहीं हैं। पूरी सभा एक है। मैं यह अनुरोध करँगा कि इसकी सूचना गृह मंत्री को दे दी जाए ताकि एक बैठक आयोजित की जा सके।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री मकबूल डार यहां बैठे हुए हैं। यह खुद ही यहां आश्वासन दे दें और गृह मंत्री जी को भी सूचित कर दें। .....*(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी : सभापति महोदय, जो व्यक्ति हड़ताल कर रहे हैं उन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए कल सदन में रेल मंत्री जी को इसकी स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए, ताकि हड़ताल खत्म हो सके।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन की चिन्ता से अवगत करा दिया जायेगा।

सभापति महोदय : आप गृह मंत्री को यह कहें कि वह कल सुबह एक बैठक बुलायें ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : महोदय चूंकि यह अध्यक्षपीठ की व्यवस्था है मैं इसे तुरन्त माननीय गृह मंत्री तक पहुँचा दूँगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहाँ तक मुझे समझ आया है उनकी व्यवस्था यह है कि कल शाम तक इस मामले पर निर्णय ले लिया जाना है और वह भी उनके पक्ष में।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : निश्चित रूप से मैं इससे अवगत करा दूँगा।

सभापति महोदय : जब सदन इस मामले पर एकमत है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी देरी नहीं की जानी चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : मैं कर्मचारी वर्ग की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : महोदय, अब श्री संतोष मोहन देव को जा कर उनका उपवास समाप्त करा देना चाहिए।

श्री समीक लहिरी (डाइमंड हार्बर) : महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक वरिष्ठ पार्टी सहयोगी श्री सुधीर गिरि ने इस विषय पर पर्याप्त चर्चा की है। इसलिए मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊँगा। अपितु मैं अपना भाषण केवल इस बात तक ही सीमित रखूँगा कि विशेष रूप से आज के सन्दर्भ में योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। इसलिए क्योंकि वित्त मंत्रालय ने विगत पाँच-छः वर्षों में कुछ शब्दावलियों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हैं। वे क्या हैं? वे हैं बाजारी शक्तियां, निजीकरण और उदारीकरण। ये सब शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, दीर्घावधि नीति आयोजना की अर्थ-व्यवस्था की अवधारणा से मेल नहीं खाते। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के प्रकाशन से पूर्व मेरा यही विचार था कि परियोजित अर्थ-व्यवस्था नाम की वस्तु अब लुप्तप्राय है; किसी को इसकी चिन्ता नहीं है; किसी को यह नहीं लगता कि देश के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। परन्तु इसके प्रकाशन के बाद सरकारी तंत्र में भी मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो परियोजित अर्थ-व्यवस्था के पक्षधर हैं। आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के बारे में योजना आयोग का क्या मत है?

वित्त मंत्रालय का क्या मत है? क्या इन दोनों के मत आपस में मिलते हैं विभिन्न उदाहरणों से हम देखते हैं कि वे दोनों मेल नहीं खाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र की विस्तारपूर्वक समीक्षा करने में पहले मैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की संक्षेप में समीक्षा करना चाहता हूँ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गए थे उनमें से कुछ प्राप्त कर लिये गए हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम विकास को लें तो सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर 6 प्रतिशत से अधिक रहे जबकि लक्ष्य 5.6 प्रतिशत का था। हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? विकास क्या है? यदि हम विकास के अन्य पहलुओं को एक तरफ करके मात्र उसके गणना सम्बधी पैरामीटर को देखें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना विगत पांच वर्षों के कार्य निष्पादन

का मूल्यांकन करना बहुत कठिन हैं। मैंने पहले भी बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर छः प्रतिशत से ऊपर रही। परन्तु यदि हम विकास को उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में, एक बहु-आयामी पहलू के रूप में लें, तो एक भिन्न तस्वीर हमारे सामने आती है।

हाँ, विकास तो हो रहा है। परतु कितनी जनसंख्या अभी भी गरीबी-रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है? कितने लोग अभी भी बेरोज़गार हैं? कितने निरक्षर हैं? विकास तो हुआ परन्तु उसके साथ-साथ अन्य क्या गतिविधियां हुई? उन लोगों का क्या हुआ जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? लक्कादवाला समिति के अनुमानों के अनुसार 39 प्रतिशत जनसंख्या यानि बत्तीस करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन केवल विकास की दृष्टि से, वह भी केवल गणनात्मक आयामों में करेंगे तो हम तस्वीर का पूरा रूप नही देख पायेंगे।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं यू.एन.डी.पी. के मानव विकास सूची पर सर्वेक्षण की ओर संकेत करना चाहता हूँ। इसके तीन मुख्य घटक - ज्ञान, आयु और आय के आयामों का अध्ययन किया गया। अर्न्तराष्ट्रीय तालिका में हमारे राष्ट्र का कौन सा स्थान है? 174 देशों के बारे में यह सर्वेक्षण किया गया और तालिका में भारत का स्थान 135वां है। उन्नति तो हुई परन्तु विकास क्या हुआ? मैं सरकार से आग्रह करूँगा वि वह सब कुछ उन्नति के मापदण्ड से न मापे। सरकार को यह सब विकास के विभिन्न पहलुओं के अर्थों में मापना चाहिए। यदि हम विगत पाँच वर्षों में पेश किये बजटों का विचार करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना और वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए इस वर्ष के बजट को ध्यान में रखें, सरकारों द्वारा पेश किये गए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र और दो अलग-अलग नवीं पंचवर्षीय योजना का अध्ययन करें, तो हमें दो भिन्न मत मिलेंगे। इन दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह पाया जायेगा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत ढांचे सम्बन्धी मामलों पर बहुत जोर दिया गया। वार्षिक बजट पेश करते समय दिए गए भाषण में भी हमारे वित्त मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया। परन्तु हमारे वित्त मंत्रालय का क्या विचार है? हम यह सुना करते थे कि कोई विशेष परियोजना अर्थक्षम नहीं है क्योंकि इससे हानि हो रही है। ग्रामीण बैंकों का उदाहरण लें। ऐसे बहुत से ग्रामीण बैंक हैं जो लाभ कमा सकने की स्थिति में नहीं हैं। यदि केवल इसी मापदण्ड के आधार पर ग्रामीण बैंकों को बन्द कर देंगे तो क्या होगा? क्या केवल बैंकिंग के दृष्टिकोण से ही इसे देखा जाना चाहिए या इसे सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भी इसका मूल्यांकन करना होगा। हमें इसका दीर्घावधि आयोजना के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना होगा।

यदि आप ग्रामीण बैंकों को बन्द कर देंगे तो क्या होगा? गरीब काश्तकारों को बनियों से पैसा उधार लेना पड़ेगा। कुप्रबन्धन हो जाएगा। पहले ही स्थिति यह है कि 70 प्रतिशत भूमि के मालिक जनसंख्या का केवल तीस प्रतिशत हैं। इसी प्रकार 70 प्रतिशत लोगों के पास केवल 30 प्रतिशत भूमि है। भूमि का ऐसा केन्द्रीयकरण हुआ पड़ा है।

यदि हम सभी ग्रामीण बैंकों को बन्द कर दें, तो कृषि क्षेत्र का क्या होगा? हम इस असन्तुलन को कैसे पूरा कर सकते हैं? योजना आयोग के दृष्टिकोण के बारे में जो कुछ कहा गया है मैं नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र से यह उद्धृत करता हूँ। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों के लिए कार्यक्रम की कार्यवाही में निम्नलिखित बातें शामिल की गई हैं।

(क) भूमि हदबंदी की अतिरिक्त भूमि की पहचान और पुनरावंटन;

(ख) भूमि सम्बन्धी रिकार्डों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना;

(ग) किराएदारी सुधार जिसमें किराएदारों और बटाईदारों (फसलों में हिस्सेदारों) के अधिकारों का रिकार्ड;

(घ) भूमि जोतों का समेकित किया जाना;

(ङ) आदिवासी भूमि को स्वायित्व परिवर्तन से बचाना और कुछ अन्य।

सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इन सब मुद्दों पर सकारात्मक जोर दिया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के विकास के एक अन्य पहलू पर विचार किया जाए। आप सामाजिक क्षेत्र के विकास अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा महिला और बाल-विकास के कार्य निष्पादन के बारे में तो जानते ही हैं। यह पूर्णतया बजटीय समर्थन अर्थात् वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। परन्तु इनके आंकड़े क्या हैं? नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्पष्टतः बताया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक क्षेत्र में लक्ष्य 13,616 करोड़ रुपए का था वास्तविक उपलब्धि क्या हुई? वह थी 8,553 करोड़ रुपये। चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लक्ष्य 5,263 करोड़ रुपए का था उपलब्धि की दर थी 3,553 करोड़ रुपए की।

शेष सभी क्षेत्रों के भी यही हाल हैं। इस वर्ष के बजट में, यह कहा गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शत प्रतिशन साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ओर इसके लिए 3.5 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता थी परन्तु सरकार ने केवल 2.80 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

क्योंकि धन नहीं था कोई बजटीय समर्थन नहीं था। यहा मैं विशेष रूप से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का उद्धरण दे सकता हूँ:-

"राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका लक्ष्य 15.35 वर्ष के आयु वर्ग के सौ मिलियन लोगों को वर्ष 1997 तक साक्षर बनाना था, 56.1 मिलियन लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य ही पूरा कर पाया।"

हम अपने उद्देश्य को क्यों पूरा नहीं कर पाये? हमारा अनुभव क्या कहता है? हमने इससे क्या सबक सीखा? वित्त मंत्रालय ने इससे

[श्री समीक लहिरी]

क्या शिक्षा ग्रहण की ? इस वर्ष भी नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विशेष रूप से कहा गया है मैं उद्धृत करता हूँः-

> ''नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति निर्माण (1992) हेतु निर्देशों का पालन करने के अतिरिक्त शिक्षा को मौलिक जीवन अधिकार के एक रूप में घोषित करने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 तक राष्ट्र को पूर्णतया साक्षर बनाना एक संकल्पयुक्त लक्ष्य होगा''

जीवन के अधिकार के सम्बन्ध में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री शिवराज वी. पाटिल ने कहा है। अतः मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता।

> ''कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) के छः प्रतिशत भाग को सन 2000 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया जाएगा और उसका पचास प्रतिशत भाग प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।''

यह सब नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में सम्मिलित है। बजटीय आबंटन कितना है ? यदि कुल जी.डी.पी का छः प्रतिशत भाग खर्च किया जाना है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1,31,000 करोड़ रुपये केवल शिक्षा पर ही खर्च किये जाते हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। अतः तर्क की दृष्टि से यदि मैं यह मान लूं कि इसका पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी तो वह 65,000 करोड़ रुपये होगा। हमें 65,000 करोड़ रुपये अगली पंचवर्षीय योजना के भीतर खर्च करने हैं। तो प्रक्षेपित आंकड़े क्या होंगे ? यह कुछ इस प्रकार बनेगा। 1997-98 के बजट से 10,500 करोड़ रुपये, जो कुछ ही दिन पूर्व प्रस्तुत किया जा चुका है और पारित भी हो चुका है। वर्ष 1998-99 में 12,000 करोड़ और 2000-2001 में 14,120 करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी 15,500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता रह जाएगी। परन्तु वर्तमान बजट में कितना आबंटन किया गया है ? वह तो मात्र 5,231,63 करोड़ रुपयों का है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के यह कैसे अनुरूप है ? क्या वित्तपोषण और आयोजना दो समानान्तर रेखाएँ हैं ? आयोजना एक दिशा में है और वित्त मंत्रालय दूसरी दिशा में जा रहा है। मैं केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। मैं यह सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ कि वित्त मंत्रालय मामलों पर सोच-विचार नहीं कर रहा और आयोजित अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण को या योजना आयोग को एक उचित दिशा में नहीं ले जा रहा।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करे। इससे बाहर नहीं जाए। यदि हमें अपने देश का विकास करना है हमे दीर्घावधि, आयोजित आर्थिक नीति की आवश्यकता है, अन्यथा हम विकास नहीं कर सकते। अतः मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री शिवराज. वी. पाटिल के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि योजना आयोग संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कुछ प्रशासनिक उपाय मात्र अर्थ-तन्त्र को नहीं चला पाएंगे। अन्यथा ये दो समानान्तर रेखाएँ ऐसे ही चलती रहेगी जैसे यह अब चल रही हैं। मैं एक बार फिर सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दे। चूंकि समय पूरा हो रहा है, अतः इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण पूरा करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति जी, नाइंथ फाइव ईयर प्लान का जो एप्रोच पेपर हाउस में रखा है, उस पर दो मिनट के लिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, उनमें से किसी योजना ने अपना टार्गेट पूरा नहीं किया। यह एप्रोच पेपर जो हमने पढ़कर देखा तो हमें ऐसा लगता है कि नाइंथ फाइव ईयर प्लान के अन्त में देश की हर समस्या खत्म हो जायेगी और देश बहुत आगे बढ़ जायेगा। ऐसा ही हर पंचवर्षीय योजना के कागजों में दिखाया गया, मगर लक्ष्य किसी योजना में भी पूरा नहीं हुआ। इसका कारण है कि हमारे जो पंचवर्षीय प्लांस हैं, ये अनप्लांड हैं, ये ग्राउण्ड रियलिटीज पर आधारित नहीं हैं।

रिसोर्सेज़ को मोबीलाइज नहीं किया गया। आज भी देश में कितनी ही जमीन अनकल्टीवेटिड है। यहां लैण्ड रिफार्म्स की बात तो की जाती हैं, जिसके पास जमीन है, उससे छीनने की बात तो सोच सकते हैं, लेकिन जो अनकल्टीवेटिड जमीन पड़ी हुई है, उसको यूटीलाइज़ करने के लिए कोई प्लान नहीं बना इसी तरह पानी की समस्या है। पानी को यूटीलाइज़ करने के लिए कोई प्लान अभी तक नहीं बना। कितना पानी है, जो आज भी पाकिस्तान को जा रहा है। कितना पानी है, जो बंगलादेश को जा रहा है। कितना पानी है जो फ्लड के कारण अनयूटीलाइज चला जाता हैं, नुकसान भी करता है, उसके लिए कोई योजना नहीं बनती।

अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज भी योजना के लक्ष्य पूरे नहीं होने देते। जब कागजों में प्लान बनाया जाता है तो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या उपाय हैं, वे कभी सोचे नहीं गये। मैं समझता हूँ कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको थ्री टायर में होना चाहिए। टू टायर में तो पहले ही हैं। एक तो एकवर्षीय होती है, एक पंचवर्षीय होना चाहिए और एक लोंग टर्म की प्लानिंग भी होनी चाहिए, ताकि देश आगे बढ़ सके।

अब सात परसेंट ग्रोथ रेट की बात की गई है। नाइंथ फाइव इयर प्लान में सात परसेंट ग्रोथ रेट कैसे प्राप्त होगा ? इसके लिए कम से कम 10 परसेंट एक्स्ट्रा पावर होनी चाहिए और एक्स्ट्रा पावर के लिए क्या उपाय बनाये हैं ? इसके लिए कोई उपाय नहीं सोचे गये। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाएं अपना लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रही और देश आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहा है और अमीर होते हुए भी गरीब हो रहा है। इसके लिए सोचने की बात है और कोई भी प्लान आगे बढ़ाने से पहले पिछली खामियों को सोचने की जरूरत होती है पिछली क्या खामियां रही, वे कैसे दूर हो सकती हैं, इसपर कभी इस देश में चर्चा नहीं हुई।

मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि, आप मुझे समय कम देंगे, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि क्या प्रायरटीज़ होनी चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे

हमारे देश की इकोनोमी आगे बढ़ सके, लोगों को कुछ फायदा हो सके। सबसे पहले मैं समझता हूं कि इस देश की 70 परसेंट पोपुलेशन गांवों में रहती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और अगर बजट में देखें तो संकेत मिलता है कि बजट में 16 परसेंट खर्चा रूरल और एग्रीकल्चर सैक्टर में किया जाता है। 70 परसेंट लोगों के लिए अगर 16 परसेंट खर्चा किया जायेगा तो देश कैसे तरक्की कर सकेगा? देश तो देश के लोगों का है, जब देश के लोगों को कोई प्राप्ति नहीं होगी, तो प्लान बनाने का, हवाई अड्डा बनाने का, चांद पर जाने का, स्वीमिंग पूल बनाने का, फाइव स्टार होटल बनाने का क्या लाभ होगा?

जिन लोगों को जरूरत है उनको नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को देनी चाहिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी और आपके बजट में भी ऐसे संकेत मिलते हैं, जिससे लगता है कि कृषि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। न बिजली है, न पानी है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। आने वाले समय में कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा रहा जिससे इसको रोका जा सके। अगर ऐसे ही रहा तो धरती वीरानी हो जाएगी और पम्प सेटों से भी पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह चिंता का विषय है। कृषि में जो स्थिरता आई है, पर हेक्टेयर ईल्ड कम हो रही है। जी.डी.पी. में पहले कृषि का योगदान तीस प्रतिशत था, लेकिन अब कम होकर 28 प्रतिशत रह गया है। अगर यही हाल रहा तो कैसे योजनाएं सफल होंगी और देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जो स्थिरता आई है, उसे खत्म करने की जरूरत है। इसके अलावा नई कीटनाशक दवाएं लाने की जरूरत है।

मार्केट प्राब्लम की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं कि किसान ने क्या गुनाह किया है, बाहर से जो गेहूं आता है उसका दाम 785 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है और हमारे किसान को केवल 469 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। मंत्री जी ने इसके बारे में कहा कि पंजाब से चेन्नई तक गेहूं लाया जाए और आस्ट्रेलिया से चेन्नई तक गेहूं लाया जाए, उसका दाम एक ही पड़ता है। यह आंकड़ा असत्य है। अगर यह सही भी है तो हम क्या विदेश के किसान को देना अच्छी बात है या अपने देश के किसान को देना अच्छी बात है। फिर इसके समर्थन में ऐसी बातें कही जाती हैं, जो हमारी समझ में नहीं आती। अभी 475 रुपये प्रति क्विंटल दाम दिया और हमारे कृषि मंत्री जी पंजाब में गए और कहने लगे कि 785 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है। जहां तक मुझे जानकारी है 310 रुपये प्रति क्विंटल ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में कहीं नहीं पड़ती। लेकिन इस देश में पड़ रही है। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। सारी जिम्मेदारी किसानों पर डालना उचित नहीं है। सब्सिडी की बात कही जाती है। बहुत से माननीय सदस्य भी कंप्युजन में हैं कि किसान को सब्सिडी दी जाती है। कहा गया है कि 1200 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। उसमें अधिकांश तो फर्टिलाइजर के मिल-मालिक ले जाते हैं और किसान के पास 15 प्रतिशत भी नहीं पहुंचती। भारत सरकार को अगर 1200 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी है तो वह सीधे किसान को दे। इस देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादक और कंजूमर दोनों को लूटा जा रहा है। उत्पादक को कम दाम दिया जाता है और उपभोक्ता से तीन-चार गुना ज्यादा दाम देकर वही माल बेचा जाता है। इसलिए कृषि क्षेत्र पर प्राथमिकता देने की जरूरत है।

जहां तक बैंकों से लोन देने की बात है तो इंडस्ट्री के लिए तो आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन कृषि के लिए लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई ऐसा सिस्टिम नहीं है, जिससे देश की कृषि आगे बढ़ सके। किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। न ही कभी एग्रीकल्चर के विशेषज्ञों की कोई समिति बनाई गई। पहले कहा जाता था - उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखद चाकरी, भीख नदान। लेकिन अब कृषि घाटे में जा रही है अगर 70 प्रतिशत लोग गरीबी की तरफ चले गए और देश की इकोनॉमी से फायदा नहीं उठा सके तो देश गरीब हो जाएगा। यह वही बात है जैसे कोई घर के मरीज के लिए दवा लाए और उसको न देकर बाहर बैठे हुए मेहमान को दे दे। मेहमान तो चला जाएगा, लेकिन घर का आदमी जो मरीज है, वह मर जाएगा। फिर क्या होगा। इसलिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे पूरे हो सकेंगे।

डिस्पैरिटी बढ़ रही है। कहने को यहां समाजवाद के नारे लगे।

कहने को गरीबी हटाओ के स्लोगन भी दिए गए। बातें तो बहुत कही जाती हैं। लेकिन जो बातें कही जाती हैं, उनका उल्टा होता है। इस तरीके से प्लान कैसे कामयाब होगा? कोई विभाग कहता है गरीबी की रेखा के नीचे 37 प्रतिशत है और कोई संस्था कहती है कि गरीबी की रेखा के नीचे 50 प्रतिशत है। जब यही सही नहीं पता है कि गरीबी की रेखा के नीचे कितने हैं, तो गरीबी कैसे घटेगी? इस देश में अमीर-अमीर हो रहे हैं और गरीब-गरीब हैं कुछ लोगों के पास धन इकट्ठा हो रहा है। जिनके पास धन इकट्ठा हो रहा है, वे इस देश में धन खर्च नहीं करते। वे विदेशों में धन जमा कर देते हैं। विदेशों में भी कोड नम्बर से धन जमा कर देते हैं। जब वे मर जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कोड नम्बर क्या है। अगर प्रायोरिटीज ठीक नहीं रखी जाएंगी तो पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे।

दूसरी बात सामाजिक न्याय के बारे में है। आज़ादी के पचास वर्ष हो रहे हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली, शिक्षा आदि की पूरी सुविधाएं हों। किसी में एक कम होगी, किसी में दो कम होंगी क्या इनकी फिगर आपके पास हैं? मंत्री जी तो चले गए हैं। दूसरे मंत्री जी बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लान या टारगेट फिक्स करने से पहले इनके पास सारे आंकड़े वगैरह होने चाहिए तभी विकास के काम भी हो सकेंगे।

तीसरी बात मैं एम्पलॉयमेंट के बारे में कहना चाहूंगा। आज देश के हर मां-बाप को यह चिंता है कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी दूर करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, मुझे तो लगता है कि ये पर्याप्त नहीं हैं। अब मल्टीनेशन कंपनियां आ रही हैं। इनमें कम्प्यूटर से काम होता है। इनमें बिजली, पानी और जमीन सब हमारी हैं और नौजवानों को काम नहीं मिलता है। जो पहले कर्मचारी थे, वे भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसको मद्देनजर रखते हुए बाहर से जो कंपनियां यहां आती हैं, वे लेबर-ओरिएंटेड होनी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना के क्या परिणाम निकले हैं? स्टेट में ऐसा पैसा जाता हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार की स्पोनसर्ड स्कीम जो राज्य में जाएं, उनकी डिस्क्रेशन पॉवर

[प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

सांसदों को मिलनी चाहिए ताकि इनके कोई वाजिब परिणाम निकलें। आठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद कभी डिपार्टमेंट ने नहीं सोचा है कि इनके क्या परिणाम निकले हैं? देश का पैसा वेस्ट हो रहा है। इस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार से जो नहरें निकाल देते हैं, उसमें कई साल लग जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्लान मुकम्मल होना चाहिए। ऐसी योजनाएँ बनानी चाहिए जिनके परिणाम लाभप्रद और स्थायी हों। अब पी.डी.एस. का मामला है। स्कूलों में राशन देना शुरू कर दिया है। टीचर्स रोटियां पकाने लगे हैं और बच्चे आटा लेकर जाने लग गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से व्यावहारिक योजनायें आनी चाहिए। पोपुलैरिटी गेन करने के लिए, शोशाबाजी करने के लिए योजनायें नहीं आनी चाहिए। योजनाओं का विकास मुंह देखकर टीका लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब कोई योजना पूरी नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा परेशानी केन्द्र सरकार को होती है। मेरी जानकारी के अनुसार 68 प्रतिशत प्रोजैक्ट पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से चले आ रहे हैं, जो अभी तक कम्पलीट नहीं हुए हैं। ऐसे प्रोजैक्ट्स भी हैं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू किये गए थे और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हमारे देश की प्लानिंग का यह हाल है। इसको "आगे दौड़ पीछे छोड़" भी कहा जा सकता हैं। हमारे प्रदेश में 1969 में थीन-डेम शुरू किया था, वह अभी तक भी पूरा नहीं हो पा रहा है। उस वक्त उसकी कीमत 84 करोड़ रुपए थी, जो अब वह बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गई है। इतना सब कुछ होने पर भी पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी और जब ये सुविधायें नहीं मिलेंगी, तो प्रदेश में सिंचाई किस प्रकार हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम हाथ में लिया जाए, उसको मुकम्मिल करना चाहिए और मेरे विचार से इसे ही प्लानिंग कहते हैं। सरकार हाथ तो आगे बढ़ाती जाती है, लेकिन काम मुकम्मिल नहीं होते हैं। टार्गेट्स फिक्स तो किए जाते हैं; लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं इसलिए इसको देखने की जरूरत है।

जहां तक एन्वायर्नमेंट का प्रश्न है, यह एक जहर है, लेकिन इसको दूर करने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। एन्वायर्नमेंट में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। विकास के लिए देश में बहुत से कारखाने आ रहे हैं। बाहर से उद्योग आ रहे हैं। उन उद्योगों के द्वारा गन्दा पानी और गन्दी बदबू इस देश के लोगों को उठानी पड़ रही है। इतना होने पर भी प्राफिट सारा बाहर के मुल्कों में जा रहा है। पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए प्लानिंग में विशेष स्थान होना चाहिए।

आखिर में, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इस देश की प्लानिंग इस प्रकार की रही है कि वह कभी भी टार्गेट पूरा नहीं कर पाई है। जब यह स्थिति होगी, तो इस देश की इकोनोमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। संयुक्त मोर्चे की सरकार में विभिन्न क्षेत्रीय दल हैं और वे हमेशा से डिसैन्ट्रलाइजेशन की बात कहते रहे हैं। युनाइटेड फ्रन्ट की सरकार ने यह मुद्दा अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी रखा था और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो शेयर राज्यों को दिया जाना चाहिए, वह न देकर बल्कि जो पहले से दिया जा रहा है, उसको भी कम किया जा रहा है इस देश की प्लानिंग को मजबूत करना है, इकोनोमी को बढ़ाना है, तो राज्यों के शेयर को बढ़ाना होगा और राज्यों को फ्रीली इकोनोमिक सैक्टर में काम करने की इजाजत देनी होगी। दिल्ली के चक्कर लगा-लगा कर उनकी इकोनोमी संकट में पड़ जाती है। इसको बचाने के लिए मेरे विचार से राज्यों का शेयर 50 प्रतिशत होना चाहिए।

अभी एक माननीय सदस्य ने जरूरतों के बारे में कहा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में लोगों की आवश्यकता अलग-अलग हैं। आवश्यकताओं को देखकर, प्रायोरिटीज को देखकर, कल्चर को देखकर राज्यों का शेयर जब ज्यादा होगा, तो देश की इकोनोमी आगे बढ़ पाएगी और इस देश से गरीबी खत्म हो पाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली आठ पंचवर्षीय योजनाओं में जो कमियां निकली हैं, कहीं नौंवी पंचवर्षीय योजना के बाद भी वही कमियां न निकलें।

फिर बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा और देश के लिए नुकसान वाली बात होगी इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

सभापति महोदय : अब सभा कल, 14 मई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 मई, 1997 / 24 वैशाख, 1919 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

PLS 40. X. 18.97
580

© 1997 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Eighth Editi
and printed by Data Point Computing Technology (India) Pvt. Ltd., Janakpuri, New Delhi-58.